



42 वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

निगम का दृष्टिकोण

दक्ष, उत्तरदायी और नवाचारी मूल्यों के माध्यम से स्वच्छ विद्युत के धारणीय विकास हेतु एक वैश्विक स्तर से अग्रणी संगठन बनना।

निगम का लक्ष्य

- ♦ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वच्छ विद्युत के विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- ♦ परियोजनाओं का निष्पादन और प्रचालन एक कुशल तथा दक्ष संविदा प्रबंधन और नवाचारी अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल तथा सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी निभाते हुए करना।
- ♦ मानव पूंजी की पूर्ण संभाव्यता का लाभ लेने के लिए उसे विकसित, पोषित तथा सशक्त बनाना।
- ♦ एक सशक्त कारपोरेट पहचान बनाने के लिए कारपोरेट अभिशासन की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और दक्ष मूल्य आधारित प्रबंधन को अपनाना तथा कर्मचारियों, ग्राहकों, पर्यावरण तथा समाज के लिए अधिक सरोकार रखना।
- ♦ प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से नवाचारी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना और प्राकृतिक संसाधनों का ईष्टतम उपयोग करना।



श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (मध्य में) और श्री एम.के.मिस्तल, निदेशक (वित्त) (बाएं से दूसरे)
01 जून, 2018 को मुंबई में विश्लेषक बैठक के दौरान एनएचपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ

विषय सूची

एनएचपीसी

निदेशक मंडल	2
संदर्भ सूचना	3
महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा का डाइजेस्ट (5 वर्ष)	4
अध्यक्षीय वक्तव्य	7
निदेशकों की प्रोफाइल	11
निदेशकों की रिपोर्ट	17
कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	34
कारपोरेट अभिशासन से संबंधित अनुपालन प्रमाण-पत्र	60
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	62
ऊर्जा संरक्षण, टेक्नोलॉजी आमेहन और विदेश मुद्रा अर्जन तथा व्यय	77
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	79
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट	88
वार्षिक रिटर्न का उद्घरण	94
लाभांश वितरण नीति	105
सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट	108
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	111
वित्तीय विवरण	118

समेकित

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	227
वित्तीय विवरण	232
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर	355

निदेशक मंडल



श्री बलराज जोशी
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक



श्री रतेश कुमार
निदेशक (परियोजनाएं)



श्री निखिल कुमार जैन
निदेशक (कार्मिक)



श्री महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)



श्री जनार्दन चौधरी
निदेशक (तकनीकी)



श्री अनिरुद्ध कुमार
सरकारी नामित निदेशक



श्री सत्यप्रकाश मंगल
स्वतंत्र निदेशक



श्री. अरुण कुमार
स्वतंत्र निदेशक



श्री. कनिका टी. भाल
स्वतंत्र निदेशक



श्री जुगल किशोर महापात्रा
स्वतंत्र निदेशक



श्री भागवत प्रसाद
स्वतंत्र निदेशक



श्री नलिनी कांत झा,
स्वतंत्र निदेशक



श्री विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

संदर्भ सूचना

पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद
हरियाणा-121003
टेलीफोन : +91 129 2588500, + 91 129 2588110
फैक्स : +91 129 2278018
वेबसाइट : www.nhpcindia.com
सीआईएन : एल40101एचआर1975जीओआई032564

कंपनी सचिव

श्री विजय गुप्ता

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.एन.धवन एंड कंपनी, एलएलपी

सनदी लेखाकार,
410, अंसल भवन,
16, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली - 110001

मैसर्स अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार,
चैतन्य काम्प्लेक्स, प्रेम भवन,
रेसीडेंसी रोड, जम्मू तवी - 180001
जम्मू एवं कश्मीर

मैसर्स रे एंड रे

सनदी लेखाकार,
वेबल भवन, ग्राउंड फ्लोर,
ब्लाक ईपी और जीपी, साइट लेक, सेक्टर-5
कोलकाता - 700091

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स चंद्र वधवा एंड कं

204, कृष्णा हाउस, 4805/24,
भारत राम रोड, दरिया गंज,
नई दिल्ली -110002

मैसर्स बलविंदर एंड एसोसिएट्स

एफ -125, फेज 8-बी, इंडस्ट्रियल एरिया,
सेक्टर 74, मोहाली, पंजाब - 160071

मैसर्स संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स

सी4ई/135, जनक पुरी, नई दिल्ली - 110058

मैसर्स के.एल. जयसिंह एंड कंपनी

जे -7, सेक्टर-11, जयसिंह हाउस, नोएडा,
उत्तर प्रदेश - 201301

मैसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स

289, महावीर नगर-2,
महाराजी फार्मस, दुर्गापुरा,
जयपुर, राजस्थान - 302018

मैसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी

1011, पल्ले बेस्ट हाइट्स-2,
सी -9, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा
दिल्ली - 110034

मैसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स

64, बीबी गांगुली स्ट्रीट, दूसरा तल,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700012

मैसर्स नीरान एंड कंपनी

मोहित काली अपार्टमेंट, ब्लॉक-ए, फ्लैट-2 डी,
161, सबर्णपारा रोड, पीओ - बरिशा,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700008

सचिवालय लेखापरीक्षक

मैसर्स पी सी जैन एण्ड कंपनी

कंपनी सचिव
2382, प्रथम तल, सेक्टर-16,
फरीदाबाद - 121002।

आंतरिक लेखापरीक्षक

श्री विजय कुमार, कार्यपालक निदेशक (वित्त)

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीस बैंक
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

बैंकर्स

बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
एचडीएफसी बैंक
इंडसइंड बैंक
बैंक ऑफ बडोदा
डेंश बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
कोटक महिन्द्रा बैंक
आरबीएल बैंक
आईडीबीआई बैंक
येस बैंक
आईडीएफसी बैंक

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

इविटटी शेयर्स तथा कर मुक्त बॉण्ड हेतु :

मैसर्स कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ननाकरमुंडा,
हैदराबाद- 500 032

दूरभाष नं.: 040 67161500, 67162222

ई-मेल : einward.ris@karvy.com

वेबसाइट : karvycomputershare.com

अन्य बॉण्ड हेतु:

मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लिमिटेड.

बी-25/1, प्रथम तल

ओखला फेज - II

नई दिल्ली - 110020

दूरभाष सं.: 011-26387320

ई-मेल : info@rcmdelhi.com

मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी

श्री अनुज कपूर, प्रमुख (वित्त)

प्रतिभूतियां सूचीबद्ध होना

शेयर और कर मुक्त बॉण्ड :

बीएसई लिमिटेड

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

निजी स्थापन पर जारी अन्य बॉण्ड (थोक ऋण बाजार खंड के अंतर्गत)

'वी', 'वी2' और 'डब्ल्यू' श्रृंखला बाण्ड - बीएसई लिमिटेड

अन्य सभी बाण्ड - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

डिपॉजिट्री

नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिट्री लिमिटेड

सेन्ट्रल डिपॉजिट्री सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड

डिबेंचर ट्रस्टी

7.70 प्रतिशत ओ श्रृंखला
बॉण्ड

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.

दूसरा तल, रेड फोर्ट कैपिटल पार्सबनाथ टावर, भाई वीर सिंह
मार्ग, गोल मार्किट, नई दिल्ली - 110001

टेलीफोन :+91 11 47396656

ईमेल:debenturetrustee@axistrustee.com

9 प्रतिशत पी श्रृंखला, 9.25

प्रतिशत क्यू श्रृंखला, कर मुक्त

बाण्ड एनएचपीसी 2013 (श्रृंखला

1ए, 1बी, 2ए, 2बी, 3ए और 3बी)

और 8.49 प्रतिशत एस1, 8.54

प्रतिशत एस2 श्रृंखला,

8.50 प्रतिशत टी श्रृंखला बाण्ड,

6.84 प्रतिशत वी श्रृंखला बाण्ड,

7.52 प्रतिशत वी2 श्रृंखला बाण्ड,

6.91 प्रतिशत डब्ल्यू1 श्रृंखला

बाण्ड और 7.35 प्रतिशत डब्ल्यू2

श्रृंखला बाण्ड।

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.

एशियन बिल्डिंग, भूतल,

17, आर, कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट,

मुंबई-400001

टेलीफोन :+91 22 40807000

ईमेल:itsl@idbitrustee.com

8.70 प्रतिशत आर1,

8.85 प्रतिशत आर2 और 8.78

प्रतिशत आर3 श्रृंखला,

8.24 प्रतिशत यू श्रृंखला और,

8.17 प्रतिशत यू1 श्रृंखला बाण्ड

एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.

एपीजे हाउस, 6वां तल, 3

दिनशा वाचा मार्ग, चर्चगेट,

मुंबई-400020

टेलीफोन :+91 22 43025553

ईमेल: helpdesk@sbicaprtrustee.com

महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा का डाइजेस्ट (एकल लेखा)

(` करोड़ में)

वित्तीय	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
ए ऊर्जा की बिक्री	6,868.64	7,139.46	7,265.71	6,736.64	5,335.11
बी अन्य प्रचालन आय और संधिदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से राजस्व	65.39	131.71	87.29	65.61	201.93
सी अन्य आय/असाधारण मदों सहित	1,491.00	1,457.67	992.07	861.33	1,456.95
डी कुल आय (ए)+(बी)+(सी)	8,425.03	8,728.84	8,345.07	7,663.58	6,993.99
ई उत्पादन व्यय	716.39	773.67	790.87	778.91	656.94
एफ कर्मचारी लाभ व्यय	1,585.33	1,574.84	1,158.36	1,149.23	1,058.67
जी मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	1,405.89	1,388.40	1,359.07	1,425.87	1,210.76
एच वित्त लागत	922.32	1,073.22	1,072.10	1,179.77	1,022.40
आई अन्य व्यय	989.18	1,158.10	1,335.07	825.58	1,462.16
जे कुल व्यय (ई) + (एफ) + (जी) + (एच) + (आई)	5,619.11	5,968.23	5,715.47	5,359.36	5,410.93
के कर और दर विनियमित आय से पूर्व लाभ (डी) - (जे)	2,805.92	2,760.61	2,629.60	2,304.22	1,583.06
एल वित्त लागत के कारण दर विनियमित आय	331.39	365.32	396.22	406.83	-
एम अन्य के कारण दर विनियमित आय	388.43	348.67	154.68	115.12	-
एन कुल दर विनियमित आय (एल) + (एम)	719.82	713.99	550.90	521.95	-
ओ कर पूर्व लाभ (के) + (एन)	3,525.74	3,474.60	3,180.50	2,826.17	1,583.06
पी आयकर व्यय	767.09	679.01	750.61	701.70	604.27
क्यू कर उपरान्त लाभ (ओ) - (पी)	2,758.65	2,795.59	2,429.89	2,124.47	978.79
आर अन्य व्यापक आय	5.88	7.67	3.24	-	-
एस कुल व्यापक आय (क्यू) + (आर)	2,764.53	2,803.26	2,433.13	2,124.47	978.79
टी प्राधिकृत शेयर पूंजी	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
यू प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	10,259.32	10,259.32	11,070.67	11,070.67	11,070.67
वी अन्य इक्विटी (आरक्षित एवं अधिशेष)	18,068.83	16,682.81	18,690.48	17,215.72	14,996.98
डब्ल्यू दीर्घावधि/गैर-वर्तमान ऋण	16,728.20	17,245.64	18,181.08	18,171.03	18,580.52
एक्स अन्य दीर्घावधि देयताएं और दीर्घावधि प्रावधान	1,688.94	1,985.03	1,829.95	2,224.12	2,420.51
वाई विलंबित कर देयताएं	1,076.64	938.49	861.93	810.44	766.67
जेड निवेश संपत्ति सहित निवल मूल्य तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	19,994.31	20,977.21	21,303.90	22,695.16	24,079.54
एए चालू पूंजीगत कार्य	18,813.96	17,350.13	16,578.71	16,054.72	14,657.13
एबी निवेश (गैर-वर्तमान)	2,209.56	2,100.32	1,683.01	1,977.75	2,227.02
एसी अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर चालू आस्तियां	3,882.86	3,424.21	3,645.30	1,978.10	1,986.06
एडी नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	3,600.46	2,904.32	2,181.28	1,630.39	-
एई कार्यशील पूंजी	(679.22)	355.10	5,241.91	5,155.86	4,885.60
एएफ सकल पूंजी नियोजित (जेड)+(एए)+(एबी)+(एसी)+(एडी)+(एई)	47,821.93	47,111.29	50,634.11	49,491.98	47,835.35
एजी दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता	1,593.91	1,678.59	1,757.14	1,665.31	1,285.97
एएच निवल मूल्य (यू)+(वी)	28,328.15	26,942.13	29,761.15	28,286.39	26,067.65
एआई अदा किया गया लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	1,251.65	2,524.13	1,461.33	553.55	738.04
अनुपात	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ((ओ)+(एच)-(एल))/(एएफ)	8.61%	8.88%	7.62%	7.27%	5.45%
निवल मूल्य पर प्रतिफल (क्यू)/(एएच)	9.74%	10.38%	8.16%	7.51%	3.75%
ऊर्जा की बिक्री निवल लाभ (क्यू)/(ए)	40.16%	39.16%	33.44%	31.54%	18.35%
प्रति शेयर बही मूल्य (रुपए में)	27.61	26.26	26.88	25.55	23.55
प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)	2.69	2.53	2.19	1.92	0.82
प्रति शेयर लाभांश (अंतरिम + वर्ष हेतु प्रस्तावित) (रुपए में)	1.40	1.80	1.50	0.60	0.30
ऋण इक्विटी अनुपात ((डब्ल्यू) + (एजी))/(एएच)	0.65	0.70	0.67	0.70	0.76
वर्तमान अनुपात	0.88	1.07	2.10	2.08	1.80
प्रचालन कार्य-निष्पादन	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
उत्पादन (एमयू)	22,975.00	23,275.00	23,683.00	22,341.00	18,542.00
क्षमता (मेगावाट में)	5,551.20	5,171.20	5,041.20	4,961.20	4,831.20
संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	85.32	83.41	81.60	77.30	77.70
जनशक्ति (संख्या)	7351	8009	8654	9211	9838

टिप्पणी 1 : वित्तीय वर्ष 2014-15 तक आंकड़े आईजीएपी के अनुरूप हैं और वित्तीय वर्ष 2015-16 से आंकड़े भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप हैं।

टिप्पणी 2 : क्रम सं. 'एआई' पर लाभांश वर्ष के दौरान अदा किया गया वास्तविक लाभांश है।

टिप्पणी 3 : पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां-कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध/पुनःव्यवस्थित किया गया है।



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 मई 2018 को श्रीनगर में एनएचपीसी लिमिटेड के किशनगंगा जलविद्युत पावर स्टेशन (330 मेगावाट) का राष्ट्र को समर्पण।



श्रीनगर में 19 मई, 2018 को एनएचपीसी लिमिटेड के किशनगंगा जलविद्युत पावर स्टेशन (330 मेगावाट) के राष्ट्र को समर्पण के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।

अध्यक्षीय वक्तव्य



प्रिय शेयरधारको,

आपकी कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। आपका निरंतर समर्थन और विश्वास आपकी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का स्रोत है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (समेकित वित्तीय विवरणों सहित) और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही आपको भेजी जा चुकी है।

आप सभी को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए निष्पादन को बताते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अपनी क्षमता में 380 मेगावाट की अभिवृद्धि करते हुए समेकित आधार पर 7,000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के महत्वपूर्ण लक्ष्य को पार कर लिया है। आपकी कंपनी की समेकित संस्थापित क्षमता 7,071 मेगावाट हो गई है। आपकी कंपनी ने पूरे देश में बिजली में इंटर-स्टेट ट्रेडिंग करने के लिए सीईआरसी से इंटर-स्टेट पावर ट्रेडिंग लाइसेंस प्राप्त करके विकास की ओर एक और कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही, आपकी कंपनी ने देश में जलविद्युत विकास में मार्केट लीडर के तौर पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है।

जलविद्युत क्षेत्र में संभावनाएं

जलविद्युत ग्रिड को संतुलित करने और पीकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। हमारा देश विशाल जलविद्युत क्षमता से संपन्न है, जिसकी लगभग 1,00,000 मेगावाट की क्षमता का अभी तक दोहन नहीं किया गया है और इसका अभी दोहन किया जाना है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के लिए एक बार फिर से दीर्घकालिक और आशाजनक विद्युत उत्पादन विकल्प - जलविद्युत पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने इस क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को पहचाना है और इसके समाधान के लिए कई उपायों पर कार्य किया जा रहा है।

एक नई जलविद्युत नीति भी तैयार की जा रही है, जिसमें जलविद्युत को बढ़ावा देने के लिए कई समर्थित पहलों की परिकल्पना करने की आशा है। इस नीति में नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जलविद्युत का वर्गीकरण शामिल है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जलविद्युत क्षेत्र अवसरों के साथ आशाजनक और उज्ज्वल क्षेत्र है। हमें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार और उद्योग के सामूहिक प्रयासों से देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में जलविद्युत एक प्रमुख सहयोगी होगा।

निष्पादन से संबंधित मुख्य बातें

अपनी रणनीतिक दृष्टि, परियोजना प्रबंधन में मुख्य क्षमता, प्रचालन व रखरखाव और उत्कृष्ट जनशक्ति से सुदृढ़ आपकी कंपनी ने एक बार फिर 2017-18 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी के निष्पादन से संबंधित मुख्य बातें और उपलब्धियों को बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है :

- आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान 22,975 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित की है।
- कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी) 2,758.65 करोड़ रुपए है।
- अभी तक का उच्चतम संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएफ) 85.32% प्राप्त किया।
- जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में स्थित किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (3X110 मेगावाट) की सभी तीनों इकाइयों को सफलतापूर्वक कमीशन किया।
- तमिलनाडु में अपनी पहली 50 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना को कमीशन किया।
- मूडीज ने कंपनी की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग बीएए3 पॉजिटिव को बीएए 2 स्टेबल में अपग्रेड किया है, जो भारत की सोवरेन रेटिंग के बराबर है।

लाभांश

शेयरधारकों की संपत्ति में वृद्धि करने की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2017-18 के लिए 1.40 रूपए प्रति इक्विटी शेयर (लाभांश कर छोड़कर) के लाभांश की सिफारिश की है। इसमें मार्च, 2018 में भुगतान किए गए 1.12 रूपए प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश भी शामिल है। यदि यह अनुमोदित हो जाता है, तो कुल लाभांश भुगतान 1436.31 करोड़ रूपए किया जाएगा जो कर पश्चात लाभ का 52% है।

कारपोरेट अभिशासन

नैतिक, पारदर्शी, निष्पक्ष और उत्तरदायी तरीके से कारोबार का प्रबंधन करना आपकी कंपनी की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। आपकी कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य सृजन हेतु सच्ची निष्ठा और भावना के साथ सभी लागू विधियों का अनुपालन करने पर केंद्रित रहती है। सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के तौर पर आपकी कंपनी कारपोरेट अभिशासन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्ध (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं का व्यापक रूप से अनुपालन करती रही है।

लागू ब्यौरों को प्रस्तुत करते हुए कारपोरेट अभिशासन पर एक अलग खंड को निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के तहत, आपकी कंपनी स्वयं कार्य पहलों के माध्यम से अपने विभिन्न हितधारकों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों का समुचित निपटान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनका बड़े पैमाने में समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपकी कंपनी स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, शिक्षा और कौशल विकास, क्षमता निर्माण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक बुनियादी ढांचा विकास इत्यादि के क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियां करती है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास की गतिविधियों पर 38.55 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई है और वर्ष 2018-19 के दौरान, सीएसआर व एसडी गतिविधियों के लिए 80 करोड़ रूपए से अधिक की राशि खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है।

परामर्शी सेवाएं

आपकी कंपनी की तकनीकी जानकारी, प्रवीणता और अनुभव जलविद्युत और इससे संबंधित कार्यों के क्षेत्र में 'प्रचालन व रखरखाव सहित परिकल्पना से संचालन तक 'विश्व स्तरीय' परामर्शी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए अग्रणी स्थान रखती है। वर्तमान में, आपकी कंपनी नदी बेसिन अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य, डिजाइन और इंजीनियरिंग, जलविज्ञान संबंधी अध्ययन, संविदा और निर्माण प्रबंधन इत्यादि से संबंधित परामर्श सेवाएं प्रदान कर रही है।

आपकी कंपनी के प्रमुख परामर्शी कार्यों में भूतान में मांगदेच्छु जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इंजीनियरिंग और डिजाइन परामर्शी सेवाएं, जम्मू-कश्मीर में पकलदुल, कीरु और क्वार जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परामर्श सेवाएं, अंडमान और निकोबार द्विपों में कालपोंग पावर स्टेशन का ओवरहालिंग आदि परामर्शी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

विकास के लिए पहल

वर्तमान में, 2,800 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ दो जलविद्युत परियोजनाएं पार्वती-II जलविद्युत परियोजना (4 x 200 मेगावाट) और सुबानसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना (8 x 250 मेगावाट) निर्माण चरण में हैं। पार्वती-II जलविद्युत परियोजना के यूनिट-1 को पहले से ही ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था तथा यूनिट-11 को 22 सितंबर, 2018 को सिंक्रोनाइज किया गया। पूरी परियोजना को दिसंबर, 2021 तक कमीशन करने की संभावना है। आपकी कंपनी सुबानसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना में निर्माण संबंधी गतिविधियों को पुनः शुरू करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। 5,795 मेगावाट की योजनाबद्ध क्षमता की छह संभावित जलविद्युत परियोजनाओं के लिए मंजूरी भी प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, आपकी कंपनी केरल के पलक्कड़ में 8 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के विकास की प्रक्रिया में है।

आपकी कंपनी सहायक / संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से जलविद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की प्रक्रिया में है। इसमें उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड के माध्यम से 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में 1164 मेगावाट क्षमता की दो जलविद्युत परियोजनाएं तथा लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से मणिपुर में 66 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपकी कंपनी भूतान में संयुक्त उद्यम मोड के माध्यम से चमखारछू-1 जलविद्युत परियोजना (770 मेगावाट) के विकास की प्रक्रिया में है। आपकी कंपनी देश के बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्ट्रेस्ड परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए भी सक्रिय रूप से भाग ले रही है।

पुरस्कार व सम्मान

आपकी कंपनी को उत्कृष्टता की पहचान के तौर पर कई पुरस्कार व सम्मान प्रदान किए गए हैं। इनमें कुछ का उल्लेख निम्नानुसार है :

- सीबीआईपी अवार्ड के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, नई दिल्ली द्वारा किशनगंगा जलविद्युत परियोजना के लिए प्रदान की गई 'निर्माणधीन परियोजना के लिए जलविद्युत के क्षेत्र में उत्कृष्ट परियोजना विकासकर्ता'।
- निर्माण उद्योग विकास परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 10वीं निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) विश्वकर्म पुरस्कारों में 'सीआईडीसी पार्टनर इन प्रोग्रेस ट्रॉफी 2018'।
- दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा स्थापित इंडिया प्राइड अवॉर्ड्स 2017-18 में 'सीएसआर / पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण में उत्कृष्टता'।
- वर्ष 2016-17 के लिए क्षेत्र 'ए' में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच राजभाषा के कार्यान्वयन में सहायनीय कार्य के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के तहत 'प्रथम पुरस्कार'।

आभार

निदेशक मंडल की ओर से, मैं आपके दृढ़ विश्वास और एनएचपीसी के प्रयासों के निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। एनएचपीसी को राष्ट्र के लिए निरंतर मूल्यवान बनाने के लिए मैं भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के प्राधिकरणों और एजेंसियों के समर्थन और प्रेरणा के लिए भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ एवं हार्दिक सराहना करता हूँ।

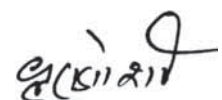
मैं अपने सभी सहयोगी बोर्ड सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने वर्ष के दौरान कंपनी को मजबूत बनाने में अपना मूल्यवान योगदान दिया।

आपकी कंपनी की सफलता इसके 7000 से अधिक कर्मचारियों के अथक प्रयासों का परिणाम है। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में, मैं इनके समर्पण को धन्यवाद देता हूँ।

आपकी उम्मीदों को पूरा करने और महत्व बनाए रखने के आश्वासन के साथ, मैं अपने सभी प्रयासों में आपके निरंतर सहयोग की आशा करता हूँ।

जय हिन्द !

आपका,



(बलराज जोशी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन07449990

दिनांक : सितंबर 27, 2018

स्थान : फरीदाबाद



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किशनगंगा जलविद्युत पावर स्टेशन की जानकारी देते हुए श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड।



श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा, श्री आर. के. सिंह, माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा को श्री अजय कुमार भल्ला सचिव (विद्युत) की उपस्थिति में लाभांश भुगतान बैंक एडवाइस सौंपते हुए।

निदेशकों की प्रोफाइल



श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन 07449990

श्री बलराज जोशी (58 वर्ष) एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और एनएचडीसी लिमिटेड और एलडीएचसीएल के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी हैं।

श्री जोशी हाइड्रो पावर विकास के क्षेत्र में 35 से अधिक वर्षों के व्यापक अनुभव के साथ सिविल इंजीनियरिंग स्नातक हैं। वह जलविद्युत विकास के सभी पहलुओं से भली-भांति परिचित हैं और नॉर्वेजियन तकनीकी संस्थान से जलविद्युत विकास और आयोजना में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक हैं। श्री जोशी ने अपना व्यावसायिक जीवन वर्ष 1982 में एनएचपीसी की सलाल जलविद्युत परियोजना में एक परिवीक्षा अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया। दुलहस्ती परियोजना, कुरीचू परियोजना (भूटान) और बकरेश्वर परियोजना में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण पर कार्य करने के लगभग 17 वर्षों का समृद्ध क्षेत्र अनुभव प्राप्त करने के पश्चात, उन्होंने कारपोरेट कार्यालय में डिजाइन और अभियांत्रिकी विभाग में कार्यभार ग्रहण किया और एनएचपीसी

की तीस्ता-V, तीस्ता लो डैम-III, तीस्ता लो डैम-IV और पार्वती-III जैसी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के डिजाइन कार्य का नेतृत्व किया। एनएचपीसी के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान, उन्होंने उल्लेखनीय योगदान के साथ संगठन में अपनी सेवाएं प्रदान की। जलविद्युत के विकास में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए, निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) ने उन्हें उद्योग डोयेन पुरस्कार प्रदान किया है।

उन्होंने बेहतर परिणामों के लिए प्रक्रियाओं पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ टीम एप्रोच पर बल दिया है। उनकी प्रक्रिया संचालित दृष्टिकोण ने किशनगंगा परियोजना हेतु अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थ न्यायालय में अनुकूल निर्णय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वह कर्मचारी सशक्तिकरण में दृढ़तापूर्वक विश्वास रखते हैं और संगठन के कार्यबल में तकनीकी ज्ञान के तीव्र विकास को वृद्धि की कुंजी मानने के पक्षधर हैं।

श्री बलराज जोशी 22 सितंबर, 2017 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में शामिल हुए।



श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)

डीआईएन 06852735

श्री रतीश कुमार (57 वर्ष) जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर (उत्तराखंड) से इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी में बी.टेक हैं। श्री रतीश कुमार ने अपना पेशेवर करियर अक्टूबर, 1982 में एनएचपीसी लिमिटेड के बैरास्यूल परियोजना में एक प्रशिक्षु अभियंता के रूप में प्रारंभ किया।

श्री रतीश कुमार के पास एनएचपीसी में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है जहां वे उत्तरदायित्व, नैतिकता तथा समर्पण की अत्यधिक समझ के साथ पेशेवर क्रम में ऊपर के सोपान पर पहुंचे। निदेशक (परियोजनाएं) के अपने वर्तमान कार्य में श्री रतीश कुमार सभी एनएचपीसी परियोजनाओं के प्रभारी हैं जो निर्माणाधीन तथा निर्माण-पूर्व चरणों में हैं। इसमें हाइड्रो तथा साथ ही साथ सौर एवं पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। वे कंपनी द्वारा लिए जा रहे परामर्शी कार्यों एवं संयुक्त

उद्यमों तथा परामर्शी कार्यों हेतु भी उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख कार्य अर्थात संविदाएं, परियोजना निगरानी और समर्थन समूह, लागत अभियांत्रिकी, व्यापार विकास और डिजाइन (ई एण्ड एम) भी उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं।

एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पूर्व श्री रतीश कुमार ने विभिन्न क्षमताओं में एनएचपीसी में कार्य किया जिसमें कार्यपालक निदेशक (डिजाइन-ई एण्ड एम) भी शामिल है। उनके प्रमुख योगदानों में सलाल पावर स्टेशन चरण-II का निर्माण तथा स्थापन, एनएचपीसी की प्रमुख परियोजनाओं को चालू किया जाना, धौलीगंगा और उडी-II पावर स्टेशनों को बहाल करना, टीएलडीपी-IV को पहले चालू किया जाना, वर्ष 2016 में किशनगंगा जलविद्युत परियोजना के बांध का निर्माण और मार्च, 2018 में 330 मेगावाट की किशनगंगा जलविद्युत परियोजना को चालू किया जाना शामिल है। इसमें आगे, परियोजनाओं यथा पार्वती-II, पार्वती-III, सुबानसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना, तीस्ता-V, सेवा-II, चमेरा-III, धौलीगंगा आदि परियोजनाओं के ई एण्ड एम पैकेज की डिजाइन एवं अभियांत्रिकी शामिल हैं। वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के साथ भी संबद्ध थे जिसमें म्यानमार में ताम्थी और श्वेजये, भूटान में कुरी-गोंगरी, चमखारछु तथा मांगदेच्छु की डीपीआर तैयार करना शामिल है। श्री रतीश कुमार 24.03.2014 से 08.02.2016 तक नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में एक नामित निदेशक रहे हैं।

श्री रतीश कुमार की जलविद्युत संयंत्रों के निर्माण तथा स्थापन, ई एण्ड एम उपकरणों के डिजाइन तथा अभियांत्रिकी, विद्युत संभाव्यता तथा ईष्टम अध्ययनों, विन्यास अभियांत्रिकी, सीईए से टीईसी प्राप्त करने के लिए परियोजना मूल्यांकन तथा लागत लाभ विश्लेषण सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर उत्कृष्ट पकड़ है। वह कई राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशनों, जीआईएस 2013, बस डक्ट 2013 और ट्रांसफार्मर 2013 संबंधी सीबीआईपी मैनुअल में एक विशेषज्ञ सदस्य भी हैं।

श्री रतीश कुमार ने 6 जनवरी, 2016 से एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

निदेशकों की प्रोफाइल



श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक)

डीआईएन संख्या : 05332456

श्री निखिल कुमार जैन (56 वर्ष) आईआईटी रुड़की से औद्योगिक इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्रीधारक है।

एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री जैन एअर इंडिया लिमिटेड में निदेशक (कार्मिक) के पद पर कार्यरत थे। श्री जैन का सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में लगभग तीन दशक से अधिक का व्यापक तथा प्रचुर अनुभव है। उन्होंने भारतीय रेलवे में वर्ष 1988 में भारतीय रेल कार्मिक सेवा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने रेलवे में विभिन्न स्तरों पर कार्य किया है तथा वह आईआरसीटीसी में समूह महाप्रबंधक (मानव संसाधन) और रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक (संयुक्त सचिव) के पद पर भी रहे हैं।

श्री निखिल कुमार जैन ने 7 फरवरी, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त)

डीआईएन सं. 02889021

श्री महेश कुमार मित्तल (57 वर्ष) की एक विशिष्ट अकादमिक पृष्ठभूमि रही है और वह एम.कॉम (स्वर्ण पदक के साथ) और वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर (प्रोविंस) है। वह भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एक फेलो सदस्य है और भारतीय कंपनी सचिव संस्था के भी फेलो सदस्य हैं।

श्री मित्तल के पास वित्त, लेखांकन, कराधान और नियामक मामलों के क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का व्यापक अनुभव है। एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री मित्तल डेडीकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया में निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक (वित्त), हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड में निदेशक (वित्त) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में मुख्य लेखाधिकारी तथा कंपनी सचिव

के रूप में भी कार्य किया है।

श्री मित्तल ने 1 मार्च, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



श्री जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन 07871 9 68

श्री जनार्दन चौधरी (58 वर्ष) बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिंदरी (झारखंड) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्रीधारक हैं। उन्होंने एनएचपीसी लिमिटेड की टनकपुर परियोजना से दिसम्बर, 1984 में कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में अपना व्यावसायिक पेशा प्रारंभ किया।

श्री जनार्दन चौधरी के पास जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 33 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है, जिसमें जलविद्युत विकास के सभी क्षेत्रों में प्रारंभ से लेकर चालू किए जाने और प्रचालन तथा रखरखाव शामिल है। एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पूर्व, वे कार्यपालक निदेशक (ओ एंड एम) के पद पर आसीन थे और नियामक ढांचे के भीतर पावर स्टेशनों के प्रचालनात्मक निष्पादन को ईष्टतम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह बैरास्यूल और लोकतक पावर स्टेशनों के आर एंड एम (जीवनकाल विस्तार) के लिए डीपीआर को अंतिम रूप देने से संबद्ध थे। श्री चौधरी रंगित, पार्वती-III, सेवा-II,

ओमकारेश्वर, चमेरा-III, पार्वती-II, सुबानसिरी लोअर और दिबांग जैसी कई परियोजनाओं के विस्तृत डिजाइन तथा अभियांत्रिकी, विद्युत संभाव्यता और ईष्टतम अध्ययनों को तैयार करना और ई एंड एम उपकरणों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। वह टनकपुर, रंगित और कुरिचु परियोजनाओं के स्थापन, परीक्षण और चालू करने के क्रियाकलापों में शामिल थे और म्यान्मार में 1,200 मेगावाट की तामंथी, 720 मेगावाट की मांगदेच्छु और भूटान में 60 मेगावाट की कुरिचु जैसी कई परियोजनाओं के लिए एनएचपीसी के परामर्शी कार्य के साथ भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने टनकपुर और उड़ी जैसे पावर स्टेशनों पर विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया और चमेरा-I और चमेरा-II के संयंत्र प्रमुख के रूप में भी कार्य किया।

श्री जनार्दन चौधरी 5 जुलाई, 2018 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

निदेशकों की प्रोफाइल



श्री अनिरुद्ध कुमार, सरकारी नामित निदेशक

डीआईएन 07325440

श्री अनिरुद्ध कुमार 1987 बैच, भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने 1984 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आनर्स के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और 1995 में दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

उन्होंने एनटीपीसी के साथ अपना करियर शुरू किया जहां उन्होंने 1984 से 1987 तक सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन में कार्य किया। इसके बाद, वह 1987 में वे भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हुए और 30 से अधिक वर्षों के अपने उल्लेखनीय करियर के दौरान उन्होंने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के कर नीति स्कंध, आयकर विभाग में विभिन्न पदों, शहरी विकास मंत्रालय (2005 से 2009), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (2009 से 2010) और आगरा में प्रधान आयकर आयुक्त जैसे विभिन्न प्रमुख विभागों में कार्य किया।

श्री अनिरुद्ध कुमार ने विभिन्न सम्मेलनों और बैठकों में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में पूरी दुनिया में व्यापक रूप से यात्रा की है।

संयुक्त सचिव (हाइड्रो) का प्रभार लेने से पूर्व, वह ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (थर्मल) थे।

श्री अनिरुद्ध कुमार 30 जुलाई, 2018 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



सीए सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 01052952

सीए सत्य प्रकाश मंगल (58 वर्ष) एक प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार और मैसर्स सत्य प्रकाश मंगल एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली के संस्थापक भागीदार हैं। उनके पास कराधान तथा लेखापरीक्षा में व्यापक अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता वित्तीय अभियांत्रिकी तथा वित्तीय पुनर्संरचना तथा परियोजना के पुनरुद्धार हेतु ईष्टतम मार्ग निर्धारित करने में है। वह भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज एसोसिएशन, हैदराबाद के आजीवन सदस्य भी हैं।

श्री सत्य प्रकाश मंगल ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का एक उपक्रम) और यूको बैंक (भारत सरकार का एक उपक्रम) में निदेशक के रूप में कार्य किया है। वह बैंकिंग उद्योग हेतु “एएस-आस (आशा)” (अग्रिम चेतावनी प्रणाली) परियोजना पर कार्य कर रहे हैं जो एनपीए को रोकने हेतु निवारात्मक उपाय मुहैया करवाती है।

इसके अतिरिक्त, उनके पास आश्वासन तथा अनुपालन, सेबी अनुपालन और जोखिम प्रबंधन का व्यापक ज्ञान है। उन्होंने प्रबंधन लेखापरीक्षा के पाठ्यक्रम को पूर्ण किया है जिसमें वित्त, मानव संसाधन, विपणन, सूचना प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रबंधन लेखापरीक्षा शामिल होती है। उनके पास कारपोरेट अभिशासन और सीएसआर (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के श्रेष्ठ व्यवहारों संबंधी मार्गदर्शन की योग्यताएं हैं। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स से कारपोरेट अभिशासन पर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में भी अध्ययनरत हैं।

श्री सत्य प्रकाश मंगल वृक्ष वंदना (एक ऐसी परियोजना जो वृक्षों के पौधरोपण तथा उनकी देख-रेख के माध्यम से मथुरा जिले (उत्तर प्रदेश) के गोवर्धन क्षेत्र में हरित क्रांति तथा पर्यावरण के बचाव के उद्देश्य से चलाई जा रही है) के परियोजना समन्वयक हैं। उन्हें पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृष्ण सर्किट की राष्ट्रीय समिति (स्वदेश दर्शन) के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वह गोवर्धन (मथुरा) के एकीकृत पारिस्थितिकीय विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री मंगल सेवकान के सचिव हैं जो सामूहिक विवाह के माध्यम से असम और उत्तरी बंगाल के चाय जनजातियों के मध्य सांस्कृतिक क्रांति ला रहे हैं, वह “भारतीय आरोग्य फाउंडेशन” (जो भारत के 45,000 से अधिक जनजातीय तथा पिछड़े गांवों में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम चला रहा है) के संस्थापक न्यासी, “महाराजा अग्रसेन नेचुरोपैथी एवं योग साधना अनुसंधान ट्रस्ट” (बालाजी निरोग धाम दिल्ली) के न्यासी भी हैं। जीवना के सचिव के रूप में वह “व्यवहार खेल सिद्धांत तथा मानव मूल्यों संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला” के आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वर्तमान में वह एनएचपीसी लिमिटेड और एसपीएमसी बिजनेस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मंगल ने 26 नवम्बर, 2015 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

निदेशकों की प्रोफाइल



प्रोफेसर अरुण कुमार, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 07346292

प्रो. अरुण कुमार (59 वर्ष) आईआईटी, रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक, आईआईएससी बंगलुरु से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और आईआईटी रुड़की से जलविद्युत विकास में पीएच.डी धारक हैं। उन्होंने एनटीएच, ट्रंडेहम (नार्वे) से जलविद्युत विकास में डिप्लोमा अध्ययन किया है। जलविद्युत तथा नदियों और झीलों के पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में उनका योगदान भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर सुविख्यात है।

प्रो. कुमार के पास जलविद्युत विकास और नदियों तथा झीलों के पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने वर्ष 2009-11 के दौरान जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष रिपोर्ट संबंधी जलविद्युत हेतु तीसरे कार्य समूह के लिए समन्वयक अग्रणी लेखक के रूप में कार्य किया था। अपने प्रतिष्ठित

करियर के दौरान प्रो. कुमार को अपने उत्कृष्ट कार्यों हेतु कई पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए थे जैसे कि वर्ष 1991 में केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड द्वारा कैश योर आइडिया पुरस्कार, 2001 में आईआईआरडीएसएस, नई दिल्ली से सूर्य पुरस्कार, इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) उत्तराखंड राज्य केन्द्र से एमिनेंट इंजीनियर्स पुरस्कार 2015 और हिमालय पावर प्रोजेक्ट्स एसोसिएशन से उत्कृष्टता पुरस्कार और इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत), रुड़की से एमिनेंट इंजीनियर्स पुरस्कार 2017।

वे 1998 से 2011 तक वैकल्पिक जलीय ऊर्जा केन्द्र (एएचईसी), आईआईटी रुड़की के प्रमुख रहे थे और 2013-18 के दौरान एमएनआरई चेरर प्रोफेसर (नवीकरणीय ऊर्जा) धारित किए हुए थे। प्रो. कुमार वर्तमान में एएचईसी, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं

प्रो. कुमार ने 26 नवम्बर, 2015 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



प्रो. कनिका टी. भाल, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 06944916

प्रो. कनिका टी. भाल (53 वर्ष) आईआईटी, दिल्ली में प्रबंधन अध्ययन विभाग में प्रोफेसर हैं। आईआईटी, कानपुर से पीएच.डी धारक और स्लोअन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एक विजिटिंग फेलो, वह सामान्यतः व्यवहार विज्ञान और विशेष रूप से नेतृत्व में एक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों तथा सम्मेलनों में 100 से अधिक लेख प्रकाशित करवाए हैं और कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों के संपादक मंडल में शामिल हैं। उन्होंने लीडरशिप, संस्कृति एवं नीतिशास्त्र पर कई पुस्तकों की लेखिका है। उन्होंने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से वित्त पोषित (फोरधम यूनिवर्सिटी तथा वहारटन बिजनेस स्कूल) परियोजनाओं हेतु प्रायोजित अनुसंधान किया है। विभिन्न संगठनों जैसे कि भारत के 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग, भारत के प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, डीआरडीओ, यूपीएससी, डीजीएस एण्ड डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनआईसीडी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए परामर्शदाता होने के अतिरिक्त उन्हें सरकारी समितियों में एक विशेषज्ञ के रूप में

आमंत्रित किया जाता है और वह एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, अमेरिका, सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल आर्गनाइजेशन एण्ड साइकोलॉजी तथा ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ऑफ फ्लेक्सीबल सिस्टमस मैनेजमेंट की एक सदस्या हैं।

उन्हें हेडलाइन्स टुडे द्वारा 2013 में प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रोफेसर, आईईएस ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, भोपाल द्वारा 2009 में प्रबंधन शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य हेतु डा. हरी सिंह गौड़ पुरस्कार, आईआईटी, दिल्ली द्वारा शिक्षण में उत्कृष्टता पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रो.भाल को शवाने इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दक्षिण अफ्रीका द्वारा माननीय प्रोफेसर का सम्मान प्रदान किया गया। मई, 2017 में उन्होंने शवाने इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दक्षिण अफ्रीका में नीति-शास्त्र, व्यापार और समाज पर प्रतिष्ठित उप कुलपति का व्याख्यान दिया था। उन्हें अगस्त से दिसम्बर 2017 तक साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, कनाडा में आईसीसीआर चेरर प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

प्रो. कनिका टी. भाल ने 26 नवम्बर, 2015 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

निदेशकों की प्रोफाइल



श्री जुगल किशोर महापात्रा, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 03190289

श्री जुगल किशोर महापात्रा (62 वर्ष), दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्नातकोत्तर है, और उन्होंने 1979 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के ओडिशा कैडर में कार्यभार ग्रहण किया। बाद में, उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय, अमेरीका से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त की। श्री महापात्रा के पास भारत सरकार और ओडिशा सरकार में व्यापक अनुभव है। उन्होंने वर्ष 2014-16 के दौरान भारत सरकार के उर्वरक विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया। वह ओडिशा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव वित्त और मुख्य सचिव थे।

श्री जुगल किशोर महापात्रा 7 अक्टूबर, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



श्री भागवत प्रसाद, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 07941795

श्री भागवत प्रसाद का जन्म 12 जुलाई 1968 को हुआ था। वह अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। वह ट्रेड यूनियनों से संबद्ध हैं और भारत के उत्तराखंड में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह पूर्व में उत्तराखंड सरकार के राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

श्री भागवत प्रसाद 7 अक्टूबर, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



प्रोफेसर नलिनी कांत झा, स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन 07950262

प्रोफेसर नलिनी कांत झा, (59 वर्ष) पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के प्रोफेसर और वर्तमान में टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय (बिहार) के कुलपति हैं। दो बार फुलब्राइट रह चुके, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एम.फिल और पीएचडी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, यूएसए में पोस्ट-डॉक्टरेट शोध और कनाडा के डलहौजी विश्वविद्यालय में शास्त्री विद्वान रहे। उन्होंने पहले स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डी.सी., ढाका विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और एल एन मिथिला विश्वविद्यालय (बिहार) में अध्यापन कार्य किया है। वह कर्नाटक में मणिपाल विश्वविद्यालय में एडजंक्ट प्रोफेसर हैं। वह इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला और मौलाना आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं।

उन्होंने 11 किताबें, 17 पुस्तक समीक्षाएं, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 126 शोध पत्रों का लेखन/संपादन किया है। उनकी विशेषज्ञता में भारत की विदेश नीति और नेपाल और भूटान जैसे निकट पड़ोसियों के साथ सहयोग के माध्यम से और विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा शामिल है। वह समकालीन युग में प्राचीन भारतीय ज्ञान की प्रासंगिकता पर भी ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय निकायों के निदेशक, डीन, प्रमुख और सदस्य जैसे कई अकादमिक प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। उनसे jhank59@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रो. नलिनी कांत झा 7 अक्टूबर, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा श्री आर.के. सिंह, सचिव (विद्युत), भारत सरकार, श्री अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), भारत सरकार, श्री अनिरुद्ध कुमार, सदस्य (हाइड्रो), सीईए श्री पी.डी. सिवाल और एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री बलराज जोशी की उपस्थिति में 'जलविद्युत विकास' विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशक कंपनी के व्यापार तथा प्रचालनों पर 42वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा साथ में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा को सहर्ष प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 आपकी कंपनी हेतु उपलब्धियों का एक और वर्ष था। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (3 x 110 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर और 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना, तमिलनाडु को चालू करके अपनी क्षमता में **380 मेगावाट** की वृद्धि की है। 31 मार्च, 2018 के अनुसार आपकी कंपनी (अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों सहित) की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर **7071 मेगावाट** हो गई है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

- कुल राजस्व तथा प्रचालनों से राजस्व (निवल) क्रमशः 8425.03 करोड़ रुपए और 6934.03 करोड़ रुपए था। कुल व्यापक आय, निवल कर पश्चात लाभ (पीएटी) और अन्य व्यापक आय क्रमशः 2764.53 करोड़ रुपए, 2758.65 करोड़ रुपए और 5.88 करोड़ रुपए थी।
- मार्च, 2018 में 1.12 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर से 1149.05 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु 0.28 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के एक अंतिम लाभांश की सिफारिश की गई है जो शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।
- पावर स्टेशनों में 22975 एमयू का उत्पादन प्राप्त किया है जिसमें चुटक तथा निम्नो बाजगो पावर स्टेशनों से 350.2 एमयू का मानद उत्पादन शामिल है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान 85.32 प्रतिशत के अब तक के सबसे अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) को प्राप्त किया गया था जो 83.41 प्रतिशत के पिछले वर्ष के पीएएफ से अधिक है।
- मार्च, 2018 में जम्मू एवं कश्मीर के बांदीपोरा में किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (3 X 110 मेगावाट) की सभी 3 यूनिटों को सफलतापूर्वक चालू किया। इस परियोजना को 19 मई, 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।
- तमिलनाडु के थेनी/डिंडीगुल जिले में पहली 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना चालू की गई। परियोजना हेतु देशीय रूप से विनिर्मित सौर पीवी मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है।
- केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने अपने दिनांक 23 अप्रैल, 2018 के आदेश के माध्यम से एनएचपीसी को अंतर-राज्य विद्युत व्यापार लाइसेंस प्रदान किया।
- मूडीज ने एनएचपीसी की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग का उन्नयन करके इसे बीएए3 पॉजिटिव से बीएए2 स्थिर किया है, जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य है।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) पूर्वी पीठ, कोलकाता ने तीस्ता-4 जलविद्युत परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति को बरकरार रखा है।
- भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने जम्मू कश्मीर की बरसर जलविद्युत परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने की सिफारिश की है।
- जलविद्युत के विकास हेतु विशेष कौशलों के विशिष्ट सेट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनएचपीसी, एनटीपीसी के साथ भागीदारी में बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना में योगदान दे रहा है। इस कॉलेज की आधारशिला 27 अप्रैल, 2017 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रखी गई थी।
- समाज का समग्र विकास संगठन के रूप में एनएचपीसी के उद्देश्यों में से एक है। एनएचपीसी के सीएसआर एवं धारणीय विकास क्रियाकलाप शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, पर्यावरण और धारणीयता, महिला सशक्तिकरण आदि जैसे क्षेत्रों में केंद्रित हैं। एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 38.55 करोड़ रुपए के कुल व्यय से विभिन्न सीएसआर एवं धारणीय विकास क्रियाकलापों को किया है।
- गोरीगंगा-3ए जलविद्युत परियोजना (150 मेगावाट), उत्तराखंड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 30 मार्च, 2018 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को प्रस्तुत की गई थी।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लाभांश, लाभांश कर, आयकर और संपत्ति कर के माध्यम से भारत सरकार के राजकोष में 1688.17 करोड़ रुपए का नकद योगदान दिया गया था।
- 31 मार्च, 2018 के अनुसार कंपनी का बाजार पूंजीकरण 28418.32 करोड़ रुपए है।

पुरस्कार और सम्मान

- वर्ष 2016-17 हेतु 'क' क्षेत्र में स्थित पीएसयू के मध्य राजभाषा कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के अंतर्गत 'प्रथम पुरस्कार'। यह राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम पुरस्कार है।
- दैनिक भास्कर समाचार-पत्र द्वारा संस्थापित इंडिया प्राइड पुरस्कार 2017-18 में 'सीएसआर/पर्यावरण बचाव तथा संरक्षण में उत्कृष्टता' पुरस्कार।
- सीबीआईपी अवार्ड्स में केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा 'किशनगंगा जलविद्युत परियोजना हेतु निर्माणाधीन परियोजना के लिए जलविद्युत क्षेत्र में श्रेष्ठ परियोजना डेवलपर' पुरस्कार।
- निर्माण उद्योग विकास परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित दसवें निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) विश्वकर्मा पुरस्कारों में 'सीआईडीसी पार्टनर इन प्रोग्रेस ट्रॉफी 2018'।
- निर्माण उद्योग विकास परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित दसवें निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) विश्वकर्मा पुरस्कारों में श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को 'उद्योग डोएन' पुरस्कार।
- टाइम्स एसेंट (टाइम्स ऑफ इंडिया समूह) द्वारा प्रस्तुत एशिया पैसिफिक एचआरएम कांग्रेस एवं पुरस्कार के 16वें संस्करण में श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक) को 'एचआर लीडरशिप पुरस्कार'।

1. वित्तीय निष्पादन

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों को तालिका 1 में सार रूप में दर्शाया गया है।

तालिका 1 : वित्तीय विशिष्टताएं

(` करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2017-18	2016-17
प्रचालनों से राजस्व	6,934.03	7,271.17
मूल्यहास, ब्याज, दर विनियमित आय और कर-पूर्व लाभ	5,134.13	5,222.23
मूल्यहास	1,405.89	1,388.40
मूल्यहास के उपरान्त परन्तु दर विनियमित आय, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	3,728.24	3,833.83
ब्याज एवं वित्त प्रभार	922.32	1,073.22
मूल्यहास और ब्याज के उपरान्त परन्तु दर विनियमित आय और कर से पूर्व लाभ	2,805.92	2,760.61
दर विनियमित आय	719.82	713.99
कर	767.09	679.01
मूल्यहास, ब्याज, दर विनियमित आय और कर-उपरान्त लाभ	2,758.65	2,795.59
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	5.88	7.67
कुल व्यापक आय (टीसीआई)	2,764.53	2,803.26
पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि लेखों के विवरण का अधिशेष (अन्य व्यापक आय सहित)	2,657.30	3,147.66
बांड विमोचन आरक्षित से पश्च लिखित राशि	148.17	109.42
आर एण्ड डी निधि से अंतरण	43.90	-
उप जोड़	5,613.90	6,060.34
घटाएं : विनियोजन		
बांड विमोचन आरक्षित को अंतरण	668.45	394.49
लाभांश और कारपोरेट लाभांश कर (सीडीटी)	1,378.51	2,996.35
आर एण्ड डी निधि को अंतरण	-	12.20
अन्य व्यापक आय सहित प्रतिधारित अर्जन का अंतिम शेष	3,566.94	2,657.30

1.1 राजस्व

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 8425.03 करोड़ रूपए का राजस्व अर्जित किया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अर्जित किया गया राजस्व 8728.84 करोड़ रूपए था।

1.2 व्यय

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुल व्यय 5619.11 करोड़ रूपए था जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में इसकी तुलना में कुल व्यय 5968.23 करोड़ रूपए था।

1.3 लाभ

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 2764.53 करोड़ रूपए का कर पश्चात लाभ (कुल व्यापक आय) अर्जित किया है जबकि इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान यह 2803.26 करोड़ रूपए था।

1.4 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2018 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 10259.32 करोड़ रूपए थी।

1.5 निवल मूल्य

आपकी कंपनी का निवल मूल्य 31 मार्च, 2018 को 28328.15 करोड़ रूपए था जबकि इसकी तुलना में यह पिछले वर्ष 26942.13 करोड़ रूपए था।

2. लाभांश

आपके निदेशक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु 0.28 रूपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सहर्ष सिफारिश करते हैं।

उक्त लाभांश मार्च, 2018 में अदा किए गए 1.12 रूपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कुल लाभांश 1.40 रूपए प्रति इक्विटी शेयर होता है। कंपनी के सदस्यों द्वारा अंतिम लाभांश के अनुमोदन के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कुल लाभांश भुगतान 1436.31 करोड़ रूपए (लाभांश वितरण कर के अतिरिक्त) होगा जो, कर पश्चात लाभ का 52 प्रतिशत होता है जबकि पिछले वर्ष कुल लाभांश भुगतान 1984.61 करोड़ रूपए था जो कर पश्चात लाभ का 71 प्रतिशत था।

3. प्रचालनात्मक निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी की एकल स्थापित क्षमता किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (3 x 110 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर और 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना, तमिलनाडु के चालू किए जाने से बढ़कर **5,551 मेगावाट** हो गई है। वर्तमान में आपकी कंपनी की संचित स्थापित क्षमता **7,071 मेगावाट** है (एनएचपीसी की अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड के 1,520 मेगावाट के दो पावर स्टेशनों सहित)।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान **22,975 मिलियन यूनिट (एमयू)** का उत्पादन किया और पिछले वर्ष के 83.41 प्रतिशत की तुलना में 85.32 प्रतिशत के अब तक का सबसे अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) प्राप्त किया था। पावर स्टेशन-वार उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता कारक तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2 : वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पावर स्टेशन वार उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएफ)

पावर स्टेशन का नाम	उत्पादन लक्ष्य* (एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू)	पीएफ लक्ष्य* (%)	वास्तविक पीएफ (%)
पॉण्डेज पावर स्टेशन **				
बैरा स्कुल (180 मेगावाट)	693	642	92.50	82.54
लोकतक (105 मेगावाट)	539	838	93.50	97.95
चमेरा-I (540 मेगावाट)	2,350	2,344	96.00	98.09
रंगित (60 मेगावाट)	338	346	95.50	99.45
चमेरा-II (300 मेगावाट)	1,469	1,487	95.50	97.52
धौलीगंगा (280 मेगावाट)	1,112	1,153	90.00	94.87
दुलहस्ती (390 मेगावाट)	2,194	2,344	95.50	96.54
तीस्ता-V (510 मेगावाट)	2,644	2,819	92.50	97.49
सेवा-II (120 मेगावाट)	523	506	96.50	97.85
चमेरा-III (231 मेगावाट)	1,085	1,068	91.50	95.48
टीएलडीपी-III (132 मेगावाट)	581	387	89.50	79.64
टीएलडीपी-IV (160 मेगावाट)	704	495	90.10	80.39
उप जोड़ क	14,232	14,429	93.50	94.56
रन ऑफ द रिवर पावर स्टेशन और सीमित संयंत्र				
सलाल (690 मेगावाट)	3,379	3,247	65.00	76.18
टनकपुर (94.2 मेगावाट)	443	460	64.00	68.70
उड़ी (480 मेगावाट)	2,844	2,350	75.00	74.82
चुटक ¹ (44 मेगावाट)	51	227	49.90	59.57
निम्नो बाजगो ¹ (45 मेगावाट)	94	267	64.90	72.40
उड़ी-II (240 मेगावाट)	1,420	1,207	75.00	79.30
पार्वती-III (520 मेगावाट)	686	710	52.00	62.70
किशनगंगा (330 मेगावाट) ²	236	2	75.00	-
पार्वती-II (800 मेगावाट)	45	-	-	-
उप जोड़ ख	9,198	8,472	65.14	72.15
कुल क+ख (जलविद्युत)	23,430	22,901	81.60	85.32
पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर (50 मेगावाट)	70	70	-	-
सौर विद्युत परियोजना, तमिलनाडु (50 मेगावाट) ³	-	4	-	-
कुल	23,500	22,975	81.60	85.32

* दर्शाए गए लक्ष्य भारत सरकार के साथ एमओयू के अनुसार 'बहुत अच्छा' रेटिंग हेतु है।

** वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु पीएफ एमओयू लक्ष्य 'बहुत अच्छा' रेटिंग और पॉण्डेज पावर स्टेशनों से संबंधित हैं अर्थात् रन ऑफ द रिवर पावर स्टेशनों तथा सीमित संयंत्रों को छोड़कर।

टिप्पणी :

- 1- उत्पादन में चुटक पावर स्टेशन (181.6 एमयू) और निम्नो बाजगो पावर स्टेशन (168.6 एमयू) का मानद उत्पादन शामिल है।
- 2- किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (3 X 110 मेगावाट) की सभी 3 यूनिटों को मार्च, 2018 में चालू किया गया। दर्शाया गया उत्पादन अपुष्ट विद्युत का है।
- 3- सौर विद्युत परियोजना को 23 मार्च, 2018 से वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किया गया था।

आपके निदेशक सहर्ष यह सूचित करते हैं कि आपकी कंपनी ने ग्रिड फ्रीक्वेंसी में दक्ष प्रचालन तथा परिवर्तनों के समय से प्रतिउत्तर के चलते 181 करोड़ रुपए (लगभग) के निवल विपथन प्रभार भी अर्जित किए हैं।

गंभीर संसाधन बाध्यताओं के वर्तमान परिदृश्य में विद्युत संयंत्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) को एक लागत प्रभावी विकल्प माना जाता है जो नई क्षमतावर्धन में सहायक हो सकता है क्योंकि आर एण्ड एम योजनाओं की प्रतीक्षा अवधि कम होती है तथा इसके लिए सभी स्वीकृतियां और लाभार्थी उपलब्ध होते हैं। तदनुसार, आर एण्ड एम को पावर स्टेशनों के जीवन विस्तार, निष्पादन सुधार और उपलब्धता तथा विश्वसनीयता में बेहदरी के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह आगे पुराने, घिस चुके या अप्रचलित इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रुमेंटेशन, नियंत्रण तथा बचाव प्रणाली को उन्नत उपकरणों से प्रतिस्थापित करके सुरक्षित विश्वसनीय तथा मितव्ययी विद्युत उत्पादन को सुनिश्चित करता है।

वर्तमान में 2 पावर स्टेशनों अर्थात् बैरास्यूल (180 मेगावाट) और लोकतक (105 मेगावाट) के जीवन विस्तार हेतु आर एण्ड एम प्रक्रियाधीन है। बैरास्यूल पावर स्टेशन के आर एण्ड एम कार्यों को वर्ष 2018-21 के दौरान किया जाएगा। लोकतक पावर स्टेशन के आर एण्ड एम प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और इसे 2021-24 के दौरान किया जाएगा।

4. वाणिज्यिक निष्पादन

4.1 बिक्री तथा वसूली

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रचालनों से आपकी कंपनी की बिक्री 6934.03 करोड़ रुपए थी। हमें यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 8024 करोड़ रुपए की राशि को वसूल पाने में समर्थ हुई है जिसमें 254.19 करोड़ रुपए के अधिभार का एकत्रीकरण और पिछले वर्षों की बकाया राशि का परिसमापन शामिल है।

31 मार्च, 2018 के अनुसार 1050.49 करोड़ रुपए की कुल बकाया देय (अधिभार सहित) 60 दिवस से अधिक हेतु लंबित थे। उक्त में से 564.11 करोड़ रुपए विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर (जेकेपीडीडी) और 337.38 करोड़ रुपए बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) से संबंधित हैं। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने बकाया देयों के परिसमापन हेतु बीवाईपीएल के साथ विभिन्न बैठकें और चर्चाएं की। परिणामस्वरूप बीवाईपीएल अपने वर्तमान देयों के साथ किस्तों में बकाया देय का भुगतान करने पर सहमत हुआ है। ससहमति परिसमापन योजना के अनुसार बीवाईपीएल ने मार्च, 2018 माह में 65 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी और प्रतिबद्ध तिथियों पर शेष देयों तथा वर्तमान देयों को जारी करने हेतु प्रतिभूति के रूप में पोस्ट डेटिड चैक दिए हैं।

आपकी कंपनी ने लगातार अनुवर्तन और अपेक्षित होने पर चूककर्ता लाभग्राहियों को विद्युत आपूर्ति के विनियमन सहित बकाया देयों की वसूली के लिए प्रयास कर रही है।

4.2 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष टैरिफ याचिका

आपकी कंपनी ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमन, 2014 के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण हेतु 2014-19 की अवधि के लिए 20 जलविद्युत स्टेशनों के संबंध में टैरिफ याचिकाएं

दायर की गई हैं। 13 पावर स्टेशनों हेतु टैरिफ आदेश केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा जारी किए जा चुके हैं। 6 नए पावर स्टेशनों हेतु अंतरिम टैरिफ अनुमोदित किया गया है। इन नए पावर स्टेशनों हेतु अंतिम टैरिफ सीईआरसी द्वारा भारत सरकार से विधिवत अनुमोदित संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत करने के पश्चात जारी किया जाएगा। किशनगंगा जलविद्युत परियोजना हेतु टैरिफ याचिका सीईआरसी को प्रस्तुत की गई है जिसके लिए आदेश प्रतीक्षित है।

4.3 विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करना

वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित पावर स्टेशनों के संबंध में पीपीए निम्नलिखित राज्यों/वितरण कंपनियों के साथ वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 35 वर्ष हेतु नवीकृत किए गए हैं :

क्रम सं.	राज्य/वितरण कंपनी का नाम	पावर स्टेशन का नाम
1	उत्तर प्रदेश	चमेरा-III
2	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड - दिल्ली	सलाल, टनकपुर, चमेरा-I, उड़ी-I, सेवा-II, और चमेरा-III
3	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड - दिल्ली	सलाल, टनकपुर, चमेरा-I, उड़ी-I, सेवा-II, और चमेरा-III
4	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - दिल्ली	बैरास्यूल हेतु नवीकरण और आधुनिकीकरण के पश्चात 25 वर्षों हेतु,

5. चालू परियोजनाओं की स्थिति

आपकी कंपनी वर्तमान में दो जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में लगी है। इन चालू परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

5.1 पार्वती-II जलविद्युत परियोजना 800 मेगावाट (4 x 200 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश :

पार्वती-II जलविद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर एक रन-ऑफ-द-रिवर योजना है। बांध, इनटेक ढांचा, गाद हटाने के चेम्बर, प्रेशर शाफ्ट, सर्ज शाफ्ट, विद्युत गृह और जीवा नाला कार्यों जैसे प्रमुख सिविल कार्य पूरे हो चुके हैं। जल संचलन प्रणाली में 31.52 किलोमीटर लम्बी हेड रेस टनल (एचआरटी) शामिल है जिसमें मार्च, 2018 तक 27.9 किलोमीटर का उत्खनन और 26.1 किलोमीटर लम्बाई की कंक्रीट लाइनिंग पूरी हो चुकी है। अक्टूबर, 2015 में टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) द्वारा एचआरटी के उत्खनन की बहाली के पश्चात से 31 मार्च, 2018 तक 1071 मीटर टनल का उत्खनन किया जा चुका है। विद्युत गृह के ई एण्ड एम कार्य भी पूरे हो चुके हैं। सभी 4 उत्पादक यूनिटों का कार्य पूरा हो गया है।

पार्वती-II जलविद्युत परियोजना की पहली तथा दूसरी यूनिट को जीवा नाला के जल का उपयोग करके सफलतापूर्वक स्पन किया गया था। पार्वती-II जलविद्युत परियोजना की पहली यूनिट को आंशिक भार पर सफलतापूर्वक समकामित किया गया है। बांध के सभी रेडियल गेट का स्थापन पूरा कर लिया गया है। जिगरई, मनीहार, पंचा और हुरला नालों के भी अपवर्तन कार्यों की प्रगति संतोषजनक है। टीबीएम द्वारा शेष एचआरटी का उत्खनन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परियोजना को अब दिसम्बर, 2020 में प्रारंभ किए जाने की प्रत्याशा है।

5.2 सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना-2000 मेगावाट (8 x250 मेगावाट), असम/अरुणाचल प्रदेश :

परियोजना का निर्माण जनवरी, 2005 में प्रारंभ हुआ था और 55 प्रतिशत कार्य (लगभग) पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), कोलकाता के निर्देशों के चलते परियोजना रोक दी गई है। बाद में एनजीटी के दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 के निर्णय के अनुसार परियोजना से संबंधित सभी मुद्दों की समीक्षा के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक तीन सदस्य विशेषज्ञ समिति

गठित की गई थी। तथापि, उक्त समिति के गठन पर आपत्ति उठाए जाने के कारण एनजीटी प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा समिति की बैठकों को स्थगित किया गया था। इस संबंध में अंतिम सुनवाई 8 मई, 2018 को हुई एनजीटी की प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने निर्णय को सुरक्षित रखा था। कंपनी परियोजना के कार्यों को शीघ्र पुनः प्रारम्भ करने हेतु केन्द्र सरकार, असम राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है। परियोजना का कार्यों के पुनः प्रारंभ होने की तिथि से 4 वर्ष के समय के भीतर पूरा होना प्रत्याशित है।

6. नई परियोजनाएं

तालिका 3. स्वीकृति/अनुमोदन चरण में होने वाली परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

क्रम संख्या	परियोजना	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
क.	एकल आधार पर		
(क)	जलविद्युत परियोजनाएं		
i	कोटली भेल I-ए ¹	उत्तराखंड	195
ii	तीस्ता-4	सिक्किम	520
iii	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	2,880
iv	तवांग-1		600
v	तवांग-2		800
vi	बरसर		800
	उप-जोड़ (क)		5,795
(ख)	पवन विद्युत परियोजनाएं		
1.	पवन विद्युत परियोजना, पलक्कड	केरल	8
	उप-जोड़ (ख)		8
	कुल क (क+ख)		5,803
ख.	अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से		
(क)	जलविद्युत परियोजनाएं		
1.	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (मणिपुर सरकार के साथ संयुक्त उद्यम) द्वारा लोकतक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना	मणिपुर	66
	उप-जोड़ (क)		66
(ख)	सौर परियोजनाएं		
1.	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (यूपीएनईडीए के साथ संयुक्त उद्यम) द्वारा सौर विद्युत परियोजना ²	उत्तर प्रदेश	32
	उप-जोड़ (ख)		32
	कुल ख (क+ख)		98
ग.	संयुक्त उद्यम के माध्यम से		
	जलविद्युत परियोजनाएं		
1.	कीरू (जेकेएसपीडीसी और पीटीसी के साथ संयुक्त उद्यम)	जम्मू एवं कश्मीर	624
2.	कवार (जेकेएसपीडीसी और पीटीसी के साथ संयुक्त उद्यम)		540
3.	भूटान में चमखरचू-1 (ड्रक ग्रीन पावर कारपोरेशन लिमिटेड, भूटान के साथ संयुक्त उद्यम)	-	770
	कुल ग		1,934
	सकल योग (क+ख+ग)		7,835

टिप्पणी :

- परियोजना हेतु परियोजना निवेश बोर्ड (पीआईबी) अनुमोदन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृति के अधीन है जोकि विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, अन्य निर्माण क्रियाकलाप भी माननीय न्यायालय के निर्णय पर निर्भर हैं।
- उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना को स्थापित करने के लिए एनएचपीसी और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं परन्तु वर्तमान में केवल 32 मेगावाट के लिए भूमि उपलब्ध है।

7. विविधीकरण

आपकी कंपनी ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों यथा पवन, सौर आदि की परियोजनाओं को लेकर अपने क्रियाकलापों के विविधीकरण के माध्यम से क्षमतावर्धन हेतु प्रयास कर रही है। ऐसी परियोजनाओं के स्थापन हेतु कंपनी के क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

7.1 सौर विद्युत परियोजनाएं

आपके निदेशक यह सहर्ष सूचित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी ने 23 मार्च, 2018 को तमिलनाडु के थेनी/डिंडीगुल जिले में एक 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना को सफलतापूर्वक चालू किया है।

आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय सहित विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों पर 860 केडब्ल्यूपी की कुल क्षमता वाली स्फ टॉफ सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, 534.7 केडब्ल्यूपी की कुल क्षमता वाली स्फ टॉफ सौर परियोजनाएं कंपनी के विभिन्न स्थलों पर निष्पादन के अधीन हैं।

7.2 पवन विद्युत परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने पहले ही जैसलमेर, राजस्थान में एक 50 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजना चालू की है। अगली स्थल, पलकाड, केरल में 72 मेगावाट (±10 प्रतिशत) पवन विद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है। प्रारंभ में विद्यमान निकासी सुविधा के अनुसार 8 मेगावाट क्षमता की पवन विद्युत परियोजना को निष्पादित किया जा रहा है। विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) को हस्ताक्षर करना तथा भूमि का आवंटन प्रक्रियाधीन है।

7.3 विद्युत व्यापार लाइसेंस

विद्युत क्षेत्र में नए अवसरों को तलाशने के लिए आपकी कंपनी ने समूचे भारत में विद्युत के अंतर-राज्य व्यापार हेतु श्रेणी-1 लाइसेंस प्रदान करने

के लिए 10 जनवरी, 2018 को सीईआरसी में एक याचिका दायर की थी। सीईआरसी ने अपने दिनांक 23 अप्रैल, 2018 के आदेश के माध्यम से उक्त क्रियाकलाप हेतु एनएचपीसी को श्रेणी-1 का लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया है। उक्त वर्णित आदेश के अनुसार एनएचपीसी समूचे देश में विद्युत के अंतर राज्य विद्युत व्यापार को कर पाने में समर्थ होगी।

तदनुसार, आपकी कंपनी विभिन्न व्यापार विकल्पों को तलाश रही है। एनएचपीसी एक व्यापारी के रूप में मैसर्स एमएसटीसी के दीप ई-बिडिंग पोर्टल पर पहले से पंजीकृत है। एनएचपीसी ने भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज की "व्यापारी सदस्यता" भी ली है।

7.4 पम्पड स्टोरेज स्कीम

भारत सरकार ने आने वाले वर्षों में सौर तथा पवन विद्युत से परिवर्तनशील तथा अनिर्न्तर विद्युत के बड़े क्षमतावर्धनों की परिकल्पना की है। तदनुसार, संतुलनकारी संयंत्रों के रूप में पम्पड भण्डारण संभाव्यता का तेजी से विकास अधिक ग्रीड अनुशासन, भार संतुलन तथा बड़े नवीकरणीय प्रसार को सुकर बनाने को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल के समय में सरकार प्रणाली में ऑफ-पीक ऊर्जा को समाहित करने और प्रणाली स्थिरता में सहायता के लिए पीक विद्युत मुहैया करवाने के उनके निहित लाभों के कारण पम्पड भण्डारण संयंत्रों के विकास पर अधिक बल दे रही है। एनएचपीसी महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा आदि जैसे संभाव्यता प्रचुर राज्यों में पम्पड भण्डारण योजनाओं के विकास हेतु अवसरों का सक्रिय रूप से दोहन कर रहा है।

7.5 पर्यावरण और सामाजिक

आपकी कंपनी आमतौर पर संबंधित राज्यों में और विशिष्ट रूप से परियोजना क्षेत्रों में पर्यावरण और सामाजिक स्थितियों में सुधार करके विद्युत के कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। कंपनी द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं की पर्यावरणीय धारणीयता में सुधार और सामाजिक स्वीकृति हेतु कार्य करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

8. अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों का ब्यौरा

31 मार्च, 2018 के अनुसार आपकी कंपनी की निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियां/एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं :

कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम भागीदारों का ब्यौरा (इक्विटी प्रतिभागिता)	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी का कार्य-निष्पादन
अनुषंगी कंपनियां		
एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचडीसी)	एनएचपीसी (51.08 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (48.92 प्रतिशत)	एनएचडीसी लिमिटेड के मध्य प्रदेश में दो प्रचालनशील पावर स्टेशन हैं अर्थात् इंदिरा सागर (1000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर (520 मेगावाट)। वर्ष के दौरान एनएचडीसी ने अपने पावर स्टेशनों से 1325.25 एमयू अर्थात् इंदिरा सागर पावर स्टेशन से 881.68 एमयू तथा ओमकारेश्वर पावर स्टेशन से 443.57 एमयू का उत्पादन किया था। एनएचडीसी मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में विविधीकरण के माध्यम से अपनी क्षमता वर्धन की संभावनाओं को भी तलाश रही है।
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	एनएचपीसी (74 प्रतिशत) और मणिपुर सरकार (26 प्रतिशत)	एलडीएचसीएल वर्तमान में मणिपुर के लमंगलॉग जिले में लोकतक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना (66 मेगावाट) का कार्यान्वयन कर रही है। परियोजना के निष्पादन हेतु सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। ईपीसी पैकेजों हेतु निविदा दिया जाना प्रक्रियाधीन है। मणिपुर सरकार ने कम्पनी को थोबल बहुउद्देश्य योजना के जलविद्युत घटक (7.5 मेगावाट) को भी कंपनी को आवंटित किया है। एनएचपीसी बोर्ड ने इस परियोजना के इक्विटी अंशदान हेतु सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान कर दिया है। परियोजना वर्तमान में अन्वेषण चरण के अधीन है।

कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम भागीदारों का ब्योरा (इक्विटी प्रतिभागिता)	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी का कार्य-निष्पादन
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	एनएचपीसी (99.99 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश न्यू एण्ड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (यूपीएनईडीए)	बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के परासन गांव में एक 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे सौंपी जाने वाली अन्य कोई परम्परागत या अपराम्परागत विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अधिनिगमित किया गया था। परियोजना हेतु यूपीएनईडीए द्वारा पहले निर्दिष्ट की गई भूमि को वापिस ले लिया गया था जो ईपीसी संविदा हेतु बोलियों को निरस्त किए जाने में परिणत हुआ। बाद में, यूपीएनईडीए ने बीएसयूएल को परासन गांव में 63.491 हेक्टेयर भूमि अंतरित की थी। अब स्थल पर एक 32 मेगावाट सौर संयंत्र को कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। 32 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना तथा संबद्ध 132 केवी विद्युत निकासी उपकरण के विकास और इसके 10 वर्षों के व्यापक प्रचालन और रखरखाव हेतु ईपीसी संविदा को दिए जाने का कार्य प्रगति पर है।
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड * (सीवीपीपीपीएल)	एनएचपीसी लिमिटेड (55.39 प्रतिशत), जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (44.22 प्रतिशत) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (0.39 प्रतिशत)	जम्मू एवं कश्मीर में 3 परियोजनाएं अर्थात् पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट), कीरु जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट) और कवार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) को सीवीपीपीपीएल द्वारा विकसित किया जा रहा है। पकल दुल जलविद्युत परियोजना का निष्पादन प्रमुख घटकों यथा अपवर्तन टनल, एचआरटी-टीबीएम, बांध, विद्युत गृह, हाइड्रो-मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रो-मैकेनिकल के पैकेजों के माध्यम से किया जा रहा है। शेष पैकेजों हेतु बोलियां मूल्यांकन के अधीन हैं। परियोजना हेतु आधारशिला 19 मई, 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रखी गई थी। कीरु जलविद्युत परियोजना के सिविल तथा एचएम पैकेज हेतु निविदा दिया जाना प्रक्रियाधीन है लेकिन कंपनी परियोजना हेतु आधारभूत ढांचा विकास कार्य अर्थात् परियोजना सड़कों, पुल, भवन आदि का भी निर्माण प्रारंभ कर दिया है। तथापि, प्रमुख निर्माण क्रियाकलापों को अभी प्रारंभ किया जाना है। क्वार जलविद्युत परियोजना हेतु सिविल, हाइड्रो-मैकेनिकल और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल के 3 पैकेजों के लिए सीवीपीपीपीएल द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनी		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (प्रत्येक की शेयरधारिता 20 प्रतिशत है)	एनएचपीटीएल को देश में शार्ट सर्किट परीक्षण सुविधा हेतु एक ऑनलाइन हाई पावर टेस्ट प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था। एनएचपीटीएल बीना, मध्य प्रदेश में उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एचवीटीआर) और मध्यम वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एमवीटीआर) के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं का निर्माण कर रहा है। एचवीटीआर प्रयोगशाला को 400 केवी स्तर पर और 765 केवी स्तर पर क्रमशः 1 जुलाई, 2017 तथा 11 सितम्बर, 2017 को चालू किया गया है। एमवीटीआर प्रयोगशाला मार्च, 2019 में चालू की जानी प्रत्याशित है।

* प्रमोटर समझौते के अनुसार एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी की इक्विटी प्रतिभागिता 49 प्रतिशत प्रत्येक और पीटीसी इंडिया लिमिटेड की 2 प्रतिशत होगी। वर्ष के दौरान, एनएचपीसी ने सीवीपीपीपीएल में 122.36 करोड़ रुपए का और निवेश किया है। चूंकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा अपेक्षित समान अंशदान का भुगतान नहीं किया गया था अतः 31 मार्च, 2018 को एनएचपीसी की शेयरधारिता बढ़कर 55.39 प्रतिशत हो गई थी तथा इसलिए सीवीपीपीपीएल 31 मार्च, 2018 को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी बन गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रत्येक अनुषंगी, एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरण के अनुबंध के रूप में मुहैया करवाई गई है और इसलिए संक्षिप्तता के मद्देनजर उसे दोहराया नहीं गया है।

अनुषंगी कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार उक्त दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने में इच्छुक होने वाला कोई शेयरधारक कम्पनी सचिव, एनएचपीसी लिमिटेड को लिख सकता है। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.nhpcindia.com पर भी उपलब्ध है।

9. डीपीआर तैयार किए जाने के अधीन परियोजनाएं

निम्नलिखित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण प्रारंभ किया गया है :

क्र. स.	परियोजना	स्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	धौलीगंगा इंटरमीडिएट जलविद्युत परियोजना, उत्तराखंड	210
2	गौरीगंगा- I।।ए जलविद्युत परियोजना, उत्तराखंड	150
	कुल	360

9.1 धौलीगंगा इंटरमीडिएट जलविद्युत परियोजना, उत्तराखंड

धौलीगंगा इंटरमीडिएट जलविद्युत परियोजना धौलीगंगा नदी पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। परियोजना की डीपीआर को तैयार किए जाने हेतु सर्वेक्षण तथा अन्वेषण क्रियाकलाप प्रशासनिक मंत्रालय से निवेश-पूर्व क्रियाकलापों का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात प्रारंभ किए जाएंगे।

9.2 गोरीगंगा-3ए जलविद्युत परियोजना, उत्तराखंड

गोरीगंगा 3ए जलविद्युत परियोजना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गोरीगंगा नदी पर अवस्थित है। परियोजना की डीपीआर को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 30 मार्च, 2018 को सीईए को प्रस्तुत किया जा चुका है और यह उनके द्वारा परीक्षण के अधीन है।

10. ग्रामीण सड़क परियोजना

आपकी कंपनी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार के 6 जिलों नामतः वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारन, श्योहर और पश्चिमी चम्पारन में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ वर्ष 2004 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

योजना के अंतर्गत एनएचपीसी को 758 सड़कों हेतु 1,725.65 करोड़ रूपए की लागत पर निष्पादन का कार्य सौंपा गया था। 31 मार्च, 2018 तक 3084 किलोमीटर लम्बाई वाली 753 सड़कें पूरी हो चुकी हैं। वैशाली जिले में शेष 5 सड़कों का निर्माण प्रगतिधीन है।

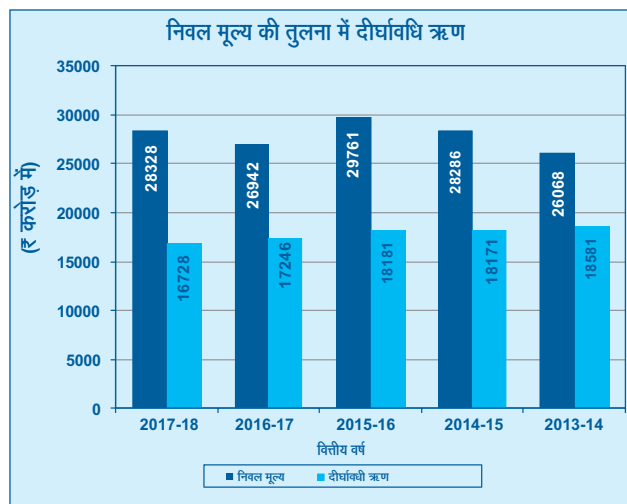
त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार सभी 758 सड़कों के निर्माण के पूरा होने के पश्चात 5 वर्षों तक इनका रख-रखाव भी किया जाना है। पहले पूर्ण 753 सड़कों में से 2835 किलोमीटर सड़क लम्बाई कवर करने वाली 694 सड़कों हेतु 5 वर्षों की रख-रखाव की अवधि भी पूर्ण हो गई है। 249 किलोमीटर की सड़क लम्बाई वाली 59 सड़कें रख-रखाव अवधि के अधीन हैं।

11. परामर्शी सेवाएं

आपकी कंपनी देश के भीतर तथा देश से बाहर जलविद्युत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे नदी घाटी अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य, डिजाइन एवं इंजीनियरी, जलविज्ञान अध्ययन, संविदा और निर्माण प्रबंधन आदि में परामर्शी सेवाओं की प्रदान कर रही हैं। आपकी कंपनी के प्रमुख परामर्शी ग्राहकों में सरकारी एजेंसियां (केन्द्र और राज्य की), सीपीएसयू और पड़ोसी देशों की सरकारें शामिल हैं।

12. नई परियोजनाओं का वित्त-पोषण

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शुल्क निर्धारण के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं के वित्त पोषण में ऋण और इक्विटी का अनुपात 70:30 का होना चाहिए। आपके निदेशकों का मानना है कि आपकी कंपनी की उपलब्ध आंतरिक प्राप्ति या नई/चालू परियोजनाओं के इक्विटी घटक को वित्त-पोषित करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी इसके निम्न गिगर्ड पूंजीगत ढांचे तथा दृढ़ क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए अपेक्षित ऋण जुटाने में बेहतर स्थिति में है।



आपकी कंपनी योजित क्षमतावर्धन कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित ऋण जुटाने के लिए बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा मुहैया करवाई जाने वाली विदेशी विकास सहायता सहित घरेलू तथा साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय ऋण विकल्पों को तलाश रही है।

13. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार

आपकी कंपनी व्यापार में धारणीय वृद्धि के अपने लक्ष्य को पूरा करने में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। आपकी कंपनी ने सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता तथा निर्णय लेने में सुधार करने के लिए अपने सभी व्यापार कार्यों के एकीकरण हेतु उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) एप्लीकेशन को कार्यान्वित किया है। समूचे भारत में कंपनी की विभिन्न यूनिटें मल्टीमोड और विफलता से सुरक्षित संप्रेषण लिंक के माध्यम से कारपोरेट कार्यालय से जुड़े हुए हैं। आपकी कंपनी के स्वामित्व वाली आईटी एवं सी परिसंपत्तियों के ईष्टतम एवं सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा नीति विद्यमान है। प्रमुख सर्वरों को फरीदाबाद में मैसर्स बीएसएनएल के टियर-3 डाटा सेंटर में सह-स्थापित किया गया है। ईआरपी डाटा हेतु आपदा रिकवरी (डीआर) साइट एनएचपीसी कार्यालय, कोलकाता में प्रचालनशील है और एक निकट डीआर साइट नई दिल्ली में मैसर्स राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवाएं निगम (एनआईसीएसआई) के डाटा केन्द्र में प्रचालनशील है।

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, ई-खरीद, सरकारी ई-बाजार (जीईएम) और ई-रिवर्स बोली प्रणाली के माध्यम से खरीद प्रक्रिया कंपनी में प्रचालनशील है। ई-अपशिष्ट का एक पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटान किया जा रहा है। आपकी कंपनी घटक सदस्य संगठनों में साइबर सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों के मार्गदर्शन तथा निगरानी हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रही है। ई-ऑफिस को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं।

14. मानव संसाधन प्रबंधन

आपकी कंपनी को अपने अत्यधिक प्रेरित तथा दक्ष मानव संसाधनों पर गर्व है जिन्होंने कंपनी को इसकी वर्तमान ऊंचाइयों तक लाने के लिए अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है। कर्मचारी और प्रबंधन और साथ

ही साथ इसके हितधारक कंपनी के हितों को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं जो आपकी कंपनी में मौजूद समग्र रूप से सौहार्दपूर्ण तथा मित्रवत कर्मचारी संबंधों को दर्शाता है।

आपकी कंपनी ने यह मानते हुए कि प्रतिभा का पोषण प्रतिस्पर्धी लाभ में परिणत होता है, अपनी प्रतिभा को आकर्षित करने, निखारने तथा प्रेरित करने हेतु लगातार प्रयास किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के कौशलों तथा दक्षताओं में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का आयोजन आईआईएम, आईआईटी, आईसीएआई आदि जैसे अग्रणी संस्थानों के माध्यम से किया था। यह नियमित रूप से अपने कार्यपालकों को उच्चतर शिक्षा और विशेषज्ञता के लिए प्रायोजित कर रही है जिससे उनकी उत्पादकता तथा प्रभावोत्पादकता में सुधार हो। एनएचपीसी जलविद्युत के क्षेत्र में वैश्विक घटनाक्रम को समझने के लिए विभिन्न विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपने कर्मचारियों को भी प्रायोजित कर रही है। पिछले वर्ष आपकी कंपनी द्वारा प्रख्यात व्यक्तियों यथा श्री के.वी.चौधरी, मुख्य सतर्कता आयुक्त, ब्रह्मकुमारी से सिस्टर बी.के.शिवानी, मुंबई डब्लूवालों से वक्ता और प्रख्यात गांधीविद श्रीमती शोभना राधाकृष्णा को आमंत्रित करके "विशेष व्याख्यान श्रृंखला" आयोजित की गई थी जिसमें कर्मचारियों के साथ उनके ज्ञान एवं अनुभव को साझा किया गया था।

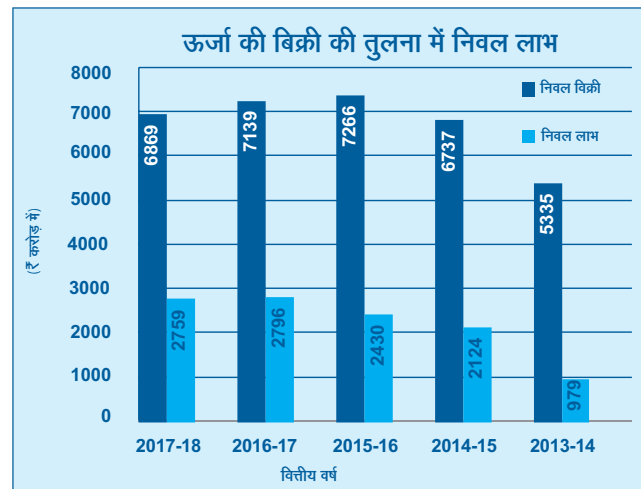
उभरते व्यापार परिदृश्य में नए विचारों की पहचान करना तथा उन्हें उत्पन्न करना और साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए उनकी सृजनशीलता को व्यक्त करने तथा लीक से हटकर सोचने देने के लिए एक कार्य परिवेश बनाना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के अनुरूप एनएचपीसी में नवाचारों, सृजनात्मक सोच और विचारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "कार्य स्थल पर सृजनशीलता तथा नवाचारों को खोलना" हेतु एक योजना प्रारंभ की गई थी। एनएचपीसी ने त्रैमासिक ई-पत्रिका 'अभिज्ञा' भी प्रारंभ की है जो कर्मचारियों के लिए अपने लेख, कार्यस्थल के अनुभव, समस्या निवारण पद्धतियों, अनूठे नवाचारी समाधानों आदि को साझा करने के लिए एक मंच मुहैया करवाती है। विभिन्न स्थलों पर सामना की गई चुनौतियों से निपटने के लिए कंपनी विभिन्न स्थलों पर सामने आई विविध समस्याओं से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा "अनुभव से सीख" व्याख्यानों का आयोजन विभिन्न स्थलों पर कर रही है ताकि कर्मचारियों के पास भविष्य में उक्त के समाधान की जानकारी हो।

15. औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान सभी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/यूनिटों पर औद्योगिक संबंध मित्रवत और सौहार्दपूर्ण रहे।

16. पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एण्ड आर)

आपकी कंपनी इसकी परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान विस्थापित जनसंख्या की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास कर रही है। अपने सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी ने परियोजना प्रभावित परिवारों के प्रभावी पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास पर ध्यान केन्द्रित किया है और अपने परियोजनाओं में तथा उसके आस-पास सामुदायिक विकास कार्यों को प्रारंभ किया है। पीएफ हेतु आर एण्ड आर. योजना एनएचपीसी की आगामी परियोजनाओं के लिए उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के अनुसार मौजूद है।



17. सतर्कता क्रियाकलाप

आपकी कंपनी अपने प्रचालनों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्णय लेने की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है और इसकी निगरानी के लिए कंपनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षतावाला एक सतर्कता विभाग है। आपकी कंपनी में प्रणालियां, पद्धतियां और प्रक्रियाएं संगठन को एक पारदर्शी निकाय बनाने के लक्ष्य को रखे हुए हैं। सभी पद्धतियों को प्रलेखित किया जाता है और सतर्कता शिकायतों तथा अनुशासनात्मक मामलों की निगरानी करने तथा उससे निपटने के लिए प्रणालियां मौजूद हैं।

आपकी कंपनी के सतर्कता विभाग द्वारा नियमित और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। परियोजना सतर्कता अधिकारियों द्वारा चिन्हित कार्यवाही योग्य बिन्दुओं का समय-समय पर परियोजना प्रमुखों को सूचित किया जाता है। जहां-कहीं अपेक्षित हो केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा कार्यों की गहन जांच की जाती है। सतर्कता विभाग सीबीआई, सीवीसी तथा सरकार के अन्य संबंधित विभागों के साथ भी समन्वय करता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कार्य दिए जाने में कमियों से संबंधित एक सतर्कता मामले को समाप्त किया गया। 31 मार्च, 2018 के अनुसार आपूर्ति में अनियमितताएं, संविदा के विभाजन और मानदण्डों के अनुपालन से संबंधित 3 सतर्कता मामले जांच के अधीन हैं।

निवारात्मक सतर्कता के एक भाग के रूप में समय-समय पर किए गए विभिन्न निरीक्षणों/गहन परीक्षणों के आधार पर नियमित रूप से परिपत्र तथा दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह और अन्य सतर्कता जागरूकता कार्यक्रमों का भी नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है।

18. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कम्पनी के पास इसके वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया है और डिजाइन या प्रचालन में कोई सूचित की जाने वाली भौतिक कमी नहीं पाई गई थी।

19. जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी का एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा विद्यमान है। एनएचपीसी की जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने हेतु मार्ग-दर्शन के लिए एक जोखिम रजिस्टर विकसित करने सहित जोखिम प्रबंधन के प्रति एक ढांचाबद्ध तथा अनुशासित एप्रोच स्थापित करती है। कुल 54 प्रमुख जोखिमों की पहचान उनके प्रशमन उपायों सहित की गई है और उन्हें जोखिम रजिस्टर में दर्ज किया गया है। कंपनी ने स्वतंत्र तथा क्रियात्मक निदेशक शामिल होने वाली एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है जो जोखिम और उनकी प्रशमन कार्यवाहियों की निगरानी करती है। प्रत्येक जोखिम हेतु जोखिम समन्वयकों की पहचान की गई है जो कंपनी के व्यापार पर किसी गम्भीर प्रभाव से बचने के लिए जोखिमों के प्रबंधन हेतु समय पर कार्यवाई करने के लिए उत्तरदायी हैं। जोखिम प्रबंधन नीति का विकास और कार्यान्वयन प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कवर किया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

20. सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से खरीद

सूक्ष्म तथा लघु उद्यम (एमएसई) हेतु लोक खरीद नीति आदेश, 2012 के अनुपालन में इसके अंतर्गत, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद की जाने वाली मदों सहित वार्षिक खरीद योजना को एमएसई के लाभ हेतु एनएचपीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। नीति के समन्वय तथा क्रियान्वयन हेतु आपकी कंपनी की ओर से नोडल अधिकारी को नामित किया गया है।

एनएचपीसी में लोक खरीद नीति के अंतर्गत निविदा शुल्क, धरोहर जमा राशि, सुरक्षा जमा में छूट, खरीद प्राथमिकता, एमएसई को विलंबित भुगतान पर ब्याज और पूर्व अनुभव - पूर्व टर्नओवर मानदण्ड से छूट जैसे लाभों का विस्तार एमएसई को भी किया है जोकि गुणवत्ता तथा तकनीकी विनिर्देशनों को पूरा करने के अधीन है।

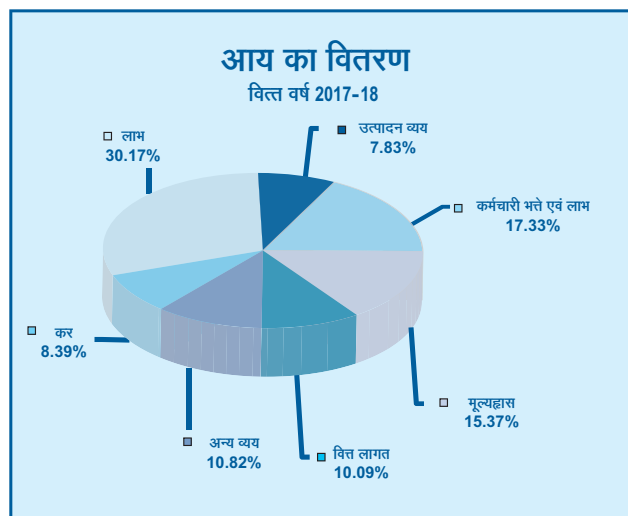
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी ने कुल वार्षिक खरीद मूल्य के 25.56 प्रतिशत की वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद एमएसई से की जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित बाध्यकारी लक्ष्य 20 प्रतिशत का है। वर्ष के दौरान, 582 एमएसई लाभान्वित हुए हैं जिसमें से 15 एमएसई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबद्ध है।

आपकी कंपनी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर 10 विक्रेता विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। उनमें प्रतिभागिता भी की गई।

21. राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 और संगत नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया।

एनएचपीसी ने वर्ष 2017-18 के दौरान राजभाषा के प्रोत्साहन के संबंध में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें हिंदी पखवाड़ा, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी 'पुस्तक पठन सप्ताह', हिंदी कवि सम्मेलन आदि शामिल हैं। हिंदी कार्यशालाओं तथा विभागीय कम्प्यूटर कार्यशालाओं का कारपोरेट कार्यालय में नियमित रूप से आयोजन किया गया था। हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए "राजभाषा ज्योति" और "नगर सौरभ" नामक राजभाषा पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया था। हिंदी को बढ़ावा देने के



लिए सक्रिय भागीदारी हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं जिसमें गृह पत्रिका में लेख/आलेख देना, हिंदी पुस्तकों का पठन और हिंदी में टिप्पण तथा प्रारूपण करना आदि शामिल हैं।

कारपोरेट कार्यालय के विभिन्न विभागों और पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा किया गया था। संसदीय राजभाषा समिति ने 19 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद का राजभाषा निरीक्षण किया था। कंपनी में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में किए गए प्रयासों की सराहना की गई।

आपके निदेशक यह सहर्ष सूचित करते हैं कि एनएचपीसी को वर्ष 2016-17 हेतु राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत "प्रथम पुरस्कार" प्रदान किया गया है। एनएचपीसी ने "क" क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के मध्य राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य हेतु लगातार आठवीं बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। एनएचपीसी को विद्युत क्षेत्र उपयोगिताओं के मध्य राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य हेतु वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम पुरस्कार के रूप में "एनटीपीसी राजभाषा शील्ड तथा प्रशस्ति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। कंपनी की गृह हिंदी पत्रिका "राजभाषा ज्योति" को "क" क्षेत्र में स्थित पीएसयू के मध्य वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार के उच्चतम राजभाषा पुरस्कार के अंतर्गत गृह पत्रिका हेतु राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था।

22. खेल कूल तथा अन्य क्रियाकलाप

एनएचपीसी खेलकूद नीति को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस नीति को उद्देश्य खेल संबंधी क्रियाकलापों/मुद्दों जैसे कि सामान्य प्रशासन, खिलाड़ियों की भर्ती, खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, खेल सामग्री के प्रावधान आदि को नियंत्रित करना है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नीति के अंतर्गत 4 युवा खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान, एनएचपीसी ने विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न अन्य अंतर सीपीएसयू खेल प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। एनएचपीसी द्वारा 20 से 23 फरवरी, 2018 के दौरान अपने चमेरा-1 तथा चमेरा-2 पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश में 22वीं अंतर सीपीएसयू बैडमिंटन प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन भी किया गया था।

आपकी कंपनी ने विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित ऊर्जा संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में स्कूली बच्चों हेतु चित्रकला प्रतियोगिताओं का समन्वय किया। इस प्रतियोगिता में आपकी कंपनी के कर्मचारियों ने पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ नोडल अधिकारी और पिछले वर्ष की तुलना में छात्र भागीदारी में उच्चतम प्रतिशत वृद्धि दर्शाने हेतु श्रेष्ठ नोडल अधिकारी का पुरस्कार जीता है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने अपने क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी प्रतिभागिता की थी।

23. सूचना का अधिकार

आपकी कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन नागरिकों को सूचना मुहैया करवाने तथा जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किया गया है। कंपनी ने विभिन्न दस्तावेजों/रिकार्डों को अपनी वेबसाइट www.nhpcindia.com पर रखा है। एनएचपीसी ने सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कारपोरेट कार्यालय में अपीलीय अधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/यूनिटों में सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नामित किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत 538 (210 ऑनलाइन) आवेदन और 65 (36 ऑनलाइन) प्रथम अपील प्राप्त हुई थी, जिसमें से क्रमशः 536 (99.63 प्रतिशत) आवेदनों और 64 प्रथम अपीलों (98.46 प्रतिशत) का उत्तर दिया गया/निपटान किया गया था। इसके अतिरिक्त, आवेदकों द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष 13 अपीलें दायर की गई थी जिनका भी निपटान कर दिया गया था।

24. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी समाज में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है और व्यापक रूप से समाज पर तथा विशेष रूप से इसके प्रचालन के आस-पास वाले क्षेत्रों में समुदायों में लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके, समावेशी वृद्धि तथा धारणीय विकास को बढ़ावा देकर सकारात्मक प्रभाव वाली पहलुओं के माध्यम से अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाहन करती है।

कंपनी के सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों के फोकस क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, शिक्षा और कौशल विकास, क्षमता निर्माण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक आधारभूत विकास और पर्यावरणीय धारणीयता के प्रति योगदान देने वाले क्रियाकलाप शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार पिछले 3 वित्तीय वर्षों हेतु औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत का व्यय सीएसआर क्रियाकलापों पर किया जाना होता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु

59.52 करोड़ रुपए की अपेक्षित राशि के प्रति कंपनी ने 38.55 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। वर्ष के दौरान बाध्यकारी आवश्यकता से कम व्यय हेतु प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं :

- कार्यों और भुगतानों का स्पिल ओवर, जो विभिन्न चरणों में थे। अतिरिक्त ब्यौरा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न सीएसआर क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।
- किशनगंगा जलविद्युत परियोजना, जम्मू एवं कश्मीर में क्रियाकलाप जम्मू एवं कश्मीर के बांदीपोरा जिले में तथा इसके आस-पास कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए थे।
- गोरखालैंड के मुद्दे और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा की गई हड़ताल के कारण सिलीगुड़ी क्षेत्र के अंतर्गत परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में सीएसआर कार्य की प्रगति प्रभावित हुई।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रयोग न की गई राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-7 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आगामी सीएसआर क्रियाकलापों में किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा लिए गए सीएसआर तथा धारणीय विकास क्रियाकलापों के संबंध में एक पृथक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दी गई है। आपकी कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति <http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/CSR-sustainability-23062017.pdf> पर उपलब्ध है।

25. निवेशक शिक्षा और बचाव निधि

निवेशक शिक्षा और बचाव निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण तथा प्रतिदाय) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 में यह प्रावधान है कि अदा न किए गए या दावा न किए गए सभी लाभांश और ऐसे शेयर जिनके संबंध में लगातार 7 वर्षों से लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें कंपनी द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और बचाव निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाना अपेक्षित होता है। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अदावाकृत/अदा न की गई राशियों तथा तदनुसूची शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित किया है। आईईपीएफ को अंतरित किए गए शेयर और अदावाकृत/भुगतान न की गई राशियों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास पड़ी भुगतान न की गई/अदावाकृत राशियों का विवरण और आईईपीएफ को अंतरित शेयरों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट लिंक <http://www.nhpcindia.com/Default.aspx?id=278&lg=eng> पर और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके शेयर, अदावाकृत लाभांश, प्रतिदाय हेतु देय आवेदन राशि आदि को आईईपीएफ को अंतरित किए गए हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के प्रावधानों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करके उसका दावा कर सकता है।

26. सम्बन्धित पक्षों की संविदाएं तथा व्यवस्थाएं

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने अपने किसी संबंधित पक्ष के साथ कोई भौतिक संव्यवहार नहीं किया है। कंपनी के प्रमुख संबंधित पक्ष संव्यवहार इसकी सहायक कंपनियों तथा एसोसिएट के साथ परामर्शी सेवाएं मुहैया करवाने, सम्पत्तियों को पट्टे पर देने तथा जनशक्ति सेवाएं

मुहैया करवाने के लिए होते हैं। संबंधित पक्षों के साथ की गई सभी सौं वदाएं/व्यवस्थाएं/संव्यवहार परस्पर सहमति आधार पर थे जो कंपनी के हितों को बढ़ावा देने के लिए थे। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत यथापेक्षित संबंधित पक्ष संव्यवहार का फार्म एओसी-2 में प्रकटीकरण किया जाना लागू नहीं होता है।

आपके निदेशक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 8 की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं जो भारतीय लेखांकन मानक-24 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरणों को निर्धारित करता है।

27. सतर्कता तंत्र

आपकी कंपनी ने अनैतिक/अनुचित आचरण के मामलों को प्रबंधन की जानकारी में लाने हेतु निदेशकों, कर्मचारियों, वेंडरों तथा संविदाकारों को उचित अवसर मुहैया करवाने के लिए सतर्कता तंत्र के एक भाग के रूप में एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है। इस नीति के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 22 के प्रावधानों के अनुरूप है।

नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और नीति के अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों से निपटने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नीति के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। व्हिसल ब्लोअर नीति के संबंध में लेखापरीक्षा समिति पर पहुंच हेतु किसी व्यक्ति को इन्कार नहीं किया गया है।

28. कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निवारण

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध और प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान हेतु कंपनी के विभिन्न स्थलों पर "आंतरिक शिकायत समितियों" का गठन किया गया है। कंपनी के कारपोरेट कार्यालय में समिति के अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती हैं और इसमें एक सदस्य के रूप में किसी एनजीओ से एक प्रतिनिधि शामिल होता है। आपकी कंपनी ने "एनएचपीसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली" के अंतर्गत इसे कदाचार के रूप में शामिल करते हुए महिलाओं के यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित भी किया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की दो शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक का निपटान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया है तथा दूसरी जांच के अधीन है।

29. डिबेंचर ट्रस्टी

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की आवश्यकताओं के अनुपालन में कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखला हेतु इसके द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा इस रिपोर्ट में अन्यत्र कहीं दिया गया है।

30. सांविधिक और अन्य जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई हेतु निगमित शासन संबंधी डीपीई के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रस्तुत किया जाने हेतु

अपेक्षित सूचना इस रिपोर्ट के निम्नानुसार संलग्न है :

विवरण	अनुबंध
कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट	I
कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र	II
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	III
ऊर्जा संरक्षण, टेक्नोलॉजी आमेहन और विदेश मुद्रा अर्जन तथा व्यय	IV
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	V
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट	VI
वार्षिक रिटर्न का उद्घरण	VII
लामांश वितरण नीति	VIII

31. लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

31.1 सचिवालयीन लेखापरीक्षा

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कंपनी की सचिवालयीन लेखापरीक्षा के संचालन के लिए मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, फरीदाबाद को नियुक्त किया है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा की रिपोर्ट **अनुबंध-9** में दी गई है। सचिवालयीन लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कुल अहर्ताएं/टिप्पणियां व्यक्त की हैं। अहर्ताएं/टिप्पणियों तथा उन पर सरकार का उत्तर निम्नवत है :

क्रम सं.	अहर्ता/अभिमत	प्रबंधन का उत्तर
1.	निदेशक मंडल की संरचना 6 अक्टूबर, 2017 तक कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुरूप नहीं थी क्योंकि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या मौजूद नहीं थी।	कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 34, जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में मामले का प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के साथ नियमित रूप से अनुवर्तन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 3 स्वतंत्र निदेशक अर्थात श्री जुगल किशोर महापात्रा, प्रो. नलिनी कांत झा और श्री भागवत प्रसाद ने विद्युत मंत्रालय से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में 7 अक्टूबर, 2017 से कंपनी के निदेशक मंडल में अपर निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

क्रम सं.	अहर्ता/अभिमत	प्रबंधन का उत्तर
2.	वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर एवं धारणीय विकास क्रियाकलापों पर व्यय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में 59.52 करोड़ रुपए की अपेक्षित राशि के प्रति मात्र 38.55 करोड़ रुपए था।	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर एवं धारणीय विकास क्रियाकलापों पर व्यय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 59.52 करोड़ रुपए की अपेक्षित राशि के प्रति 38.55 करोड़ रुपए था। अपेक्षित राशि का व्यय कई कारणों से नहीं किया जा सका था जैसे कि जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं, कार्यो तथा भुगतान का स्पिल ओवर, जो निविदा, कार्य दिए जाने तथा अंतिम शेष भुगतान को निर्मुक्त करने आदि के विभिन्न चरणों में है।
3.	कंपनी ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक (बोर्ड से एक स्तर नीचे) में भाग लेने हेतु मानदेय के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक को 40 हजार रुपए की राशि का भुगतान किया है। इस भुगतान के प्रति आवश्यक अनुमोदन कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 34(ख) के अनुपालन में समीक्षाधीन अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है।	40 हजार रुपए की राशि का भुगतान भूलवश वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किया गया था। जानकारी में आने पर यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक द्वारा लौटाई गई है।

31.2 सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। तदनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निम्नलिखित संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया है :

1. मैसर्स एस. एन. धवन एंड कंपनी, एलएलपी, नई दिल्ली
2. मैसर्स रे एण्ड रे, कोलकाता; और
3. मैसर्स अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी, जम्मू

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट बिना किसी अहर्ता के है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2103 की धारा 143(12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों और साथ में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को **अनुबंध-10** में दिया गया है। कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों और साथ में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को **अनुबंध-11** में दिया गया है।

31.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा लेखे की समीक्षा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु आपकी कंपनी के एकल तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर "शून्य" टिप्पणी दी है। आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अनुबंध-12 में दी गई हैं।

31.4 लागत लेखा-परीक्षा

कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 की आवश्यकता के अनुसार आपकी कंपनी के सभी पावर स्टेशनों द्वारा लागत लेखांकन रिकार्डों को रखा जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु पावर स्टेशनों के लागत लेखांकन रिकार्डों की लेखापरीक्षा के संचालन हेतु लागत लेखाकारों की निम्नलिखित फर्मों को नियुक्त किया गया था :

फर्म का नाम	पावर स्टेशन का नाम
मैसर्स चन्द्र वधवा एण्ड कंपनी, दिल्ली (लीड लेखापरीक्षक)	चमेरा-II और चमेरा-III
मैसर्स बलविंदर एण्ड एसोसिएट्स, मोहाली - पंजाब	दुलहस्ती, सलाल और सेवा-II
मैसर्स संजय गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, दिल्ली	टनकपुर, चुटक और निम्नो बाजगो
मैसर्स के. एल. जयसिंह एण्ड कंपनी, नोएडा	चमेरा-I, बैरास्यूल और पार्वती-III
मैसर्स के.जी. गोयल एण्ड एसोसिएट्स, जयपुर	धौलीगंगा और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर
मैसर्स आर. जे. गोयल एण्ड कंपनी, दिल्ली	उड़ी-I और उड़ी-II
मैसर्स डीजीएम एण्ड एसोसिएट्स, कोलकाता	रंगित, तीस्ता-V और टीएलडीपी-III
मैसर्स नीरन एण्ड कंपनी, कोलकाता	लोकतक, टीएलडीपी-IV और सौर विद्युत परियोजना, तमिलनाडु

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु एक्सबीआरएल प्रारूप में समेकित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट का निर्धारित अवधि के भीतर 12 अक्टूबर, 2017 को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को निर्धारित समय अवधि के भीतर दायर किया जाएगा।

32. ऋण और निवेश

आधारभूत ढांचा सुविधाएं मुहैया करवाने के व्यापार में नियोजित कम्पनियों पर दिए गए ऋण, गारंटी या सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 लागू नहीं होती है (सिवाय उप धारा (1) के)।

33. कर्मचारियों का ब्यौरा

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। अतः ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

34. बोर्ड तथा बोर्ड की समितियां

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 11 बैठकें की। बोर्ड की बैठकों की तिथि तथा उनमें उपस्थिति के संबंध में ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

आपकी कंपनी की लेखापरीक्षा समिति, हित धारक संबंध समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास संबंधी समिति और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियां हैं। इन समितियों की संरचना और बैठकों की संख्या का ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

35. निदेशकों तथा बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों में छूट/संशोधन प्रदान किए हैं। उक्त अधिसूचना के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा पारिश्रमिक नीति, निदेशकों की नियुक्ति हेतु मानदंड निरूपित करना और कुछ मामलों में उनके निष्पादन का मूल्यांकन करना अर्थात् जहां निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, एमसीए ने अपनी 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों के निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-4 में संशोधन किया है और निदेशकों की कुछ श्रेणियों को छूट प्रदान की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पढ़े जाने वाले सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अनुपालन में आपकी कंपनी ने बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में एक नीति तैयार की है। उक्त नीति के अनुसार कंपनी के बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों तथा स्वतंत्र निदेशकों का एक वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है।

जहां तक प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और कंपनी के अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक संबंधी नीति का संबंध है, उनके वेतन ढांचे, भत्ते और अन्य लाभ संगत डीपीई दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन का वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के संगत दिशा-निर्देशों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी के मानव संसाधन नियमों के अनुसार किया जा रहा है।

36. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार निदेशक एतद्वारा निम्न की पुष्टि करते हैं :

- (क) वार्षिक लेखों की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदंड का अनुसरण किया गया है और तत्संबंधी महत्वपूर्ण विचलन के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;
- (ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं, कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं;
- (ग) निदेशकों ने पूरी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से परिसंपत्तियों के संरक्षण और जाल-साजी के निवारण तथा उसका पता लगाने और अन्य अनियमितताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित उपाय किए हैं;
- (घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को एक अनवरत संबंध के आधार पर तैयार किया है;
- (ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे; और
- (च) कंपनी के निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को विकसित किया है और ये प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

37. सचिवालयीन मानक

निदेशक मंडल की बैठकों और आम बैठकों से संबंधित लागू सचिवालयीन मानक अर्थात् क्रमशः एसएस-1 तथा एसएस-2 का कंपनी द्वारा उचित रूप से अनुपालन किया गया है।

38. लाभांश वितरण नीति

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 43क के अनुसार आपकी कंपनी ने एक लाभांश वितरण नीति बनाई है। यह नीति बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण और/अथवा कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के प्रतिधारण के निर्धारण के संबंध में बोर्ड द्वारा ध्यान दिए जाने वाले मानदण्डों तथा परिस्थितियों को निर्धारित करती है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति इस रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी का लाभांश भुगतान लाभांश वितरण नीति के अनुसार था।

39. सामान्य

निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अथवा सूचना अपेक्षित नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई संव्यवहार नहीं किए गए थे :

1. लाभांश, मतदान या अन्यथा के संबंध में विभेदी अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों के मुद्दे।
2. किसी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर जारी करना (स्वीट इक्विटी शेयरों सहित)।
3. नियामकों अथवा अदालतों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश जो कम्पनी की चालू अवधारणा स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करे।
4. वित्त वर्ष के अंत के पश्चात से इस रिपोर्ट की तिथि तक ऐसा कोई भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धता का होना जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।
5. अधिनियम के अध्याय 5 के अंतर्गत कवर किए गए जमा से संबंधित ब्यौरे, सिवाय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध में दिए गए स्पष्टीकरण की सीमा तक।

40. कंपनी की विभिन्न नीतियों हेतु वेबसाइट लिंक

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 आदि के अनुसार कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.nhpcindia.com पर प्रदर्शित किए जाने हेतु अपेक्षित सूचना के लिए वेबसाइट लिंक निम्नानुसार है :

विवरण	वेबसाइट लिंक
संबंधित पक्ष संव्यवहार संबंधी नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related-Party-Transaction.pdf
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/CSR_Policy_Final.pdf
भौतिक अनुबंधी कंपनियों संबंधी नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Material-Subsidiary.pdf
व्हिसल ब्लोअर नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/wbp.pdf
निदेशकों हेतु परिचयात्मक कार्यक्रम	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/FProg-IndependentDirectors_IFA_201804_1.pdf
लाभांश वितरण नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Dividend-Policy-21062017.pdf

41. निदेशक मंडल

पिछली रिपोर्ट से अब तक आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तनों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

41.1 कार्यात्मक निदेशक

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 22 सितम्बर, 2017 के पत्र के माध्यम से श्री बलराज जोशी को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 5 जुलाई, 2018 के पत्र के माध्यम से श्री जनार्दन चौधरी को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया है। अपनी नियुक्ति से पूर्व श्री बलराज जोशी, सीएमडी, कंपनी के सीएमडी के रूप में अपने कार्य के अतिरिक्त 27 अक्टूबर, 2017 से निदेशक (तकनीकी) के पद का अतिरिक्त प्रभार धारित किए हुए थे।

श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं) ने 1 अगस्त, 2017 से 22 सितम्बर, 2017 तक सीएमडी के पद का अतिरिक्त प्रभार भी धारित किया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में मुहैया करवाया गया है।

41.2 स्वतंत्र निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 3 स्वतंत्र निदेशक अर्थात् श्री जुगल किशोर महापात्रा, प्रो. नलिनी कांत झा और श्री भागवत प्रसाद ने 7 अक्टूबर, 2017 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद धारित करेंगे जब तक कि उन्हें पुनः नियुक्त नहीं कर लिया जाता है।

31 मार्च, 2018 को सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियमन, 2015 के विनियम 16(1)(ख) में निर्धारित किए अनुसार स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

41.3 नामित निदेशक

श्री अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव (तापीय) विद्युत मंत्रालय से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में 28 मई, 2018 से 18 जुलाई, 2018 की अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में नामित निदेशक थे। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने 30 जुलाई, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से श्री अनिरुद्ध कुमार को सुश्री अर्चना अग्रवाल के स्थान पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्रीमती कृष्णा त्यागी, भारत सरकार की नामित निदेशक, मुख्य लेखा नियंत्रक, विद्युत मंत्रालय के पद से पदमुक्त होने के परिणामस्वरूप 1 जनवरी, 2018 से कंपनी की निदेशक नहीं रही थी।

बोर्ड सुश्री अर्चना अग्रवाल और श्रीमती कृष्णा त्यागी द्वारा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए मूल्यवान योगदानों तथा परामर्श हेतु अत्यधिक सराहना रिकार्ड करता है।

42. आभारोक्ति

निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य सरकारों और उनके

मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सहयोग तथा मार्ग-दर्शन के प्रति अत्यधिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और देनदारों द्वारा कंपनी में व्यक्त किए गए उनके विश्वास के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता है।

बोर्ड हमारे मूल्यवान उपभोक्ताओं, राज्य विद्युत बोर्डों तथा वितरण कंपनियों और हमारे परामर्शी कार्यों के अन्य मूल्यवान ग्राहकों के प्रति भी अपना विशेष आभार व्यक्त करता है। हम कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संविदाकारों, वेंडरों तथा परामर्शदाताओं के योगदान की भी सराहना करते हैं।

हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयीन लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों से भी प्राप्त रचनात्मक सुझावों के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

हम कंपनी की सतत वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों के अथक प्रयासों, योगदान तथा समर्पण के लिए अपनी सराहना दर्ज कराना चाहते हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से



(बलराज जोशी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07449990

तारीख : 06 अगस्त, 2018
स्थान : फरीदाबाद



श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड और श्री अजय कुमार भल्ला, सचिव (विद्युत), भारत सरकार, एनएचपीसी लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2018-19 के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद दस्तावेजों के साथ।

कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

1. कारपोरेट अभिशासन पर कंपनी का विचार

एनएचपीसी ने कारपोरेट अभिशासन के एक ऐसे ढांचे को स्थापित किया है जो इसके दृष्टिकोण तथा उद्देश्य को मूर्त रूप देने के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देता है। यह इसके विभिन्न घटकों के मध्य विश्वास का एक परिवेश बनाने और सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने में सहायता करता है।

एनएचपीसी में प्रबंधन अपनी प्रतिबद्धता को एक विवेकसम्मत, उचित तथा पारदर्शी तरीके से करने के लिए सभी संभव कदम उठा रहा है।

वर्ष के दौरान, एनएचपीसी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (सेबी एलओडीआर) और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) हेतु कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन किया है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013, संगम अनुच्छेद, डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और समय-समय पर कंपनी पर यथा लागू भारत सरकार द्वारा जारी अन्य निदेशों/दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार कार्य करते हैं।

(i) बोर्ड का आकार और संरचना

एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है। एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशक, नामिति निदेशक और गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) शामिल होते हैं। कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 4 निदेशकों से कम तथा 15 से अधिक नहीं होगी, परंतु, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी स्थिति में बोर्ड की वास्तविक संख्या के आधे से कम नहीं होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, सेबी एलओडीआर में यह प्रावधान है कि किसी सूचीबद्ध निकाय के निदेशक मंडल ने कार्यकारी तथा गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होगा तथा इसमें कम से कम एक महिला निदेशक और बोर्ड के 50 प्रतिशत से कम न होने वाली संख्या में गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।

31 मार्च, 2018 को स्वीकृत संख्या के प्रति निदेशक मंडल की संरचना नीचे **तालिका-1** में दी गई है।

तालिका 1 : 31 मार्च, 2018 को निदेशक मंडल की संरचना

विवरण	अपेक्षित बोर्ड ढांचा	31.03.2017 को वास्तविक संख्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
प्रकार्यात्मक निदेशक	4	3
सरकारी नामिति निदेशक	2	1 (महिला निदेशक)
स्वतंत्र निदेशक	7	6 (1 महिला निदेशक)
कुल	14	11

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी मोटे तौर पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देश का अनुपालन कर रही थी सिवाय 1 अप्रैल, 2017 से 6 अक्टूबर, 2017 की अवधि के दौरान बोर्ड की संख्या का कम से कम 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशकों का होना चाहिए। यह गैर-अनुपालन मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण था।

वर्ष के दौरान नियुक्त अथवा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों के ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।

(ii) निदेशकों की आयु सीमा और कार्य अवधि

कार्यात्मक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि अथवा उम्मीदवार की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए होती है। भारत सरकार द्वारा अपने विवेक पर कार्यात्मक निदेशकों के कार्यकाल को अधिवर्षिता की तिथि अर्थात् 60 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले, सरकार द्वारा नामित निदेशक नामित करने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार अथवा विद्युत मंत्रालय के अधिकारी रहने तक बोर्ड में बने रहते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सामान्यतः 3 वर्ष तक के लिए की जाती है।

(iii) निदेशकों का जीवन-वृत्त :

चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों और वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत्त वार्षिक आम बैठक को बुलाने वाले नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी निदेशकों की संक्षिप्त रूप-रेखा इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र कहीं पर दी गई है।

(iv) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या और वह तिथि जिस पर उसे आयोजित किया गया :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की 11 बैठकें हुईं। बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम 120 दिन से अधिक का अंतराल नहीं रहा। वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का ब्योरा नीचे तालिका-2 में दिया गया है।

वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति, पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति, शेयरों की संख्या, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान उनके द्वारा धारित अन्य कंपनी में निदेशक पदों तथा बोर्ड समिति सदस्यताओं की संख्या तालिका 3 में दी गई है।

तालिका-2 : वर्ष 2017-18 के दौरान हुई बोर्ड की बैठकें

क्र. सं.	बोर्ड बैठक संख्या	बोर्ड बैठक की तिथि	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या	बोर्ड बैठक की उपस्थिति का प्रतिशत
1.	403	17 अप्रैल, 2017	10	8	80%
2.	404	5 मई, 2017	10	9	90%
3.	405	30 मई, 2017	10	8	80%
4.	406	9 जून, 2017	10	10	100%
5.	407	27 जुलाई, 2017	10	9	90%
6.	408	9 अगस्त, 2017	9	7	78%
7.	409	7 अक्टूबर, 2017	12	10	83%
8.	410	9 नवम्बर, 2017	12	10*	83%
9.	411	21 दिसम्बर, 2017	12	11	92%
10.	412	12 फरवरी, 2018	12	10	83%
11.	413	28 मार्च, 2018	11	10	91%

* एक निदेशक ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

तालिका-3:

निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	वर्ष के दौरान आयोजित और भाग ली गई बोर्ड बैठकें	पिछली एजीएम में उपस्थिति (27 सितम्बर, 2017 को हुई)	निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों के ब्योरे	समिति सदस्यता की संख्या अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
प्रकार्यात्मक निदेशक						
के. एम. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5/5	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बलराज जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार ²	11/11	जी, हां	11,891	2	कोई नहीं	कोई नहीं
रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)	10/11	जी, हां	15,986	1	कोई नहीं	कोई नहीं
निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक)	11/11	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त)	11/11	जी, हां	कोई नहीं	2	कोई नहीं	1

निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	वर्ष के दौरान आयोजित और भाग ली गई बोर्ड बैठकें	पिछली एजीएम में उपस्थिति (27 सितम्बर, 2017 को हुई)	निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों के ब्यौरे	समिति सदस्यता की संख्या	
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
सरकारी नामिति निदेशक						
कृष्णा त्यागी, मुख्य लेखा नियंत्रक, विद्युत मंत्रालय ³	10/10	जी, हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अर्चना अग्रवाल, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय	7/11	नहीं	कोई नहीं	1	कोई नहीं	कोई नहीं
स्वतंत्र निदेशक						
सत्य प्रकाश मंगल	11/11	जी, हां	15,000	2	2	कोई नहीं
कनिका टी. भाल	5/11**	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	2
अरुण कुमार	7/11	जी, हां	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	1
भगवत प्रसाद ⁴	5/5	लागू नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	2
एन.के.झा ⁴	4/5	लागू नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	1
जुगल किशोर महापात्रा ⁴	5/5	लागू नहीं	कोई नहीं	2	कोई नहीं	कोई नहीं

* लेखापरीक्षा समिति तथा हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता को लिया गया है।

** श्रीमती (प्रो.) कनिका टी. भाल ने एक बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

- 31 जुलाई, 2017 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के निदेशक नहीं रहे।
- 22 सितम्बर, 2017 से एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त। निदेशक (तकनीकी), एनएचपीसी लिमिटेड के पद का अतिरिक्त प्रभार 27 अक्टूबर, 2017 से 5 जुलाई, 2018 तक श्री बलराज जोशी को सौंपा गया था।
- विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 फरवरी, 2018 के पत्र के अनुपालन में 1 जनवरी, 2018 से बोर्ड के निदेशक नहीं रहे।
- 7 अक्टूबर, 2017 से बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त।

टिप्पणी :

- कंपनी का कोई निदेशक एक समय में दस (10) से अधिक कंपनियों में निदेशक नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक का पद धारित की हुई सभी कंपनियों में दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य या पांच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।
- कंपनी के निदेशकों का आपस में परस्पर संबंध नहीं है।
- कोई भी पूर्ण कालिक निदेशक तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।
- एनएचपीसी ने अद्यतन तिथि तक कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है अतः किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक ने ऐसी कोई लिखत धारित नहीं की है।

(v) बोर्ड की स्वतंत्रता

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता की अपेक्षा को पूरा करते हैं।

(vi) निदेशकों हेतु परिचयात्मक कार्यक्रम

बोर्ड स्तर के कार्यकारियों को कंपनी के व्यापार मॉडल तथा इसकी जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपनी जानकारी को अद्यतन करने का एक अवसर मुहैया करवाने के लिए नीति मौजूद है। नीति निदेशकों को एक प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों के निर्वाहन में समर्थ बनाती है।

नीति में आपकी कंपनी के सीएमडी तथा बोर्ड के सभी निदेशक कवर होते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2017-18) के दौरान बोर्ड के 4 सदस्यों ने निदेशकों के संस्थान और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग लिए गए परिचयात्मक कार्यक्रमों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर लिंक http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/FProg-IndependentDirectors_IFA_201804_1.pdf पर उपलब्ध है।

(vii) स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 5 जून, 2015 के परिपत्र के माध्यम से सरकारी कंपनियों को धारा 178(2) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है जिसमें नामांकन तथा पारिश्रमिक समिती द्वारा प्रत्येक निदेशक का निष्पादन मूल्यांकन अपेक्षित है। लोक उद्यम विभाग ने पहले ही सभी कार्यात्मक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु एक तंत्र निर्धारित किया है। नामिति निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

परिपत्र में आगे सरकारी कंपनियों को उस तरीके से सूचना मुहैया करवाने से छूट प्राप्त है जिस तरीके से बोर्ड, इसकी समितियों तथा पृथक निदेशकों का मूल्यांकन किया जाता है, यदि इसे प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है तो।

एनएचपीसी ने बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में एक नीति निरूपित की है। निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु किया जा रहा है :

- क. प्रत्येक निदेशक को नीचे दिए गए अनुसार बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल की समितियों के मूल्यांकन हेतु भिन्न पैरामीटरों पर रेटिंग देना अपेक्षित होता है।

रेटिंग पैमाना

पैमाना	निष्पादन
5	अत्यधिक अच्छा
4	अच्छा
3	संतोषजनक
2	सुधार की आवश्यकता है
1	अस्वीकार्य

- ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सील बंद लिफाफे में मूल्यांकन फार्म प्राप्त करती है और परिणामों का सारांश तैयार करती है। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष स्पष्टीकरण या व्याख्या की आवश्यकता होने पर पृथक निदेशक के साथ चर्चा कर सकते हैं।
- ग. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष बोर्ड के सदस्यों से प्राप्त मूल्यांकन रेटिंग के आधार पर नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचार हेतु एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। समिति परिणामों की समीक्षा करती है और बोर्ड द्वारा विचार किए जाने हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है।
- घ. बोर्ड नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर विचार करता है और आवश्यक निदेशक जारी करता है।

3. बोर्ड/समिति बैठकों हेतु प्रक्रियाविधि :

(क) निर्णय लेने की प्रक्रिया :

कंपनी ने समस्त कारपोरेट मामलों के व्यावसायीकरण की संवीक्षा के साथ निदेशक मंडल के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार किया है। इन दिशा-निर्देशों से बोर्ड तथा इसकी समिति की बैठकों में निर्णय करने की प्रक्रिया को विवेकपूर्ण एवं सक्षमतापूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलती है।

(ख) बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यवृत्त मर्दों का निर्धारण और चयन :

- बोर्ड/ संबंधित समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन लेने के उपरांत संगत नोटिस जारी करने के बाद बोर्ड/निदेशकों की समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। विस्तृत कार्य सूची नोट, प्रबंधन रिपोर्ट, और अन्य व्याख्यात्मक विवरण बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, विवेकसम्मत एवं संकेन्द्रित निर्णय किए जा सकें। जब किसी तात्कालिक मुद्दे का समाधान करना हो, तो संक्षिप्त नोटिस पर बैठक बुलाई जाती है अथवा एजेंडा नोटिस पटल पर रखे जाते हैं या परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- किसी दस्तावेज को उसकी असाधारण परिस्थितियों अथवा गोपनीयता बनाए रखने के चलते कार्यसूची नोट के साथ संलग्न करना व्यावहारिक न हो, तो ऐसे कागजात बैठक में पटल पर प्रस्तुत किए जाते हैं।
- कार्य सूची दस्तावेज अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परिचालित किए जाते हैं।
- बैठकों का आयोजन सामान्यतः फरीदाबाद अथवा नई दिल्ली स्थित कंपनी के कार्यालयों में किया जाता है।
- जब और जैसी आवश्यकता हों, बोर्ड/समिति के समक्ष रखे गए मुद्दों की बेहतर समझ के लिए प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं।
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की समस्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। बोर्ड/समिति के सदस्यों को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे

मुद्दे की अनुशंसा कर सकता है जो वह कार्यसूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण समझता हो। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड/समिति द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बैठक में बुलाया जा सकता है ताकि विचारित मुद्दों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सके।

- बोर्ड/समिति के सदस्यों को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लेने की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है।

(ग) बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना

प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक की कार्यवाहियों के प्रारूप कार्यवृत्त को बैठक समाप्ति के 15 दिन के भीतर उनकी टिप्पणियों हेतु सभी सदस्यों को परिचालित किया जाता है। निदेशक प्रारूप कार्यवृत्त के परिचालन की तिथि से 7 दिवस के भीतर अपनी टिप्पणियों को संप्रेषित करते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों की एक तुलनात्मक शीट को विचार तथा अनुमोदन हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है। प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक की कार्यवाहियों को बैठक समाप्ति के 30 दिवस के अंदर कार्यवृत्त पुस्तिका में उचित रूप से दर्ज किया जाता है।

(घ) अनुवर्तन तंत्र

निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर बोर्ड/समिति में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे सूचना हेतु संबंधित बोर्ड/समिति के समक्ष के समक्ष सूचना हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। यह अनुवर्तनों पर एक प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा में सहायता करता है।

(ङ) विधि का अनुपालन आदि

हमारा यह प्रयास होता है कि कंपनी विधि, सेबी विनियम और दिशानिर्देशों और विभिन्न विधियों के अंतर्गत अन्य सांविधिक आवश्यकताओं के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। निदेशक मंडल समय-समय पर उसके समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली विधि अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है। विधियों के अनुपालन प्रबंधन को और सुदृढ़ करने के लिए विधि विभाग और कंपनी सचिवालय से अधिकारियों के एक दल ने अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों का दौरा किया। अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट और साथ में उस पर प्राप्त उत्तरों को नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

आम तौर पर निदेशक मंडल के समक्ष विचार हेतु निम्नलिखित कार्यसूची मदों को प्रस्तुत किया जाता है :

- वार्षिक संचालन योजनाएं, बजट तथा तत्संबंधी कोई अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट और तत्संबंधी अद्यतन जानकारी।
- कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम।
- वार्षिक वित्तीय विवरण और निदेशकों की रिपोर्ट
- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- बोर्ड की अनुषंगी कंपनियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण कारोबार और समझौतों का विवरण।
- विभिन्न स्थलों/यूनिटों पर घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई सामग्री उत्सर्जन या प्रदूषण संबंधी समस्याएं।
- वस्तुगत रूप से महत्वपूर्ण होने वाले कारण बताओं, मांग, अभियोजन तथा शास्ति नोटिस।
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी इकाइयों, संयुक्त उद्यमों और कार्यनीतिक भागीदारों का गठन।
- नामांकन आधार पर प्रदान किए गए खरीद/निर्माण/अनुबंधों के संदर्भ में तिमाही जानकारी।
- विभिन्न विधियों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट।
- निदेशकों द्वारा उनके हितों का प्रकटीकरण।
- स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा।
- निवेशक शिकायतों की त्रैमासिक स्थिति।
- विदेशी मुद्रा संपर्कों संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
- प्रकार्यात्मक निदेशकों तथा कर्मचारियों की विदेशी यात्रा संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
- अल्पावधि जमा तथा निवेश संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।

- पिछली बैठक से वर्तमान बैठक तक महत्वपूर्ण घटनाओं की झलकियां।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव या बड़ी संविदाओं को दिया जाना।
- शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के मिलान संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
- कारपोरेट अभिशासन मानदण्डों के अनुपालन संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
- बोर्ड द्वारा वांछित मामलों संबंधी की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
- माध्यस्थता मामलों की स्थिति।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा व्यवहारों में परिवर्तन और तत्संबंधी कारण सहित।
- लागू विधियों की आवश्यकता के अनुसार सूचना या अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य कोई सूचना।

4. निदेशक मंडल की समितियां :

बोर्ड ने व्यापार के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकसबद्ध ध्यान देने के लिए बाध्यकारी तथा गैर-बाध्यकारी समितियों का गठन किया है। बोर्ड द्वारा निम्नांकित स्थाई समितियों का गठन किया गया है :

बाध्यकारी समितियां

1. लेखापरीक्षा समिति
2. हितधारक संबंध समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
4. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति
5. जोखिम प्रबंधन समिति

गैर-बाध्यकारी समितियां

6. एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन पश्चात गतिविधियों से संबंधित निदेशक समिति
7. निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण
8. प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति - समिति 7 अक्टूबर, 2017 तक प्रचालनशील थी, उसके पश्चात इसे बोर्ड द्वारा भंग किया गया था।

उक्त समितियों में से प्रत्येक समिति के सदस्यों, आयोजित बैठकों, संदर्भ की शर्तों आदि के ब्यौरे निम्नानुसार है :

4.1 लेखा-परीक्षा समिति :

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, गणपूर्ति, संदर्भ की शर्तें आदि कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

31 मार्च, 2018 के अनुसार लेखा-परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार था :

i)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iv)	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (परियोजनाएं) और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों को भी लेखापरीक्षा समिति की उन बैठकों में आमंत्रित किया गया था जिनमें क्रमशः वित्तीय विवरणों तथा लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा की गई थी। समिति को आवश्यक आदान मुहैया करवाने की अपेक्षा होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था।

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

संदर्भ की शर्तें :

कम्पनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट शासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा की संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है :

- 1 कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और उसकी वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, और विश्वसनीय है।
- 2 लेखा-परीक्षा शुल्क निर्धारित करने की सिफारिश बोर्ड को भेजना।
- 3 सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी देना।
- 4 वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, विशेषकर निम्नांकित के संदर्भ में प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना :
 - क) बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित मामले;
 - ख) लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके लिए कारण;
 - ग) प्रबंधन द्वारा अपने विवेक के आधार पर लगाए गए अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
 - घ) लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कारण वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - ङ) वित्तीय विवरण से संबंधित सूचीकरण और अन्य वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन;
 - च) संबंधित पक्ष लेन-देन से संबंध कोई प्रकटीकरण; और
 - छ) प्रारूप लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत।
- 5 तिमाही वित्तीय विवरण को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना।
- 6 सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ मिलकर समीक्षा करना।
- 7 आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के ढांचे सहित, उसमें कर्मचारियों की संख्या, और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचे की कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा।
- 8 किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श।
- 9 ऐसे मामलों में, जहां किसी धोखेबाजी या अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की महत्वपूर्ण विफलता का संदेह हो और विभागीय लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की जांच के बाद निष्कर्ष सामने आए हों, तो उनकी समीक्षा करना और मामले की जानकारी बोर्ड को देना।
- 10 कंपनी की लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के स्वरूप और क्षेत्र के बारे में बातचीत करना तथा लेखापरीक्षा पूरी हो जाने पर फिर से उनके साथ बातचीत करना ताकि किसी महत्वपूर्ण सरोकार का पता लगाया जा सके।
- 11 जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों की अदायगी न किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में कोई बड़ी चूक होने के कारणों का पता लगाना।
- 12 व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा करना।
- 13 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की लेखापरीक्षा में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- 14 लोक उद्यमों से सम्बद्ध संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- 15 स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार के लिए एक मुक्त आयाम प्रदान करना।
- 16 कम्पनी में सम्बन्धित पक्ष के सभी प्रकार के कारोबार को मंजूरी देना अथवा बाद में उसमें कोई संशोधन करना।
- 17 स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ मिलकर लेखा परीक्षा प्रयासों में समन्वय की समीक्षा करना ताकि विषयों के कवरेज की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, व्यर्थ के प्रयासों में कमी लायी जा सके, और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों का प्रभावकारी इस्तेमाल किया जा सके।
- 18 स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ मिलकर निम्नांकित विषयों पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना :

- कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित, आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
 - स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक की सिफारिशों और निष्कर्षों तथा उन पर प्रबंधन द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना।
- 19 निम्नांकित विषयों पर प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ विचार करना और उनकी समीक्षा करना:
- पिछली लेखा परीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्ष, और
 - अपेक्षित जानकारी तक पहुंच या तत्सम्बन्धी गतिविधियों के क्षेत्र पर किसी प्रकार के प्रतिबंधों सहित, लेखा परीक्षा कार्य के दौरान सामने आयी किसी प्रकार की कठिनाइयां।
- 20 लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता तथा कार्य-निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा और निगरानी।
- 21 अंतर कारपोरेट ऋणों तथा निवेश की जाँच।
- 22 कंपनी के वचनों अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां-कहीं यह आवश्यक हो।
- 23 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
- 24 प्रबंधन के साथ किसी इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, अधिमानी इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सूचना में बताए गए के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई निधियों के विवरण और किसी पब्लिक अथवा राइट्स इश्यू की प्राप्तियों के उपयोग का प्रबोधन करने वाली प्रबोधक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।
- 25 बोर्ड को कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की सिफारिश करना।
- 26 निम्नलिखित की समीक्षा :
- 1) प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थितियों तथा प्रचालनों के परिणामों का विश्लेषण।
 - 2) प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र; सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए गए।
 - 3) आंतरिक नियंत्रण कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
- 27 मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की समीक्षा तथा उसे हटाना।
28. कम्पनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तों में यथा उल्लिखित अन्य कोई कार्य करना।

बैठकें और उपस्थिति :

समिति की बैठक रिपोर्टाधीन वर्ष में 9 बार अर्थात् 7 अप्रैल, 2017; 5 मई, 2017; 27 मई, 2017; 19 जुलाई, 2017; 9 अगस्त, 2017; 15 सितम्बर, 2017; 8 नवम्बर, 2017; 20 नवम्बर, 2017 और 12 फरवरी, 2018 को हुई। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों के भाग लेने संबंधी ब्योरा नीचे तालिका-4 में दिया गया है।

तालिका-4 : लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र.स.	2017-18 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति का प्रतिशत
1.	श्री सत्य प्रकाश मंगल	9	9	100%
2.	प्रो. कनिका टी. भाल	9	3	33.33%
3.	प्रो. अरुण कुमार	9	8	89%
4.	श्रीमती कृष्णा त्यागी *	9	8	89%
5.	श्री भागवत प्रसाद **	3	3	100%

* विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 फरवरी, 2018 के पत्र के अनुपालन में 01 जनवरी, 2018 से निदेशक नहीं रहे।

** 07 अक्टूबर, 2017 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त।

श्री सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित सभी बैठकों की अध्यक्षता की थी। किन्हीं दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के मध्य समयांतराल 120 दिवस से अधिक का नहीं था। लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष कम्पनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

4.2 हितधारक संबंध समिति

31 मार्च, 2018 को हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	प्रो. कनिका टी.भाल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	प्रो. नलिनी कांत झा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iv)	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य

संदर्भ की शर्तें

- यह समिति कम्पनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार तथा उनका समाधान करेगी जिसमें शेयरों के अंतरण, तुलन-पत्र प्राप्त न होने, घोषित लापंश प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतें शामिल होंगी।
- कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथा अपेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

बैठकें और उपस्थिति :

समिति की बैठक रिपोर्टाधीन वर्ष में 2 बार अर्थात् 16 अगस्त, 2017 और 13 फरवरी, 2018 को हुई। हितधारक संबंध समिति की बैठकों में सदस्यों के भाग लेने संबंधी ब्योरा नीचे **तालिका-5** में दिया गया है।:

तालिका-5 : हितधारक संबंध समिति

क्र.स.	2017-18 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति का प्रतिशत
1.	प्रो. कनिका टी. भाल	2	1	50%
2.	श्री भागवत प्रसाद *	1	1	100%
3.	प्रो. नलिनी कांत झा *	1	शून्य	शून्य
4.	श्री महेश कुमार मित्तल **	2	2	100%
5.	श्री सत्य प्रकाश मंगल ***	1	1	100%

* 07 अक्टूबर, 2017 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त।

** 17 अप्रैल, 2017 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त।

*** 07 अक्टूबर, 2017 से समिति के सदस्य नहीं रहें।

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम :

श्री विजय गुप्ता, कम्पनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन के विनियम 6 के संदर्भ में समिति के अनुपालन अधिकारी हैं।

शेयरधारकों/ बाण्डधारकों से प्राप्त शिकायतें :

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरधारकों/बाण्डधारकों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की सिवाय विवादों अथवा कानूनी बाधाओं से बाधित मामलों के। वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निपटान की गई शिकायतों का ब्यौरा **तालिका-6** में दिया गया है।

तालिका-6 : शेयरधारकों/ बाण्डधारकों की शिकायतें :

विवरण	1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक शेष	31, मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	31, मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निपटारा की गई शिकायतें	31, मार्च 2018 को लंबित शिकायतें
क. शेयरधारकों				
रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होना	शून्य	15	15	शून्य
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	शून्य	3462	3462	शून्य
सेबी शिकायतें	1	21	22	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	शून्य	9	9	शून्य
उपभोक्ता मंच/अदालती मामले	3	शून्य	1	2
वकील के नोटिस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (क)	4	3507	3509	2
ख. बाण्ड				
रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टीडीएस प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना	शून्य	1	1	शून्य
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त न होना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज वारंट प्राप्त न होना	शून्य	38	38	शून्य
बाण्ड/प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना	शून्य	19	19	शून्य
कुल (ख)	शून्य	58	58	शून्य
सकल जोड़ (क + ख)	4	3565	3567	2

सेबी शिकायत समाधान प्रणाली (स्कोर्स) - सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु सेबी की ऑनलाइन पोर्टल

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) "स्कोर्स" नामक एक वेब आधारित शिकायत समाधान प्रणाली प्रारंभ हुई है, जिसके माध्यम से कोई शेयरधारक किसी कंपनी के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति देख सकता है। जैसे ही कोई शिकायत दर्ज होती है, उसे भविष्य के संदर्भ तथा ट्रैकिंग हेतु एक अनूठी पंजीकरण संख्या आवंटित की जाती है। संबंधित निकाय (मध्यस्थ या सूचीबद्ध कंपनी) इलेक्ट्रॉनिक रूप से कृत कार्रवाई रिपोर्ट को अपलोड करता है। संबंधित निकाय और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को ऑनलाइन से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और/अथवा स्पष्टीकरण मुहैया करवा सकते हैं। सेबी शिकायत के पर्याप्त समाधान हेतु संतुष्ट होने पर उसका निपटान कर देती है।

कोई निवेशक जो स्कोर्स से परिचित नहीं है अथवा जिसकी स्कोर्स पर पहुंच नहीं है, वह अपनी शिकायत लिखित रूप में दर्ज करवा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई और रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट से यथा प्राप्त इन शिकायतों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) स्कोर्स के माध्यम से सेबी को प्रस्तुत की गई हैं।

शेयर अंतरण हेतु लंबित मामलों की संख्या :

31 मार्च, 2018 को शेयर अंतरण हेतु कोई अनुरोध लंबित नहीं था।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, सभी शेयर अंतरणों का अनुपालन स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा विहित समय के भीतर पूरा किया गया था; और एक प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के प्रमाण-पत्रों को स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है।

4.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

एनएचपीसी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के चलते अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशकों) को बोर्ड तथा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। भारत सरकार के मानदण्डों के अनुसार सरकारी नामिति निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क को प्राप्त करने का पात्र नहीं है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक समय-समय पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतनपूल का निर्णय करने और विहित सीमाओं के भीतर कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के मध्य इसके वितरण के लिए किया जाना होता है।

31 मार्च, 2018 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक) समिति की बैठकों में पदेन आमंत्रित होते हैं।

समिति की संदर्भ की शर्तें :

1. किसी निदेशक के सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड निरूपित करना।
2. वार्षिक बोनस/कार्य निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) के वितरण और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों सहित बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों में वितरण सम्बन्धी नीति की अनुशंसा करना।
3. स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन हेतु मानदंड का निरूपण।
4. बोर्ड की विविधता पर एक नीति बनाना।
5. निर्धारित मानदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान करना और बोर्ड से उनकी नियुक्ति तथा पदमुक्त करने की अनुशंसा करना।
6. अन्य भत्ते और परिलब्धियों पर विचार करना और उन्हें निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए भेजना।
7. कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते/सेबी (एलओडीआर) और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा-निर्देशों के प्रवाधानों के अनुसार यथापेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

बैठकें और उपस्थिति :

वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें - 18 जुलाई, 2017, 08 नवम्बर, 2017 और 28 मार्च, 2018 को हुईं। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे **तालिका-7** में दिया गया है।

तालिका-7 : नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें

क्र. स.	2017-18 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति का प्रतिशत
1.	प्रो. कनिका टी. भाल *	3	3*	100%
2.	प्रो. अरुण कुमार	3	3	100%
3.	श्री जुगल किशोर महापात्रा **	2	1	50%
4.	श्रीमती कृष्णा त्यागी§	2	1	50%

* 8 नवम्बर, 2017 की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया गया था।

** 7 अक्टूबर, 2017 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त

§ 1 जनवरी, 2018 से निदेशक नहीं रहे

4.4 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति

31 मार्च, 2018 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

i)	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री. रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य
iii)	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य
iv)	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य

बैठकें और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की छह बैठक - 11 जून, 2017, 9 अगस्त, 2017, 27 अगस्त, 2017, 7 दिसम्बर, 2017, 20 फरवरी, 2018 और 28 मार्च, 2018 को हुई। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे तालिका 8 में दिए गए हैं।

तालिका-8 : कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति की बैठकें :

क्र. स.	2017-18 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति का प्रतिशत
1.	प्रो. अरुण कुमार	6	6	100%
2.	श्री बलराज जोशी *	3	3	100%
3.	श्री रतीश कुमार **	3	2	66.67%
4.	श्री निखिल कुमार जैन **	3	3	100%
5.	श्री महेश कुमार मित्तल	6	5	83.33%

* 7 अक्टूबर, 2017 से समिति के निदेशक नहीं रहे।

** 7 अक्टूबर, 2017 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

4.5 जोखिम प्रबंधन समिति

31 मार्च, 2018 के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री एन के झा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iv)	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य

संदर्भ की शर्तें :

1. प्रचालनात्मक, रणनीतिक और बाहरी परिवेश जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन तथा प्रशमन से संबंधित उत्तरदायित्वों की निगरानी द्वारा कारपोरेट शासन में बोर्ड की सहायता करना।
2. कंपनी की जोखिम नीतियों/योजनाओं तथा संबंधित व्यवहारों को बनाना, उनकी समीक्षा तथा निगरानी करना।
3. किसी लोक दस्तावेज अथवा प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण विवरण का अनुमोदन तथा समीक्षा।
4. कम्पनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण समझौते/ सेबी(एलओडीआर) और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशा-निर्देशों द्वारा यथापेक्षित अन्य किसी कार्य को करना।

बैठकें तथा उपस्थिति :

समिति ने वित्तीय वर्ष के दौरान 27 मई, 2017, 15 सितम्बर, 2017 तथा 28 मार्च, 2018 को तीन बैठकें की थी। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे तालिका 9 में दिए गए हैं।

तालिका 9 - जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें

क्र. स.	2017-18 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति का प्रतिशत
1	प्रो. अरुण कुमार [#]	3	3	100%
2	प्रो. कनिका टी. भाल*	2	शून्य	शून्य
3	श्री सत्य प्रकाश मंगल	3	3	100%
4	प्रो. एन.के. झा**	1	1	100%
5	श्री बलराज जोशी*	2	1	50%
6	श्री रतीश कुमार	3	1	33.33%

2017-18 के दौरान आयोजित समिति की पहली दो बैठकों की अध्यक्षता की।

* 7 अक्टूबर, 2017 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

** 7 अक्टूबर, 2017 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

4.6 एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति

31 मार्च, 2018 के अनुसार समिति में निम्नांकित सदस्य थे :

i)	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य और अध्यक्ष
ii)	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य
iii)	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य

समिति के संदर्भ की शर्तें :

1. प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करना;
2. प्रतिभूतियों का अंतरण और ट्रांसमिशन;
3. प्रतिभूतियों का री-मेटोरियलाइजेशन;
4. प्रतिभूतियों से संबंधित डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना; और
5. एचएचपीसी प्रतिभूतियों का समेकन/पृथक्करण।

बैठकें और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की 11 बैठकें हुईं। एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे **तालिका-10** में दिया गया है।

तालिका-10: एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकें :

क्र. स.	2017-18 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री बलराज जोशी *	5	4	80%
2	श्री रतीश कुमार **	6	5	83.33%
3	श्री निखिल कुमार जैन	11	9	81.81%
4	श्री महेश कुमार मित्तल	11	9	81.81%

* 7 अक्टूबर, 2017 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

** 7 अक्टूबर, 2017 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

4.7 निदेशकों की समिति - अपीलीय प्राधिकरण :

31 मार्च, 2018 को समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री सत्य प्रकाश मंगल *	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
ii)	श्री जुगल किशोर महापात्रा *	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य

* श्री सत्य प्रकाश मंगल और श्री जुगल किशोर महापात्रा को 7 अक्टूबर, 2017 को प्रो. अरुण कुमार और प्रो. कनिका टी. भाल के स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

संदर्भ की शर्तें :

समिति आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के अनुसार इसके समक्ष प्रस्तुत मामलों हेतु एक अपीलीय अधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

बैठकें और उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष के 2017-18 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी।

4.8 प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति :

निदेशक मंडल ने 7 अक्टूबर, 2017 को आयोजित 407वीं बोर्ड बैठक में समिति को भंग करने का निर्णय लिया था। भंग किए जाने के समय समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

i)	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री बलराज जोशी	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य
iv)	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य
v)	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य

बैठकें और उपस्थिति :

भंग होने के समय तक समिति की दो बैठकें 07 अप्रैल, 2017 और 27 सितम्बर, 2017 को हुईं। एनएचपीसी की प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे तालिका 11 में दिए गए हैं।

तालिका-11 : प्रबंधन नियंत्रण संबंधी समिति की बैठकें :

क्र. स.	2017-18 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री सत्य प्रकाश मंगल	2	2	100%
2	प्रो. अरुण कुमार	2	2	100%
3	श्री बलराज जोशी	2	1	50%
4	श्री रतीश कुमार	2	2	100%
5	श्री महेश कुमार मित्तल	2	2	100%

5. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

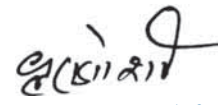
कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-4, जिसे लोक उद्यम विभाग के दिनांक 20 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16(4)/2012-जीएम के साथ पढ़ा जाता है, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन की आवश्यकताओं के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक 28 मार्च, 2018 प्रो. नलिनी कांत झा की अध्यक्षता में हुई थी।

6. आचार संहिता

बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों हेतु व्यापार चालन तथा नीति शास्त्र संहिता का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सभी संबंधितों द्वारा किया गया था।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) तथा कारपोरेट अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत यथापेक्षित घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों हेतु आचार संहिता तथा नीति-शास्त्र के अनुपालन करने की पुष्टि की है।



(बलराज जोशी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या : 07449990

दिनांक : 10 मई, 2018

स्थान : फरीदाबाद

7. धोखाधड़ी निवारण नीति

धोखाधड़ी का पता लगाने तथा उसे रोकने, पता लगने वाले या संदेह होने वाली किसी धोखाधड़ी को सूचित करने और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के उचित निपटान हेतु एक प्रणाली मुहैया करवाने के उद्देश्य से आपकी कंपनी द्वारा एक धोखाधड़ी निवारण नीति बनाई गई है। इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक स्थल अर्थात् परियोजनाएं/पावर स्टेशन/यूनिट के प्रमुखों और कारपोरेट कार्यालय में विभाग प्रमुख (आंतरिक लेखापरीक्षा) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

8. एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड ने एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने हेतु भीतरी व्यक्तियों द्वारा व्यापार के नियंत्रण, प्रबंधन तथा सूचित करने और उचित प्रकटीकरण व्यवहारों हेतु संहिता के लिए एक आचार संहिता निरूपित तथा क्रियान्वित की है। इस संहिता के अंतर्गत बोर्ड के समक्ष मूल्य संवेदी सूचना रखे जाने के समय नामित व्यक्तियों हेतु व्यापार विंडो बन्द रहती है। यह संहिता प्रमुख/मुख्य अभियंता तथा उससे ऊपर के स्तर के सभी कार्यपालकों और वित्त, कंपनी सचिवालय तथा निदेशकों के सचिवालय में कार्यरत सभी कार्यपालकों पर लागू होती है। इस संहिता के अंतर्गत कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इनसाइडर व्यापार संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट <http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Insider-Trading-Code-Full-14122015.pdf> पर उपलब्ध है।

9. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों को देय पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कारपोरेट अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी नामिति निदेशकों को कंपनी से कोई पारिश्रमिक या बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 और लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के साथ पढ़े जाने के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल प्रशासनिक मंत्रालय के साथ परामर्श से कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित सीमा के भीतर स्वतंत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है।

तदनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार बोर्ड अथवा बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक हेतु 20,000/- रूपए के बैठक शुल्क का भुगतान स्वतंत्र निदेशकों को किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कंपनी के प्रकायात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा **तालिका-12** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कार्यात्मक निदेशकों (पूर्व निदेशकों सहित) को वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु **तालिका 13** में दिए गए अनुसार निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का भी भुगतान किया गया था। श्री जयंत कुमार, तत्कालीन निदेशक (वित्त) को भी वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आवास के परिलब्धि मूल्य तथा पट्टा किराया के प्रति 237600 रूपए का भुगतान किया गया था।

तालिका 12 : वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रकायात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि ` में)

निदेशक का नाम	वेतन	लाभ \$	जोड़
श्री बलराज जोशी *	24,31,743	31,24,275	55,56,018
श्री के.एम.सिंह **	8,65,348	39,08,951	47,74,299
श्री निखिल कुमार जैन	25,75,338	6,62,196	32,37,534
श्री महेश कुमार मित्तल	32,05,498	6,85,843	38,91,341
श्री रतीश कुमार	25,54,779	11,70,355	37,25,134

* 22 सितम्बर, 2017 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त

** 31 जुलाई, 2017 को अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे

\$ लाभों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश नकदीकरण, पट्टा किराया, कर्मचारी भविष्य निधि (समान अंशदान), सामाजिक सुरक्षा योजना (समान अंशदान), पेंशन अंशदायी निधि (समान अंशदान) और परिसंपत्तियों का अनुलाभ मूल्य, अग्रिम, वाहन, आवास, वाहन की वसूली और आवास किराया वसूली शामिल है।

टिप्पणी :

- उक्त में दर्शाया गया वेतन निदेशकों के संबंधित कार्यकाल से संबंधित है। तथापि, वर्ष 2015-16 हेतु निष्पादन संबंधी वेतन को वर्ष 2015-16 के दौरान उनके द्वारा धारित संबंधित पद के अनुसार प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है।
- कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान किसी स्टाक विकल्प को नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, क्रियात्मक निदेशकों/निदेशकों की सेवा शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन एवं शर्तों से शासित होती हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्रकायात्मक निदेशक भी कंपनी के लागू नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ हेतु पात्र हैं।

तालिका 13 : वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का ब्यौरा

(राशि ` में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)**	जोड़
श्री के.एम.सिंह	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6,41,706	6,41,706
श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	2,55,484	2,55,484
श्री डी.पी. भार्गव	पूर्व निदेशक (तकनीकी)	10,32,344	10,32,344
श्री जयंत कुमार	पूर्व निदेशक (वित्त)	9,17,420	9,17,420
श्री आर.एस. मोणा	पूर्व निदेशक (कार्मिक)	10,29,588	10,29,588

* वर्ष 2016-17 हेतु निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में या उसके पश्चात डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के प्रति किए गए भुगतान के ब्यौरे **तालिका 14** में दिए गए हैं।

तालिका 14 - वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के प्रति किए गए भुगतान के ब्योरे

(राशि ` में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क *		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री सत्य प्रकाश मंगल	2,20,000	3,20,000	5,40,000
प्रो. कनिका टी. भाल	1,00,000	1,60,000	2,60,000
प्रो. अरुण कुमार	1,40,000	4,60,000	6,00,000
प्रो. एन.के. झा	80,000	40,000	1,20,000
श्री जुगल किशोर महापात्रा	1,00,000	40,000	1,40,000
श्री भागवत प्रसाद	1,00,000	1,00,000	2,00,000

* बैठक शुल्क के अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन व्यवस्था/निवास तथा यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जा रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 20 हजार रुपए प्रत्येक की राशि के बैठक शुल्क का भुगतान वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित समिति की बैठकों के लिए श्री सत्य प्रकाश मंगल, प्रो. अरुण कुमार, प्रो. कनिका टी. भाल और श्री फारुख खान को किया गया था। इसके अतिरिक्त, 40 हजार रुपए का भुगतान वर्ष 2017-18 के दौरान विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रो. अरुण कुमार को किया गया था।

ऊपर उल्लेख किए गए के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा कंपनी के मध्य मौद्रिक संबंधी या संव्यवहार नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर <http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/TnC-Apptmt-20Independent-Directors.pdf> पर उपलब्ध है।

10. अनुषंगी कंपनियां

- (i) **एनएचडीसी लिमिटेड:** एनएचडीसी लिमिटेड, को एनएचपीसी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में प्रमोट किया गया था जिसमें इनकी इक्विटी शेयरधारिता क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत हैं।

एनएचडीसी लिमिटेड सेबी एलओडीआर के विनियम 24 और कारपोरेट शासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक भौतिक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है। श्री सत्य प्रकाश मंगल, एनएचपीसी के स्वतंत्र निदेशक एनएचडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में शामिल हैं।

- (ii) **लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड :** लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) का अधिनिगमन 23 अक्टूबर, 2009 को हुआ था। यह कंपनी एनएचपीसी लि. और मणिपुर सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में प्रोन्नत की गई, जिसमें दोनों की शेयर भागीदारी क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थी।

कंपनी सेबी एलओडीआर के विनियम 24 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है।

- (iii) **बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड :** बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को एनएचपीसी लिमिटेड और यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) के मध्य संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में उत्तर प्रदेश में एक 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रमोट किया गया था। कंपनी को 2 फरवरी, 2015 को अधिनिगमित किया गया था। प्रमोटर समझौते के अनुसार कम्पनी की कुल शेयर पूंजी में एनएचपीसी की इक्विटी प्रतिभागिता 74 प्रतिशत से कम नहीं होगी और यूपीएनईडीए की 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

कंपनी सेबी एलओडीआर के विनियम 24 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है।

- (iv) **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल):** चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) का गठन 13 जून, 2011 को किया गया था। कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड, जेकेएसपीडीसी तथा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम के रूप में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में इसके सभी पहलुओं के तहत चिनाब नदी बेसिन में पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) की जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट) और क्वार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) के एकीकृत तथा दक्ष विकास की योजना, संवर्धन तथा व्यवस्था के उद्देश्य से किया गया था। प्रमोटर समझौते के अनुसार एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी की इक्विटी प्रतिभागिता 49 प्रतिशत प्रत्येक और पीटीसी इंडिया लिमिटेड की 2 प्रतिशत होगी। वर्ष के दौरान एनएचपीसी ने सीवीपीपीपीएल में 122.36 करोड़ रुपए का और निवेश किया है। चूंकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा अपेक्षित समान अंशदान का भुगतान नहीं किया गया था अतः एनएचपीसी की शेयरधारिता बढ़कर 55.39 प्रतिशत हो गई थी तथा इसलिए सीवीपीपीपीएल कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी बन गई है।

कंपनी सेबी एलओडीआर के विनियम 24 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर-सूचीबद्ध भारतीय अनुषंगी कंपनी है।

अनुषंगी कंपनियों के संबंध में और जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान एनएचडीसी लिमिटेड, एलडीएचसीएल और बीएसयूएल के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त सूचना हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के सम्मुख रखे गए थे। एनएचपीसी के बोर्ड को इन अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कारोबार तथा व्यवस्थाओं के संबंध

में भी अवगत कराया गया था। इसके अतिरिक्त, सीवीपीपीपीएल को उनकी बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त तथा महत्वपूर्ण कारोबार तथा व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ताकि उन्हें एनएचपीसी के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

11. आम सभा बैठक :

वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तारीखें, समय और स्थानों तथा पारित विशेष प्रस्तावों का ब्योरा **तालिका-15** में दिया गया है।

तालिका-15 : वार्षिक आम बैठकें :

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्ताव
2016-17	27 सितम्बर, 2017	प्रातः 11:00 बजे	जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003	क) निजी निवेश के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए तक की कुल राशि के प्रतिभूत/अप्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉण्ड जारी करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना। ख) कंपनी संगत अनुच्छेद में अनुच्छेद 22क को शामिल करना।
2015-16	22 सितम्बर, 2016	प्रातः 11:00 बजे	फरीदाबाद नगर निगम सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा	निजी निवेश के माध्यम से 4500 करोड़ रुपए तक की कुल राशि के प्रतिभूत/अप्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉण्ड जारी करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना।
2014-15	23 सितम्बर, 2015	प्रातः 10:30 बजे	फरीदाबाद नगर निगम सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा	निजी निवेश के माध्यम से 2500 करोड़ रुपए तक की कुल राशि के प्रतिभूत/अप्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉण्ड जारी करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना।

वर्ष 2017-18 के दौरान डाक मत-पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान डाक मत-पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

12. प्रकटीकरण :

(i) संबंधित पक्ष कारोबार :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने अपने किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई भौतिक संव्यवहार नहीं किया है। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित पक्ष संव्यवहार संबंधी नीति को कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related_Party-Transaction.pdf लिंक पर देखा जा सकता है।

(ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं :

कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) तक विनियमों सहित सेबी द्वारा विहित विनियमों तथा दिशा-निर्देशों की सभी सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है सिवाय इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(आई) में उल्लेख किए अनुसार। कंपनी ने लोक उद्यम विभाग(डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) हेतु कारपोरेट शासन संबंधी दिशा-निर्देशों की सभी आवश्यकताओं का भी पालन किया है, सिवाय इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(आई) में उल्लेख किए अनुसार के, जहाँ बोर्ड की कम से कम आधी संख्या स्वतंत्र निदेशकों की होने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या सरकार द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश के लिए कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दंड/जुर्माना नहीं लगाया गया है।

आवधिक परिणाम तथा अन्य सूचनाएं नियमित तौर पर एनएचपीसी लि. की आधिकारिक वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रकाशित की जाती हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुसार गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को स्वीकार करने संबंधी सूचना **अनुबंध-क** में प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 और पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रपति का कोई निदेश जारी नहीं किया गया था।

लेखांकन व्यवहार :

प्रबंधन के मतानुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया जा रहा है। तथापि, जहां अनुपालन पूर्णतः संभव नहीं था उसे लेखे की टिप्पणियों में दर्शाया गया है जो वित्तीय विवरणों का भाग है।

(iii) विसल ब्लोअर नीति :

एनएचपीसी की अनैतिक/अनुचित आचरणों को सूचित करने तथा उक्त की जाँच करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु एक सुपरिभाषित तथा स्थापित विसल ब्लोअर नीति है। वर्ष 2017-18 के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति पर पटुंघ से इंकार नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त, धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ियों को सूचित करने हेतु कम्पनी द्वारा एक धोखाधड़ी निवारण नीति बनाई गई है जिसमें कर्मचारी और साथ ही साथ एनएचपीसी के साथ व्यापार कर रहे विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, परामर्शदाताओं, सेवाप्रदाताओं अथवा अन्य किसी पक्ष के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की सभी रिपोर्टों की जांच अत्यधिक तेजी से की जाती है। धोखाधड़ी रोकने हेतु तंत्र को भी इस नीति में शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, विसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायत नहीं की गई है।

(iv) लेखा बहियों में डेबिट की गई व्यय की मदें जो व्यापार के प्रयोजन हेतु नहीं थी :

कोई नहीं

(v) किए गए व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति के थे तथा जिन्हें निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन हेतु किया गया :

कोई नहीं

(vi) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक तथा कार्यालय व्ययों की तुलना में वित्तीय व्यय के ब्योरे और इसमें वृद्धि का ब्योरा :

(आंकड़े % में)

विवरण	2017-18	2016-17	टिप्पणियां
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय *	12.93	14.58	कुल व्यय/वित्त व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्ययों में अंतर हेतु मुख्य कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधानों में कमी है।
वित्तीय व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय *	78.8	81.08	

* प्रशासनिक व्ययों में कार्यालय व्यय शामिल हैं।

(vii) 31 मार्च, 2018 को एनएचपीसी का कोई वस्तु-मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम तथा हेजिंग क्रियाकलाप नहीं थे, सिवाय, वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 33 के माध्यम से प्रकट किए गए अनुसार।

(viii) भौतिक अनुषंगी कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: <http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Material-Subsidiary.pdf>

13. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित एक अनुपालन प्रमाण-पत्र को 28 मई, 2018 को आयोजित बोर्ड की बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और यह **अनुबंध-ख** के रूप में निगमित अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14. संचार के साधन

कम्पनी के आवधिक वित्तीय परिणामों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में घोषित किया जाता है। ये परिणाम राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कम्पनी आवधिक परिणाम/रिकॉर्ड प्रत्येक शेयरधारक को नहीं भेजती बल्कि ये परिणाम कम्पनी के वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रदर्शित किए जाते हैं। कम्पनी ने महत्वपूर्ण कारपोरेट निर्णयों और कार्यकलापों पर आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की और उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला।

कम्पनी द्वारा प्रकाशित लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का ब्योरा **तालिका-16** में दिया गया है।

तालिका-16 : लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम :

समाचार पत्र	निम्नांकित तारीखों को समाप्त हुई अवधि के परिणामों के प्रकाशन की तारीख			
	30 जून, 2017	30 सितम्बर, 2017	31 दिसम्बर, 2017	31 मार्च, 2018
हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) - सभी संस्करण	-	10 नवम्बर, 2017	13 फरवरी, 2018	29 मई, 2018
हिंदुस्तान टाइम्स (हिंदी) - दिल्ली	-	10 नवम्बर, 2017	13 फरवरी, 2018	29 मई, 2018
इकोनोमिक टाइम्स (अंग्रेजी), सभी संस्करण	10 अगस्त, 2017	-	-	-
इकोनोमिक टाइम्स (हिंदी), दिल्ली	10 अगस्त, 2017	-	-	-

संस्थागत निवेशकों अथवा विश्लेषकों को नियमित रूप से प्रस्तुतीकरण दिए गए और वे कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर भी उपलब्ध है।

15. शेयरधारकों हेतु सूचना

(i) वार्षिक आम बैठक

दिनांक : 27 सितम्बर, 2018

समय : प्रातः 11:00 बजे

स्थान : जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003।

(ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय कलेंडर :

विवरण	तारीख
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019
पहली तीन तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिवस के भीतर आयोजित की जाएगी। बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना बैठक समाप्ति के बाद निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी।
चौथी तिमाही के परिणाम/31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	बोर्ड की बैठक 30 मई, 2019 को या उससे पहले आयोजित की जाएगी। बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना बैठक समाप्ति के बाद निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी।
एजीएम (वार्षिक आम बैठक)-2019	सितम्बर, 2019 (परिवर्तनशील)

(iii) बही का बंद किया जाना

सदस्यों के रजिस्टर एवं कम्पनी की शेयर अंतरण बुक को शनिवार, 15 सितम्बर, 2018 से बृहस्पतिवार, 27 सितम्बर, 2018 तक (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) बंद रखा जायेगा।

(iv) लाभांश का भुगतान :

कंपनी ने मार्च, 2018 में 1.12 रुपए के प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु 0.28 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। तदनुसार, वर्ष हेतु कुल लाभांश 1.40 रुपए प्रति इक्विटी शेयर होता है, यदि अंतिम लाभांश को आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो।

भौतिक शेयरों के संबंध में, अंतिम लाभांश का भुगतान उन सदस्यों या उनके अधिदेशितों को किया जाएगा, जिनके नाम 27 सितम्बर, 2018 को या उससे पूर्व कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे। डीमैटोरियलाइज्ड शेयरों के संदर्भ में अंतिम लाभांश का भुगतान शेयरों के उन "लाभार्थी स्वामियों" को किया जाएगा, जिनके नाम 14 सितम्बर, 2018 को कारोबार बंद होते समय नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की लाभार्थी स्वामित्व संबंधी विवरण में दर्ज होंगे।

(v) लाभांश इतिहास :

सूचीकरण से लेकर कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांश का ब्योरा **तालिका 17** में दिया गया है।

तालिका 17 : लाभांश इतिहास

वित्तीय वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक आम बैठक/ बोर्ड बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	भुगतान की तिथि
2009-10	676.54	22.09.2010	01.10.2010
2010-11	738.04	19.09.2011	28.09.2011
2011-12	861.05	17.09.2012	26.09.2012
2012-13	738.04	16.09.2013	25.09.2013
2013-14	332.13	26.09.2014	07.10.2014
2014-15	664.27 (221.43 करोड़ रु के अंतरिम लाभांश सहित)	16 जनवरी, 2015 और 23 सितम्बर, 2015	12 फरवरी, 2015 और 03 अक्टूबर, 2015
2015-16	1660.60 (1018.50 करोड़ रु के अंतरिम लाभांश सहित)	10 फरवरी, 2016 और 22 सितम्बर, 2016	2 मार्च, 2016 और 3 अक्टूबर, 2016
2016-17	1984.62 (1882.02 रुपए के अंतरिम लाभांश सहित)	12 जनवरी, 2017 और 27 सितम्बर, 2017	27 जनवरी, 2017 और 5 अक्टूबर, 2017
2017-18	1149.05 (अंतरिम लाभांश)	12 फरवरी, 2018	8 मार्च, 2018

(vi) **स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण :**

एनएचपीसी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
पता : फिरोजी जीजीभाय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001 स्क्रिप कोड : 533098 ISIN : INE848E01016	पता : एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - 400051 स्क्रिप कोड : NHPCEQ ISIN : INE848E01016

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सूचीकरण का भुगतान शुल्क नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड दोनों को 30 अप्रैल, 2018 से पूर्व किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक कस्टोडियन शुल्क को भी सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड और नेशनल सिक्वोरीटीज डिपोजिटरी लिमिटेड को अदा किया जा चुका है।

(vii) **बाजार मूल्य डाटा और सूचकांक की तुलना में निष्पादन :**

एनएचपीसी शेयर मूल्य की सूचकांक के साथ तुलना तालिका 18 और तालिका 19 दी गई है।

तालिका 18 : बीएसई सेंसेक्स और एनएचपीसी शेयर मूल्य :

सेंसेक्स			
महीना	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल-2017	30184.22	29241.48	29918.40
मई-2017	31255.28	29804.12	31145.80
जून-2017	31522.87	30680.66	30921.61
जुलाई-2017	32672.66	31017.11	32514.94
अगस्त-2017	32686.48	31128.02	31730.49
सितम्बर-2017	32524.11	31081.83	31283.72
अक्टूबर-2017	33340.17	31440.48	33213.13
नवम्बर-2017	33865.95	32683.59	33149.35
दिसम्बर-2017	34137.97	32565.16	34056.83
जनवरी-2018	36443.98	33703.37	35965.02
फरवरी-2018	36256.83	33482.81	34184.04
मार्च-2018	34278.63	32483.84	32968.68

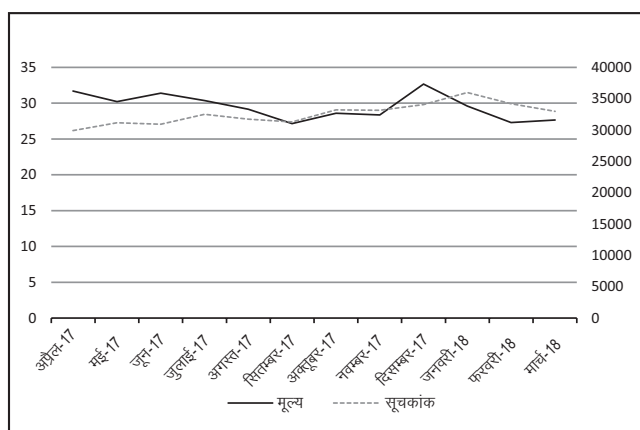
बीएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
महीना	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद (₹)
अप्रैल-2017	33.10	31.00	31.70
मई-2017	32.10	28.70	30.20
जून-2017	34.50	29.80	31.40
जुलाई-2017	32.75	30.00	30.35
अगस्त-2017	31.40	28.95	29.15
सितम्बर-2017	29.25	26.75	27.15
अक्टूबर-2017	29.85	27.10	28.60
नवम्बर-2017	29.55	26.30	28.35
दिसम्बर-2017	33.25	27.80	32.65
जनवरी-2018	34.50	29.20	29.60
फरवरी-2018	29.85	26.50	27.30
मार्च-2018	28.10	25.55	27.65

तालिका 19 : एनएसई निफ्टी और एनएचपीसी शेयर मूल्य :

निफ्टी				एनएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
महीना	उच्च	निम्न	महीना	महीना	उच्च (`)	निम्न (`)	बंद (`)
अप्रैल-2017	9367.15	9075.15	9304.05	अप्रैल-2017	33.20	31.00	31.75
मई-2017	9649.60	9269.90	9621.25	मई-2017	32.15	28.70	30.25
जून-2017	9709.30	9448.75	9520.90	जून-2017	34.50	29.75	31.35
जुलाई-2017	10114.85	9543.55	10077.10	जुलाई-2017	32.80	30.00	30.35
अगस्त-2017	10137.85	9685.55	9917.90	अगस्त-2017	31.40	28.90	29.05
सितम्बर-2017	10178.95	9687.55	9788.60	सितम्बर-2017	29.25	26.60	27.05
अक्टूबर-2017	10384.50	9831.05	10335.30	अक्टूबर-2017	29.90	27.15	28.55
नवम्बर-2017	10490.45	10094.00	10226.55	नवम्बर-2017	29.55	26.25	28.35
दिसम्बर-2017	10552.40	10033.35	10530.70	दिसम्बर-2017	33.30	27.70	32.65
जनवरी-2018	11171.55	10404.65	11027.70	जनवरी-2018	34.50	29.20	29.45
फरवरी-2018	11117.35	10276.30	10492.85	फरवरी-2018	29.80	26.35	27.30
मार्च-2018	10525.50	9951.90	10113.70	मार्च-2018	28.20	25.50	27.70

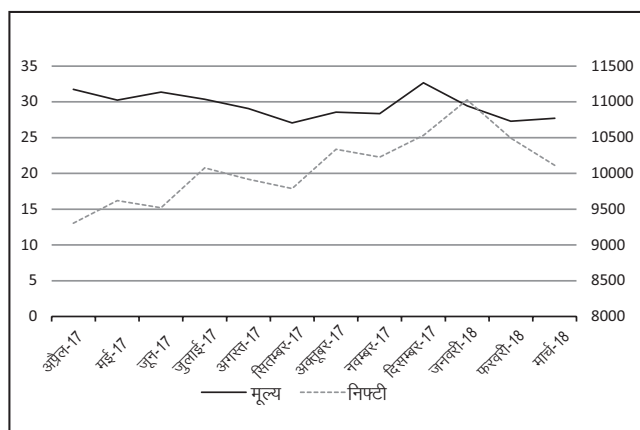
(viii) सूचकांकों की तुलना में निष्पादन :

बीएसई सूचकांक और एनएचपीसी शेयर मूल्य



* ग्राफ मासिक समाप्ति मूल्यों के आधार पर बनाया गया है

एनएसई निफ्टी और एनएचपीसी शेयर मूल्य



* ग्राफ मासिक समाप्ति मूल्यों के आधार पर बनाया गया है

(ix) **रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट :**

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32,
गाचीबाउली, फाइनैन्शियल डिस्ट्रिक्ट,
ननाकरमगुडा, हैदराबाद- 500 032
दूरभाष नं.: 040 67162222
टोल फ्री नं. : 1800 345 4001
फैक्स नं. : 040 23420814
ई-मेल आईडी : einward.ris@karvy.com

(x) **शेयर अंतरण प्रणाली**

शेयर अंतरण प्रणाली में अंतरिती से अंतरण विलेख के साथ शेयरों की प्राप्ति, उसका प्रमाणीकरण, अन्तरण के ज्ञापन को तैयार करना आदि जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं। शेयर अंतरणों को एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन तथा आवंटन-पश्च क्रियाकलापों हेतु निदेशकों की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है/पुष्टि प्रदान की जाती है। शेयर अंतरण क्रियाकलापों को कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

सेबी एलओडीआर के विनियम 40 के अनुपालन में छमाही आधार पर किसी प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव से इस आशय के प्रमाण-पत्र के सभी प्रमाण-पत्रों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अंतरण, उप विभाजन, समेकन, नवीकरण, आदान-प्रदान या आमंत्रण/आवंटन राशि के पृष्ठांकन हेतु दर्ज किए जाने की तिथि से निर्धारित अवधि के भीतर वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया गया था।

(xi) **अदा न की गई/अदावाकृत राशियों को निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करना**

निवेशक शिक्षा और बचाव निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के पास पड़े हुए अदा न किए गए तथा अदावाकृत राशियों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर <http://nhpcindia.com/NewWebsite/Default.aspx?id=278&lg=eng&> लिंक पर उपलब्ध है और इसे कारपोरेट कार्यमंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु अदा न की गई तथा अदावाकृत लाभांश राशि से संबंधित 7931403 रूपए की एक राशि को निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार 999609 शेयर जिनके संबंध में लगातार 7 वर्षों या अधिक हेतु लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईईपीएफ को अंतरित किया गया है।

(xii) **शेयरधारिता का वितरण**

31 मार्च, 2018 को शेयरधारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा और धारण के आकार के अनुसार धारित शेयर **तालिका 20** तथा **तालिका 21** में दिए गए हैं :

आकार के अनुसार

(क) **तालिका 20 : 31 मार्च, 2018 को आकार तथा धारिता के प्रतिशत के अनुसार शेयरधारिता का वितरण :**

श्रेणी (राशि में)	शेयर धारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत *	कुल शेयर	शेयरों का प्रतिशत *
1-5,000	4,66,268	62.88	9,94,65,410	0.97
5,001-10,000	1,92,697	25.99	14,44,85,284	1.41
10,001-20,000	45,021	6.07	6,73,75,711	0.66
20,001-30,000	13,944	1.88	3,56,34,541	0.35
30,001-40,000	6,025	0.81	2,15,90,588	0.21
40,001-50,000	4,832	0.65	2,29,17,784	0.22
50,001-1,00,000	7,384	1.00	5,41,61,739	0.53
1,00,001 और उससे ज्यादा	5,370	0.72	9,81,36,89,462	95.65
कुल	7,41,541	100	10,25,93,20,519	100

* प्रतिशत को 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

(ख) तालिका 21 : 31 मार्च, 2018 को स्वामित्व के आधार पर शेयर धारण पैटर्न :

श्रेणी	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को		परिवर्तन (प्रतिशत*) वृद्धि/ (कमी)
	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत *	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत	
भारत सरकार	75,87,481,082	73.96	7,64,34,06,901	74.50	(0.54)
विदेशी संस्थागत निवेशक	52,31,149	0.05	5,14,54,839	0.50	(0.45)
निवासी व्यक्ति और एचयूएफ	57,48,34,630	5.60	59,97,03,033	5.84	(0.24)
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां और एनबीएफसी	85,66,44,432	8.35	1,03,09,64,999	10.05	(1.70)
कारपोरेट निकाय	51,11,29,761	4.98	49,81,55,823	4.85	0.13
म्युचल फंड्स	26,51,15,910	2.58	11,44,48,829	1.12	1.46
एनआरआई और प्रवासी कारपोरेट निकाय	1,29,44,638	0.12	1,29,86,500	0.13	(0.01)
अन्य					
क्लिरिंग सदस्य, ट्रस्ट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और विदेशी नागरिक	44,44,26,308	4.34	30,81,99,595	3.01	1.33
आईईपीएफ	9,99,609	0.01	-	-	0.01
वैकल्पिक निवेश निधि	5,13,000	0.01	-	-	0.01
कुल	10,25,93,20,519	100	10,25,93,20,519	100	

* प्रतिशत को 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

(ग) 31 मार्च, 2018 को प्रमुख शेयरधारक :

31 मार्च, 2018 को कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक मूल्य के शेयर रखने वालों का विवरण तालिका 22 में दिया गया है:

तालिका 22 : 31 मार्च, 2018 को प्रमुख शेयरधारक

शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत	श्रेणी
भारत के राष्ट्रपति	7,58,74,81,082	73.96	केन्द्र सरकार
भारतीय जीवन बीमा निगम	73,43,79,599	7.16	बीमा कंपनी
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	26,05,42,051	2.54	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई)
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड	18,40,11,865	1.79	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई)

* प्रतिशत को 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया

(घ) 31 मार्च, 2018 के अनुसार 10 शीर्ष शेयरधारक :

31 मार्च, 2018 को एनएचपीसी लिमिटेड के 10 शीर्ष शेयरधारक का ब्यौरा तालिका 23 में दिया गया है :

तालिका 23 : 31 मार्च, 2018 के अनुसार 10 शीर्ष शेयरधारक

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत*
1.	भारत के राष्ट्रपति	7,58,74,81,082	73.96
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	73,43,79,599	7.16
3.	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	26,05,42,051	2.54
4.	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड	18,40,11,865	1.79
5.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी प्रूडेन्स फंड	6,69,02,433	0.65
6.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड	6,17,76,989	0.60
7.	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, ए सीरीज ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड	3,75,50,287	0.37
8.	सक्रोडर एशियन इन्कम	3,47,87,231	0.34
9.	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	3,31,12,245	0.32
10.	यूको बैंक	3,03,50,000	0.30
कुल		9,03,08,93,782	88.03

* प्रतिशत को 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया

(xiii) शेयर एवं लिक्विडिटी का डीमैटरियलाइजेशन :

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैटरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी के संबंध में जमाकर्ताओं के पास डीमैटरियलाइजेशन रूप में उपलब्ध कुल जारी पूंजी, सूचीबद्ध पूंजी तथा धारित पूंजी के समाधान के लिए शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट कार्यकारी कंपनी सचिव से इस वर्ष की प्रत्येक तिमाही हेतु प्राप्त की गई थी और उसे निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंजों को उपलब्ध कराया गया।

31 मार्च, 2018 के अनुसार डीमैटरियलाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या

	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का प्रतिशत *
एनएसडीएल के साथ डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर	10,04,90,58,202	97.95
सीडीएसएल के साथ डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर	21,01,02,837	2.05
भौतिक रूप	1,59,480	-
कुल	10,25,93,20,519	100

* प्रतिशत को 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया

जमाकर्ताओं के नाम और पते निम्नानुसार हैं :

- नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड**
ट्रेड वर्ल्ड, ए-विंग, चौथा तल,
कमला मिल्स कम्पाउन्ड,
सेनापति बापट मार्ग,
लोअर परेल, मुंबई-400013
- सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड**
25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स,
एन एम जोशी मार्ग, लोअर पारेल (ईस्ट)
मुंबई - 400 013

(xiv) डीमैट उचित खाता

31 मार्च, 2018 को एनएचपीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के पश्चात खोले गए तथा रखे गए उचित खाते में शेयरों के ब्योरे **तालिका 24** में दिए गए हैं।

तालिका 24 : उचित खाते में शेयर

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में उचित खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	345	1,30,557
शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उचित खाते से शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी से संपर्क किया	6	3,060
शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान उचित खाते से अंतरित किए गए	6	3,060
शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान आईईपीएफ खाते से अंतरित किए गए	332	1,24,833
वर्ष के अंत में उचित खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	7	2,664

टिप्पणी : इन शेयरों पर मत देने का अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेगा जब तक कि उनके वास्तविक स्वामियों द्वारा उनके लिए दावा नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, इन शेयरों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप आईईपीएफ में ट्रांसमिट किया जाएगा।

(xv) **बकाया जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इस्ट्रूमेंट्स, कंवर्जन तिथि तथा इक्विटी पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव :**

एनएचपीसी ने ऐसे जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इस्ट्रूमेंट्स जारी नहीं किए हैं, जिनके इक्विटी पर प्रभाव पड़ते हो।

(xvi) **एनएचपीसी संयंत्रों की अवस्थिति**

बैरास्थूल	एनएचपीसी लि., सुरंगानी, जिला-चंबा, हिमाचल प्रदेश-176 317
लोकतक	एनएचपीसी लि., डाकघर-लोकतक, कोमकेरेप, मणिपुर-795 124
सलाल	एनएचपीसी लि., डाकघर ज्योतिपुरम, वाया रियासी, जम्मू एवं कश्मीर-182 312
टनकपुर	एनएचपीसी लि., डाकघर टीपीएस कैम्पस, बनबसा, जिला चम्बावत, उत्तराखंड- 262 310
चमेरा- I	एनएचपीसी लि., खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 325
उड़ी- I	एनएचपीसी लि., जिंगल, डाकघर-मोहरा, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर -193 122
रंगित	एनएचपीसी लि., डाकघर-रंगित नगर, दक्षिण सिक्किम-737 111
चमेरा- II	एनएचपीसी लि., करियां, जिला-चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 310
धौलीगंगा	एनएचपीसी लि., पोस्ट बॉक्स सं. 1, तपोवन, धारचुला, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड-262 545
दुलहस्ती	एनएचपीसी लि., चेनाब नगर, सेक्टर- II, किशतवाड़, जम्मू-कश्मीर-182 206
तीस्ता- V	एनएचपीसी लि., डाकघर-सिंगताम, पूर्वी सिक्किम- 737 134
सेवा- II	एनएचपीसी लि., माश्का, जिला कटुआ, (जम्मू-कश्मीर)
चमेरा- III	एनएचपीसी लि., ग्राम धारवाला, पीओ-9, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176311
चुटक	एनएचपीसी लि., पीओ-मिंजी, जिला कारगिल (लद्दाख), जम्मू एवं कश्मीर-194103
तीस्ता लो डैम परियोजना - III	एनएचपीसी लि., राम्बी बाजार, पीओ-रियांग, जिला-दार्जीलिंग (पश्चिम बंगाल)-734321
निम्नो बाजगो	एनएचपीसी लिमिटेड, अलची, जिला - लेह (लद्दाख), जम्मू एवं कश्मीर, पिन - 194101
उड़ी II	एनएचपीसी कार्यालय सह आवासीय परिसर, नोपुरा, उड़ी, जिला - बारामुला, (जम्मू एवं कश्मीर), पिन 193122
पार्वती- I II	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव बहाली, पी.ओ. लारजी, जिला कुल्लु (हिमाचल प्रदेश), पिन 175122
टीएलडीपी - IV	एनएचपीसी लि., कलीझोरा, कलीझोरा बाजार, जिला-दार्जीलिंग (पश्चिम बंगाल)-734320
जैसलमेर पवन विद्युत परियोजना	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव लखमाना, जिला जैसलमेर, राजस्थान
तमिलनाडु सौर विद्युत परियोजना	एनएचपीसी लिमिटेड, रेंगनाथापुरम गांव, ए.वाडीपाटी रोड, पेरियाकुलम तालुक, जिला थेनी, तमिलनाडू - 625 602
किशनगंगा	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय और आवासीय परिसर, करालपोरा, जिला बांदापोरा, जम्मू एवं कश्मीर - 193 502

(xvii) कारपोरेट अभिशासन में हरित पहलें

"हरित पहल" के अनुरूप पिछले 3 वर्षों से कंपनी ने वार्षिक आम बैठक के नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट की उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रभावी की है जिनकी ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजिट्री भागीदारों के पास पंजीकृत है और डिपोजिट्री यथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिट्री लिमिटेड/सेंट्रल डिपोजिट्री सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड से डाउनलोड की जा सकती है। कंपनी अधिनियम, 2013 और संबंधित नियम तथा साथ ही साथ सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियम 36 सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में वित्तीय विवरणों तथा वार्षिक रिपोर्ट के प्रसार की अनुमति देता है।

(xviii) पत्राचार के लिए पता :

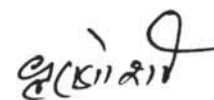
श्री विजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी,
पांचवां तल, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33,
फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003
ई-मेल : companysecretary@nhpc.nic.in

संप्रेषण हेतु टेलीफोन नम्बर तथा ई-मेल संदर्भ नीचे दिया गया है :

	टेलीफोन नम्बर	फैक्स नम्बर
पंजीकृत कार्यालय :-	0129-2588110	0129-2278018
निवेशक संबंध प्रकोष्ठ :-	0129-2250437	-
ई-मेल आईडी	investorcellnhpc@gmail.com	
श्री अनुज कपूर, मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी	0129-2270603	-
ई-मेल आईडी	anujkapoor@nhpc.nic.in	

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के दिनांक 22.01.2007 के परिपत्र के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्णतः समर्पित ई-मेल आईडी: companysecretary@nhpc.nic.in है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से



(बलराज जोशी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 07449990

दिनांक : 06 अगस्त, 2018

स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध-क

गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाएं : पूर्व पृष्ठों पर दी गई अधिदेशित अपेक्षा के अलावा, सेबी एलओडीआर की गैर-अधिदेशित आवश्यकताओं के साथ अनुपालन की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

- बोर्ड :** कंपनी की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जा रही है।
- शेयर धारकों के अधिकार :** पिछले छह माह में हुई प्रमुख घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्द्ध-वार्षिकी घोषणा प्रत्येक शेयर धारकों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेजी गई। तथापि, आवधिक वित्तीय परिणाम कम्पनी की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आवधिक वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं जैसा कि इस रिपोर्ट में "संचार के साधन" के अंतर्गत उल्लेख किया गया है।
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय :** कंपनी का प्रयास सदा ही गैर-अर्हक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का रहा है।
- अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पृथक पद :** कम्पनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 34 के अनुपालन में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है।
- आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग :** श्री विजय कुमार, कार्यपालक निदेशक (वित्त) कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षक है। कंपनी के संगठन ढांचे के अनुसार श्री विजय कुमार कंपनी के निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट कर रहे हैं।

अनुबंध - ख

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(18) के अनुपालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

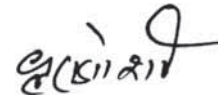
सेवा में,
निदेशक मंडल,
एनएचपीसी लिमिटेड,
फरीदाबाद।

- क. हमने दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुई अवधि के लिए वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हम अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि :
- इन विवरणों में भौतिक दृष्टि से कोई असत्य जानकारी नहीं है या किसी भौतिक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा कोई भ्रमित करने वाली सामग्री शामिल नहीं की गई है।
 - इन विवरणों से कंपनी के कार्यों का सत्य एवं न्यायोचित, दोनों ही तरह के स्वरूप का पता चलता है और ये मौजूदा लेखा मानकों, प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।
- ख. हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी ने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया, जो कपटपूर्ण, गैरकानूनी हो अथवा कंपनी की आचार संहिता के विपरीत हो।
- ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को कायम करने और बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की सक्षमता का मूल्यांकन किया है और हमने इन आंतरिक नियंत्रणों के संचालन में पायी गई खामियों, यदि कोई हो, जिसका हमें पता चला हो, तथा ऐसी खामियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को दी है।
- घ. हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को निम्नांकित जानकारी दी है :
- 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण बदलाव।
 - 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिनकी जानकारी वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में भी दी गई है; और
 - धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण मामले जो हमारे सामने आये हों और उनमें प्रबंधन या कोई ऐसा कर्मचारी शामिल रहा हो जिसकी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रही हो।

हस्ता/-

हस्ता/-

(महेश कुमार मित्तल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 02889021
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28 मई, 2018



(बलराज जोशी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07449990

अनुबंध - II

कारपोरेट अभिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण,
एनएचपीसी लिमिटेड,
फरीदाबाद

हमने एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों हेतु कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 8.2.1 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची 5 के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 34 में विहित किए गए अनुसार की है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उक्त खंड तथा दिशानिर्देशों में यथा विहित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यान्वयन के तरीकों तक ही सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखा-परीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति।

हमारे मतानुसार तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 और लोक उद्यम विभाग संबंधी दिशा-निर्देशों में विहित किए अनुसार किया है, सिवाय निम्नलिखित के :

- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियम 17(1)(ख) और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों का पैरा 3.1.4 जो बोर्ड के कम से कम आधे निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होने के संबंध में है, का 6 अक्टूबर, 2017 तक पालन नहीं किया गया था क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।
- कंपनी ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक (बोर्ड से एक स्तर नीचे) में भाग लेने हेतु मानदेय के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक को 40 हजार रुपए की राशि का भुगतान किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस भुगतान के प्रति आवश्यक अनुमोदन कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 34(ख) के अनुपालन में समीक्षाधीन अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है।

हमारा यह भी मानना है कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की किसी भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही ऐसी सक्षमता या प्रभावकारिता का, जिसके साथ प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन किया जाता है।

कृते पी.सी. जैन एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव
(एफआरएन : पी2016एचआर051300)

हस्ता/-
(पी.सी. जैन)
भागीदार

सीपी - 3349, एफसीएस - 4103

दिनांक : 17 जुलाई, 2018
स्थान : फरीदाबाद



27 सितंबर 2018 को फरीदाबाद में आयोजित एनएचपीसी लिमिटेड की 42वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड (मध्य में), स्वतंत्र निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों सहित एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग ढांचा और विकास

विद्युत किसी देश की आधारभूत ढांचा आवश्यकता के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो आर्थिक वृद्धि तथा लोगों के कुशलक्षेम को प्रभावित करती है। विद्युत क्षेत्र में उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण उपयोगिताएं शामिल होती हैं और यह भारत की आर्थिक वृद्धि हेतु एक प्रमुख समर्थकारक है। 31.3.2018 के अनुसार भारत में सभी पावर स्टेशनों की कुल स्थापित क्षमता 344002.40 मेगावाट है जिसमें तापीय, जल, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा परमाणु विद्युत का योगदान क्रमशः 222906.59 मेगावाट, 45293.42 मेगावाट, 69022.39 मेगावाट और 6780 मेगावाट है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान देश में परंपरागत स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन 1201.54 बिलियन यूनिट था जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह 1155.08 बिलियन यूनिट था जो 4.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

जलविद्युत ऊर्जा के सबसे व्यापक रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रकारों में एक है। हमारा देश एक व्यापक जलविद्युत संभाव्यता से भरा पड़ा है और व्यवहार्य जलविद्युत क्षमता हेतु विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है, जिसमें से अधिकांश का उपयोग अभी नहीं हुआ है। भारत के जलविद्युत उत्पादन का परिदृश्य औद्योगिक उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि और सभी को 24 X 7 विद्युत मुहैया करवाने की भारत सरकार के लक्ष्य को देखते हुए काफी अच्छा दिखता है। एनएचपीसी को देश की जलविद्युत की संभाव्यता के दोहन में एक प्रमुख भूमिका निभानी है। एनएचपीसी ने अभी तक समूचे देश में 20 जलविद्युत परियोजनाओं को विकसित किया है।

(i) भारत में जलविद्युत संभाव्यता :

देश की जलविद्युत संभाव्यता के पुनःआकलन अध्ययन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1987 में पूरा किया गया था। अध्ययन के अनुसार स्थापित क्षमता के रूप में जलविद्युत संभाव्यता 1,48,701 मेगावाट होने का अनुमान है जिसमें से 1,45,320 मेगावाट संभाव्यता में 25 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता वाली योजनाएं शामिल हैं।

(ii) सीईआरसी विनियम :

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण और विद्युत के प्रेषण के लिए समय-समय पर विभिन्न विनियम जारी करता है। सीईआरसी ने सीईआरसी (निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के अंतर्गत आपकी कंपनी के पावर स्टेशनों हेतु परियोजना-वार टैरिफ का निर्धारण किया है।

आपके निदेशक यह सूचित करते हुए प्रसन्न हैं कि कंपनी ने 2014-19 की अवधि हेतु सभी 20 जलविद्युत स्टेशनों हेतु टैरिफ याचिका प्रस्तुत कर दी है जिसमें से 13 पावर स्टेशनों हेतु टैरिफ आदेश दिए जा चुके हैं और 6 नए पावर स्टेशनों अर्थात् सेवा-2, उड़ी-2, चमेरा-3, पार्वती-3, टीएलडीपी -3 तथा टीएलडीपी- 4 हेतु अंतरिम/अंतिम टैरिफ आदेश जारी किए जा चुके हैं। इन नए विद्युत स्टेशनों हेतु अंतिम टैरिफ भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित लागत अनुमान (आरसीई)

प्रस्तुत करने के पश्चात ही जारी किए जाएंगे। किशनगंगा जलविद्युत परियोजना हेतु टैरिफ याचिका 19 जनवरी, 1918 को सीईआरसी को प्रस्तुत की गई है और टैरिफ आदेश अभी जारी किया जाना है।

(iii) रणनीतिक विविधीकरण

एनएचपीसी भारत की अग्रणी जलविद्युत उत्पादन कंपनियों में से एक है जो देश की कुल स्थापित जलविद्युत क्षमता के 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखती है। यह ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों यथा पवन, सौर आदि में परियोजनाएं लेकर अपनी क्रियाकलापों का विविधीकरण भी कर रही है। एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान तमिलनाडु राज्य में एक 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना को चालू किया है जो राजस्थान राज्य में पहले से चालू 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना के अतिरिक्त है। एनएचपीसी ने विद्युत व्यापार के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को प्राप्त करने हेतु अप्रैल, 2018 माह में सीईआरसी से श्रेणी-1 अंतर-राज्य विद्युत व्यापार लाइसेंस भी प्राप्त किया है।

2. क्षमता, कमजोरी, अवसर, खतरा (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

(i) क्षमताएं :

- जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में स्थापित ट्रैक रिकार्ड व विशेषज्ञ जनशक्ति:

एनएचपीसी के पास देश में जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक प्रचुर अनुभव तथा विशेषज्ञता है। एनएचपीसी का सक्षम एवं प्रतिबद्ध कर्मियों का एक दल है जिनके पास जलविद्युत परियोजनाओं की अवधारणा से लेकर प्रचालन तक इस उद्योग में व्यापक अनुभव है। उनके कौशल, उद्योग संबंधी ज्ञान और प्रचालन-अनुभव से कम्पनी को प्रतिस्पर्धा में काफी आगे रहने में मदद मिलती है।

- आंतरिक डिजाइन और अभियांत्रिकी सहित अवधारणा से चालू किए जाने की क्षमताएं :

एनएचपीसी का एक पूर्णतः तैयार डिजाइन प्रभाग है जो इसकी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों की डिजाइन तथा अभियांत्रिकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समर्पित है। एनएचपीसी की जलविद्युत क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ आंतरिक डिजाइन टीम अन्य जलविद्युत कंपनियों से अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। एनएचपीसी टनल भूकंपीय पूर्वानुमान, टोमोग्राफी और रेसिसटीविटी इमेजिंग जैसी नवीनतम भू-भौतिक अन्वेषण तकनीकों से सुसज्जित है जो एक प्रभावी तथा मितव्ययी तरीके से उप सतही सूचना मुहैया करवा सकती है। एनएचपीसी के पास चट्टान नमूनों की भू-तकनीकी विशेषताओं का पता लगाने और अगम्य क्षेत्रों की भू-वैज्ञानिक व्याख्या हेतु क्रमशः एक पूर्ण रॉक मैकेनिक्स प्रयोगशाला तथा सुदूर संवेदनशील प्रयोगशाला आंतरिक रूप से मौजूद है। इसकी अभियांत्रिकी क्षमताएं परियोजनाओं की अवधारणा से लेकर चालू किए जाने के चरण तक की हैं।

● निर्माण तथा प्रचालन में व्यापक अनुभव

एनएचपीसी के पास कई भू-तकनीकी चुनौतियों से निपटते हुए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जटिल भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में व्यापक अनुभव तथा विशेषज्ञता है। इसने अगम्यता, खराब लॉजिस्टिक्स, प्रतिकूल जलवायु एवं प्रौद्योगिकीय बाधाओं जैसी विभिन्न चुनौतियों वाले सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित कुछ जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। एनएचपीसी अपने दक्ष, कुशल तथा अनुभवी पेशेवरों की दृढ़ टीम के साथ सभी प्रकार तथा आकार की जलविद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में सक्षम है।

● दृढ़ वित्तीय स्थिति

एनएचपीसी की प्रदत्त शेयर पूंजी 10259.32 करोड़ रूपए तथा निवेश आधार 53475 करोड़ रूपए से अधिक का है। एनएचपीसी को इसके सूचीबद्ध बॉण्ड हेतु घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा स्थिर परिदृश्य के साथ "एएए" की क्रेडिट रेटिंग प्रदान की गई है। मूडी ने एनएचपीसी की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग को बीएए3 पॉजिटिव से बीएए2 स्थिर पर अपग्रेड किया है और स्टैंडर्ड एण्ड पुअर ने स्थिर परिदृश्य के साथ बीबीबी (-) की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग को बनाए रखा है जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य है। कंपनी की दृढ़ वित्तीय स्थिति इसे बड़ी पूंजी प्रधान जलविद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष बनाती है।

● दृढ़ प्रचालन निष्पादन

एनएचपीसी 22 जलविद्युत परियोजनाओं (इसकी अनुषंगी कंपनी अर्थात् एनएचडीसी के माध्यम से दो सहित), एक सौर विद्युत परियोजना और एक पवन विद्युत परियोजना को विकसित तथा कार्यान्वित करने में सफल रहा है जिनकी कुल स्थापित क्षमता 7071 मेगावाट है। एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (330 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर और 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना, तमिलनाडु को चालू किए जाने के साथ अपने स्थापित क्षमता में 380 मेगावाट की वृद्धि की है। इस प्रकार अपने पावर स्टेशनों के बेड़े के साथ एनएचपीसी भारत में जलविद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है।

● भूकंपीय सुरक्षा आकलन

एनएचपीसी अपने सभी पावर स्टेशनों की भूकंपीय सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसने अपने सभी पावर स्टेशनों की ऑनलाइन भूकंपीय निगरानी हेतु अपनी कारपोरेट कार्यालय में एक उन्नत केन्द्रीयकृत वास्तविक समय भूकंपीय डाटा केन्द्र को विकसित किया है। डाटा केन्द्र संबंधित पावर स्टेशन के निकट किसी भी भूकंप की स्थिति में शीघ्र आकलन को दर्ज करता है तथा उसे मुहैया करवाता है। यह जोखिम आकलन की ओर एक बड़ा कदम है और इसके प्रत्येक पावर स्टेशन की बांध सुरक्षा की समीक्षा को समर्थ बनाता है।

(ii) अवसर :

● दोहन न की गई जलविद्युत संभाव्यता

खराब होते जलीय-तापीय मिश्रण, अधिकतम मांग में वृद्धि और आवृत्ति में अंतरों ने नीति निर्माताओं का ध्यान जलविद्युत के विकास के प्रति आकर्षित करने के लिए बाध्य किया है। भारत की दोहन न की गई व्यापक जलविद्युत संभाव्यता, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जलविद्युत विकास हेतु अवसर मुहैया करवाती है। आपकी कंपनी के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी मौजूदगी तथा इसकी क्षमताओं के मद्देनजर आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता में दोहन न की गई जलविद्युत संभाव्यता को जोड़ने का एक अवसर है।

● जलविद्युत परियोजनाओं को पूरा करने की एनएचपीसी की सतत क्षमता

पिछले कुछ वर्षों में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा दर्शायी गई शक्ति, जहां अधिकांश अन्य कंपनियां आमतौर पर विफल हो रही हैं, जलविद्युत क्षेत्र में आशा की एक किरण जगाती है।

● नवीकरणीय ऊर्जा

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 जीडब्ल्यू क्षमता प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखा है जिसमें 100 जीडब्ल्यू सौर, 60 जीडब्ल्यू पवन, 5 जीडब्ल्यू लघु हाइड्रो और 10 जीडब्ल्यू बायोमास तथा अन्य शामिल है। सौर विद्युत क्षेत्र में कई उपाय जैसे सौर पार्क नीति, ग्रिड कनेक्टिड स्मॉल टॉफ सौर संयंत्र तथा सौर टैरिफ में तेजी से कमी के साथ इसने सौर विद्युत व्यापार में निवेश को अत्यधिक आकर्षक बना दिया है। एनएचपीसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत के उत्पादन हेतु नए अवसरों को तलाशने का प्रयास कर रहा है।

● ग्रिड संतुलन आवश्यकता

भारत सरकार की व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा विकास हेतु वर्तमान पहल विशेष रूप से सौर विद्युत, जलविद्युत का बड़े पैमाने पर विकास ग्रिड संतुलन/स्थिरता हेतु अपेक्षित होगा। वर्तमान परिदृश्य में, एनएचपीसी के पास देश की दोहन न की गई जलविद्युत के विकास/दोहन का अवसर होगा।

(iii) खतरे/चुनौतियां/चिंताएं

● समय तथा लागत आधिक्य

अधिकांश जलविद्युत परियोजनाएं आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित हैं जो भू-स्खलन, पहाड़ के ढलान के टूट जाने, मार्ग अवस्ख होने, बाढ़, बादल फटने आदि जैसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं के कहर का शिकार बनते हैं। ये आपदाएं निर्माण कार्यक्रम में गंभीर अवरोध उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापक सर्वेक्षण तथा जांच के बावजूद भू-वैज्ञानिक अनिश्चितताओं से निपटा जाना होगा विशेष रूप से हेड रेस टनल जैसी लंबी सुरंगों में। एनएचपीसी ने अपने समृद्ध अनुभव

तथा विशेषज्ञता और साथ में उन्नत प्रौद्योगिकी से विगत में कई बार ऐसे आश्चर्यों से पार पाया है। तथापि, ये असामान्य होने वाली और अनुमान न लगाई जा सकने वाली भू-वैज्ञानिक अनिश्चितताएं समय तथा लागत आधिक्य में परिणत हो सकती हैं।

● समय लगने वाली स्वीकृति प्रक्रिया

किसी जलविद्युत परियोजना में कार्यान्वयन से पूर्व कई एजेंसियों से विभिन्न सांविधिक तथा साथ ही साथ गैर-सांविधिक स्वीकृतियां अपेक्षित होती हैं। कई परियोजनाएं एक से अधिक संगठनों, राज्यों आदि के शामिल होने के चलते लंबी स्वीकृति प्रक्रियाओं के कारण अवस्द्ध हो जाती हैं। अपेक्षित स्वीकृतियों को प्राप्त करना जटिल, कठिन और समय लगने वाली प्रक्रिया बन चुका है जो कई बार परियोजना कार्यान्वयन में असामान्य विलंब में परिणत होता है।

● विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) को करने में कठिनाइयां

वर्तमान के विद्युत व्यापार परिदृश्य में उच्चतर टैरिफ होने वाली परियोजनाओं से ऊर्जा की बिक्री कठिन होती जा रही है। लाभार्थी अपनी अतिरिक्त विद्युत आवश्यकता को अल्पावधि आधार पर विद्युत एक्सचेंज या ई-खरीद के माध्यम से खरीदने को प्राथमिकता देते हैं बजाए दीर्घावधि/मध्यम अवधि के पीपीए का विकल्प चुनने के। चूंकि जलविद्युत परियोजनाएं स्थल विशिष्ट होती हैं और इनका टैरिफ स्थल/डिजाइन मानदण्डों तथा उच्च प्रारंभिक निवेश पर निर्भर करता है, नई जलविद्युत परियोजनाओं हेतु टैरिफ अपेक्षाकृत रूप से अधिक होता है। उक्त कारणों से एनएचपीसी को नई परियोजनाओं से दीर्घावधि पीपीए के माध्यम से विद्युत के प्रेषण में कठिनाइयां आ रही हैं।

● उच्च प्रारंभिक लागत/टैरिफ

जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में लम्बी प्रतीक्षा अवधि शामिल होती है तथा इनके लिए व्यापक प्रारंभिक निवेश आवश्यक होता है जो उच्च प्रारंभिक टैरिफ में परिणत होता है। जलविद्युत परियोजनाओं के नकदी प्रवाह और प्रचालनों के परिणाम समय-समय पर सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियमों के अनुसार अंतर के अधीन भी होते हैं।

● कानून एवं व्यवस्था

संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों और सुदूर स्थलों में अवस्थित एनएचपीसी की कुछ परियोजनाएं/पावर स्टेशन कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं का सामना भी करते हैं। इससे इन स्थानों पर तैनात अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है।

● जलविद्युत परियोजनाओं का विरोध

भारत में जलविद्युत परियोजनाओं को कुछ दबाव डालने वाले समूहों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है जिसने जलविद्युत विकासकर्ताओं के मध्य यह आशंका उत्पन्न कर दी है कि इसके चलते उनकी परियोजनाओं में विलंब होगा और यह समय तथा लागत आधिक्य में परिणत होगा।

● पीएसयू के प्रवेश को बाधित करने वाली राज्य की जलविद्युत नीतियां

कई राज्यों की जलविद्युत नीतियां डेवलपर्स को जलविद्युत परियोजना के आवंटन हेतु एकमुश्त प्रीमियम के भुगतान, अपेक्षित निःशुल्क विद्युत के अलावा निःशुल्क विद्युत आदि का प्रावधान करती हैं। सीपीएसयू को जलविद्युत परियोजनाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि वे भारत सरकार के मानदण्डों का पालन करते हैं।

● कुछ संविदाकारों पर निर्भरता

जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में जनशक्ति, मशीनरी तथा धन के प्रचुर मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। भारत में ऐसे कुछ ही संविदाकार हैं जो इसे पूरा कर सकते हैं, विशेष रूप से सुदूर तथा कठिन स्थलों पर जहां पहुंच एक प्रमुख मुद्दा है। इस क्षेत्र में निष्पादन में समर्थ होने वाले संविदाकारों की एक सीमित श्रृंखला से हमारी निर्भरता केवल कुछ ही संविदाकारों पर बढ़ जाती है।

3. जोखिम और चिंताएं

आपकी कंपनी की एक सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है जो कंपनी के जोखिम प्रबंधन हेतु समग्र ढांचा मुहैया करवाती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुरूप एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है। जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका बोर्ड की प्रमुख जोखिमों के प्रबंधन में सहायता करना और साथ ही साथ वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए संगठन के प्रचालनों के साथ सामरिक उद्देश्यों का संरेखण करने की भी है। जोखिम प्रबंधन समिति आगे यह सुनिश्चित करती है कि चिन्हित जोखिमों के प्रबंधन के लिए उचित प्रणालियां मौजूद हों ताकि संगठन की परिसंपत्तियों का उचित रूप से बचाव किया जा सके।

उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति की सहायता जोखिम आकलन समिति द्वारा की जाती है जिसमें मुख्य जोखिम अधिकारी और प्रमुख विभागों/क्षेत्रों के अन्य प्रमुख शामिल होते हैं। जोखिम आकलन समिति मुख्य जोखिमों की पहचान करने, प्रशमन उपायों को सुझाने, जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी/पर्यवेक्षण करने के कार्य को करती है। विभाग/क्षेत्र/परियोजना/पावर स्टेशन के प्रमुख चिन्हित जोखिमों तथा उसके प्रशमन उपायों पर जोखिम आकलन समिति द्वारा जारी किए गए निदेशों का कार्यान्वयन तथा समीक्षा करते हैं।

कंपनी द्वारा सामना किए जा रहे कुछ जोखिम, उनका प्रभाव और प्रशमन हेतु अपनायी गई तदनुरूपी रणनीतियों पर **तालिका 1** में चर्चा की गई है।

तालिका 1 - प्रमुख जोखिम, उनका प्रभाव और तदनुरूप रणनीतियां

जोखिम विवरण	प्रशमन उपाय
अनिश्चित भू-वैज्ञानिक स्थितियां परियोजना प्रारंभ करने में विलंब, टनलिंग कार्य में बाधा तथा कठिन कार्यशील स्थितियां जैसी घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले समय तथा लागत आधिक्य में परिणत हो सकती है।	- परियोजना की व्यवहार्यता के आकलन के दौरान प्रत्याशित भू-वैज्ञानिक चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए अन्वेषण चरण के दौरान दक्ष कार्मिक/ परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण/अध्ययन किए जा रहे हैं। - प्रतिकूल भू-वैज्ञानिक घटनाओं के कारणों का पता लगाने और उनके समाधान के लिए व्यापक विश्लेषण किया जा रहा है।
संबंधित मंत्रालयों/विभागों से पर्याप्त और समय पर स्वीकृतियों/ अनुमोदनों के अभाव के कारण निर्माण प्रारम्भ होने में विलंब होना।	राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, जैसे कि पर्यावरण और वन, को परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने के बारे में सुग्राहीकृत किया जा रहा है।
लाभग्राहियों से बकाया देय की वसूली न होना।	आगामी विद्युत आपूर्ति समझौतों में उचित शास्ति खंड शामिल किए जा रहे हैं।
परियोजनाओं की लम्बी प्रतीक्षा अवधि और निम्न प्रतिफल के कारण परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए निवेश का अभाव।	अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से निम्न लागत पर दीर्घावधि वित्त की उपलब्धता हेतु प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें निर्यात क्रेडिट एजेंसियां (ईसीए) और विश्व बैंक जैसे ऋण वृद्धि तंत्रों का उपयोग करके आंशिक जोखिम तथा आंशिक ऋण गारंटी द्वारा ऋण दिलवाना शामिल है।
निम्नलिखित के चलते बीच में ही परियोजनाओं को त्याग दिया जाना : (i) सरकारी विनियमों में परिवर्तन (ii) सरकारी नीतियों में परिवर्तन (iii) सरकारी निर्देशों में परिवर्तन	संबंध प्रबंधन समिति के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों/मंत्रालयों के साथ सक्रिय सम्पर्क रखा जा रहा है।
परियोजना के विभिन्न हिस्सों जैसे कि बांध, विद्युत गृह, स्विच यार्ड आदि के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहण में विलंब।	- भूमि अधिग्रहण हेतु संबंध प्रबंधन समिति के माध्यम से भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार के विभागों के साथ सक्रिय संपर्क रखना। - एनएचपीसी तथा राज्य सरकारों की पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति के प्रभावी कार्यान्वयन का सुनिश्चय किया जाता है।
राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अप्रत्याशित विनियामक परिवर्तनों के कारण समय तथा लागत आधिक्य।	नियामक परिवर्तनों से पूर्व विचार-विमर्श सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के साथ सक्रिय संपर्क रखना।
टैरिफ याचिका हेतु सीईआरसी दिशा-निर्देशों के पालन न किए जाने के वित्तीय प्रभाव हो सकते हैं।	- वाणिज्यिक टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि टैरिफ याचिकाओं को सीईआरसी दिशा-निर्देशों के अनुसार दायर किया जाए। - विभिन्न स्तरों पर टैरिफ की आंतरिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि उनके सीईआरसी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने का सुनिश्चय किया जा सके।

4. परिदृश्य

आपकी कंपनी ने अभियांत्रिकी के क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकियों को अपनाकर विद्युत व्यापार में धारणीय वृद्धि तथा सतत निष्पादन हेतु कुछ अत्यधिक प्रभावी पहलों को अपनाया है और प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक सुव्यवस्थित किया है। एनएचपीसी ने निर्माण समय विलंब तथा साथ ही साथ लागत आधिक्य को कम करने के लिए समकालीन व्यवहारों को भी लागू किया है। एनएचपीसी के अधिकांश पावर स्टेशनों को उनके जलाशय में गाद की समस्या को कम करने के लिए एक ईष्टतम तरीके से चलाया जाता है। वर्तमान में कंपनी के सभी पावर स्टेशनों के

प्रचालन या तो अर्ध अथवा पूर्ण रूप से स्वचालित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से निरीक्षण निर्माण पर्यवेक्षण, चालू किए जाने के पश्चात निगरानी और बाधामुक्त प्रचालन को सुनिश्चित करना तथा इसमें वृद्धि की जाती है। कई पावर स्टेशन स्काडा प्रणालियों के साथ उन्नत वितरित नियंत्रण प्रणालियों से लैस हैं। एनएचपीसी अपने कुछ पावर स्टेशनों के सुदूर प्रचालन को भी करने जा रहा है।

एनएचपीसी की एकल स्थापित क्षमता **5551 मेगावाट** है और यह विविधीकरण के माध्यम से विस्तार हेतु अवसर तलाश रहा है। इसने पहले ही पवन तथा सौर ऊर्जा प्रत्येक की एक-एक परियोजना चालू कर ली है।

5. खंड - वार अथवा उत्पाद-वार कार्य-निष्पादन

विद्युत उत्पादन कम्पनी का प्रमुख व्यापार है। अन्य प्रचालन अर्थात् संविदाएं, परियोजना प्रबंधन और परामर्श "प्रचालनशील रिपोर्टिंग" संबंधी भारतीय लेखांकन मानक-108 के अनुसार एक सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं। कम्पनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसके प्रमुख कोई वरिष्ठ अधिकारी होता है। बोर्ड ने श्री विजय कुमार, कार्यपालक निदेशक (वित्त) को कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। विभाग में आवधिक रूप से तथा प्रबंधन द्वारा आवश्यकता अनुसार विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए दक्ष तथा अनुभवी कार्यबल मौजूद है।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नियमित लेखापरीक्षा, प्रणाली समीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा प्रभावोत्पादकता की समीक्षा तथा मूल्यांकन करता है और शक्तियों के प्रत्यायोजन, आंतरिक नीतियों तथा कंपनी की प्रक्रियाविधियों के अनुपालन हेतु आश्वासन मुहैया करवाता है। पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय प्रबंधन द्वारा जारी विभिन्न संहिताओं, मैनुअलों तथा प्रक्रियाविधियों के रूप में हैं जो सभी संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को कवर करते हैं। लेखापरीक्षा अभिमर्तों का सार और की गई कार्रवाई रिपोर्टों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों का उचित अनुपालन किया जाता है।

7. वित्तीय विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

(i) प्रचालनों के परिणाम

वित्त वर्ष 2017 की तुलना में वित्त वर्ष 2018 के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर एक विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण तालिका 2 में दिया गया है।

आय

तालिका 2 : आय

(करोड़ ` में)

	वित्तीय वर्ष 2018	वित्तीय वर्ष 2017
उत्पादन की गई विद्युत यूनिटें (मिलियन यूनिट में)	22,973	23,275
आय		
ऊर्जा की बिक्री	6,177.90	6,410.52
जोड़े : वित्त पट्टे से आय	213.57	206.35
जोड़े : प्रचालन पट्टे से आय	477.17	522.59
जोड़े : संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व	63.25	52.07
जोड़े : अन्य प्रचालनशील आय	2.14	79.64
प्रचालनों से राजस्व	6,934.03	7,271.17
जोड़े : अन्य आय	1,491.00	1,457.67
कुल आय	8,425.03	8,728.84

वित्तीय वर्ष 2018 में कुल आय में वित्त वर्ष 2017 के 8728.84 करोड़ रुपये से 3.48 प्रतिशत कम होकर यह 8425.03 करोड़ रुपये हो गई है, जो मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2018 में उत्पादन में कमी, विलंब भुगतान अधिभार में वृद्धि, लाभग्राही राज्यों से ब्याज में कमी, वित्तीय वर्ष 2018 में पिछले वर्षों से संबंधित बिक्री में कमी, निवेश/एफडीआर में ब्याज में कमी, प्रचालन पट्टा आय में कमी जिसे आंशिक रूप से अनुषंगी कंपनियों में लाभांश आय से समायोजित किया गया था।

टैरिफ

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विभिन्न पावर स्टेशनों के विद्युत टैरिफ का निर्धारण अलग-अलग करता है। आयोग ने 21 फरवरी, 2014 को अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013/सीईआरसी जारी की है जो 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ से संबंधित है और इसमें समय-समय पर संशोधन जारी किए जाते हैं।

टैरिफ अवधि 2014-19 हेतु अधिसूचित विनियमों के अनुपालन में, प्रभार का निर्धारण वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) के आधार पर किया जाता है जिसमें इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), मूल्य हास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन एवं रख-रखाव के खर्च को शामिल किया जाता है। इक्विटी पर लाभ (आरओई) में प्रभावी दर पर आयकर को जोड़ा जाता है ताकि आयकर की राशि को भी वसूल किया जा सके। कुल वार्षिक स्थिर प्रभारों को दो भागों में विभाजित किया जाता है अर्थात् 50 प्रतिशत क्षमता प्रभार के रूप में तथा 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार के रूप में। क्षमता शुल्क की वसूली विद्युत उत्पादन हेतु मशीनों के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करती है। क्षमता का निर्धारण वार्षिक संयंत्र उपलब्धता मानदंड घटक (नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एवेलेबिलिटी फैक्टर - एनएपीएफ) को ध्यान में रख कर किया जाता है जो प्रत्येक विद्युत गृह की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऊर्जा प्रभारों को डिजाइन ऊर्जा के प्रति वास्तविक उत्पादन के आधार पर वसूला जाता है। प्रत्येक पावर स्टेशन की डिजाइन ऊर्जा को सीईए द्वारा जल उपलब्धता के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

एनएपीएफ से अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक प्राप्त करने और साथ ही साथ संयंत्र के डिजाइन ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा उत्पादन हेतु भी प्रोत्साहन प्राप्त किए जाते हैं।

ऊर्जा की बिक्री

विद्युत को बल्क उपभोक्ताओं को बेचा जाता है जिसमें मुख्यतः राज्य सरकारों/निजी वितरण कम्पनियों के स्वामित्व वाली विद्युत उपयोगिताएं शामिल होती हैं और ऐसा दीर्घावधि विद्युत क्रय समझौतों के अनुपालन में किया जाता है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ अधिसूचना को दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं.एल-1/144/2012/सीईआरसी के माध्यम से अधिसूचित की गई थी। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के चलते 2009-14 की अवधि हेतु कुछ पावर स्टेशनों के संबंध में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार बिक्री को अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है और ऐसा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014 के अनुरूप पावर स्टेशनों की पूंजी लागत को दुरुस्त करने के प्रति प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

उक्त विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ याचिका दायर करने के उद्देश्य से इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), जो टैरिफ का एक घटक

है, को संबंधित वित्त वर्ष की प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए सकल रूप दिया जाना होता है। बिक्री को मान्यता प्राप्त करने के प्रयोजन से वित्त वर्ष 2017-18 हेतु प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए आरओई को सकल रूप प्रदान किया गया है।

बिक्री में ग्रीड अनुशासन लाने के लिए सीईआरसी विनियम में विहित आवृत्ति से संबंधित दरों पर अनुसूची (देय अथवा प्राप्य) के संबंध में उत्पादन में विपथन हेतु प्रभार, विदेशी मुद्रा विनियम अंतर (एफईआरवी) के कारण प्रतिपूर्ति और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित पावर स्टेशनों के संबंध में जल उपकरण के कारण प्रतिपूर्ति भी शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2018 में, एनएचपीसी ने अपनी संस्थापित क्षमता यानी 5221 मेगावाट (वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किशनगंगा जलविद्युत परियोजना से उत्पन्न की गई 2 एमयू अपुष्ट विद्युत के अतिरिक्त) से 22973 मिलियन यूनिट (किशनगंगा जलविद्युत परियोजना के 330 मेगावाट के अतिरिक्त) विद्युत का उत्पादन किया जबकि वित्त वर्ष 2017 में कम्पनी ने 5171 मेगावाट की संस्थापित क्षमता से 23275 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया था। तदनुसार, उत्पादित यूनिटों की संख्या में 1.30 प्रतिशत की कमी का पता चलता है। वित्तीय वर्ष 2018 में औसत बिक्री मूल्य (पिछले साल की बिक्री के घटकों और गृह राज्य को निशुल्क विद्युत को समायोजित करने के पश्चात) बिक्री की गई 19,457 मिलियन यूनिटों हेतु 3.66 रूपए प्रति यूनिट रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2017 में यह बिक्री की गई 19,763 मिलियन यूनिटों हेतु 3.56 रूपए प्रति यूनिट था।

ऊर्जा की बिक्री वित्तीय वर्ष 2017 में 7139.46 करोड़ रूपए से 3.79 प्रतिशत कम होकर वित्तीय वर्ष 2018 में 6868.64 करोड़ हो गई जो मुख्यतः पावर स्टेशनों से कम उत्पादन के कारण हुआ। कंपनी का संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) वित्तीय वर्ष 2017 में 82.68 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 में 85.32 प्रतिशत था।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री

ऊर्जा की बिक्री से होने वाली आमदनी में पिछले वर्षों से संबंधित वह बिक्री भी शामिल रहती है जिसे चालू वर्ष में हिसाब में लिया गया है और उन पांच पावर स्टेशनों के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री शामिल नहीं है जिनकी बिक्री को अब इंड-एएस प्रावधानों के अनुरूप प्रचालन/वित्तीय पट्टा माना गया है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार विदेशी ऋणों और उनके लिए ब्याज के भुगतान और ऋण पुनर्भुगतान पर विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले परिवर्तनों को भी विद्युत घर/विद्युत इकाइयों के हिसाब में लिया जाता है और लाभार्थियों से उसकी वसूली की जाती है या उन्हें वसूली गयी राशि की वापसी की जाती है। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार तुलनपत्र जारी करने की तारीख में विदेशी मुद्रा ऋणों पर हुए विनियम दर में बदलाव की वजह से होने वाले परिवर्तन को लाभ-हानि विवरणी लेख में समायोजित करने की बजाय लेख में आस्थगित देयता/परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है और बाद में उपभोक्ताओं से उसकी वसूली/या उसका पुनर्भुगतान करके हिसाब में ले लिया जाता है।

वर्ष दर वर्ष तुलना की दृष्टि से विगत वर्षों की बिक्री के प्रभाव को ऊर्जा की बिक्री में शामिल नहीं किया गया है ताकि समायोजित ऊर्जा बिक्री के स्तर पर पहुंचा जा सके।

इस प्रकार के समायोजन के पश्चात ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व तालिका 3 में दिया गया है :

तालिका 3 : समायोजन के पश्चात ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व
(करोड़ ` में)

	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2017
निवल बिक्री (पट्टा आय सहित)	6,868.64	7,139.46
घटाएं : पिछले वर्ष की बिक्री	(249.05)	(105.87)
ऊर्जा की समायोजित बिक्री	7,117.69	7,033.59

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श कार्यों से राजस्व

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व में निर्माण संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी संविदाओं से संबंधित कार्य से राजस्व शामिल होता है। इन कार्यों में मुख्यतः तीस्ता ऊर्जा, भूटान शाही सरकार की मांगदेछु परियोजना, घिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स, लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में परामर्शी कार्य शामिल हैं। संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य से आय में 21.47 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह वित्तीय वर्ष 2017 में 52.07 करोड़ रूपए से वित्तीय वर्ष 2018 में 63.25 करोड़ रूपए हो गई है जो वित्तीय वर्ष 2018 में वृद्धित क्रियाकलापों के कारण है।

अन्य आय

वित्त वर्ष 2018 में एनएचपीसी की अन्य आय 1,491.00 करोड़ थी अर्थात् वित्तीय वर्ष 2017 में 1457.67 करोड़ रूपए की तुलना में 2.29 प्रतिशत की वृद्धि। अन्य आय के मुख्य घटक तथा उन पर चर्चा तालिका 4 में दर्शाई गई है :

तालिका 4 : अन्य आय

(करोड़ ` में)

अन्य आय	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2017
प्रतिभूतीकृत पावर बांडों/दीर्घावधि अग्रिमों/अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण पर ब्याज	46.97	43.63
सावधि जमा राशियों/निवेश पर ब्याज	165.95	410.59
लाभांश (मुख्यतः एक अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी से)	632.12	207.49
विलंब भुगतान अधिभार	390.36	526.75
व्यापार बाधा के कारण हानि की बीमा कंपनी से वसूली	59.41	111.80
पश्च लेखन की आवश्यकता न होनी वाली देयताएं/प्रावधान	85.57	44.92
अन्य विविध आय	110.62	112.49
कुल	1,491.00	1,457.67

सावधि जमा पर ब्याज वित्त वर्ष 2017 में 410.59 करोड़ रुपए की तुलना में कम होकर वित्त वर्ष 2018 में 165.95 करोड़ रुपए रह गया है जो वर्ष के दौरान निवेश की गई अधिशेष नकदी में कमी के कारण हुआ।

वित्त वर्ष 2018 में मुख्यतः सहायक कंपनी (एनएचडीसी लिमिटेड) में निवेश से 632.12 करोड़ रुपए का लाभान्ना प्राप्त किया गया जबकि 2017 में इस संबंध में 207.49 करोड़ रुपए मिले थे।

वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान दो लाभग्राहियों से विलंब भुगतान अधिभार के बकाया के रूप में 385.04 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे।

व्यय

तालिका 5 : व्यय

(करोड़ ₹ में)

व्यय	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2017
उत्पादन व्यय	716.39	773.67
कर्मचारी लाभ	1,585.33	1,574.84
वित्त लागत	922.32	1,073.22
मूल्यहास एवं परिशोधन	1,405.89	1,388.40
अन्य व्यय	989.18	1,158.10
कुल व्यय	5,619.11	5,968.23

वित्तीय वर्ष 2018 में कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2017 में 5968.23 करोड़ रुपए से 5.85 प्रतिशत कम होकर 5619.11 करोड़ रुपए हो गया जो मुख्यतः अन्य व्ययों में 168.92 करोड़ रुपए की कमी, वित्त लागत में 150.90 करोड़ रुपए की कमी, उत्पादन व्ययों में 57.28 करोड़ रुपए की कमी के चलते हुआ था तथा जिससे आंशिक रूप से कर्मचारी लाभ में 10.49 करोड़ रुपए की वृद्धि तथा मूल्यहास और परिशोधन में 17.49 करोड़ रुपए की वृद्धि से समायोजित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017 में 68.37 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 में कुल आय के प्रतिशत के तौर पर हमारा कुल व्यय 66.70 प्रतिशत था।

उत्पादन व्यय

उत्पादन व्यय में जल उपकरण तथा भंडार एवं कलपुर्जों के उपभोग पर व्यय शामिल होते हैं। ये व्यय वित्त वर्ष 2018 में कुल व्यय का लगभग 12.75 प्रतिशत थे जबकि वित्तीय वर्ष 2017 में यह संख्या 12.96 प्रतिशत थी। वास्तविक रूप में ये व्यय वित्त वर्ष 2017 में 773.67 करोड़ रुपए से लगभग 7.40 प्रतिशत कम होकर वित्त वर्ष 2018 में 716.39 करोड़ रुपए हो गए हैं। उत्पादन व्यय में 57.28 करोड़ रुपए की कमी मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर स्थित कुछ पावर स्टेशनों में कम विद्युत उत्पादन के कारण कम जल उपकरण के कारण हुई।

कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन तथा मजदूरी, भत्ते, प्रोत्साहन, भविष्य निधि में योगदान, कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षता योजना में अंशदान, वेतन संशोधन का प्रभाव और अन्य कर्मचारी कल्याण निधियों से संबंधित व्यय शामिल हैं। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2017 में 26.39 प्रतिशत के प्रति वित्तीय वर्ष 2018 में हमारे कुल व्यय का 28.21 प्रतिशत होते हैं।

वास्तविक रूप में कर्मचारी लागत वित्तीय वर्ष 2018 में 10.49 करोड़ रुपए से बढ़ी है जो वर्ष के दौरान तीसरी वेतन संशोधन समिति के आधार पर वेतन तथा भत्तों और उपदान में प्रत्याशित बढ़ोत्तरी के प्रावधान के कारण थी जिसे आंशिक रूप से जनशक्ति की सेवानिवृत्ति के प्रभाव से समायोजित किया गया था।

31 मार्च, 2018 को एनएचपीसी की वेतन पंजी में 7,351 कर्मचारी थे जबकि 31 मार्च, 2017 को इनकी संख्या 8,009 थी। इनमें से वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2017 में क्रमशः 4,265 और 4,681 कर्मचारी प्रचालन एवं रखरखाव क्षेत्रों में कार्यरत थे। कर्मचारी हित पर व्यय जो वित्त वर्ष 2017 में 1574.84 करोड़ रुपए था, वित्त वर्ष 2018 में 0.67 प्रतिशत बढ़कर 1,585.33 करोड़ रुपए हो गया था।

कुल आय के प्रतिशत के रूप में, कर्मचारी हित व्यय वित्त वर्ष 2017 में 18.04 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2018 में बढ़कर 18.82 प्रतिशत हो गया।

वित्त लागत

“वित्त लागत” में मुख्य रूप से बांडों तथा आवधिक ऋणों पर ब्याज खर्च शामिल हैं। लेखा बहियों में कंपनी के ऋणों को रुपए में दर्शाया जाता है, इसमें विदेशी मुद्रा (जापानी येन) के उधार भी शामिल हैं। इसके अलावा एनएचपीसी को विदेशी बाजार से लिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी शुल्क के तौर पर कुछ राशि खर्च करनी पड़ती है।

वित्त लागत वित्तीय वर्ष 2017 में 1073.22 करोड़ रुपए से 14.06 प्रतिशत कम होकर वित्तीय वर्ष 2018 में 922.32 करोड़ रुपए हो गई थी। वित्त लागत में कमी ऋणों की चुकौती (92.13 करोड़ रुपए) के कारण सावधि ऋणों के ब्याज में कमी और उच्चतर ब्याज दर से निम्नतर ब्याज दर वाले ऋणों के संबंध में दर परिवर्तन/पुनः वित्त पोषण (58.77 करोड़ रुपए) के चलते हुई है।

मूल्यहास और परिशोधन

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, मूल्यहास को स्ट्रेट लाइन पद्धति से हिसाब में लिया जाता है जो परिसंपत्तियों की लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक होता है, इसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 21.02.2014 की अधिसूचना के तहत निर्धारित दरों और विधि का अनुसरण किया जाता है, परंतु इसमें अपवाद वाली कुछ ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जिन पर मूल्यहास परिसंपत्तियों की लागत के 95 प्रतिशत तक और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार मूल्यांकित दरों से लिया जाता है।

मूल्यहास लागत वित्तीय वर्ष 2017 में 1388.40 करोड़ रुपए से 1.26 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018 1405.89 करोड़ रुपए हो गई। मूल्यहास व्यय में वृद्धि मुख्यतः तीस्ता लो डैम-4 के पूरे वर्ष चालू रहने और वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान जैसलमेर में पवन विद्युत परियोजना के चालू होने तथा पावर स्टेशनों पर अतिरिक्त पूंजीकरण के चलते है जो आंशिक रूप से सीईआरसी विनियमों के अनुसार बैरास्चूल पावर स्टेशन तथा लोकतक पावर स्टेशन का जीवनकाल पूर्ण होने पर कमी द्वारा आंशिक रूप से समायोजित हुआ है।

कुल आय के प्रतिशत के रूप में मूल्यहास वित्तीय वर्ष 2017 में 15.91 प्रतिशत से बढ़ कर वित्त वर्ष 2018 में 16.69 प्रतिशत हो गया है।

अन्य व्यय

अन्य व्ययों में मुख्यतः भवनों तथा संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, सुरक्षा व्यय, बीमा व्यय, विद्युत प्रभार, सीएसआर, अन्य प्रशासनिक ऊपरी खर्च, प्रावधान आदि शामिल हैं। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2017 में कुल व्यय के 19.40 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 में

कुल व्यय के लगभग 17.60 प्रतिशत को दर्शाते हैं। पूर्ण रूप में, ये व्यय वित्तीय वर्ष 2017 में 1158.10 करोड़ रुपए से लगभग 14.59 प्रतिशत कम होकर वित्तीय वर्ष 2018 में 989.18 करोड़ रुपए रह गए हैं। अन्य व्ययों में 168.92 करोड़ रुपए की कमी मुख्यतः भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर व्यय, मशीनरी एवं अन्य, बीमा व्यय, लाभग्राही राज्यों को ब्याज और सीएसआर क्रियाकलापों में व्यय आदि में कमी के कारण हुई है जो वित्तीय वर्ष 2018 में उच्चतर सुरक्षा व्यय तथा विद्युत व्यय में वृद्धि से समायोजित हुए हैं।

बिक्री योग्य ऊर्जा की प्रति यूनिट के व्यय के रूप में यह कम होकर वित्तीय वर्ष 2017 में 0.59 रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 में 0.51 रुपए हो गया है।

विनियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन (विनियामक आय)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" संबंधी मार्गदर्शी नोट और साथ ही साथ भारतीय लेखांकन मानक 114-विनियामक विलंबित लेखे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए "विनियामक परिसंपत्तियां" को सृजित किया गया है और तदनुसूची "विनियामक आय" के रूप में 719.82 करोड़ रुपए को मान्यता दी गई है जबकि इसके प्रति वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सुबानसिरी लोअर परियोजना पर ऋण लागत तथा प्रशासनिक एवं अन्य व्यय 474.82 करोड़ रुपए, 1.1.2017 से देय वेतन संशोधन के प्रति किए गए प्रावधान हेतु 242.90 करोड़ रुपए और मौद्रिक मदों हेतु विनियम अंतरों के प्रति 2.10 करोड़ रुपए है जिन्हें संगत लेखांकन मानक के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में प्रभावित किया गया है। दर नियंत्रित आय को वित्तीय वर्ष 2018 में नीचे उल्लिखित तीन कारकों के चलते लेखा बहियों में मान्यता प्रदान की गई है :

(i) सुबानसिरी लोअर परियोजना पर किए गए व्यय के प्रति विनियामक विलंबित लेखा शेष का सृजन

सुबानसिरी लोअर में 16 दिसम्बर, 2011 से बाधित कार्य अभी पुनः प्रारंभ होना है। वित्त वर्ष 2017-18 हेतु इस परियोजना के संबंध में ऋण लागत तथा प्रशासनिक और किए गए अन्य व्यय/अर्जित आय के पूंजीकरण न होने के कारण आय तथा व्यय के शीर्षों पर प्रभाव को तालिका 6 में दिया गया है :

तालिका 6

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17
i)	अन्य आय	25.82	26.99
ए	कुल आय	25.82	26.99
i)	कर्मचारी लाभ	84.81	92.74
ii)	वित्त लागत	331.39	365.32
iii)	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	6.85	6.96
iv)	अन्य व्यय	77.59	78.68
बी	कुल व्यय	500.64	543.70
सी	निवल (ए-बी)	(474.82)	(516.71)

(ii) सीपीएसयू के वेतन संशोधन हेतु तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के कारण मान्य किए गए व्यय के संबंध में विनियामक विलंबित लेखा शीर्षों का सृजन

पावर स्टेशनों के संबंध में 1 जनवरी, 2017 से वेतन संशोधन के कारण उत्पन्न होने वाली व्यय की मदों के संबंध में दर नियंत्रित आय का सृजन भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार अनुमेय सीमा तथा साथ में दर नियंत्रित क्रियाकलापों के संबंध में आईसीएआई के परामर्शी नोट और सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2014-19 के अनुसार किया गया है।

तदनुसार कंपनी ने वेतन संशोधन से संबंधित व्ययों के प्रति 242.90 करोड़ रुपए की विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन नीचे तालिका 7 में दिए अनुसार किया है :

तालिका 7

(करोड़ ₹ में)

क्रम संख्या	विवरण	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17
i)	लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से बुक किए गए व्यय के प्रति	242.90	199.78
	कुल	242.90	199.78

(iii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनियम अंतरों के संबंध में विनियामक विलंबित लेखा शेष

लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभावित किए गए की सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर और जो आगे सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य है अथवा उन्हें देय है, उन्हें 1 अप्रैल, 2016 से "विनियामक विलंबित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जा रही है। इन शेषों को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे ये परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) के पश्चात लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हों।

तदनुसार, कंपनी ने भविष्य की अवधियों में लाभार्थियों को देय 2.10 करोड़ रुपए की विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है।

कर-पूर्व लाभ (दर विनियमित आय सहित)

ऊपर दिए गए कारणों के चलते हमारा कर पूर्व लाभ वित्तीय वर्ष 2017 में 3474.60 करोड़ रुपए से 1.47 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018 में 3525.74 करोड़ रुपए हो गया है।

कर व्यय

वित्तीय वर्ष 2018 में हमने कर व्ययों हेतु 767.09 करोड़ रुपए मुहैया करवाए थे जबकि वित्तीय वर्ष 2017 में यह राशि 679.01 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2018 में कर व्ययों में वृद्धि विलंबित कर में 49.88 करोड़ रुपए की वृद्धि तथा 110.08 करोड़ रुपए द्वारा पहले के वर्ष के कर समायोजनों में कमी के चलते है जो आंशिक रूप से वर्तमान वर्ष के करों में 71.88 करोड़ रुपए की कमी से समायोजित हुई है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) जिसमें निर्धारित लाभ योजना का पुनः मापन और इक्विटी तथा ऋण लिखत में उचित मूल्य लाभ/हानि शामिल है, वित्तीय वर्ष 2018 में 5.88 करोड़ थी अर्थात् वित्तीय वर्ष 2017 के 7.67 करोड़ रुपये की तुलना में 23.74 प्रतिशत की कमी।

कुल व्यापक आय (टीसीआई)

कुल व्यापक आय (टीसीआई) अर्थात् ओसीआई सहित कुल लाभ वित्तीय वर्ष 2018 में 2764.53 करोड़ रुपये था जो वित्तीय वर्ष 2017 में 2803.26 करोड़ रुपये के प्रति 1.39 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

(ii) नकदी तथा पूंजी संसाधन

नकदी

नकदी के आंतरिक तथा बाहरी दोनों स्रोतों का उपयोग कार्यशील पूंजी आवश्यकता और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। सामान्यतः दीर्घावधि ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण अथवा भारतीय रुपए या विदेशी मुद्रा में बॉण्ड जारी करके जुटाए जाते हैं। 31 मार्च, 2018 तथा 2017 को नकदी तथा नकदी शेष क्रमशः 6.96 करोड़ रुपये और 59.89 करोड़ रुपये थे, जिसमें से 31 मार्च, 2018 तथा 2017 को क्रमशः 0.22 करोड़ रुपये और 7.74 करोड़ रुपये कम्पनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों हेतु धारित थे, जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं थे।

नकदी प्रवाह

तालिका 8 नकदी प्रवाह

(करोड़ ` में)

	वित्तीय वर्ष 2018	वित्तीय वर्ष 2017
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी अन्तर-प्रवाह/ (बाह्य-प्रवाह)	4,102.61	7,842.83
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह/ (बाह्य-प्रवाह)	(1,144.78)	(1,430.10)
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह/ (बाह्य-प्रवाह)	(3,010.76)	(7,547.23)

प्रचालनों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2018 में प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी 4102.61 करोड़ रुपये और कर पूर्व तथा विनियामक आय से पूर्व तथा अपवादजनक मदों के पश्चात लाभ 2805.92 करोड़ रुपये था। प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी को मुख्यतः 1405.89 करोड़ रुपये के मूल्यहास, 922.32 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय, विनियामक विलंबित लेखा शेष के प्रति व्यय के चलते 381.59 करोड़ रुपये, प्रावधानों के प्रति 69.78 करोड़ रुपये, टैरिफ समायोजन के चलते 58.37 करोड़ रुपये, एफईआरवी के चलते बिक्री समायोजनों के प्रति 66.36 करोड़ रुपये, मूल्यहास के प्रति अग्रिम के कारण विलंबित राजस्व हेतु 60.68 करोड़ रुपये, पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के

कारण 85.57 करोड़ रुपये, लाभांश आय के कारण 632.12 करोड़ रुपये, जमा/निवेश तथा अन्य गैर-प्रचालनशील मदों पर अर्जित ब्याज के प्रति 252.73 करोड़ रुपये जैसी गैर-नकदी मदों के समायोजन के पश्चात निकाला गया है। प्रचालन परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का नकदी अंतरवाह पर 92.75 करोड़ रुपये का प्रभाव हुआ है जो माल-सूची, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम और अन्य देयों में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण था।

वित्तीय वर्ष 2017 में प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी 7842.83 करोड़ रुपये और कर तथा विनियामक आय से पूर्व तथा अपवादजनक मदों के पश्चात लाभ 2760.61 करोड़ रुपये था। प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी को मुख्यतः 1388.40 करोड़ रुपये के मूल्यहास, 1073.22 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय, विनियामक विलंबित लेखा शेष के प्रति व्यय के चलते 341.71 करोड़ रुपये, प्रावधानों के प्रति 119.68 करोड़ रुपये, टैरिफ समायोजन के चलते 94.83 करोड़ रुपये, एफईआरवी के चलते बिक्री समायोजनों के प्रति 51.81 करोड़ रुपये, मूल्यहास के प्रति अग्रिम के कारण विलंबित राजस्व हेतु 60.68 करोड़ रुपये, पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 44.92 करोड़ रुपये, लाभांश आय के कारण 207.49 करोड़ रुपये, जमा/निवेश तथा अन्य गैर-प्रचालनशील मदों पर अर्जित ब्याज के प्रति 512.72 करोड़ रुपये जैसी गैर-नकदी मदों के समायोजन के पश्चात निकाला गया है। प्रचालन परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का नकदी अंतरवाह पर 3603.03 करोड़ रुपये का प्रभाव हुआ है जो माल-सूची, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम और अन्य देयों में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण था।

निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2018 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी 1144.78 करोड़ रुपये थी। यह मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों पर 1530.44 करोड़ रुपये के व्यय, विनियामक विलंबित लेखा शेष के प्रति 381.59 करोड़ रुपये और संयुक्त उद्यम में निवेश के प्रति 125.36 करोड़ रुपये के व्यय को दर्शाती है जिसे आंशिक रूप से जमा/निवेश पर 260.49 करोड़ रुपये की ब्याज आय और लाभांश आय के प्रति 632.12 करोड़ रुपये की राशि से समायोजित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2017 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी 1430.10 करोड़ रुपये थी। यह मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों पर 1496.41 करोड़ रुपये के व्यय, विनियामक विलंबित लेखा शेष के प्रति 341.71 करोड़ रुपये और संयुक्त उद्यम में निवेश के प्रति 365.37 करोड़ रुपये के व्यय को दर्शाती है जिसे आंशिक रूप से जमा/निवेश पर 566.25 करोड़ रुपये की ब्याज आय और लाभांश आय के प्रति 207.49 करोड़ रुपये की राशि से समायोजित किया गया था।

वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2018 में वित्त-पोषण क्रियाकलापों पर हमारा निवल नकदी बाहरी प्रवाह 3010.76 करोड़ रुपये था। हमने नए घरेलू सावधि ऋणों से 4354.99 करोड़ रुपये जुटाए और 12.50 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान प्राप्त किया गया था। 4855 करोड़ रुपये के ऋणों की चुकौती की गई थी। ऋण सर्विसिंग से संबंधित राशि 1143.87 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2018 में अदा किया गया कुल लाभांश (लाभांश कर सहित) 1378.50 करोड़ रुपये था।

वित्तीय वर्ष 2017 में वित्त-पोषण क्रियाकलापों पर हमारा निवल नकदी बाहिर प्रवाह 7547.23 करोड़ रुपए था। हमने नए घरेलू सावधि ऋणों से 2804.51 करोड़ रुपए जुटाए और 3338.37 करोड़ रुपए के बॉण्ड तथा ऋणों की चुकौती की गई थी। इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद पर हमारा नकदी बाहिर प्रवाह 2625.93 करोड़ रुपए था। ऋण सर्विसिंग से संबंधित राशि 1391.09 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2017 में अदा किया गया कुल लाभांश (लाभांश कर सहित) 2996.35 करोड़ रुपए था।

(iii) तुलन-पत्रक मदे

तुलन-पत्रक की मुख्य बातें

आस्तियां

तालिका 9 : आस्तियां

(करोड़ ` में)

विवरण	31 मार्च को	
	2018	2017
गैर-वर्तमान आस्तियां		
निवल स्थिर आस्तियां	38,808.27	38,327.34
गैर-वर्तमान निवेश	2,209.56	2,100.32
प्राप्य व्यापार	184.45	0.00
दीर्घावधि ऋण	339.88	360.96
अन्य वित्तीय आस्तियां	1,915.23	1,863.83
गैर-वर्तमान कर आस्तियां (निवल)	163.67	73.68
अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां	1,279.63	1,125.74
कुल गैर-वर्तमान आस्तियां	44,900.69	43,851.87
चालू आस्तियां		
मालसूची	95.77	91.64
प्राप्य व्यापार	1,097.07	1,492.90
नकदी और बैंक शेष	1,472.39	1,533.14
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	46.80	43.84
अन्य वित्तीय आस्तियां	1,919.42	1,858.25
चालू कर आस्तियां (निवल)	0.40	55.93
अन्य चालू आस्तियां	342.18	475.21
कुल चालू आस्तियां	4,974.03	5,550.91
नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	3,600.46	2,904.32
कुल आस्तियां और नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	53,475.18	52,307.10

शेयरधारक निधियां, देयताएं और प्रावधान

तालिका 10

(करोड़ ` में)

विवरण	31 मार्च को,	
	2018	2017
शेयरधारक निधियां (निवल मूल्य)		
इक्विटी शेयर पूंजी	10,259.32	10,259.32
अन्य इक्विटी	18,068.83	16,682.81
गैर-वर्तमान देयताएं		
दीर्घावधि ऋण	16,728.20	17,245.64
अन्य वित्तीय देयताएं	38.47	25.63
दीर्घावधि प्रावधान	25.47	486.93
विलंबित कर देयताएं (निवल)	1,076.64	938.49
अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	1,625.00	1,472.47
वर्तमान देयताएं		
अल्पावधि ऋण	279.99	302.50
देय व्यापार	171.55	147.08
अन्य वित्तीय देयताएं	2,778.81	2,549.63
अन्य वर्तमान देयताएं	669.86	706.65
अल्पावधि प्रावधान	1,753.04	1,489.95
कुल शेयरधारक निधियां, देयताएं और प्रावधान	53,475.18	52,307.10

वित्तीय स्थिति

निवल अचल परिसंपत्तियां

हमारी स्थिर आस्तियों में भूमि, बांध, सुरंगें और भवन जिसमें विद्युत घर भवन, निर्माण उपकरण, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर तथा स्थूल परिसंपत्तियां आदि शामिल हैं। मूल्यह्रास के बाद एनएचपीसी की स्थिर आस्तियां जिन्हें निवल स्थिर आस्तियां कहा जाता है, 31 मार्च, 2018 को 38,808.27 करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2017 को 38,327.34 करोड़ रुपए थी।

निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और इन्हें लागत आधार पर वहन किया जाता है जिसमें अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों, सरकारी प्रतिभूतियों और बॉण्ड में इक्विटी निवेश शामिल होता है। 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2017 को एनएचपीसी का निवेश क्रमशः 2,209.56 करोड़ रुपए और 2,100.32 करोड़ रुपए था।

निवेश में वृद्धि हमारी संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश में वृद्धि का निवल प्रभाव है जो इक्विटी तथा ऋण लिखतों में निवेश के उचित मूल्य में कमी द्वारा आंशिक रूप से समायोजित हुई है।

ऋण (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

ऋण में हमारे कर्मचारियों का अरुणाचल प्रदेश सरकार को प्रदान किए गए ऋण शामिल हैं। 31 मार्च, 2018 तथा 31 मार्च, 2017 के अनुसार ऋण क्रमशः 386.68 करोड़ रुपए और 404.80 करोड़ रुपए थे अर्थात् पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें 4.48 प्रतिशत की कमी हुई है जो मुख्यतः कर्मचारी ऋणों में कमी के कारण है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2018 को 3834.65 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 3722.08 करोड़ रुपए थी अर्थात् पिछले वित्त वर्ष के आकड़ों से 3.02 प्रतिशत की वृद्धि। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में प्राप्य पट्टा किराया, अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण पर प्रोदभूत ब्याज, बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्य दावा, संयुक्त उद्यम कंपनी को दी गई शेयर आवेदन राशि, अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व से प्राप्य और माध्यस्थम निर्णय आदि के प्रति संविदाकार को अग्रिम शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2017 के आकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 में 3.02 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः संयुक्त उद्यम कंपनी को दी गई शेयर आवेदन राशि में वृद्धि, अरुणाचल प्रदेश सरकार को दिए गए ऋण पर प्रोदभूत ब्याज, संविदाकार को माध्यस्थम निर्णय के प्रति दिए गए अग्रिम और प्राप्य पट्टा किराए, बिल न किए गए राजस्व के कारण अप्राप्य तथा अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य में कमी के कारण है।

कर परिसंपत्तियां (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

31 मार्च, 2018 तथा 2017 के अनुसार कर परिसंपत्तियां क्रमशः 164.07 करोड़ रुपए तथा 129.61 करोड़ रुपए थी अर्थात् पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों से 26.59 प्रतिशत की वृद्धि। कर परिसंपत्तियों में अग्रिम आयकर और स्रोत पर कटौती किया गया कर शामिल है।

अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां तथा पूंजीगत अग्रिम शामिल हैं। 31 मार्च, 2018 तथा 2017 के अनुसार हमारी अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां क्रमशः 1279.63 करोड़ रुपए तथा 1125.74 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2017 के आंकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 में 13.67 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः पूंजीगत अग्रिम में वृद्धि के कारण है।

माल-सूची

माल-सूचियों का मूल्यांकन सम-लागत पर अथवा उनके वसूली योग्य कुल मूल्य, में से जो भी कम हो, उस के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2017 को किये गये मूल्यांकन में माल-सूचियों का मूल्य क्रमशः 95.77 करोड़ रुपए और 91.64 करोड़ रुपए आंका गया था।

प्राप्य व्यापार (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

इसके अंतर्गत मुख्यतः विद्युत की बिक्री और अधिभार के देनदारों से संबंधित प्राप्त होने वाली राशियां शामिल हैं। इसमें बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य शामिल नहीं है। 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च,

2017 को प्राप्य व्यापार (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का निवल) 1281.52 करोड़ रुपए और 1492.90 करोड़ रुपए थे। वित्तीय वर्ष 2017 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 में व्यापार प्राप्य में 14.16 प्रतिशत की कमी हुई है जो बकाया देयों की वसूली के चलते है।

नकद और बैंक शेष

तुलन-पत्र की तिथि को नकदी और बैंक शेष के अंतर्गत कंपनी के चालू खाते में तुलन पत्र जारी करने की तारीख को रोकड़ अधिशेष और अल्पावधि जमा राशियां; तथा ग्रामीण सड़कों के विकास की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना की स्थापना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की निर्माण लागत के रूप में सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अग्रिमों में से खर्च नहीं हो सकी अतिशेष राशि शामिल है।

31 मार्च, 2018 तथा 31 मार्च, 2017 को कंपनी के पास नकद और बैंक शेष के रूप में क्रमशः 6.96 करोड़ रुपए और 59.89 करोड़ रुपए थे। वित्त वर्ष 2018 में इसमें 52.93 करोड़ रुपए की कमी निवेश और वित्त-पोषण क्रियाकलापों में क्रमशः 1144.78 करोड़ रुपए और 3010.76 करोड़ रुपए के निवल परिणाम के कारण हुई है जिसे प्रचालन क्रियाकलापों के कारण 4102.61 करोड़ रुपए के नकदी अंतरवाह से समायोजित किया गया है।

नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष 31 मार्च, 2018 तथा 31 मार्च, 2017 को क्रमशः 1465.43 करोड़ रुपए और 1473.25 करोड़ रुपए थे।

हमारे नकदी तथा बैंक शेष में 250.71 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 250.22 करोड़ रुपए) शामिल है, जो ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखी गई थी जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और इसमें 18.16 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 14.26 करोड़ रुपए) का अदा न किया गया लामांश शामिल है जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं था।

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त जमा तथा अग्रिम, पूर्व प्रदत्त व्यय और विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां शामिल हैं। 31 मार्च, 2018 तथा 31 मार्च, 2017 को एनएचपीसी की अन्य वर्तमान आस्तियां क्रमशः 342.18 करोड़ रुपए और 475.21 करोड़ रुपए की थी, यानी वित्त वर्ष 2017 की तुलना में वित्त वर्ष 2018 में इन परिसंपत्तियों में 27.99 प्रतिशत की कमी हुई है।

विनियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" संबंधी मार्गदर्शी नोट और साथ ही साथ भारतीय लेखांकन मानक 114-विनियामक विलंबित लेखे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए "विनियामक परिसंपत्तियां" को सृजित किया गया है और तदनुसारी "विनियामक आय" के रूप में 474.82 करोड़ रुपए को मान्यता दी गई है जो वित्तीय वर्ष 2108 के दौरान सुबानसिरी लोअर परियोजना पर ऋण लागत तथा प्रशासनिक एवं अन्य व्यय के प्रति है जिन्हें संगत लेखांकन मानक के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया गया है।

सीपीएसयू के एक वेतन संशोधन हेतु तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के कारण मान्य किए गए व्यय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018 में 242.90

करोड़ रुपए विनियामक विलंबित लेखा शीर्षों का सृजन किया गया है जिसे लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से और (-)23.68 करोड़ रुपए को अन्य व्यापक आय के माध्यम से संगत लेखांकन मानक के अनुसार बुक किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों संबंधी विनियम अंतरों के संबंध में 2.10 करोड़ रुपए हेतु विनियामक विलंबित लेखाशीर्षों का सृजन किया गया है जिन्हें संगत लेखांकन मानक के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में प्रसारित किया गया है।

तदनुसार, 31.3.2018 को "विनियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष" 3600.46 करोड़ रुपए होते हैं जबकि इसकी तुलना में 31.3.2017 को ये 2904.32 करोड़ रुपए थे।

निवल मूल्य

वित्तीय वर्ष 2018 के अंत में कंपनी का निवल मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष के 26942.13 करोड़ रुपए से 5.14 प्रतिशत बढ़कर 28328.15 करोड़ रुपए हो गया है जो मुख्यतः प्रतिधारित आय में वृद्धि के कारण है।

दीर्घावधि उधार

दीर्घावधि उधार के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को क्रमशः 11238.39 करोड़ रुपए, 1226.67 करोड़ रुपए और 4263.14 करोड़ रुपए के बांड, सुरक्षित सावधि ऋण और असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण शामिल हैं जबकि वित्त वर्ष 2017 में ये क्रमशः 8493.28 करोड़ रुपए, 4478.81 करोड़ रुपए और 4273.55 करोड़ रुपए के रहे थे।

सुरक्षित ऋणों में घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार के साथ-साथ पूंजी बाजार में कॉर्पोरेट बॉन्ड से प्राप्त राशियां भी शामिल हैं जो कंपनी की आस्तियों के तहत सुरक्षित हैं।

दीर्घावधि ऋण में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 3.00 प्रतिशत की कमी मुख्यतः ऋण की चुकौती तथा पुनर्भुगतान के कारण थी जिसे वी2, डब्ल्यू1 तथा डब्ल्यू श्रृंखला के बॉण्डों को जारी करके वर्तमान परिपक्वताओं में वृद्धि के माध्यम से समायोजित किया गया था।

अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान और गैर-वर्तमान)

31 मार्च, 2018 को अन्य वित्तीय देयताएं 2817.28 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 2575.26 करोड़ रुपए थी अर्थात् पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों पर 9.40 प्रतिशत की वृद्धि।

अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता, ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय न होने वाले ब्याज तथा बॉण्डों की वर्तमान परिपक्वता राशि में वृद्धि के कारण हुई जिसे आंशिक रूप से सावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वता राशि में कमी द्वारा समायोजित किया गया है।

प्रावधान (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

प्रावधानों में निष्पादन संबंधी वेतन, अधिवर्षिता/पेंशन निधि, कर्मचारी लाभ के प्रति प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन), वेतन संशोधन हेतु प्रावधान, प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान तथा अन्य प्रावधान आदि के लिए किए गए प्रावधान शामिल हैं। कुल प्रावधान 31 मार्च, 2018 को 1778.51 करोड़ रुपए के थे जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष हेतु यह 1976.88 करोड़ रुपए के थे अर्थात् पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 10.03 प्रतिशत की कमी आई थी।

विलंबित कर देयताएं

विलंबित कर देयताएं 31 मार्च, 2018 को 1076.64 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 938.49 करोड़ रुपए की थी।

अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

अन्य गैर-वर्तमान देयताएं 31 मार्च, 2018 को 1625.00 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 1472.47 करोड़ रुपए की थी। अन्य गैर-वर्तमान देयताओं में अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम) और सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।

अल्पावधि ऋण

31 मार्च, 2018 के अनुसार अल्पावधि ऋण 279.99 करोड़ रुपए हैं जबकि इसकी तुलना में यह पिछले वित्तीय वर्ष में 302.50 करोड़ रुपए था। अल्पावधि ऋणों में बैंक से ऋण के प्रति एफडीआर के रूप में अल्पावधि निवेश शामिल हैं।

देय व्यापार

31 मार्च, 2018 को देय व्यापार 171.55 करोड़ रुपए है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष हेतु यह 147.08 करोड़ रुपए थे अर्थात् पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 16.64 प्रतिशत की वृद्धि।

अन्य वर्तमान देयताएं

अन्य वर्तमान देयताएं 31 मार्च, 2018 को 669.86 करोड़ रुपए थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष में यह 706.65 करोड़ रुपए थी अर्थात् पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 5.21 प्रतिशत की कमी।

(iv) तुलन-पत्र से इतर मद

आकस्मिक देनदारियां

निम्नलिखित तालिका 11 में वित्त वर्ष 2018 और 2017 के लिए एनएचपीसी की आकस्मिक देनदारियां दिखायी गयी हैं :

तालिका 11 : आकस्मिक देनदारियां

(करोड़ ` में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018	वित्तीय वर्ष 2017
कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण नहीं माने गये हैं		
पूँजीगत कार्य	9,370.30	7,848.60
भूमि मुआवजे के मामले	38.68	19.36
विवादित आयकर और अन्य मदें	1,025.36	957.94
कुल	10,434.34	8,825.90

आकस्मिक देयताओं में 31 मार्च, 2017 को 8825.90 करोड़ रुपए से 18.22 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 31 मार्च, 2018 को 10434.34 करोड़ रुपए हो गई थी।

(v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों की व्यावसायिक और वित्तीय समीक्षा

एनएचपीसी की सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड का कंपनी के रूप में पंजीकरण 01.08.2000 को एनएचपीसी के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया था। 3,000 हजार करोड़ रुपये की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी वाली इस कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड की 51.08 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश सरकार की 48.92 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एनएचडीसी ने इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) का निर्माण किया है। 31 मार्च, 2018 तथा 31 मार्च, 2017 को कंपनी की कुल आय क्रमशः 1056.68 करोड़ रुपये और 1599.62 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2018 तथा 31 मार्च, 2017 को कंपनी का कर पश्चात लाभ क्रमशः 553.18 करोड़ रुपये और 931.28 करोड़ रुपये था। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 1962.58 करोड़ रुपये है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 1002.42 करोड़ रुपये है।

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 23.10.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड (74 प्रतिशत हिस्सापूंजी) और मणिपुर सरकार (26 प्रतिशत हिस्सा पूंजी) के संयुक्त उद्यम के रूप में 230 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी से की गयी थी। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 117.69 करोड़ रुपये है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 87.09 करोड़ रुपये है।

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को 2.2.2015 को एनएचपीसी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में अधिनिगमित किया गया था जिसमें एनएचपीसी का अंश 74 प्रतिशत से कम नहीं था। कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 60.00 करोड़ रुपये है। वर्तमान में कम्पनी की शेयर पूंजी 4.00 करोड़ रुपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 4.00 करोड़ रुपये (99.99 प्रतिशत) है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त उद्यम कंपनी में इक्विटी के प्रति केवल 10 रुपये का योगदान दिया है। कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किए हैं।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी के रूप में गठन 13.06.2011 को 2500 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी से एनएचपीसी लिमिटेड (49.78 प्रतिशत शेयर पूंजी), जेकेएसपीडीसी (49.78 प्रतिशत शेयर पूंजी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (0.44 प्रतिशत शेयर पूंजी) ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य चिनाब नदी बेसिन में 2164 मेगावाट क्षमता की पकल दुल, किरु और कवार जल-विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना था। वर्तमान में कंपनी की प्रदत्त शेयरपूंजी 1051.44 करोड़ रुपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 582.36 करोड़ रुपये है। कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किए हैं।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएलपीएल)

एनएचपीटीएलपीएल की स्थापना 22.05.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के संयुक्त

उद्यम के रूप में की गयी थी जिसमें सबकी 25% इक्विटी भागीदारी है। वित्त वर्ष 2017 के दौरान केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान प्रतिष्ठान भी इस संयुक्त उद्यम में शामिल हो गया है जिससे इक्विटी भागीदारी प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदार हेतु 20 प्रतिशत हो गई है। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य देश में शॉर्ट-सर्किट परीक्षण सुविधा वाली एक ऑन-लाइन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी की स्थापना करना है तथा इसकी प्राधिकृत पूंजी 153 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2018 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 152.00 करोड़ रुपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 30.40 करोड़ रुपये है। कंपनी ने वाणिज्यिक प्रचालन वित्तीय वर्ष 2018 से शुरू कर दिए हैं।

एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण :

समेकित वित्तीय विवरण इंड-एस 110 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और इंड-एस 28 - 'एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार तैयार किये गये हैं और इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं।

परिणामों का संक्षिप्त सार समेकित आधार पर तालिका 12 में दिया गया है :

तालिका 12 : समेकित आधार पर परिणामों का सार

(करोड़ ₹ में)

ब्योरा	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2017
कुल आमदनी (अपवादात्मक मदों को छोड़कर)	8,852.60	10,125.89
कर पूर्व लाभ	3,637.55	4,534.74
कर पश्चात लाभ (अनियंत्रित हित को समायोजित करने के पश्चात)	2,503.90	3,029.42

8. मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध मोर्चे पर उल्लेखनीय घटनाक्रम

आपकी कंपनी में प्रतिबद्ध पेशेवरों की एक अत्यधिक प्रतिभावान टीम है और यह श्रेष्ठ प्रतिभा को भर्ती, विकसित करने तथा बनाए रखने में समर्थ रही है। समूचे संगठन में कार्य परिवर्तन तथा अंतर-स्थल स्थानांतरण में करियर के योजित विकास को सुकर बनाया है और कर्मचारियों के दृष्टिकोण को व्यापक किया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण, शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण बने रहे। कर्मचारियों की प्रतिभागिता को कर्मचारियों के साथ जानकारी साझा करके, उनका समर्थन, सुझाव और सहयोग मांगकर सुनिश्चित किया जा रहा है। कंपनी अपनी मानव संसाधन रणनीतियों को संगठनात्मक रणनीतियों के अनुरूप बनाने को जारी रखे हुए है।

(i) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है ताकि उनके व्यवहार एवं प्रबंधकीय कौशलों और कोर दक्षताओं में सुधार हो सके। ये कार्यक्रम कर्मचारियों को

प्रचालन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, वित्त, अभियांत्रिकी, आदि के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं से अवगत रखने में सहायता करते हैं। कंपनी ने उत्तराखंड में टनकपुर पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश में चमेरा-1 पावर स्टेशन, जम्मू एवं कश्मीर में सलाल और उड़ी-1 पावर स्टेशन में कुल 4 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण तथा विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिष्ठित प्रबंधन एवं अभियांत्रिकी संस्थानों के माध्यम से करवाती है। उक्त के अतिरिक्त, एनएचपीसी नियमित रूप से अपने कार्यपालकों को उच्चतर योग्यताएं तथा विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भी प्रायोजित कर रही है जिससे उनकी उत्पादकता तथा दक्षता में सुधार हो।

(ii) कर्मचारी संख्या

31 मार्च, 2018 के अनुसार कंपनी की कर्मचारी संख्या 7351 (3664 कार्यपालक, 170 पर्यवेक्षक और 3517 कामगार) थी।

(iii) महिला कर्मचारियों हेतु कल्याण उपाय

31 मार्च, 2018 को एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत तालिका 13 में दिया गया है :

तालिका 13 : महिला कर्मचारियों का ब्यौरा

31.03.2018 को कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	समग्र स्टाफ संख्या का प्रतिशत
7351	767	10.43

महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाये गए कदम :

- महिला कर्मचारियों को महिला सशक्तीकरण और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार में भाग लेने के लिए नियमित रूप से नामित किया जाता है।
- कारपोरेट कार्यालय में शिशु गृह सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- कंपनी की विभिन्न स्थानों पर महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों/परिवादों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- 18 वर्ष तक के 2 बच्चों (निशक्त बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं) की देखभाल अथवा परीक्षा, बीमारी आदि जैसी उनकी किसी आवश्यकता को देखने के लिए महिला कर्मचारियों को "चाइल्ड केयर लीव" यानी बच्चों की देखरेख के लिए अवकाश प्रदान किया जाता है।
- नियमानुसार मातृत्व अवकाश की व्यवस्था है।
- चिकित्सा नियमों के तहत माता-पिता/सास-ससुर को अपने आश्रितों में शामिल करने की घोषणा करने का विकल्प दिया गया है।
- कारपोरेट कार्यालय में महिला कर्मचारियों को उपस्थिति के समय में छूट दी गई है।
- कर्मचारियों के पदोन्नति/भर्ती के लिए गठित चयन बोर्ड/समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है।
- कारपोरेट कार्यालय में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण उपाय और आरक्षण

आपकी कंपनी सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित अपनी विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रति सजग है। कंपनी उन सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए बजट आवंटित करती है, जहां इसकी परियोजनाओं/विद्युत गृहों के आसपास अजा/अजजा/अपिव समुदायों की आबादी अधिक है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे भर्ती में अजा/अजजा और अपिव के लिए आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। अजा/अजजा कर्मचारियों की पदोन्नतियों पर विचार करते समय भी मानदंडों में रियायतें दी जाती हैं। एनएचपीसी अजा/अजजा कर्मचारियों के साथ समय-समय पर बैठकों का भी आयोजन करती है। अजा/अजजा और अपिव श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग-अलग संपर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में अजा/अजजा और अपिव प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को तालिका 14 में दिया गया है :

तालिका 14 : अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों का ब्यौरा

31.03.2018 को कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिनिधित्व					
	अजा	%	अजजा	%	अपिव	%
7351	1025	13.94	450	6.12	962	13.09

(v) भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारियों का कल्याण

भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व तालिका 15 में दिया गया है।

तालिका 15 : भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारियों का ब्यौरा

31.03.2018 को कर्मचारियों की कुल संख्या	भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारी			भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारी का प्रतिशत	
	दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	कुल	%
7351	11	4	112	127	1.73

दृ.बा. : दृष्टि बाधित, श्र.बा. : श्रवण बाधित, अ.वि. : अस्थि विकलांग।

भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारियों को सीधे भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, निःशक्त कर्मचारियों के लिए निम्नांकित कल्याण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं :

- भिन्न रूप से समर्थ कर्मचारियों तथा साथ ही ऐसे कर्मचारी जो किसी आश्रित बच्चे की देखभाल कर रहे हैं उन्हें चक्रीय स्थानांतरण से छूट प्राप्त है और स्थानांतरण/पदोन्नति के समय उन्हें तैनाती के स्थान की प्राथमिकता दी जाती है।

- शारीरिक विकलांग हुए व्यक्तियों (जो सेवा काल में हुए हो) को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- दृष्टि बाधित और अस्थि विकलांग कर्मचारियों को मासिक वाहन भत्ता अदा किया जाता है।
- श्रवण बाधित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कान की मशीन खरीदने पर उसकी कीमत का भुगतान कर दिया जाता है।
- कर्मचारियों/उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों की लागत की प्रतिपूर्ति तथा उक्त के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है
- शारीरिक/मानसिक रूप से मंद बच्चों के संबंध में आश्रित मानते समय आयु की सीमा मान्य नहीं होती है।

9. पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास व विदेशी मुद्रा बचत

(i) पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण

आपकी कंपनी की एक "कारपोरेट पर्यावरण नीति (सीईपी)" है जिसका उद्देश्य ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर-परंपरागत स्रोतों के सतत विकास हेतु पर्यावरणीय तथा सामाजिक चिंताओं पर ध्यान देना है। सीईपी की मुख्य विशेषताएं पर्यावरणीय विचारों को परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन तथा प्रचालन में एकीकृत करना, निर्माण-पश्च प्रभाव आंकलन अध्ययनों को करना और सांविधिक बाध्यताओं से परे अनूठी स्वैच्छिक पहलू को लेना है।

आपकी कंपनी एक ऐसे परिवेश को बनाने के लिए सभी प्रयास करती है जहां आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को लम्बे समय में भी बनाए रखा जा सके। एनएचपीसी परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ईआईए) को अन्वेषण चरण के दौरान पर्यावरण पर सम्भाव्य प्रभावों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ईआईए अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी) को परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों के प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रस्तावित तथा क्रियान्वित प्रतिपूरक वनीकरण, कैचमेंट क्षेत्र उपचार, जैव विविधता संरक्षण, हरित पट्टी विकास, मतस्यिकी प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास सहित डंपिंग और खदान स्थलों के पुनर्स्वच्छ आदि जैसे उपायों को अपना कर किया जाता है।

पर्यावरण और विविधता प्रबंधन प्रभाग की स्थापना कारपोरेट कार्यालय में सभी परियोजनाओं के पर्यावरणीय रक्षोपायों के कार्यान्वयन पहलों की निगरानी तथा उन्हें सुकर बनाने के लिए की गई है।

कारपोरेट पर्यावरण नीति के अंतर्गत अनुपालन :

आपकी कंपनी की सभी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं तथा स्वैच्छिक पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु की गई है। कई एनएचपीसी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों पर स्वैच्छिक प्रयासों के अंतर्गत अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण हेतु कई उपाय किए गए हैं। मार्च, 2017 तथा सितम्बर, 2017 को समाप्त अवधि हेतु विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के लिए अर्ध वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इसके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की

गई थी। इन रिपोर्टों का कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था।

कंपनी परियोजना के निर्माण के दौरान क्रियान्वित प्रबंधन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए निर्माण पश्च पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययनों का भी आयोजन करती है।

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा विकास

आपकी कंपनी सौर तथा पवन विद्युत परियोजनाओं जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को तलाशने के लिए अपने क्रियाकलापों का विविधीकरण कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

(iii) विदेशी मुद्रा बचत :

आपकी कंपनी भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" नीति को बढ़ावा देने के लिए बोली प्रक्रिया में स्थानीय फर्मों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है। स्थानीय फर्मों की प्रतिभागिता मोटे तौर पर भारतीय उद्योग की वृद्धि के साथ विदेशी मुद्रा बचत में सहायता करेगा। बोली की शर्तों में एमएसई की प्रतिभागिता के लिए कुछ लाभों के प्रावधान को शामिल किया गया है।

(iv) प्रौद्योगिकी आत्मसात किया जाना :

प्रौद्योगिकी आत्मसात किए जाने के संबंध में जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध में दी गई है।

10. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

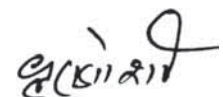
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है।

11. सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित विचार और आशाजनक वक्तव्य युक्तिसंगत मान्यताओं पर आधारित हैं और कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं की वजह से वास्तविक परिणाम ऊपर बतायी गयी बातों से भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को इस रिपोर्ट तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी जाने वाली अन्य सूचनाओं की भी सावधानी से समीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है। कंपनी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप या किसी और वजह से प्राप्त हुई नई सूचनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से इन आशाजनक वक्तव्यों को अद्यतन करने या इन में संशोधन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती।

वित्तीय आंकड़े कंपनी के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से



(बलराज जोशी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या 07449990

तारीख : 6 अगस्त, 2018

स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध - IV

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत कम्पनी (लेख) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाने वाला अपेक्षित प्रकटीकरण

क. ऊर्जा का संरक्षण
(1) ऊर्जा संरक्षण अथवा उस पर प्रभाव हेतु किए गए उपाय

- जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि जैसे विद्युत उपकरणों की दक्षता का आकलन करने और ऊर्जा बचत उपायों की सिफारिश करने के लिए विगत में 18 पावर स्टेशनों की ऊर्जा जांच की गई है। जांच की सिफारिशों के आधार पर 9.72 एमयू प्रतिवर्ष की ऊर्जा बचत प्राप्त की गई है। आगे की ऊर्जा जांच वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु सलाल तथा टीएलडीपी-IV पावर स्टेशनों पर की गई थी।
- एनएचपीसी ने अपने सभी कार्य केन्द्रों पर ऊर्जा दक्ष एलईडी प्रकाश समाधानों के कार्यान्वयन हेतु मैसर्स एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- कारपोरेट कार्यालय के चरण-1 कार्यालय भवन (ज्योति सदन) की परंपरागत प्रकाश फिटिंग्स को ऊर्जा दक्ष एलईडी प्रकाश फिटिंग के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।
- पावर स्टेशनों पर कूलिंग वाटर पम्प की मोटरों में एसी परिवर्तनशील फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगाए गए हैं।

(2) कम्पनी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम

आपकी कंपनी ने अपने विभिन्न स्थलों पर रूफ टॉप/भूमि पर लगे हुए सौर विद्युत पैनलों को स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न स्थानों पर 700 केडब्ल्यूपी क्षमता के सौर पैनल लगाए गए थे और 534.7 केडब्ल्यूपी क्षमता के सौर पैनलों के स्थापन हेतु कार्य दिए गए थे। उक्त के अतिरिक्त, एनएचपीसी आवासीय परिसर, फरीदाबाद की भवनों की छतों पर 1000 केडब्ल्यूपी ग्रिड समक्रमित सौर विद्युत संयंत्र का स्थापन प्रक्रियाधीन है।

(3) ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजीगत निवेश

कोई नहीं।

ख. प्रौद्योगिकी आत्मसात करना
(1) टेक्नोलॉजी आत्मसात किए जाने की ओर किए गए प्रयास

- एनएचपीसी मैसर्स नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद के माध्यम से तीस्ता-IV जलविद्युत परियोजना हेतु सुदूर संवेदन आधार अवसाद अध्ययनों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। इस अध्ययन को भू-वैज्ञानिक मानदण्डों, भूमि उपयोग, मिट्टी तथा स्थलाकृति के संबंध में बहु-टैम्पोरल उपग्रह डाटा का उपयोग करके स्थानिक परतों को निकालने और तीस्ता-IV जलविद्युत परियोजना कैचमेंट क्षेत्र में अवसाद भार का आकलन करने के लिए किया जा रहा है। अध्ययन जनवरी 2017 में प्रारंभ हुआ और इसके दिसम्बर, 2020 में पूरा होने का कार्यक्रम है।
- सलाल पावर स्टेशन, जम्मू एवं कश्मीर की तीन यूनिटों (वर्ष 2017-18 के दौरान दो यूनिटों और वर्ष 2016-17 के दौरान एक यूनिट) में संशोधित रनर स्थापित किए गए हैं। शेष तीन यूनिटों में रनर वर्ष 2018-19 में स्थापित किए जाने की योजना है।
- धौलीगंगा पावर स्टेशन (280 मेगावाट), उत्तराखंड की विद्युत प्रणाली स्टेबिलाइजर (पीएसएस) टयूनिंग।
- सलाल पावर स्टेशन (690 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर में स्काडा प्रणाली के स्थापन और दुलहस्ती पावर स्टेशन (390 मेगावाट) जम्मू एवं कश्मीर में विद्यमान स्काडा प्रणाली के उन्नयन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
- आपकी कंपनी सुदूर प्रचालित वाहन के माध्यम से लम्बी सुरंग के जल के भीतर के निरीक्षण हेतु संभावनाओं को भी तलाश रही है।
- एनएचपीसी मैसर्स नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल्स (एनसीसीबीएम), हरियाणा के माध्यम से पुराने कंक्रीट के साथ उच्च निष्पादन वाले कंक्रीट को मिलाने पर अध्ययन कर रहा है।

(2) प्राप्त किए गए लाभ जैसे कि उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन

- सलाल पावर स्टेशन, जम्मू एवं कश्मीर की सभी यूनिटों में नए संशोधित रनर का स्थापन यूनिटों (115 मेगावाट)/पावर स्टेशन (690 मेगावाट) की मूल स्थापित क्षमता को बहाल करेगा और टरबाइन दक्षता में वृद्धि करेगा।
- स्काडा का स्थापन पावर स्टेशनों के दक्ष प्रचालन में सहायक होगा।

चूंकि प्रौद्योगिकी आत्मसात किए जाने के प्रति अन्य सभी प्रयास प्रारंभिक चरणों में हैं, लाभ अध्ययनों के पूर्ण होने और वास्तविक कार्यान्वयन के पश्चात प्राप्त होने के संभावना है।

(3) वर्तमान वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे

कोई नहीं।

(4) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय :-

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय 5.70 करोड़ रुपए है, जिसमें स्थापना व्ययों के प्रति वहन की गई 5.64 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

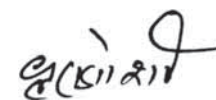
ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
क.*	सीआईएफ के आधार पर परिगणित आयात का मूल्य :		
	i) पूंजीगत सामान	5.50	26.43
ख.*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	22.55	26.27
	ii) अन्य विविध मामले	60.85	76.05
ग.*	प्रचालन इकाइयों में काम में लाए गए हिस्से-पुर्जों और घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) स्वदेशी	24.59	25.27
घ.*	विदेशी मुद्रा में आय		
	i) अन्य	-	-

* प्रोदभवन आधार

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से



(बलराज जोशी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या 07449990

तारीख : 6 अगस्त, 2018

स्थान : फरीदाबाद

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खण्ड क: कम्पनी के बारे में सामान्य जानकारी

- कम्पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**
एल40101एचआर1975 जीओआई 032564
- कम्पनी का नाम**
एनएचपीसी लिमिटेड
- पंजीकृत पता**
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 (भारत)
- वेबसाइट**
www.nhpcindia.com
- ईमेल आईडी**
brr@nhpc.nic.in
- रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष**
2017-18
- क्षेत्र, जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार)**

समूह	वर्ग	उपवर्ग	विवरण
351	3510	35101	जलविद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन
*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंतर्गत वर्गीकरण के अनुसार			

- तीन महत्वपूर्ण उत्पाद/सेवाएं, जिनका कम्पनी निर्माण करती है/प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार)**
 - ऊर्जा (जलविद्युत, पवन विद्युत और सौर ऊर्जा)
 - परामर्शी सेवाएं
- उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कम्पनी व्यवसायिक कार्यकलाप करती है**

9.1 अन्तरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 प्रमुख स्थानों का ब्यौरा दें)

एनएचपीसी की भूतान में व्यापार मौजूदगी है जहां यह नामांकन आधार पर मांगदेच्छु जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (एमएचपीए) को मांगदेच्छु जलविद्युत परियोजना (720 मेगावाट) की अभियांत्रिकी तथा डिजाइन हेतु परामर्शी सेवाएं मुहैया करवा रही है। भूतान में चमखरचू-1 जलविद्युत परियोजना (770 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को जलविद्युत एवं विद्युत प्रणाली विभाग, शाही भूतान सरकार हेतु एक परामर्शी कार्य के रूप में तैयार किया गया था। साही भूतान सरकार और भारत सरकार के मध्य 22.4.2014 को हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी समझौते के अनुसार परियोजना को एनएचपीसी और ड्रक ग्रीनपावर कारपोरेशन लिमिटेड (डीजीपीसी) (भूतान सरकार का पीएसयू) के मध्य एक संयुक्त उद्यम के रूप में समान शेयरधारिता के साथ निष्पादित किया जाना है। संयुक्त उद्यम के गठन हेतु विचार-विमर्श जारी है।

9.2 राष्ट्रीय स्थलों की संख्या

हमारे समूचे देश में 9 राज्यों में 22 पावर स्टेशन और 2 निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं।

राज्य	स्थल	
	प्रचालनाधीन	निर्माणाधीन
जम्मू एवं कश्मीर	बारामूला(2), कटुआ, कारगिल, लेह, रियासी, किश्तवार, बांदीपोरा *	-
हिमाचल प्रदेश	चम्बा (4) और कुल्लू	कुल्लू
उत्तराखण्ड	चम्पावत, पिथौरागढ़	-
पश्चिम बंगाल	दाजर्लिंग (2)	-
अरुणाचल प्रदेश		लोअर सुबानसिरी/दीमाजी (असम)
सिक्किम	पूर्वी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम	-
मणिपुर	बिशनपुर	-
राजस्थान	जैसलमेर	-
तमिलनाडु	डिंडीगुल	-

* किशनगंगा जलविद्युत परियोजना की सभी 3 यूनिटें 31 मार्च, 2018 तक चालू कर ली गई हैं।

10. कम्पनी द्वारा सेवित बाजार- स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय

निम्न वर्णित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न राष्ट्रीय लाभग्रहियों/डिस्कॉम को विद्युत बेची जाती है।

जम्मू एवं कश्मीर	राजस्थान	सिक्किम
हिमाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश	मणिपुर
पंजाब	बिहार	मिजोरम
चण्डीगढ़	ओडीशा	त्रिपुरा
उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	नागालैण्ड
हरियाणा	असम	झारखण्ड
दिल्ली	अरुणाचल प्रदेश	तमिलनाडु

उक्त के अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय की महाकाली संधि के अंतर्गत टनकपुर पावर स्टेशन से नेपाल को 14 मेगावाट विद्युत दी जाती है।

खण्ड ख : कम्पनी का वित्तीय ब्यौरा

- प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपए में)**
10259.32 करोड़ रुपए (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)
- कुल कारोबार (भारतीय रुपए में)**
6934.03 करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान)
- कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपए में)**
2758.65 करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान)
- कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल व्यय**

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर एनएचपीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किया गया कुल व्यय 3854.71 लाख रुपए है जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 1.45 प्रतिशत है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार)।

5. उन कार्यकलापों की सूची, जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है।
- शिक्षा और कौशल विकास
 - स्वास्थ्य देखरेख, पेय जल और स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान सहित)
 - ग्रामीण विकास
 - पर्यावरण
 - महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक
 - क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति तथा अन्य पहलें

खण्ड ग : अन्य ब्यौरा

1. क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां है ?
जी, हां। 31 मार्च, 2018 को एनएचपीसी लिमिटेड की चार सहायक कम्पनियां हैं, नामतः
- एचएचडीसी लिमिटेड
 - लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
 - बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
 - चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2. क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनी(यों) की संख्या बतायें ?
नहीं, सहायक कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेती हैं।
3. क्या कोई अन्य निकाय/निकायों (उदाहरणार्थ, आपूर्तिकर्त्ताओं वितरकों आदि) के साथ कम्पनी व्यवसाय करती है, कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसे
2. सिद्धान्तवार (एनवीजी के अनुसार) व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियां

निकाय/निकायों की संख्या बताएं ? [30% से कम, 30-60% 60% से अधिक;]

कोई भी निकाय, जो कम्पनी के साथ व्यवसाय करते हैं, कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेते हैं।

खण्ड घ : व्यावसायिक उत्तरदायित्व सूचना

1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा
- 1-1 व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा
- डीआईएन नम्बर : 02889021
 - नाम : श्री महेश कुमार मित्तल
 - पदनाम : निदेशक (वित्त)
- 1.2. व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रमुख का ब्यौरा
- डीआईएन नम्बर : लागू नहीं
 - नाम : श्री ए.के.मिश्रा
 - पदनाम : कार्यपालक निदेशक (आयोजना)
 - दूरभाष : 0129-2271425
 - ईमेल आइडी : arunkmishra@nhpc.nic.in

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास के लिए नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबंधित हित धारकों के साथ परामर्श करके नीतियां बनाई जाती हैं ?	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होते हैं ? यदि हां, तो स्पष्ट करें ? (नीतियां आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएसएस 18001 जैसे अन्तरराष्ट्रीय मानकों की भावना के अनुरूप के अलावा, एनवीजी दिशानिर्देशों पर आधारित होती है)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
4	क्या बोर्ड द्वारा यह नीति अनुमोदित की गई है ? यदि हां, तो एमडी/सामित्व/सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या कम्पनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशकों/अधिकारियों की एक निर्दिष्ट समिति होती है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	ऑन-लाइन देखने के लिए नीति हेतु लिंक दर्शाएं ?	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां
7	क्या नीति को सम्बद्ध आन्तरिक और बाह्य हितधारकों को संप्रेषित किया जाता है ?	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
8	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आन्तरिक ढांचा है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों से सम्बद्ध हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए नीति/नीतियों से सम्बद्ध कोई शिकायत निवारण तन्त्र है ?	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
10	क्या कम्पनी ने आन्तरिक/बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्याकरण का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है ?	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां

*सीएसआर और धारणीय विकास नीति : www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/CSR-Sustainability-23062017.pdf पर उपलब्ध है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति www.nhpcindia.com/r-and-r-initiative.htm पर उपलब्ध है। धोखाधड़ी रोकने संबंधी नीति : www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/NHPCFraudPrevention-Detectionpolicy-may16.pdf पर उपलब्ध है। व्हिसल ब्लोवर नीति www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/wbp.pdf पर उपलब्ध है। व्यापार व्यवहार प्रतिबंधित करने संबंधी नीति : www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Guidelines-BanningofBusinessDealings-Revised.pdf पर उपलब्ध है। कारपोरेट अभिशासन अनुपालन : www.nhpcindia.com/corporate-governance.htm पर उपलब्ध है। सत्यनिष्ठा समझौता http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/ip_ip_program.pdf पर उपलब्ध है। एकीकृत प्रबंधन प्रणाली

प्रमाणपत्र : www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/9001-2015.pdf; www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/14001-2015.pdf; www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/18001-2007.pdf पर उपलब्ध है। व्यवसाय आचरण संहिता तथा आचार और एनएचपीसी आचार, अनुशासन तथा अपील नियम कम्पनी के इंटरनेट पर उपलब्ध है।

2क. यदि किसी सिद्धान्त पर क्रम संख्या 1 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों है

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कम्पनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2	ऐसा कोई भी चरण नहीं है, जहां कम्पनी स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों पर नीतियां बनाने तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति में पाती हो।									
3	कम्पनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति के संसाधन नहीं है।									
4	अगले 6 महीने के भीतर ऐसा करने की योजना है									
5	अगले 1 वर्ष में भीतर ऐसा करने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. व्यावसायिक उत्तरदायित्व से सम्बद्ध शासन

- निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कितने अन्तराल के बाद कम्पनी के व्यावसायिक कार्य निष्पादन का आकलन करना होता है।
कम्पनी के व्यावसायिक कार्य-निष्पादन का आकलन वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रतिवर्ष किया जायेगा।
- क्या कम्पनी व्यावसायिक उत्तरदायित्व या प्रतिधारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है। यह कितने समय बाद प्रकाशित की जाती है ?
यह छठी व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट है। पिछले वर्ष की भांति आगे से यह प्रतिवर्ष प्रकाशित की जायेगी और वार्षिक प्रतिवेदन का भाग होगी। इस रिपोर्ट को www.nhpcindia.com/NHPC-annual-reports.htm पर देखा जा सकता है।

खण्ड ड : सिद्धान्त-वार कार्यनिष्पादन

सिद्धान्त 1

- क्या आचार, रिश्तखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कम्पनी को ही कवर करती हैं ? हां/नहीं, क्या इसे समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू किया जाता है ?

कम्पनी कार्पोरेट शासन को अच्छे प्रबंधन का अटूट हिस्सा मानती है। कम्पनी का व्यावसायिक आचरण क्या आचार संहिता है जो इसके बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों पर लागू होती है। इसके अलावा, कम्पनी के पास या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी संबंधी नीति है। व्हिसल ब्लोवर नीति भी अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने 1 करोड़ या इससे अधिक के मूल्य के सभी प्रापण कार्यों, 7 लाख रुपए या उससे अधिक के मूल्य की वस्तुओं के प्रापण और 15 लाख या इससे अधिक मूल्य की सेवाओं के प्रापण के लिए सत्यनिष्ठा नीति कार्यान्वित की है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के पास अनैतिक व्यवहार की स्थिति में बोलीदाताओं (अर्थात् समूह, संयुक्त उद्यम, आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार) के साथ व्यावसायिक लेन-देन बन्द करने के लिए नीति तथा प्रक्रिया भी है।

- विगत वित्तीय वर्ष में हित धारकों से कितनी शिकायतें मिली तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया ?

हमें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कार्पोरेट शासन मानकों तथा व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कुछ हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं :

विवरण	1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2017-18 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च, 2018 को लंबित
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	15	15	0
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	0	3462	3462	0
सेबी शिकायतें	1	21	22	0
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	0	9	9	0
उपभोक्ता फोरम/ अदालती मामले	3	0	1	2
अधिवक्ता के नोटिस	0	0	0	0
कुल	4	3507	3509	2

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2017-18 में अपनी व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संविदाकार/आपूर्तिकार के संबंध में बोलीदाताओं के साथ व्यापार व्यवहार प्रतिबंधित करने हेतु दिशा-निर्देशों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध गलतबयानी के 6 मामले पाए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :

- 1) मैसर्स वाइडप्रिंट सिस्टम एण्ड सोल्यूशन को 25 अप्रैल, 2017 से एनएचपीसी कारपोरेट कार्यालय के साथ व्यापार व्यवहार हेतु तीन वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
- 2) मैसर्स मिथिला मैलिएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम हरबंसपुर सरहिंद (पंजाब) को 29 जून 2017 से एनएचपीसी लिमिटेड के साथ व्यापार व्यवहार हेतु 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
- 3) मैसर्स सी डी वैक्यूम इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पुणे को 31 जुलाई 2017 से एनएचपीसी कारपोरेट कार्यालय के साथ व्यापार व्यवहार हेतु प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रतिबंध को

15 अप्रैल 2018 तक के लिए बढ़ाया गया है।

- 4) मैसर्स प्रिन्ट्रेड इश्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई को 17 नवम्बर, 2017 से एनएचपीसी कारपोरेट कार्यालय के साथ व्यापार व्यवहार हेतु तीन वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
- 5) मैसर्स इलेक्ट्रोमैकेनिकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को 25 सितम्बर, 2017 से एनएचपीसी कारपोरेट कार्यालय के साथ व्यापार व्यवहार हेतु तीन वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
- 6) मैसर्स एग्रो आटो ग्रिंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद को 19 दिसम्बर, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के साथ 6 माह के लिए व्यापार व्यवहार को निलंबित किया गया था और बाद में 3 अप्रैल, 2018 को समूचे एनएचपीसी लिमिटेड में व्यापार व्यवहार हेतु तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

बाण्डधारकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है :

विवरण	1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2017-18 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च, 2018 को लंबित
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	0	0	0
टीडीएस प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना	0	1	1	0
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त न होना	0	0	0	0
ब्याज वारंट प्राप्त न होना	0	38	38	0
बॉण्ड/ प्रतिभूति प्राप्त न होना	0	19	19	0
कुल	0	58	58	0

सिद्धान्त 2

1. अपने तीन उत्पादों या सेवाओं को बताएं जिनके डिजाइन से सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताएं, खतरे और/अवसर पैदा हुए हैं।

जलविद्युत उत्पादन।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति यूनिट के (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री इत्यादि) संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्योरा दें।

जल के गैर उपभोग उपयोग द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन होता है इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जलविद्युत अक्षय ऊर्जा का स्रोत है।

3. क्या कम्पनी के पास सतत स्रोत (वाहन स्रोत सहित) की प्रक्रिया है ? यदि हां, तो आपके आदानों का कितना प्रतिशत सतत रूप से स्रोत किया गया ? लगभग 50 या इसके आस-पास के शब्दों में ब्योरा भी प्रस्तुत करें।

कम्पनी अपने विक्रेताओं के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने पर बल देती है और उन्हें अपनी वृद्धि की गाथा में शामिल करती है। कम्पनी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन के लिए एजेंसियों का चयन करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) का अनुपालन करती है। तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों की आईसीबी प्रक्रियाओं, सीवीसी दिशानिर्देशों तथा सुरक्षित कार्य दशाओं, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन, पर्यावरणीय नीतियों इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य विक्रेता व्यवहारों की जांच की जाती है। कम्पनी के अधिकारी पारदर्शी तरीके से सभी एजेंसियों/एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ नियमित आधार पर परामर्श करते हैं।

तथापि, कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं से लिए गए कुल आदानों के प्रतिशत का पता लगाना कठिन है।

4. क्या कम्पनी ने अपने कार्यस्थल के आस-पास समुदायों सहित स्थानीय तथा लघु उत्पादकों से माल और सेवाओं की अधि प्राप्ति के लिए कोई कदम उठाए हैं ? यदि हां, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जलविद्युत उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में ऐसे जल का उपयोग होता है जो पीने योग्य न हो। किन्तु वाहन किराये पर लेने, सामग्री की हैंडलिंग, हाउसकीपिंग, अपशिष्ट हैंडलिंग तथा बागवानी के लिए परियोजना के आस-पास स्थानीय लोगों के साथ अनुबंध किए गए हैं। इन अनुबंधों से परियोजना स्थल के आस-पास उद्यम विकास हुआ है और स्थानीय जनता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। कार्यों, सेवाओं तथा वस्तुओं की खरीद में बोली लगाने तथा कार्य को दिए जाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अधिमानी प्रावधान भी मौजूद हैं।

5. क्या कम्पनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का तन्त्र उपलब्ध है ? यदि हां, तो उत्पादों तथा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत कितना है (अलग-अलग <5%, 5-10%, >10%)

जलविद्युत उत्पादन से कोई अपशिष्ट नहीं निकलता है और उपभोग वाले पानी द्वारा उत्पादित जलविद्युत संयंत्रों का उत्पाद बिजली है। इसके अलावा, परियोजनाओं हेतु सुरक्षित तथा टिकाऊ ढांचों के लिए सुदृढ़ और ईष्टतम डिजाइन से संबंधित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा है।

सिद्धान्त 3

- कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।
31 मार्च, 2018 को कर्मचारियों की कुल संख्या 7351 है।
- कृपया अस्थाई/संविदात्मक/नैमित्तिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।
एनएचपीसी प्रत्यक्ष रूप से संविदा पर कर्मचारियों को नियोजित नहीं करता है।
- कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या बतायें।
31 मार्च, 2018 को स्थाई महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 767 है।
- कृपया स्थाई निःशक्त कर्मचारियों की संख्या बतायें।
31 मार्च, 2018 को स्थायी निःशक्त कर्मचारियों की कुल संख्या 127 है।
- क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है ?
कारपोरेट से किसी एसोसिएशन या संघ को औपचारिक रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
- स्थाई कर्मचारी का कितना प्रतिशत आपके इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं ?
लागू नहीं।
- कृपया यह बतायें कि वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें कीं और वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी शिकायतें लंबित थीं ?

वर्ष 2017-18 में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम से संबंधित शिकायतों तथा 2017-18 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई भी शिकायत न तो प्राप्त हुई और न लम्बित है।
2017-18 में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2017-18 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या	दर्ज शिकायत : 2 1 का निपटारा किया गया और 1 लंबित है (जांच के अधीन)।
2017-18 में विभेदकारी रोजगार से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2017-18 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

- निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को विगत वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया ?
25 कर्मचारियों ने कारपोरेट कार्यालय में आयोजित सुरक्षा प्रशिक्षण में भाग लिया और वर्ष 2017-18 के दौरान एनएचपीसी में 99 कर्मचारियों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं।

सिद्धान्त 4

- क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक और बाह्य हितधारकों का चित्रण किया है ? हां/नहीं।
हां, हमने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हितधारकों सहित आंतरिक और बाह्य हितधारकों का चित्रण तथा पहचान की है। हमारे हितधारकों में कर्मचारी, ग्राहक, स्थानीय, समुदाय, आपूर्तिकर्ता एवं संविदाकार, निवेशक और शेयर होल्डर, सरकार तथा विनियामक और समकक्ष व्यक्ति तथा उद्योग पारिस्थितिकी प्रणाली शामिल हैं।
- उपरोक्त में से क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हित धारकों की पहचान की है ?
हमारे वंचित तथा सुभेद्य हितधारकों में निःशक्त कर्मचारी, लड़कियां/महिलाएं, अजा/अजजा समुदाय और ग्रामीण/परियोजनाओं के आस-पास परियोजना विस्थापित समुदाय शामिल हैं।
- क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हित धारकों से सम्पर्क करने के लिए कोई विशेष पहल की है ? यदि हां, तो लगभग 50 या इसके आस-पास के शब्दों में इसका ब्यौरा दें ?
 - निःशक्त कर्मचारी: कम्पनी का प्रयास एनएचपीसी को ऐसा कार्यस्थल बनाने का प्रयास है जो निःशक्त कर्मचारियों और विशेष आवश्यकता वाले कर्मचारियों के अनुकूल हो। इसका उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई प्रतियोगिताओं, मंचों तथा प्रशिक्षा के अध्ययन से उनमें आत्म विश्वास जगाना है।
 - बालिका/महिला और अजा/अजजा समुदाय : कम्पनी परियोजनाओं के स्थल के आस-पास के क्षेत्रों में शिक्षा के लिए अजा/अजजा और छात्राओं को छात्रवृत्ति देती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रम चलाती है।

सिद्धान्त 5

- क्या मानवाधिकारों पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी पर ही लागू होती है या यह नीति समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है ?
कम्पनी एसए 8000 मानकों की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप सामाजिक और नैतिक रूप से जिम्मेवार तरीके से व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में "एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियम" केवल कर्मचारियों पर लागू होते हैं, हालांकि हम अपने हित धारकों से आशा करते हैं कि वे इसमें अंतर्निहित मानकों का पालन करेंगे तथा उन्हें बनाए रखेंगे। एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियम" किसी कर्मचारी के अधिकार या विशेषाधिकार के तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन बनाए गए नियम से, या सेवा की शर्तों और निबंधनों द्वारा या ऐसे व्यक्ति या कम्पनी के बीच हुए किसी समझौते से संरक्षण के लिए है।
- गत वित्तीय वर्ष में हित धारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से निवारण किया गया ?

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार हैं :

1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2017-18 के दौरान समाधान	31 मार्च, 2018 को अंतिम शेष
01	20	18	03

विद्युत मंत्रालय के साथ संयोजित "केन्द्रीयकृत लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली" के अनुसार लोक शिकायत की संख्या इस प्रकार है :

1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2017-18 के दौरान समाधान	31 मार्च, 2018 को अंतिम शेष
12	134	137	09

सिद्धान्त 6

1. क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति कम्पनी पर ही लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है ?

एनएचपीसी के पास समन्वित प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र है जो अपने कार्पोरेट कार्यालय तथा परियोजनाओं/बिजली घरों के लिए गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन प्रणाली को कवर करता है।

2. क्या कम्पनी के पास जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीतियाँ/पहलें हैं ? हां/नहीं। यदि हां, तो कृपया वेबपृष्ठ इत्यादि के लिए हाइपरलिंक प्रदान करें।

हां, कम्पनी जलविद्युत उत्पादन का कार्य करती है, जोकि स्वच्छ बिजली है तथा विद्युत उत्पादन के अन्य पारम्परिक पद्धतियों की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों को कम करती है। यह जहां कहीं ऊर्जा की कमी हो तथा अधिकतम मांग को पूरा करना उसके लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ाती है।

इसके अलावा, एनएचपीसी समन्वित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) प्रमाणीकृत कम्पनी है, जो अन्तरराष्ट्रीय मानकों आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) तथा ओएचएसएस 18001:2007 (व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा आकलन श्रृंखला) की आवश्यकताओं को पूरा करती है। आईएमएस प्रमाणीकरण पर्यावरण अनुकूल तरीके के विकास हेतु किये जाने वाले प्रयासों के लिए सचमुच में अन्तरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को परिलक्षित करता है। एनएचपीसी ने अपनी स्वयं की कार्पोरेट पर्यावरण नीति (सीईपी) भी बनाई है जिसका उद्देश्य ऊर्जा के परम्परागत तथा गैर-परम्परागत स्रोतों के सतत विकास हेतु पर्यावरणीय तथा सामाजिक चिन्ताओं पर ध्यान देना है। अनुमोदित पर्यावरण योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त स्वैच्छिक पहलों के अंतर्गत विभिन्न पर्यावरणीय संरक्षण तथा बचाव उपाय भी किए जाते हैं जिसमें स्वैच्छिक वनीकरण, अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण शामिल हैं। सीईपी के अंतर्गत परियोजनाओं/पावर स्टेशनों पर पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं तथा स्वैच्छिक पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।

पर्यावरण प्रबंध के क्षेत्र में एनएचपीसी के लिए ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) जल ग्रहण क्षेत्र सुधार (सीएटी)
- (ii) प्रतिपूरक वन रोपण/स्वैच्छिक वन रोपण
- (iii) हरित पट्टी विकास व लैंडस्केपिंग
- (iv) जलाशय रिम शोधन
- (v) मक डम्पिंग और खान स्थलों को पुनर्जीवित करना
- (vi) जैव विविधता संरक्षण
- (vii) मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन
- (viii) निर्माण उपरान्त प्रभाव मूल्यांकन

इन प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा www.nhpcindia.com/key-areas.htm पर उपलब्ध है।

3. क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय खतरों की पहचान और उनका आकलन करती है ? हां/नहीं।

हां, एनएचपीसी जलविद्युत के सतत उत्पादन के प्रति प्रतिबद्ध है। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन पर्यावरण पर संभावित प्रभाव (सकारात्मक और नकारात्मक) की पहचान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के निष्कर्षों पर आधारित, पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का प्रस्ताव किया जाता है और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए परियोजना निर्माण के दौरान उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

4. क्या कम्पनी के पास स्वच्छ विकास तन्त्र से सम्बद्ध कोई परियोजना है ? यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालना रिपोर्ट दाखिल की गई है ?

जी, हां। मार्च, 2009 के दौरान जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) की स्वच्छ विकास तन्त्र कार्यकारी बोर्ड द्वारा एसीएम0002 पद्धति : नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन हेतु समेकित प्रक्रियाविधि के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित निम्नो बाजगो और चुटक नामक दो जलविद्युत परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं। अभी तक ये परियोजनाएं नार्दर्न ग्रिड से जोड़ी नहीं गई है, जैसा कि मूल रूप से प्रस्ताव था, और क्षेत्र में स्थानीय रूप से बिजली की आपूर्ति कर रही है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप परियोजनाओं को अब एसीएम0002 की प्रयोजनीयता शर्तों के अनुरूप नहीं होना होगा और वे यूएनएफसीसीसी के विद्यमान पंजीकरण के अंतर्गत कोई सीईआर उत्पन्न नहीं करेंगी। तथापि, परामर्शदाता ने यह निष्कर्ष निकाला है कि परियोजना की पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को विद्यमान पंजीकरण के अंतर्गत प्रारंभ किया जा सकता है। तदनुसार कार्य के स्कोप में संशोधन और भुगतान खंड हेतु परिवर्तन आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है।

5. क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के संबंध में कोई अन्य पहलें की हैं। हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि लिए हाइपरलिंक दें।

जलविद्युत उत्पादन स्वयं में एक नवीकरणीय ऊर्जा पहल है। तथापि, कंपनी ने पवन और सौर विद्युत में अतिरिक्त पहलें की हैं। राजस्थान और तमिलनाडु में क्रमशः एक 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना और एक 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना चालू की गई है। केरल में एक अन्य 8 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना निविदा चरण में है।

6. सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कम्पनी द्वारा उत्सर्जन/निकले अपशिष्ट को वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है ?

हां, जलविद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के दौरान ठोस अपशिष्ट, तरल बहिस्त्राव या गैसों का उत्सर्जन नहीं हुआ, इसके अलावा, जलविद्युत उत्पादन के समय पानी में कोई सन्दूषण नहीं हुआ। तथापि, विद्युत उत्पादन के बाद, नदी जल की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के आकलन के लिए नदी जल की गुणवत्ता का निरन्तर विश्लेषण सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर होने के लिए किया जा रहा है।

7. सीपीसीबी/एसपीसीबी से वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त हुए, जो लम्बित हैं (अर्थात् जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया)

वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर ऐसे कोई नोटिस लम्बित नहीं थे। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना, तीस्ता-4 और दिबांग के संबंध में तीन अपीलें एनजीटी के समक्ष लम्बित हैं।

सिद्धान्त 7

1. क्या आपकी कम्पनी किसी व्यापार, मंडल या एसोसिएशन की सदस्य है ? यदि हां, तो केवल उन बड़ों का नाम बताएं जो आपके साथ व्यवसाय करते हैं।

एनएचपीसी लोक उद्यम के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) का सदस्य है। स्कोप का मूल उद्देश्य "सरकारी क्षेत्र के व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान के बारे में जनता की बेहतर समझदारी" को बढ़ाना है।

2. क्या आपने उन्नति या जनता की बेहतरी की वकालत की है/उपरोक्त एसोसिएशनों के माध्यम से लॉबींग की है ? हां/नहीं, यदि हां, तो विस्तृत क्षेत्रों को स्पष्ट करें (ड्राप बाक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धान्त, अन्य)

हम जनता की बेहतरी के लिए शासन व प्रशासन का दृढ़ता से समर्थन करते हैं।

सिद्धान्त 8

1. क्या कम्पनी के पास सिद्धान्त 8 से सम्बद्ध नीति को आगे बढ़ाने में कोई कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं ? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।

जी, हाँ। एनएचपीसी स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरणीय धारणीयता, महिला सशक्तिकरण आदि के क्षेत्रों में अपने ढांचाबद्ध सीएसआर प्रयासों तथा परियोजनाओं के माध्यम से सतत रूप से अपने निकटवर्ती समुदायों तथा व्यापक तौर पर समाज के धारणीय विकास हेतु प्रयासरत है और इसके द्वारा ऐसा विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम तथा मणिपुर जैसे राज्यों के सुदूर क्षेत्रों में किया जा रहा है।

ये कार्यक्रम स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, पर्यावरणीय प्रबंधन और सीमांत तथा वंचित तबकों/समुदायों के सशक्तिकरण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आन्तरिक दल/अपने प्रतिस्थान/बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी संस्थाओं/या अन्य संगठनों के माध्यम से चलाये जाते हैं ?

कम्पनी की अधिकांश सीएसआर परियोजनाएं आन्तरिक दलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं और कुछ कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों/सरकारी संस्थाओं की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाते हैं।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है ?

प्रभाव आकलन एक दीर्घावधि क्रिया है। एनएचपीसी की सीएसआर नीति में यह उल्लेख किया गया है कि बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रभाव आकलन अध्ययन दीर्घावधि योजनाओं/परियोजनाओं की पूर्णता के पश्चात और अन्य योजनाओं हेतु जहां-कहीं संभव हो किए जाएंगे।

यह बताया जाता है कि सुबानसिरी लोअर परियोजना द्वारा प्रमुख सीएसआर क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। सीएसआर पहलों के प्रभाव आकलन हेतु सुबानसिरी लोअर परियोजना और ओमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट आफ सोशल चेंज एण्ड डेवलपमेंट (ओकेडीआईएससीडी), गुवाहाटी, असम के मध्य 26 अप्रैल, 2017 को असम तथा अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए सुबानसिरी लोअर की सभी परियोजनाओं के मूल्यांकन/प्रभाव आकलन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सुबानसिरी लोअर परियोजना द्वारा वर्ष 2014-2016 के दौरान किए गए स्वच्छ विद्यालय हस्तक्षेप का मूल्यांकन ओकेडीआईएससीडी के माध्यम से किया गया था।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपके कम्पनी का प्रत्यक्ष अंशदान कितना है - धनराशि भारतीय रुपए में और शुरु की गई परियोजनाओं का ब्यौरा ?

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर कुल अंशदान 3854.71 लाख रुपए थी। ब्यौरा निम्नवत है -

परियोजना	वर्ष 2017-18 के लिए धनराशि (भारतीय रुपए)
शिक्षा और कौशल विकास	590.39 लाख
स्वास्थ्य देखरेख, पेय जल और स्वच्छता	2170.10 लाख
ग्रामीण विकास	373.25 लाख
पर्यावरण और धारणीयता	151.30 लाख
महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.97 लाख
सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला एवं संस्कृति और अन्य पहलें	568.70 लाख
कुल व्यय	3854.71 लाख

वर्ष के दौरान की गई विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. शिक्षा और कौशल विकास

- क) एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल अहर्ता ढांचा) के अनुरूप कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ख) कोलापटुकर, दुलांगमुख (अरुणाचल प्रदेश) में विवेकानन्द केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण।
- ग) देश के विभिन्न भागों में आईटीआई/स्कूलों का सुधार/उन्नयन।
- घ) स्कूल भवनों तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण और उन्नयन तथा स्कूलों में आधारभूत ढांचा मुहैया करवाना।
- ङ) उच्चतर शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

2. स्वास्थ्य देख-रेख

- क) असम में गांवों में आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए चिकित्सा सुविधाओं, दक्ष चिकित्सकों और चिकित्सा अटेंडेंट से सुसज्जित चल चिकित्सा यूनिटों का नियोजन।
- ख) परियोजनाओं/पावर स्टेशन के आस-पास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चिकित्सा शिविरों, मोतियाबिंद सर्जरी शिविरों और टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क दवाओं का वितरण।
- ग) भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों को इमदाद तथा सहायक उपकरण मुहैया करवाना।
- घ) सरकारी अस्पतालों, प्रसूति केन्द्रों के उन्नयन के माध्यम से समुदायों की समग्र स्वास्थ्य स्थितियों के सुधार हेतु सहायता प्रदान करना।
- ङ) सरकारी अस्पतालों को एम्बूलेंस, चिकित्सा उपकरण और अन्य आधारभूत ढांचा सुविधाएं मुहैया करवाना।
- च) बोरवेल के साथ स्वच्छ पेयजल सुविधाएं, सार्वजनिक क्षेत्रों में फिल्ट्रेशन, सामुदायिक केन्द्र आदि।
- छ) आरओ संयंत्र के साथ सामुदायिक पेयजल सुविधा।
- ज) बाजार/सार्वजनिक स्थानों में आधारभूत सुविधाएं/स्वच्छता सुविधाएं।
- झ) विद्यालयों/सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण/स्थापन।
- ञ) जलापूर्ति लाइनों का निर्माण/स्थापन तथा गांवों में साफ-सफाई।
- ट) विद्यालयों हेतु जलापूर्ति प्रणाली।
- ठ) कचरे के डिब्बों को लगाना, सार्वजनिक स्थानों को अपनाना तथा उनका सौंदर्यकरण, क्षेत्र का ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, मलबे को साफ करने हेतु उपयोगिता वैन मुहैया करवाना आदि।

3. ग्रामीण विकास

- क) क्षेत्र के विद्युतीकरण, सामुदायिक केन्द्र, जलापूर्ति लाइनों, नालों, सड़कों/पथों, सिंचाई नहरों आदि जैसी आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के विस्तार हेतु ग्रामीण विकास
- ख) आरसीसी पुल/लकड़ी के पुल, दाह संस्कार शेड, वर्षा आश्रय आदि के निर्माण क्रियाकलाप।
- ग) अलची गांव (लेह) में बस्तियों का विद्युतीकरण
- घ) कृषि/मधुमक्खी पालन का विकास, ग्रामवासियों हेतु पॉली ग्रीन हाउस, आर्गेनिक खेती।
- ङ) कृषि उत्पादों को रखने तथा सुरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।
- च) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य आधारभूत ढांचा और सामुदायिक विकास।

4. पर्यावरण और धारणीयता

- क) जैव-विविधता पार्क का विकास।
- ख) सौर स्ट्रीट लाइटों को लगाना। ऊर्जा संरक्षण हेतु एलईडी लाइट मुहैया करवाना।
- ग) स्थानीय फलों के परिरक्षण हेतु खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना।
- घ) सिंचाई प्रयोजन हेतु नहरों का पुनरुद्धार।

5. महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक

- क) महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आजीविका के साधनों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम।

6. खेल-कूद, कला और संस्कृति/अन्य पहलें

- क) प्रभाव आकलन अध्ययन
- ख) ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण
- ग) स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा।
- घ) सरदार पटेल तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है ? कृपया 50 शब्दों या इसके आसपास उत्तर दें।

जी, हां। एनएचपीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि हमारी सामुदायिक पहलों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाये। सामुदायिक विकास पहलों को करने से पूर्व पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में और इनके आस-पास स्थानीय आवश्यकताओं का उचित आकलन कम्पनी के अनुभवी आन्तरिक दल द्वारा किया जाता है। क्रियान्वयन के दौरान उचित अंतराल पर निगरानी और मॉनिटरिंग की जाती है। हमारी पहलों के संबंध में और आगे जानकारी भावी योजना प्रयोजन हेतु लाभग्राहियों तथा मीडिया स्रोतों के माध्यम से भी एकत्रित की जाती है, इसके अतिरिक्त, दीर्घावधि योजनाओं/परियोजनाओं की पूर्णता के पश्चात बाहरी विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से प्रभाव आकलन किया जाता है।

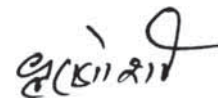
सिद्धान्त 9

1. वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लम्बित है।
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कोई ग्राहक/उपभोक्ता शिकायत दायर नहीं की गई थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 दौरान दायर कोई भी मामला लम्बित नहीं है।
2. क्या कम्पनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)
लागू नहीं।
3. क्या गत पांच वर्षों के दौरान किसी हित धारक ने अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया है और वित्तीय वर्ष के अन्त तक लम्बित है?
किसी हितधारक ने ऐसा कोई मामला दायर नहीं किया है।

4. क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता सन्तुष्टि प्रवृत्तियों का अध्ययन कराया था?

एनएचपीसी हमारे लाभग्राहियों से नियमित फीडबैक ले रहा है जो हमारी अपने ग्राहकों की एक बेहतर तथा अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करने में सहायता करता है। हमने अपने लाभग्राहियों से 93 प्रतिशत फीडबैक प्राप्त किया है और अधिकांश फीडबैक या तो "बहुत अच्छा" अथवा "उत्कृष्ट" है। हम क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) के माध्यम से लाभग्राही राज्यों के साथ भी जुड़े हुए हैं। यह हितधारकों की परस्पर चर्चा और बाकी देयों के समाधान हेतु एक आम मंच है। हमने लंबित मुद्दों, यदि कोई हो, के समाधान के लिए अपने लाभग्राहियों से आवधिक उपभोक्ता बैठके भी की है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से



(बलराज जोशी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या 07449990

तारीख : 6 अगस्त, 2018

स्थान : फरीदाबाद

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) क्रियाकलापों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट

- कम्पनी की सीएसआर नीति के संक्षिप्त रूप रेखा जिसमें ली जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों का सिंहावलोकन और सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के वेब लिंक का संदर्भ शामिल हो।

प्रस्तावना :

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची 7 तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सीएसआर संबंधी आम परिपत्रों के साथ पढ़े जाने वाली कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के अनुरूप एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति निरूपित की है।

नीति की मुख्य विशेषताएं

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट एक राशि, जो वर्तमान में पिछले तत्काल तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किए गए औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत है, वर्ष के दौरान सीएसआर एवं धारणीय विकास कार्यों हेतु वार्षिक बजट के रूप में रखी गई है और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- एनएचपीसी की परियोजनाओं के आस-पास स्थानीय क्षेत्रों को बजट राशि के कम से कम 80 प्रतिशत को आवंटित करके प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि, आवश्यकताओं के आधार पर और राष्ट्रीय योजनाओं तथा अभियान के संबंध में भारत सरकार के निदेशों के अनुसार अन्य स्थानों का चुनाव किया जा सकता है, जिसमें समाज/पर्यावरण के वृहत्तर लाभ हेतु सीएसआर बजट के 20 प्रतिशत से अधिक की राशि का व्यय किया जा सकता है।
- सीएसआर प्रयासों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-7 के अनुसार शिक्षा तथा व्यवसायिक कौशल को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय उन्नयन आदि हेतु कार्यक्रम शामिल हैं। अनुसूची-7 के अनुरूप न होने वाले किसी भी क्रियाकलाप पर व्यय को सीएसआर तथा धारणीयता योजनाएं/क्रियाकलापों के रूप में लेखांकित नहीं किया जाता है।
- सीएसआर और धारणीयता योजनाओं का चयन यह सुनिश्चित करता है कि अधिकतम लाभ समाज के गरीब/पिछड़े तथा जरूरतमंद तबकों तक पहुंचे और पर्यावरण की गणवत्ता में सुधार हेतु भी योगदान दे।
- आपकी कम्पनी संसाधनों के ईष्टतम उपयोग, सामाजिक-आर्थिक या पर्यावरणीय प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञता तथा क्षमताओं के परस्पर संतुलन हेतु मेगा परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन तथा निगरानी में अन्य सीपीएसई के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है।

सीएसआर के अंतर्गत कवर किए गए कार्यक्रम :

चूंकि एनएचपीसी के पावर स्टेशन/परियोजनाएं समूचे भारत में भिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अवस्थित हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की पहचान और निरूपण किसी स्थल विशेष की अपेक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। इस आशय से,

क्रियाकलापों के व्यापक क्षेत्र की पहचान की गई है जिसे पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में तथा उसके आस-पास काफी हद तक प्रारंभ किया गया है। इन क्रियाकलापों को नीचे दिया गया है :

I शिक्षा, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान :-

शिक्षा और कौशल विकास प्रदान करने, विशेषकर समाज के गरीब तथा वंचित तबकों, परियोजना प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को, के मामले में आपकी कंपनी अग्रणी है। विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा) के अनुरूप होने वाले विभिन्न कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं और 3500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार अभिमुख कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत को रोजगार मिला है। एनएचपीसी ने कोलापटुकर, दोलांगमुख (अरुणाचल प्रदेश) में विवेकानन्द केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण भी किया है। एनएचपीसी देश के विभिन्न भागों में आईटीआई/स्कूलों के सुधार/उन्नयन में भी योगदान दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना में योगदान दिया है। इसके अलावा, एनएचपीसी परियोजना/पावर स्टेशन/टाउनशिप के आस-पास के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों और बालिकाओं की एक बड़ी संख्या को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी स्कूलों के आधारभूत ढांचे में सुधार हेतु सपोर्ट भी मुहैया करवा रही है।

II स्वास्थ्य :-

स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा है जिसे आपकी कंपनी अत्यधिक गंभीरतापूर्वक लेती है। आपकी कंपनी ने असम में चिकित्सा सुविधाओं, दक्ष चिकित्सकों तथा चिकित्सा परिचरों से लैस 20 चल चिकित्सा यूनिट (एमएमयू) मुहैया करवाई हैं। ये एमएमयू गांवों में आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपकी कंपनी ने परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के समीपवर्ती क्षेत्रों में कई चिकित्सा शिविर, मोतियाबिंद सर्जरी शिविर और टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क दवा वितरित की है। आपकी कंपनी निशक्त लोगों को इमदाद तथा सहायक उपकरणों का वितरण भी कर रही है। आपकी कंपनी सरकारी अस्पतालों को एम्बुलेन्स, चिकित्सा उपकरण, डीजी सेट और अन्य आधारभूत ढांचा सपोर्ट मुहैया करवा रही है और वर्ष भर स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

III स्वच्छ भारत अभियान :-

आपकी कंपनी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता क्रियाकलाप

प्रारंभ किए गए हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षित पेय जल सुविधाएं, आरओ प्लांट के साथ सामुदायिक पेय जल सुविधा, बाजार/सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं/स्वच्छता सुविधाएं, ग्राम स्वच्छता अभियान, गांवों में जलापूर्ति लाइनों का निर्माण/स्थापन तथा साफ-सफाई, स्कूल/सार्वजनिक स्थानों में शौचालयों का निर्माण, स्कूलों हेतु जलापूर्ति प्रणाली, कचरे के डिब्बों को लगाना, सार्वजनिक स्थानों को अपनाना तथा उनका सौंदर्यकरण, क्षेत्र का ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, मलबे को साफ करने हेतु उपयोगिता वैन मुहैया करवाना आदि शामिल है।

IV ग्रामीण विकास :-

एनएचपीसी द्वारा बड़े साधनविहीन वंचित ग्रामीण समुदायों की आवश्यकता तथा अपेक्षाओं के अनुसार क्षेत्र विद्युतीकरण, सामुदायिक केन्द्र, कोल्ड स्टोरेज, जलापूर्ति लाइनें, नाले, सड़कें/पथ आदि जैसी मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्य प्रारम्भ किए गए थे। आपकी कंपनी ने आरसीसी पुलों/लकड़ी के पुल, दाहसंस्कार शेड, वर्षा आश्रय आदि के निर्माण क्रियाकलापों को लिया है। आपकी कंपनी कृषि/मधुमक्खी पालन तथा खेती के अन्य उन्नत तरीकों के विकास हेतु किसानों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है।

अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में आपकी कंपनी ने 200 परिवारों को आजीविका मुहैया करवाने के लिए खुमानी, सेब तथा टमाटरों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए लद्दाख में अल्ची और खलसती गांवों में दो खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए हैं।

V पर्यावरण और धारणीयता :-

आपकी कंपनी पर्यावरणीय धारणीयता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति तथा जीव जन्तु के बचाव, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वायु, जल तथा मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण और धारणीयता हेतु

कई क्रियाकलाप किए गए हैं जिसमें जैव विविधता पार्कों का विकास, सिंचाई नहरों का पुनर्स्थापन, पौधरोपण, सौर स्ट्रीट लाइटों का स्थापन आदि शामिल हैं।

VI महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक :-

आपकी कंपनी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों हेतु सुविधाओं के सृजन के लिए बनाए गए विभिन्न सीएसआर क्रियाकलापों के प्रति योगदान दिया है। आपकी कंपनी ने महिलाओं में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता की है।

VII सीएसआर क्षमता निर्माण और अन्य क्रियाकलाप :-

आपकी कंपनी ने ग्रामीण तथा परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के प्रति भी योगदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत ग्रामीण कला तथा संस्कृति को आधारभूत ढांचा सपोर्ट मुहैया करवाकर बढ़ावा दिया जा रहा है। आपकी कंपनी सीएसआर के अंतर्गत सरदार पटेल तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण के लिए "स्टेचू आफ यूनिटी" परियोजना में भी भागीदारी कर रही है। सीएसआर कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता का पता लगाने के लिए आपकी कंपनी द्वारा प्रभाव आकलन अध्ययन भी किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/csr_Policy_Final.pdf

2. सीएसआर समिति की संरचना :

सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों हेतु प्रबंधन ढांचा निम्नानुसार है :

विभिन्न सीएसआर तथा धारणीयता पहलों के बजट आवंटन, प्रगति की समीक्षा और मार्गदर्शन हेतु एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तरीय समिति गठित की गई है।

31 मार्च, 2018 के अनुसार "सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति" की संरचना निम्नानुसार है :

1.	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
3.	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)	सदस्य

3. गत तीन वर्षों हेतु कंपनी का औसत निवल लाभ :-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार सीएसआर बजट की गणना के प्रयोजन हेतु पिछले 3 वित्त वर्षों के लिए निवल लाभ के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	वित्त वर्ष	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	औसत निवल लाभ (₹ करोड़ में)
1	2014-15	2,708.12	2,975.76
2	2015-16	3,040.97	
3	2016-17	3,178.20	

4. विहित सीएसआर व्यय :

59.52 करोड़ रुपए (पिछले तीन वर्षों हेतु औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)

5. वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के ब्यौरे :-

क. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि :

3,854.71 लाख रुपए

ख. व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो :

2,097.29 लाख रुपए

ग. तरीका जिसके द्वारा वित्त वर्ष के दौरान राशि व्यय की गई है को विस्तारपूर्वक नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	विहित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार (लाख रुपए में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रुपए में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रुपए में)	राशि का व्यय किया जाना - सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	कोलापटकर, दोलांगमुख (अरुणाचल प्रदेश) में विवेकानंद केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण। रोजगार अभिमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। बेरोजगार युवाओं हेतु प्रशिक्षण आईटीआई में विकासत्मक/उन्नयन क्रियाकलाप छात्रों को छात्रवृत्ति स्कूल भवनों तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण और उन्नयन स्कूलों को आधारभूत ढांचा मुहैया करवाना कौशल विकास प्रशिक्षणों/कार्यक्रमों का आयोजन।	शिक्षा और कौशल विकास	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपोरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला धेमाजी (असम), अरुणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, पापुमपारे और ईस्ट सियांग।	1,144.86	590.39	590.39	सीधे
2.	मोबाइल चिकित्सा यूनिटों का नियोजन। चिकित्सा शिविरों, नेत्र जांच शिविरों, मोतियाबिंद सर्जरी शिविरों का आयोजन। "एलीमको" की भागीदारी में निशक्तजनों को इमदाद और सहायक उपकरणों का वितरण सरकारी अस्पतालों, का उन्नयन सरकारी अस्पतालों को एम्बुलेन्स, चिकित्सा उपकरण तथा अन्य आधारभूत ढांचागत सुविधाएं मुहैया करवाना। बोरवेल के साथ स्वच्छ पेयजल सुविधाएं, सार्वजनिक क्षेत्रों में फिल्ट्रेशन, सामुदायिक केन्द्र आदि। आरओ संयंत्र के साथ सामुदायिक पेयजल सुविधा। बाजार/सार्वजनिक स्थानों में आधारभूत सुविधाएं/स्वच्छता सुविधाएं। ग्राम स्वच्छता अभियान। विद्यालयों/सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण/स्थापन। जलापूर्ति लाइनों का निर्माण/स्थापन तथा गांवों में साफ-सफाई। विद्यालयों हेतु जलापूर्ति प्रणाली।	स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान सहित)	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपोरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला दीमाजी (असम), अरुणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग।	2,454.96	2,170.10	2,170.10	सीधे

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार (लाख रु पाए में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रु पाए में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रु पाए में)	राशि का व्यय किया जाना - सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
3.	पथमार्ग, आरसीसी पुलों, कंक्रीट मार्गों का निर्माण अलची गांव में टोलों का विद्युतीकरण कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण सामुदायिक भवनों का निर्माण और नवीकरण दाह संस्कार शेडों का निर्माण नालों, वर्षा आश्रयों तथा प्रतीक्षा शेडों का निर्माण ग्रामवासियों हेतु कृषि/मधुमक्खी पालन हरित गृहों का विकास गांवों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था बड़ी इलायची की आर्गेनिक खेती/ बड़ी इलायची के बीजों का वितरण/कृषि तथा आजीविका सृजन के पुनरुद्धान के अन्य तरीके स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य आधारभूत ढांचागत तथा सामुदायिक विकास क्रियाकलाप।	ग्रामीण विकास	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपोरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला दीमाजी (असम), अरुणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग।	1,378.74	373.25	373.25	सीधे
4.	जैव विविधता पार्क का विकास स्थानीय फलों के परिरक्षण हेतु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना सौर ऊर्जा मार्ग प्रकाश खम्बों का स्थापन ऊर्जा संरक्षण हेतु एलईडी लाइटों को मुहैया करवाना।	पर्यावरण और धारणीयता	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपोरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला दीमाजी (असम), अरुणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग, जिला फरीदाबाद (हरियाणा)।	97.20	151.30	151.30	सीधे
5.	महिला सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास कार्यक्रम। और वरिष्ठ नागरिक	महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपोरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला दीमाजी (असम), अरुणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, पापुमपारे और ईस्ट सियांग।	1.00	0.97	0.97	सीधे

क्रम सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र	स्थल	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम-वार (लाख रु पए में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि (लाख रु पए में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख रु पए में)	राशि का व्यय किया जाना - सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
6.	प्रभाव आकलन/ आधाररेखा सर्वेक्षण ग्रामीण खेलों के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना सरदार पटेल तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण।	सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति और अन्य पहलें	सीएसआर तथा एसडी क्रियाकलापों को निम्नलिखित एनएचपीसी परियोजना/ यूनिट स्थलों के आस-पास किया जा रहा है - जम्मू एवं कश्मीर में जिला - रियासी, बारामूला, किश्तवाड़, लेह (लद्दाख), कारगिल, बांदीपोरा और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में जिला - कुल्लू, चम्बा तथा मंडी, जिला रंगित (दक्षिण सिक्किम), जिला चूरचांदपुर (मणिपुर), जिला तीस्ता (पूर्वी सिक्किम), उत्तराखंड में जिला - पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत, पश्चिम बंगाल में जिला दार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी, जिला दीमाजी (असम), अरुणाचल प्रदेश में जिला - तवांग, तापुमपारे और ईस्ट सियांग, जिला फरीदाबाद (हरियाणा)।	875.24	568.70	568.70	सीधे
	कुल			5,952.00	3,854.71	3,854.71	

6. कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों या उसके किसी तत्संबंधी भाग हेतु औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत का व्यय कर पाने में विफल होने पर कम्पनी को उस राशि को व्यय न किए जाने के कारण अपने बोर्ड रिपोर्ट में बताना चाहिए :

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु सीएसआर और धारणीय विकास के संबंध में निदेशको की समिति द्वारा अनुमोदित सभी सीएसआर क्रियाकलापों को प्रारंभ किया गया था। तथापि, उनमें से कई पूरे नहीं हो सके और अभी भी निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। हम वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसे सभी सीएसआर क्रियाकलापों को पूर्ण रखने की प्रत्याशा रखते हैं और आवंटित निधियों की शेष अप्रयुक्त राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इन क्रियाकलापों की पूर्णता हेतु किया जाएगा। वर्ष के दौरान कम व्यय के कुछ कारण निम्नानुसार हैं :-

- कार्यों और भुगतानों का स्पिल ओवर जो निविदा देने/कार्य आदेश/अंतिम शेष भुगतान जारी किए जाने के विभिन्न चरणों में है।
अल्बी गांव (लेह) में बस्तियों के विद्युतीकरण, उड़ी-II पावर स्टेशन द्वारा शौचालयों का निर्माण और टीएलडी-IV पावर स्टेशन द्वारा कौशल विकास जैसे सीएसआर क्रियाकलापों को पूरा किया गया था और भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में जारी किया जाएगा।
कुछ सीएसआर कार्य जैसे बनीखेत के स्वच्छ भारत अभियान संबंधी क्रियाकलाप, लोकतक में पुस्तकालय तथा जलापूर्ति कार्य का निर्माण, आरओ-सिलीगुड़ी/तीस्ता-V के विद्यालय/अनाथालय उन्नयन कार्य, तीस्ता-IV/पार्वती-।।/दीबांग/बीआरआरपी पटना के संबंध में ग्रामीण विकास/शिक्षा से संबंधित विभिन्न सीएसआर क्रियाकलाप, पूर्वोत्तर राज्य लाभार्थियों हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण क्रियाकलाप और सुबानसिरी जलविद्युत परियोजना द्वारा तैनात चल चिकित्सा यूनिट के कार्य प्रगतिधीन हैं और भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जाएगा।
टीएलडी-III पावर स्टेशन के संबंध में एम्बूलेंस/सामुदायिक हॉल से संबंधित सीएसआर क्रियाकलाप अगले वित्तीय वर्ष में किए जाएंगे।
- किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (जम्मू एवं कश्मीर) द्वारा निष्पादित किए जा रहे सीएसआर क्रियाकलाप बांदीपोरा (जम्मू एवं कश्मीर) में तथा इसके आस-पास कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए थे।
- गोरखालैंड के मुद्दे और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा की गई हड़ताल के कारण सिलीगुड़ी क्षेत्र के अंतर्गत परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में सीएसआर कार्य की प्रगति प्रभावित हुई।

7 सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन :-

सीएसआर नीति का कार्यान्वयन तथा निगरानी कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर उद्देश्यों के अनुरूप है।

हस्ता./-
(बलराज जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
एनएचपीसी लिमिटेड
डीआईएन : 07449990

हस्ता./-
(प्रो. अरुण कुमार)
स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष,
कारपोरेट सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास संबंधी निदेशकों की समिति
डीआईएन : 07346292

फार्म संख्या एमजीटी-9
वार्षिक रिटर्न का उद्घरण
31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के अनुसार

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में)

I. पंजीकरण तथा अन्य ब्यौरे

सीआईएन	एल40101एचआर1975जीओआई032564
पंजीकरण तिथि	07 नवम्बर, 1975
कम्पनी का नाम	एनएचपीसी लिमिटेड
कम्पनी की श्रेणी/उप श्रेणी	सार्वजनिक कंपनी / सरकारी कंपनी / शेयरों द्वारा सीमित
पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क ब्यौरे	एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003 टेलीफोन नं. 0129-2588110/2588500 फैक्स नं. 0129-2278018
क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	जी, हाँ
रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरे	कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबाउली, फाइनैन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकरमगुडा, हैदराबाद- 500 032 दूरभाष नं.: 040-67162222 टोल फ्री नं. : 1800 345 4001 फैक्स नं. : 040-23420814

II. कम्पनी के प्रमुख व्यापार क्रियाकलाप

कम्पनी के कुल टर्न-ओवर के 10 प्रतिशत अथवा अधिक का योगदान देने वाले सभी व्यापार क्रियाकलापों को नीचे दिया गया है -

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा वितरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड *	कम्पनी के कुल टर्न-ओवर का प्रतिशत #
1	ऊर्जा (जलविद्युत) जलविद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन	35101	99.09 प्रतिशत

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंतर्गत वर्गीकरण के अनुसार

सकल टर्न-ओवर के आधार पर

III. अनुषंगी तथा एसोसिएट कम्पनियों के ब्यौरे

क्रम सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन	अनुषंगी/ एसोसिएट	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू अशोक, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462013, मध्य प्रदेश	U31200MP2000GOI014337	अनुषंगी	51.08	2(87)
2.	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, लोकतक पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, पो.ऑ. लोकतक, कोम कीरप-795114, मणिपुर	U40101MN2009GOI008249	अनुषंगी	74.00	2(87)
3.	बुन्देलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड, टीसी-43/5, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010, उत्तर प्रदेश	U40300UP2015GOI068632	अनुषंगी	99.99	2(87)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन	अनुषंगी/ एसोसिएट	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
4.	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जेकेपीसीसी काम्पलेक्स, रेल हेड काम्पलेक्स, पनामा चौक, जम्मू - 180006 (जम्मू एवं कश्मीर)	U40105JK2011PTC003321	अनुषंगी	55.39	2(87)
5.	नैशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी भवन, कोर 7, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	U73100DL2009PTC190541	एसोसिएट (संयुक्त उद्यम)	20.00	2(6)

IV. शेयरधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

(i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2017 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2018 के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति/एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) केन्द्र सरकार		0	7,64,34,06,901	74.50	7,58,74,81,082	0	7,58,74,81,082	73.96	(0.54)
ग) राज्य सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) कारपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) बैंक/ एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (क) (1)	7,64,34,06,901	0	7,64,34,06,901	74.50	7,58,74,81,082	0	7,58,74,81,082	73.96	(0.54)
(2) विदेशी									
क) एनआरआई -व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) अन्य - व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग) कारपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) बैंक/ एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (क)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) =(क)(1)+(क)(2)	7,64,34,06,901	0	7,64,34,06,901	74.50	7,58,74,81,082	0	7,58,74,81,082	73.96	(0.54)
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
(1) संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड/ यूटीआई	11,44,48,829	0	11,44,48,829	1.12	26,51,15,910	0	26,51,15,910	2.58	1.46
ख) बैंक/ एफआई	7,91,13,321	0	7,91,13,321	0.77	7,77,58,691	0	7,77,58,691	0.76	(0.01)
ग) केन्द्र सरकार/ राज्य सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) वेंचर पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) बीमा कंपनियां	95,11,72,168	0	95,11,72,168	9.27	77,84,48,263	0	77,84,48,263	7.59	(1.68)
च) एफआईआई	35,39,32,824	0	35,39,32,824	3.45	44,13,97,679	0	44,13,97,679	4.30	0.85
छ) विदेशी वेंचर पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ज) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)(1)	1,49,86,67,142	0	1,49,86,67,142	14.61	1,56,27,20,543	0	1,56,27,20,543	15.23	0.62

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2017 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2018 के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
2. गैर-संस्थान									
क) कारपोरेट निकाय	49,81,55,823	0	49,81,55,823	4.85	51,11,29,761	0	51,11,29,761	4.98	0.13
ख) व्यक्ति									
(1) 1 लाख रुपए तक की नामितिक शेयर पूंजी धारित किए हुए शेयरधारक व्यक्ति	46,72,05,811	1,46,642	46,73,52,453	4.56	43,54,26,499	1,51,905	43,55,78,404	4.25	(0.31)
(2) 1 लाख रुपए से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी धारित किए हुए शेयरधारक व्यक्ति	13,23,50,580	0	13,23,50,580	1.29	13,92,56,226	0	13,92,56,226	1.36	0.07
ग) अन्य									
(1) क्लीयरिंग सदस्य	28,30,858	0	28,30,858	0.03	60,46,190	0	60,46,190	0.06	0.03
(2) अप्रवासी भारतीय	1,05,74,691	7,575	1,05,82,266	0.10	97,02,893	7,575	97,10,468	0.09	(0.01)
(3) अप्रवासी भारतीय - स्वदेश न लौटने वाले	24,04,059	0	24,04,059	0.02	32,33,995	0	32,33,995	0.03	0.01
(4) विदेशी नागरिक	1,500	0	1,500	0.00	2,000	0	2,000	0.00	0.00
(5) विदेशी कारपोरेट निकाय	175	0	175	0.00	175	0	175	0.00	0.00
(6) ट्रस्ट	28,89,252	0	28,89,252	0.03	22,11,588	0	22,11,588	0.02	(0.01)
(7) गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान	6,79,510	0	6,79,510	0.01	4,37,478	0	4,37,478	0.00	(0.01)
(8) आईईपीएफ	0	0	0	0.00	9,99,609	0	9,99,609	0.01	0.01
(9) वैकल्पिक निवेश निधि	0	0	0	0.00	5,13,000	0	5,13,000	0.01	0.01
उप जोड़ (ख)(2)	1,11,70,92,259	1,54,217	1,11,72,46,476	10.89	1,10,89,59,414	1,59,480	1,10,91,18,894	10.81	(0.08)
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख) (1)+ (ख)(2)	2,61,57,59,401	1,54,217	2,61,59,13,618	25.50	2,67,16,79,957	1,59,480	2,67,18,39,437	26.04	0.54
ग. जीडीआर तथा एडीआर हेतु अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
सकल जोड़ (क+ख+ग)	10,25,91,66,302	1,54,217	10,25,93,20,519	100.00	10,25,91,61,039	1,59,480	10,25,93,20,519	100.00	0.00

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2017 के अनुसार)			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2018 के अनुसार)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का रेहन रखे गए/भाराकृत किए गए शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का रेहन रखे गए/भाराकृत किए गए शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति	7,64,34,06,901	74.50	0.00	7,58,74,81,082	73.96	0.00	(0.54)
	कुल	7,64,34,06,901	74.50	0.00	7,58,74,81,082	73.96	0.00	(0.54)

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्रम सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01.04.2017 के अनुसार)		वर्ष के दौरान कारोबार			वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2017 से 31.03.2018)	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	तिथि	वृद्धि/ कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारंभ में	7,64,34,06,901	74.50				7,64,34,06,901	74.50
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/ कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/कमी			17.11.2017	(5,19,57,893)	भारत 22 ईटीएफ को अंतरण	7,59,14,49,008	74.00
					(39,67,926)	भारत 22 ईटीएफ को अंतरण	7,58,74,81,082	73.96
3.	वर्ष के अंत में	7,58,74,81,082	73.96				7,58,74,81,082	73.96

(iv) 10 शीर्ष शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अतिरिक्त)

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2017 से 31.03.2018)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	भारतीय जीवन बीमा निगम *				
	वर्ष के प्रारंभ में	90,61,83,502	8.83	90,61,83,502	8.83
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	8,98,907	0.01	90,70,82,409	8.84
	वर्ष के दौरान बेचे गए	17,27,02,810	1.68	73,43,79,599	7.16
	वर्ष के अंत में	73,43,79,599	7.16	73,43,79,599	7.16
2	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *				
	वर्ष के प्रारंभ में	26,05,42,051	2.54	26,05,42,051	2.54
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	26,05,42,051	2.54
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	26,05,42,051	2.54
	वर्ष के अंत में	26,05,42,051	2.54	26,05,42,051	2.54
3	रूरल इलेक्ट्रिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड *				
	वर्ष के प्रारंभ में	18,40,11,865	1.79	18,40,11,865	1.79
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	18,40,11,865	1.79
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	18,40,11,865	1.79
	वर्ष के अंत में	18,40,11,865	1.79	18,40,11,865	1.79
4	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी प्रूडेन्स फंड *				
	वर्ष के प्रारंभ में	3,50,07,776	0.34	3,50,07,776	0.34
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	3,18,94,657	0.31	6,69,02,433	0.65

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2017 से 31.03.2018)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	6,69,02,433	0.65
	वर्ष के अंत में	6,69,02,433	0.65	6,69,02,433	0.65
5	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी टेक्स सेवर फंड *				
	वर्ष के प्रारंभ में	4,18,08,989	0.41	4,18,08,989	0.41
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	1,99,68,000	0.19	6,17,76,989	0.60
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	6,17,76,989	0.60
	वर्ष के अंत में	6,17,76,989	0.60	6,17,76,989	0.60
6	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की ए सीरीज *				
	वर्ष के प्रारंभ में	3,43,75,723	0.34	3,43,75,723	0.34
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	4,11,52,977	0.40	7,55,28,700	0.74
	वर्ष के दौरान बेचे गए	3,79,78,413	0.37	3,75,50,287	0.37
	वर्ष के अंत में	3,75,50,287	0.37	3,75,50,287	0.37
7	स्करोडर एशियन इन्कम*				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	3,47,87,231	0.34	3,47,87,231	0.34
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	3,47,87,231	0.34
	वर्ष के अंत में	3,47,87,231	0.34	3,47,87,231	0.34
8	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड *				
	वर्ष के प्रारंभ में	2,64,95,193	0.26	2,64,95,193	0.26
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	66,17,052	0.06	3,31,12,245	0.32
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	3,31,12,245	0.32
	वर्ष के अंत में	3,31,12,245	0.32	3,31,12,245	0.32
9	यूको बैंक *				
	वर्ष के प्रारंभ में	3,31,54,836	0.32	3,31,54,836	0.32
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	0	0.00	3,31,54,836	0.32
	वर्ष के दौरान बेचे गए	28,04,836	0.03	3,03,50,000	0.29
	वर्ष के अंत में	3,03,50,000	0.29	3,03,50,000	0.29
10	पेंशन रिजर्व्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड - पजेना इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एलएलसी *				
	वर्ष के प्रारंभ में	1,64,84,197	0.16	1,64,84,197	0.16
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	47,62,302	0.05	2,12,46,499	0.21
	वर्ष के दौरान बेचे गए	0	0.00	2,12,46,499	0.21
	वर्ष के अंत में	2,12,46,499	0.21	2,12,46,499	0.21

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता (01.04.2017 से 31.03.2018)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
11	गोल्डमैन सैच (सिंगापुर) पीटीई @				
	वर्ष के प्रारंभ में	1,70,77,751	0.17	1,70,77,751	0.17
	वर्ष के दौरान खरीदे गए	37,81,710	0.03	2,08,59,461	0.20
	वर्ष के दौरान बेचे गए	1,72,84,560	0.17	35,74,901	0.03
	वर्ष के अंत में	35,74,901	0.03	35,74,901	0.03

* 1.4.2017 तथा 31.3.2018 को शीर्ष 10 शेयरधारकों को दर्शाता है।

@ केवल 1.4.2017 को शीर्ष 10 शेयरधारकों को दर्शाता है।

केवल 31.3.2018 को शीर्ष 10 शेयरधारकों को दर्शाता है।

टिप्पणी :

- (1) कंपनी के शेयरों का कारोबार दैनिक आधार पर किया जाता है अतः शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/कमी को नहीं दर्शाया गया है।
- (2) शेयरधारिता को शेयरधारकों की स्थायी लेखा संख्या (पैन) के आधार पर समेकित किया गया है।
- (v) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/(कमी)	कारण	वर्ष (01.04.2017 से 31.03.2018) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2017)/ वर्ष के अंत (31.03.2018) को शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
क.	निदेशक							
1.	श्री बलराज जोशी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (22.09.2017 को सीएमडी का पद ग्रहण किया)	11,891	नगण्य		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		11,891	नगण्य
2.	श्री के.एम.सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.07.2017 को अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर सीएमडी नहीं रहे	शून्य	लागू नहीं		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
3.	श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)	15,986	नगण्य		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		15,986	नगण्य
4.	श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक)	शून्य	लागू नहीं		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
5.	श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) और सीएफओ	शून्य	लागू नहीं		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं
6.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सरकारी नामिति निदेशक	शून्य	लागू नहीं		अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं		शून्य	लागू नहीं

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता		तिथि	शेयरधारिता में वृद्धि/(कमी)	कारण	वर्ष (01.04.2017 से 31.03.2018) के दौरान संचित शेयरधारिता	
		वर्ष के प्रारंभ (01.04.2017)/ वर्ष के अंत (31.03.2018) को शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
7.	श्रीमती कृष्णा त्यागी, सरकारी नामिति निदेशक (01.01.2018 से निदेशक नहीं रही)	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
8.	श्री सत्य प्रकाश मंगल, स्वतंत्र निदेशक	1,500	नगण्य	14.11.2017	3,000	खरीद	4,500	नगण्य
				15.11.2017	3,000	खरीद	7,500	नगण्य
				29.11.2017	7,500	खरीद	15,000	नगण्य
		15,000	नगण्य	31.03.2018	-	-	15,000	नगण्य
9.	प्रो. अरुण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
10.	प्रो कनिका टी. भाल, स्वतंत्र निदेशक	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
11.	प्रो. नलिनी कांत झा, स्वतंत्र निदेशक (07.10.2017 को निदेशक बने)	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
12.	श्री जुगल किशोर महापात्रा स्वतंत्र निदेशक (07.10.2017 को निदेशक बने)	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
13.	श्री भागवत प्रसाद, स्वतंत्र निदेशक (07.10.2017 को निदेशक बने)	शून्य	लागू नहीं	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			शून्य	लागू नहीं
ख	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक							
1.	श्री विजय गुप्ता, कंपनी सचिव	11,231	नगण्य	अवधि के दौरान कोई संचलन नहीं			11,231	नगण्य

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/प्रोदभूत किन्तु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज के साथ कम्पनी की ऋणग्रस्तता

(करोड़ रुपए में)

विवरण	जमा के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण *	अप्रतिभूत ऋण ***	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता (01.04.2017)				
1) मूलधन राशि	14,750.46	4,476.27	0.00	19,226.73
2) देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
3) प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	393.49	35.07	0.00	428.56
कुल (1+2+3)	15,143.95	4,511.34	0.00	19,655.29
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
वर्धन	4,892.80	350.00	0.00	5,242.80
कमी **	5,541.99	325.44	0.00	5,867.43
निवल परिवर्तन	(649.19)	24.56	0.00	(624.63)
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (31.03.2018)				
1) मूलधन राशि	14,101.27	4,500.83	0.00	18,602.10
2) देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
3) प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	534.30	38.19	0.00	572.49
कुल (1+2+3)	14,635.57	4,539.02	0.00	19,174.59

* प्रतिभूत ऋण में अल्पावधि ऋण शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रतिभूत ऋणों के वर्धन तथा कमी में 3190.68 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त-पोषण शामिल है।

** अप्रतिभूत ऋण कॉलम में कमी में 130.05 करोड़ रुपए के विदेशी ऋण की चुकौती (71.65 करोड़ रुपए के ईआरवी लाभ को समायोजित किए जाने के पश्चात) और अधीनस्थ ऋण में भारतीय लेखांकन मानक के कारण 195.39 करोड़ रुपए का समायोजन शामिल है।

*** अप्रतिभूत ऋण में, विदेशी ऋण तथा अधीनस्थ ऋण शामिल हैं और अधीनस्थ ऋण का मूल्य भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार लिया गया है।

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक
क. प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक

(राशि रूपए में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
		श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक* (22.09.2017 को सीएमडी का पदभार ग्रहण किया)	श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)	श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक	श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	श्री के.एम सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.07.2017 को अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर सीएमडी नहीं रहे)	
1	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन*	38,25,394	34,91,800	25,75,338	32,05,498	31,49,229	1,62,47,259
	(ख) आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	6,70,374	44,290	2,59,528	2,16,038	9,03,664	20,93,894
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	स्टाक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	अन्य ***	10,60,250	4,44,528	4,02,668	4,69,805	13,63,112	37,40,363
	कुल (क)	55,56,018	39,80,618	32,37,534	38,91,341	54,16,005	2,20,81,516
	अधिनियम के अनुसार सीमा	सरकारी कंपनी होने के चलते लागू नहीं (कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना)					

* 22 सितम्बर, 2017 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त। सीएमडी के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व वह कंपनी के निदेशक (तकनीकी) थे और पारिश्रमिक में निदेशक (तकनीकी) के रूप में उनका पारिश्रमिक शामिल है।

** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन में संबंधित अवधि के दौरान निदेशकों द्वारा धारित पद के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अदा किया गया निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) शामिल है।

** अन्यो में पट्टा किराया, उपदान, अवकाश नकदीकरण, परिवार वेतन, नव वर्ष उपहार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन निधि (समान योगदान) आदि शामिल है जिसे मद संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणी :

- (1) वर्ष के दौरान डी.पी.भार्गव, पूर्व निदेशक (तकनीकी), श्री जयंत कुमार, पूर्व निदेशक (वित्त) और श्री राधेश्याम मोणा, पूर्व निदेशक (कार्मिक) को पिछले वर्ष से संबंधित उनके देयों हेतु क्रमशः 10,32,344 रूपए, 11,55,020 रूपए और 10,29,588 रूपए का भुगतान किया गया था।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

(राशि रूपए में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	निदेशक का नाम						कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	श्री सत्य प्रकाश मंगल	प्रो अरुण कुमार	प्रो कनिका टी.भाल	प्रो. नलिनी कांत झा	श्री जुगल किशोर महापात्रा	श्री भागवत प्रसाद	
	बोर्ड/ समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	5,40,000	6,00,000	2,60,000	1,20,000	1,40,000	2,00,000	18,60,000
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल(1)	5,40,000	6,00,000	2,60,000	1,20,000	1,40,000	2,00,000	18,60,000

2	नामित निदेशक	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	श्रीमती कृष्णा त्यागी (01.01.2018 से निदेशक नहीं रही)					
	बोर्ड/ समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	शून्य	शून्य					
	कमीशन	शून्य	शून्य					
	अन्य	शून्य	शून्य					
	कुल(2)	शून्य	शून्य					
	कुल (ख)=(1+2)	5,40,000	6,00,000	2,60,000	1,20,000	1,40,000	2,00,000	18,60,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक*							2,39,41,516
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	एक सरकारी कंपनी होने के चलते लागू नहीं (कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना)						

टिप्पणी :

- (1) उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 20 हजार रूपए प्रत्येक की राशि के बैठक शुल्क का भुगतान समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए श्री सत्य प्रकाश मंगल, प्रो. अरुण कुमार, प्रो. कनिका टी. भाल और श्री फारूख खान को किया गया था। इसके अतिरिक्त, 40 हजार रूपए का भुगतान वर्ष 2017-18 के दौरान विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रो. अरुण कुमार को भूलवश किया गया था। जानकारी में आने पर यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक द्वारा लौटाई गई है।

* प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा अन्य निदेशकों का कुल पारिश्रमिक (क तथा ख का जोड़)

(ग) प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			
		सीईओ *	कंपनी सचिव	सीएफओ *	कुल
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	37,05,912	-	37,05,912
	(ख) आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	-	64,543	-	64,543
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	-	शून्य	-	-
2	स्टाक विकल्प	-	शून्य	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	शून्य	-	-
4	कमीशन	-	शून्य	-	-
5	अन्य **	-	4,92,742	-	4,92,742
	कुल	-	42,63,197	-	42,63,197

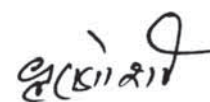
* सीईओ तथा सीएफओ के पद क्रमशः कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा धारित हैं।

** अन्यो में नव वर्ष उपहार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन निधि (समान अंशदान) आदि शामिल है जिन्हें बिन्दु संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

VII. शास्ति/दण्ड/अपराधों को क्षमा करना

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दण्ड/लगाए गए क्षम्य शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकारी (आरडी/ एएनसीएलटी / अदालत)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दीजिए)
क. कंपनी					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					
क. निदेशक					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
शास्ति	कोई नहीं				
दंड					
क्षमा करना					

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से



(बलराज जोशी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या 07449990

तारीख : 6 अगस्त, 2018

स्थान : फरीदाबाद

लाभांश वितरण नीति

1.0 पृष्ठभूमि :

सेबी ने अपनी दिनांक 8.7.2016 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 में विनियम 43क शामिल किया है जिसमें निम्नलिखित अपेक्षित है :

- बाजार पूंजीकरण के आधार पर सूचीबद्ध शीर्ष 500 निकाय (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को गणना किए अनुसार) एक लाभांश वितरण नीति बनाएंगे जिसे उनकी वार्षिक रिपोर्ट तथा उनकी वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- लाभांश वितरण नीति में निम्नलिखित मानदण्ड होंगे -
 - ऐसी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध निकायों के शेयरधारक लाभांश की प्रत्याशा कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते;
 - लाभांश की घोषणा करते समय विचार किए जाने वाले वित्तीय मानदण्ड;
 - आंतरिक तथा बाहरी कारक जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा;
 - प्रतिधारित आय के उपयोग के संबंध में नीति; और
 - शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मानदण्ड;
 उक्त मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए कंपनी की लाभांश वितरण नीति बनाई गई है।

2.0 इस नीति को एनएचपीसी लाभांश वितरण नीति ("नीति") कहा जाएगा।

3.0 यह नीति बोर्ड द्वारा इसे अंगीकृत किए जाने की तिथि अर्थात् 30.5.2017 से प्रभावी होगी।

4.0 नीति की रूपरेखा :

नीति ढांचे का आधार मुख्यतः कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजीगत पुनर्संरचना" संबंधी दिशा-निर्देशों, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 और लाभांश के भुगतान के संबंध में लागू सीमा तक अन्य दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। नीति कंपनी के स्वामियों की अपने लाभों के एक हिस्से को बांटने हेतु कंपनी की मंशा को दर्शाती है।

5.0 महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां :

- लाभांश :** कंपनी के लाभ का वह हिस्सा जिसे व्यापार में बनाए नहीं रखा जाता और शेयरधारकों के मध्य उनके द्वारा धारित शेयरों की प्रदत्त राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है। साधारण शब्दों में यह निवेश पर प्रतिफल है जो शेयरधारक कंपनी के निवल लाभों से प्राप्त करते हैं।
- निवल मूल्य :** प्रदत्त शेयरपूँजी और लाभ से सृजित सभी आरक्षितों तथा प्रतिभूति प्रीमियम राशि का संचित मूल्य।
- कर पश्चात लाभ (पीएटी) :** सभी कराधान संबंधित व्ययों की कटौती के पश्चात व्यापार द्वारा अर्जित निवल राशि।
- प्रतिधारित लाभ :** व्यापार द्वारा सृजित वह लाभ जिसे लाभांश के रूप में शेयरधारकों को वितरित नहीं किया जाता है परन्तु या तो व्यापार में उसका पुनः निवेश किया जाता है अथवा उसे विशिष्ट उद्देश्यों हेतु आरक्षित के रूप में रखा जाता है (जैसे कि किसी ऋण के भुगतान अथवा पूंजीगत परिसंपत्ति की खरीद हेतु)।
- लाभांश भुगतान अनुपात :** शेयरधारकों को लाभांश के रूप में अदा की गई व्यापार आय का प्रतिशत। यह इसे दर्शाता है कि फर्म की आय लाभांश भुगतान में कितनी सहायता करती है। यह प्रतिशत जितना कम होगा लाभांश भुगतान उतना ही सुरक्षित होगा। लाभांश पर डीआईपीएम के दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए एनएचपीसी को कंपनी के निवल मूल्य के 5 प्रतिशत के लाभांश का भुगतान करना होता है और तदनुसार लाभांश भुगतान अनुपात निवल लाभ (पीएटी) के लगभग 60 से 80 प्रतिशत के मध्य रहेगा।
- लाभांश प्राप्ति :** एक वित्तीय अनुपात जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयर मूल्य के संबंध में प्रत्येक वर्ष लाभांश के रूप में कितना भुगतान करती है।
- मूल्य अर्जन (पीई) अनुपात :** यह दर्शाता है कि बाजार इसकी वर्तमान आय के आधार पर किसी स्टॉक हेतु कितना भुगतान करने का इच्छुक है।
- मूल्य से बही (पीबी) अनुपात :** इस अनुपात का उपयोग किसी स्टॉक के बाजार मूल्य की उसके बही मूल्य से तुलना करने के लिए किया जाता है।
- बाजार पूंजीकरण :** इसका अर्थ बाजार मूल्य तथा कुल बकाया शेयरों के आधार पर कंपनी का कुल मूल्यांकन है।

6.0 नीति निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :

- अधिमानी शेयरों पर लाभांश, यदि कंपनी द्वारा जारी किए गए हों तो;
- नकदी रूप में न होने वाले लाभांश का वितरण अर्थात लागू नियमों के अधीन पूर्णतः या आंशिक रूप से अदा किए गए बोनस शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों को जारी करके;
- इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद के माध्यम से लाभांश के भुगतान के विकल्प के रूप में नकदी का वितरण।

7.0 नीति का उद्देश्य :

लाभांश नीति को निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है :

- **कंपनी का आधारभूत मूल्य** : लाभांश वितरण नीति का कंपनी के मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। नीति का उद्देश्य प्रतिधारित अर्जन की आवश्यकता पर उचित विचार करते हुए धारणीय लाभांश भुगतान अनुपात को सुनिश्चित करते हुए कंपनी के आधारभूत मूल्य में वृद्धि करना है।
- **वृद्धि योजना** : लाभांश वितरण नीति एक वित्त-पोषण निर्णय है और यह नकदी बाहिर प्रवाहों में वृद्धि तथा लाभप्रद परियोजनाओं के वित्त-पोषण हेतु नकदी की उपलब्धता में कमी में भी परिणत होती है। यदि पर्याप्त निधियां उपलब्ध न हों तो फर्म को बाहरी वित्त-पोषण पर निर्भर करना पड़ता है। अतः लाभांश नीति को इस तरीके से विकसित किए जाने की आवश्यकता है कि संभावित परियोजनाओं को ऋण तथा प्रतिधारित आय के उचित मिश्रण के माध्यम से वित्त-पोषित किया जा सके।
- **प्रतिफल की स्थिर दर** : प्रतिफल की दर में उतार-चढ़ाव शेयरों के बाजार मूल्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अतः लाभांश नीति का उद्देश्य भविष्य में सतत लाभांश भुगतान प्रवृत्ति को सुनिश्चित करना होता है जब तक कि कंपनी किसी आंतरिक या बाहरी कारकों के चलते लाभांश घोषित करने में असमर्थ न हो।

8.0 परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की प्रत्याशा कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते :

कंपनी की लाभांश वितरण नीति को निदेशक मंडल द्वारा अपनाया जाता है और यह कंपनी के निवल लाभ तथा लाभांश के रूप में वितरित किए जाने वाले कंपनी के लाभ के मध्य संतुलन को नियंत्रित करती है। लाभांश कंपनी के निवल लाभ का एक हिस्सा है जिसे विद्यमान लागू विधियों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार शेयरधारकों के मध्य वितरित किया जाता है। लाभांश को बोर्ड की सिफारिश के आधार पर शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है। बोर्ड सदस्यों को अदा किए जाने वाले लाभांश की सिफारिश संगत विधि तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए करता है। बोर्ड अंतरिम लाभांश की भी घोषणा कर सकता है।

बोर्ड द्वारा लाभांश हेतु सिफारिश किए जाने से पूर्व विचार किए जाने वाले कारक भविष्य की पूंजीगत व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से निधियों को जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह स्थिति और लाभांश पर कर सहित लागू कर हैं, परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, और यह इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन है। लाभांश भुगतान का निर्णय लेते समय इन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

9.0 लाभांश की घोषणा करते समय विचार किए जाने वाले वित्तीय मानदण्ड :

27.5.2016 को डीआईपीएम, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (सीपीएसई) की पूंजीगत पुनर्संरचना संबंधी डीआईपीएम दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई अपने कर पश्चात लाभ के न्यूनतम 30 प्रतिशत या निवल मूल्य के 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के लाभांश का भुगतान करेगा जो विद्यमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अनुमेय अधिकतम लाभांश के अधीन होगा। फिर भी सीपीएसई से उसके गठन संबंधी अधिनियम के अंतर्गत अनुमेय अधिकतम लाभांश का भुगतान किए जाने की प्रत्याशा की जाती है जब तक कि अदा किए जाने हेतु प्रस्तावित निम्नतर निवेश औचित्यपूर्ण न हो तथा ऐसा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के स्तर पर मामला-दर-मामला आधार पर निम्नलिखित पहलुओं के विश्लेषण के पश्चात किया जाना चाहिए।

- सीपीएसई का निवल मूल्य और ऋण लेने की इसकी क्षमता;
- दीर्घावधि ऋण;
- पूंजीगत व्यय/व्यापार विस्तार आवश्यकताएं;
- पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के अनुरूप आगे लाभ हेतु लाभ का प्रतिधारण; और
- नकदी और नकदी शेष।

9.1 लाभांश नीति :

वित्तीय वर्ष हेतु लाभांश का निर्णय निदेशक मंडल द्वारा विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं, कंपनी के वित्तीय निष्पादन और नीति में बताए गए अन्य आंतरिक तथा बाहरी कारकों पर विचार करते हुए किया जाएगा। तथापि, मोटे तौर पर एनएचपीसी द्वारा लाभांश भुगतान उक्त डीआईपीएम दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा अर्थात कर पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत या निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

9.2 लाभांश भुगतान हेतु तरीका और समय-सीमाएं :

(क) अंतरिम लाभांश :

- I. अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, की घोषणा निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। सामान्यतः अंतरिम लाभांश की घोषणा संगत वित्तीय वर्ष की तीसरी/चौथी तिमाही में की जाती है।
- II. यदि अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई है तो उसका भुगतान लागू नियमों के अनुसार रिकार्ड तिथि को लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र होने वाले शेयरधारकों को घोषणा की तिथि से तीस दिवस के भीतर किया जाना चाहिए।

(ख) अंतिम लाभांश :

- I. अंतिम लाभांश हेतु सिफारिश, यदि कोई हो, निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी और यह कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगी।
- II. लाभांश का भुगतान लागू नियमों के अनुसार रिकार्ड तिथि/बही समापन अवधि को लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र होने वाले शेयरधारकों को घोषणा की तिथि से तीस दिवस के भीतर किया जाना चाहिए।
- III. अंतिम लाभांश घोषित न किए जाने के मामले में वर्ष के दौरान अदा किए गए अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, को वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश माना जाएगा।

10.0 लाभांश की घोषणा हेतु विचार किए जाने वाले आंतरिक तथा बाहरी कारक :

आंतरिक कारकों में पूंजीगत व्यय योजना और कंपनी को उपलब्ध मुक्त नकदी शामिल है। बाहरी कारकों में अर्थव्यवस्था की स्थिति, कंपनी पर लागू नियामक मानदण्ड तथा भारत सरकार या अन्य सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश शामिल हैं। इन कारकों पर लाभांश की मात्रा का निर्णय करते समय विचार किया जाएगा।

11.0 प्रतिधारित आय के उपयोग का तरीका :

प्रतिधारित आय का उपयोग शेयरधारक की निधि को अधिकतम करने के लिए कंपनी की वृद्धि संभाव्यता हेतु मुख्यतः किया जाता है। कंपनी को प्रतिधारित आय के उपयोग हेतु निम्नलिखित कारकों पर विचार करना चाहिए :

- i. कंपनी की अल्पावधि तथा दीर्घावधि योजनाएं।
- ii. विविधीकरण अवसर
- iii. बोनस, पुनः खरीद आदि के संबंध में सरकारी दिशा-निर्देश
- iv. अन्य कोई मानदण्ड जिसे निदेशक मंडल उचित समझे।

12.0 शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मानदण्ड :

लाभांश के भुगतान (घोषणा) का निर्णय कंपनी की वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल/शेयरधारकों द्वारा लिया जाता है। इस निर्णय के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) के प्रति शेयर पर लाभांश की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। चूंकि कंपनी के पास समान मताधिकार के साथ इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, कंपनी के सभी सदस्य प्रतिशेयर लाभांश की समान राशि हेतु पात्र हैं।

13.0 अन्य प्रावधान :

नीति को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है और निदेशक मंडल के पास नीति में परिवर्तन करने का अधिकार है। नीति की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष में अथवा समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित अवधि में की जाएगी।

यदि देश के कानूनों में परिवर्तन के कारण इस नीति का कोई पृथक खंड ऐसे परिवर्तन का विरोधाभासी होता है, तो नीति को उस भाग पर लागू किया जाएगा जो लागू कानून से विरोधाभासी न हो।

इस प्रकार घोषित लाभांश की मात्रा किसी शेयरधारक को 0.50 रुपए से कम होने के मामले में शेयरधारक को 1/- रुपए का न्यूनतम लाभांश मिलेगा। इसके अतिरिक्त, लाभांश का भुगतान कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा प्रारूप संशोधन नियमावली, 2014 के अनुसार लाभांश की राशि को पूर्णांक में परिवर्तित किए जाने के अधीन है।

14.0 शेयरधारकों को लाभांश वितरण नीति के संबंध में सूचित करना :

लाभांश वितरण नीति को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया जाए और कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाए।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक)

नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुपालन में)

सेवा में,

सदस्यगण,

एनएचपीसी लिमिटेड,

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,

सेक्टर - 33, फरीदाबाद,

हरियाणा - 121 003।

प्रिय सदस्यगण,

हमने एनएचपीसी लिमिटेड, सीआईएन : एल40101एचआर1975जी ओआई032564 (जिसे एतदपश्चात "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने मुझे कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के मेरे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर हम एतदपश्चात यह सूचित करते हैं कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है :

हमने एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों का परीक्षण निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार किया है

- कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियम;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम;
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश -
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिशोध) विनियम, 1992;
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी का इश्यू तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं है);

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टाक खरीद योजना) दिशा-निर्देश, 1999 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं है);
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इश्यू और ऋण प्रतिभूतियों की सूची) विनियम, 2008;
- कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्टर और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं है) ;
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं है);
- अन्य विधियां जो कंपनी पर विशिष्ट रूप से लागू हैं -
 - विद्युत अधिनियम, 2003

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है :

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी और कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सचिवालयीन मानक।
- सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के साथ पढ़े जाने वाले बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा किए गए सूचीकरण समझौते।
- लोक उद्यम विभाग द्वारा अपने दिनांक 14 मई, 2010 के का.ज्ञा.संख्या 18(8)/2005-जीएम के माध्यम से जारी कारपोरेट अधिशासन दिशा-निर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमनों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है जो निम्नलिखित अभिमत के अधीन है :

- 6 अक्टूबर, 2017 तक कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुरूप नहीं थी क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशक अपेक्षित संख्या में नहीं थे।
- वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर एवं धारणीय विकास क्रियाकलापों पर व्यय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में 59.52 करोड़ रु पए की अपेक्षित राशि के प्रति मात्र 38.55 करोड़ रु पए था।

हमें आगे सूचित करते हैं कि :

कम्पनी के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्यपालक निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के कार्यक्रम, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिवस पहले पर्याप्त रूप से भेजे जाते हैं और बैठक से पूर्व कार्यसूची मनों पर अतिरिक्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

बहुमत के निर्णय को लागू किया जाता है जब कि सदस्यों के विरोधाभासी मतों को लिया जाता है और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी तथा सुनिश्चय करने के लिए कंपनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं सिवाय :

- (i) **कंपनी ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक (बोर्ड से एक स्तर नीचे) में भाग लेने हेतु मानदेय के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक को 40 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस भुगतान के प्रति आवश्यक अनुमोदन कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 34(ख) के अनुपालन में समीक्षाधीन अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है।**

हम आगे सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाईयां की गई थी जो अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन में कंपनी के कार्यों पर बड़ा प्रभाव डालती हैं।

1. **कंपनी ने दिनांक 6 जून, 2017 को 1475 करोड़ रूपए कुल मूल्य के समान राशि पर नकदी हेतु 50 लाख प्रत्येक के 10 वर्षों की अवधि हेतु 7.52 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वी2 श्रृंखला बॉण्ड को डिबेंचर (एनसीडी) की प्रकृति में प्रतिभूत गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय चुकौती योग्य कर योग्य बॉण्ड (वी-श्रृंखला) जारी किए हैं।**
2. **कंपनी ने 2 ट्रांशे डब्ल्यू 1 व डब्ल्यू 2 में डिबेंचर (एनसीडी) की प्रकृति में प्रतिभूत गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय चुकौती योग्य कर योग्य बॉण्ड (डब्ल्यू-श्रृंखला) जारी किए हैं। दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को क्रमशः 1500 करोड़ रूपए और 750 करोड़ रूपए कुल मूल्य के समान राशि पर नकदी हेतु 50 लाख प्रत्येक के 5 वर्षों की अवधि हेतु 6.91 प्रतिशत प्रतिवर्ष वाले डब्ल्यू-1 श्रृंखला और 10 वर्षों की अवधि हेतु 7.35 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से डब्ल्यू-2 श्रृंखला बॉण्ड (ग्रीन शू विकल्प सहित)।**

कृते पी.सी. जैन एण्ड कंपनी

कंपनी सचिव

(एफआरएन : पी2016एचआर051300)

दिनांक : 16 जुलाई, 2018

स्थान : फरीदाबाद

हस्ता./-

(पी.सी.जैन)

भागीदार

सीपी सं. 3349

एफसीएस 4103

टिप्पणी : इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो

"अनुबंध-क" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुबंध-क

सेवा में,

सदस्यगण

एनएचपीसी लिमिटेड,

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,

सेक्टर - 33, फरीदाबाद,

हरियाणा - 121 003

प्रिय सदस्यगण,

हमारी समसंख्यक तिथि की वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयीन रिकार्ड का रख-रखाव कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन रिकार्डों पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवालयीन रिकार्डों की विषय-वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जा सके। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया है।
3. हमने लेखापरीक्षित तथा अनुमोदित वित्तीय विवरणों के आधार पर वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की सटीकता तथा उचितता पर निर्भर किया है।
4. जहां-कहीं अपेक्षित हो हमने विधियों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट तथा अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भविष्य की अर्थक्षमता का आश्वासन है और न ही उस प्रभाव अथवा प्रभावोत्पादकता की जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते पी.सी. जैन एण्ड कंपनी

कंपनी सचिव

(एफआरएन : पी2016एचआर051300)

दिनांक : 16 जुलाई, 2018

स्थान : फरीदाबाद

हस्ता./-

(पी.सी.जैन)

भागीदार

सीपी सं. 3349

एफसीएस 4103



श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं), एनएचपीसी लिमिटेड, डा. पी. आर. स्वरूप, महानिदेशक, सीआईडीसी एवं सदस्य सचिव, ईसीआई से एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री बलराज जोशी की ओर से सीआईडीसी ट्रॉफी प्राप्त करते हुए।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण, एनएचपीसी लिमिटेड

एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा अन्य विवरणात्मक जानकारी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 133 में विहित भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक) जिसे इसके अंतर्गत जारी संगत नियमों के साथ पढ़ा जाता है, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तनों की वास्तविक तथा उचित स्थिति को दर्शाने वाले एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रख-रखाव; उचित लेखांकन नीति के चयन तथा उपयोग; तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत होने वाले निर्णयों तथा अनुमानों का उपयोग; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण भी शामिल है जो लेखांकन मानकों की सटीकता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, ऐसे एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतिकरण हेतु संगत थे जो एक सही तथा वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करें और जो किसी भौतिक गलत बयानी से मुक्त हों चाहे धोखाधड़ी के कारण हों अथवा चूक के।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन तथा लेखापरीक्षा मानकों और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले मामलों को ध्यान में लिया है।

हमने एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और अपनी लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त है।

लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आंकलनों को करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उचित होने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारी एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराता है।

मत

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2018 को भारतीय लेखांकन मानक सहित कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति), उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तनों का एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

मामले का बल दिया जाने वाला क्षेत्र

हम एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

- एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2.2 का पैरा 2 जो परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के लिए किए गए व्यय के संबंध में है, उसके लिए या तो परिणाम के संबंध में अनिश्चितता अथवा विभिन्न प्राधिकारियों के साथ स्वीकृति लम्बित होने के चलते अग्रणीत किए जाने के कारण प्रावधान किया गया है।

- ii) एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34 पैरा 1, जो कंपनी द्वारा/इसके विरुद्ध संविदाकारों तथा अन्य के प्रति/के द्वारा दायर दावों/अधिनिर्णय कार्यवाहियों तथा कानूनी मुकदमों के परिणाम के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। कुछ मामलों में अधिनिर्णय का निर्णय कंपनी के विपरीत हुआ है/निचली अदालतों में कंपनी हार गई है और मामले को उच्चतर अदालतों में उठा रही है।
- iii) एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 का पैरा 22ए सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित है जहां बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध के चलते 16.12.2011 से स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप बाधित हैं और मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लम्बित है। इस परियोजना पर अतिरिक्त व्यय के संबंध में सृजित नियामक विलंबित लेखा शेष की भविष्य की वसूली कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित हो सकती है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना

1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016, ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण "अनुबंध-क" में संलग्न किया है।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इस अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (5) के अनुसार परीक्षण किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए निदेश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन "अनुबंध-ख" में दिया गया है।
3. इस अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत हम सूचित करते हैं कि :
 - क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किये, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;
 - ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;
 - ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटियों में परिवर्तन का विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप है;
 - घ) हमारे मतानुसार, उक्त वर्णित एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 तथा इसके अंतर्गत जारी किए जाने वाले तत्संबंधी नियमों, जिन्हें इनके साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करते हैं;
 - ङ) एक सरकारी कंपनी होने के चलते कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुपालन में इस अधिनियम की धारा 164 की उप धारा(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
 - च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में "अनुबंध-ग" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें; और
 - छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11, के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मतानुसार और हमें दी गई श्रेष्ठ जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार :
 - i. कंपनी ने अपने एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर लम्बित याचिकाओं के प्रभाव को प्रकट किया है - देखें एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34 का पैरा 1;
 - ii. कंपनी ने दीर्घावधि संविदाओं पर भौतिक पूर्वानुमान योग्य हानियों, यदि कोई हो, हेतु लागू विधि या भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षानुसार प्रावधान किए हैं। कंपनी की कोई व्युत्पन्न संविदाएं नहीं हैं।
 - iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि को अंतरित की जाने हेतु अपेक्षित राशि को अंतरित करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी एलएलपी

(सनदी लेखाकार)

एफआर सं. 000050एन/ एन500045

(सुरेश सेठ)

भागीदार

सदस्यता सं. 010577

कृते रे एण्ड रे

(सनदी लेखाकार)

एफआर सं. 301072ई

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)

भागीदार

सदस्यता सं. 056359

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

एफआर सं. 09487एन

(रजत मेंगी)

भागीदार

सदस्यता सं. 089871

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 मई, 2018

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में “अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना” शीर्ष के अंतर्गत पैरा 1 में उल्लिखित अनुबंध क :-

- i. (क) कम्पनी ने सामान्यतः उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।
- (ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, सिवाय कुछ यूनिटों में भूमि के मामले में, का भौतिक सत्यापन प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा किया गया है। हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए इस सत्यापन की आवश्यकता तर्कसंगत है। हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के भौतिक सत्यापन में लेखा बहियों की तुलना में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई थी।
- (ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा हमारे कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर धारित हैं, सिवाय निम्नलिखित के :

मामलों की कुल संख्या	परिसंपत्ति का प्रकार	31.3.2018 के अनुसार सकल ब्लाक	31.3.2018 के अनुसार निवल ब्लाक	टिप्पणी
6	फ्रीहोल्ड भूमि (129.79 हैक्टेयर)	` 0.53 करोड़	` 0.53 करोड़	कंपनी स्वामित्व/ पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु उचित कदम उठा रही हैं।
8	पट्टाधारी भूमि (870.87 हैक्टेयर)	` 306.08 करोड़	` 245.01 करोड़	

- ii. वर्ष के दौरान प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा माल-सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे प्रमाणीकरण की आवृत्ति तर्कसंगत है। बही रिकार्डों की तुलना में ऐसी माल-सूची के भौतिक सत्यापन पर पाई गई कमियां भौतिक नहीं थी और उक्त के साथ लेखाबही में उचित व्यवहार किया गया है।
- iii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर की गई कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारियों या अन्य पक्षों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है, सिवाय एक कंपनी को वर्ष के दौरान दिए गए अप्रतिभूत ऋण के जिसके संबंध में :
 - i. हमारे मतानुसार ऐसे ऋण को दिए जाने के निबंधन और शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के विपरीत नहीं हैं।
 - ii. मूलधन की चुकौती तथा ब्याज की अदायगी का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और मूलधन तथा ब्याज की चुकौती नियमित रूप से की जा रही है।
 - iii. कंपनी को प्रदान किए गए ऐसे ऋण के संबंध में कोई अतिदेय राशि नहीं है।
- iv. हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी, और प्रतिभूति के संबंध में अधिनियम की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- v. कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और अन्य किसी संगत प्रावधान के अर्थ के भीतर कोई जमा स्वीकार नहीं किया है सिवाय अतिदेय धरोहर जमा राशि तथा सुरक्षा जमा के। तथापि, प्रबंधन का यह मत है कि बहियों में दर्शाए गए आपूर्तिकारों/संविदाकारों की अतिदेय धरोहर जमा राशि तथा सुरक्षा जमा वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु संविदाओं के निष्पादन हेतु प्रतिधारण राशि की प्रकृतिवाले हैं और उन्हें कंपनी (जमा की स्वीकार करना) संशोधन नियम, 2016 के नियम 2, उप नियम(1), खंड(ग) में संशोधन के चलते मानद जमा नहीं माना जाना चाहिए। तदनुसार, प्रबंधन द्वारा ऐसे सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि के संबंध में दिनांक 29.6.2016 की एमसीए की अधिसूचना संख्या जीएसआर-639(ई) के लागू होने के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय से 25 जनवरी, 2018 के पत्र संख्या एनएच/सीएस/433 के माध्यम से स्पष्टीकरण/छूट का अनुरोध किया गया है।
- vi. हमने कंपनी के उत्पाद/सेवाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उप धारा(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रख-रखाव के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखाबहियों की मोटे तौर पर समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया विहित लेखे तथा रिकार्ड को बनाया और सही ढंग से रखा गया है।
- vii. क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के रिकार्डों के हमारी जांच के आधार पर अविवादित सांविधिक देयों, जिसमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल हैं, जिनके संबंध में लेखाबहियों में कटौती की गई/प्रोदभूत राशियां हैं, उन्हें सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई अविवादित मांग राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आय कर, बिक्री कर/वैट, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, संपत्ति कर और उपभोग कर के देयों की राशि निम्नानुसार है :-

सांविधि का नाम	कार्य की प्रकृति	राशि (करोड़ रुपये में)	जिस वित्तीय वर्ष से संबंधित है	विरोध के अधीन किया गया जमा (करोड़ रूपए में)	फोरम जहां मामला लंबित है
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	7.07	2012-13	1.41	सीआईटी (ए), फरीदाबाद
बिक्री कर अधिनियम/वैट अधिनियम	बिक्री कर/ वैट	277.57	1994-95	0.22	जम्मू एवं कश्मीर बिक्री कर अपीलीय अधिकरण
		5.26	2005-06 से 2009-10		सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, कुल्लू
		15.29	2004-05 से 2011-12	15.29	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता
		5.16	2013-14		वाणिज्यिक कर विभाग, जम्मू एवं कश्मीर
		1.4	2006-07 से 2009-10		वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, सिलीगुड़ी मंडल
		2.74	2012-13		संयुक्त आयुक्त, सिलीगुड़ी
वित्त अधिनियम, 1996	सेवा कर	26.07	2012-13		सीटेट, कोलकाता
		0.04	जनवरी, 2008		सेवा कर विभाग, पटना
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	2.2	1986-87		कोलकाता उच्च न्यायालय
जम्मू एवं कश्मीर शहरी अचल संपत्ति कर अधिनियम, 1962	संपत्ति कर	0.05	01.04.1991 से 31.03.1997		कर अधिकरण
		0.15	01.04.1997 से 31.03.2002		कर अधिकरण
उत्तराखंड विद्युत उत्पादन संबंधी जल कर अधिनियम, 2012	जल उपकर	67.93	2015-16 से 2017-18		उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014	हरित ऊर्जा उपकर	33.19	2015-16 से 2017-18		उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
पश्चिम बंगाल राज्य वस्तु उपभोग तथा उपयोग कर अधिनियम, 2001	उपभोग कर	0.06	2003-04 से 2005-06		कोलकाता उच्च न्यायालय
बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996	बेओसीडब्ल्यू उपकर	9.24	2010-11	9.24	श्रम अधिकारी सह उपकर निर्धारण अधिकारी
पश्चिम बंगाल स्थानीय क्षेत्र वस्तु प्रवेश संबंधी कर अधिनियम, 2012	प्रवेश कर	0.87	2012-13 से 2017-18		वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, सिलीगुड़ी
पश्चिम बंगाल स्थानीय क्षेत्र वस्तु प्रवेश संबंधी कर अधिनियम, 2012	प्रवेश कर	0.17	2003-2006		वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, सिलीगुड़ी

- viii. प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान अपनायी गई प्रक्रिया और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक सरकार या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।
- ix. हमारे मत और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण उपकरणों तथा सावधि ऋण के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया है जिनके लिए उन्हें जुटाया गया था। कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक ऑफर/अतिरिक्त पब्लिक ऑफर के माध्यम से कोई राशि नहीं जुटाई है।
- x. हमारी लेखा प्रक्रियाविधियों के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ, इसके अधिकारियों/कर्मचारियों सहित किसी व्यक्ति द्वारा किसी धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान पाया अथवा सूचित नहीं किया गया है।

- xi. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के माध्यम से दी गई छूट के मद्देनजर प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(12) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xiii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के प्रावधानों के अनुपालन में है, जहां लागू हों, और ऐसे संव्यवहारों के विवरण को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है, जो लागू लेखांकन मानक द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार है।
- xiv. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेरों अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आवंटन या निजी स्थापन नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(14) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xv. हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने इससे संबंधित निवेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी संव्यवहार नहीं किया है। अतः आदेश के खंड 3(15) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(16) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों को संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (जेएसए) द्वारा सूचित “मामले पर बल” पर प्रबंधन का उत्तर

क्रम. सं.	मामला	प्रबंधन का उत्तर
(क)	एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2.2 का पैरा 2 जो परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के लिए किए गए व्यय के संबंध में है, उसके लिए या तो परिणाम के संबंध में अनिश्चितता अथवा विभिन्न प्राधिकारियों के साथ स्वीकृति लम्बित होने के चलते अग्रणीत किए जाने के कारण प्रावधान किया गया है।	(क) प्रबंधन के मतानुसार जिन परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय किया जा रहा है वे अभी सक्रिय हैं और तदनुसार, उन पर किए गए व्यय को अग्रणीत किया जा रहा है तथापि, जहां-कहीं आवश्यक समझा गया हो बहियों में प्रावधान किया गया है।
(ख)	एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34 पैरा 1, जो कंपनी द्वारा/इसके विरुद्ध संविदाकारों तथा अन्य के प्रति/के द्वारा दायर दावों/अधिनिर्णय कार्यवाहियों तथा कानूनी मुकदमों के परिणाम के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। कुछ मामलों में अधिनिर्णय का निर्णय कंपनी के विपरीत हुआ है/निचली अदालतों में कंपनी हार गई है और मामले को उच्चतर अदालतों में उठा रही है।	(ख) एकल वित्तीय विवरण के नोट सं. 34 के पैरा 1 में इस प्रकटीकरण को भारतीय लेखांकन मानक-37 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां) के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है।
(ग)	एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 का पैरा 22ए सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित है जहां बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध के चलते 16.12.2011 से स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप बाधित हैं और मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लम्बित है। इस परियोजना पर अतिरिक्त व्यय के संबंध में सुजित नियामक विलंबित लेखा शेष की भविष्य की वसूली कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित हो सकती है।	(ग) (क) परियोजना के लिए किए जा रहे व्ययों के प्रति नियामक विलंबित लेखा शेष (परिसंपत्तियां) का सृजन और तदनुसूची नियामक आय को मान्यता दिया जाना भारतीय लेखांकन मानक 114 (विनियामक विलंबित लेखे और आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पण (पूर्ववर्ती जीएएपी)) के अनुसार किया जा रहा है। प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि इस परिसंपत्ति ने वृद्धिआत्मक वर्धन लागू लेखांकन मानक के अनुसार ऐसी मान्यता हेतु अपेक्षित निश्चितता तथा विवेक के स्तर को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन के आकलन के अनुसार इसमें मान्यता दिए गए नियामक विलंबित लेखा शेष सहित परियोजना की परिसंपत्तियों की वहन राशि में कोई क्षति नहीं हुई है।

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी एलएलपी

(सनदी लेखाकार)

एफआर सं. 000050एन/ एन500045

(सुरेश सेठ)

भागीदार

सदस्यता सं. 010577

कृते रे एण्ड रे

(सनदी लेखाकार)

एफआर सं. 301072ई

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)

भागीदार

सदस्यता सं. 056359

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

एफआर सं. 09487एन

(रजत मेंगी)

भागीदार

सदस्यता सं. 089871

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 मई, 2018

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के शीर्ष “अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट” के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुबंध-ख

क्रम सं.	निदेश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड तथा पट्टाधारी भूमि पर क्रमशः स्पष्ट स्वामित्व/पट्टा विलेख है? यदि नहीं तो ऐसी फ्रीहोल्ड तथा पट्टाधारी भूमि का क्षेत्रफल बताइए जिसके लिए स्वामित्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	सभी फ्रीहोल्ड और पट्टाधारी भूमियों के स्पष्ट स्वामित्व/पट्टा विलेख मौजूद हैं सिवाय क्रमशः 129.79 और 870.87 हेक्टेयर के।
2	क्या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की छूट/पश्च लेखन के कोई मामले हैं। यदि हां तो तत्संबंधी कारण और इसमें शामिल राशि बताएं।	ऐसा एक मामला है जहां सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 0.07 करोड़ रुपये की राशि का पश्च लेखन किया गया है।
3	क्या तृतीय पक्षों के साथ पड़ी हुई माल-सूची और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है।	हमारे मतानुसार, कंपनी तृतीय पक्षों के साथ पड़ी हुई माल-सूची का उचित रिकार्ड रख रही है। सूचित किए अनुसार कंपनी को सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी एलएलपी

(सनदी लेखाकार)

एफआर सं. 000050एन/ एन500045

(सुरेश सेठ)

भागीदार

सदस्यता सं. 010577

कृते रे एण्ड रे

(सनदी लेखाकार)

एफआर सं. 301072ई

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)

भागीदार

सदस्यता सं. 056359

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

एफआर सं. 09487एन

(रजत मेंगी)

भागीदार

सदस्यता सं. 089871

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 मई, 2018

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के शीर्ष “अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट” के अंतर्गत पैराग्राफ 3(च) में संदर्भित अनुबंध-ग कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड(1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (“कंपनी”) की 31 मार्च, 2018 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष चालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीति के साथ अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा चूक को रोकना तथा पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय सूचना को समय से प्रस्तुत करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर एक मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट (“परामर्शी नोट”) और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार की है और इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित माना गया है, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी भौतिक संबंध में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाविधियां निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की एक समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी विद्यमान है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन

तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी से हुई हो अथवा त्रुटि से, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु आधार मुहैया करवाने के लिए पर्याप्त तथा उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और भारतीय लेखांकन मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) सहित सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में एक तर्कसंगत आश्वासन मुहैया करवाने के लिए बनाया गया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां तथा प्रक्रियाविधियां शामिल होती हैं जो कि (1) ऐसे रिकार्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जिनमें तर्कसंगत रूप से ब्यौरे के साथ, सटीकता तथा उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहार तथा स्थिति को दर्शाया गया हो; (2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देती हो कि दर्ज किए गए संव्यवहार सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप ही किए गए हैं; और (3) एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत खरीद, उपयोग अथवा निपटान का समय से पता लगाने तथा रोकने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन मुहैया कराती हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाओं में, नियंत्रणों से ऊपर सांठ-गांठ या अनुचित प्रबंधन की संभाव्यता, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकना तथा जिसका पता नही भी चल सकता, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थितियों में बदलाव, के चलते अपर्याप्त हो सकती है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाविधियों के साथ अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक पहलुओं के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और यह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2018 को प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड पर आधारित है।

कृते एस.एन.धवन एंड कंपनी एलएलपी

(सनदी लेखाकार)

एफआर सं. 000050एन/ एन500045

(सुरेश सेठ)

भागीदार

सदस्यता सं. 010577

कृते रे एण्ड रे

(सनदी लेखाकार)

एफआर सं. 301072ई

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)

भागीदार

सदस्यता सं. 056359

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

एफआर सं. 09487एन

(रजत मेंगी)

भागीदार

सदस्यता सं. 089871

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 मई, 2018

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
परिसंपत्तियां			
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2.1	19,066.44	20,038.58
ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2	18,813.96	17,350.13
ग) निवेश संपत्ति	2.3	4.49	4.49
घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.4	923.38	934.14
ड) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) निवेश	3.1	2,209.56	2,100.32
ii) व्यापार प्राप्य	3.2	184.45	-
iii) ऋण	3.3	339.88	360.96
iv) अन्य	3.4	1,915.23	1,863.83
च) गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	163.67	73.68
छ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	5	1,279.63	1,125.74
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		44,900.69	43,851.87
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) माल-सूची	6	95.77	91.64
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) प्राप्य व्यापार	7	1,097.07	1,492.90
ii) नकदी और नकदी तुल्य	8	6.96	59.89
iii) नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9	1,465.43	1,473.25
iv) ऋण	10	46.80	43.84
v) अन्य	11	1,919.42	1,858.25
ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	0.40	55.93
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	342.18	475.21
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		4,974.03	5,550.91
(3) नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14	3,600.46	2,904.32
कुल परिसंपत्तियां और नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष		53,475.18	52,307.10
इक्विटी तथा देयताएं			
(1) इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	10,259.32	10,259.32
ख) अन्य इक्विटी	15.2	18,068.83	16,682.81
कुल इक्विटी		28,328.15	26,942.13
(2) देयताएं			
गैर-वर्तमान देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i) ऋण	16.1	16,728.20	17,245.64
ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2	38.47	25.63
ख) प्रावधान	17	25.47	486.93
ग) विलंबित कर देयताएं (निवल)	18	1,076.64	938.49
घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	1,625.00	1,472.47
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		19,493.78	20,169.16

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन-पत्र (जारी...)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(3) वर्तमान देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i) ऋण	20.1	279.99	302.50
ii) देय व्यापार	20.2		
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		5.29	4.28
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय		166.26	142.80
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.3	2,778.81	2,549.63
ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21	669.86	706.65
ग) प्रावधान	22	1,753.04	1,489.95
घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	-
कुल वर्तमान देयताएं		5,653.25	5,195.81
कुल इक्विटी तथा देयताएं		53,475.18	52,307.10
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
वर्ष के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) जो प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का हिस्सा हो	32		
वित्तीय लिखत तथा जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण	33		
लेखे की अन्य विवरणात्मक टिप्पणियां	34		
टिप्पणी 1 से 34 लेखे का अभिन्न भाग है			

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
विजय गुप्ता

कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल

निदेशक (वित्त)

डीआईएन : 02889021

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते रे एण्ड रे

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 301072ई

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)

भागीदार

सदस्यता सं. 056359

बलराज जोशी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 07449990

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 09487एन

(रजत मेंगी)

भागीदार

सदस्यता सं. 089871

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045

(सुरेश सेठ)

भागीदार

सदस्यता सं. 010577

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 28 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
i) सतत प्रचालनों से राजस्व	24.1	6,934.03	7,271.17
ii) अन्य आय	24.2	1,491.00	1,457.67
कुल आय		8,425.03	8,728.84
व्यय			
i) उत्पादन व्यय	25	716.39	773.67
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	26	1,585.33	1,574.84
iii) वित्त लागत	27	922.32	1,073.22
iv) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	1,405.89	1,388.40
v) अन्य व्यय	29	989.18	1,158.10
कुल व्यय		5,619.11	5,968.23
असाधारण मदों, दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर से पूर्व लाभ		2,805.92	2,760.61
असाधारण मदें		-	-
कर पूर्व लाभ		2,805.92	2,760.61
कर व्यय	30		
i) वर्तमान कर		634.68	706.56
ii) आय कर हेतु समायोजन		(6.91)	(116.99)
iii) विलंबित कर		139.32	89.44
कुल कर व्यय		767.09	679.01
वर्ष हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व लाभ		2,038.83	2,081.60
नियामक विलंब लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31	719.82	713.99
नियामक विलंब लेखा शेष में निवल संचलन के पश्चात वर्ष हेतु लाभ		2,758.65	2,795.59
सतत प्रचालनों से वर्ष हेतु लाभ (क)		2,758.65	2,795.59
अन्य व्यापक आय (ख)			
(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क) निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		44.78	(64.84)
घटाएं - निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आय कर		14.80	(22.44)
घटाएं - निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन		(13.85)	7.73
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन - निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		(23.68)	9.05
उप जोड़ (क)		20.15	(41.08)
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश		(7.30)	34.79
उप जोड़ (ख)		(7.30)	34.79
कुल (1) = (क)+(ख)		12.85	(6.29)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा विवरण (जारी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
(ii) मर्दे जिन्हें लाभ अथवा हानि को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
- ऋण लिखत में निवेश		(9.09)	15.78
घटाएं - ऋण लिखत में निवेश पर आय कर		(2.12)	1.82
कुल (ii)		(6.97)	13.96
अन्य व्यापक आय (ख) = (i+ii)		5.88	7.67
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (क+ख)		2,764.53	2,803.26
नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में संचलन से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, 10 रुपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)			
मूल तथा तनुकृत		1.99	1.88
नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में संचलन के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, 10 रुपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)			
मूल तथा तनुकृत		2.69	2.53
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
वर्ष के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) जो प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का हिस्सा हो	32		
वित्तीय लिखत तथा जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण	33		
लेखे की अन्य विवरणात्मक टिप्पणियां	34		
टिप्पणी 1 से 34 लेखे का अभिन्न भाग है			

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045
(सुरेश सेठ)
भागीदार
सदस्यता सं. 010577

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 28 मई, 2018

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021
समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 056359

बलराज जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 09487एन
(रजत मेंगी)
भागीदार
सदस्यता सं. 089871

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ	3525.74	3,474.60
घटाएं : नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन	719.82	713.99
कर पूर्व लाभ	2805.92	2,760.61
जोड़े :		
मूल्यहास	1405.89	1,388.40
वित्त लागत (ईएसी का निवल)	922.32	1,073.22
प्रावधान (निवल हानि)	69.78	119.68
नियामक विलंबित लेखा शेष के प्रति व्यय (वित्त तथा मूल्यहास का निवल)	381.59	341.71
कर समायोजन (हानि)	58.37	94.83
एफईआरई के कारण बिक्री समायोजन	66.36	51.81
	2904.31	3,069.65
	5710.23	5,830.26
घटाएं :		
पश्च लेखित मूल्यहास के प्रति अग्रिम	60.68	60.68
प्रावधान (निवल लाभ)	85.57	44.92
निवेश की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	-	6.54
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	6.89	(1.70)
लाभांश आय	632.12	207.49
ब्याज आय	252.73	512.72
विनिमय दर अंतर	(2.88)	4.05
उचित मूल्य समायोजन	(2.95)	(2.91)
सरकारी अनुदानों का परिशोधन	5.99	4.60
	1038.15	836.39
	4672.08	4,993.87
प्रचालनशील परिसंपत्तियों तथा देयताओं के समायोजन से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों का नकदी प्रवाह		
प्रचालनशील परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन		
माल-सूची	(4.22)	(8.05)
प्राप्य व्यापार	584.32	54.85
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	(517.31)	3,352.49
अन्य वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान	29.96	209.74
	92.75	3,609.03
कर पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	4764.83	8,602.90
घटाएं : कर	662.22	760.07
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	4102.61	7,842.83
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित) - निवल	(1530.44)	(1,496.41)
नियामक विलंबित लेखा शेष में परिवर्तन	(381.59)	(341.71)
निवेश/बॉण्ड हेतु वसूली/ (भुगतान)	-	(0.35)
संयुक्त उद्यम में निवेश	(125.36)	(365.37)
लाभांश आय	632.12	207.49
ब्याज आय	260.49	566.25
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	(1144.78)	(1,430.10)
ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
इविटटी शेयरों की पुनः खरीद (प्रीमियम भुगतान सहित)	-	(2,625.93)
लाभांश और अदा किए गए लाभांश पर कर	(1378.50)	(2,996.35)
ऋण	4354.99	2,804.51
ऋण की चुकौती	(4855.88)	(3,338.37)
ब्याज तथा वित्त प्रभार	(1143.87)	(1,391.09)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
प्राप्त सरकारी अनुदान	12.50	
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	(3010.76)	(7,547.23)
घ. नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	(52.93)	(1,134.50)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य	59.89	1,194.39
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	6.96	59.89

नकदी प्रवाह के विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- नकदी तथा नकदी तुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट तथा बैंक शेष शामिल है जिसमें तीन माह से कम के मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा को भी शामिल किया गया है। तुलन पत्र की टिप्पणी 8 के अनुसार नकदी तथा नकदी तुल्य का ब्यौरा निम्नवत है :

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
नकदी तथा नकदी-तुल्य	6.96	59.89

नकदी तथा नकदी तुल्य में 0.22 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 7.74 करोड़ रूपए) शामिल है जो अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों हेतु धारित हैं।

- वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह में ब्याज तथा वित्त प्रभार में अवधि के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण वर्ष के दौरान पूंजीकृत 388.71 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 386.80 करोड़ रूपए) की ऋण लागत और अवधि के दौरान सृजित नियामक विलंब लेखे हेतु 331.39 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 365.32 करोड़ रूपए) की राशि शामिल है।

- 31.3.2018 को लिए न गए ऋण की राशि - शून्य करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 66.28 करोड़ रूपए) का अधीनस्थ ऋण।

4 निवल ऋण समाधान

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
नकदी और नकदी तुल्य	6.96	59.89
वर्तमान ऋण	(280.00)	(303.01)
गैर-वर्तमान ऋण	(18894.59)	(19352.28)
निवल ऋण	(19167.63)	(19595.40)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	अन्य परिसंपत्तियां		वित्त-पोषण क्रियाकलापों से देयताएं	
	नकदी और नकदी तुल्य	गैर-वर्तमान ऋण	वर्तमान ऋण	कुल
31 मार्च, 2017 को निवल ऋण	59.89	(19352.28)	(303.01)	(19595.40)
नकदी प्रवाह	(52.93)	478.38	22.51	447.96
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	(71.65)	-	(71.65)
ब्याज व्यय	-	(1252.62)	(4.55)	(1257.17)
अदा किया गया ब्याज	-	1108.19	5.05	1113.24
उचित मूल्य समायोजन	-	195.39	-	195.39
31 मार्च, 2018 को निवल ऋण	6.96	(18894.59)	(280.00)	(19167.63)

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)

डीआईएन : 02889021

बलराज जोशी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 07449990

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी
(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045

(सुरेश सेठ)

भागीदार

सदस्यता सं. 010577

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 28 मई, 2018

कृते रे एण्ड रे

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 301072ई

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)

भागीदार

सदस्यता सं. 056359

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 09487एन

(रजत मेंगी)

भागीदार

सदस्यता सं. 089871

31 मार्च, 2018 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रुपए में)
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	15.1	10,259.32
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च, 2018 के अनुसार	15.1	10,259.32

ख. अन्य इक्विटी

इक्विटी धारकों को आय	आरक्षित और अधिशेष					अन्य व्यापक आय		कुल
	पूँजी मोचन आरक्षित	बॉण्ड मोचन आरक्षित	अनुसंधान एवं विकास निधि	सामान्य आरक्षित	अधिशेष प्रतिधारित अर्जन	अधीनस्थ के माध्यम से इक्विटी लिखत	अधीनस्थ के माध्यम से ऋण लिखत	
1 अप्रैल, 2017 को शेष	2,041.42	242.81	43.90	10,088.11	2,522.54	100.08	34.68	16,602.81
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	2,758.65	-	-	2,758.65
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	20.15	(7.30)	(6.97)	5.88
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	2,778.80	(7.30)	(6.97)	2,764.53
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय को अंतरित	-	(148.17)	-	-	148.17	-	-	-
बॉण्ड मोचन आरक्षित से परब लेखित राशि	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश पर कर - परबलेखित	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसंधान एवं विकास निधि से परबलेखित राशि	-	-	(43.90)	-	43.90	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	-	-	-	-	(102.60)	-	-	(102.60)
अतिरिक्त लाभ (2016-17)	-	-	-	-	(1,149.05)	-	-	(1,149.05)
अतिरिक्त लाभ (2017-18)	-	-	-	-	(126.86)	-	-	(126.86)
लाभांश पर कर	-	-	-	-	(668.45)	-	-	-
बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसंधान और विकास निधि को अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2018 को कुल	2,041.42	242.81	-	10,088.11	3,446.45	92.78	27.71	18,088.83

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

महेश कुमार मित्तल

निदेशक (विन)

डॉआईएन : 02880021

सनसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते रे एण्ड रे

(समदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 301072ई

(असीप कुमार मुखोपाध्याय)

मार्गीदार

सदस्यता सं. 056359

विजय गुप्ता

कंपनी सचिव

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी

(समदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 000050एच/एन500045

(सुरेश सेठ)

मार्गीदार

सदस्यता सं. 010577

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 28 मई, 2018

बलराज जोशी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉआईएन : 07449900

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

(समदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 09487एन

(रजत मैत्री)

मार्गीदार

सदस्यता सं. 088871

31 मार्च, 2017 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रुपए में)
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	15.1	11,070.67
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		(811.35)
31 मार्च, 2017 के अनुसार	15.1	10,259.32

ख. अन्य इक्विटी

इक्विटी धारकों को आयोजित	अवधि और अधिेश				अन्य व्यापक आय				कुल
	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉन्ड मोडन आरक्षित	सह-बीमा निधि	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	अनुसंधान एवं विकास निधि	सामान्य आरक्षित	अधिशेष प्रतिभूति अर्जन	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत
1 अप्रैल, 2016 को शेष	1,230.07	2,868.74	1,324.20	-	31.70	10,088.11	3,061.65	65.29	20.72
बर्ब हेतु लाभ	-	-	-	-	-	-	2,795.59	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	(41.08)	34.79	13.96
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	2,754.51	34.79	13.96
प्रतिभूति प्रीमियम से अंतरित	811.35	(811.35)	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनः खरीद हेतु उपयोग	-	(1,805.25)	-	-	-	-	-	-	-
खय	-	(9.33)	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूति आय को अंतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बॉन्ड मोडन आरक्षित से खय लेखित राशि	-	-	(109.42)	-	-	-	109.42	-	-
प्रतिभूति अर्जन को अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कारपोरेट लाभांश कर (सीडीटी)	-	-	-	-	-	-	(2,524.13)	-	-
बॉन्ड मोडन आरक्षित को अंतरण	-	-	394.49	-	-	-	(472.22)	-	-
स्व-बीमा निधि को अंतरण	-	-	-	-	-	-	(394.49)	-	-
अनुसंधान और विकास निधि को अंतरण	-	-	-	-	12.20	-	(12.20)	-	-
31 मार्च, 2017 को कुल	2,041.42	242.81	1,609.27	-	43.90	10,088.11	2,522.54	100.08	34.68
									16,682.81

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

महेश कुमार मित्तल

निदेशक (वित्त)

डॉआईएन : 02880021

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते रे एण्ड रे

(समदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 301072ई

(असीध कुमार मुखोपाध्याय)

भागीदार

सदस्यता सं. 056359

विजय गुप्ता

कंपनी सचिव

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी

(समदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 000050एच/एन500045

(चुरेशा सेठ)

भागीदार

सदस्यता सं. 010577

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 28 मई, 2018

बलराज जोशी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉआईएन : 07449900

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

(समदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 09487एच

(रजत मैत्री)

भागीदार

सदस्यता सं. 088671

टिप्पणी संख्या - 1 : कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(I) रिपोर्टिंग निकाय

एनएचपीसी लिमिटेड ('कंपनी') भारत में अधिवासित तथा शेयरों द्वारा सीमित एक कंपनी है। कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड में सार्वजनिक रूप से खरीदे-बेचे जाते हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003 है। कंपनी मुख्यतः विद्युत उत्पादन और विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं को बल्क विद्युत की बिक्री में रत है। अन्य व्यापार में परामर्श मुहैया करवाना तथा परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण शामिल है।

(II) तैयार करने के आधार

(क) अनुपालन का कथन

इन एकल वित्तीय विवरणों को लेखांकन के प्रोद्भव आधार पर तैयार किया गया है सिवाय नकदी प्रवाह के विवरण के और ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) तथा तत्संबंधी परवर्ती संशोधनों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

(ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं हेतु जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है :

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
- निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजनागत परिसंपत्तियां।

उचित मूल्यों के मापन हेतु प्रयुक्त पद्धतियों पर टिप्पणी 33 में चर्चा की गई है।

(ग) कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय राष्ट्रीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। समूची वित्तीय सूचना को भारतीय राष्ट्रीय रुपये में प्रस्तुत किया है और निकटतम करोड़ रुपये (2 दशमलव तक) तक इसे पूर्णांकित किया गया है।

(घ) अनुमानों तथा प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा ऐसे निर्णय, अनुमान तथा मान्यताओं को लेना अपेक्षित होता है जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और तुलन-पत्र तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं सहित संबंधित प्रकटीकरणों के सूचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान तथा आधारभूत मान्यताओं की समीक्षा एक चालू आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिनमें अनुमानों को संशोधित किया जाए।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि करने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमानों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में जानकारी जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उसे निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है :

महत्वपूर्ण निर्णय तथा अनुमान

क) यह निर्धारित करना कि क्या किसी व्यवस्था में कोई पट्टा शामिल है

परिशिष्ट-ग, भारतीय लेखांकन मानक 17 'यह निर्धारित करना कि क्या किसी व्यवस्था में कोई पट्टा शामिल है' में इसका एक आकलन अपेक्षित होता है कि :

- व्यवस्था की पूर्ति किसी विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर है; और
- व्यवस्था में परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, किसी व्यवस्था में परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार संप्रेषित होता है और यदि तथ्य तथा परिस्थितियां यह इंगित करें कि इसका अंदेशा है कि खरीददार के अतिरिक्त कोई एक या अधिक पक्ष उत्पादन अथवा व्यवस्था की अवधि के दौरान परिसंपत्ति द्वारा उत्पादित या उत्पन्न किसी अन्य उपयोगिता की एक नगण्य मात्रा से अधिक ले जाएंगे, और खरीददार द्वारा उत्पादन हेतु भुगतान किया जाने वाला मूल्य न तो उत्पादन के प्रति यूनिट पर संविदात्मक रूप से निर्धारित है और न ही उत्पादन की डिलीवरी के समय उत्पादन के प्रति यूनिट वर्तमान बाजार मूल्य के समान है।

कंपनी लाभग्राहियों के साथ विद्युत क्रय समझौते करती है। विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) किसी एकल लाभग्राही के साथ सन्निहित पट्टे की प्रकृति के होते हैं जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल के एक प्रमुख हिस्से हेतु होती है तथा न्यूनतम पट्टा भुगतान राशि संयंत्र के समूचे उचित मूल्य को व्यापक रूप से कवर करने के लिए वित्त पट्टे के रूप में मानी जाती है। अन्य सन्निहित पट्टों को प्रचालन पट्टे माना जाता है।

वित्त पट्टे की प्रकृति वाले सन्निहित पट्टे में संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों में से निहित पट्टा भुगतान को पृथक करके की जाती है। प्रत्येक पट्टा रसीद को प्राप्य तथा वित्त पट्टा आय के मध्य आवंटित किया जाता है ताकि प्राप्य बकाया पट्टे पर प्रतिफल की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

प्रचालन पट्टों अथवा निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को पट्टा अवधि पर एक सीधी रेखा आधार पर राजस्व में मान्यता दी जाती है। संबंधित पट्टा परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है।

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का उपयोगी जीवनकाल

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अप्रचलन के प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारक (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय खोजें) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रख-रखाव व्यय के स्तर शामिल होते हैं।

विद्युत के उत्पादन हेतु प्रयुक्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 के भाग-ख में यथा उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है सिवाय निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरणों हेतु जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-2 के अनुरूप हैं और मोबाइल फोन को जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार हैं।

ग) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की प्राप्ति योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य और अमूर्त परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य राशि अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित होती है, विशेष रूप से विद्युत संयंत्रों से संबद्ध प्रत्याशित बाजार परिदृश्य तथा भविष्य के नकदी प्रवाहों के मामले में। इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का प्राप्ति योग्य राशि के मापन में भौतिक प्रभाव होगा जो क्षति में परिणत होगा।

घ) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ योजनाएं

कर्मचारी लाभ बाध्यताओं को बीमाकृत मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु तथा छोड़ देने की दर और साथ ही साथ छूट दरों में भविष्य के घटनाक्रम, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित दर संबंधी मान्यताएं शामिल हैं। कंपनी यह मानती है कि इसकी बाध्यताओं के मापन हेतु प्रयुक्त मान्यताएं उचित तथा प्रलेखित हैं। तथापि, इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर प्रभाव हो सकता है।

ङ) राजस्व

कंपनी विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को भारतीय लेखांकन मानक 18 के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर दर्ज करती है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दरों को अभी अनुमोदित किया जाना है, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरों को अपनाया जाता है।

च) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं की मान्यता में किए गए आकलनों को भारतीय लेखांकन मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार किया गया है। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभाव्य प्रवाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए श्रेष्ठ निर्णय के आधार पर किया गया है। ऐसे अनुमान अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकते हैं।

छ) दर विनियमित परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य राशि

कंपनी के प्रचालन क्रियाकलाप सेवा की लागत विनियमों के अधीन है जिसके द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु प्रभारित टैरिफ ब्याज लागत, मूल्यहास, एक निर्धारित प्रतिफल सहित प्रचालन तथा अनुरक्षण जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होते हैं। आईसीएआई द्वारा जारी दर नियंत्रित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट (पिछला जीएएपी) और भारतीय लेखांकन मानक 114 'नियामक विलंबित लेखे' किसी निकाय को दर आधार में, स्व-निर्मित (मूर्त) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में, ऐसी राशियां शामिल करने की अनुमति देते हैं जिन्हें अन्यथा भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती। कंपनी अनुमान लगाती है कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई नियामक विलंबित लेखे की मदें वर्तमान सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2014-19 के अनुसार हैं। तथापि, वर्तमान टैरिफ अवधि से अधिक सीईआरसी टैरिफ विनियमों में परिवर्तन ऐसे शेष की वसूल किए जाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

ज) प्राप्य व्यापार की क्षति

प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य मूल्य में क्षति अथवा प्राप्य व्यापारों की वसूली में विलंब के चलते राशि के समय मूल्य में हानि की परिकल्पना नहीं करती है, सिवाय पहले से प्रावधान किए गए की सीमा तक।

झ) सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश

निवेश लागत पर किया गया है और कंपनी के आंकलन के अनुसार ऐसे निवेशों में क्षति का कोई संकेत नहीं है। मान्यता में किसी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के मापन पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

ञ) प्राप्य बीमा दावा

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को क्षति के संबंध में बीमा दावे की प्राप्य राशि बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित है।

(III) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार नीचे दिए गए अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सतत तरीके से लागू किया गया है।
1.0 संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई)

क) 31 मार्च, 2015 तक संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया है। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि (अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 'भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना' द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

ख) पीपीई की किसी मद को तब एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है यदि यह संभावना हो कि मद के साथ संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकेगा।

- ग) पीपीई को प्रारंभ में जहां-कहीं अपेक्षित हो समाप्त किए जाने की लागत अथवा बाहरी लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर लिया जाता है। लागत में वह राशि शामिल होती है जो सीधे परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर आरोप्य हो। ऐसे मामलों में जहां संविदाकार के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, परन्तु परिसंपत्ति पूर्ण है तथा उपयोग हेतु उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर आवश्यक समायोजनों के अधीन किया जाता है, जिसमें माध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटान से उत्पन्न होने वाले भी शामिल हैं।
- घ) पावर स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर पीपीई के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय जो विद्यमान परिसंपत्ति के वृद्धित जीवन और/अथवा दक्षता में परिणत होते हों, उन्हें संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। विद्यमान परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटाई गई इसकी तदनुसूची प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है।
- ङ) प्रारंभिक मान्यता के पश्चात संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को संचित मूल्यहास/परिशोधन तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, घटा लागत पर वहन किया जाता है।
- च) कब्जे में होने वाली भूमि से संबंधित मुआवजे (निर्णय की तिथि तक अदालत द्वारा दिए गए वृद्धित मुआवजे पर ब्याज सहित), पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं संबंधी व्यय सहित अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत माना जाता है।
- छ) कंपनी का नियंत्रण होने वाली परिसंपत्तियां, भले ही कंपनी का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर सृजित की गई हों, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।
- ज) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मान्यता मानदंड को पूरा करने वाले अतिरिक्त उपकरण तथा सेवा उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है।
- झ) मान्यता मानदंड को पूरा करने वाले कलपुर्जे (संयंत्र तथा मशीनरी के साथ अथवा बाद में खरीदे गए) को पूंजीकृत किया जाता है। उन कलपुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, को विमान्य किया जाता है जब उनके उपयोग अथवा निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हों। माल-सूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जों को 'भंडार तथा कलपुर्जे' माना जाता है।
- ञ) यदि प्रतिस्थापित पुर्जे की लागत या पहले का निरीक्षण उपलब्ध नहीं है तो समान नए पुर्जे की अनुमानित लागत/निरीक्षण को विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण घटक की लागत के एक संकेत के रूप में लिया जाता है, जब मद को अधिगृहीत किया गया हो या उसका निरीक्षण किया गया हो।
- ट) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य का कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाली किसी लाभ या हानि (जिसकी गणना परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.0 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

- क) 31 मार्च, 2015 तक प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि (अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 'भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना' द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।
- ख) निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत लागत पर लिया जाता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क तथा अप्रतिदेय करों सहित परिसंपत्तियों का खरीद मूल्य (व्यापार छूट तथा अन्य छूट की कटौती के पश्चात), परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच क्रियाकलापों के संबंध में व्यय, स्थल तैयार किए जाने की लागत, प्रारंभिक डिलीवरी तथा हैण्डलिंग प्रभार, स्थापन तथा असेंबली लागतें आदि शामिल होती हैं।
- ग) लागतों में कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, आम जन सुविधाओं के रख-रखाव तथा उन्नयन पर किया गया व्यय, परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास, निर्माण के दौरान ब्याज तथा परिसंपत्ति को स्थल पर लाने तथा प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से प्रचालन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सीधे आरोप्य अन्य लागतों को 'निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)' के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा बाद में परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।
- घ) सुविधाओं के सृजन पर किया गया पूंजीगत व्यय, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है, परन्तु जिनका सृजन परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक है, उन्हें 'निर्माण को आरोप्य व्यय' के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा 'प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य' के अंतर्गत वहन किया जाता है और बाद में भारतीय लेखांकन मानक 16- 'संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण' में 'आरोप्यता' और 'मापन की इकाई' को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। परियोजना की पूर्णता के पश्चात किया गया ऐसी प्रकृति का व्यय लाभ एवं हानि विवरण को प्रभावित किया जाता है।

3.0 निवेश संपत्ति

31 मार्च, 2015 तक निवेश संपत्ति को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि (अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 'भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना' द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में संव्यवहार लागत सहित लागत तक मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, निवेश संपत्तियों को लागत पर घटा संचित मूल्यहास तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

निवेश संपत्तियों को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान अथवा उपयोग से स्थायी रूप से हटा लिए जाने तथा उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर को विमान्य किए जाने की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

निवेश संपत्ति से अथवा उसे अंतरण केवल तब ही किया जाता है जब उपयोग में कोई परिवर्तन हो।

4.0 अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

- क) 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसंपत्तियों को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि (अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 'भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना' द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।
- ख) अलग से अधिगृहीत की गई अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात अमूर्त परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन तथा संचित हानियों से घटाई गई लागत पर वहन किया जाता है।
- ग) राज्य सरकार से उपयोग हेतु ली गई भूमि (स्वामित्व के अंतरण के बिना) और राहत तथा पुनर्वास संबंधी व्यय तथा भू-वंचितों हेतु वैकल्पिक सुविधाओं के अथवा जलमग्न होने वाली विद्यमान सुविधाओं के एवज में सृजन तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के प्रयोजन हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट पूर्व शर्त है, उन्हें उपयोग हेतु भूमि अधिकार के रूप में लेखांकित किया जाता है।
- घ) आंतरिक उपयोग हेतु खरीदा गया सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग न होने वाला) अधिग्रहण की लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति हानि, यदि कोई हो, पर बताया जाता है।
- ङ) निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में आर्थिक लाभ की प्रत्याशा न होने वाली अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानियों को निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है और उसे परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.0 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- क) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारक प्रारंभ में मान्यता हेतु पहले अर्हक होने वाली संव्यवहार की तिथि पर वित्तीय मुद्रा स्पॉट दर पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों को उस तिथि को विद्यमान क्रियात्मक मुद्रा विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- ख) 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व किए गए संव्यवहार से उत्पन्न होने वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के संबंध में विनिमय अंतरों को संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की वहन लागत पर समायोजित किया जाता है।
- ग) 31 मार्च, 2016 से पूर्व विदेशी मुद्रा ऋण के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधियों में लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय हैं, उन्हें 'विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्राप्य/देय लेखा' के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे इन्हें वसूल/अदा किया जाना है।
- घ) 1.4.2016 को अथवा उसके पश्चात की गई विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक निर्माण अवधि के दौरान 'नियामक विलंबित लेखा शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष में इन्हें लाभार्थियों से वसूल अथवा उन्हें अदा किया जाना है।
- ङ) किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

6.0 विनियामक विलंबित लेखा

- क) जहां परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान व्यय किए गए खर्चों की किसी मद को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात् भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार संगत पीपीई के लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं होती, परन्तु फिर भी इसे सीईआरसी द्वारा भविष्य में टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, उक्त की वसूली के अधिकार को 'नियामक विलंबित लेखा शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए व्यय/आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार 'विनियामक विलंबित लेखा शीर्ष' के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ग) इन विनियामक विलंबित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें ये लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हैं।
- घ) नियामक विलंबित लेखा शेषों का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि निहित क्रियाकलाप मान्यता मानदण्ड को पूरा करते हों और यह संभावना हो कि ऐसे शेषों से संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदण्ड पूरे नहीं होते हैं तो विनियामक विलंबित लेखा शेषों को विमान्य किया जाता है।
- ङ) नियामक विलंबित लेखा शेषों की प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर क्षति हेतु जांच की जाती है।

7.0 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के मध्य एक व्यवस्थित लेन-देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री करने पर मिलेगा या किसी देयता के अंतरण पर अदा किया जाएगा। सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता पर लेन-देन मूल्य उचित मूल्य का श्रेष्ठ उदाहरण होता है।

तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेन-देन मूल्य उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करता, यह अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में समुचित हों तथा जिसके लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त डाटा उपलब्ध हो, जो संगत मापन योग्य आदानों के उपयोग को अधिकतम कर सके तथा मापन योग्य न होने वाले आदानों के उपयोग को न्यूनतम कर सके।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन अथवा प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है, उन्हें उचित मूल्य तंत्र के भीतर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह श्रेणीकरण आदान के उस निम्नतम स्तर पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है-

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्भूत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकों के जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने पर महत्वपूर्ण है।

- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है, मापा नहीं जा सकता।

वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं जिन्हें आवृत्ति आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, उनके लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण के पुनः आकलन द्वारा क्रम में स्तरों के मध्य उत्पन्न हुए हैं अथवा नहीं।

8.0 अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर वहन किया जाता है।

9.0 संयुक्त उद्यमों में निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ नकदी, किसी अन्य निकाय की इक्विटी लिखत अथवा नकदी या अन्य कोई वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने की संविदात्मक बाध्यता अथवा वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान-प्रदान ऐसी स्थितियों के अंतर्गत किया जाना शामिल होता है जो संभाव्य रूप से कंपनी के पक्ष में होती है। वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब ही मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी तथा नकदी तुल्य, बैंक शेष, कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश के अतिरिक्त अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, प्राप्य व्यापार, कर्मचारियों/संविदाकारों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, प्राप्य दावे आदि शामिल होते हैं।

क) वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है -

- परिशोधित लागत पर,
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर, और

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है :

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु निकाय का व्यापार मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों हेतु लाभ तथा हानियां या तो लाभ एवं हानि के विवरण अथवा अन्य व्यापक आय में दर्ज की जाएंगी। ऋण लिखत में निवेश हेतु यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश धारित है। इक्विटी लिखत में निवेश हेतु यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश हेतु लेख को प्रारंभिक मान्यता के समय कोई वापिस न लिया जा सकने वाला चयन किया है।

ख) प्रारंभिक मान्यता और मापन

प्राप्य व्यापार के सिवाय सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न किए जाने के मामले में वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद पर आरोप्य होने वाली लेन-देन लागत पर मान्यता दी जाती है।

कंपनी अपने लेन-देन मूल्य पर प्राप्य व्यापारों को मापती है, यदि प्राप्य व्यापारों ने कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं हो तो।

ग) बाद का मापन

परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

किसी "ऋण लिखत" को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां पूरी होती हों :

- परिसंपत्ति एक ऐसे व्यापार मॉडल के मध्य भारित है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण हेतु परिसंपत्तियों को धारित करना है, और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल बकाया मूलधन पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) हो।

प्रारंभिक मापन के पश्चात, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षति से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण लिखत

किसी "ऋण लिखत" को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित में से दोनों मानदण्ड पूरे होते हों :

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों से प्राप्त होता हो, और
- परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज के एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) को प्रदर्शित करता हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत का मापन उनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान की जाती है। तथापि, कंपनी ब्याज आय, क्षति हानियों, वापिसी और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता देती है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान किए गए संचित लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ तथा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को एफआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

इक्विटी निवेश:

अनुपंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त निकायों में सभी इक्विटी निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार हेतु धारित इक्विटी लिखत, यदि कोई हो, को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य भी इक्विटी लिखत हेतु, कंपनी उक्त को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत करती है। कंपनी लिखत-दर-लिखत आधार पर ऐसा चयन करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और इसे वापिस नहीं लिया जा सकता है।

इक्विटी लिखत में एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। लाभ एवं हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ तथा हानियों में आगे कोई पुनः वर्गीकरण नहीं होता है। तथापि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ या हानि को अंतरित कर सकती है। ऐसे निवेश से लाभांश को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय के रूप में तब मान्यता प्रदान की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखत, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया हो।

प्राप्य व्यापार :

प्राप्य व्यापार कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल होता है जिसे बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

घ) विमान्य किया जाना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब विमान्य किया जाता है जब :

- कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अंतरित कर दिया है, अथवा
- वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रखता है, परन्तु एक अथवा अधिक प्राप्तिकर्ताओं को नकदी प्रवाह के भुगतान की संविदात्मक बाध्यता ले लेता है।

जहां निकाय ने किसी परिसंपत्ति को अंतरित किया है, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित कर दिया है या नहीं। ऐसे मामलों में वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित नहीं किया है, वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य नहीं किया जाता है।

जहां कंपनी ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को न तो अंतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित किया है, कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण न रखे जाने पर उस वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखा है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में सतत भागीदारी की सीमा तक मान्यता प्रदान किया जाना जारी रहता है।

ड) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि के मापन तथा मान्यता हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है -

- वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण लिखत हैं, और जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।
- वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण लिखत हैं, और जिन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।
- भारतीय लेखांकन मानक 11, निर्माण संविदाएं के अंतर्गत संविदा परिसंपत्तियां
- भारतीय लेखांकन मानक 17, पट्टे के अंतर्गत प्राप्य पट्टे
- भारतीय लेखांकन मानक 18, राजस्व के अंतर्गत प्राप्य व्यापार

कंपनी भारतीय लेखांकन मानक 11, इंड एस 17 और इंड एस 18 के स्कोप के भीतर होने वाले संव्यवहारों से परिणत होने वाली संविदा परिसंपत्तियों, प्राप्य पट्टों तथा प्राप्य व्यापारों के संबंध में क्षति हानि अनुमेय की मान्यता हेतु भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय लिखत" के अंतर्गत अनुमेय "सरलीकृत पद्धति" का पालन करती है, जिसमें प्रत्याशित जीवनकाल हानियों को प्राप्य की प्रारंभिक मान्यता से माना जाना अपेक्षित है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि की मान्यता हेतु कंपनी यह आकलन करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि ऋण जोखिम में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 माह के ईसीएल का उपयोग क्षति हानि मुहैया करवाने के लिए किया जाता है। तथापि, यदि ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है तो जीवन पर्यन्त ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम तथा क्षति हानि में वृद्धि के आकलन हेतु कंपनी लिखत-दर-लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का आकलन करती है। बाद की अवधि में यदि लिखत की ऋण गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता दिए जाने से ऋण जोखिम में कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो निकाय 12 माह के ईसीएल के आधार पर क्षति हानि अनुमेय किए जाने को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु निकाय वापिस कार्रवाई करता है। अवधि हेतु प्रत्याशित ऋण हानि (या वापिसी) की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

10.0 माल-सूची

माल-सूची में मुख्यतः संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के रख-रखाव हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले भण्डार तथा कलपुर्जे शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, किया जाता है। लागत का निर्धारण धारित लागत सूत्र का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी व्यापार के सामान्य चालन के दौरान अनुमानित बिक्री मूल्य, घटा बिक्री हेतु आवश्यक अनुमानित लागते हैं।

निवल वसूली योग्य मूल्य पर मालसूची को कम लिखे जाने और माल-सूची की सभी हानियों की राशि को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसा कम लिखा जाना या हानि उत्पन्न हुई हो।

11.0 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को अदा किए गए लाभांश तथा अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जब उन्हें क्रमशः कंपनी शेयरधारकों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाए।

12.0 वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं किसी अन्य निकाय को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने अथवा कंपनी के लिए संभाव्य रूप से प्रतिकूल होने वाली शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य निकाय के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के आदान-प्रदान की संविदात्मक बाध्यता है।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य देय शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता तथा मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा ऐसी संव्यवहार लागतों पर मान्यता दी जाती है जो सीधे आरोप्य हों तथा जिन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता हो। वित्तीय देयताओं को वर्गीकृत किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्तियों (संव्यवहार लागतों का निवलय) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के मध्य किसी अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में मान्यता प्रदान की जाती है यदि ऐसा अन्य कोई मानक इस प्रकार से ब्याज की प्रभावी दर का उपयोग करते हुए ऋणों की अवधि पर समावेशन की अनुमति देता हो।

ऋणों को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु दायित्व के निपटान को निलंबित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

ख) बाद का मापन

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ तथा हानियों को किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन की अनुमति देता हो, जब देयताओं को विमान्य किया जाता है और साथ ही साथ ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया चलाई जाती है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) विमान्य करना

किसी वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है जब देयता के अंतर्गत बाध्यता का निर्वाहन अथवा निरस्तीरण या समाप्ति होती है। जब किसी विद्यमान वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से व्यापक भिन्न शर्तों पर किसी अन्य से प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा विद्यमान देयता की शर्तें व्यापक रूप से संशोधित की जाती हैं, ऐसे किसी विनिमय या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण तथा नई देयता को मान्यता प्रदान किया जाना माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) वित्तीय लिखत का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है और निवल राशि को तुलन-पत्र में सूचित किया जाता है यदि मान्यता प्रदान की गई राशियों के निपटान हेतु वर्तमान में लागू किया जा सकने वाला कोई विधिक अधिकार हो तथा निवल आधार पर निपटान की कोई मंशा परिसंपत्तियों को वसूल करने तथा साथ ही साथ देयताओं के निपटान की हो।

13.0 सरकारी अनुदान

क) ब्याज की बाजार दर से कम पर प्राप्त होने वाले सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा मापा जाता है तथा सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक मान्यता प्राप्त राशि तथा प्राप्त की गई प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है। बाद में ऋण को वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को प्रारंभ में विलंबित आय तथा बाद में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों को प्रारंभ में विलंबित आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब इसका तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी अनुदान से संबद्ध स्थितियों का अनुपालन करेगी। इस प्रकार मान्यता प्रदान की गई विलंबित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।

ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें कोई निकाय उन संबंधित लागतों के व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करता है जिसमें लिए अनुदानों की प्रतिपूर्ति किए जाने की मंशा है।

14.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी विगत गतिविधि के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और यह संभाव्य हो कि आर्थिक लाभ निहित होने वाले संसाधनों का बाहिर प्रवाह बाध्यताओं के निपटान हेतु अपेक्षित होगा और बाध्यता की राशि से एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों का निर्धारण तुलन-पत्र तिथि को बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित राशि के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है। जब किसी तृतीय पक्ष से प्रावधान के निपटान हेतु अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ वसूल किया जाना प्रत्याशित हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि यह पूर्णतः निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा और प्राप्ति की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। किसी प्रतिपूर्ति के निवल होने वाले प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी अन्य मानक द्वारा ऐसे समावेशन की अनुमति होने पर परिसंपत्ति के वहन मूल्य में प्रस्तुत किया जाएगा।

ख) यदि राशि का समय मूल्य प्रभाव पूर्ण है, तो प्रावधानों का निर्धारण एक वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करते हुए प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों पर छूट देकर किया जाता है जो देयता के प्रति विशिष्ट होने वाले जोखिमों को प्रदर्शित करता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

ग) आकस्मिक देयताएं ऐसी संभावित बाध्यताएं हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती हो और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभ का बाहिर प्रवाह अपेक्षित होगा, अथवा राशि का विश्वसनीयतापूर्ण ढंग से अनुमान न लगाया जा सके, बाध्यता को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बाहिर प्रवाह की संभावना सुदूर हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

- घ) आकस्मिक परिसंपत्तियां ऐसी संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती हो और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में तब प्रकट किया जाता है जब आवश्यक लाभों का अंतरवाह प्रबंधन के निर्णय के अनुसार संभाव्य है। उनका सतत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आंकलन किया जाता है कि इन घटना क्रमों को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रदर्शित किया जाए।

15.0 राजस्व मान्यता और अन्य आय

- क) राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिमों तथा पारितोषिक को क्रेता को अंतरित कर दिया गया हो, मूल्य की वसूली संभाव्य है, संबद्ध लागतों का विश्वसनीपूर्ण ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है, कोई सतत प्रबंधन भागीदारी नहीं है और राजस्व की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। विद्युत की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्य मूल्य के उचित माप पर मापा जाता है।
- ख) विद्युत की बिक्री से राजस्व (सिवाय इन पावर स्टेशनों के जिन्हें वित्त/प्रचालन पट्टा माना गया है) को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को कंपनी द्वारा उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए पैरामीटरों तथा पद्धति के आधार पर निकाली गई अनंतिम दरों पर मान्यता दी जाती है। उपभोक्ताओं को आवधिक तथा नियमित आधार पर बिल दिया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को विद्युत की बिक्री से राजस्व में उपभोक्ताओं को डिलीवर की गई किन्तु अभी बिल न भेजी गई बिक्री (बिल न किया गया राजस्व) हेतु एक प्रोदभवन शामिल होता है। लाभग्राहियों को जल्द भुगतान किए जाने के प्रोत्साहन के रूप में दी गई छूट की राजस्व की मात्रा में से कटौती की जाती है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर से धन वापिसी/प्रतिदाय और आयकर के प्रति प्राप्ति को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- ग) 31 मार्च, 2009 तक मान्यता प्रदान की गई विलंबित कर मदों के प्रति वसूली को वसूल किए जाने पर मूर्तरूप दिया जाता है।
- घ) प्रोत्साहन/वि-प्रोत्साहन को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियमन के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं किए गए हैं, प्रोत्साहन/वि-प्रोत्साहन को उक्त की स्वीकृति की संभावना के आकलन पर अनंतिम रूप से मान्यता प्रदान की जाती है।
- ङ) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न होने वाले समायोजन, यद्यपि भौतिक न हो, उन्हें संबंधित अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में प्रभावी किया जाता है।
- च) 31 मार्च, 2009 तक विलंबित आय के रूप में माने गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम (एएडी) को बिक्री में सीधी रेखा आधार पर परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च, के बाद शेष उपयोगी जीवनकाल पर शामिल किया गया है, इसमें परियोजना के उपयोगी जीवनकाल को 35 वर्ष माना गया है।
- छ) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्य के संबंध में राजस्व को पूर्णता पद्धति के प्रतिशत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण "रिपोर्टिंग तिथि तक वहन की गई लागत" के "संबंधित परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं तथा परामर्शी कार्य को पूरा करने के लिए अनुमानित लागत" के साथ अनुपात के रूप में निर्धारित की जाती है।
- ज) लाभान्ध आय को तब मान्यता दी जाती है जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।
- झ) उपभोक्ताओं से प्राप्य ब्याज/अधिभार तथा संविदाकारों को अग्रिम पर परिसमाप्त क्षतियां/ब्याज को तब मान्यता दी जाती है जब मापन तथा एकत्रीकरण के संबंध में कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद न हो।
- ञ) परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए सभी ऋण लिखत हेतु ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकदी भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के प्रति वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य को सटीक रूप से छूट देता है। प्रभावी ब्याज दर की गणना किए जाने के समय, कंपनी वित्तीय लिखत की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान, विस्तार, आमंत्रण तथा ऐसे अन्य विकल्प) पर विचार करते हुए प्रत्याशित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है पर प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को नहीं लेती। ब्याज आय को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है।

16.0 कर्मचारी लाभ

i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ बाध्यताओं का मापन एक छूट रहित आधार पर किया जाता है और इनका व्यय या किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में तब शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन को अनुमति देकर क्योंकि संबंधित सेवा मुहैया करवाई जाती है।

अल्पावधि निष्पादन से संबंधित नकदी बोनस के अंतर्गत अदा किए जाने हेतु प्रत्याशित राशि के दायित्व को तब माना जाता है यदि कंपनी के कर्मचारी द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने की वर्तमान में कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सके।

ii) निर्धारित अंशदान योजनाएं

कोई निर्धारित अंशदान योजना एक ऐसी रोजगार पश्च लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कोई निकाय पृथक न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करता है और उसकी आगे राशियों के भुगतान हेतु कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं होती। निर्धारित अंशदान योजनाओं को अंशदानों हेतु देयताओं को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान ऐसे समावेशन को अनुमति देकर हो तो। किसी निर्धारित अंशदान योजना को अंशदान जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अंत के पश्चात 12 माह से अधिक के लिए देय हैं, उन्हें छूट देकर उनके वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है।

पेंशन लाभ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना को अंशदान मुहैया करवाने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में लेखांकित किया जाता है।

iii) निर्धारित लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजना किसी निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त कोई रोजगार पश्च लाभ योजना है। कंपनी की उपदान योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों की अधिवर्षिता पर स्मृति चिन्ह निर्धारित लाभ योजनाओं की प्रकृति के हैं।

उपदान, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना और भविष्य निधि योजना के संबंध में तुलन-पत्र में मान्यता प्रदान की गई देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य घटा योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य है।

निर्धारित लाभ बाध्यता की गणना वार्षिक रूप से बीमांकक द्वारा प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

निर्धारित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संबंधित बाध्यता के संबंध में निकट आ रही अवधियों के लिए लगभग समान अवधि वाले सरकारी बॉण्ड के बाजार मूल्यों के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बाहिर प्रवाहों को छूट देकर किया जाता है।

निवल ब्याज लागत की गणना निर्धारित लाभ बाध्यता के निवल शेष और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लगाकर की जाती है। इस लागत को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है अथवा किसी अन्य मानक के ऐसे समावेशन को अनुमय करने पर किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन तथा बीमांकित मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ तथा हानियों को उनके घटित होने वाली अवधि में सीधे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में तथा तुलन-पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

iv) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

कंपनी अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत लाभ में अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ शामिल होते हैं।

दीर्घावधिक कर्मचारी लाभों के संबंध में कंपनी की निवल बाध्यता भविष्य के लाभों की वह राशि है जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान तथा पूर्व की अवधि में अपनी सेवा के एवज में अर्जित किया है। लाभ को इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और किसी संबंधित परिसंपत्ति के उचित मूल्य की कटौती की जाती है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विद्यमान बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी की बाध्यता की अवधि के निकट होती हैं। गणना प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है। योजना और बीमांकित लाभों या हानियों में अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक उनके उत्पन्न होने की अवधि में ऐसे समावेश को अनुमय करते हों।

v) सेवांत लाभ

अनुग्रह राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं में नोटिस वेतन के रूप में सीमांत लाभों पर किए गए व्यय को ऐसे व्यय को किए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

17.0 ऋण लागतें

अर्हक मूल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर सीधे आरोप्य होने वाली ऋण लागतें जो आवश्यक रूप से अपने वांछित उपयोग या बिक्री हेतु एक महत्वपूर्ण समयावधि में तैयार होती हैं, उन्हें परिसंपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों का व्यय उनके उत्पन्न होने की अवधि में किया जाता है। ऋण लागत में ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल होती हैं जिन्हें कोई निकाय निधियों के ऋण के संबंध में व्यय करता है। ऋण लागत में ऋण लागतों के समायोजन के तौर पर मानी गई सीमा तक विनिमय अंतर शामिल होते हैं।

ऋण लागतों का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब अर्हक मूल परिसंपत्तियों को उनके वांछित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक होने वाले सभी क्रियाकलाप व्यापक रूप से पूरे हो जाते हैं।

18.0 मूल्यहास तथा परिशोधन

क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) से वर्ष के दौरान वर्धन/कटौतियों पर मूल्यहास यथानुपात आधार पर उस तिथि से/तक के लिए प्रभारित किया जाता है जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध थी।

ख) कंपनी की प्रचालन यूनिटों की संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण पर मूल्यहास सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरों तथा पद्धति का पालन करते हुए सीधी रेखा पद्धति पर लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के।

ग) i) कंपनी की प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (सिवाय पुराने तथा प्रयुक्त के) पर मूल्यहास लागत के 90 प्रतिशत की सीमा से सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरों को अपनाते हुए प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के।

ii) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त, पीपीई के पुरानी तथा प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यहास परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर परिसंपत्ति के तकनीकी आकलन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

घ) i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 में दिए गए जीवन तथा अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है :

- निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी

- कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण

ii) प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर मोबाइल फोन पर मूल्यहास को 1 रुपए के अवशिष्ट मूल्य के साथ तीन वर्षों की अवधि में सीधी रेखा आधार पर प्रदान किया जाता है।

ङ) अस्थायी संस्थापन को एक रुपया डब्ल्यूडीवी के रूप में रखते हुए खरीद/पूँजीकरण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है।

च) 5,000/- रुपये या उससे कम परन्तु 750/- रुपये से अधिक की होने वाली मूल परिसंपत्तियों को 1/- रुपये डब्ल्यूडीवी के साथ उपयोग हेतु उपलब्ध कराए गए वर्ष के दौरान पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है।

छ) निम्न मूल्य वाली मदें जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) और जिनका मूल्य 750/- रुपये तक होता है, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया जाता और उपयोग के वर्ष में राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

ज) प्रचालन यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि को पट्टे की अवधि अथवा 35 वर्ष, जो भी कम हो, में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के माध्यम से अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों को अपनाते हुए परिशोधित किया जाता है।

- झ) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त अन्य यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- ञ) पट्टाधारी भूमि पर सृजित मूल परिसंपत्तियों का मूल्यहास उपयोग हेतु ऐसी परिसंपत्ति के उपलब्ध रहने की तिथि से संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध पट्टा अवधि की मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक अथवा ऐसी परिसंपत्तियों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित लागू मूल्यहास दरों तथा पद्धति, जो भी अधिक हो, पर किया जाता है।
- ट) भूमि - उपयोग के अधिकार का परिशोधन टैरिफ निर्धारण हेतु अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि पर किया जाता है।
- ठ) "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में मान्यता प्रदान की गई सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि या 3 वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, पर इसके अधिग्रहण के वर्ष से प्रारंभ करके किया जाता है।
- ड) जहां विनियम बदलाव, मूल्य समायोजन, माध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या समान कारकों से वर्ष के दौरान दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी के कारण मूल्यहास वाली परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी परिसंपत्तियों के अपरिशोधित शेष का मूल्यहास संदर्शनी तौर पर ऐसी परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दर तथा पद्धतियों पर किया जाएगा।
- ढ) जहां किसी परिसंपत्ति का जीवनकाल/दक्षता में नवीकरण या आधुनिकीकरण के कारण वृद्धि होती है, उस पर किए गए व्यय को इसकी अपरिशोधित मूल्यहासित राशि के साथ संदर्शनी रूप से निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवनकाल पर प्रभारित किया जाता है।
- ण) संयंत्र तथा मशीनरी के साथ या बाद में खरीद किए गए कलपुर्जे जिन्हें पूंजीकृत किया जाता है तथा ऐसी मद की वहन राशि में जोड़ा जाता है, उनका मूल्यहास संबंधित संयंत्र तथा मशीनरी के शेष उपयोगी जीवनकाल में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों पर किया जाता है।

19.0 माल-सूची के अतिरिक्त गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

- क. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसका आकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, अथवा जब किसी परिसंपत्ति हेतु वार्षिक क्षति परीक्षण अपेक्षित होता है, कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य घटा निपटान की लागतें तथा उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होगी। वसूली योग्य राशि का निर्धारण एक पृथक परिसंपत्ति हेतु किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से ऐसे नकदी प्रवाह न उत्पन्न हों जो मुख्यतः कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप से स्वतंत्र हैं। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उससे उसकी वसूली योग्य राशि तक पश्चलेखित किया जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।
- ख. उपयोग में मूल्य के आकलन हेतु अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाहों को छूट देकर एक कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य तक लाया जाता है जो राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और परिसंपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है। निपटान की लागत घटा उचित मूल्य के निर्धारण में हाल के बाजार संव्यवहारों पर ध्यान दिया जाता है। यदि ऐसे किसी संव्यवहार की पहचान न की जा सके, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार किए जाने वाली कंपनियों के उद्धृत शेयर मूल्य अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य सूचकांकों से पुष्ट किया जाता है।
- ग. परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच पर व्यय के मामले में यदि ऐसी किसी परियोजना को सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अंतर्गत परित्याग करने का निर्णय लिया जाता है तो उस पर किए गए व्यय को निर्णय लिए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।
- घ. सर्वेक्षण तथा जांच के अंतर्गत होने वाली कोई परियोजना समुचित प्राधिकारी के आदेश/अदालती आदेश की निषेधाज्ञा के चलते स्थगित रहे पर ऐसी परियोजनाओं पर आदेश/अदालत की निषेधाज्ञा की तिथि से किए गए किसी भी व्यय को ऐसे आदेश की तिथि से ऐसे आदेश/निषेधाज्ञा द्वारा परियोजना को स्थगित रखे जाने की अवधि तक लेखाबहियों में मुहैया करवाया जाएगा। तथापि, इस प्रकार किए गए प्रावधान को उक्त आदेश/निषेधाज्ञा के वापिस लिए जाने तक प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।
- ड. पूर्व की अवधियों में मान्यता दी गई क्षति हानियों का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऐसे किसी संकेत हेतु किया जाएगा कि हानि कम हो गई है अथवा अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो क्षति हानि को वापिस किया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक वापिस किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहन राशि ऐसी वहन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे मूल्यहास या परिशोधन के निवल पर किसी क्षति हानि को मान्यता न दिए जाने को दर्ज किया जाता।

20.0 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान तथा विलंबित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है सिवाय उस सीमा के जहां तक यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में कर को भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

- i) वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि को लागू होने वाले कर नियमों के आधार पर वर्ष हेतु कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर तथा पिछले वर्षों में देय कर को करों के प्रति अन्य कोई समायोजन है। कर योग्य लाभ, एवं हानि के विवरण में यथासूचित लाभ से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें आय या व्यय की वे मदें शामिल नहीं होती अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और आगे इसमें वे मदें भी शामिल नहीं होती जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है (स्थायी अंतर)।
- ii) लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश के भुगतान के दायित्व को माना जाता है।

ख) विलंबित कर

- i) विलंबित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि के मध्य अस्थायी अंतर के रूप में मान्यता दी जाती है और कर योग्य लाभ की गणना में तदनुसारी कर आधार का प्रयोग किया जाता है और तुलन-पत्र पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है। विलंबित कर देयताओं को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों, के रूप में मान्यता दी जाती है और विलंबित कर परिसंपत्तियों को सामान्यतः सभी कटौती-योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट हेतु इस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है कि

यह संभव है कि भविष्य के कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य और अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों के प्रति उपलब्ध होंगे और अप्रयुक्त कर ऋणों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को तब मान्यता नहीं दी जाती है यदि किसी संव्यवहार में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता (किसी व्यापार संयोजन के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हैं जो संव्यवहार के समय न तो कर योग्य लाभ एवं हानि और न ही लेखांकन लाभ या हानि को प्रभावित करते हो।

- ii) विलंबित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक तुल्य-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके प्रति अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।
- iii) विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को ऐसी कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा हो जिसमें देयता का निपटान या परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी, यह तुल्य-पत्र तिथि द्वारा अधिनिगमित या व्यापक रूप से बनाई गई कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होगा। विलंबित कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का मापन ऐसे कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी की प्रत्याशा वाले तरीके से रिपोर्टिंग तिथि को इसकी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान करेंगे।
- iv) विलंबित कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है सिवाय उस सीमा के जहां यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- v) विलंबित आयकर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का निपटान वहां किया जाता है जहां वर्तमान कर परिसंपत्तियों का वर्तमान कर देयताओं से निपटान का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब विलंबित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं समान कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो किसी एक करयोग्य निकाय अथवा विभिन्न करयोग्य निकायों पर लगाए गए आयकर से संबंधित हो तथा जहां निवल आधार पर शेषों के निपटान की मंशा हो।
- vi) समायोजन लेखे से विलंबित कर वसूली को वर्तमान अवधि हेतु विलंबित कर की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाएगा जो आगे की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा होता हो तथा टैरिफ के एक घटक इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) की गणना को प्रभावित करता हो।

21.0 तृतीय पक्षों से मुआवजा

मदों की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से मुआवजे के भुगतान हेतु संबंधित दावे और परिसंपत्तियों/माल-सूची की बाद की कोई खरीद या निर्माण पृथक आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें पृथक रूप से लेखांकित किया जाता है।

बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मदों और क्षतिग्रस्त, गुम या छोड़ी गई अन्य मदों हेतु मुआवजे को मुआवजा प्राप्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

22.0 खंड रिपोर्टिंग

क) भारतीय लेखांकन मानक 108-प्रचालन खंड के अनुसार खंड सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए गए प्रचालन खंडों की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक रिपोर्टों के उपयोग के आधार पर खंडों को संसाधन के आवंटन तथा उनके निष्पादन हेतु चिन्हित करने के लिए की जाती है। निदेशक मंडल सामुहिक रूप से भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थ के भीतर कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" अथवा "सीआडीएम" है।

ख) विद्युत उत्पादन कंपनी का प्रधान व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन यथा संविदाएं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य भारतीय लेखांकन मानक-108 "प्रचालन खंडों" के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं होते हैं।

ग) कंपनी का एक एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

23.0 पट्टे

क) कंपनी पट्टाधारक के रूप में :

- i) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (मुख्यतः एकमुश्त प्रारंभिक भुगतान के माध्यम से अधिगृहीत की गई भूमि) के पट्टे जहां कंपनी पट्टाधारक है, तथा जिसमें स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा परितोषिक को व्यापक रूप से कवर किया गया है, उन्हें वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे वित्त पट्टे सामान्यतः पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य पर पट्टे के प्रारंभ में पूंजीकृत किए जाते हैं जो संव्यवहार मूल्य अर्थात् एकमुश्त भुगतान के समान होता है।
- ii) पट्टे जिसमें जोखिम तथा पारितोषिक के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टाधारक के रूप में कंपनी को अंतरित नहीं किया जाता वह प्रचालन पट्टा है। प्रचालन पट्टों के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभावित किया जाता है।

ख) कंपनी पट्टादाता के रूप में

किसी एकल लाभग्राही के साथ निहित पट्टे की प्रकृति वाले विद्युत आपूर्ति समझौते (पीपीए) जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल के एक प्रमुख हिस्से हेतु होती है और न्यूनतम पट्टा भुगतान राशियां संयंत्र के समूचे उचित मूल्य को व्यापक ढंग से कवर करती हैं, उन्हें वित्त पट्टा माना जाता है। अन्य निहित पट्टों को प्रचालन पट्टे माना जाता है।

- i) वित्त पट्टे की प्रकृति वाले निहित पट्टों हेतु संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों से निहित पट्टा भुगतानों को अलग करके की जाती है जिसमें 31 मार्च, 2009 तक सीईआरसी टैरिफ विनियमों 2004-09 के अनुसार मान्यता प्रदान किए गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम (एएडी) सहित शेष संविदा राशियां शामिल हैं और इन्हें विलंबित आय माना गया है। प्रत्येक पट्टा प्राप्ति को प्राप्य तथा वित्तीय पट्टे के मध्य आवंटित किया जाता है ताकि बकाया प्राप्य पट्टे पर एक स्थिर दर को प्राप्त किया जा सके।

- ii) प्रचालन पट्टों या निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को राजस्व में पट्टा अवधि पर पट्टे वाली परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। संबंधित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है तथा उनके आर्थिक जीवनकाल पर इनका मूल्यहास किया जाता है।

24.0 पूर्व अवधि की भौतिक त्रुटियाँ

पूर्व अवधि की भौतिक त्रुटियों को पश्चगामी प्रभाव से त्रुटि होने वाले पूर्व अवधि के प्रस्तुत किए गए विवरणों में तुलनात्मक राशि को पुनः बताकर ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत नवीनतम अवधि से पहले हुई हो तो नवीनतम अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं तथा इक्विटी के प्रारंभिक शेषों को तब पुनः बताया जाता है जब तक कि यह अव्यवहार्य न हो और ऐसे मामले में तुलनात्मक सूचना को व्यवहार्य नवीनतम तिथि से संदर्शी रूप से नई लेखांकन नीति को लागू करते हुए समायोजित किया जाता है।

25.0 प्रति शेयर अर्जन

- (क) प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।
- (ख) प्रति इक्विटी शेयर कम आंके गए अर्जन की गणना प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन निकालने के लिए लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही सभी कम किए गए संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।
- (ग) प्रति शेयर आधारभूत और कम किए गए अर्जन को नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन के अतिरिक्त अर्जित राशि का उपयोग करके भी प्रस्तुत किया जाता है।

26.0 नकदी प्रवाह का विवरण

क) नकदी और नकदी-तुल्य

नकदी प्रवाहों के विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन हेतु नकदी प्रवाहों, नकदी और नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ आमंत्रण पर धारित जमा, अन्य अल्पावधि अत्यधिक नकदी निवेश जिनकी मूल परिपक्वता 3 माह या उससे कम की हैं जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनशील हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के कम महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि, तुलन-पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु बैंक ओवरड्राफ्ट को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत ऋण में दर्शाया गया है।

- (ख) नकदी प्रवाह के विवरण को भारतीय लेखांकन मानक 7 "नकदी प्रवाहों के विवरण" में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

27.0 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों तथा देयताओं को वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

क) कोई परिसंपत्ति तब वर्तमान है जब यह -

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने या बिक्री अथवा उपभोग किए जाने की मंशा प्रत्याशित है
- मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित है
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा है, अथवा
- नकदी या नकदी तुल्य जब तक कि विनिमय किए जाने से प्रतिबंधित न हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह पश्चात किसी दायित्व के निपटान के लिए इन्हें लिया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख) किसी देयता को तब वर्तमान माना जाता है जब वह

- सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान हेतु प्रत्याशित है
- इसे मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित किया गया है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर निपटाए जाने हेतु देय है, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु देयता के निपटान को विलंबित करने का एक बिना शर्त अधिकार है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- ग) विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को गैर वर्तमान परिसंपत्तियों तथा देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

28.0 विविध

- क) समान मदों की प्रत्येक भौतिक श्रेणी को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति या कार्यवाही मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गैर-भौतिक न हो।
- ख) मार्गस्थ वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों किन्तु प्रमाणित नहीं के लिए देयताओं का प्रावधान कंपनी द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति लम्बित होने पर नहीं किया जाता है।

(IV) हाल की लेखांकन घोषणाएं

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 28 मार्च, 2018 को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2018 ("नियम") अधिसूचित किए थे। ये नियम रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से अथवा 1 अप्रैल, 2018 के पश्चात से प्रभावी होंगे और इन्हें पहले नहीं अपनाया जा सकता है।

मानक जारी किंतु अभी प्रभावी नहीं

(क) भारतीय लेखांकन मानक 21 का परिशिष्ट-ख, विदेशी मुद्रा लेन-देन और अग्रिम प्रतिफल :

यह परिशिष्ट इसे स्पष्ट करता है कि किसी संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय के प्रारंभिक मापन के प्रयोग हेतु विनिमय दर के लिए लेनदेन की तिथि का निर्धारण तब किस प्रकार किया जाएगा जब कोई निकाय विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई संविदाओं हेतु अग्रिम में प्रतिफल का भुगतान करता है या उसे प्राप्त करता है।

इस परिशिष्ट को प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि हेतु पश्चगामी प्रभाव से भारतीय लेखांकन मानक-8 लागू कर या संदर्शी रूप से परिशिष्ट के कार्य क्षेत्र में उन मदों के कार्यक्षेत्र पर लगाया जा सकता है जिन्हें परिशिष्ट के पहली बार लागू किए जाने पर रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ होने की तिथि को या उसके पश्चात प्रारंभिक रूप से मान्यता प्रदान की गई हो या जिसे तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से लागू किया गया हो।

कंपनी ने इस परिशिष्ट को अपने उन विदेशी मुद्रा कारोबार पर लागू करने के प्रभावों का आकलन करने के लिए किया है जिनके लिए प्रतिफल अग्रिम रूप से प्राप्त हो गए थे।

कंपनी ने वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया है और प्रभाव भौतिक नहीं हैं।

कंपनी की मंशा परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र में उन मदों पर संशोधनों को संदर्शी रूप से अपनाने की है जिन्हें परिशिष्ट के प्रथम बार लागू किए जाने (अर्थात् 1 अप्रैल, 2018 को) पर रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में या उसके पश्चात प्रारंभिक रूप से मान्यता प्रदान की गई थी।

(ख) भारतीय लेखांकन मानक-115-ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व :

भारतीय लेखांकन मानक-115, ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व, राजस्व मान्यता से संबंधित है और वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को किसी निकाय के ग्राहकों के साथ संविदाओं से उत्पन्न होने वाले राजस्व तथा नकदी प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सूचित करने हेतु है। राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब कोई ग्राहक किसी वादा की गई वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और इस प्रकार उसके पास उसके उपयोग को निर्देशित करने तथा एक ऐसी मात्रा में वस्तु या सेवा के लाभों को प्राप्त करने की क्षमता होती है जो उस प्रतिफल को दर्शाते हैं जिसमें कोई निकाय उन वस्तुओं और सेवाओं हेतु विनिमय के रूप में प्राप्त करता हो। यह मानक भारतीय लेखांकन मानक-18 राजस्व और भारतीय लेखांकन मानक 11 निर्माण संविदाएं तथा संबंधित परिशिष्टों को प्रतिस्थापित करता है।

नया मानक 1 अप्रैल, 2018 से या उसके पश्चात प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों हेतु बाध्यकारी है और इसे पहले लागू किए जाने की अनुमति नहीं है। मानक अपनाए जाने हेतु एक पूर्ण पश्चगामी या संशोधित पश्चगामी एप्रोच को अनुमय करता है।

कंपनी संचित कैच-अप परिवर्तन पद्धति का उपयोग करके 1 अप्रैल, 2018 से मानक को अपनाएगी और तदनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले या समाप्त हो चुके वर्ष हेतु तदनुसारी तुलनाओं का पश्चगामी रूप से समायोजन नहीं किया जाएगा। कंपनी इंड एएएस 115 के विस्तृत प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया में है।

(ग) भारतीय लेखांकन मानक 40 निवेश संपत्ति - निवेश संपत्ति का अंतरण में संशोधन

यह संशोधन स्पष्ट करता है कि निवेश संपत्ति को या उससे अंतरण केवल तब ही किए जा सकते हैं जब साक्ष्य द्वारा समर्थित उपयोग में कोई परिवर्तन देखा जाए। उपयोग में कोई परिवर्तन तब होता है जब कोई संपत्ति निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती हो या पूरा करने से हट जाती हो। केवल मंशा में परिवर्तन ही अंतरण को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। संशोधन में दो परिवर्तन विकल्प मुहैया करवाए गए हैं। निकाय या तो संशोधन को पश्चगामी रूप से दूरदृष्टि के उपयोग के बिना या संदर्शी रूप से प्रारंभिक तौर पर लागू की जाने वाली तिथि को या उसके पश्चात होने वाले परिवर्तनों पर लागू करें।

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2018 को विद्यमान संपत्ति के वर्गीकरण पर संशोधन के प्रभावों का आकलन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि कोई पुनःवर्गीकरण अपेक्षित नहीं है।

कंपनी ने संशोधन को प्रारंभिक उपयोग (अर्थात् 1 अप्रैल, 2018) की तिथि के पश्चात होने वाले उपयोग में परिवर्तनों पर संदर्शी रूप से लागू करने का निर्णय लिया है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्याक			मूल्यहास			निवल ब्याक	
	01.04.2017 को	संबर्द्ध	कमी	समायोजन	31.03.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2018 को
(करोड़ रुपए में)								
भूमि-फ्रीहोल्ड	308.04	6.01	0.32	(0.04)	313.69	-	-	313.69
भूमि-लीजहोल्ड	327.16	0.25	-	-	327.41	23.37	-	292.13
सड़कें और पुल	213.29	4.90	0.25	(2.47)	215.47	17.39	(0.35)	187.68
भवन	1,989.00	29.53	0.13	1.22	2,019.62	173.08	0.59	1,755.09
रेलवे साइडिंग्स	16.57	-	-	-	16.57	4.93	-	9.15
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	12,671.56	18.12	1.23	2.47	12,690.92	1,631.24	0.34	10,241.52
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	6,862.88	359.51	7.89	(0.75)	7,213.75	837.09	2.47	5,934.54
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	49.18	0.32	0.01	-	49.49	6.17	0.01	40.14
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	65.22	3.74	0.03	-	68.93	7.83	(0.01)	56.05
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	32.20	0.63	-	-	32.83	5.67	-	24.52
निर्माण उपकरण	48.23	2.56	0.23	0.20	50.76	10.46	-	34.60
जलापूर्ति प्रणाली नालियां और सीवर प्रणाली	42.49	4.61	0.01	-	47.09	4.55	-	40.15
विद्युतीय संस्थापनाएं	2.23	2.12	0.02	-	4.33	0.31	(0.02)	3.74
वाहन	21.13	1.57	0.42	(0.07)	22.21	3.56	(0.15)	15.92
विमान/नौकाएं	0.78	0.11	-	-	0.89	0.16	-	0.61
फर्नीचर और फिक्सचर	30.74	2.59	0.20	(0.03)	33.10	4.79	(0.05)	25.62
कम्प्यूटर	27.42	6.42	0.55	0.52	33.81	11.50	0.23	15.73
संचार उपकरण	10.16	1.12	0.35	(0.18)	10.75	1.92	(0.23)	7.77
कार्यालय उपकरण	31.97	2.82	0.45	-	34.34	5.15	(0.14)	26.32
अनुसंधान और विकास	0.72	-	-	-	0.72	0.16	-	0.48
अन्य परिसंपत्तियां	43.68	8.91	0.24	0.04	52.39	6.76	(0.02)	40.98
नौपन मूल्य की अचल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपए।	2.33	0.90	0.05	0.02	3.20	2.31	(0.01)	0.01
कुल	22,796.98	456.74	12.38	0.93	23,242.27	2,758.40	2.66	19,066.44
गत वर्ष 31.03.2017	21,846.22	947.81	11.57	12.52	22,796.98	1,365.75	(7.83)	20,038.58

टिप्पणी: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्याक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जोएपी के अंतर्गत संश्लिष्ट मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 में मुद्देया कवाए गए अनुसार है। अन्य विवरणालक टिप्पणियां हेतु इन्हें टिप्पणी 2.1 के अनुबंध-1 में बताया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध-। संपत्ति, संग्रह और उपकरण

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ध्याक			मूल्यहास			निवल ध्याक			
	01.04.2017 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2018 को	31.03.2017 को
भूमि-क्रीहोल्ड	308.04	6.01	0.32	(0.04)	313.69	-	-	-	313.69	308.04
भूमि-लीजहोल्ड	370.51	0.25	-	-	370.76	66.72	11.91	-	78.63	303.79
सड़कें और पुल	310.48	4.90	0.31	(2.47)	312.60	114.58	10.75	(0.41)	124.92	195.90
मकान	2,732.03	29.53	2.55	1.22	2,760.23	916.11	90.86	(1.83)	1,005.14	1,815.92
रेलवे साइट्स	36.12	-	-	-	36.12	24.48	2.49	-	26.97	11.64
हाइड्रोइलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मेकैनिक्कल गेट, सुरंग)	18,481.80	18.12	1.28	2.47	18,501.11	7,441.48	817.82	0.29	8,259.59	11,040.32
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	9,848.86	359.51	13.54	(0.75)	10,194.08	3,823.07	439.65	(3.18)	4,259.54	6,025.79
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	100.88	0.32	0.01	-	101.19	57.87	3.17	0.01	61.05	43.01
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	92.62	3.74	0.03	-	96.33	35.23	5.06	(0.01)	40.28	57.39
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	49.19	0.63	0.03	-	49.79	22.66	2.64	(0.03)	25.27	26.53
निर्माण उपकरण	110.39	2.56	0.53	0.20	112.62	72.62	5.70	(0.30)	78.02	37.77
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	52.46	4.61	0.02	-	57.05	14.52	2.39	(0.01)	16.90	37.94
विद्युतीय संस्थापनाएं	3.55	2.12	0.03	-	5.64	1.63	0.30	(0.03)	1.90	1.92
वाहन	34.47	1.57	1.62	(0.07)	34.35	16.90	2.88	(1.35)	18.43	17.57
विमान/नौकाएं	1.04	0.11	-	-	1.15	0.42	0.12	-	0.54	0.62
फर्नीचर और फिक्सचर	56.32	2.59	0.38	(0.03)	58.50	30.37	2.74	(0.23)	32.88	25.95
कम्प्यूटर	65.73	6.42	5.02	0.52	67.65	49.81	6.35	(4.24)	51.92	15.92
संचार उपकरण	16.90	1.12	0.76	(0.18)	17.08	8.66	1.29	(0.64)	9.31	8.24
कार्यालय उपकरण	52.63	2.82	0.86	-	54.59	25.81	3.01	(0.55)	28.27	26.82
अनुसंधान और विकास	1.35	-	-	-	1.35	0.79	0.08	-	0.87	0.56
अन्य परिसंपत्तियां	68.05	8.91	0.46	0.04	76.54	31.13	4.67	(0.24)	35.56	36.92
गौण मूल्य की अवल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपये।	18.00	0.90	0.36	0.02	18.56	17.98	0.89	(0.32)	18.55	0.02
कुल	32,811.42	456.74	28.11	0.93	33,240.98	12,772.84	1,414.77	(13.07)	14,174.54	20,038.58
गत वर्ष 31.03.2017	31,878.56	947.81	27.47	12.52	32,811.42	11,396.09	1,400.48	(23.73)	12,772.84	20,482.47

विवरण/सकल टिप्पणी :-

- क) 1485.19 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1485.19 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.51 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि को राजस्व रिकार्ड में जमा एवं कम्प्यूटर के माध्यम से भारत सरकार के पास में दर्ज किया गया है जो सालाना पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का एक पावर स्टेशन) के कब्जे में है। तथापि, 4.76 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 4.76 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.01 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलोपन अर्थात् निष्पादित/परित किए जाने हैं।
- ख) अन्य मूल्य के संबंध में, 125.03 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 153.55 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.95 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि संबंधी स्वामित्व विलोपन/स्वामित्व और 870.87 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 627.25 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 306.08 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 310.04 करोड़ रुपये) मूल्य की लोजहोल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलोपन अर्थात् निष्पादित/परित किए जाने हैं।

- 2) भूमि - लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबाजिसरी अपर परियोजना के लिए 1 रुपए प्रति वर्ग के नममात्र किराये पर 89 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में से, 1.06 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) आईटीबीपी को सौंपी गई है।
- 3) फ्रीहोल्ड भूमि में लोकलक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एचडीएचपीएल) (एनएचपीसी और मणिपुर सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा 100 रुपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही 8 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 8 हेक्टेयर) भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एचडीएचपीएल के मध्य एक पट्टा समझौता किया गया है।
- 4) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर वृजित 6302.08 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6299.38 करोड़ रुपए) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 5) सकल ब्याक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रसारित तथा पूंजीकृत मूल्यहास शामिल है।
- 6) सेवा-II, चमेरा-III, तीस्ता लो डैम-III, उड़ी, पार्बती-II और तीस्ता लो डैम-IV यावर स्टेजों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन यावर स्टेजों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।
- 7) संबंद्धित त्रयों हेतु प्रतियुक्ति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रचना/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 9 देखें।
- 8) परिसंपत्तियों के समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन निम्नानुसार है :-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपये में)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपये में)
सड़के और पुल	-	(0.16)
भवन	-	(1.50)
जल वैज्ञानिक कार्य	-	(11.12)
उत्सादन संयंत्र एवं मशीनरी	-	(2.79)
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	-	(0.02)
जलापूर्ति प्रणाली जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	-	(0.01)
कुल	-	(15.60)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्याक			मूल्यहास			निवल ब्याक			
	01.04.2016 को	संबर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2018 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	288.54	21.32	-	(1.82)	308.04	-	-	-	308.04	288.54
भूमि-लीजहोल्ड	318.24	8.92	-	-	327.16	11.57	11.80	-	23.37	306.67
सड़कें और पुल	203.45	9.99	-	(0.15)	213.29	7.23	10.36	(0.20)	17.39	196.22
मकान	1,945.70	43.02	1.02	1.30	1,989.00	85.13	90.68	(2.73)	173.08	1,860.57
रेलवे साइट्स	15.95	0.62	-	-	16.57	2.45	2.48	-	4.93	13.50
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मेकैनिक्कल गेट, सुरंग)	12,581.24	102.16	0.72	(11.12)	12,671.56	815.84	818.08	(2.68)	1,631.24	11,765.40
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	6,167.96	682.24	7.23	19.91	6,862.88	411.00	427.11	(1.02)	837.09	5,756.96
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	41.59	4.85	0.02	2.76	49.18	3.16	3.08	(0.07)	6.17	38.43
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	40.86	22.37	0.01	2.00	65.22	3.60	4.24	(0.01)	7.83	37.26
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	31.52	1.06	0.01	(0.37)	32.20	2.69	2.94	0.04	5.67	28.83
निर्माण उपकरण	41.19	7.38	0.34	-	48.23	5.25	5.24	(0.03)	10.46	35.94
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	36.72	5.79	0.01	(0.01)	42.49	2.07	2.55	(0.07)	4.55	34.65
विद्युतीय संस्थापनाएं	2.14	0.10	0.01	-	2.23	0.12	0.19	-	0.31	2.02
वाहन	14.67	6.87	0.31	(0.10)	21.13	1.35	2.40	(0.19)	3.56	13.32
विमान/ नौकाएं	0.66	0.12	-	-	0.78	0.06	0.11	(0.01)	0.16	0.60
फर्नीचर और फिक्सचर	25.84	5.16	0.24	(0.02)	30.74	2.07	2.78	(0.06)	4.79	23.77
कम्प्यूटर	21.24	6.64	0.44	(0.02)	27.42	5.07	6.55	(0.12)	11.50	16.17
संचार उपकरण	9.19	1.43	0.44	(0.02)	10.16	0.87	1.20	(0.15)	1.92	8.32
कार्यालय उपकरण	25.79	6.36	0.35	0.17	31.97	2.50	2.94	(0.29)	5.15	23.29
अनुसंधान और विकास	0.72	-	-	-	0.72	0.08	0.08	-	0.16	0.64
अन्य परिसंपत्तियां	34.30	9.75	0.39	0.02	43.88	2.95	4.01	(0.20)	6.76	31.35
गैंग मूल्य की अवल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रूपए।	0.71	1.66	0.03	(0.01)	2.33	0.69	1.66	(0.04)	2.31	0.02
कुल	21,848.22	947.81	11.57	12.52	22,796.98	1,365.75	1,400.48	(7.83)	2,758.40	20,482.47
तब वर्ष 31.03.2016	20,242.95	1,622.88	33.33	15.72	21,848.22	0.00	1,373.48	(7.73)	1,365.75	20,242.95

टिप्पणी : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्याक के अनुसार है और पूर्ववर्ती पीपीई के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध - में मुद्देय करवाए गए अनुसार है। अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों हेतु इन्हें टिप्पणी 2.1 के अनुबंध - में बताया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध-1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्याक		मूल्यांकन				निचल ब्याक			
	01.04.2016 को	संघर्षन	कमी	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2017 को	01.03.2016 को
भूमि-फ्रीहोल्ड		21.32	-	(1.82)	308.04	-	-	-	308.04	288.54
भूमि-लैंडहोल्ड	समायोजन	31.03.2017 को	-	-	370.51	54.92	11.80	-	66.72	306.67
सड़कें और पुल	300.64	9.99	-	(0.15)	310.48	104.42	10.36	(0.20)	114.58	196.22
मशीन	2,686.97	43.02	1.26	1.30	2,732.03	828.40	90.68	(2.97)	916.11	1,860.57
रेलवे साइट्स	35.50	0.62	-	-	36.12	22.00	2.48	-	24.48	13.50
हाइड्रोलिक वर्क (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हदड़ों, मैकेनिकल गेट, सुरंग)	18,391.64	102.16	0.88	(11.12)	18,481.80	6,626.24	818.08	(2.84)	7,441.48	11,765.40
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	9,156.27	682.24	9.56	19.91	9,848.86	3,399.31	427.11	(3.35)	3,823.07	5,756.96
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	93.41	4.85	0.14	2.76	100.88	54.98	3.08	(0.19)	57.87	38.43
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	68.29	22.37	0.04	2.00	92.62	31.03	4.24	(0.04)	35.23	37.26
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	48.57	1.06	0.07	(0.37)	49.19	19.74	2.94	(0.02)	22.66	28.83
निर्माण उपकरण	106.41	7.38	3.40	-	110.39	70.47	5.24	(3.09)	72.62	35.94
जलपूर्ति प्रणाली नालियां और सीवर प्रणाली	46.69	5.79	0.01	(0.01)	52.46	12.04	2.55	(0.07)	14.52	34.65
विद्युतीय संस्थापनाएं	3.46	0.10	0.01	-	3.55	1.44	0.19	-	1.63	2.02
वाहन	29.09	6.87	1.39	(0.10)	34.47	15.77	2.40	(1.27)	16.90	13.32
किमाना नौकाएं	0.94	0.12	0.02	-	1.04	0.34	0.11	(0.03)	0.42	0.60
फर्नीचर और फिक्सचर	51.79	5.16	0.61	(0.02)	56.32	28.02	2.78	(0.43)	30.37	23.77
कम्प्यूटर	65.89	6.64	6.78	(0.02)	65.73	49.72	6.55	(6.46)	49.81	16.17
संचार उपकरण	16.34	1.43	0.85	(0.02)	16.90	8.02	1.20	(0.56)	8.66	8.32
कार्यालय उपकरण	47.01	6.36	0.91	0.17	52.63	23.72	2.94	(0.85)	25.81	23.29
अनुसंधान और विकास	1.35	-	-	-	1.35	0.71	0.08	-	0.79	0.64
अन्य परिसंपत्तियां	59.10	9.75	0.82	0.02	68.05	27.75	4.01	(0.63)	31.13	31.35
गैंगण मूल्य की अवशेष परिसंपत्तियां >750 और <5000 रूपए।	17.07	1.66	0.72	(0.01)	18.00	17.05	1.66	(0.73)	17.98	0.02
कुल	31,878.56	947.81	27.47	12.52	32,811.42	11,396.09	1,400.48	(23.73)	12,772.84	20,038.58
वर्ष 31.03.2016	30,291.22	1,622.88	51.26	15.72	31,878.56	10,048.27	1,373.48	(25.66)	11,396.09	20,482.47

विवरणानुसार टिप्पणी :-

1. क) 1485.19 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1485.19 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.51 करोड़ रुपए) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि को राजस्व रिकार्डों में जमा एवं कश्मीर सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में दर्ज किया गया है जो सलाल पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का एक पावर स्टेशन) के कब्जे में है। तथापि, 4.76 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 4.76 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.01 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.01 करोड़ रुपए) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/परित किए जाने हैं।
ख) अन्य यूनितों के संबंध में, 153.55 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 150.93 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 9.95 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 13.36 करोड़ रुपए) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि संबंधी स्वामित्व विलेख/स्वामित्व और 627.25 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 766.20 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 310.04 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 287.34 करोड़ रुपए) मूल्य की लीजहोल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/परित किए जाने हैं।
2) भूमि-लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुखानसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रुपए प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सहायक सीमा बंद (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में से, 1.06 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) आईटीडीपी को सौंपी गई है।
3) फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक जलनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एचडीएचसीएल) (एनएचपीसी और मणिपुर सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा 100 रुपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही 8 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 8 हेक्टेयर) भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एचडीएचसीएल के मध्य एक पट्टा समझौता किया गया है।
4) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 6299.38 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6293.18 करोड़ रुपए) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
5) सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभावित तथा पूंजीकृत मूल्यह्रास शामिल है।
6) सेवा- I, चमेरा- I, I, I, तीस्ता लो बैम- I, I, I, उड़ी और पार्वती- I, I, I पावर स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।
7) संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 9 देखें।
8) परिसंपत्तियों के समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन निम्नानुसार हैं :-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपये में)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपये में)
सड़के और पुल	(0.16)	0.15
भवन	(1.50)	1.77
जल वैज्ञानिक कार्य	(11.12)	16.61
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	(2.79)	3.77
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	(0.02)	0.02
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीढ़ प्रणाली	(0.01)	0.01
कुल	(15.60)	22.33

टिप्पणी सं. 2.2 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01.04.2017 के अनुसार	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2018 के अनुसार
सड़के और पुल	92.92	10.57	-	4.93	98.56
भवन	1,099.17	80.39	(0.01)	25.97	1,153.58
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	6,547.93	565.49	(0.01)	16.61	7,096.80
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,062.75	439.60	(0.01)	318.25	3,184.09
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	11.81	-	2.98	-	14.79
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	3.30	1.75	(2.98)	0.31	1.76
संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	0.74	1.03	(0.63)	0.65	0.49
निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-
जलपूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	3.86	4.38	(0.84)	3.79	3.61
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य परिसंपत्तियां	1.84	48.04	(1.58)	38.97	9.33
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	279.93	6.71	0.62	-	287.26
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	-	-	-	-	-
निर्माण के दौरान खर्च *	6,713.94	710.29	-	2.02	7,422.21
घटाएं : के लिए किया गया प्रावधान	579.26	26.27	-	-	605.53
उप जोड़ (क)	17,238.93	1,841.98	(2.46)	411.50	18,666.95
* वर्ष के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 32 देखें					
	01.04.2017 के अनुसार		समायोजन		31.03.2018 के अनुसार
निर्माण भंडार	112.48		35.77		148.25
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.28		(0.04)		1.24
उप जोड़ (ख)	111.20	-	35.81	-	147.01
समग्र जोड़	17,350.13	1,841.98	33.35	411.50	18,813.96
पिछले वर्ष	16,578.71	1,726.35	(60.94)	893.99	17,350.13

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) में अवधि के दौरान अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 371.10 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 377.54 करोड़ रुपए) शामिल हैं।
- प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1287.92 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1178.32 करोड़ रुपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए गए व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1244.40 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1134.80 करोड़ रुपये) के शेष में से 562.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 535.74 करोड़ रुपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 682.39 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 599.15 करोड़ रुपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रणीत किया गया है।
- सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जलविद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित निजी विकासक से वसूल की जाएगी।
- अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 5177.50 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 4923.90 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 9 देखें।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जलविद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रणीत किया जाता है।

टिप्पणी सं. 2.2 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01.04.2016 के अनुसार	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2017 के अनुसार
सड़कें और पुल	89.18	15.43	-	11.69	92.92
भवन	1,048.30	92.60	(0.46)	41.27	1,099.17
रेलवे साइडिंग	-	0.62	-	0.62	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,959.86	677.58	2.72	92.23	6,547.93
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,391.20	190.29	129.49	648.23	3,062.75
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	12.55	1.80	-	2.54	11.81
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	2.12	1.66	-	0.48	3.30
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	0.74	0.39	(0.01)	0.38	0.74
निर्माण उपकरण	-	0.47	-	0.47	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	1.36	7.85	-	5.35	3.86
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य आस्तियां	2.25	49.15	(0.02)	49.54	1.84
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	266.38	14.89	(1.34)	-	279.93
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	4.53	0.61	(3.69)	1.45	-
निर्माण के दौरान खर्च *	6,168.66	714.35	(129.33)	39.74	6,713.94
घटाएं : प्रावधानों किए गए	537.92	41.34	-	-	579.26
उप जोड़ (क)	16,409.21	1,726.35	(2.64)	893.99	17,238.93

* अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 32 देखें

जमाये के दोसरे तबिये के सारिए के ताल सख्या 02 बदे					
	01.04.2016 के अनुसार		समायोजन		31.03.2017 के अनुसार
निर्माण भंडार	170.75		(58.27)		112.48
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.25		0.03		1.28
उप जोड़ (ख)	169.50	-	(58.30)		111.20
समग्र जोड़	16,578.71	1,726.35	(60.94)	893.99	17,350.13
पिछले वर्ष	16054.72	2013.90	22.69	1512.60	16578.71

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) में पूंजी की ऋण लागत के रूप में 377.54 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 461.70 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
- प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1178.32 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1069.48 करोड़ रुपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए गए व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1134.80 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1025.96 करोड़ रुपये) के शेष में से 535.74 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 494.40 करोड़ रुपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 599.15 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 531.56 करोड़ रुपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रणीत किया गया है।
- सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जलविद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित निजी विकासक से वसूल की जाएगी।
- अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 4923.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 4205.33 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 9 देखें।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जलविद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रणीत किया जाता है।

टिप्पणी सं. 2.3 निवेश संपत्ति

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्याक				मूल्यहास		निवल ब्याक	
	01.04.2017 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2018 को	वर्ष के लिए	31.03.2018 को	31.03.2017 को
भूमि - फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	4.49	4.49
कुल	4.49	-	-	-	4.49	-	4.49	4.49
गत वर्ष 31.03.2017	4.49	-	-	-	4.49	-	4.49	4.49

i) निवेश संपत्ति हेतु लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि

	31.03.2018 को		31.03.2017 को	
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रियाय आय				
क्रियाय आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय				
क्रियाय आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय				
(ii) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य				
(iii) निवेश संपत्ति में फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिस पर कंपनी द्वारा सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण कंपनी संपत्ति के भविष्य के उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदहरण के द्वारा यह प्रबंधन करता है कि वर्तमान में गैर-निर्धारित भविष्य उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पुंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अंतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, ऐसी भूमि को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।				
(iv) मूल्यांकन प्रक्रिया				
उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर निकाला गया है तथा इसे उचित मूल्यांकन स्तर के स्तर-2 का माना जाता है।				
	31.03.2018 को	53.58	31-03-2016 को	53.58

टिप्पणी सं. 2.3 निवेश संपत्ति

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्याक				मूल्यहास		निवल ब्याक	
	01.04.2016 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2017 को	वर्ष के लिए	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि - फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	4.49	4.49
कुल	4.49	-	-	-	4.49	-	4.49	4.49
गत वर्ष 31.03.2016	4.49	-	-	-	4.49	-	4.49	4.49

i) निवेश संपत्ति हेतु लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	(करोंड रूप में)
क्रिया आय	शून्य	शून्य	शून्य
क्रियाया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रयातन व्यय	शून्य	शून्य	शून्य
क्रियाया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रयातन व्यय	शून्य	शून्य	शून्य
			(करोंड रूप में)
	31.03.2017 को	31.03.2016 को	
	53.58	49.66	

(ii) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

(iii) निवेश संपत्ति में फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिससे कंपनी द्वारा सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण कंपनी संपत्ति के भविष्य के उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रकट करता है कि वर्तमान में गैर-निर्धारित भविष्य उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूर्ण वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अंतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, ऐसी भूमि को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(iv) मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को संपत्ति स्थित होने वाले स्थान में विद्यमान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सिकिलेट के आधार पर निकाला गया है।

टिप्पणी सं. 2.4 अमूर्त परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक			परिशोधन			निल ब्लाक			
	01.04.2017 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2018 को	31.03.2017 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	942.14	-	-	(3.50)	938.64	10.48	6.19	-	16.67	921.97
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	8.06	1.41	-	-	9.47	5.58	2.47	0.01	8.06	1.41
कुल	950.20	1.41	-	(3.50)	948.11	16.06	8.66	0.01	24.73	923.38
गत वर्ष 31.03.2017	823.88	126.39	0.04	(0.03)	950.20	6.94	9.15	(0.03)	16.06	934.14
										816.94

(करोड़ रुपए में)

टिप्पणी : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जोएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 में गृहीत करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.4 का अनुबंध - 1 अमूर्त परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक			परिशोधन			नितल ब्लाक		
	01.04.2017 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2018 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2018 को	31.03.2017 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	971.97	-	-	(3.50)	968.47	40.31	6.19	46.50	921.97
कम्प्यूटर सफ्टवेयर	46.26	1.41	0.02	-	47.65	43.78	2.47	46.24	1.41
कुल	1,018.23	1.41	0.02	(3.50)	1,016.12	84.09	8.66	92.74	923.38
गत वर्ष 31.03.2016	891.99	126.39	0.12	(0.03)	1,018.23	75.05	9.15	84.09	934.14
									816.94

(करोंड रूप में)

टिप्पणी सं. 2.4 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक			परिशोधन			नितल ब्लाक	
	01.04.2016 को	संचर्द्धन	कमी	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	817.14	125.04	0.04	942.14	4.34	6.15	931.66	812.80
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	6.74	1.35	-	8.06	2.60	3.00	5.58	4.14
कुल	823.88	126.39	0.04	950.20	6.94	9.15	934.14	816.94
गत वर्ष 31.03.2016	783.52	43.67	0.01	823.88	0.00	7.36	816.94	783.52

टिप्पणी : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुसार है। में मुहैया करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.4 का अनुबंध - I अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक			परिशोधन			नितल ब्लाक	
	01.04.2016 को	संचर्द्धन	कमी	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि - उपयोग का अधिकार	847.05	125.04	0.12	971.97	34.25	6.15	931.66	812.80
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	44.94	1.35	-	46.26	40.80	3.00	43.78	4.14
कुल	891.99	126.39	0.12	1,018.23	75.05	9.15	934.14	816.94
गत वर्ष 31.03.2016	851.90	43.67	0.28	891.99	68.38	7.36	816.94	783.52

टिप्पणी सं. 3.1 : गैर वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
क. उद्धृत इक्विटी निवेश - अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर				
इंडियन ओवरसीज बैंक (पूर्णतः प्रदत्त)	360800	0.62	360800	0.96
(10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त)	12000000	104.52	12000000	111.48
(10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
कुल (क)		105.14		112.44
ख. अनुद्धत इक्विटी लिखत - लागत पर				
(क) इक्विटी लिखत में निवेश				
(i) अनुषंगी कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)				
एनएचडीसी लिमिटेड	10024200	1,002.42	10024200	1,002.42
(1000/- रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	87092309	87.09	87092309	87.09
(10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	3999999	4.00	999999	1.00
(10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
(ii) संयुक्त उद्यम कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)				
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	582360000	582.36	460000000	460.00
(10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	30400000	30.40	30400000	30.40
(10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
कुल (ख)		1,706.27		1,580.91
ग. उद्धृत ऋण निवेश - अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश				
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट्स इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024 *	150000	154.21	150000	159.20
(10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)				
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	12380	12.64	12380	13.01
(10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)				
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2027	57000	59.17	57000	61.25
(10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)				
8.26 प्रतिशत भारत सरकार 2027	17940	18.62	17940	19.20
(10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)				
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032	35000	36.66	35000	37.18
(10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)				
8.32 प्रतिशत भारत सरकार 2032	34000	35.75	34000	36.88
(10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)				
उप जोड़ (क)		317.05		326.72

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स बांड्स में निवेश				
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बॉण्ड 15.11.2032 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	120	13.89	120	13.45
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बॉण्ड 27.03.2027 (1000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	100000	11.31	100000	11.30
8.48 एनएचएआई कर मुक्त 21.11.2028 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	473	55.90	473	55.50
उप-जोड़ (ख)		81.10		80.25
कुल (ग) (क + ख)		398.15		406.97
कुल (क + ख + ग)		2,209.56		2,100.32
(क) उद्धृत निवेश				
(i) समग्र लागत		381.95		381.95
(ii) समग्र बाजार मूल्य		503.29		519.41
(ख) अनुद्धृत निवेश				
(i) समग्र लागत		1,706.27		1,580.91
(ग) निवेश के मूल्य में क्षति की संचित राशि		-		-

* 150 करोड़ रूपए की सरकारी प्रतिभूतियों को 146.98 करोड़ रूपए के “बॉण्ड मोचन आरक्षित” के प्रति प्रतिभूति के तौर पर रखा गया है।

टिप्पणी सं. 3.2 : गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - प्राप्य व्यापार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	184.45	-
जोड़	184.45	-

टिप्पणी सं. 3.3 : गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क) कर्मचारी ऋण (प्रोदभूत ब्याज पर) (परिशोधित लागत पर)		
- प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	112.98	123.85
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	1.90	12.11
उप-जोड़	114.88	135.96
ख) अरु णाचल प्रदेश सरकार को ऋण		
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	225.00	225.00
उप-जोड़	225.00	225.00
कुल	339.88	360.96

विवरणात्मक टिप्पणी :-

- अन्य ऋण (कर्मचारी) ने अवधि के अंत में कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय ऋण शामिल है 0.01 0.03
- फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिनमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है शून्य शून्य
- ऋण गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो कंपनी हेतु एक स्थिर तथा परिवर्तनशील ब्याज आय उत्पन्न करता है। वहन राशि दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण प्रभावित हो सकती है।

टिप्पणी सं. 3.4 : गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क. 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	0.35	0.35
ख. प्राप्य पट्टा किराया *	1,505.83	1,566.60
ग. निम्नलिखित पर प्रोदभूत ब्याज		
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	343.81	296.84
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक देय	0.05	0.04
घ. शेयर आवेदन राशि - सीवीपीपीएल (आवंटन लंबित) **	65.19	-
कुल	1,915.23	1,863.83

* प्रतिभूति के रूप में प्राप्य गिरवी/रेहन हेतु टिप्पणी संख्या 34 - लेख के अन्य विवरणात्मक टिप्पणी का पैरा 9 देखें।

** आवंटन की प्रत्याशित तिथि 30 जून, 2018 है।

टिप्पणी सं. 4 : अन्य गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अग्रिम आय कर और स्रोत पर कटौती किया गया कर	843.97	1,378.49
घटाएं : कराधान हेतु प्रावधान	680.30	1,304.81
कुल	163.67	73.68

टिप्पणी सं. 5 : अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क. पूंजीगत अग्रिम		
प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	12.20	1.97
अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
- बैंक गारंटी के बदले	280.73	357.69
- अन्य	352.74	159.47
घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	2.17	4.11
अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	4.49	4.49
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	4.49	4.49
उप-जोड़	643.50	515.02
ख. पूंजीगत जमा के अतिरिक्त अन्य अग्रिम		
i) जमा राशियां		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	33.56	28.01
घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के प्रति प्रावधान	15.29	15.55
अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.04	0.04
घटाएं : संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2	0.04	0.04
उप-जोड़	18.27	12.46
ii) अन्य अग्रिम		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.49	0.14
उप-जोड़	0.49	0.14
ग. अन्य		
i) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां/ व्यय		
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	432.68	415.04
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर विलंबित व्यय	133.02	144.42
उप-जोड़	565.70	559.46
ii) दिए गए कर्मचारी ऋणों पर विलंबित लागत		
प्रतिभूत - अच्छे माने गए	45.74	36.77
अप्रतिभूत - अच्छे माने गए	5.93	1.89
उप-जोड़	51.67	38.66
कुल	1,279.63	1,125.74
*1 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	4.49	0.11
वर्ष के दौरान वर्धन	-	4.38
अंतिम शेष	4.49	4.49
*2 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	0.04	-
वर्ष के दौरान वर्धन	-	0.04
अंतिम शेष	0.04	0.04

टिप्पणी सं. 6 : मालसूची

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 10.0 के अनुसार मूल्यांकित)		
भंडार तथा कलपुर्जे	98.97	96.44
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	2.52	1.14
खुले औजार	2.06	2.21
रद्दी मालसूची	1.17	1.83
घटाएं : अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *1	8.95	9.98
कुल	95.77	91.64
*1 अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	9.98	22.48
वर्ष के दौरान वर्धन	0.28	0.52
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	1.10	11.27
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.21	1.75
अंतिम शेष	8.95	9.98
व्याख्यात्मक टिप्पणी :		
i) वर्ष के दौरान निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) को पश्च लेखित माल-सूची और लाभ या हानि में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।	0.28	0.52

टिप्पणी सं. 7 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - प्राप्त व्यापार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अप्रतिभूत - अच्छे माने गए	1,097.07	1,492.90
अप्रतिभूत - संदिग्ध माने गए	37.71	54.40
घटाएं - संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान *1	37.71	54.40
कुल	1,097.07	1,492.90
*1 संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	54.40	34.83
वर्ष के दौरान वर्धन	1.93	19.57
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	18.35	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.27	-
अंतिम शेष	37.71	54.40
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
i) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें क्रमशः कंपनी का कोई निदेशक भागीदार अथवा निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य
ii) अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों तथा कंपनी के अन्य संबंधित पक्षों द्वारा उपर्युक्त बिन्दु (1) पर देय कोई ऋण	शून्य	शून्य
iii) वर्तमान प्राप्तियों की अल्पावधि प्रकृति के कारण उनकी वहन राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।		

टिप्पणी सं. 8 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - नकदी और नकदी तुल्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क. बैंकों के साथ शेष		
अनुसूचित बैंकों के साथ		
चालू खाते में	6.93	59.78
ख. हस्तगत नकदी		
हस्तगत नकदी	0.03	0.11
कुल	6.96	59.89
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
1) हस्तगत नकदी - (इसमें हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं)	0.01	0.01
2) अन्य की ओर से नकदी और बैंक शेष और जो कंपनी के लिए व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं तथा उसे उक्त राशि में शामिल किया गया है :-		
क) कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हेतु धारित।	0.22	7.74

टिप्पणी सं. 9 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - नकदी और नकदी तुल्य के अतिरिक्त अन्य शेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क. बैंकों के साथ शेष - जमा खाते में	1,360.49	1,372.03
ख. जमा खाता - अदा न किया गया लाभांश/ब्याज	104.94	101.22
कुल	1,465.43	1,473.25
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हेतु धारित नकदी और बैंक शेष जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं उसे उक्त राशि में शामिल किया गया है।	250.49	242.48

टिप्पणी सं. 10 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
संबंधित पक्षों को ऋण		
- नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड (प्रोदभूत ब्याज सहित)		
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	6.00	-
उप-जोड़	6.00	-
अन्य ऋण		
कर्मचारी (प्रोदभूत ब्याज सहित)		
- प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	17.07	15.58
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	23.73	28.26
- अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	0.03	0.03
घटाए - संदिग्ध कर्मचारी ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान *1	0.03	0.03
उप-जोड़	40.80	43.84
कुल	46.80	43.84
*1 संदिग्ध कर्मचारी ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	0.03	0.03
अंतिम शेष	0.03	0.03
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अवधि के अंत में देय ऋण तथा अग्रिम	0.03	0.01
फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है	शून्य	शून्य

टिप्पणी सं. 11 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - अन्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क) प्राप्य दावे	590.67	569.45
घटाएं - संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान *1	210.18	209.03
उप-जोड़	380.49	360.42
ख) बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय	35.06	46.45
ग) अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमियों से प्राप्य	111.24	200.08
घ) लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज	3.32	20.50
ङ) प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) - वर्तमान	34.80	57.89
च) वित्त पट्टे पर प्राप्य ब्याज	18.92	0.45
छ) बॉण्ड पर प्रोदभूत ब्याज	2.52	2.52
ज) बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य	797.01	1,169.94
झ) माध्यस्थ पंचाट के प्रति संविदाकार को अग्रिम	536.06	-
कुल	1,919.42	1,858.25
*1 संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	209.03	200.70
वर्ष के दौरान वर्धन	3.36	22.46
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.01	8.52
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	2.20	5.61
अंतिम शेष	210.18	209.03
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
1) बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य में निम्नलिखित शामिल है:		
इक्विटी पर प्रतिफल को सकल रूप देना	37.23	25.15
जम्मू एवं कश्मीर जल उपकर	160.92	226.22
मार्च माह हेतु बिल न की गई बिक्री	389.50	396.97
टैरिफ आदेश के संशोधन के कारण बिक्री - चुटक पावर स्टेशन	-	64.73
टैरिफ आदेश के संशोधन के कारण बिक्री - चमेरा-III पावर स्टेशन	2.83	2.83
टैरिफ आदेश की प्रतीक्षारत बिक्री को मान्यता (अनुमानित) - निम्नो बाजगो पावर स्टेशन	(18.14)	(3.44)
कर समायोजन	138.70	109.79
विदेश मंत्रालय बिक्री	7.51	7.24
पार्वती-III (चौथी यूनिट) अनुमानित बिक्री	-	244.86
एफईआरवी	66.05	79.80
अन्य	12.41	15.79
कुल	797.01	1,169.94
2) अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम से प्राप्य में कीरु और कवार जलविद्युत परियोजनाओं पर किया गया व्यय शामिल है जिसे मैसर्स सीवीपीपीपीएल (एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को अंतरित किया गया है।		

टिप्पणी सं. 12 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
वर्तमान कर (देखें टिप्पणी सं.-23)	0.40	55.93
कुल	0.40	55.93

टिप्पणी सं. 13 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क. पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		
क) जमा		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	118.98	134.35
घटाए : सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत मांग के प्रति प्रावधान	0.10	11.59
उप-जोड़	118.88	122.76
ख) संविदाकार/आपूर्तिकार को अग्रिम		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	1.13	0.64
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
बैंक गारंटी के प्रति	15.43	112.51
अन्य	24.54	33.08
घटाए : उपयोग प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	0.45	0.43
- अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	45.52	45.52
घटाए : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान *1	45.52	45.52
उप-जोड़	40.65	145.80
ग) अन्य अग्रिम - कर्मचारी		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.73	0.57
उप-जोड़	0.73	0.57
घ) निम्न पर प्रोदभूत ब्याज :		
अन्य		
अच्छे समझे गए	9.78	65.31
संदिग्ध माने गए	104.11	84.32
घटाए : संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान *2	104.11	84.32
उप-जोड़	9.78	65.31
ख. अन्य		
क) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय		
घटाए : पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान *3	37.06	37.06
उप-जोड़	37.06	37.06
ख) पश्च लेखन स्वीकृति/जांच लंबित हेतु प्रतीक्षित हानियां		
घटाए : लंबित जांच/पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियों हेतु प्रावधान *4	38.91	40.02
उप-जोड़	38.91	40.02
ग) पूर्वप्रदत्त व्यय	74.17	49.78
घ) विलंबित कर्मचारी लागत		
प्रतिभूत - अच्छे समझे गए	5.29	5.15
अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	0.05	0.42
ङ) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव		
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	66.36	78.72
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर विलंबित व्यय	7.93	4.46
च) अधिशेष/अप्रचलित परिसंपत्तियां	1.78	1.92
छ) इनपुट जीएसटी	5.96	-
ज) अन्य	10.60	0.32
कुल	342.18	475.21

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
*1 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकार)		
प्रारंभिक शेष	45.52	45.52
अंतिम शेष	45.52	45.52
*2 संदिग्ध प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	84.32	67.08
वर्ष के दौरान वर्धन	19.79	19.79
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	2.55
अंतिम शेष	104.11	84.32
*3 पश्चलेखन स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित परियोजना व्यय हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
अंतिम शेष	37.06	37.06
*4 जांच लंबित/पश्चलेखन स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	40.02	37.78
वर्ष के दौरान वर्धन	0.32	2.77
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.82	0.43
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.61	0.10
अंतिम शेष	38.91	40.02

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

1	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा वर्ष के अंत में देय ऋण तथा अग्रिम	शून्य	शून्य
2	फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है, से देय अग्रिम	शून्य	शून्य
3	निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्य तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कम पर दर्शाया गया है		

टिप्पणी सं. 14 : नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i) सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष		
प्रारंभिक शेष	2,697.99	2,181.28
वर्ष के दौरान वर्धन	474.82	516.71
अंतिम शेष	3,172.81	2,697.99
(ii) तीसरी पीआरसी के अनुसार वेतन संशोधन		
प्रारंभिक शेष	208.83	-
वर्ष के दौरान वर्धन (लाभ एवं हानि के माध्यम से)	242.90	199.78
वर्ष के दौरान वर्धन (अन्य व्यापक आय के माध्यम से)	(23.68)	9.05
अंतिम शेष	428.05	208.83
(iii) मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर		
प्रारंभिक शेष	(2.50)	-
वर्ष के दौरान वर्धन	2.10	(2.50)
अंतिम शेष	(0.40)	(2.50)
	अंतिम शेष (क) = (i)+(ii)+(iii)	
	3,600.46	2,904.32
(iv) नियामक विलंबित लेखा शेष पर विलंबित कर परिसंपत्तियां	(95.62)	(72.27)
घटाएं : विलंबित कर परिसंपत्तियों के प्रति विलंबित कर समायोजन	(95.62)	(72.27)
	कुल (ख)	-
	3,600.46	2,904.32
नियामक विलंबित लेखा शेष विलंबित कर का निवल (क-ख) *		
विवरण हेतु टिप्पणी सं. 34 - लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियां का पैरा 22 देखें		

टिप्पणी संख्या 15.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
(क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	15,000,000,000	15,000.00	15,000,000,000	15,000.00
(ख) जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	10,259,320,519	10,259.32	10,259,320,519	10,259.32
(ग) इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन				
बकाया शेयरों की प्रारंभिक संख्या	10,259,320,519	10,259.32	11,070,668,496	11,070.67
जोड़े : वर्ष के दौरान जारी/ सब्सक्राइब्ड शेयरों की संख्या/ शेयर पूंजी	-	-	-	-
घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद के कारण शेयरों की संख्या/ शेयर पूंजी में कमी	-	-	811,347,977	811.35
बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	10,259,320,519	10,259.32	10,259,320,519	10,259.32

(घ) कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।

(ङ) कंपनी की धारक कंपनी अथवा उसकी अंतिम धारक कंपनी द्वारा धारित कंपनी में प्रत्येक श्रेणी के संबंधित शेयर जिसमें धारक कंपनी या अंतिम धारक कंपनी द्वारा अनुषंगी कंपनियों या एसोसिएट में धारित शेयर शामिल हैं - शून्य।

(च) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए शेयर :

	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
	संख्या	प्रतिशत में	संख्या	प्रतिशत में
भारत के राष्ट्रपति	7,587,481,082	73.96%	7,643,406,901	74.50%
भारतीय जीवन बीमा निगम	734,379,599	7.16%	906,183,502	8.83%

(छ) शेयर/विनिवेश की बिक्री हेतु विकल्प तथा संविदाओं/प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत जारी किए जाने हेतु आरक्षित शेयर, शर्तों तथा राशियों सहित - शून्य

(ज) 31.3.2018 से तत्काल पूर्व 5 वित्तीय वर्षों में कंपनी ने नकदी में किसी भुगतान की प्राप्ति के बिना संविदा के अनुपालन में पूर्णतः-प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/किसी इक्विटी शेयर को बोनस शेयर के माध्यम से पूर्णतः-प्रदत्त के रूप में आवंटित नहीं किया है।

(झ) इक्विटी शेयरों में परिवर्तित की जाने वाली किसी प्रतिभूति की अवधि, ऐसी सुदूरवर्ती तिथि से प्रारंभ करते हुए घटते हुए क्रम में परिवर्तन की नवीनतम तिथि के साथ - शून्य

(ञ) अदा न किए गए अदत्तमांगों (निदेशकों को तथा अधिकारियों द्वारा अदा न किए गए अदत्तमांगों का संचित मूल्य दर्शाते हुए) - शून्य

(ट) जब्त किए गए शेयर (मूलतः अदा की गई राशि) - शून्य

(ठ) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने 10 रुपये प्रत्येक के 81,13,47,977 शेयरों की पुनः-खरीद को शेयरधारकों से एक अनुपातिक आधार पर 32.25 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर निविदा प्रस्ताव के माध्यम से 2616.60 करोड़ रुपये की कुल राशि पर कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार पूरा किया है।

टिप्पणी सं. 15.2 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(i) पूंजी मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2,041.42	1,230.07
जोड़े : प्रतिभूति प्रीमियम खाते से अंतरित	-	811.35
तुलन-पत्र की तारीख पर	2,041.42	2,041.42
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम खाता		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	242.81	2,868.74
घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद हेतु उपयोग और संबंधित व्यय	-	1,814.58
घटाएं : पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित	-	811.35
तुलन-पत्र की तारीख पर	242.81	242.81
(iii) बांड मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,609.27	1,324.20
जोड़े : अधिशेष/प्रतिधारित आय से अंतरित	668.45	394.49
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	148.17	109.42
तुलन-पत्र की तारीख पर	2,129.55	1,609.27
(iv) अनुसंधान एवं विकास निधि		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	43.90	31.70
जोड़े : अधिशेष/प्रतिधारित आय से अंतरित	-	12.20
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	43.90	-
तुलन-पत्र की तारीख पर	-	43.90
(v) सामान्य आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10,088.11	10,088.11
तुलन-पत्र की तारीख पर	10,088.11	10,088.11
(vi) प्रतिधारित आय/अधिशेष		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2,522.54	3,061.65
जोड़ें - वर्ष के दौरान लाभ	2,758.65	2,795.59
जोड़ें - ओसीआई से अंतरित	20.15	(41.08)
जोड़ें - बॉण्ड मोचन आरक्षित से पश्च लिखित राशि	148.17	109.42
घटाएं : लाभांश (अंतिम + अंतरिम)	1,251.65	2,524.13
घटाएं - लाभांश पर कर	126.86	472.22
घटाएं - बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	668.45	394.49
जोड़ें - अनुसंधान और विकास निधि को अंतरण	43.90	-
घटाएं - अनुसंधान और विकास निधि से अंतरण	-	12.20
तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	3,446.45	2,522.54
(vii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - इक्विटी लिखत		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	100.08	65.29
जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन	(7.30)	34.79
तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	92.78	100.08
(viii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - ऋण लिखत		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	34.68	20.72
जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन	(9.09)	15.78
घटाएं - उचित मूल्य में परिवर्तन पर विलंबित कर	(2.12)	1.82
तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	27.71	34.68
कुल	18,068.83	16,682.81

आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन

- पूँजी मोचन आरक्षित :** कंपनी को वितरण योग्य लाभ से एक पूँजी मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित होता है, यदि शेयरों की पुन-खरीद को मुक्त आरक्षित से किया जाए, तो इस प्रकार खरीद किए गए शेयरों के नामितिक मूल्य को पूँजी मोचन आरक्षित को अंतरित किया जाना अपेक्षित होता है।
- प्रतिभूति प्रीमियम खाता :** प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित का उपयोग शेयरों को जारी किए जाने पर प्रीमियम को दर्ज करने के लिए किया जाता है। आरक्षित का उपयोग कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
- बॉण्ड मोचन आरक्षित :** कंपनी को लाभ में से एक बॉण्ड मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित होता है जो बॉण्डों की चुकौती के प्रयोजन हेतु उपलब्ध होता है।
- अनुसंधान और विकास निधि :** लोक उद्यम विभाग के दिनांक 23 सितम्बर, 2011 के आईओएम संख्या 3(9)/2010-डीपीई (एमओयू) की आवश्यकता के अनुसार कर पश्चात लाभ के 0.5 प्रतिशत की दर से अनुसंधान एवं विकास हेतु आरक्षित बनाना केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों हेतु एमओयू प्रणाली के अंतर्गत निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक बाध्यकारी मानदण्ड बनाया गया था। तदनुसार, कंपनी वित्तीय वर्ष 2016-17 तक डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार आर एण्ड डी आरक्षित का सृजन कर रही है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2016-17 से आर एण्ड डी हेतु लक्ष्य कंपनी के एमओयू का हिस्सा नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में उद्योग व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष से आर एण्ड डी आरक्षित को बनाना बंद कर दिया है और 31 मार्च, 2017 के अनुसार आर एण्ड डी आरक्षित में 43.90 करोड़ रूपए की शेष राशि को वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में अंतरित किया गया है।
- एफवीटीओसीआई-इक्विटी लिखत :** कंपनी ने इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश आरक्षित में ही संचित किए जाते हैं। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब इक्विटी प्रतिभूतियों को संगत विमान्य किया जाता है।
- एफवीटीओसीआई-ऋण लिखत :** कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीटीओसीआई ऋण निवेश आरक्षित में ही संचित किए जाते हैं। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को लाभ एवं हानि के माध्यम से तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब संगत ऋण प्रतिभूतियों को विमान्य किया जाता है।

टिप्पणी सं. 16.1 : वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - ऋण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
बाण्ड		
प्रतिभूत	11,238.39	8,493.28
सावधि ऋण		
• बैंकों से		
- प्रतिभूत	20.00	2,259.36
- अप्रतिभूत	-	107.18
• अन्य पक्षों से		
- प्रतिभूत	1,206.67	2,219.45
- अप्रतिभूत - सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	3,163.79	3,032.29
- अप्रतिभूत - अन्यो से	1,099.35	1,134.08
कुल	16,728.20	17,245.64

चुकौती/पुनर्भुगतान की शर्तें आदि

- ऋण प्रसंविदाएं - टिप्पणी संख्या 33 की बिंदु संख्या 3 (पूँजी प्रबंधन) देखें।
- चुकौती तथा पुनर्भुगतान का विवरण - टिप्पणी 16.1 का अनुबंध देखें।

टिप्पणी सं. 16.1 का अनुबंध

(करोड़ रुपए में)

विमोचन और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनीय और गैर-संचयी) - प्रतिभूत		
i) कर मुक्त बॉण्ड - 3ए सीरीज * 4 और 8 (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07
ii) कर मुक्त बॉण्ड - 3बी सीरीज * 4 और 8 (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रतिवर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62
iii) बॉण्ड - यू सीरीज * 2 और 10 (1000000/- रुपए प्रत्येक के 8.24 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 27.06.2031)	540.00	540.00
iv) बॉण्ड - यू1 सीरीज * 2 और 10 (1000000/- रुपए प्रत्येक के 8.17 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 27.06.2031)	360.00	360.00
v) कर मुक्त बॉण्ड - 2ए सीरीज * 4 और 8 (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12
vi) कर मुक्त बॉण्ड - 2बी सीरीज * 4 और 8 (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61
vii) कर मुक्त बॉण्ड - 1ए सीरीज * 4 और 8 (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81
viii) कर मुक्त बॉण्ड - 1बी सीरीज * 4 और 8 (1000/- रुपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77
ix) बाण्ड-डब्ल्यू2 सीरीज* 14 (7.35 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रुपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रुप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2023 से 15.09.2027 तक 150.00 करोड़ रुपए प्रत्येक की 5 वार्षिक चुकौतियां)	750.00	-
x) बाण्ड-वी2 सीरीज* 13 (7.52 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रुपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रुप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (06.06.2023 से 06.06.2027 तक 295.00 करोड़ रुपए प्रत्येक की 5 वार्षिक चुकौतियां)	1,475.00	-

(करोड़ रुपए में)

विमोचन और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
xi) बॉण्ड - टी- सीरीज * 1, 2 और 10 (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (14.07.2019 से 14.07.2030 के बीच 122.91 करोड़ रुपए के 12 वार्षिक विमोचन)	1,474.92	1,474.92
xii) बॉण्ड - आर-3 सीरीज * 4 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है)	892.00	892.00
xiii) बॉण्ड - एस-2 सीरीज * 10 (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (26.11.2018 से 26.11.2029 के बीच 55 करोड़ रुपये के 12 वार्षिक विमोचन)	660.00	660.00
xiv) बॉण्ड-डब्ल्यू1 सीरीज* 14 (6.91 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रुपए प्रत्येक के 5 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2018 से 15.09.2022 तक 300.00 करोड़ रुपए प्रत्येक की 5 वार्षिक विमोचन)	1,500.00	-
xv) बॉण्ड - वी सीरीज* 13 (5,00,000/- रुपए प्रत्येक के 6.84 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 5 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5 है) (24.01.2018 से 24.01.2022 के बीच 155.00 करोड़ रुपये के 5 वार्षिक विमोचन) (31.03.2018 को 155 करोड़ रुपए की चार वार्षिक किश्ते बकाया है)	620.00	775.00
xvi) बॉण्ड - क्यू सीरीज * 5 और 11 (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (1266.00 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.3.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2018 को 105.50 करोड़ रुपए की 9 वार्षिक किश्ते बकाया है।)	949.50	1,055.00
xvii) बॉण्ड - आर-2 सीरीज * 4 (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (382.08 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2018 को 31.84 करोड़ रुपए की 9 वार्षिक किश्ते बकाया है।)	286.56	318.40
xviii) बॉण्ड - पी सीरीज * 4, 6 और 8 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना चाहिए।) (2000 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 01.2.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2018 को 200 करोड़ रुपए की 7 वार्षिक किश्ते बकाया है।)	1,400.00	1,600.00

(करोड़ रूपए में)

विमोचन और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
xix) बॉण्ड -एस1 सीरीज * 10	255.50	292.00
(8.49 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1000000/- रुपये है और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। (365 करोड़ रूपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 26.11.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2018 को 36.50 करोड़ रूपए की 7 वार्षिक किस्ते बकाया है।)		
xx) बॉण्ड -आर1 सीरीज * 4	54.80	61.65
(8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/- रुपये है और जो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। (82.20 करोड़ रूपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.2.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2018 को 6.85 करोड़ रूपए की 8 वार्षिक किस्ते बकाया है।)		
xxi) बॉण्ड - ओ सीरीज * 2	-	57.00
(100,000,000/- रूपए प्रत्येक के 7.70 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (31.03.2018 को पूर्णतः विमोचित किया गया।)		
कुल बॉण्ड (प्रतिभूति)	12,218.28	9,085.97
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	979.89	592.69
कुल बॉण्ड (प्रतिभूति) वर्तमान परिपक्वता के निवल (क)	11,238.39	8,493.28
(ख) सावधि ऋण - प्रतिभूत (बैंक)		
i) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2	30.00	40.00
(31.03.2018 को 7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऊपरी सीमा के साथ वर्तमान में 7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रूपए प्रत्येक की 3 समान वार्षिक किश्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य जिसमें 3 वर्ष का पुनर्निर्धारण खंड है)		
ii) कारपोरेशन बैंक *9	-	406.25
(06.06.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)		
iii) केनरा बैंक *9	-	162.56
(06.06.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)		
iv) इंडियन ओवरसीज बैंक *9	-	162.50
(06.06.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)		
v) सिंडिकेट बैंक *9	-	243.75
(06.06.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)		
vi) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया *9	-	121.88
(06.06.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)		
vii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया * 3 और 5	-	916.67
(15.09.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)		
viii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया * 8	-	460.00
(15.09.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)		
कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रतिभूति)	30.00	2,513.61
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	10.00	254.25
कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रतिभूति) - वर्तमान परिपक्वता के निवल (ख)	20.00	2,259.36

(करोड़ रूपए में)

विमोचन और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(ग) सावधि ऋण - अप्रतिभूत (बैंक) - विदेशी मुद्रा		
i) डॉइश बैंक और अन्य *12 (अस्थिर ब्याज दर छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर + 0.57 प्रतिशत मार्जिन पर 54.39 करोड़ रूपए प्रत्येक की 2 समान छमाही किस्तों में 18.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)	113.45	214.36
कुल सावधि ऋण - बैंक (अप्रतिभूत)	113.45	214.36
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	113.45	107.18
कुल सावधि ऋण - बैंक (अप्रतिभूत) - वर्तमान परिपक्वता का निवल (ग)	-	107.18
(घ) सावधि ऋण - अन्य पार्टियों से (प्रतिभूत)		
i) भारतीय जीवन बीमा निगम *4 तथा 6 (31.03.2018 को 25.00 करोड़ रूपए पर 9.25 प्रतिशत वार्षिक और 600 करोड़ रूपए पर 8 प्रतिशत वार्षिक की स्थिर ब्याज दर पर 104.17 करोड़ रूपए प्रत्येक की 6 छमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)।	625.00	833.33
ii) भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 11 (31.03.2018 को 9.118 प्रतिशत वार्षिक की स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रूपए प्रत्येक की 12 समान छमाही किस्तों में 31.10.2023 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	948.00	1,106.00
iii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7 (ऋण को 15.09.2017 को पूर्णतः चुका दिया गया है)	-	27.90
iv) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7 (ऋण को 15.09.2017 को पूर्णतः चुका दिया गया है)	-	31.50
v) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *2&3 (ऋण को 15.09.2017 को पूर्णतः चुका दिया गया है)	-	619.23
vi) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1 (ऋण को 15.09.2017 को पूर्णतः चुका दिया गया है)	-	92.92
vii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1 (ऋण को 15.09.2017 को पूर्णतः चुका दिया गया है)	-	137.50
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (प्रतिभूति)	1,573.00	2,848.38
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	366.33	628.93
कुल सावधि ऋण - अन्य पक्षों से (प्रतिभूति) - वर्तमान परिपक्वता का निवल (घ)	1,206.67	2,219.45
(ङ) सावधि ऋण - अन्य पार्टियां से - सरकार (अप्रतिभूत)		
भारत सरकार से ऋण (उचित मूल्य पर)		
i) निम्नो - बाजगो पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 28.85 करोड़ की 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	414.99	394.76
ii) चुटक पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (2.50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6वें वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 23.11 करोड़ रूपए की 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	478.14	452.13
iii) किशनगंगा जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)	2,293.77	2,185.40
कुल सावधि ऋण - सरकार (अप्रतिभूत)	3,186.90	3,032.29
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	23.11	-
कुल सावधि ऋण - अन्य पक्षों से (अप्रतिभूति) - वर्तमान परिपक्वता का निवल (ङ)	3,163.79	3,032.29

(करोड़ रुपए में)

विमोचन और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(च) सावधि ऋण - अन्यो से - विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत)		
i) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रांशे-I*12 (31.03.2018 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.01.2026 तक 7.54 करोड़ रुपए प्रत्येक की 16 समान छमाही किश्तों में चुकौतीयोग्य)	120.69	128.26
ii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रांशे-II*12 (31.03.2018 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.12.2027 तक 24.75 करोड़ रुपए प्रत्येक की 20 समान छमाही किश्तों में चुकौतीयोग्य)	494.90	514.28
iii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रांशे-III*12 (31.03.2018 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.03.2034 तक 18.28 करोड़ रुपए प्रत्येक की 32 समान छमाही किश्तों में चुकौतीयोग्य)	584.89	587.08
कुल सावधि ऋण - अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)	1,200.48	1,229.62
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	101.13	95.54
कुल सावधि ऋण - अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत) वर्तमान परिपक्वताओं का निवल	1,099.35	1,134.08
सकल जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ+च)	16,728.20	17,245.64

*** प्रतिभूति का विवरण**

- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा पावर स्टेशन-I की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के उड़ी-I पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा II पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के पार्वती II जलविद्युत परियोजना की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौलीगंगा पावर स्टेशन की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन में कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा III पावर स्टेशन की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के सलाल पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित सेवा-II पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी के चुटक पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के निम्नो-बाजगो पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के उड़ी II पावर स्टेशन और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV पावर स्टेशन में कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्वती-III पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा संरक्षित।
- सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता-V पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा संरक्षित।
- उपरोक्त क्रमांक ग(i), च(i), च(ii) और च(iii) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्वती-II परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित कम्पनी के पार्वती-II परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति साम्य बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रतिभूति सृजन प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - अन्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
जमा/प्रतिधारण राशि	38.47	25.63
कुल	38.47	25.63

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान - गैर वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
i) दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	453.80	371.69
वर्ष के दौरान वर्धन	0.07	82.11
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	447.56	-
अंतिम शेष	6.31	453.80
ख) अन्य		
i) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	15.15	20.42
वर्ष के दौरान वर्धन	0.24	3.55
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	13.64	10.16
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.48	-
छूट की समाप्ति	0.98	1.34
अंतिम शेष	1.25	15.15
ii) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	17.98	16.09
वर्ष के दौरान वर्धन	0.05	1.56
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.96	-
छूट की समाप्ति	0.33	0.33
अंतिम शेष	17.40	17.98
iii) प्रावधान - अन्य		
वर्ष के दौरान वर्धन	0.51	-
अंतिम शेष	0.51	-
कुल	25.47	486.93

* प्रावधानों के संबंध में जानकारी टिप्पणी 34 - लेख की अन्य विवरणात्मक टिप्पणी के पैरा 21 में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 विलंबित कर देयताएं (निवल) - गैर वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
विलंबित कर देयता		
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	3,148.21	3,430.66
ख) एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	9.07	6.03
ग) अन्य मर्दे	227.06	647.18
घटाएं - 2009 तक टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य	1,792.03	1,929.53
घटाएं - विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	276.72	796.71
निवल विलंबित कर देयता	1,315.59	1,357.63
घटाएं - समायोजन प्रावधानों के अनुपालन में समायोजित विलंबित कर परिसंपत्तियां		
क) संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	10.67	92.42
ख) कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	4.56	172.15
ग) अन्य मर्दे	223.72	154.57
निवल विलंबित कर परिसंपत्तियां	238.95	419.14
कुल	1,076.64	938.49

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित "आय पर करों हेतु लेखांकन" संबंधी भारतीय लेखांकन मानक 12 के अनुपालन में विलंबित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का सृजन विलंबित कर देयता/परिसंपत्ति के रूप में किया गया है।
- विलंबित कर देयता/परिसंपत्तियों में संचलन टिप्पणी संख्या 18 के अनुबंध में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 18 का अनुबंध
विलंबित कर देयता में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मर्दे	2009 तक टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य	विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	कुल
01 अप्रैल, 2017 को	3,430.66	6.03	647.18	1,929.53	796.71	1,357.63
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया						
- लाभ या हानि को	(282.45)	5.16	(420.12)	(137.50)	(519.99)	(39.92)
- ओसीआई को	-	(2.12)	-	-	-	(2.12)
31 मार्च 2018 को	3,148.21	9.07	227.06	1,792.03	276.72	1,315.59

विलंबित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	अन्य मर्दे	कुल
01 अप्रैल, 2017 को	92.42	172.15	154.57	419.14
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया				
- लाभ या हानि को	(81.75)	(158.36)	60.87	(179.24)
- ओसीआई को	-	(9.23)	8.28	(0.95)
31 मार्च 2018 को	10.67	4.56	223.72	238.95

विलंबित कर देयता में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मर्दे	2009 तक टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य	विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	कुल
01 अप्रैल, 2016 को	3,052.99	27.89	512.28	2,055.65	359.73	1,177.78
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया						
- लाभ या हानि को	377.67	(23.68)	134.90	(126.12)	436.98	178.03
- ओसीआई को	-	1.82	-	-	-	1.82
31 मार्च 2017 को	3,430.66	6.03	647.18	1,929.53	796.71	1,357.63

विलंबित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	अन्य मर्दे	कुल
01 अप्रैल, 2016 को	73.60	27.79	214.46	315.85
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया				
- लाभ या हानि को	18.82	129.65	(59.89)	88.58
- ओसीआई को		14.71		14.71
31 मार्च 2017 को	92.42	172.15	154.57	419.14

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	977.50	1,038.18
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव लेखे से विलंबित आय	54.72	60.89
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय	592.78	373.40
कुल	1,625.00	1,472.47
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय		
वर्ष के प्रारंभ में	378.98	206.88
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	238.12	176.70
घटाएं : लाभ एवं हानि विवरण को निर्मुक्त	5.99	4.60
वर्ष के अंत में शेष *	611.11	378.98
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय (वर्तमान)	18.33	5.58
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय (गैर-वर्तमान)	592.78	373.40
* अनुदान में निम्नलिखित शामिल है :-		
1) सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित चुटक पावर स्टेशन, निम्नो बाजगो पावर स्टेशन और किशनगंगा जलविद्युत परियोजना से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन ।	586.13	378.98
2) तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के स्थापन हेतु एसईसीआई के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	24.98	-

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण - वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
ऋण - अन्य ऋण - प्रतिभूति		
बैंकों से	279.99	302.50
कुल	279.99	302.50

ऋण का ब्यौरा

क्र. सं.	बैंक का नाम प्रतिभूति की प्रकृति ब्याज दर	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
1	आईडीबीआई बैंक सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 6.81 प्रतिशत	108.00	-
2	आईडीबीआई बैंक सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 6.96 प्रतिशत	171.99	-
3	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 7.25 प्रतिशत	-	225.00
4	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 7.01 प्रतिशत	-	47.50
5	यूको बैंक सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 7.37 प्रतिशत	-	30.00
	कुल	279.99	302.50

(i) पुनर्भुगतान अवधि - ऋण राशि का पुनर्भुगतान किसी भी समय और आंशिक रूप से भी किया जा सकता है।

(ii) पुनर्भुगतान में चूक (यदि कोई हो) - कोई नहीं

टिप्पणी सं. 20.2 देय व्यापार - वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	5.29	4.28
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	166.26	142.80
कुल	171.55	147.08

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकता को टिप्पणी सं. 34 - लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों के पैरा 15 में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 20.3 अन्य वित्तीय देयताएं - वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता *		
- बॉण्ड	979.89	592.69
- सावधि ऋण - बैंक - प्रतिभूत	10.00	254.25
- सावधि ऋण - बैंक - अप्रतिभूत	113.45	107.18
- अन्य पक्ष - प्रतिभूत	366.33	628.93
- अप्रतिभूत - सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	23.11	-
- अन्य पक्ष - अप्रतिभूत	101.13	95.54
पूँजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	400.59	279.62
पूँजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता - एमएसएमई **	1.43	1.51
ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय न होने वाला ब्याज	572.49	428.56
प्रतिधारण राशि	104.22	98.18
अदा न किया गया लाभांश ***	18.16	14.26
अदा न किया गया ब्याज ***	0.11	0.27
कर्मचारियों को देय अन्य	17.30	26.46
अन्य को देय अन्य	70.60	22.18
कुल	2,778.81	2,549.63

* मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि तथा प्रतिभूति के ब्यौरे टिप्पणी संख्या 16.1 के अनुबंध में प्रकट किए गए हैं।

** सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकता को टिप्पणी संख्या 34-लेख की अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों के पैरा 15 के अंतर्गत दिया गया है।

*** "अदा न किया गया लाभांश" और "अदा न किया गया ब्याज" में वे राशियां शामिल हैं जिनका इक्विटी शेयर/बॉण्ड के निवेशकों/धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से निवेशक शिक्षा और बचाव निधि को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशि को अंतरित कर दिया गया है।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	60.68	60.68
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लेख से विलंबित आय	6.17	6.17
भुगतान योग्य सांविधिक देय	355.59	352.55
जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	244.12	244.12
जमा कार्यों पर व्यय की गई राशि	(242.62)	(238.87)
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	3,716.56	4,547.35
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों के संबंध में व्यय की गई राशि	(3,502.22)	(4,283.37)
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों के संबंध में वसूली योग्य राशि के प्रति प्रावधान	-	2.28
अन्य देयताएं - ग्राहकों और अन्य से अग्रिम	13.25	10.16
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय	18.33	5.58
कुल	669.86	706.65

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान - वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
i) दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	253.41	56.28
वर्ष के दौरान वर्धन	142.34	265.82
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	253.41	68.69
अंतिम शेष	142.34	253.41
ii) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान * 1		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10.10	7.19
वर्ष के दौरान वर्धन	2.47	2.91
अंतिम शेष	12.57	10.10
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	12.57	10.10
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	-
iii) उत्पादकता सहयोजित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	118.33	100.70
वर्ष के दौरान वर्धन	242.91	118.34
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	73.97	100.71
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	22.91	-
अंतिम शेष	264.36	118.33
iv) अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	5.94	42.23
वर्ष के दौरान वर्धन	0.73	5.94
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	3.09	42.21
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.02
अंतिम शेष	3.58	5.94
v) वेतन संशोधन हेतु प्रावधान तीसरी वेतन संशोधन समिति		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	103.33	-
वर्ष के दौरान वर्धन	267.03	103.33
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	26.53	-
अंतिम शेष	343.83	103.33
ख. अन्य		
i) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	105.76	263.29
वर्ष के दौरान वर्धन	58.37	94.83
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	252.36
अंतिम शेष	164.13	105.76
ii) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	188.21	69.77
वर्ष के दौरान वर्धन	12.81	125.06
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	42.19	6.82
छूट की समाप्ति	0.60	0.20
अंतिम शेष	159.43	188.21
iii) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	47.51	49.31
वर्ष के दौरान वर्धन	1.55	43.43
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	21.69	45.23
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	5.61	-
अंतिम शेष	21.76	47.51

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
iv) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	14.03	7.25
वर्ष के दौरान वर्धन	1.50	6.53
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.18	0.02
छूट की समाप्ति	0.25	0.27
उचित मूल्य समायोजन के पश्चात अंतिम शेष	15.60	14.03
v) माध्यस्थ निर्णय/ अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	360.48	275.23
वर्ष के दौरान वर्धन	19.06	95.79
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	5.49	10.34
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.04	0.20
अंतिम शेष	374.01	360.48
vi) प्रावधान - अन्य		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	292.95	398.98
वर्ष के दौरान वर्धन	38.12	49.05
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	31.00	133.36
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	36.07	21.72
अंतिम शेष	264.00	292.95
कुल	1,753.04	1,489.95

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

*1) बोर्ड ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी/भाग-III के माध्यम से बोर्ड स्तर कार्यपालकों से नीचे के कार्यपालकों के संबंध में वेतनमान के बारे में सक्षम प्राधिकारी के इस अनुमोदन को सम्प्रेषित किया कि 01.01.1997 से निर्धारित वेतनमान में कमियों का सुधार करने के पश्चात वेतनमान 1.1.2007 से निर्धारित किए जाएं और 01.01.1997 से निर्धारित विपथनकारी वेतनमानों को नियमित नहीं किया जाए, के निदेशों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 25 फरवरी, 2016 के पत्र संख्या 11/17/22009-एनएचपीसी-भाग-III के माध्यम से यह पुष्टि की है कि 1.2.2014 से वैयक्तिक वेतन समायोजन की वसूली सक्षम प्राधिकारी के उक्त निदेश के अनुरूप है। तदनुसार, 31.01.2014 तक अदा किए गए 31.03 करोड़ रूपए के व्यक्तिगत वेतन समायोजन के प्रति अग्रिम वेतन संशोधन हेतु प्रावधान के प्रति समायोजित कर लिया गया है। तथापि, मामले में अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण 12.57 करोड़ रूपए की राशि को अग्रिम में बन रखा गया है।

इस प्रकार "वेतन संशोधन हेतु प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत 1.2.2014 से 31.3.2018 तक व्यक्तिगत वेतन समायोजन के प्रति मुहैया करवाई गई संचित राशि 12.57 करोड़ रूपये है (वर्तमान वर्ष 2.47 करोड़ रूपये के प्रावधान सहित) जिसमें तदनुसारी राशि को "अदा किए गए अग्रिम" के रूप में दर्शाया गया है।

2) प्रावधानों के संबंध में जानकारी तुलन-पत्र की टिप्पणी 34 के पैरा 21 में दी गई है।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
आयकर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	706.56	744.97
वर्ष के दौरान वर्धन	634.68	706.56
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(706.56)	(744.97)
अंतिम शेष	634.68	706.56
घटाएं : वर्तमान अग्रिम कर	635.08	762.49
निवल वर्तमान कर देयताएं (निवल)	(0.40)	(55.93)
घटाएं : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (टिप्पणी सं. 12.2 को देखें)	0.40	55.93
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 24.1 : सतत प्रचालनों से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
I प्रचालन राजस्व		
क. बिक्री		
विद्युत की बिक्री	6,262.65	6,537.67
मूल्यहास के प्रति अग्रिम - वर्ष के दौरान पश्च लेखित	60.68	60.68
घटाएं :		
विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन	66.36	51.81
टैरिफ समायोजन	58.37	94.83
विनियमित विद्युत संयोजन	-	27.71
विद्युत के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित)	0.27	0.56
उपभोक्ताओं को छूट	20.43	12.92
उप जोड़ (क)	6,177.90	6,410.52
ख वित्त- पट्टे से आय	213.57	206.35
ग प्रचालन पट्टे से आय	477.17	522.59
घ संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व		
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	63.25	52.07
उप जोड़ (घ)	63.25	52.07
उप जोड़ - I (क+ख+ग+घ)	6,931.89	7,191.53
II अन्य प्रचालन राजस्व		
लाभग्राही राज्यों से ब्याज (टैरिफ का संशोधन)	2.14	79.64
उप जोड़-II	2.14	79.64
कुल (I+II)	6,934.03	7,271.17
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013-सीईआरसी दिनांक 21.02.2014 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 49 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों से वसूल की जाती है और इसका लेखांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। तदनुसार, उक्त राशि को संगत वर्ष की विद्युत की बिक्री में शामिल किया गया है।	236.63	192.87
2) पार्वती-III पावर स्टेशन की सभी 4 यूनिटों के टैरिफ प्रस्ताव के संबंध में वर्तमान वर्ष के दौरान सीईआरसी में सुनवाई के दौरान विचार-विमर्श तथा उसके बाद के घटनाक्रमों के आधार पर प्रबंधन वर्तमान जल उपलब्धता तथा निर्माणाधीन पार्वती-III के चालू किए जाने के लंबित रहने को देखते हुए यह आशा करता है कि अनुमानित आधार पर मान्यता प्रदान की गई चौथी यूनिट का राजस्व वसूली योग्य नहीं हो सकता है। तदनुसार, 31.3.2017 तक मान्यता प्रदान किए गए बिल न किए गए राजस्व को अनुमानों में परिवर्तन के कारण वर्तमान वर्ष के दौरान बहियों में प्रत्यावर्तित किया गया है।	(244.86)	शून्य
3) 'सीईआरसी' द्वारा अनुमेय किए गए अनुसार 'मानद उत्पादन' को बिक्री में शामिल किया गया है।	131.60	115.98

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
4) दिनांक 21.02.2004 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनु रूप, प्रचुर सावधानी के तौर पर वर्ष के दौरान बहियों में उक्त राशि का प्रावधान किया गया है।	58.37	94.83
5) टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न पूर्व के वर्ष की बिक्री की राशि जिसे वर्तमान अवधि की बिक्री में शामिल किया गया है।	(4.19)	105.87
6) कुछ लाभार्थियों द्वारा शुल्क अदा न किए जाने के कारण, उन्हें आवंटित विद्युत के अंश के संदर्भ में सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान विद्युत विनियमित की गई और तदनु रूप बिक्री में विनियमित विद्युत के संदर्भ में राशि शामिल है, जो पावर एक्सचेंज के जरिए नीलामी के माध्यम से बेची गई। उक्त विनियम में यह प्रावधान भी है कि इस तरह विनियमित बिजली बेचे जाने और तत्संबंधी बिक्री पर हुए खर्च को समायोजित करने के बाद जो लाभ अर्जित हो उसे उन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जिनकी विद्युत विनियमित की गई हो।	शून्य	61.19
7) अभी बिल न की गई बिक्री की राशि को बिक्री में शामिल किया गया है।	858.90	1,005.66

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
- एफवीटीओसीआई पर वहन किए गए निवेशों से ब्याज	31.45	31.44
- परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज		
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	46.97	43.09
- जमा खाता	139.69	388.38
- कर्मचारी ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	13.43	14.27
- संविदाकारों से अग्रिम पर ब्याज	38.88	40.85
- अन्य	-	0.54
ख) लाभांश आय		
- अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	628.52	204.49
- लाभांश - अन्य	3.60	3.00
ग) अन्य गैर-प्रचालन आय		
विलंब भुगतान अधिभार	390.36	526.75
व्यापार बाधा के कारण हानि की वसूली	59.41	111.80
निवेश की बिक्री पर लाभ	-	6.54
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	6.89	-
बीमा दावे से आय	0.34	7.20
पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान #1	89.68	48.51

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
संविदाकार को जारी सामग्री		
(i) संविदाकारों को जारी सामग्री के कारण बिक्री	24.05	-
(ii) वसूलीयोग्य आधार पर संविदाकारों को जारी सामग्री की लागत	(36.48)	-
(iii) संविदाकार को जारी सामग्री के कारण समायोजन	12.43	-
सहायता अनुदान का परिशोधन	5.99	4.60
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन के कारण आय (जीबीआई)	4.19	-
विनिमय दर अंतर (निवल)	-	4.05
अन्य	57.18	42.77
उप जोड़	1,516.58	1,478.28
घटाएं - निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित आय	20.25	13.23
घटाएं - अग्रिम को अंतरित आय/ग्राहक/संविदादाता से जमा तथा जमा कार्यों के प्रति	5.33	7.38
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल	1,491.00	1,457.67
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
1 # पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/ प्रावधानों का ब्यौरा		
ए) भंडार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी (* 1 टिप्पणी सं. 6 के अंतर्गत)	0.21	1.75
बी) खराब और संदिग्ध ऋण (* 1 टिप्पणी सं. 7 के अंतर्गत)	0.27	-
सी) संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान (* 1 टिप्पणी सं. 11 के अंतर्गत)	2.20	5.61
डी) संदिग्ध प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान (* 2 टिप्पणी सं. 13 के अंतर्गत)	-	2.55
ई) जांच लंबित/पश्चलेखन स्वीकृति प्रतीक्षित हानियों हेतु प्रावधान (* 4 टिप्पणी सं. 13 के अंतर्गत)	0.61	0.10
एफ) पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या क(3))	22.91	-
जी) अधिवर्षिता/पेंशन निधि हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या क(4))	-	0.02
एच) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 17 की क्रम सं. ख(1) और टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या ख(2))	1.48	-
आई) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्ययों हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या ख(3))	5.61	-
जे) तीसरे पीआरपी हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या क(5))	26.53	-
के) अन्य	29.86	38.48
कुल	89.68	48.51
2 लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 22 में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 25.84 करोड़ रुपये (गत वर्ष 26.99 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 25.82 करोड़ रुपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114-"नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।		

टिप्पणी सं. 25 : उत्पादन व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
जल उपयोग प्रभार	691.80	748.40
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	24.59	25.27
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	716.39	773.67

टिप्पणी सं. 26 : कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	1,515.61	1,408.45
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	227.33	327.20
कर्मचारी कल्याण व्यय	84.46	84.79
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	-	0.09
उप-जोड़	1,827.40	1,820.53
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित कर्मचारी लागत	240.63	244.35
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	1.44	1.34
लाभ एवं हानि विवरण को ले जाया गया कुल	1,585.33	1,574.84

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

- प्रचालन पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण तुलन-पत्र की टिप्पणी 34 के पैरा 16(क) में दिए गए हैं।
- उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल हैं :

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	72.39	74.38
ii) कर्मचारी निर्धारित योगदान अधिवर्षिता योजना	76.47	86.48
- वर्ष हेतु कर्मचारी लाभ व्यय में 242.90 करोड़ रूपए (तदनुरूपी पिछले वर्ष 199.78 करोड़ रूपए) शामिल हैं। जिन्हें लेखाबहियों में लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर कर्मचारी लाभों में प्रत्याशित वृद्धि के प्रति मुहैया करवाया गया है।
- लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 22 में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 85.01 करोड़ रूपए (गत वर्ष 92.74 करोड़ रूपए) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 84.81 करोड़ रूपए की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114 - "नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 27 : वित्त लागत

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज		
बॉण्ड	947.97	749.33
सावधि ऋण	252.73	607.24
विदेशी ऋण	22.55	26.27
भारत सरकार ऋण	33.92	30.37
छूट का समापन - भारत सरकार ऋण	17.73	12.38
उप-जोड़	1,274.90	1,425.59
ख. अन्य ऋण लागत		
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.54	0.37
प्रतिबद्धता शुल्क	0.04	-
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	19.93	22.96
अन्य वित्त प्रभार	10.13	5.86
छूट का समापन - प्रावधान और वित्तीय देयताएं	5.50	5.24
उप-जोड़	36.14	34.43
ग. विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन पर लागू निवल लाभ/हानि		
विनिमय अंतर जिन्हें ब्याज लागत पर समायोजन माना गया है	71.65	2.28
घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर में अंतर के कारण ब्याज समायोजन	(71.65)	(2.28)
उप-जोड़	-	-
कुल (क+ख+ग)	1,311.04	1,460.02
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय को अंतरित वित्त लागत	388.72	386.80
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	922.32	1,073.22

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 22 में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 331.39 करोड़ रुपए (गत वर्ष 365.32 करोड़ रुपए) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 331.39 करोड़ रुपए की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114-“नियामक विलंबित लेखे” के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 28 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय	1,423.43	1,409.63
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन	1.76	(1.71)
उप-जोड़	1,425.19	1,407.92
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय	19.25	19.48
घटाएं : जमा कार्यों से प्राप्य	0.05	0.04
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	1,405.89	1,388.40

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 22 में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 6.85 करोड़ रुपये (गत वर्ष 6.96 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 6.85 करोड़ रुपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114-“नियामक विलंबित लेखे” के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 29 : अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
- भवन	67.64	80.64
- मशीनरी	59.46	63.69
- अन्य	143.13	149.65
ख. प्रशासनिक व्यय		
किराया और भाड़ा प्रभार	47.31	44.98
दरें और कर	7.47	2.66
बीमा	126.48	132.79
सुरक्षा व्यय	263.07	217.11
विद्युत प्रभार	51.35	49.30
यात्रा एवं वाहन	24.67	26.09
वाहनों पर खर्च	9.50	8.93
टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	17.56	18.94
विज्ञापन एवं प्रचार	14.77	13.03
मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.31	0.29
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.03	5.84
परामर्शी प्रभार - स्वदेशी	14.19	13.20
लेखा परीक्षा खर्च (नीचे विवरणात्मक टिप्पणी-3 देखें)	2.19	2.40
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	3.40	4.98
कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर किया गया व्यय	1.30	6.19
परिसंम्पत्तियों पर हानि (निवल)	-	1.70
बीमा दावे से हानियां (आधिक्य खंड तक)	1.72	1.90
बीमा दावे से हानियां (आधिक्य खंड से परे)	0.05	6.98
पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.38	0.29
चंदा	-	5.00
सीएसआर/धारणीय विकास	38.55	75.82
सामुदायिक विकास व्यय	-	0.01
निदेशकों की बैठक शुल्क	0.20	0.17
माध्यस्थ्यम/अदालती मामलों पर ब्याज	-	6.86
लाभग्राही राज्यों को ब्याज	1.79	52.22
स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी संबंधी व्यय	0.01	-
विनियमित बिजली पर व्यय	-	4.39
घटाएं : विनियमित बिजली पर वसूली योग्य व्यय	-	(4.39)
विनियम दर अंतर (निवल)	2.88	-
प्रशिक्षण व्यय	10.50	13.17
याचिका शुल्क/ पंजीकरण शुल्क/ अन्य शुल्क - सीईआरसी/ आरएलडीसी/ आरपीसी को	7.03	9.24
केन्द्रीय विद्यालय के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	27.41	26.26
अन्य विद्यालयों के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	3.46	3.12
अतिथि गृह/ट्रांजिट छात्रावास के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	18.20	14.00
डीजी सेट के प्रचालन व्यय - आवासीय के अतिरिक्त	5.75	5.68
अन्य सामान्य व्यय	24.83	34.71
उप-जोड़	1,001.59	1,097.84
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित राशि	80.78	72.28

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
घटाएं : जमा कार्यों हेतु वसूली योग्य	1.41	1.14
घटाएं : उत्पादन और अन्य व्ययों का अंतरण - आईपीओ/पुनः खरीद	-	9.33
उप-जोड़ (i)	919.40	1,015.09
ग. प्रावधान		
खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	1.93	19.57
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	-	4.38
खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	3.36	22.46
संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान	19.79	19.79
भण्डार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	0.28	0.52
प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	26.27	41.34
अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु मुहैया करवाया गया प्रावधान	0.32	2.77
लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान	16.45	14.08
अदालती/ माध्यस्थ निर्णय के प्रति ब्याज का प्रावधान	2.79	23.33
अन्य	0.02	-
	71.21	148.24
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित राशि	1.43	5.23
उप-जोड़ (ii)	69.78	143.01
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल (i+ii)	989.18	1,158.10
स्पष्टीकरण टिप्पणी :-		
1 प्रचालन पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण तुलन-पत्र की टिप्पणी 34 के पैरा 16(क) में दिए गए हैं।		
2 कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, संबंधित राशि का बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए प्रावधान उस वर्ष/अवधि के लिए किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है।	16.45	14.08
3 लेखा परीक्षा व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है :-		
i) सांविधिक लेखा-परीक्षक		
लेखा-परीक्षक के रूप में		
लेखा-परीक्षा शुल्क	0.55	0.64
कर लेखा-परीक्षा शुल्क	0.16	0.19
अन्य क्षमता में		
कराधान मामले	0.01	0.01
अन्य मामले/ सेवाएं	0.55	0.49
खर्चों की अदायगी	0.77	0.92
ii) लागत लेखा परीक्षक		
लेखा-परीक्षा शुल्क	0.15	0.15
कुल लेखापरीक्षा व्यय	2.19	2.40
4 लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 22 में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 99.11 करोड़ रुपए (गत वर्ष 101.98 करोड़ रुपए) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 77.59 करोड़ रुपए की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114-“नियामक विलंबित लेखे” के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।		

टिप्पणी सं. : 30 कर व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
आय कर प्रावधान	634.68	706.56
पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन	(6.91)	(116.99)
कुल वर्तमान कर व्यय	627.77	589.57
विलंबित कर		
विलंबित कर परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	177.52	(88.59)
- कर दर में परिवर्तन से संबंधित	1.72	-
- पूर्व अवधि के विलंबित कर के संबंध में समायोजन	-	-
विलंबित कर देयताओं में कमी/(वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	(690.70)	488.89
- कर दर में परिवर्तन से संबंधित	(6.71)	-
- पूर्व अवधि के विलंबित करके संबंध में समायोजन	-	-
कुल विलंबित कर व्यय (लाभ)	(518.17)	400.30
घटाएं : वर्ष 2009 तक टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य	(137.50)	(126.12)
घटाएं : विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	(519.99)	436.98
निवल विलंबित कर	139.32	89.44
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेनीत कुल	767.09	679.01
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
i) कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान		
आय कर से पूर्व लेखांकन लाभ/हानि	3,525.74	3,474.60
लागू कर दर (प्रतिशत)	34.6080	34.6080
गणना किए गए कर व्यय	1,220.19	1,202.49
कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती योग्य न होने वाले (कर योग्य) राशियों का निवल प्रभाव		
सीएसआर/धारणीय व्यय/ सामुदायिक विकास व्यय	13.97	26.24
विलंबित कर का वसूलीयोग्य भाग	657.49	126.12
मुक्त एवं कर छूट प्राप्त आय	(218.76)	(72.00)
कर प्रोत्साहन	(683.80)	(442.73)
पूर्व की अवधि के वर्तमान कर हेतु समायोजन	(6.91)	(116.99)
मैट क्रेडिट उपलब्ध/(उपयोग)	(210.11)	(43.00)
अन्य मदे	-	(1.12)
कर दर में परिवर्तन	(4.98)	-
लाभ एवं हानि विवरण में सूचित आय कर व्यय	767.09	679.01
ii) इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त राशियां		
रिपोर्टिंग अवधि में उत्पन्न होने वाले समेकित वर्तमान तथा विलंबित कर जिन्हें निवल लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी गई है परंतु सीधे इक्विटी को डेबिट/(क्रेडिट) किया गया है :		
वर्तमान कर	शून्य	शून्य
विलंबित कर	शून्य	शून्य
कुल		

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
iii) कर हानियां तथा क्रेडिट		
क) अप्रयुक्त कर हानियां जिनके लिए किसी विलंबित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है	शून्य	शून्य
संभावित कर लाभ 30 प्रतिशत की दर से	शून्य	शून्य
ख) कंपनी को भविष्य में उपलब्ध मैट क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है तथा टिप्पणी सं.-30 के अनुबंध में दर्शाया गया है	1,344.66	1,134.55
iv) मान्यता न प्रदान किए गए अस्थायी अंतर		
अनुषंगी कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर जिनके लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता नहीं प्रदान की गई है		
अवितरित आय	शून्य	शून्य
उक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित मान्यता न दी गई विलंबित कर देयताएं	शून्य	शून्य

टिप्पणी सं. 30 का अनुबंध

कंपनी को भविष्य में उपलब्ध मैट क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, नीचे दिया गया है

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
	राशि	समाप्ति का वर्ष	राशि	समाप्ति का वर्ष
वर्ष 2017-18 हेतु	210.11	2032-33	-	-
वर्ष 2016-17 हेतु	11.59	2031-32	11.59	2031-32
वर्ष 2015-16 हेतु	177.01	2030-31	177.01	2030-31
वर्ष 2014-15 हेतु	46.81	2029-30	46.81	2029-30
वर्ष 2013-14 हेतु	481.84	2028-29	481.84	2028-29
वर्ष 2012-13 हेतु	291.71	2027-28	291.71	2027-28
वर्ष 2008-09 हेतु	125.59	2023-24	125.59	2023-24
कुल	1344.66		1134.55	

टिप्पणी सं. : 31 विनियामक विलंबित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
निम्नलिखित के कारण नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन		
(i) सुबानसिरी लोअर परियोजना		
क) कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	84.81	92.74
ख) अन्य व्यय	77.59	78.68
ग) मूल्यहास	6.85	6.96
घ) वित्त लागत	331.39	365.32
ङ) अन्य आय	(25.82)	(26.99)
उप जोड़ (i)	474.82	516.71
(ii) तीसरे पीआरसी के अनुसार वेतन संशोधन	242.90	199.78
(iii) मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	2.10	(2.50)
कुल (क) = (i)+(ii)+(iii)	719.82	713.99
विनियामक विलंबित लेखे पर कर का प्रभाव		
विनियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन पर विलंबित कर व्यय (लाभ)	(15.07)	(69.14)
घटाएं :- विलंबित कर परिसंपत्तियों के प्रति विलंबित कर समायोजन	(15.07)	(69.14)
कुल (ख)	-	-
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल (क-ख)	719.82	713.99

टिप्पणी सं. : 32 वर्ष हेतु प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाला निर्माण को आरोप्य व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी, भत्ते	136.11	122.12
उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान	11.90	27.67
स्टाफ कल्याण व्यय	7.93	7.85
उप जोड़	155.94	157.64
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
भवन	5.02	3.77
मशीनरी	0.02	0.01
अन्य	2.81	2.24
उप जोड़	7.85	6.02
ग. प्रशासन तथा अन्य व्यय		
किराया	10.22	9.75
दरें और कर	0.89	0.69
बीमा	0.11	0.16
सुरक्षा व्यय	28.81	15.86
विद्युत प्रभार	3.78	3.34
यात्रा एवं वाहन	3.01	2.73
वाहनों पर व्यय	1.13	0.98
टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.42	2.51
विज्ञापन एवं प्रचार	0.36	0.32
मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.61	0.79
डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार :		
- स्वदेशी	1.64	1.34
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ जल ग्रहण क्षेत्र/ पर्यावरण सुधार पर खर्च	2.21	3.63
कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर किया गया व्यय	1.09	5.92
पश्चलेखित परिसंपत्तियां/दावे	0.12	0.07
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व्यय	0.16	2.69
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	0.01
अन्य सामान्य व्यय	9.16	7.81
उप जोड़	65.72	58.60

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
घ. वित्त लागत		
निम्नलिखित पर ब्याज :		
बॉण्ड	318.66	240.33
सावधि ऋण	52.44	137.21
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.16	0.18
अन्य वित्त प्रभार	6.31	0.79
ईएसी को व्यय का अंतरण - केन्द्र सरकार से ऋण पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	10.41	7.21
ईएसी को व्यय का अंतरण - सुरक्षा जमा/ प्रतिधारण राशि पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	0.70	0.59
उप जोड़	388.68	386.31
ङ. प्रावधान	1.43	5.23
उप जोड़	1.43	5.23
च. मूल्यहास और परिशोधन व्यय	17.65	17.58
उप जोड़	17.65	17.58
छ. कारपोरेट कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
अन्य आय	(2.32)	(2.59)
अन्य व्यय	7.21	7.66
कर्मचारी लाभ व्यय	84.69	86.71
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	1.60	1.90
वित्त लागत	0.04	0.49
उप-जोड़	91.22	94.17
ज. घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां		
विद्युत उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व	0.27	0.56
ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	12.19	(1.70)
पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/ प्रावधान	4.10	3.59
संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/ आउटटर्न	0.11	0.95
विविध प्राप्तियां	1.53	7.80
उप-जोड़	18.20	11.20
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	710.29	714.35

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय लिखत और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण

(1) उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत

विवरण	टिप्पणी	(करोड़ रुपए में)		
		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	
		एफवीटीओसीआई	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) गैर-वर्तमान निवेश				
क) इक्विटी निवेश में (उद्धृत)	3.1	105.14	112.44	-
ख) ऋण लिखत में (सरकारी/पीएसयू - उद्धृत)	3.1	398.15	406.97	-
		503.29	519.41	-
(ii) प्राय व्यापार	3.2			-
(iii) ऋण				
क) कर्मचारी	3.3			135.96
ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3 & 3.4			521.84
(iv) अन्य				
- प्राय पट्टे	3.4			1,566.60
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4			0.39
		503.29	519.41	2,224.79
कुल गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां				
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) प्राय व्यापार	7			1,492.90
(ii) नकदी और नकदी तुल्य	8			59.89
(iii) बैंक शेष	9			1,473.25
(iv) ऋण	10			
- कर्मचारी ऋण				43.84
- संयुक्त उद्यम (एनएचपीटीएल) को ऋण				-
(v) अन्य (प्राय पट्टे को छोड़ कर)	11			1,799.91
(vi) अन्य (ब्याज सहित प्राय पट्टे)	11			58.34
				4,928.13
कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां				
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां				
वित्तीय देयताएं				
(i) दीर्घाधि ऋण	16.1			17,245.64
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2			25.63
(iii) ऋण - अल्पाधि	20.1			302.50
(iv) एमएसएमई सहित देय व्यापार	20.2			147.08
(v) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं				
क) दीर्घाधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	20.3			1,678.59
ख) ऋण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.3			428.56
ग) अन्य वर्तमान देयताएं	20.3			442.48
				20,270.48
कुल वित्तीय देयताएं				
		19,997.02	519.41	7,152.92

ख) उचित मूल्य मापन

(i) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय लिखतों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत मुहैया करवाने हेतु कंपनी ने अपनी वित्तीय लिखतों को भारतीय लेखांकन मानक-113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है :

स्तर-1 : स्तर -1 क्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय लिखत शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी लिखत और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी लिखत जिनका मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज तथा धन बाजारों में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर-2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न की जाने वाली वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो देखे जा सकने वाले बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो लिखित स्तर-2 में शामिल किया जाता है।

स्तर-3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने वाले बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो लिखत को स्तर-3 में शामिल किया जाता है। इसमें सुरक्षा जमा /प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम वाले ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं - आवृत्ति उचित मूल्य मापन :

टिप्पणी सं.	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 1	स्तर 2
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश -				
- इक्विटी लिखत में (उद्धृत)	3.1	105.14		112.44
- ऋण लिखत में (सरकारी/पीएसयू - उद्धृत)	3.1	398.15		406.97
कुल		503.29		519.41

टिप्पणी :

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन-पत्र की परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर-आवृत्ति उचित व्यय मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं जिनके उचित मूल्य को प्रकट नहीं किया गया है :

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 1	स्तर 2
		स्तर 3	स्तर 3	स्तर 3	स्तर 3
(करोड़ रुपए में)					
वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) प्राप्य व्यापार	3.2		184.45		-
(ii) ऋण					
क) कर्मचारी	3.3		141.02		138.38
ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3 व 3.4		568.81		521.84

(करोड़ रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2017 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
(iii) अन्य	3.4						
12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)		0.40			0.39		
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		0.40	894.28	-	0.39	660.22	-
वित्तीय देयताएं							
(i) दीर्घावधि ऋण, वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोदभूत ब्याज सहित	16.1 व 20.3		15,835.69	1,793.20		16,802.15	1,425.34
(ii) अन्य दीर्घावधि सावधि वित्तीय देयताएं	16.2			38.95			26.76
कुल वित्तीय देयताएं		-	15,835.69	1,832.15	-	16,802.15	1,452.10

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं

(करोड़ रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2017 को		
		वहन राशि	उचित मूल्य	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) प्राप्य व्यापार	3.2	184.45	184.45		-		-
(ii) ऋण							
क) कर्मचारी	3.3	114.88	141.02		135.96	138.38	
ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3 व 3.4	568.81	568.81		521.84	521.84	
(iii) अन्य	3.4						
-12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)		0.40	0.40		0.39	0.39	
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		868.54	894.68		658.19	660.61	
वित्तीय देयताएं							
(i) दीर्घावधि ऋण, वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोदभूत ब्याज सहित	16.1 व 20.3	18,894.60	17,628.89		19,352.79	18,227.49	
(ii) अन्य दीर्घावधि सावधि वित्तीय देयताएं	16.2	38.47	38.95		25.63	26.76	
कुल वित्तीय देयताएं		18,933.07	17,667.84		19,378.42	18,254.25	

टिप्पणी :-

1. वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी तुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, देय व्यापार और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहन राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है और ऐसा उनकी अल्पावधि प्रकृति के चलते है।
 2. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहन राशि उनके उचित मूल्य के समान है।
- (घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया**
1. कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय लिखत के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल है -
 - उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान लिखत हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।
 - शेष वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।
 2. स्तर - 3 पर वर्गीकृत वित्तीय लिखत के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर कंपनी के बकाया ऋणों की धारित औसत दर पर आधारित है, सिवाय अधीनस्थ ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋण के।
 3. भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा परिवहन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दी जाती है। चूंकि दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई कारोबार लागत भौतिक नहीं होती है, अतः कंपनी ने ऐसी देयताओं की प्रारंभिक मान्यता हेतु प्रभावी ब्याज पद्धति को लागू नहीं किया है।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रभाव	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी तुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्त्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्त्य	काल-प्रभावन विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
नकदी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. स्थिर दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्त-पोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियमन के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम - प्रतिभूति मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भारतीय राष्ट्रीय रुपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी मुद्रा दर अंतर को सीईआरसी विनियमन के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय लिखत या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्त्य/पट्टेवाली परिसंपत्तियों) और वित्त-पोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक बाध्यताओं को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगी।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं - मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय लिखत में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करती है। कंपनी के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं - 1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यह्रास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर अंतर और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) ऋण जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्त्य) और अपने वित्त-पोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय लिखत शामिल है, से ऋण जोखिम के संपर्क में आती है।

व्यापार प्राप्त्य तथा पट्टा प्राप्त्य :-

कंपनी व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण का विस्तार करती है। कंपनी ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। बकाया उपभोक्ता प्राप्त्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। कंपनी प्राप्त्य व्यापारों के संबंध में जोखिम संकेन्द्रण का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और यह एक अधिकांशतः स्वतंत्र बाजार में प्रचालन करती है।

कंपनी द्वारा प्राप्य पट्टे विद्युत खरीद समझौतों के संबंध में है जिन्हें टिप्पणी संख्या 34-लेख में संदर्भित किए अनुसार भारतीय लेखांकन मानक 17 "पट्टों" के परिशिष्ट ग के अनुसार निहित वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत क्रय समझौते किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए है और ब्याज आय तथा पट्टे वाली परिसंपत्तियों पर मूलधन की वसूली अर्थात पावर स्टेशनों की पीपीई का आकलन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लगाया जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

कर्मचारी ऋण : कंपनी ने कर्मचारियों को कंपनी की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन-पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण : कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु कंपनी तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण दिया है। ऋण का मापन परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण राज्य में चालू की जाने वाली पहली जलविद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निशुल्क विद्युत के अंश से वसूला जाना है। प्रबंधन को ऋण संबंधी चूक की कोई संभाव्यता नहीं दिखती।

वित्तीय लिखत और नकदी जमा :-

कंपनी बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रेक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे कंपनी ने ऋण भी लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करती है। कंपनी के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के साथ हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधाकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

(i) ऋण जोखिम का प्रभाव

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था :

	(करोड़ रूपए में)	
विवरण	31.03.2018	31.03.2017
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर-वर्तमान निवेश	503.29	519.41
ऋण-गैर-वर्तमान (ब्याज सहित)	683.69	657.8
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	0.4	0.39
वर्तमान निवेश	-	-
नकदी और नकदी तुल्य	6.96	59.89
बैंक शेष	1465.43	1473.25
ऋण - वर्तमान	46.80	43.84
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे के अतिरिक्त)	1,865.70	1,799.91
कुल (क)	4572.27	4554.49
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
प्राप्य व्यापार	1,281.52	1,492.90
प्राप्य पट्टे (ब्याज सहित)	1,559.55	1,624.94
कुल (ख)	2841.07	3117.84
कुल (क+ख)	7,413.34	7,672.33

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधान :-

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का आकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2014-19 कंपनी को विलंब भुगतान अधिभार हेतु लाभग्राहियों से बिल जुटाने की अनुमति देते हैं या कंपनी की भुगतान में विलंब के कारण उत्पन्न होने वाले राशि के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभग्राही मुख्यतः राज्य

सरकार/राज्य की वितरण कंपनियां हैं और प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य के मूल्य में किसी क्षति या प्राप्य व्यापारों को मूर्त रूप देने में विलंब के कारण धन के समय मूल्य में क्षति हेतु कोई परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, कंपनी प्रचालन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए चालू आधार पर बकाया व्यापार प्राप्यों का आंकलन करती है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रत्यक्षित ऋण हानियों का प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी प्राप्य व्यापार की गैर-वसूली के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु अनुमति में संचालन निम्नवत था :

(करोड़ रूपए में)				
विवरण	प्राप्य व्यापार	वसूली योग्य दावे	ऋण	कुल
01.04.2017 को शेष	54.40	209.03	0.03	263.46
हानि भत्ते में परिवर्तन	(16.69)	1.15	-	(15.54)
31.03.2018 को शेष	37.71	210.18	0.03	247.92

(ग) नकदी जोखिम

विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्त-पोषण की उपलब्धता है।

- i) कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के ईष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोदभवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी :

(करोड़ रूपए में)		
	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
परिवर्तनशील दरों पर	25.00	25.00
कुल	25.00	25.00

ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता:

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2018 को

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2018 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1, 20.1 व 20.3	19,166.00	1,873.91	3,206.76	2,615.09	11,470.24
अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 व 20.3	1,241.53	1,186.76	9.97	4.78	40.02
देय व्यापार	20.2	171.55	171.55	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		20,579.08	3,232.22	3,216.73	2,619.87	11,510.26

31 मार्च, 2017 को

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2017 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1, 20.1 व 20.3	19,595.24	1,981.09	3,520.07	3,056.27	11,037.81
अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 व 20.3	909.15	872.45	12.07	0.44	24.19
देय व्यापार	20.2	147.08	147.08	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		20,651.47	3,000.62	3,532.14	3,056.71	11,062.00

(घ) बाजार जोखिम:

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार-पश्च लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

(i) ब्याज दर जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का संपर्क मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी की दीर्घावधि ऋण बाध्यताओं से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को स्थिर दर पर बनाए रखने की है। कंपनी के स्थिर दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्त-पोषण करती है। कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
	भारित औसत ब्याज दर	(करोड़ रुपए में)	भारित औसत ब्याज दर	(करोड़ रुपए में)
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय रुपए)	-	-	9.13	2,473.60
परिवर्तनशील दर ऋण (विदेशी मुद्रा)	0.57	113.45	0.58	214.36
स्थिर दर ऋण (भारतीय रुपए)	6.82	17,008.18	7.02	15,006.64
स्थिर दर ऋण (विदेशी मुद्रा)	1.81	1,200.48	1.82	1,229.63
कुल		18,322.11		18,924.23

* कंपनी का 31.03.2018 को कोई परिवर्तनशील दर घरेलू ऋण नहीं है।

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ अथवा हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उच्चतर/निम्न ब्याज व्यय के प्रति संवेदनशील है। अन्य सभी परिवर्तनशील कारकों को स्थिर रखे जाने पर निम्नलिखित तालिका ऋणों तथा उधार के परिवर्तनशील दर हिस्से पर ऋण लागत के प्रभाव को दर्शाती है।

विवरण	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
विदेशी मुद्रा में ऋण - ब्याज दर - 55 आधार बिंदुओं की वृद्धि (गत वर्ष 2016-17, 55 आधार बिंदुओं से वृद्धि)	(0.09)	(0.17)
विदेशी मुद्रा में ऋण - ब्याज दर - 55 आधार बिंदुओं की कमी (गत वर्ष 2016-17, 55 आधार बिंदुओं से कमी)	0.09	0.33

तथापि, ब्याज दरों में कमी तथा वृद्धि का लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि उक्त को टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूला जाता है। कंपनी का 31.03.2018 को कोई परिवर्तनशील दर घरेलू ऋण नहीं है।

(ii) मूल्य जोखिम :
(क) संपर्क

मूल्य जोखिम से कंपनी का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण लिखतों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण लिखतों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन-पत्र में गैर-वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) मूल्य जोखिम संवेदनशीलता

इक्विटी लिखतों में निवेश हेतु (आईओबी तथा पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर इक्विटी लिखतों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेश :				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	22.45	23.55	17.08	19.14
इंडियन ओवरसीज बैंक	15.65	0.10	15.50	0.15

संवेदनशीलता को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में उद्धृत शेयर मूल्यों में छमाही उतार-चढ़ाव के पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर निकाला गया है।

ऋण लिखत में निवेश हेतु (सरकारी तथा पीएसयू बॉण्ड में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर ऋण लिखतों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)
सरकारी प्रतिभूति	(0.08)	(0.25)	3.49	11.81
पीएसयू कर मुक्त बाण्ड	1.20	0.98	5.77	4.91

(iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम संपर्क :

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के संपर्क को भारतीय राष्ट्रीय रुपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है :

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
वित्तीय देयताएं				
विदेशी मुद्रा ऋण	1,313.93		1,443.98	
अन्य वित्तीय देयताएं	66.70		54.04	
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल संपर्क (देयताएं)	1,380.63		1,498.02	

(करोड़ रुपए में)

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते हैं। तदनुसार, कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करती है।

कंपनी ऋण : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है :

गियरिंग अनुपात का विवरण		
विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(क) कुल ऋण (करोड़ रुपए में)	18,322.11	18,924.23
(ख) कुल पूंजी (करोड़ रुपए में)	28,328.15	26,942.13
ऋण : इक्विटी अनुपात (क/ख)	0.65	0.70

टिप्पणी : कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन हेतु, पूंजी में निर्गत पूंजी और आरक्षित शामिल है। निवल ऋण में ब्याजधारी ऋण तथा उधार शामिल होते हैं।

(ख) ऋण प्रसंविदाएं :

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अंतर्गत कंपनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का अनुपालन अपेक्षित है :-

1. कंपनी क्रेडिट रेटिंग एएए को बनाए रखेगी और यदि रेटिंग नीचे आती है तो ब्याज की दर एएए रेटिंग से नीचे वाले प्रत्येक स्तर हेतु 25 आधार बिंदु से बढ़ जाएगी।
2. निवल मूल्य की तुलना में ऋण 2:1 से अधिक नहीं होगी।
3. ब्याज कवरेज अनुपात 2 गुणा से अधिक होगा और इसकी गणना ((निवल लाभ + निवल नकदी व्यय + देय ब्याज - गैर नकदी आय)/ देय ब्याज) के रूप में की जाएगी।
4. समरूप आधार पर 1:1.33 कवरेज के साथ परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार।

वर्ष के दौरान कंपनी ने उक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

(ग) लाभांश :

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i) इक्विटी अंश		
0.10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त शेयर पर वर्ष 2016-17 हेतु अंतिम लाभांश को सितम्बर 2017 में अनुमोदित और अक्तूबर 2017 में अदा किया गया (31 मार्च, 2017 को - वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु 0.58 रुपए प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर)	102.60	642.11
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	*	89.08
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु 1.12 रुपए प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतरिम लाभांश (31 मार्च, 2017 - 1.70 रुपए)	1,149.05	1882.02
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	126.86	383.14
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता न दिया गया लाभांश		
उक्त लाभांशों के अतिरिक्त, वर्ष के अंत से निदेशकों ने 0.28 रुपए (31 मार्च, 2017 - 0.10 रुपए) प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।	287.26	102.59
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	59.05	20.89

* एनएचडीसी लिमिटेड से प्राप्त लाभांश वितरण कर के साथ संयोजित

टिप्पणी संख्या - 34 : अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां
1. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण :-

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण स्वीकर नहीं किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विपथन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते कंपनी के प्रति कुल **9912.98 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **9612.16 करोड़ रुपये**) के दावे दर्ज किए हैं इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरुद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **3645.08 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **2858.26 करोड़ रुपये**) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **441.96 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **452.88 करोड़ रुपये**) के प्रावधान को मान्यता दी है और **9370.30 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **7848.60 करोड़ रुपये**) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु **49.67 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **36.09 करोड़ रुपये**) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **10.99 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **16.73 करोड़ रुपये**) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **38.68 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **19.36 करोड़ रुपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि **454.44 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **395.48 करोड़ रुपये**) है। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **30.77 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **21.95 करोड़ रुपये**) की राशि मुहैया करवाई है और शेष दावों अर्थात **423.67 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **373.53 करोड़ रुपये**) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **633.26 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **622.81 करोड़ रुपये**) के हैं। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **29.69 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **36.52 करोड़ रुपये**) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **601.69 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **584.41 करोड़ रुपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

31.03.2018 को उक्त का सार निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)							
क्रम सं.	विवरण	31.03.2018 को दावे	दावों/ अदा किए गए के प्रति अद्यतन प्रावधान	31.03.2018 को आकस्मिक देयता	31.03.2017 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वर्धन/ (कटौती)	01.04.2017 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	पूँजीगत कार्य	9912.98	441.96	9370.30	7848.60	1521.70	729.41
2.	भूमि मुआवजा	49.67	10.99	38.68	19.36	19.32	1.28
3.	विवादित कर मामले	454.44	30.77	423.67	373.53	50.14	23.47
4.	अन्य	633.26	29.69	601.69	584.41	17.28	43.29
	कुल	11050.35	513.41	10434.34	8825.90	1608.44	797.45

(ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

(ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को 235.73 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 221.02 करोड़ रुपये) की भरपायी होने की संभावना है।

(ङ) (i) पूँजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **536.06 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **शून्य**) की राशि का भुगतान उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति किया गया है, जो ऐसे मामलों हेतु है जहाँ माध्यम अधिकरणों ने माध्यस्थ कार्यवाहियों में संविदाकार के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे पंचाट/आदेशों को कंपनी द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, के लिए दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के नीति आयोग के कार्यालय ज्ञापन सं.14070/14/2016-पीपीपीएयू के माध्यम से जारी निदेशों के अनुपालन में, कंपनी द्वारा इस संबंध में बनाई मानक प्रचालन प्रक्रियाविधियों में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों को संविदाकार द्वारा पूरा किए जाने के अधीन माध्यस्थ निर्णय के 75 प्रतिशत को देने (निर्णय के अनुसार देय ब्याज सहित) संबंधी आदेश को न्यायालय में चुनौती दी है। इस प्रकार अदा की जा रही राशि को वर्तमान वित्तीय परिसंपत्ति - अन्य के रूप में दर्शाया जा रहा है (टिप्पणी संख्या 11)।

(ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में 80.81 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 49.29 करोड़ रुपए) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए हैं, जिन्हें चालू आस्तियों में दिखाया गया है।

(च) कम्पनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/बाध्यताएं (जो मुकदमेबाजी के अधीन हैं), अन्त में जब समाप्त होंगी तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालन के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

(छ) 31.03.2018 को आकस्मिक देयता के एजेंसी-वार ब्यौरों की श्रेणी निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)							
क्रम सं.	विवरण	31.03.2018 को दावे	दावों/ अदा किए गए के प्रति अद्यतन प्रावधान	31.03.2018 को आकस्मिक देयता	31.03.2017 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वर्धन/ (कटौती)	01.04.2017 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1	केन्द्र सरकार के विभाग	35.68	2.20	33.48	48.05	(14.57)	23.47
2	राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	455.47	57.52	397.95	328.91	69.04	-
3	सीपीएसई	104.65	0.16	102.73	131.25	(28.52)	28.64
4	अन्य	10454.55	453.53	9900.18	8317.69	1582.49	745.34
	कुल	11050.35	513.41	10434.34	8825.90	1608.44	797.45

2. आकस्मिक परिसंपत्तियां - कंपनी के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं :

क) कंपनी द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे :

कंपनी ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **588.08 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **399.74 करोड़ रुपये**) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका माध्यस्थम अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें माध्यस्थम निर्णयों के प्रति उस पर तदनुसूची अद्यतन ब्याज सहित **446.53 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **317.90 करोड़ रुपये**) शामिल है।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार **587.34 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **317.90 करोड़ रुपये**) की कुल राशि वाले दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतरवाह की कोई संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। तथापि, राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

ख) विलंब भुगतान अधिभार :

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014-19 लाभग्राहियों को बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 60 दिवस के अधिक के भुगतान में विलंब के मामले में उत्पादक कंपनी द्वारा विलंब भुगतान अधिभार को लगाए जाने का प्रावधान करता है। तथापि, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति का मत इस संबंध में लंबित होने के चलते जब अंतिम एकत्रीकरण हेतु कोई व्यापक अनिश्चितता न हो, तब ही प्रबंधन ने अधिभार को मान्यता प्रदान करने के अपने पूर्व व्यवहार को जारी रखा है। तदनुसार, **188.42 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **435.20 करोड़ रुपये**) के विलंब भुगतान अधिभार को मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

ग) पावर स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान न की गई सीमा तक राजस्व :

सेवा-II, चमेरा-III, पार्वती-III, टीएलडीपी-III तथा टीएलडीपी-IV पावर स्टेशनों के संबंध में संशोधित लागत अनुमान का अनुमोदन लंबित होने के चलते 2009-14 के टूटिंग-अप आदेश और/अथवा 2014-19 हेतु टैरिफ आदेश लंबित हैं। प्रबंधन ने टैरिफ पर इन व्ययों के प्रभाव का आकलन किया है और **694.94 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **688.76 करोड़ रुपये**) का अंतरवाह संभव माना है।

घ) व्यापार बाधा हानि :

पावर स्टेशनों के संबंध में व्यापार बाधा हानि के कारण बीमा दावे तब देय होते हैं जब अंतिम एकत्रीकरण में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो। प्रबंधन ने व्यापार बाधा हानियों के कारण कुल **195.04 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **345.95 करोड़ रुपये**) की राशि को संभाव्य माना है। दावों का पावर स्टेशन-वार ब्योरा इस टिप्पणी के पैरा 23 में दिया गया है।

ङ) अन्य मामले

अन्य विविध मामलों के कारण दावों की राशि **60.34 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **4.00 करोड़ रुपये**) है। प्रबंधन ने इन दावों तथा अनुमानों का आकलन किया है और यह अनुमान लगाया है कि **60.34 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **4.00 करोड़ रुपये**) के आर्थिक लाभों का अंतरवाह संभाव्य है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों का सार नीचे दिया गया है :

		(करोड़ रुपये में)	
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	कंपनी द्वारा दर्ज किए गए प्रति दावे के संबंध में	587.84	317.90
2.	विलंब भुगतान अधिभार	188.42	435.20
3.	पावर स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान गई सीमा तक राजस्व	694.94	688.76
4.	व्यापार बाधा हानियां	195.04	345.95
5.	अन्य मामले	60.34	4.00
	कुल	1726.58	1791.81

3. प्रतिबद्धताएं

(क) पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

		(करोड़ रुपये में)	
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	2697.53	3025.15
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	0.64	1.37
	कुल	2698.17	3026.52

- (ख) कंपनी की 31 मार्च, 2018 के अनुसार अनुषंगी कंपनियों में अतिरिक्त निवेश के प्रति **653.49 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **619.49 करोड़** रुपये) की प्रतिबद्धताएं हैं।
- (ग) कंपनी की 31 मार्च, 2018 के अनुसार संयुक्त उद्यम निकायों में अतिरिक्त निवेश के प्रति **577.65 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **765.20 करोड़** रुपये) की प्रतिबद्धताएं हैं।
4. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान/प्रावधान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि **5.39 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **10.05 करोड़** रुपये) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल किया गया है।
5. भारतीय लेखांकन मानक 11 के अंतर्गत "निर्माण संविदाएं" के संबंध में अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

		(करोड़ रुपए में)	
क्रम सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	रिपोर्टिंग तिथि तक चालू संविदाओं पर व्यय की गई लागत और मान्यता प्रदान किए गए लाभों (घटाए मान्यता दी गई हानि) की संचित राशि	295.00	364.88
2.	प्राप्त अग्रिमों की राशि	275.44	345.06
3.	प्रतिधारण की राशि	-	-
4.	परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	31.33	-
5.	देयता के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों को देय सकल राशि	-	-

6. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है :

		(करोड़ रुपए में)	
क्रम सं.	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	मूल्यहास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	2.88	(4.05)
(ii)	मूल्यहास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (ऋण लागत को रूप में) *	71.65	2.28
(iii)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	-	-
(iv)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	-	(15.60)
(v)	नियामक विलंबित लेखा शेष को प्रभारित राशि	2.10	(2.50)

* तथापि, कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभग्राहियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियम के अनुरूप वसूल किया जाना है। वर्ष हेतु विनिमय दर परिवर्तन को कंपनी द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार वर्ष हेतु विनिमय दर अंतर को विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभग्राहियों से वसूली योग्य) में अंतरित किया जाता है।

7. प्रचालन खंड :

- क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालन पट्टों से आय सहित) कंपनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन अर्थात् संविदाएं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य "प्रचालन खंड" के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक-108 के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं।
- ख) कंपनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

- ग) प्रमुख उपभोक्ताओं के संबंध में सूचना निम्नलिखित उपभोक्ताओं से **3833.52 रुपये** (पिछले वर्ष हेतु **4094.88 करोड़ रुपये**) का राजस्व नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निकाला जाता है :

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ताओं से राजस्व (करोड़ रुपये में)		कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में उपभोक्ताओं को राजस्व	
		31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
1	विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	1274.86	1230.90	18.39%	16.93%
2	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	1132.45	1349.29	16.33%	18.56%
3	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	775.28	806.14	11.18%	11.09%
4	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	650.93	708.55	9.39%	9.74%
	कुल	3833.52	4094.88	55.29%	56.32%

- घ) बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व : कंपनी भारत में अधिवासित है। बाहरी ग्राहकों से इसके राजस्व की राशि को ग्राहकों की अवस्थिति के अनुसार निम्नवत विभाजित किया गया है :

क्रम सं.	बाहरी उपभोक्ता से राजस्व	(करोड़ रुपये में)	
		31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
1	भूटान	15.28	21.55
2	तजाकिस्तान	-	2.52
	कुल	15.28	24.07

टिप्पणी : उक्त में विदेशी मुद्रा में शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

8. भारतीय लेखांकन मानक-24 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' के अंतर्गत प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं :

संबंधित पक्षों की सूची:

- (क) अनुषंगी कंपनियां

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रधान स्थान
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	भारत
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड	भारत

- (ख) संयुक्त उद्यम :

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रधान स्थान
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड	भारत
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत

- (ग) रोजगार-पश्च लाभ योजनाएं :

संबंधित पक्ष का नाम	प्रचालन का प्रधान स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना न्यास	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना न्यास	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी अवकाश नकदीकरण न्यास	भारत

(घ) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1	श्री बलराज जोशी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 22.09.2017 से। 27.10.2017 से निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार धारित किए हुए।
2	श्री कृष्ण मोहन सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 31.07.2017 को सेवानिवृत्त।
3	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)। 01.08.2017 से 22.09.2017 तक सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार धारित किया।
4	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)
5	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)। 17.04.2017 से सीएफओ के रूप में नामित।
6	श्रीमती कृष्णा त्यागी	सरकारी नामित निदेशक, 01.01.2018 को सेवानिवृत्त।
7	सुश्री अर्चना अग्रवाल	सरकारी नामित निदेशक
8	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक
9	प्रो. अरुण कुमार	स्वतंत्र निदेशक
10	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक
11	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक, 07.10.2017 से
12	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक, 07.10.2017 से
13	प्रो. नलिनी कांत झा	स्वतंत्र निदेशक, 07.10.2017 से
14	श्री विजय गुप्ता	कम्पनी सचिव।

(ङ) नाम और सरकार के साथ संबंध की प्रकृति

क्रम सं.	सरकार का नाम	एनएचपीसी के साथ संबंध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण होने वाले शेयरधारक
2	ईईएसएल, एमटीएनएल, एसजेवीएनएल, एनटीपीसी लिमिटेड, पीजीसीआईएल, बीएचईएल, बीएसएनएल, आईआईटी, वीएसएनएल, पोस्को, सेल, न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी, ओरियंटल इश्योरेस कंपनी, केवी, एचपीसीएल, आईओसीएल आदि	एनएचपीसी पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा नियंत्रित निकाय

कंपनी बहुसंख्यक शेयरों के धारण के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैराग्राफ 25 तथा 26 के अनुपालन में समान सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव होने वाले निकायों को संबंधित पक्ष माना जाएगा। कंपनी ने सरकार संबंधित निकायों हेतु उपलब्ध छूटों को लागू किया है और भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है।

कंपनी के राज्य सरकारों तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय के साथ व्यापार लेन-देन है। इन निकायों के साथ लेन-देन बाजार शर्तों पर परस्पर सहमत आधार पर (रियायती दर पर केन्द्र सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों के अलावा) खुली निविदाओं के प्रति एक पारदर्शी मूल्य खोज के माध्यम से किया जाता है, सिवाय तात्कालिकता, अनुरूपता या अन्य कारणों के चलते एकल निविदा आधार पर स्वामित्ववाली मदों के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) से कलपुर्ज/सेवाओं की खरीद के कुछ मामलों के। ऐसी एकल निविदा खरीद को भी समान/समरूप मदों के उपलब्ध मूल्य डाटा के प्रति बेंचमार्क किए गए मूल्यों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अतः ऐसे कारोबार के पार्टी-वार ब्यौरे को नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे कारोबार व्यापार के सामान्य चालन में आम वाणिज्यिक शर्तों पर किए जाते हैं तथा इन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

(च) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) पारिश्रमिक :

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	2.17	3.73
रोजगार पश्च लाभ	0.34	0.37
अन्य दीर्घावधि लाभ	0.45	0.28
(करोड़ रूपए में)		
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ अन्य संव्यवहार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क तथा अन्य प्रतिपूर्ति	0.31	0.20
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.02	0.02

(छ) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार - संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किए गए :

(करोड़ रूपए में)		
विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	(ii)	(iii)
i) कंपनी (एनएचपीसी) पर नियंत्रण होने वाली सरकार के साथ संव्यवहार - केन्द्र सरकार (इसमें विभिन्न मंत्रालयों, सीआईएसएफ आदि के साथ कारोबार शामिल है)		
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	226.07	99.24
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	1.13	3.05
कंपनी द्वारा वस्तु/माल-सूची की बिक्री	30.41	31.43
वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश	926.23	1881.21
वित्त - कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	350.00	367.00
भारत सरकार को गारंटी शुल्क का भुगतान	17.33	20.06
भारत सरकार द्वारा कंपनी के शेयरों की पुनः खरीद	-	1950.73
एमएनआरई से प्राप्त अनुदान (एसईसीआई के माध्यम से)	12.50	-
ii) कंपनी (एनएचपीसी) पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ संव्यवहार		
संपत्ति/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	53.01	73.22
वस्तु/माल-सूची की बिक्री	39.72	32.49
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	223.32	58.29
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	0.41	26.31
कंपनी द्वारा वस्तु/माल-सूची की बिक्री	75.96	-
कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया लाभांश	3.60	3.00
बीमा दावों के प्रति कंपनी द्वारा प्राप्त निपटान राशि	52.20	-
iii) अनुबंधी कंपनियों (एनएचडीसी, एलडीएचसीएल और बीएसयूएल) के साथ संव्यवहार		
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	3.10	2.42
कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	628.52	204.49
कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान	3.00	-
कंपनी द्वारा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	4.29	4.10
कंपनी में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	0.02	0.03
iv) संयुक्त उद्यमों (सीवीपीपीएल और एनएचपीटीएल) के साथ संव्यवहार		
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	16.44	7.40
कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान	187.55	386.50
कंपनी द्वारा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	5.45	5.41
कंपनी द्वारा मुहैया करवाए गए ऋण	6.00	-
v) केएमपी के साथ संव्यवहार		
ऋण-कर्मचारी अग्रिम	0.03	-
vi) एनएचपीसी की रोजगार पश्च लाभ योजनाओं के लिए बनाए गए ट्रस्टों के साथ संव्यवहार		
1. ईपीएफ ट्रस्ट		
ट्रस्ट को अंशदान	285.22	279.82
2. उपदान ट्रस्ट		
ट्रस्ट को अंशदान	110.74	(5.46)
ट्रस्ट से प्रतिदाय (भुगतान)	64.63	63.06
3. आरईएचएस ट्रस्ट		
ट्रस्ट को अंशदान	45.78	74.05
ट्रस्ट से प्रतिदाय (भुगतान)	18.97	19.58

(करोड़ रुपए में)		
विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	(ii)	(iii)
4. सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट		
ट्रस्ट को अंशदान	7.82	8.43
5. ईडीसीएसएस ट्रस्ट		
ट्रस्ट को अंशदान	90.91	76.16
6. अवकाश नकदीकरण न्यास		
न्यास को अंशदान	369.27	-
न्यास से धनवापिसी (भुगतान)	20.77	
उक्त ट्रस्टों के साथ कुल संव्यवहार		
ट्रस्ट को अंशदान	909.74	433.00
घटाएं : ट्रस्ट से प्रतिदाय	104.37	82.64
सकल जोड़	805.38	350.36

(ज) संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष :

(करोड़ रुपए में)		
विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
(i)	(ii)	(iii)
i) कंपनी (एनएचपीसी) पर नियंत्रण होने वाली सरकार के साथ शेष - केन्द्र सरकार		
कंपनी द्वारा देय	68.85	17.72
कंपनी द्वारा प्राप्य	70.68	26.26
सरकार से ऋण (अधीनस्थ ऋण)	3750.80	3400.80
सरकार से प्राप्त गारंटी (विदेशी मुद्रा ऋण के प्रति)	1313.93	1443.98
ii) कंपनी (एनएचपीसी) पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ शेष		
कंपनी द्वारा देय	52.43	46.77
कंपनी द्वारा प्राप्य	136.75	24.96
कंपनी द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं में से शेष	3.48	25.53
iii) अनुषंगी कंपनियों (एनएचडीसी, एलडीएचसीएल और बीएसयूएल) के साथ शेष		
कंपनी द्वारा प्राप्य	6.48	9.72
iv) संयुक्त उद्यमों (सीवीपीपीएल और एनएचपीटीएल) के साथ शेष		
कंपनी द्वारा प्राप्य	104.76	193.97
बकाया ऋण	6.00	-
v) केएमपी के साथ शेष		
कंपनी द्वारा प्राप्य	0.04	0.05
vi) एनएचपीसी की रोजगार पश्च लाभ योजनाओं के लिए बनाए गए ट्रस्टों के साथ शेष		
कंपनी द्वारा प्राप्य		
1. उपदान ट्रस्ट	-	38.24
2. अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	20.77	-
कंपनी द्वारा देय		
1. उपदान ट्रस्ट	86.05	-
2. ईपीएफ ट्रस्ट	23.05	25.06
3. आरईएचएस ट्रस्ट	4.14	38.92
4. सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	0.62	0.67
5. ईडीसीएसएस ट्रस्ट	19.43	5.89

9. सुरक्षा का विवरण : ऋणों हेतु सुरक्षा के रूप में रेहन/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों की वहन राशि निम्नानुसार है :

		(करोड़ रुपए में)	
क्रम. सं.	विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
प्रथम प्रभार			
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	10785.78	14484.71
2	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	6827.57	6127.83
3	वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य (प्राप्य पट्टे)	-	567.77
कुल		17613.35	21180.31

10. भारतीय लेखांकन मानक -19 “कर्मचारी लाभों” के संबंध में प्रकटीकरण :

(क) निर्धारित अंशदान योजनाएं-

- (i) **सामाजिक सुरक्षा योजना :** अनुकंपा नियुक्ति की तत्कालीन योजना के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है ताकि योजना के लागू होने की तिथि अर्थात् 01.06.2007 से एक निधि को बनाया जा सके, इसे 2 और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है अर्थात् 31.05.2017 तक, तथा इसे आगे और 3 वर्षों के लिए अर्थात् 31.05.2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय 3.88 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.23 करोड़ रुपए) है।
- (ii) **कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) :** कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। कंपनी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देती है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय 67.20 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 76.18 करोड़ रुपए) है।

(ख) निर्धारित लाभ योजनाएं - कंपनी की निम्नलिखित निर्धारित रोजगार-पश्च बाध्यताएं हैं :

(क) योजनाओं का विवरण:

- (i) **भविष्य निधि :** कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण को आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है वह इस निधि में अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।
- (ii) **उपदान :** कम्पनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन $(15/26 \times \text{अंतिम आहरित मूल वेतन} + \text{महंगाई भत्ता})$ पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.20 करोड़ रुपये है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह की बाध्यता बीमांकित मूल्य के आधार पर न्यास में अंशदान देना है।
- (iii) **सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :** कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन-साथी (पति/पत्नी) को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है। योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और कंपनी की बाध्यता बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देने की है।
- (iv) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता :** कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।
- (v) **अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए स्मृतिचिन्ह :** कंपनी की नीति है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 5000/- रुपये मूल्य तक का स्मृतिचिन्ह भेंट करती है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटीकरण:

(i) भविष्य निधि : वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन नीचे दिए गए हैं :

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(करोड़ रूपए में)
			निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2016-17			
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	2201.45	2224.70	(23.25)
वर्तमान सेवा लागत	78.09	-	78.09
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	176.12	177.98	(1.86)
कुल	254.21	177.98	76.23
पुनर्मापन			
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.10	-	0.10
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	11.24	13.04	(1.80)
कुल	11.34	13.04	(1.70)
अंशदान :-			
-नियोक्ता	-	78.09	(78.09)
-योजना प्रतिभागी	214.14	214.14	-
लाभ भुगतान	(353.71)	(353.71)	-
31.03.2017 को अंतिम शेष	2327.43	2354.24	(26.81)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(करोड़ रूपए में)
			निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	2327.43	2354.24	(26.81)
वर्तमान सेवा लागत	72.93	-	72.93
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	174.56	174.56	-
कुल	247.49	174.56	72.93
पुनर्मापन			
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.04	-	0.04
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	29.74	22.63	7.11
कुल	29.78	22.63	7.15
अंशदान :-			
-नियोक्ता	-	72.93	(72.93)
-योजना प्रतिभागी	224.50	224.50	-
लाभ भुगतान	(404.00)	(404.00)	-
31.03.2018 को अंतिम शेष	2425.20	2444.86	(19.66)

वित्त-पोषित और गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
वित्त-पोषित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	2425.20	2327.43
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2444.86	(2354.24)
वित्त-पोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	(19.66)	(26.81)
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	(19.66)	(26.81)

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित 19.66 करोड़ रूपए के निवल अधिशेष के प्रति योजना से प्रतिदाय या भविष्य के निम्न अंशदान के रूप में लाभों पर कोई अधिकार नहीं होता है। तदनुसार, कंपनी ने अधिशेष को परिसंपत्ति के रूप में तथा अन्य व्यापक आय में बीमांकित लाभों को मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि ये भविष्य निधि न्यास से संबंधित हैं न कि कंपनी से।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारत मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है -

विवरण	निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव					
	मान्यताओं में परिवर्तन		मान्यताओं में वृद्धि		मान्यताओं में कमी	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	0.0044%	इससे वृद्धि	0.0045%

- (ii) **उपदान :** 31.03.2017 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2016-17			
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	588.15	636.43	(48.28)
वर्तमान सेवा लागत	32.98	-	32.98
विगत सेवा लागत	140.14	-	140.14
ब्याज व्यय/(आय)	47.05	50.91	(3.86)
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	220.17	50.91	169.26
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	0.93	(0.93)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	12.36	-	12.36
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	0.22	-	0.22
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	12.58	0.93	11.65
अंशदान :-			
-नियोक्ता	-	15.23	(15.23)
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(62.83)	(87.06)	24.23
31.03.2017 को अंतिम शेष	758.07	616.44	141.63

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का	योजनागत	निवल राशि
	वर्तमान मूल्य	परिसंपत्तियों का	
		उचित मूल्य	
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	758.07	616.44	141.63
समायोजन	-	0.13	(0.13)
वर्तमान सेवा लागत	23.60	-	23.60
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	56.85	46.24	10.61
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	80.45	46.24	34.21
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	2.56	(2.56)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(10.48)	-	(10.48)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(1.21)	-	(1.21)
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(57.16)	-	(57.16)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(68.85)	2.56	(71.41)
अंशदान :-			
-नियोक्ता	-	-	-
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(64.63)	(78.17)	13.54
31.03.2018 को अंतिम शेष	705.04	587.20	117.84

वित्त-पोषित और गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
वित्त-पोषित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	705.04	758.07
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	587.20	616.44
वित्त-पोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	117.84	141.63
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	117.84	141.63

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव					
	मान्यताओं में परिवर्तन		मान्यताओं में वृद्धि		मान्यताओं में कमी	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	2.86%	इससे वृद्धि	3.05%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	0.79%	इससे कमी	0.92%

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) : 31.03.2017 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

विवरण	(करोड़ रुपए में)		
	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2016-17			
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	592.39	583.72	8.67
वर्तमान सेवा लागत	13.95	-	13.95
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	47.39	46.70	0.69
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	61.34	46.70	14.64
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	5.27	(5.27)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	41.66	-	41.66
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	23.02	-	23.02
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	64.68	5.27	59.41
अंशदान :-			
-नियोक्ता	-	47.40	(47.40)
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(19.23)	(19.68)	0.45
31.03.2017 को अंतिम शेष	699.18	663.41	35.77

विवरण	(करोड़ रुपए में)		
	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	699.18	663.41	35.77
वर्तमान सेवा लागत	15.07	-	15.07
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	52.44	49.76	2.68
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	67.51	49.76	17.75
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	10.56	(10.56)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	2.06	-	2.06
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	33.37	-	33.37
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	3.16	-	3.16
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	38.59	10.56	28.03
अंशदान :-			
-नियोक्ता	-	79.95	(79.95)
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(18.36)	(18.36)	-
31.03.2018 को अंतिम शेष	786.92	785.32	1.60

वित्त-पोषित और गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

विवरण	(करोड़ रुपए में)	
	31.03.2018 को	31.03.2017 को
वित्त-पोषित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	786.92	699.18
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	785.32	663.41
वित्त-पोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	1.60	35.77
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	1.60	35.77

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव					
	मान्यताओं में परिवर्तन		मान्यताओं में वृद्धि		मान्यताओं में कमी	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	6.05%	इससे वृद्धि	6.40%
चिकित्सा लागत दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	6.17%	इससे कमी	-

- (iv) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता** : 31.03.2017 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

विवरण	(करोड़ रुपए में)		
	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2016-17			
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	4.89	-	4.89
वर्तमान सेवा लागत	0.20	-	0.20
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.39	-	0.39
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	0.59	-	0.59
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.14	-	0.14
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.33)	-	(0.33)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(0.19)	-	(0.19)
अंशदान :-			
-नियोक्ता	-	-	-
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.35)	-	(0.35)
31.03.2017 को अंतिम शेष	4.94	-	4.94

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	4.94	-	4.94
वर्तमान सेवा लागत	0.20	-	0.20
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.37	-	0.37
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	0.57	-	0.57
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.01	-	0.01
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.13	-	0.13
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.54)	-	(0.54)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(0.40)	-	(0.40)
अंशदान :-			
-नियोक्ता	-	-	-
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.13)	-	(0.13)
31.03.2018 को अंतिम शेष	4.98	-	4.98

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	निर्धारित लाभ बाह्यताओं पर प्रभाव							
	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
	31.03.2018	31.03.2017		31.03.2018	31.03.2017		31.03.2018	31.03.2017
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.64%	2.84%	इससे वृद्धि	3.88%	3.00%
लागत वृद्धि	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	3.97%	-	इससे कमी	3.71%	-

- (v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को स्मृति-चिन्ह : 31.03.2017 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(करोड़ रूपए में) निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2016-17			
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	2.56	-	2.56
वर्तमान सेवा लागत	0.10	-	0.10
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.20	-	0.20
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	0.30	-	0.30
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.07	-	0.07
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.21)	-	(0.21)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(0.14)	-	(0.14)
अंशदान :-			
-नियोक्ता	-	-	-
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.28)	-	(0.28)
31.03.2017 को अंतिम शेष	2.44	-	2.44

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(करोड़ रूपए में) निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	2.44	-	2.44
वर्तमान सेवा लागत	0.09	-	0.09
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.18	-	0.18
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	0.27	-	0.27
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.01	-	0.01
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.04	-	0.04
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.34)	-	(0.34)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(0.29)	-	(0.29)
अंशदान :-			
-नियोक्ता	-	-	-
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.25)	-	(0.25)
31.03.2018 को अंतिम शेष	2.17	-	2.17

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारत मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	निर्धारित लाभ बाह्यताओं पर प्रभाव							
	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि		मान्यताओं में कमी		
	31.03.2018	31.03.2017		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	5.67%	5.93%	इससे वृद्धि	6.07%	6.11%

(ग) निर्धारित लाभ योजनाएं : महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकित मान्यताएं :

विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
छूट दर	7.70%	7.50%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.00%

(घ) योजनागत परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार है :

भविष्य निधि:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	1343.20	-	1343.20	54.94
कारपोरेट बॉण्ड	967.83	-	967.83	39.59
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	48.34	-	48.34	1.98
एलआईसी	-	-	-	-
नकदी और नकदी तुल्य	-	19.66	19.66	0.80
प्रोदभूत ब्याज		65.83	65.83	2.69
कुल	2359.37	85.49	2444.86	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2017			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	1263.90	-	1263.90	53.69
कारपोरेट बॉण्ड	985.53	-	985.53	41.86
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	30.33	-	30.33	1.29
एलआईसी	-	-	-	-
नकदी और नकदी तुल्य	-	7.79	7.79	0.33
प्रोदभूत ब्याज		66.69	66.69	2.83
कुल	2279.76	74.48	2354.24	100.00

उपदान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	587.07	587.07	99.98
नकदी और नकदी तुल्य	-	0.13	0.13	0.02
कुल	-	587.20	587.20	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2017			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	616.45	616.45	99.98
नकदी और नकदी तुल्य	-	0.11	0.11	0.02
कुल	-	616.56	616.56	100.00

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	-	-	-	-
कारपोरेट बॉण्ड	738.69	-	738.69	94.07
एलआईसी योजना	-	18.79	18.79	2.39
नकदी और नकदी तुल्य	-	9.44	9.44	1.20
प्रोदभूत ब्याज		18.40	18.40	2.34
कुल	738.69	46.63	785.32	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	-	-	-	-
कारपोरेट बॉण्ड	637.75	-	637.75	96.13
नकदी और नकदी तुल्य	-	10.06	10.06	1.52
प्रोदभूत ब्याज		15.60	15.60	2.35
कुल	637.75	25.66	663.41	100.00

ड) **जोखिम प्रभाव:** अपनी निर्धारित लाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी कई जोखिमों के प्रभाव में आती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

जोखिम प्रभाव का विवरण :

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होती हैं। अतः कंपनी नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों के संपर्क में आती है -

- क) वेतन वृद्धि - वास्तविक वेतन वृद्धि योजना के दायित्व में वृद्धि करेगी। वेतन वृद्धि दर मान्यता में वृद्धि भविष्य के मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।
- ख) निवेश जोखिम - यदि योजना को वित्त पोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल दायित्व को प्रभावित कर सकता है।
- ग) छूट दर : बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना के दायित्व में वृद्धि कर सकती है।
- घ) मृत्यु तथा निशक्तता - मूल्यांकन में माने गए से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- ड) निकासी - वास्तविक निकासी मानी गई निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के दायित्व को प्रभावित कर सकता है।

(च) **निर्धारित लाभ देयता और नियोक्ता अंशदान :** वित्तपोषण स्तरों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है और वर्तमान अंशदान दर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत है। कंपनी यह मानती है कि पिछली मूल्यांकन तिथि को निर्धारित अंशदान दरें सहमत अवधि पर कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है और नियमित अंशदान, जो सेवा लागतों पर आधारित हैं, उनमें अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु निर्धारित लाभ योजनाओं से प्रत्याशित अंशदान 132.53 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2018 को 137.86 करोड़ रुपये) है।

निर्धारित लाभ बाध्यमाओं की औसत अवधि 10.38 वर्ष है (2017 - 9.62 वर्ष)।

छूट न दी गई निर्धारित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

भविष्य निधि (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि) का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	0-1 वर्ष के मध्य	1 - 5 वर्ष के मध्य	5 - 10 वर्ष के मध्य	10 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2018	321.13	292.75	465.23	1346.09	2425.20
31.03.2017	332.55	826.73	516.92	651.23	2327.43

उपदान (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि), रोजगार पश्च चिकित्सा लाभ (एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और स्मृतिचिन्ह का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष के मध्य	2 - 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2018					
उपदान	96.18	131.38	89.69	387.79	705.04
रोजगार पश्च चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	31.88	34.93	112.64	607.47	786.92
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.57	0.54	1.60	2.27	4.98
अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.27	0.21	0.72	0.97	2.17
कुल	128.90	167.06	204.65	998.50	1499.11
31.03.2017					
उपदान	109.31	68.97	180.38	399.41	758.07
रोजगार पश्च चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	27.30	29.12	98.51	544.25	699.18
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.61	0.57	1.49	2.27	4.94
अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.30	0.28	0.74	1.12	2.44
कुल	137.52	98.94	281.12	947.05	1464.63

- (ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अवकाश लाभ) :** कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित छुट्टी के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन छुट्टी से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्य के आधार पर किया जाता है।

छुट्टी बाध्यता में कर्मचारी छुट्टी पात्रता के प्रति कंपनी की देयता को कवर करती है। 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु 58.96 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान को वर्तमान के रूप प्रकट किया गया है चूंकि उक्त का भुगतान कंपनी द्वारा स्थापित ट्रस्ट को पिछले वर्ष के प्रति किया जाना है जहां 447.32 करोड़ रुपए तथा 66.14 करोड़ रुपए की राशि को क्रमशः गैर-वर्तमान तथा वर्तमान के रूप में प्रस्तुत किया गया था और यह 31.03.2017 तक गैर-वित्तपोषित थी। अगले 12 माह के भीतर निपटान किए जाने हेतु अनुमानित वर्तमान छुट्टी बाध्यता 46.03 करोड़ रुपए (गत वर्ष 66.14 करोड़ रुपए) है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 तक इसकी बहियों में प्रदर्शित हो रहे छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान के प्रति निधियों को प्रशासित करने के लिए एक छुट्टी नकदीकरण ट्रस्ट बनाया है। तदनुसार, कंपनी ने वर्तमान वर्ष के दौरान ट्रस्ट को 369.27 करोड़ रुपए पारेषित किए हैं जो उस तिथि को छुट्टी नकदीकरण के संबंध में निवल देयता है।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-3 के अनुसार अन्य प्रकटीकरण:-

		(करोड़ रुपए में)	
क्रम. सं.	विवरण	31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :		
i)	पूँजीगत वस्तुएं	5.50	26.43
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
i)	ब्याज	22.55	26.27
ii)	अन्य विविध मामले	60.85	76.05
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
i)	आयातित	-	-
ii)	देशीय	24.59	25.27
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
i)	ब्याज	-	-

* प्रोदभवन आधार।

12. प्रति शेयर अर्जन :

- क) प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
नियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रुपए) - आधारभूत और कम किया गया	1.99	1.88
नियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रुपए) - आधारभूत और कम किया गया	2.69	2.53
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

- ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान :

विवरण	31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु नियामक आय से पूर्व निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	2038.83	2081.60
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा नियामक आय के पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	2758.65	2795.59

ग) भाजक के रूप में प्रयुक्त शेषों की भारित औसत संख्या का मिलान :

विवरण	31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
हर के रूप में प्रयुक्त शेषों की भारित औसत संख्या	10259320519	11061777011

13. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटीकरण निम्नवत है :

- (क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम, विविध देनदार, संविदाकारों को अग्रिम, विविध लेनदार तथा संविदाकारों से जमा/धरोहर राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- (ख) बाहरी पक्षों से व्यापार प्राप्य, देय व्यापार, जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु 0.05 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को मांगी जाती है। 31 दिसम्बर, 2017 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.3.2018 को बकाया निम्नानुसार है :

विवरण	31.12.2017 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.12.2018 को बकाया राशि
प्राप्य व्यापार	1862.85	1808.11	1281.52
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, संविदाकारों/ आपूर्तिकारों/ सेवा प्रदाताओं/ अन्यो को अग्रिम जिसमें	1540.72	400.02	1416.43
व्यापार/अन्य देय	247.67	75.16	426.39
प्रतिभूति जमा/ देय प्रतिधारण राशि	97.15	25.00	132.85

- (ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

14. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटीकरण

- (i) किए गए व्यय के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नवत है :-

क्रम. सं.	सीएसआर व्यय शामिल होने वाले व्ययों के शीर्ष	31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
1	स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता	18.91	15.31
2	शिक्षा और कौशल विकास	5.90	50.36
3	महिला सशक्तिकरण/ वरिष्ठ नागरिक	0.01	0.18
4	पर्यावरण	1.51	0.60
5	कला और संस्कृति	5.47	0.64
6	भूतपूर्व सैनिक	-	0.05
7	खेलकूद	0.06	0.33
8	राष्ट्रीय कल्याण निधि	-	0.02
9	ग्रामीण विकास	3.73	5.52
10	क्षमता निर्माण	0.16	0.27
11	स्वच्छ विद्यालय अभियान	0.64	0.75
12	स्वच्छ भारत अभियान	2.16	1.79
	कुल राशि	38.55	75.82

(ii) अन्य प्रकटीकरण :-

- (क) 31.03.2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 'नकदी में किए गए' और 'अभी नकदी में अदा किए जाने वाले' व्यय के ब्यौरे तथा साथ में व्यय की प्रकृति (पूँजी अथवा राजस्व प्रकृति) निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपए में)			
प्रयोजन	भुगतान (क)	अभी भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/खरीद	21.36	1.03	22.39
(ii) उक्त (1) के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु	15.30	0.86	16.16
कुल	36.66	1.89	38.55

- (ख) ऊपर बताए गए अनुसार 1.89 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से 38.55 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान अभी संबंधित पक्षों को किया जाना है जिसे देयताओं से संबंधित लेखों के संगत शीर्ष में शामिल किया गया है।
- (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 135 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु सीएसआर कार्यों के प्रति व्यय किए जाने हेतु अपेक्षित राशि 59.52 करोड़ रुपये पिछले 3 वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत के आधार पर है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु 59.52 करोड़ रुपये के कुल बजट को आवंटित किया था, जिसमें से 20.97 करोड़ रुपये की राशि का व्यय नहीं किया जा सका था।
- 15. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22** जिसे दिनांक 04.09.2015 की कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत यथापेक्षित प्रकटीकरण निम्नवत है (देखें तुलन पत्र की टिप्पणी संख्या 20.2 तथा 20.3) :

(करोड़ रूपए में)		
क्रम. विवरण सं.	31.03.2018 को	31.03.2017 को
(i) तुलन-पत्र तिथि को किसी आपूर्तिकर्ता को शेष रहने वाली मूल राशि तथा उस पर तत्संबंधी शेष ब्याज :		
क) देय व्यापार :		
- मूलधन राशि	5.29	4.28
- ब्याज	-	-
ख) अन्य :		
- मूलधन राशि	1.43	1.51
- ब्याज	-	-
(ii) क्रेता द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुरूप अदा किए गए ब्याज की राशि और साथ में वर्ष के दौरान निर्धारित दिवस से अधिक आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
(iii) भुगतान करने में विलंब के वर्ष हेतु देय तथा अदा की जाने वाली ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान निर्धारित दिवस के पश्चात भुगतान किया गया है) परन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
(iv) तुलन-पत्र तिथि को प्रोदभूत तथा भुगतान हेतु शेष ब्याज की राशि	-	-
(v) आगे के वर्षों में भी देय तथा चुकोती योग्य शेष ब्याज की राशि, जब तक कि उक्त ब्याज देयों का भुगतान वास्तव में किसी छोटे उद्यम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत किसी कटौती योग्य व्यय को अनुमेय न करने के प्रयोजन हेतु वास्तव में नहीं कर दिया जाता।	-	-

16. भारतीय लेखांकन मानक-17 "पट्टे" के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण :
क) प्रचालन पट्टे - कंपनी पट्टेधारी के रूप में

- (क) कंपनी की प्रमुख पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु परिसरों के प्रचालन पट्टों के संबंध में हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जो निरस्त नहीं की जा सकती, आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतानों की 41.25 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 45.52 करोड़ रुपये) की राशि को टिप्पणी 26 में वेतन, मजदूरी, भत्ते के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ख) कंपनी ने कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु परिसरों को प्रचालन पट्टों पर लिया है जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय है। कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतानों की 7.05 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.38 करोड़ रुपये) की राशि को टिप्पणी 29 में किराया तथा किराया प्रभार के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ग) कंपनी ने वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालन पट्टों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते। वाहनों को किराए पर लिए जाने के संबंध में पट्टा भुगतानों की 34.16 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 32.43 करोड़ रुपये) की राशि को टिप्पणी 29 में किराया तथा किराया प्रभार के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ख) वित्त पट्टा - कंपनी पट्टादाता के रूप में

कंपनी ने 2 पावर स्टेशनों नामतः निम्नो बाजगो पावर स्टेशन और चुटक पावर स्टेशन से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु एकल लाभार्थी पीडीडी जम्मू एवं कश्मीर और दो पावर स्टेशनों नामतः इन्दिरा सागर और ओंकारेश्वर पावर स्टेशनों से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ 35 वर्षों के लिए एक समझौता किया है जो इन पावर स्टेशनों के प्रत्याशित जीवनकाल के समान है। समझौतों के अंतर्गत उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन को खरीदने के लिए बाध्य है। कंपनी ने इन पावर स्टेशनों को भारतीय लेखांकन मानक 17-पट्टे के परिशिष्ट-ग के अनुसार निहित वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान) में प्राप्य पट्टे शामिल हैं जो कंपनी द्वारा की गई निहित पट्टा व्यवस्थाओं पर प्राप्य भविष्य के पट्टा किराए के वर्तमान मूल्य को दर्शाते हैं।

पट्टे में सकल निवेश और वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य का व्यौरा निम्नानुसार है :

(i) पट्टों में सकल निवेश :

(करोड़ रूपए में)		
विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
एक वर्ष के भीतर	242.91	257.71
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	1005.02	972.62
पांच वर्ष से अधिक	4174.34	4270.70
कुल	5422.27	5501.03

(ii) प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य :

(करोड़ रूपए में)		
विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
एक वर्ष के भीतर	34.80	57.89
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	249.37	248.68
पांच वर्ष से अधिक	1256.45	1317.92
कुल	1540.62	1624.49

(iii) पट्टे में सकल निवेश और वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य के मध्य मिलान निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)		
विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
पट्टे में सकल निवेश	5422.27	5501.03
समायोजन :		
घटाए : अर्जित न की गई वित्त आय	3692.32	3688.24
घटाए : गैर-गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	189.33	188.30
न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	1540.62	1624.49

ग) प्रचालन पट्टा - कंपनी पट्टादाता के रूप में:

कंपनी ने टीएलडीपी-III तथा टीएलडीपी-IV पावर स्टेशनों से विद्युत की बिक्री हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर से विद्युत की बिक्री हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु एक समझौता किया है। टीएलडीपी-III तथा टीएलडीपी-IV के संबंध में समझौते के अंतर्गत ग्राहक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन की खरीद के लिए बाध्य है। तदनुसार, कंपनी ने इन पावर स्टेशनों को भारतीय लेखांकन मानक 17-पट्टे के परिशिष्ट-ग के अनुसार प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया है।

गैर-निरस्तीकरण योग्य प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भविष्य का न्यूनतम किराया निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
एक वर्ष के भीतर	188.15	568.86
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	320.93	607.87
कुल	509.08	1176.73

17. भारतीय लेखांकन मानक-27 'पृथक वित्तीय विवरण' के अंतर्गत प्रकटीकरण:

(क) अनुषंगी कंपनियों में हित * :

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रधान स्थान	प्रमुख क्रियाकलाप	निम्न को स्वामित्व हित का अनुपात	
			31.03.2018	31.03.2017
एनएचपीसी लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	51.08%	51.08%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	74%	74%
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	99.99%	99.99%

(ख) संयुक्त उद्यमों में हित * :

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रधान स्थान	प्रमुख क्रियाकलाप	निम्न को स्वामित्व हित का अनुपात	
			31.03.2018	31.03.2017
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड	भारत	ऑनलाइन हाई पावर शार्ट सर्किट परीक्षण सुविधा	20%	20%
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टर प्राइवेट लिमिटेड **	भारत	विद्युत उत्पादन	55.39%	49.78%

* अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश को लागत पर "पृथक वित्तीय विवरण" संबंधी भारतीय लेखांकन मानक 27 के प्रावधानों के अनुसार मापा जाता है।

** वर्ष के दौरान कंपनी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (सीवीपीपीएल) में 122.36 करोड़ रुपये का और निवेश किया है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की शेयरधारिता बढ़कर 55.39 प्रतिशत हो गई है। तथापि, सीवीपीपीएल संयुक्त उद्यम समझौते के अनुपालन में अन्य संयुक्त उद्यमों के साथ संयुक्त रूप से नियंत्रण प्राप्त रहने के चलते एक संयुक्त उद्यम बना हुआ है।

18. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2018 के अनुसार "परिसंपत्तियों की क्षति" पर भारतीय लेखांकन मानक 36 के प्रावधानों के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

19. जलविद्युत नीति 2008 के अनुसार किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु संबंधित वितरण लाइसेंस के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट विद्युत की तदनुसूची ऊर्जा मुहैया करवाई जानी है। पीएएफ के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी अधिसूचना जारी की जानी है। चूंकि किसी पावर स्टेशन से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा को डिजाइन ऊर्जा में से ऐसे निःशुल्क विद्युत की कटौती करके निकाला जाना है, कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

20. वर्ष 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के चलते केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013/सीईआरसी के अनुसार बिक्री को सेवा-II, चमेरा-III, टीएलडीपी-III और पार्वती-III पावर स्टेशनों के संबंध में 2009-14 की अवधि हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है। वर्ष 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ के लिए सीईआरसी विनियमनों में संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ इक्विटी पर प्रतिफल को सकल बनाकर लाभग्राहियों से आयकर की वसूली का प्रावधान है अर्थात् उत्पादक आय पर वर्ष के दौरान अदा किया गया वास्तविक कर।

21. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (तुलन-पत्र की टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 का संदर्भ लें)

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की वर्तमान बाध्यता (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतरवाह की आवश्यकता बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित हो और बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय

अनुमान लगाया जा सके। जब कंपनी यह प्रत्याशा करता है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी पूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर-पूर्व-दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

- (ii) **कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान** कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (निर्धारित अंशदान और निर्धारित लाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 के 10 पर प्रकट किया गया है)।

क) कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान :

लेखे में वर्ष (गत वर्ष 2016-17) हेतु कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में कंपनी नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधान) :

कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को भारत सरकार द्वारा गठित तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के अनुसार 1.1.2017 से 31.3.2018 की अवधि हेतु लेखे में मान्यता दी गई है।

- (iii) **अन्य प्रावधान :**

क) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान :

टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान को अनुमानित आधार पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ के अनुमोदन/समायोजन के लंबित होने पर बिल किए गए टैरिफ के पुनः आकलन पर लाभग्राहियों को संभावित धन वापसी के प्रति किया गया है।

ख) आजीविका व्यय हेतु प्रावधान :

पार्वती-II तथा पार्वती-III में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) को आजीविका सहायता हेतु राज्य सरकार के परामर्श से और एनएचपीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार अंतिम रूप दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज के प्रति लेखे में औसत मुद्रास्फीति हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है। पैकेज के अनुसार, भुगतान की औपचारिकताएं लम्बित होने तक प्रत्येक पीएफ को निम्नलिखित अवधियों हेतु मासिक किश्त आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार, जो भी अधिक हो, के अनुसार अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य आजीविका सहायता मुहैया करवाई जाएगी, जो इस प्रकार है:-

- रोजगार हेतु पात्र पीएफ की अधिवर्षिता की तिथि तक।
- ऐसे पीएफ जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं बची है परन्तु जिन्हें रोजगार हेतु शामिल नहीं किया गया है, 2000 दिवस हेतु।
- शेष सभी पीएफ को 1000 दिवस हेतु।

ग) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान :

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे प्रावधानों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के किए जाने पर समायोजित किया जाता है।

घ) बीमांकित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्ययों हेतु प्रावधान :

मेगा तथा सीपीएम पॉलिसी के अंतर्गत बीमित क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार हेतु प्रबंधन अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रावधान को मान्यता दी गई है। प्रावधान का उपयोग परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के प्रति वास्तविक व्यय को वहन किए जाने के प्रति किया जाना है।

ङ) माध्यस्थ निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान :

इसमें माध्यस्थ निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावे के संबंध में संभावित बाह्य प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/बाहिर प्रवाह मामले को निर्णय के आधार पर होगा।

च) प्रावधान - अन्य - इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं :-

- (i) संभावित बहिर्गमन के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। प्रावधान का उपयोग/बाह्य प्रवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा।
- (ii) कंपनी द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।
- (iii) वर्ष 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूले गए अधिक टैरिफ पर लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान जहां वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर प्रक्षेपित पूंजीगत लागत के आधार पर सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु ली गई पूंजीगत लागत अथवा प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, व्यय की गई वास्तविक पूंजीगत लागत से अधिक होता है।
- (iv) अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर कर्मचारियों को मुहैया करवाए गए गृह निर्माण अग्रिम के ब्याज के प्रति छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।
- (v) अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर विद्युत की बिक्री हेतु उपभोक्ताओं को छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।

22. भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार नियामक विलंबित लेखा शेष के सृजन संबंधी प्रकटीकरण :

कंपनी प्रधानतः जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में रत है। कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा की लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा मुहैया करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु कंपनी को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी बाध्यता (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को मुहैया करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और नियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी नियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू नियामक ढांचे के अंतर्गत नियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

ऊपर बताए गए अनुसार, कंपनी के सभी प्रचालन क्रियाकलाप लागत की सेवा विनियमों के अधीन है क्योंकि ये परामर्शी नोट में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हैं अतः कंपनी पर लागू है।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई नियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व-निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तिया को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता।

1.4.2016 से ऐसी दर नियंत्रित मदों का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 114 नियामक विलंबित लेखे" के अनुसार किया जाना है। भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को नियामक विलंबित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण पूर्ववर्ती जीएएपी को माना जाएगा।

क) सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष :

सुबानसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बांध विरोधी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण बाधित हैं और मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लंबित है। तथापि, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी है। प्रबंधन स्थल पर कार्य को पुनः प्रारम्भ करने के सभी प्रयास कर रहा है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) के मतानुरूप 2275.28 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1943.89 करोड़ रुपये तक) की ऋण लागत, 1151.97 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष तक 982.72 करोड़ रुपये) के कर्मचारी लाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय, 254.44 करोड़ रुपये की अन्य आय के निवल (पिछले वर्ष तक 228.62 करोड़ रुपये) की प्रशासन तथा अन्य लागत को 31.03.2018 तक लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया गया है।

तथापि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया था जो “नियामक परिसंपत्ति” और तदनुरूपी “नियामक आय” की मान्यता को अनुमति देता है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु फिर भी नियामक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है। इस लेखांकन नीति का कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 तक पालन किया गया है।

चूंकि भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को नियामक विलंबित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है और यह पूर्ववर्ती जीएएपी को “दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन” के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण के रूप में मान्यता देता है, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अपनी पहले भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में नियामक विलंबित लेखा शेष हेतु लेखांकन नीति को जारी रखा है।

तदनुसार, कंपनी ने नियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है और निम्नानुसार तदनुरूपी नियामक आय को मान्यता प्रदान की है :

(करोड़ रूप में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित विनियामक परिसंपत्तियां	31 मार्च, 2017 तक	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान	31 मार्च, 2018 तक
ऋण लागत	1943.89	331.39	2275.28
कर्मचारी लाभ व्यय	487.64	84.81	572.45
मूल्यहास	42.65	6.85	49.50
अन्य व्यय	452.43	77.59	530.02
अन्य आय	(228.62)	(25.82)	(254.44)
कुल	2697.99	474.82	3172.81

प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि परियोजना के संबंध में विनियामक विलंबित लेखा शेष भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार मान्यता हेतु अपेक्षित निश्चितता एवं विवेक के स्तर को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन के आकलन के अनुसार परियोजना की परिसंपत्तियों की वहन राशि में उसमें मान्यता प्राप्त नियामक विलंबित लेखा शेषों सहित कोई क्षति नहीं है।

परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के पश्चात सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में नियामक विलंबित लेखाओं में पड़ी शेष राशि को मूल्यहास के अनुपात में परियोजना के जीवनकाल अर्थात् 35 वर्षों पर सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों का पालन करते हुए परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा।

कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में सृजित नियामक विलंबित डेबिट शेष की भविष्य की वसूली को प्रभावित कर सकती हैं। ये हैं :

क) **मांग जोखिम :** नियामक विलंबित लेखा शेष की वसूली टैरिफ के माध्यम से मूल्यहास द्वारा की जाएगी। तदनुसार, यह सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित है जो भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करती हैं जैसे दीर्घावधि पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने में कठिनाई, आदि।

ख) **नियामक जोखिम :**

- 1) टैरिफ विनियमन, 2014-19 में परिणामी लागतों की अनुमति है जो लागत वृद्धि में परिणत होता है और संविदा मूल्यों, निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) और प्राकृतिक आपदा वाली स्थितियों में निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (आईडीसी) को प्रभावित करता है जैसा कि एक का सामना वर्तमान में परियोजना द्वारा किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा वाली स्थितियों में लागत की स्वीकार्यता के संबंध में वर्तमान अवधि से परे टैरिफ विनियमनों में कोई परिवर्तन इन नियामक विलंबित अंतरों के सृजन तथा वसूली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- 2) टैरिफ विनियमों में आगे यह प्रावधान है कि यदि विलंब उत्पादक कंपनी को आरोप्य नहीं है बल्कि अनियंत्रणीय कारणों के कारण है, आईडीसी को उचित विवेकसम्मत जांच के पश्चात अनुमेय किया जा सकता है। विवेकसम्मत जांच के पश्चात व्यय को अनुमेय न करने से सृजित किए जा रहे नियामक विलंबित खाता शेष की वसूली प्रभावित हो सकती है।

(ख) **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनियम अंतर के संबंध में नियामक विलंबित लेखा :**

भारतीय लेखांकन मानक 23 - “ऋण लागतें” के पैरा 6(ड) के अनुसार विदेशी मुद्रा ऋणों पर ऋण लागत ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में ली गई सीमा तक, इसके निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकरण किए जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखांकन मानक - 21 “विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव” का पैरा 28 यह प्रावधान करता है कि संबंधित अवधि अथवा पिछले वित्तीय विवरणों के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर परिवर्तित से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों के निपटान या परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनियम अंतरों को उस अवधि में लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न हुए हों।

भारतीय लेखांकन मानक 101 - “भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना” का पैरा 131 यह प्रावधान करता है कि पहली बार अपनाने वाले को पूर्ववर्ती जीएपी के अनुसार प्रथम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से तत्काल पूर्व समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों हेतु अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, 1.4.2016 अथवा उसके पश्चात प्रारंभ होने वाली अवधि हेतु निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में उपचारित सीमा तक ऋणों के विनिमय अंतर के अतिरिक्त मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाना होता है। कंपनी की बहियों में सभी विदेशी मुद्रा ऋण 1.4.2004 से पहले लिए गए थे।

सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार, विनिमय दर अंतर के कारण होने वाला कोई भी लाभ अथवा हानि किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) को टैरिफ की गणना हेतु पूंजीगत लागत के भाग के रूप में तथा ओ एंड एम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के रूप में वसूली योग्य होगी। इसके अतिरिक्त, सीईआरसी ने पूर्व के टैरिफ आदेशों में निर्माण अवधि के दौरान व्यय किए गए विनिमय अंतरों को पूंजी लागत के भाग के रूप में अनुमेय किया है।

मान्यता के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 114- “नियामक विलंबित लेखा” के प्रावधानों और वसूली, लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर और आगे की अवधियों में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के संबंध में लाभग्राहियों से प्राप्त तथा देय होने वालों के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2014-19 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इन्हें 1.4.2016 से “नियामक विलंबित लेखा शेष” के रूप में मान्यता दी जा रही है। इन शेषों को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है जिनमें ये परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के पश्चात से लाभग्राहियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होते हैं।

भविष्य की अवधियों में लाभग्राहियों से वसूली जाने वाली अथवा उन्हें अदा की जाने वाली बहियों में मान्यता प्रदान की गई नियामक परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (-) निम्नानुसार है :

		(करोड़ रूपए में)
क्रम. सं.	विवरण	नियामक विलंबित लेखा शेष
क	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	(2.50)
ख	वर्ष के दौरान वर्धन (परिसंपत्तियां +)/देयता (-)	2.10
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित(-)/वापिस (+) की गई राशि	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई नियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	2.10
ङ	31.03.2018 को अंतिम शेष (क+घ)	(0.40)

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में सृजित किए जा रहे नियामक विलंबित लेखा शेष की भविष्य की वसूली को कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

- क) **मांग जोखिम** : नियामक विलंबित डेबिट/क्रेडिट शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के माध्यम से किए जाएंगे। तदनुसार, यह भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करने वाले सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं जैसे कि दीर्घावधि पीपीए पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई आदि से प्रभावित होगा।
- ख) **नियामक जोखिम** : टैरिफ विनियम, 2014-19 निर्माण की अवधि के दौरान पूंजीगत लागत के भाग के रूप में और ओ एण्ड एम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर टैरिफ के माध्यम से विनिमय जोखिम अंतर की वसूली को अनुमेय करते हैं। टैरिफ में ऐसी लागतों को अनुमेय करने के संबंध में वर्तमान अवधि से अधिक टैरिफ विनियमों में कोई परिवर्तन इन नियामक विलंबित लेखा शेष के सृजन तथा वसूली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- ग) **सीपीएसयू के वेतन संशोधन हेतु तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के कारण मान्यता दिए गए व्यय के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष** :

सीपीएसयू के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी, 2017 से देय है। भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार 1.1.2017 से मूल वेतन, मंहगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि करने के अतिरिक्त उपदान की अधिकतम सीमा को 1.1.2017 से विद्यमान 0.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 0.20 करोड़ रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, उपदान की सीमा को 28.3.2018 से उपदान संदाय अधिनियम में संशोधन करके 0.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 0.20 करोड़ रुपये किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 (31.03.2018 तक) हेतु वेतन के प्रस्तावित संशोधन के प्रभाव में 1.4.2017 से 31.3.2018 तक की अवधि के लिए वेतन तथा भत्तों में वृद्धि हेतु प्रावधान के प्रति लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किया गया व्यय और कारपोरेट कार्यालय तथा संबंधित यूनिटों को आवंटित क्षेत्रीय कार्यालयों के व्यय सहित प्रचालनशील पावर स्टेशनों के संबंध में उपदान की अधिकतम सीमा में वृद्धि के कारण बीमाकित मूल्यांकन के संबंध में लाभ एवं हानि/अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान किया गया व्यय शामिल है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014-19, सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के साथ पढ़े जाने पर यह प्रावधान करते हैं कि प्रचालनात्मक पावर स्टेशनों के वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि का प्रभाव टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अवधि 2004-09 के दौरान सीईआरसी ने 31.12.2006 के अनुसार याचिकाकर्ता समूह के कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी (मूल वेतन और मंहगाई भत्ता) की 50 प्रतिशत तक वेतन संशोधन (1.1.2007 से) के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि की लाभार्थियों से वसूली को 12 समान मासिक किस्तों में अनुमेय किया था।

भारतीय लेखांकन मानक-114-"नियामक विलंबित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मान्यता तथा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014-19 के संबंध में वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लाभ संबंधी वसूली, अतिरिक्त व्यय को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य व्यापक आय पर प्रभारित किए जाने की सीमा तक और टैरिफ विनियमों तथा सीईआरसी के पहले के अनुमोदन के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से आगे वसूले जाने के चलते "नियामक विलंबित लेखा शेष" के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इन शेषों को उस वर्ष में से समायोजित किया जाना है जिनमें ये सीईआरसी के अनुमोदन के अनुसार लाभार्थियों से वसूली योग्य बनेंगे।

बहियों में मान्यता प्रदान किए गए नियामक विलंबित लेखा शेष (परिसंपत्तियों) को भविष्य की अवधियों में लाभार्थियों से निम्नानुसार वसूला जाना है :

लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई मदों के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष :

		(करोड़ रूपए में)
क्रम. सं.	विवरण	नियामक विलंबित लेखा शेष
क	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	199.78
ख	वर्ष के दौरान वर्धन (+)	242.90
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई नियामक आय (ख+ग)	242.90
ङ	31.03.2018 को अंतिम शेष (क+घ)	442.68

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष :

		(करोड़ रूपए में)
क्रम. सं.	विवरण	नियामक विलंबित लेखा शेष
क	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	9.05
ख	वर्ष के दौरान वर्धन (+)	(23.68)
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई नियामक आय (ख+ग)	(23.68)
ङ	31.03.2018 को अंतिम शेष (क+घ)	(14.63)

कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय के संबंध में सृजित की जा रही नियामक विलंबित लेखा शेषों की भविष्य में वसूली कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित हो सकती है। ये हैं :

- क) **मांग जोखिम** : नियामक विलंबित डेबिट/क्रेडिट शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के माध्यम से किए जाएंगे। तदनुसार, यह भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करने वाले सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं जैसे कि दीर्घावधि पीपीए पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई आदि से प्रभावित होगा।
- ख) **नियामक जोखिम** : टैरिफ विनियम, 2014-19 टैरिफ के माध्यम से वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त कर्मचारी लागत की वसूली को अनुमेय करते हैं। टैरिफ में ऐसी लागतों को अनुमेय करने के संबंध में वर्तमान अवधि से परे टैरिफ विनियमों में कोई परिवर्तन इन नियामक विलंबित लेखा शेष के सृजन तथा वसूली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

- 23 (i) उड़ी- I। पावर स्टेशन जहां दुर्घटनावश 20.11.2014 को आग लग गई थी, जो उत्पादन के बंद होने में परिणत हुआ था, उससे जून, जुलाई, तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर है। 31.3.2018 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभासित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
भौतिक क्षति के प्रति	65.83	47.10	5.12	13.61	14.04
व्यापार बाधा हानि #	276.27	130.00	-	146.27*	166.27
कुल	342.10	177.10	5.12	159.88	180.31

* टिप्पणी 34 के पैरा 2(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय 20.00 करोड़ रुपये है (अद्यतन तिथि को संचित 130.00 करोड़ रुपये है)।

- (ii) चुटक पावर स्टेशन जो विद्युत गृह में अचानक पानी के बढ़कर टरबाइन तल तथा आंशिक रूप से उत्पादन तल तक पहुंच जाने के कारण 28.6.2015 से बन्द था, इसे अगस्त तथा सितम्बर, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि को मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर किया गया है। 31.3.2018 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है :

(करोड़ रुपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभासित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
भौतिक क्षति के प्रति	7.73	2.20	2.00	3.53	5.93
व्यापार बाधा हानि #	16.22	1.80	-	14.42	18.07
कुल	23.95	4.00	2.00	17.95	24.00

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय 14.42 करोड़ रुपये है (अद्यतन तिथि को संचित 16.22 करोड़ रुपये है)।

- (iii) धौलीगंगा पावर स्टेशन जो बादल फटने तथा अत्यधिक बाढ़ के कारण 17.6.2013 से बन्द था, उसे मई/जून, 2014 माह के दौरान बहाल कर दिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर हैं। 31.3.2018 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है :

(करोड़ रुपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभासित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
भौतिक क्षति के प्रति	160.71	105.79	2.00	52.92	82.50
व्यापार बाधा हानि:					
-उत्पादन हानि के कारण #	263.77	215.00	-	48.77*	158.36
-कार्यकरण की वृद्धि लागत के कारण	4.28	-	1.93	2.35	3.25
कुल	428.76	320.79	3.93	104.04	244.11

* टिप्पणी 34 के पैरा 2(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय 25.00 करोड़ रुपये है (अद्यतन तिथि को संचित 215.00 करोड़ रुपये है)।

(iv) सभी विद्युत संयंत्रों की परिसंपत्तियां और उत्पादन में हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर हैं। 31.3.2018 के अनुसार पावर स्टेशनों (ऊपर 23 (1), (2) तथा (3) में प्रकट किए गए उड़ी- I, चुटक और धौलीगंगा के प्रमुख दावों के अतिरिक्त) के संबंध में बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि	प्राप्त्य शेष	
				31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
भौतिक क्षति के प्रति	43.83	8.15	14.03	21.65	34.94
व्यापार बाधा हानि	-	-	-	-	-
कुल	43.83	8.15	14.03	21.65	34.94

24. निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को हुई अपनी बैठक में चर्चा की कि बरसर जलविद्युत परियोजना की अर्थक्षमता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने बरसर परियोजना को अर्थक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा जांच हेतु वित्तपोषण मुहैया करवाने के लिए पहल की थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार निधियों को मुहैया करवाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय से संपर्क किया गया था। दिनांक 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में उनके प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना पर अन्वेषण कार्य जारी है और 226.05 करोड़ रुपये के व्यय को किया जा चुका है और इसे प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य में अग्रेषित किया गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इस राशि का प्रावधान लेखाबहियों में किया गया है।
25. कोटलीभेल-1ए, कोटलीभेल-1बी और कोटलीभेल-II परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित उन 24 जलविद्युत परियोजनाओं में से ऐसी तीन परियोजनाएं हैं जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इन परियोजनाओं को अगले आदेश तक पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न किए जाने के और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। परियोजना के भविष्य पर निर्णय लंबित होने तक 31.3.2018 तक कोटलीभेल-1ए, कोटलीभेल-1बी और कोटलीभेल-II परियोजनाओं के संबंध में क्रमशः 230.76 करोड़ रुपये, 42.95 करोड़ रुपये और 51.42 करोड़ रुपये की राशि के लिए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इन राशियों हेतु कुल 325.13 करोड़ रूपए की राशि हेतु लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।
26. क) तवांग चरण- I। जलविद्युत परियोजना हेतु वन स्वीकृति (चरण- I) प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 1 मार्च, 2018 के पत्र के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत मंत्रालय को परियोजना की अंतिम रूप दी गई हार्ड लागत तथा निवेश पूर्व क्रियाकलाप लागत को संप्रेषित किया है। तवांग चरण- II। जलविद्युत परियोजना के संबंध में वन स्वीकृति (चरण- II) प्रक्रियाधीन है। तदनुसार, इन परियोजनाओं पर व्यय की गई 203.15 करोड़ रुपये की राशि को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेषित किया जा रहा है।
- ख) 5.2.2013 को आयोजित निदेशक मंडल की 356वीं बैठक में बोर्ड संकल्प संख्या 6(2) के अनुसार तवांग- I तथा II परियोजनाओं और बेसिन में अन्य परियोजनाओं हेतु बेसिन अध्ययन के प्रति राज्य वन विभाग को 31.3.2018 तक अदा की गई 2.49 करोड़ रूपए की राशि की यथानुपात आधार पर अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी है। तथापि, प्रबंधन के अनुसार ऐसी वसूली की संभावना बहुत कम है और ऐसे व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को डेबिट किया गया है।
27. धौलीगंगा इंटरमीडिएट, चुंगर चाल और खरमोली लुमटी टुली जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से रोका गया है। इस संबंध में निबंधन एवं शर्तें सहित उत्तराखंड सरकार को इन परियोजनाओं को सौंपने हेतु अंतिम निर्णय लंबित होने के चलते 32.35 करोड़ रुपये की राशि को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेषित किया गया है।
28. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने दिनांक 15.4.2015 के पत्र संख्या फा.सं. 8-85/2011-एफसी के माध्यम से दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट) के निर्माण हेतु वन भूमि के अपवर्तन के लिए "सिद्धांततः" अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 19.5.2015 के पत्र के माध्यम से परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त के मद्देनजर परियोजना पर व्यय की गई 248.23 करोड़ रुपये की राशि को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेषित किया गया है।
29. कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और अन्य किसी संगत प्रावधान के अर्थ के भीतर कोई जमा स्वीकार नहीं किया है सिवाय अतिदेय धरोहर जमा राशि तथा सुरक्षा जमा के। तथापि, प्रबंधन का यह मत है कि बहियों में दर्शाए गए आपूर्ति कारों/संविदाकारों की अतिदेय धरोहर जमा राशि तथा सुरक्षा जमा वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु संविदाओं के निष्पादन हेतु प्रतिधारण राशि की प्रकृतिवाले हैं और उन्हें कंपनी (जमा की स्वीकार करना) संशोधन नियम, 2016 के नियम, उप नियम(1), खंड(ग) में संशोधन के चलते मानद जमा नहीं माना जाना चाहिए। तदनुसार, प्रबंधन द्वारा ऐसे सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि के संबंध में दिनांक 29.6.2016 की एमसीए की अधिसूचना संख्या जीएसआर-639(ई) के लागू होने के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय से 25 जनवरी, 2018 के पत्र संख्या एनएच/सीएस/433 के माध्यम से स्पष्टीकरण/छूट का अनुरोध किया गया है।

30. वित्तीय वर्ष 2016-17 तक मोबाइल फोन/सेल्यूलर फोन पर मूल्यहास टैरिफ के निर्धारण हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दर तथा पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जा रहा था। वित्तीय वर्ष 2017-18 से मोबाइल फोन पर मूल्यहास प्रबंधन आकलन के आधार पर 1/- रुपये के अवशिष्ट मूल्य के साथ 3 वर्ष की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर मुहैया करवाया जा रहा है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु मोबाइल फोन/सेल्यूलर फोन पर मूल्यहास 0.09 करोड़ रुपये अधिक है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2018 को विद्यमान मोबाइल फोन/सेल्यूलर फोन हेतु मूल्यहास प्रभार अगले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान 0.04 करोड़ रुपये से अधिक होंगे।

31. सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची-V के अनुसार प्रकटीकरण :

(क) ऋण की प्रकृति वाले ऋण तथा अग्रिम:

- (i) अनुषंगी कंपनियां: शून्य
- (ii) संयुक्त उद्यम कंपनियां:

कंपनी का नाम	निम्न के दौरान बकाया शेष		निम्न के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड	6.00	-	6.00	-

(iii) उन फर्मों/कंपनियों को जिनमें निदेशकों के हित हैं : शून्य

(ख) एनएचपीसी के शेयरों में ऋण लेने वाले (ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार) द्वारा निवेश : शून्य

32. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों (आरईसी) के मात्रात्मक ब्यौरे :

क्रम. सं.	विवरण	मात्रा
1	जारी आरईसी की संख्या	51214
2	प्रमाणीकरण के अधीन होने वाले आरईसी की संख्या	17094
3	वर्ष के दौरान बिक्री किए गए आरईसी की संख्या	शून्य

अंतिम वसूली के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के मद्देनजर जारी किए गए/प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के अधीन होने वाले आरईसी को मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

33. कंपनी ने वर्ष के दौरान तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर परियोजना को चालू किया है जिसकी 25 मेगावाट को 1 फरवरी, 2018 को तथा शेष 25 मेगावाट को 23 मार्च, 2018 को चालू किया गया है।

34. पिछले वर्ष के प्रारंभिक शेष/तदनुसूची आंकड़ों को जहां-कहीं आवश्यक हो वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूपी बनाने के लिए पुनः समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

बलराज जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045
(सुरेश सेठ)
भागीदार
सदस्यता सं. 010577

कृते रे एण्ड रे
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 056359

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 09487एन
(रजत मेंगी)
भागीदार
सदस्यता सं. 089871

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 28 मई, 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण एनएचपीसी लिमिटेड

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात “धारक कंपनी” कहा गया है) और इसकी अनुषंगियों (धारक कंपनी तथा इसकी अनुषंगियों को मिलाकर “समूह” कहा गया है) तथा संयुक्त उद्यमों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2018 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा अन्य विवरणात्मक जानकारी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की आवश्यकताओं के अनुरूप इन भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें अधिनियम की धारा 133, जिसे उसके अंतर्गत जारी संगत नियमों के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक शामिल हैं, के अनुरूप समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन, जिसमें अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाहों का एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। समूह में शामिल कंपनियों तथा इसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक मंडल इन सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं - समूह की परिसंपत्तियों की रक्षा करने और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने; उचित लेखांकन नीति के चयन तथा उपयोग; तर्कसंगत और विवेकसम्मत होने वाले निर्णयों तथा अनुमानों को लेने; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, सही तथा उचित चित्र देने तथा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त होने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संगत हों, जिनका उपयोग उपर्युक्त वर्णित किए अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनों हेतु किया गया हो।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन तथा लेखापरीक्षा मानकों और ऐसे मामलों पर ध्यान दिया है जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित हो।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा का निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत बयानी से मुक्त है अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा में परीक्षण के तौर पर भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आकलनों को करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उचित होने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए धारक कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है, परंतु वह धारक कंपनी में वित्तीय सूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों पर प्रभावोत्पादकता के लागू होने की विद्यमानता के प्रयोजन हेतु ऐसा नहीं करता। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और नीचे अन्य मामले पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) तथा (ख) में संदर्भित उनकी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया करवाने के लिए समुचित है।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वर्णित भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से देते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समूह तथा संयुक्त उद्यमों के मामलों की समेकित स्थिति, और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु उनके समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन) तथा उनके समेकित नकदी प्रवाहों तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु समेकित इक्विटी में परिवर्तन का एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।

मामले का बल दिया जाने वाला क्षेत्र

हम भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

- क) समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2.2 का पैरा 2 जो परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के लिए किए गए व्यय के संबंध में है, उसके लिए या तो परिणाम के संबंध में अनिश्चितता अथवा विभिन्न प्राधिकारियों के साथ स्वीकृति लम्बित होने के चलते अग्रणीत किए जाने के कारण प्रावधान किया गया है।
- ख) समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34 पैरा 2 जो कंपनी द्वारा/इसके विरुद्ध संविदाकारों तथा अन्य के प्रति/के द्वारा दायर दावों/अधिनिर्णय कार्यवाहियों तथा कानूनी मुकदमों के परिणाम के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। कुछ मामलों में अधिनिर्णय का निर्णय कंपनी के विपरीत हुआ है/निचली अदालतों में कंपनी हार गई है और मामले को उच्चतर अदालतों में उठा रही है।
- ग) समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 का पैरा 23क सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित है जहां बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध के चलते 16.12.2011 से स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप बाधित हैं और मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लम्बित है। इस परियोजना पर अतिरिक्त व्यय के संबंध में सृजित नियामक विलंबित लेखा शेष की भविष्य की वसूली कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित हो सकती है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत अर्हक नहीं है।

अन्य मामले

- क) i) हमने निम्नलिखित अनुषंगियों के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की जांच नहीं की है जिनके भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2018 के अनुसार कुल परिसंपत्तियों, कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु निवल नकदी प्रवाहों को उस सीमा तक दर्शाते हैं जिस तक उन्हें समेकित विवरणों में प्रतिबिंबित किया गया है :

(करोड़ रूपए में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	कुल परिसंपत्तियां	निवल परिसंपत्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी आंतरिक प्रवाह/ बाहिर प्रवाह
एनएचडीसी लिमिटेड	7845.50	2674.29	1056.68	(0.25)
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल लिमिटेड)	144.80	96.77	1.00	(0.04)

- ii) समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु निम्नलिखित संयुक्त उद्यम, जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की हमने लेखापरीक्षा नहीं की है, के संबंध में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में विचार किए गए निवल लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) में समूह का अंश भी शामिल है :

(करोड़ रूपए में)

संयुक्त उद्यम का नाम	निवल लाभ में समूह का अंश
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)	2.06

इन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना को अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक इन अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों के संबंध में राशियों तथा प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराओं (3) तथा (11) के संबंध में जहां तक वे उक्त अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित हैं, पूर्णतः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित हैं।

- ख) i) समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु निम्नलिखित अनुषंगी कंपनी, जिसके गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना कुल परिसंपत्तियों तथा निवल परिसंपत्तियों, कुल राजस्व तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु निवल नकदी प्रवाहों को दर्शाते हैं, उन्हें समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में निम्नवत लिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	कुल परिसंपत्तियां	निवल परिसंपत्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी आंतरिक प्रवाह/ बाहिर प्रवाह
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	20.83	3.46	0.04	0.20

- ii) समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु निम्नलिखित संयुक्त उद्यम, जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना गैर-लेखापरीक्षित है, के संबंध में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में विचार किए गए निवल हानि (अन्य व्यापक आय सहित) में समूह का अंश भी शामिल है :

(करोड़ रूपए में)

संयुक्त उद्यम का नाम	निवल लाभ में समूह का अंश
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	(2.13)

ये भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना गैर-लेखापरीक्षित है और इन्हें हमें धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक उक्त अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल राशि तथा प्रकटीकरणों के संबंध में है, और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के अनुरूप हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उक्त वर्णित अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूर्णतः प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित ऐसे गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना समूह के लिए भौतिक नहीं है।

भारतीय लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत और नीचे अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट उक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना के संबंध में संशोधित नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना

1- कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षानुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित अन्य गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर विचार करते हुए, हम लागू सीमा तक सूचित करते हैं कि :

- हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किये, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;
- हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ने उक्त वर्णित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;
- इस रिपोर्ट से संबंधित समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तनों से संबंधित समेकित विवरण, समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन हेतु रखी गई लेखा की संगत बहियों के अनुरूप है;
- हमारे मतानुसार, उक्त वर्णित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट और उसके अंतर्गत जारी किए गए संगत नियमों के साथ पढ़े जाने वाले भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करते हैं;
- एक सरकारी कंपनी होने के चलते कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुपालन में धारा 164 की उप धारा(2) के प्रावधान समूह और इसके संयुक्त उद्यमों पर लागू नहीं होते हैं।
- धारक कंपनी, इसकी भारत में अधिनिगमित अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में “अनुबंध-क” में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें;
- कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमें दी गई श्रेष्ठ जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा साथ ही साथ अनुषंगी कंपनी और संयुक्त उद्यम की वित्तीय सूचना पर विचार किए जाने के आधार पर, जिसे “अन्य मामले” पैराग्राफ में नोट किया गया है :
 - समूह और इसके संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लम्बित याचिकाओं के प्रभाव को समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है - देखें समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34, पैरा 2 और 16;
 - समूह और इसके संयुक्त उद्यमों ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर भौतिक पूर्वानुमान योग्य हानियों, यदि कोई हो, हेतु लागू विधि या भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षानुसार प्रावधान किए हैं।
 - समूह और इसके संयुक्त उद्यमों द्वारा निवेशक शिक्षा और बचाव निधि को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशियां के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी

(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045
(सुरेश सेठ)
भागीदार
सदस्यता सं. 010577

कृते रे एण्ड रे

(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 056359

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 09487एन
(रजत मेंगी)
भागीदार
सदस्यता सं. 089871

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 28 मई, 2018

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के शीर्षक “अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं” के अंतर्गत पैराग्राफ 1(च) में संदर्भित अनुबंध-क :-

कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** (जिसे एतदपश्चात “धारक कंपनी” कहा गया है) और इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा इसके संयुक्त उद्यमों, जो तदनुरूपी तिथि को भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी, अनुषंगी कंपनियां और इसके संयुक्त उद्यमों, जो भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, के संबंधित निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष प्रचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीति के साथ अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा चूक को रोकना तथा पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और कंपनी अधिनियम, के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से प्रस्तुत करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर एक मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट (“परामर्शी नोट”) और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार की है और इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक अधिनियम, की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित माना गया है, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी भौतिक संबंध में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाविधियां निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की एक समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी विद्यमान है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी से हुई हो अथवा त्रुटि से, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और नीचे दिए गए अन्य मामले पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्टों के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया करवाने के लिए पर्याप्त तथा उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक) सहित सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में एक तर्कसंगत आश्वासन मुहैया करवाने के लिए बनाया गया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां तथा प्रक्रियाविधियां शामिल होती हैं जो कि (1) ऐसे रिकार्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जिनमें तर्कसंगत रूप से ब्योरे के साथ, सटीकता तथा उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहार तथा स्थिति को दर्शाया गया हो; (2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देती हो कि दर्ज किए गए संव्यवहार सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप ही किए गए हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत खरीद, उपयोग अथवा निपटान का समय से पता लगाने तथा रोकने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन मुहैया कराती हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाओं में, नियंत्रणों से ऊपर साठ-गांठ या अनुचित प्रबंधन की संभाव्यता, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकना तथा जिसका पता नहीं भी चल सकता, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थितियों में बदलाव, के चलते अपर्याप्त हो सकती है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाविधियों के साथ अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार धारक कंपनी, अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यमों, जो भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, के पास सभी भौतिक पहलुओं के संबंध में एक पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और यह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2018 को प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड पर आधारित है।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत हमारी उक्त रिपोर्टों का जहाँ तक 2 अनुषंगी कंपनियों और 1 संयुक्त उद्यम का संबंध है, जो कि भारत में अधिनिगमित कंपनियां हैं, यह भारत में अधिनिगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुसूची रिपोर्टों पर आधारित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में अधिनियम की धारा, 143(3)(1) के अंतर्गत हमारी उक्त उल्लिखित रिपोर्ट जहाँ तक भारत में अधिनिगमित एक अनुषंगी कंपनी और एक संयुक्त उद्यम, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना गैर-लेखापरीक्षित है, के संबंध में और समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में हमारा मत प्रबंधन द्वारा वर्णन किए गए अनुसार प्रभावित नहीं होता है क्योंकि ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी समूह के लिए भौतिक नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों को संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (जेएसए) द्वारा सूचित "मामले पर बल" पर प्रबंधन का उत्तर

क्रम. सं.	मामला	प्रबंधन का उत्तर
(क)	समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2.2 का पैरा 2 जो परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के लिए किए गए व्यय के संबंध में है, उसके लिए या तो परिणाम के संबंध में अनिश्चितता अथवा विभिन्न प्राधिकारियों के साथ स्वीकृति लम्बित होने के चलते अग्रणीत किए जाने के कारण प्रावधान किया गया है।	(क) प्रबंधन के मतानुसार जिन परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय किया जा रहा है वे अभी सक्रिय हैं और तदनुसार, उन पर किए गए व्यय को अग्रणीत किया जा रहा है तथापि, जहां-कहीं आवश्यक समझा गया हो बहियों में प्रावधान किया गया है।
(ख)	समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34 पैरा 2, जो कंपनी द्वारा/इसके विरुद्ध संविदाकारों तथा अन्य के प्रति/के द्वारा दायर दावों/अधिनिर्णय कार्यवाहियों तथा कानूनी मुकदमों के परिणाम के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। कुछ मामलों में अधिनिर्णय का निर्णय कंपनी के विपरीत हुआ है/निचली अदालतों में कंपनी हार गई है और मामले को उच्चतर अदालतों में उठा रही है।	(ख) समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34 के पैरा 2 में प्रकटीकरण को भारतीय लेखांकन मानक-37 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां) के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है।
(ग)	समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 का पैरा 23क सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित है जहां बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध के चलते 16.12.2011 से स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप बाधित हैं और मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लम्बित है। इस परियोजना पर अतिरिक्त व्यय के संबंध में सृजित नियामक विलंबित लेखा शेष की भविष्य की वसूली कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित हो सकती है।	(ग) परियोजना के लिए किए जा रहे व्ययों के प्रति नियामक विलंबित लेखा शेष (परिसंपत्तियां) का सृजन और तदनुसूची नियामक आय को मान्यता दिया जाना भारतीय लेखांकन मानक 114 (नियामक विलंबित लेखे और आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पण (पूर्ववर्ती जीएएपी)) के अनुसार किया जा रहा है। प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि इस परिसंपत्ति ने वृद्धिशील वृद्धियों को लागू लेखांकन मानक के अनुसार ऐसी मान्यता हेतु अपेक्षित निश्चितता तथा विवेक के स्तर को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन के आकलन के अनुसार इसमें मान्यता दिए गए नियामक विलंबित लेखा शेष सहित परियोजना की परिसंपत्तियों की वहन राशि में कोई क्षति नहीं हुई है।

कृते एस एन धवन एण्ड कंपनी एलएलपी

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045

(सुरेश सेठ)

भागीदार

सदस्यता सं. 010577

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 28 मई, 2018

कृते रे एण्ड रे

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 301072ई

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)

भागीदार

सदस्यता सं. 056359

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 09487एन

(रजत मंगी)

भागीदार

सदस्यता सं. 089871

31 मार्च, 2018 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
परिसंपत्तियां			
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2.1	19,254.06	20,238.44
ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2	19,087.12	17,587.59
ग) निवेश संपत्ति	2.3	4.49	4.49
घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.4	1,918.69	1,984.20
ङ) इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित निवेश	2.5.1	621.47	500.57
च) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) निवेश	3.1	503.29	519.41
ii) प्राप्य व्यापार	3.2	306.57	275.82
iii) ऋण	3.3	360.41	381.87
iv) अन्य	3.4	5,844.95	6,186.62
च) गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	214.53	115.49
छ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	5	1,299.98	1,143.58
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		49,415.56	48,938.08
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) माल-सूची	6	104.68	100.80
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) प्राप्य व्यापार	7	1,346.04	1,854.01
ii) नकदी और नकदी तुल्य	8	20.54	73.57
iii) नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9	3,298.52	3,398.89
iv) ऋण	10	51.45	31.43
v) अन्य	11	2,168.09	2,238.17
ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	0.40	78.30
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	359.44	553.46
कुल परिसंपत्तियां		7,349.16	8,328.63
(3) नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14	3,622.91	2,910.42
कुल परिसंपत्तियां और नियामक लेखा डेबिट शेष		60,387.63	60,177.13
इक्विटी तथा देयताएं			
(1) इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	10,259.32	10,259.32
ख) अन्य इक्विटी	15.2	19,758.58	18,755.50
कुल इक्विटी		30,017.90	29,014.82
(2) गैर-नियंत्रणकारी हित	15.3	2,934.91	3,382.24
(3) देयताएं			
गैर-वर्तमान देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i) ऋण	16.1	16,728.20	17,245.64
ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2	39.87	25.84

31 मार्च, 2018 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र (क्रमशः)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
ख) प्रावधान	17	40.66	505.58
ग) विलंबित कर देयताएं (निवल)	18	1,710.87	1,665.29
घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	2,853.37	2,777.96
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		21,372.97	22,220.31
(4) वर्तमान देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i) ऋण	20.1	279.99	302.50
ii) देय व्यापार	20.2		
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		7.97	6.32
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय		175.81	151.27
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.3	2,832.26	2,575.67
ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21	754.86	791.62
ग) प्रावधान	22	2,003.85	1,732.38
घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	7.11	-
कुल वर्तमान देयताएं		6,061.85	5,559.76
कुल इक्विटी तथा देयताएं		60,387.63	60,177.13
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
वर्ष के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) जो प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का हिस्सा हो	32		
वित्तीय लिखत तथा जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण	33		
लेखे की अन्य विवरणात्मक टिप्पणियां	34		
टिप्पण 1 से 34 लेखे का निम्न भाग है			

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

बलराज जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

कृते अखिल भारतीय एलएलपी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते रे एड रे
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई

कृते अरोड़ा वोहरा एड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 09487एन

सुरेश सेठ
भागीदार
सदस्यता सं. 010577

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 056359

(रजत मंगी)
भागीदार
सदस्यता सं. 089871

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 28 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
i) सतत प्रचालनों से राजस्व	24.1	7,751.24	8,623.13
ii) अन्य आय	24.2	1,101.36	1,502.76
कुल आय		8,852.60	10,125.89
व्यय			
i) उत्पादन व्यय	25	721.18	775.15
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	26	1,708.06	1,678.07
iii) वित्त लागत	27	922.64	1,073.44
iv) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	1,479.10	1,461.75
v) अन्य व्यय	29	1,120.16	1,325.57
कुल व्यय		5,951.14	6,313.98
□साधारण मदों, दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर से पूर्व लाभ इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/ (हानि) का अंश	2.5.2	2,901.46 (0.08)	3,811.91 2.74
असाधारण मदें		-	-
कर पूर्व लाभ		2,901.38	3,814.65
कर व्यय	30		
i) वर्तमान कर		823.02	1,006.60
ii) आय कर हेतु समायोजन		(6.91)	(116.75)
iii) विलंबित कर		46.74	164.56
कुल कर व्यय		862.85	1,054.41
वर्ष हेतु नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में निवल संचलन से पूर्व लाभ		2,038.53	2,760.24
नियामक विलंब लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31	736.17	720.09
वर्ष हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष में निवल संचलन के पश्चात लाभ		2,774.70	3,480.33
सतत प्रचालनों से वर्ष हेतु लाभ (क)		2,774.70	3,480.33
अन्य व्यापक आय (ख)			
(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क) निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		45.26	(66.93)
घटाएं - निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आय कर		14.97	(23.16)
घटाएं - निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन		(14.01)	8.46
नियामक विलंबित लेख में संचलन - निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		(23.68)	9.05
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का अंश	2.5.3	0.01	-
उप जोड़ (क)		20.63	(43.18)
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश का उचित मूल्य		(7.30)	34.79
घटाएं - इक्विटी लिखत पर आय कर		-	-
उप जोड़ (ख)		(7.30)	34.79
कुल (1) = (क)+(ख)		13.33	(8.39)
(ii) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
ऋण लिखत पर निवेश		(9.09)	15.78
घटाएं - ऋण लिखत में निवेश पर आय कर		(2.12)	1.82
कुल (2)		(6.97)	13.96
अन्य व्यापक आय (ख) = (1+2)		6.36	5.57
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (क+ख)		2,781.06	3,485.90

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा विवरण (क्रमशः)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
निम्न को ☐ारोप्य लाभ :			
मूल कंपनी के स्वामी		2,503.90	3,029.42
गैर-नियंत्रक हित		270.80	450.91
		2,774.70	3,480.33
निम्न को ☐ारोप्य अन्य व्यापक आय :			
मूल कंपनी के स्वामी		6.13	6.59
गैर-नियंत्रक हित		0.23	(1.02)
		6.36	5.57
निम्न को ☐ारोप्य कुल व्यापक आय :			
मूल कंपनी के स्वामी		2,510.03	3,036.01
गैर-नियंत्रक हित		271.03	449.89
		2,781.06	3,485.90
निम्न से उत्पन्न ☐मूल कंपनी के स्वामी को ☐ारोप्य कुल व्यापक आय :			
मूल कंपनी के स्वामी		2,510.03	3,036.01
गैर-नियंत्रक हित		-	-
		2,510.03	3,036.01
नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में संचलन से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, 10 रुपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)			
मूल तथा तनुकृत		1.72	2.09
नियामक विलंबित लेखा शीर्ष में संचलन के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, 10 रुपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)			
मूल तथा तनुकृत		2.44	2.74
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
वर्ष के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) जो प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का हिस्सा हो	32		
वित्तीय लिखत तथा जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण	33		
लेखे की अन्य विवरणात्मक टिप्पणियां	34		
टिप्पण 1 से 34 लेखे का अभिन्न भाग है			

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक मंडल की ☐र से
महेश कुमार भित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

बलराज जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

कृते ☐स ☐क्षेत्र ☐ड कंपनी एलएलपी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045

सुरेश सेठ
भागीदार
सदस्यता सं. 010577

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते रे ☐ड रे
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 056359

कृते अरोड़ा वोहरा ☐ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 09487एन

(रजत मेंगी)
भागीदार
सदस्यता सं. 089871

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 28 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ	3,637.55	4,534.74
घटाएं : नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन	736.17	720.09
कर पूर्व लाभ	2,901.38	3,814.65
जोड़े :		
शेष	1,479.10	1,461.75
वित्त लागत (ईएसी का निवल)	922.64	1,073.44
प्रावधान (निवल हानि)	76.26	122.49
नियामक विलंबित लेखा शेष के प्रति व्यय (वित्त तथा मूल्यहास का निवल)	397.94	347.80
कर समायोजन (हानि)	86.26	134.17
एफईआरई के कारण बिक्री समायोजन	66.37	51.81
	3,028.57	3,191.46
	5,929.95	7,006.11
घटाएं :		
पश्च लेखित मूल्यहास के प्रति अग्रिम	60.68	60.68
प्रावधान (निवल लाभ)	87.08	66.82
निवेश की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	-	6.54
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि की वसूली	6.85	(1.82)
लाभांश आय	3.60	3.00
ब्याज आय	413.78	663.74
विनिमय दर अंतर	(2.88)	4.05
अन्य समायोजन	(1.38)	(0.01)
उचित मूल्य समायोजन	(3.93)	(4.00)
सरकारी अनुदानों का परिशोधन	79.20	77.93
संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का अंश (इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित)	(0.08)	2.74
	642.92	879.67
	5,287.03	6,126.44
प्रचालनशील परिसंपत्तियों तथा देयताओं के समायोजन से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों का नकदी प्रवाह		
प्रचालनशील परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन		
माल-सूची	(4.08)	(8.41)
प्राप्य व्यापार	850.15	(167.45)
वर्तमान और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	(233.52)	3,224.11
देय व्यापार/अन्य देयताएं	28.37	236.59
	640.92	3,284.84
कर पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	5,927.95	9,411.28
घटाएं : कर	830.14	1,082.12
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	5,097.81	8,329.16
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित) - निवल	(1,567.25)	(1,586.99)
नियामक विलंबित लेखा शेष में परिवर्तन	(397.94)	(347.81)
निवेश/बॉण्ड हेतु वसूली/ (भुगतान)	382.98	(266.71)
संयुक्त उद्यम में निवेश	(122.36)	(365.37)
लाभांश आय	3.60	3.00
ब्याज आय	413.06	699.40
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ख)	(1,287.91)	(1,864.48)
ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद (प्रीमियम भुगतान सहित)	-	(2,625.93)
लाभांश और अदा किए गए लाभांश पर कर (गैर-नियंत्रक हितों सहित)	(2,231.03)	(3,273.73)
ऋण	4,354.99	2,804.50
ऋण की चुकोती	(4,855.88)	(3,338.37)
ब्याज तथा वित्त प्रभार	(1,143.98)	(1,391.18)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
प्राप्त सरकारी अनुदान	12.97	13.08
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	(3,862.93)	(7,811.63)
घ. नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	(53.03)	(1,346.95)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य	73.57	1,420.52
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	20.54	73.57

नकदी प्रवाह के विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- नकदी तथा नकदी तुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट तथा बैंक शेष शामिल है जिसमें तीन माह से कम के मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा को भी शामिल किया गया है। तुलन पत्र की टिप्पणी 8 के अनुसार नकदी तथा नकदी तुल्य का ब्यौरा निम्नवत है :

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
नकदी तथा नकदी-तुल्य	20.54	73.57

नकदी तथा नकदी तुल्य में निम्नलिखित शामिल है :-

- 0.22 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 7.74 करोड़ रुपये) शामिल है जो अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों हेतु धारित हैं।
- वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह में ब्याज तथा वित्त प्रभार में अवधि के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण अवधि के दौरान पूंजीकृत 388.71 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 386.81 करोड़ रुपये) की ऋण लागत और अवधि के दौरान सृजित नियामक विलंब लेखे हेतु 331.39 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 365.32 करोड़ रुपये) की राशि शामिल है।
- 31.3.2018 को लिए न गए ऋण की राशि - शून्य करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 66.28 करोड़ रुपये) का अधीनस्थ ऋण।

4 निवल ऋण मिला

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
नकदी और नकदी तुल्य	20.54	73.57
वर्तमान ऋण	(280.00)	(303.01)
गैर-वर्तमान ऋण	(18,894.59)	(19,352.28)
गैर ऋण	(19,154.05)	(19,581.72)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	अन्य परिसंपत्तियां		वित्त-पोषण क्रियाकलापों से देयताएं	
	नकदी और नकदी तुल्य	गैर-वर्तमान ऋण	वर्तमान ऋण	कुल
31 मार्च, 2017 को निवल ऋण	73.57	(19,352.28)	(303.01)	(19,581.72)
नकदी प्रवाह	(53.03)	478.38	22.51	447.86
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	(71.65)	-	(71.65)
ब्याज व्यय	-	(1,252.62)	(4.55)	(1,257.17)
अदा किया गया ब्याज	-	1,108.19	5.05	1,113.24
उचित मूल्य समायोजन	-	195.39	-	195.39
31 मार्च, 2018 को निवल ऋण	20.54	(18,894.59)	(280.00)	(19,154.05)

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

बलराज जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते सौ. अशोक कुमार एड कंपनी एलएलपी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045

सुरेश सेठ

भागीदार
सदस्यता सं. 010577

कृते रे. एड रे

(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)

भागीदार
सदस्यता सं. 056359

कृते अरोड़ा वोहरा एड कंपनी

(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 09487एन

(रजत मंगी)

भागीदार
सदस्यता सं. 089871

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 28 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ ₹)
1 अप्रैल, 2017 के अंत	15.1	10,259.32
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च, 2018 के अंत	15.1	10,259.32

ख. अन्य इक्विटी

इक्विटी धारकों को	अन्य व्यापक आय	कुल	पैर-नियंत्रक हिस्सेदारों के पश्चात कुल
पूँजी मोचन आरक्षित	प्रतिधारित आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आरक्षित
आरक्षित	आरक्षित	आरक्षित	आरक्षित
2,041.42	242.81	1,609.27	24.31
1 अप्रैल, 2017 को शेष	60.87	10,224.43	4,417.63
वर्ष हेतु लाभ	-	-	2,503.90
अन्य व्यापक आय	-	-	(7.30)
कुल व्यापक आय	-	-	20.40
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	2,524.30
अन्य समायोजन	0.02	-	-
प्रतिधारित आय को अंतरित	-	-	-
बॉण्ड मोचन आरक्षित से पश्च लेखित राशि	(148.17)	-	148.17
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पश्च लेखित राशि	(1.04)	-	0.53
स्व-बोना निधि से पश्च लेखित राशि	(43.90)	-	-
अनुसंधान एवं विकास निधि से पश्चलेखित राशि	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	-	-	-
लाभान्श पर कर	-	-	-
बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	-	-	-
स्व बोना निधि को अंतरण	-	-	-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि को अंतरित अनुसंधान और विकास निधि को अंतरण	-	-	-
31 मार्च, 2018 को कुल	2,041.42	242.81	2,129.55
	16.97	10,224.43	4,959.62
	27.71	19,758.58	2,934.91
			22,693.49

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते जे एलएलपी
(संनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एम500045

कुरेश सेठ

भागीदार

सदस्यता सं. 010577

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 28 मई, 2018

कृते एवं निदेशक मंडल की सं. से

महेश कुमार भित्तल
निदेशक (वित्त)

डीआईएन : 02889021

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते से एलएलपी

(संनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 301072ई

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)

भागीदार

सदस्यता सं. 056359

बलराज जोशी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 07449990

कृते अरोड़ा वोहरा एड कंपनी

(संनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण सं. 09487एन

(रजत मेंी)

भागीदार

सदस्यता सं. 089871

31 मार्च, 2018 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ ₹ में)
1 अप्रैल, 2016 के अंत	15.1	11,070.67
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	15.1	(811.35)
31 मार्च, 2017 के अंत	15.1	10,259.32

ख. अन्य इक्विटी

इक्विटी धारकों को	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय				कुल	गैर-नियंत्रित हिस्सेदारों के पश्चात कुल आय	(करोड़ रुपये में)
	पूंजी मोचन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड मोचन आरक्षित	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	समाप्ति एवं विकास निधि	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/प्रतिभूति के माध्यम से अर्जन	इक्विटी लिखत			
1 अप्रैल, 2016 को शेष	1,230.07	2,888.74	1,324.20	17.26	45.52	10,224.43	4,775.81	65.29	20,572.04	3,188.10	23,760.14
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	-	-	3,029.42	-	3,029.42	450.91	3,480.33
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	(42.15)	34.79	6.60	(1.02)	5.58
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	2,987.27	34.79	3,036.02	449.89	3,485.91
प्रतिभूति प्रीमियम से अंतरित	811.35	(811.35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनः खरीद हेतु उपयोग	-	(1,805.25)	-	-	-	-	-	-	(1,805.25)	-	(1,805.25)
पुनः खरीद व्यय के संबंध में उपयोग (निवल)	-	(9.33)	-	-	-	-	-	-	(9.33)	-	(9.33)
प्रतिभूति आय को अंतरित	-	-	(109.42)	-	-	-	109.42	-	-	-	-
बॉण्ड मोचन आरक्षित से पश्च लेखित राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूति अर्जन से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश पर कर	-	-	-	-	-	-	(2,524.13)	-	(2,524.13)	(195.87)	(2,720.00)
बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	-	-	-	-	-	-	(513.85)	-	(513.85)	(39.88)	(553.73)
कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि को अंतरित	-	-	394.49	-	-	-	(394.49)	-	-	-	-
अनुसंधान और विकास निधि को अंतरण	-	-	-	7.05	-	-	(7.05)	-	-	-	-
31 मार्च, 2017 को कुल	2,041.42	242.81	1,609.27	24.31	60.87	10,224.43	4,417.63	100.08	18,755.50	3,382.24	22,137.74

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते अमर एंड कंपनी एलएलपी
(संनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045

कुरेश सेठ
भागीदार
सदस्यता सं. 010577

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 28 मई, 2018

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
महेश कुमार मित्तल
निदेशक (पितृ)
डीआईएन : 02889021

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
(संनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 056359

बलराज जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

कृते अरोड़ा बोहरा एंड कंपनी
(संनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 09487एन
(रजत मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 089871

टिप्पणी संख्या - 1 : समूह सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(i) रिपोर्टिंग निकाय

एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") भारत में अधिवासित तथा शेयरों द्वारा सीमित एक कंपनी है। कंपनी के शेयरों की भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई लिमिटेड में सार्वजनिक रूप से बिक्री-खरीद की जाती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33 फरीदाबाद, हरियाणा - 121003 है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों (जिन्हें एक साथ "समूह" कहा गया है) के वित्तीय विवरण तथा संयुक्त उद्यमों में समूह के हित शामिल हैं। समूह मुख्यतः बल्क विद्युत के उत्पादन तथा विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं को इसकी बिक्री में रत है। अन्य व्यापार में परामर्श प्रदान करना तथा परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षक शामिल है। समूह के समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 28 मई, 2018 को जारी किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया है।

ii) तैयार करके का आधार

(क) अनुपालन का कथन

इन समेकित वित्तीय विवरणों को लेखांकन के प्रोदभवन आधार पर तैयार किया गया है सिवाय नकदी प्रवाह के विवरण के और ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) तथा तत्संबंधी परवर्ती संशोधनों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

(ख) मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं हेतु जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है :

- वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
- निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजनागत परिसंपत्तियां।

उचित मूल्यों के मापन हेतु प्रयुक्त पद्धतियों पर टिप्पणी 33 में चर्चा की गई है।

(ग) कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

इन समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा है। समूह की वित्तीय सूचना को भारतीय राष्ट्रीय रुपये में प्रस्तुत किया है और निकटतम करोड़ रुपये (2 दशमलव तक) तक इसे पूर्णांकित किया गया है।

(घ) समेकन के आधार

क) अनुषंगी कंपनियां

- अनुषंगी कंपनी एक ऐसा निकाय होता है जिस पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी निकाय को तब नियंत्रित करता है जब समूह के निकाय के साथ शामिल होने से इसके प्रतिफल परिवर्तनशील होते हों या उन पर इसका अधिकार हो तथा उसके पास निकाय के संगत क्रियाकलापों को निर्देशित करने की शक्ति के माध्यम से उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता हो। अनुषंगी कंपनियां, समूह को नियंत्रण अंतरित किए जाने की तिथि से पूर्णतः समेकित की जाती हैं।
- समूह मूल कंपनी तथा इसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को लाइन-दर-लाइन आधार पर एकीकृत करता है जिसमें परिसंपत्ति, देयताओं, इक्विटी, आय तथा व्यय की समान मदों को एक साथ जोड़ा जाता है। प्रत्येक अनुषंगी कंपनी में मूल कंपनी के निवेश की वहन राशि और प्रत्येक अनुषंगी कंपनी में मूल कंपनी के इक्विटी अंश को समाप्त किया जाता है। अंतर-कंपनी संव्यवहार, शेष तथा समूह कंपनियों के मध्य संव्यवहार पर वसूल न किए गए लाभों को समाप्त किया जाता है। वसूल न की गई हानियों को भी समाप्त किया जाता है जब तक कि संव्यवहार में अंतरित परिसंपत्ति के क्षति का साक्ष्य मौजूद न हो। अनुषंगी कंपनियों की लेखांकन नीतियां समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूप होती हैं।
- गैर-नियंत्रक हितों को अधिग्रहण की तिथि को प्राप्तकर्ता की निवल पहचान योग्य आस्तियों में उनके अनुपातिक अंश पर मापा जाता है। परिणामों में गैर-नियंत्रित हित और अनुषंगी कंपनियों की इक्विटी को समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण में अलग से दर्शाया जाता है।
- नियंत्रण की समाप्ति के बिना किसी अनुषंगी कंपनियों में स्वामित्व हित में परिवर्तन को एक इक्विटी संव्यवहार के रूप में लेखांकित किया जाता है।
- यदि समूह किसी अनुषंगी कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो यह परिसंपत्तियों, देयताओं, किसी गैर-नियंत्रित हितों की वहन राशि और इक्विटी में दर्ज संघित परिवर्तन अंतरों को विमान्य कर देता है।

ख) संयुक्त उद्यम

- i) संयुक्त उद्यम एक ऐसी संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण होने वाले पक्षों के पास व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों के अधिकार होते हैं। संयुक्त उद्यमों में हितों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्रदान की जाती है और तत्पश्चात उन्हें इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है।
- ii) लेखांकन की इक्विटी पद्धति के अंतर्गत निवेश को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात अधिग्रहण-पश्च लाभों या हानियों तथा निवेश किए गए निकाय की अन्य व्यापक आय में समूह के अंश को समूह के लाभ एवं हानि विवरण तथा अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की जाती है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभान्शों को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- iii) जब संयुक्त उद्यम में हानियों का समूह का अंश निकाय में इसके निवेश के समान या उससे अधिक हो जाता है, किसी अन्य अप्रतिभूत दीर्घावधि प्राप्य सहित, तो समूह आगे हानियों को तब तक मान्यता नहीं देता जब तक कि इसने संयुक्त उद्यम की ओर से बाध्यताएं वहन की हो या भुगतान किए हों।
- iv) समूह तथा इसके संयुक्त उद्यमों के मध्य संव्यवहार पर प्राप्त न किए गए लाभों का इन निकायों में समूह के हित की सीमा तक समाप्त किया जाता है। प्राप्त न की गई हानियों को भी समाप्त किया जाता है जब तक कि संव्यवहार में अंतरित परिसंपत्ति की क्षति का कोई साक्ष्य मौजूद हो। जहां संयुक्त उद्यम की लेखांकन नीतियां समूह से भिन्न हैं, समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों में समान संव्यवहारों तथा घटनाओं हेतु उचित समायोजन किए जाते हैं।
- v) संयुक्त उद्यम ने कम किए गए हित पर उत्पन्न होने वाली किसी कमी के संबंध में किसी लाभ अथवा हानि, परन्तु संयुक्त नियंत्रण अभी भी बना हुआ है, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।
- vi) जब निवेश संयुक्त उद्यम नहीं रहता है और प्रतिधारित हित एक वित्तीय परिसंपत्ति है, तो समूह प्रतिधारित हित का मापन एक उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई वहन राशि में परिवर्तन के साथ करता है। प्रतिधारित हित का उचित मूल्य एक संबद्ध अथवा किसी वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रतिधारित हित हेतु लेखांकन के प्रयोजन हेतु प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले मान्यता दी गई किसी राशि को लाभ एवं हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

ड) अनुमानों तथा प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा ऐसे निर्णय, अनुमान तथा मान्यताओं को लेना अपेक्षित होता है जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और तुलन-पत्र तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं सहित संबंधित प्रकटीकरणों के सूचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हों। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान तथा आधारभूत मान्यताओं की समीक्षा एक चालू आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिनमें अनुमानों को सशोधित किया जाए।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि करने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमानों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में जानकारी जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उसे निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है :

महत्वपूर्ण निर्णय तथा अनुमान

क) यह निर्धारित कर कि क्या किसी व्यवस्था में कोई पट्टा शामिल है

परिशिष्ट-ग, भारतीय लेखांकन मानक 17 “यह निर्धारित करना कि क्या किसी व्यवस्था में कोई पट्टा शामिल है” में इसका एक आकलन अपेक्षित होता है कि :

- व्यवस्था की पूर्ति किसी विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर है; और
- व्यवस्था में परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, किसी व्यवस्था में परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार संप्रेषित होता है और यदि तथ्य तथा परिस्थितियां यह इंगित करें कि इसका अंदेशा है कि खरीददार के अतिरिक्त कोई एक या अधिक पक्ष उत्पादन अथवा व्यवस्था की अवधि के दौरान परिसंपत्ति द्वारा उत्पादित या उत्पन्न किसी अन्य उपयोगिता की एक नगण्य मात्रा से अधिक ले जाएंगे, और खरीददार द्वारा उत्पादन हेतु भुगतान किया जाने वाला मूल्य न तो उत्पादन के प्रति यूनिट पर संविदात्मक रूप से निर्धारित है और न ही उत्पादन की डिलीवरी के समय उत्पादन के प्रति यूनिट वर्तमान बाजार मूल्य के समान है।

समूह लाभग्राहियों के साथ विद्युत क्रय समझौते करता है। विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) किसी एकल लाभग्राही के साथ सन्निहित पट्टे की प्रकृति के होते हैं जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल के एक प्रमुख हिस्से हेतु होती है तथा न्यूनतम पट्टा भुगतान राशि संयंत्र के समूचे उचित मूल्य को व्यापक रूप से कवर करने के लिए वित्त पट्टे के रूप में मानी जाती है। अन्य सन्निहित पट्टों को प्रचालन पट्टे माना जाता है।

वित्त पट्टे की प्रकृति वाले सन्निहित पट्टे में संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों में से निहित पट्टा भुगतान को पृथक करके की जाती है। प्रत्येक पट्टा रसीद को प्राप्य तथा वित्त पट्टा आय के मध्य आवंटित किया जाता है ताकि प्राप्य बकाया पट्टे पर प्रतिफल की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

प्रचालन पट्टों अथवा निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को पट्टा अवधि पर एक सीधी रेखा आधार पर राजस्व में मान्यता दी जाती है। संबंधित पट्टा परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है।

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का उपयोगी जीवनकाल

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अप्रचलन के प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारक (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय खोजें) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रख-रखाव व्यय के स्तर शामिल होते हैं।

विद्युत के उत्पादन हेतु प्रयुक्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 के भाग-ख में यथा उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है सिवाय निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरणों हेतु जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-2 के अनुरूप और मोबाइल फोन जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार हैं।

ग) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की प्राप्ति योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य और अमूर्त परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य राशि अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित होती है, विशेष रूप से विद्युत संयंत्रों से संबद्ध प्रत्याशित बाजार परिदृश्य तथा भविष्य के नकदी प्रवाहों के मामले में। इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का प्राप्ति योग्य राशि के मापन में भौतिक प्रभाव होगा जो क्षति में परिणत होगा।

घ) सेवानिवृत्ति पश्च लाभ योजनाएं

कर्मचारी लाभ बाध्यताओं को बीमांकित मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु तथा छोड़ देने की दर और साथ ही साथ छूट दरों में भविष्य के घटनाक्रम, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित दर संबंधी मान्यताएं शामिल हैं। समूह यह मानता है कि इसकी बाध्यताओं के मापन हेतु प्रयुक्त मान्यताएं उचित तथा प्रलेखित हैं। तथापि, इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर प्रभाव हो सकता है।

ङ) राजस्व

भारतीय लेखांकन मानक 18 के सिद्धांतों के अनुसार समूह विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर दर्ज करता है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दरों को अभी अनुमोदित किया जाना है, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरों को अपनाया जाता है।

च) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं की मान्यता में किए गए आकलनों को भारतीय लेखांकन मानक 37 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों” के अनुसार किया गया है। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभाव्य प्रवाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए श्रेष्ठ निर्णय के आधार पर किया गया है। ऐसे अनुमानन अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकते हैं।

छ) दर विनियमित परिसंपत्तियों की प्राप्ति योग्य राशि

समूह के प्रचालन क्रियाकलाप सेवा की लागत विनियमों के अधीन है जिसके द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु प्रभारित टैरिफ ब्याज लागत, मूल्यहास, एक निर्धारित प्रतिफल सहित प्रचालन तथा अनुरक्षण जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होते हैं। आईसीएआई द्वारा जारी दर नियंत्रित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट (पिछला जीएपी) और भारतीय लेखांकन मानक 114 “विनियामक विलंबित लेखे” किसी निकाय को दर आधार में, स्व-निर्मित (मूर्त) अचल परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में, ऐसी राशियां शामिल करने की अनुमति देते हैं जिन्हें अन्यता भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। समूह अनुमान लगाता है कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई विनियामक विलंबित लेखे की मदें वर्तमान सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2014-19 के अनुसार हैं। तथापि, वर्तमान टैरिफ अवधि से अधिक सीईआरसी टैरिफ विनियमों में परिवर्तन ऐसे शेष की वसूल किए जाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

ज) प्राप्य व्यापार की क्षति

प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए समूह लाभग्राहियों से प्राप्य मूल्य में क्षति अथवा प्राप्य व्यापारों की वसूली में विलंब के चलते राशि के समय मूल्य में हानि की परिकल्पना नहीं करता है, सिवाय पहले से प्रावधान किए गए की सीमा तक।

झ) संयुक्त उद्यमों में निवेश

निवेश लागत पर किया गया है और समूह के आकलन के अनुसार ऐसे निवेशों में क्षति का कोई संकेत नहीं है। मान्यता में किसी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के मापन पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

ञ) प्राप्य बीमा दावा

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को क्षति के संबंध में बीमा दावे की प्राप्य राशि बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित है।

(iii) **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां** - समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार नीचे दिए गए अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सतत तरीके से लागू किया गया है।

1.0 संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण [पीपीई]

- क) 31 मार्च, 2015 तक संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया है। समूह ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि (अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 “भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना” द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।
- ख) पीपीई की किसी मद को तब एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है यदि यह संभावना हो कि मद के साथ संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकेगा।
- ग) पीपीई को प्रारंभ में जहां-कहीं अपेक्षित हो समाप्त किए जाने की लागत अथवा बाहरी लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर लिया जाता है। लागत में वह राशि शामिल होती है जो सीधे परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर आरोप्य हो। ऐसे मामलों में जहां संविदाकार के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, परन्तु परिसंपत्ति पूर्ण है तथा उपयोग हेतु उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर आवश्यक समायोजनों के अधीन किया जाता है, जिसमें माध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटान से उत्पन्न होने वाले भी शामिल हैं।
- घ) पावर स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर पीपीई के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय जो विद्यमान परिसंपत्ति के वृद्धित जीवन और/अथवा दक्षता में परिणत होते हों, उन्हें संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। विद्यमान परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटाई गई इसकी तदनुसूची प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है।
- ङ) प्रारंभिक मान्यता के पश्चात् संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को संचित मूल्यहास/परिशोधन तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, कम लागत पर वहन किया जाता है।
- च) कब्जे में होने वाली भूमि से संबंधित मुआवजे (निर्णय की तिथि तक अदालत द्वारा दिए गए वृद्धित मुआवजे पर ब्याज सहित), पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं संबंधी व्यय सहित अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत माना जाता है।
- छ) समूह का नियंत्रण होने वाली परिसंपत्तियां, भले ही समूह का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर सृजित की गई हों, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।
- ज) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मान्यता मानदंड को पूरा करने वाले अतिरिक्त उपकरण तथा सेवा उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है।
- झ) मान्यता मानदण्ड को पूरा करने वाले कलपुर्जे (संयंत्र तथा मशीनरी के साथ अथवा बाद में खरीदे गए) को पूंजीकृत किया जाता है। उन कलपुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, को विमान्य किया जाता है जब उनके उपयोग अथवा निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हों। माल-सूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जों को भंडार तथा कलपुर्जे माना जाता है।
- ञ) यदि प्रतिस्थापित पुर्जे की लागत या पहले का निरीक्षण उपलब्ध नहीं है तो समान नए पुर्जे की अनुमानित लागत/निरीक्षण को विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण घटक की लागत के एक संकेत के रूप में लिया जाता है, जब मद को अधिगृहीत किया गया हो या उसका निरीक्षण किया गया हो।
- ट) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य का कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाली किसी लाभ या हानि (जिसकी गणना परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्ति तथा वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.0 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

- क) 31 मार्च, 2015 तक प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया था। समूह ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि (अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 “भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना” द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

- ख) निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क तथा अप्रतिदेय करों सहित परिसंपत्तियों का खरीद मूल्य (व्यापार छूट तथा अन्य छूट की कटौती के पश्चात), परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच क्रियाकलापों के संबंध में व्यय, स्थल तैयार किए जाने की लागत, प्रारंभिक डिलीवरी तथा हैण्डलिंग प्रभार, स्थापन तथा असेम्बली लागतें आदि शामिल होती हैं।
- ग) लागतों में कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, आम जन सुविधाओं के रख-रखाव तथा उन्नयन पर किया गया व्यय, परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास, निर्माण के दौरान ब्याज तथा परिसंपत्ति को स्थल पर लाने तथा प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से प्रचालन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सीधे आरोप्य अन्य लागतों को “निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)” के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा बाद में परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।
- घ) सुविधाओं के सृजन पर किया गया पूंजीगत व्यय, जिन पर समूह का नियंत्रण नहीं है, परन्तु जिनका सृजन परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक है, उन्हें “निर्माण को आरोप्य व्यय” के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा “प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य” के अंतर्गत वहन किया जाता है और बाद में भारतीय लेखांकन मानक 16-“संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण” में “आरोप्यता” और “मापन की इकाई” को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। परियोजना की पूर्णता के पश्चात किया गया ऐसी प्रकृति का व्यय लाभ एवं हानि विवरण को प्रभावित किया जाता है।

3.0 निवेश संपत्ति

31 मार्च, 2015 तक निवेश संपत्ति को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया था। समूह ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि (अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 “भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना” द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में संव्यवहार लागत सहित लागत तक मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, निवेश संपत्तियों को लागत पर घटा संचित मूल्यहास तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

निवेश संपत्तियों को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान अथवा उपयोग से स्थायी रूप से हटा लिए जाने तथा उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर को विमान्य किए जाने की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

निवेश संपत्ति से अथवा उसे अंतरण केवल तब ही किया जाता है जब उपयोग में कोई परिवर्तन हो।

4.0 अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

क) 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसंपत्तियों को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया था। समूह ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि (अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 “भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना” द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है।

ख) अलग से अधिगृहीत की गई अमूर्तपरिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात अमूर्त परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन तथा संचित हानियों से घटाई गई लागत पर वहन किया जाता है।

ग) राज्य सरकार से उपयोग हेतु ली गई भूमि (स्वामित्व के अंतरण के बिना) और राहत तथा पुनर्वास संबंधी व्यय तथा भू-वंचितों हेतु वैकल्पिक सुविधाओं के अथवा जलमग्न होने वाली विद्यमान सुविधाओं के एवज में सृजन तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के प्रयोजन हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट पूर्व शर्त है, उन्हें उपयोग हेतु भूमि अधिकार के रूप में लेखांकित किया जाता है।

घ) आंतरिक उपयोग हेतु खरीदा गया सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग न होने वाला) अधिग्रहण की लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति हानि, यदि कोई हो, पर बताया जाता है।

ङ) निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में आर्थिक लाभ की प्रत्याशा न होने वाली अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानियों को निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है और उसे परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.0 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारक प्रारंभ में मान्यता हेतु पहले अर्हक होने वाली संव्यवहार की तिथि पर वित्तीय मुद्रा स्पॉट दर पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों को उस तिथि को विद्यमान क्रियात्मक मुद्रा विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ख) 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व किए गए संव्यवहार से उत्पन्न होने वाले संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/ प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के संबंध में विनिमय अंतरों को संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/ प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की वहन लागत पर समायोजित किया जाता है।

- ग) 31 मार्च, 2016 से पूर्व विदेशी मुद्रा ऋण के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधियों में लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय हैं, उन्हें “विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्राप्य/देय लेखा” के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे इन्हें वसूल/अदा किया जाना है।
- घ) 1.4.2016 को अथवा उसके पश्चात की गई विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली विनिमय अंतरों को लाभार्थियों से प्राप्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक निर्माण अवधि के दौरान “विनियामक विलंबित लेखा शेष” के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष में इन्हें लाभार्थियों से वसूल अथवा उन्हें अदा किया जाना है।
- ङ) किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

6.0 विनियामक विलंबित लेखे

- क) जहां परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान व्यय किए गए खर्चों की किसी मद को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात् भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार संगत पीपीई के लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं होती, परन्तु फिर भी इसे सीईआरसी द्वारा भविष्य में टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, उक्त की वसूली के अधिकार को “विनियामक विलंबित लेखा शेष” के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए व्यय/आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार “विनियामक विलंबित लेखा शीर्ष” के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ग) इन विनियामक विलंबित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें ये लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हैं।
- घ) विनियामक विलंबित लेखा शेषों का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि निहित क्रियाकलाप मान्यता मानदण्ड को पूरा करते हों और यह संभावना हो कि ऐसे शेषों से संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदण्ड पूरे नहीं होते हैं तो विनियामक विलंबित लेखा शेषों को विमान्य किया जाता है।
- ङ) विनियामक विलंबित लेखा शेषों की प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर क्षति हेतु जांच की जाती है।

7.0 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के मध्य एक व्यवस्थित लेन-देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री करने पर मिलेगा या किसी देयता के अंतरण पर अदा किया जाएगा। सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता पर लेन-देन मूल्य उचित मूल्य का श्रेष्ठ उदाहरण होता है।

तथापि, जब समूह यह निर्धारित करता है कि लेन-देन मूल्य उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करता, यह अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में समुचित हों तथा जिसके लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त डाटा उपलब्ध हो, जो संगत मापन योग्य आदानों के उपयोग को अधिकतम कर सके तथा मापन योग्य न होने वाले आदानों के उपयोग को न्यूनतम कर सके।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन अथवा प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है, उन्हें उचित मूल्य तंत्र के भीतर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह श्रेणीकरण आदान के उस निम्नतम स्तर पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है-

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने पर महत्वपूर्ण है।
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है, मापा नहीं जा सकता।

वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं जिन्हें आवृत्ति आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, उनके लिए समूह यह निर्धारित करता है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण के पुनः आकलन द्वारा क्रम में स्तरों के मध्य उत्पन्न हुए हैं अथवा नहीं।

8.0 संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर वहन किया जाता है।

9.0 संयुक्त उद्यमों में निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ नकदी, किसी अन्य निकाय की इक्विटी लिखत अथवा नकदी या अन्य कोई वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने की संविदात्मक बाध्यता अथवा वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान-प्रदान ऐसी स्थितियों के अंतर्गत किया जाना शामिल होता है जो संभाव्य रूप से समूह के पक्ष में होती है। वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब ही मान्यता दी जाती है जब समूह लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

समूह की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी तथा नकदी तुल्य, बैंक शेष, कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश, प्राप्य व्यापार, कर्मचारियों/संविदाकारों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, प्राप्य दावे आदि शामिल होते हैं।

क) वर्गीकरण

समूह अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है -

- परिशोधित लागत पर,
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर, और

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है :

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु निकाय का व्यापार मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों हेतु लाभ तथा हानियां या तो लाभ एवं हानि के विवरण अथवा अन्य व्यापक आय में दर्ज की जाएंगी। ऋण लिखत में निवेश हेतु यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश धारित है। इक्विटी लिखत में निवेश हेतु यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश हेतु लेखे को प्रारंभिक मान्यता के समय कोई वापिस न लिया जा सकने वाला चयन किया है।

ख) प्रारंभिक मान्यता और मापन

प्राप्य व्यापार के सिवाय सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न किए जाने के मामले में वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद पर आरोप्य होने वाली लेन-देन लागत पर मान्यता दी जाती है।

समूह अपने लेन-देन मूल्य पर प्राप्य व्यापारों को मापता है, यदि प्राप्य व्यापारों ने कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं हो तो।

ग) बाद का मापन

परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

किसी “ऋण लिखत” को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां पूरी होती हों :

- परिसंपत्ति एक ऐसे व्यापार मॉडल के मध्य भारित है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण हेतु परिसंपत्तियों को धारित करना है, और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल बकाया मूलधन पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) हो।

प्रारंभिक मापन के पश्चात, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता हो। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षति से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण लिखत

किसी “ऋण लिखत” को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित में से दोनों मानदण्ड पूरे होते हों :

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों से प्राप्त होता हो, और
- परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह मूल धन और ब्याज के एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) को प्रदर्शित करता हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत का मापन उनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान की जाती है। तथापि, समूह ब्याज आय, क्षति हानियों, वापिसी और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता देता है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान किए गए संचित लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ तथा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को एफआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

इक्विटी निवेश

अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त निकायों में सभी इक्विटी निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार हेतु धारित इक्विटी लिखत, यदि कोई हो, को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य भी इक्विटी लिखत हेतु, समूह उक्त को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करता है। समूह लिखत-दर-लिखत आधार पर ऐसा चयन करता है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और इसे वापिस नहीं लिया जा सकता है।

इक्विटी लिखत में एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। लाभ एवं हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ तथा हानियों में आगे कोई पुनःवर्गीकरण नहीं होता है। तथापि, समूह इक्विटी के भीतर संचित लाभ या हानि को अंतरित कर सकता है। ऐसे निवेश से लाभांश को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय के रूप में तब मान्यता प्रदान की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का समूह का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखत, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया हो।

प्राप्य व्यापार :

प्राप्य व्यापार कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल होता है जिसे बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

घ) विमान्य किया जा

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब विमान्य किया जाता है जब :

- समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अंतरित कर दिया है, अथवा
- वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रखता है, परन्तु एक अथवा अधिक प्राप्तिकर्ताओं को नकदी प्रवाह के भुगतान की संविदात्मक बाध्यता ले लेता है।

जहां निकाय ने किसी परिसंपत्ति को अंतरित किया है, समूह यह मूल्यांकन करता है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित कर दिया है या नहीं। ऐसे मामलों में वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित नहीं किया है, वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य नहीं किया जाता है।

जहां समूह ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को न तो अंतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से अंतरित किया है, समूह द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण न रखे जाने पर उस वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखा है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में सतत भागीदारी की सीमा तक मान्यता प्रदान किया जाना जारी रहता है।

ड) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, समूह निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि के मापन तथा मान्यता हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करता है -

- वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण लिखत हैं, और जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।
- वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण लिखत हैं, और जिन्हें एफवीटीपीएल पर मापा जाता है।
- भारतीय लेखांकन मानक 11, निर्माण संविदाएं के अंतर्गत संविदा परिसंपत्तियां
- भारतीय लेखांकन मानक 17, पट्टे के अंतर्गत प्राप्य पट्टे
- भारतीय लेखांकन मानक 18, राजस्व के अंतर्गत प्राप्य व्यापार

समूह भारतीय लेखांकन मानक 11, इंड एस 17 और इंड एस 18 के स्कोप के भीतर होने वाले संव्यवहारों से परिणत होने वाली संविदा परिसंपत्तियों, प्राप्य पट्टों तथा प्राप्य व्यापारों के संबंध में क्षति हानि अनुमेय की मान्यता हेतु भारतीय लेखांकन मानक 109 “वित्तीय लिखत” के अंतर्गत अनुमेय “सरलकृत पद्धति” का पालन करता है, जिसमें प्रत्याशित जीवनकाल हानियों को प्राप्य की प्रारंभिक मान्यता से माना जाना अपेक्षित है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि की मान्यता हेतु समूह यह आकलन करता है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि ऋण जोखिम में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 माह के ईसीएल का उपयोग क्षति हानि मुहैया करवाने के लिए किया जाता है। तथापि, यदि ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है तो जीवन पर्यन्त ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम तथा क्षति हानि में वृद्धि के आकलन हेतु समूह लिखत-दर-लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का आकलन करता है। बाद की अवधि में यदि लिखत की ऋण गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता दिए जाने से ऋण जोखिम में कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो निकाय 12 माह के ईसीएल के आधार पर क्षति हानि अनुमेय किए जाने को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु निकाय वापिस कार्रवाई करता है। अवधि हेतु प्रत्याशित ऋण हानि (या वापिसी) की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

10.0 माल-सूची

माल-सूची में मुख्यतः संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के रख-रखाव हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले भण्डार तथा कलपुर्ज शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, किया जाता है। लागत का निर्धारण धारित लागत सूत्र का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी व्यापार के सामान्य चालन के दौरान अनुमानित बिक्री मूल्य, घटा बिक्री हेतु आवश्यक अनुमानित लागतें हैं।

निवल वसूली योग्य मूल्य पर मालसूची को कम लिखे जाने और माल-सूची की सभी हानियों की राशि को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसा कम लिखा जाना या हानि उत्पन्न हुई हो।

11.0 लाभांश

शेयरधारकों को अदा किए गए लाभांश तथा अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जब उन्हें क्रमशः समूह शेयरधारकों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाए।

12.0 वित्तीय देयताएं

समूह की वित्तीय देयताएं किसी अन्य निकाय को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने अथवा समूह के लिए संभाव्य रूप से प्रतिकूल होने वाली शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य निकाय के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के आदान-प्रदान की संविदात्मक बाध्यता है।

समूह की वित्तीय देयताओं में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य देय शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता तथा मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा तथा लेन-देन लागतों पर देयताओं को उचित मूल्य घटा ऐसी संव्यवहार लागतों पर मान्यता दी जाती है जो सीधे आरोप्य हों तथा जिन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता हो। वित्तीय देयताओं को वर्गीकृत किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्तियों (संव्यवहार लागतों का निवल) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के मध्य किसी अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में मान्यता प्रदान की जाती है यदि ऐसा अन्य कोई मानक इस प्रकार से ब्याज की प्रभावी दर का उपयोग करते हुए ऋणों की अवधि पर समावेशन की अनुमति देता हो।

ऋणों को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि समूह के पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु दायित्व के निपटान को निलंबित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

ख) बाद का मापन

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ तथा हानियों को किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन की अनुमति देता हो, जब देयताओं को विमान्य किया जाता है और साथ ही साथ ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया चलाई जाती है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) विमान्य कर□□

किसी वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है जब देयता के अंतर्गत बाध्यता का निर्वाहन अथवा निरस्तीरण या समाप्ति होती है। जब किसी विद्यमान वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से व्यापक भिन्न शर्तों पर किसी अन्य से प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा विद्यमान देयता की शर्तें व्यापक रूप से संशोधित की जाती हैं, ऐसे किसी विनिमय या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण तथा नई देयता को मान्यता प्रदान किया जाना माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) वित्तीय लिखत का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है और निवल राशि को तुलन-पत्र में सूचित किया जाता है यदि मान्यता प्रदान की गई राशियों के निपटान हेतु वर्तमान में लागू किया जा सकने वाला कोई विधिक अधिकार हो तथा निवल आधार पर निपटान की कोई मंशा परिसंपत्तियों को वसूल करने तथा साथ ही साथ देयताओं के निपटान की हो।

13.0 सरकारी अनुदान

क) ब्याज की बाजार दर से कम पर प्राप्त होने वाले सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा मापा जाता है तथा सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक मान्यता प्राप्त राशि तथा प्राप्त की गई प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में मापा जाता है। बाद में ऋण को वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को प्रारंभ में विलंबित आय तथा बाद में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

- ख) परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों को प्रारंभ में विलंबित आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब इसका तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और समूह अनुदान से संबद्ध स्थितियों का अनुपालन करेगा। इस प्रकार मान्यता प्रदान की गई विलंबित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।
- ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें कोई निकाय उन संबंधित लागतों के व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करता है जिसमें लिए अनुदानों की प्रतिपूर्ति किए जाने की मंशा है।

14.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

- क) प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह की किसी विगत गतिविधि के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और यह संभाव्य हो कि आर्थिक लाभ निहित होने वाले संसाधनों का बाहिर प्रवाह बाध्यताओं के निपटान हेतु अपेक्षित होगा और बाध्यता की राशि से एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों का निर्धारण तुलन-पत्र तिथि को बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित राशि के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है। जब किसी तृतीय पक्ष से प्रावधान के निपटान हेतु अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ वसूल किया जाना प्रत्याशित हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि यह पूर्णतः निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा और प्राप्ति की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। किसी प्रतिपूर्ति के निवल होने वाले प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी अन्य मानक द्वारा ऐसे समावेशन की अनुमति होने पर परिसंपत्ति के वहन मूल्य में प्रस्तुत किया जाएगा।
- ख) यदि राशि का समय मूल्य प्रभाव पूर्ण है, तो प्रावधानों का निर्धारण एक वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करते हुए प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों पर छूट देकर किया जाता है जो देयता के प्रति विशिष्ट होने वाले जोखिमों को प्रदर्शित करता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- ग) आकस्मिक देयताएं ऐसी संभावित बाध्यताएं हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती हो और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं है। जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभ का बाहिर प्रवाह अपेक्षित होगा, अथवा राशि का विश्वसनीयतापूर्ण ढंग से अनुमान न लगाया जा सके, बाध्यता को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बाहिर प्रवाह की संभावना सुदूर हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।
- घ) आकस्मिक परिसंपत्तियां ऐसी संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पूर्व के किसी क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होती हो और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में तब प्रकट किया जाता है जब आवधिक लाभों का अंतरवाह प्रबंधन के निर्णय के अनुसार संभाव्य है। उनका सतत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आंकलन किया जाता है कि इन घटना क्रमों को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रदर्शित किया जाए।

15.0 राजस्व मान्यता और अन्य आय

- क) राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिमों तथा पारितोषिक को क्रेता को अंतरित कर दिया गया हो, मूल्य की वसूली संभाव्य है, संबद्ध लागतों का विश्वसनीयपूर्ण ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है, कोई सतत प्रबंधन भागीदारी नहीं है और राजस्व की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। विद्युत की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्य मूल्य के उचित माप पर मापा जाता है।
- ख) विद्युत की बिक्री से राजस्व (सिवाय इन पावर स्टेशनों के जिन्हें वित्त/प्रचालन पट्टा माना गया है) को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को समूह द्वारा उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए पैरामीटरों तथा पद्धति के आधार पर निकाली गई अनंतिम दरों पर मान्यता दी जाती है। उपभोक्ताओं को आवधिक तथा नियमित आधार पर बिल दिया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को विद्युत की बिक्री से राजस्व में उपभोक्ताओं को डिलीवर की गई किन्तु अभी बिल न भेजी गई बिक्री (बिल न किया गया राजस्व) हेतु एक प्रोदभवन शामिल होता है। लाभग्राहियों को जल्द भुगतान किए जाने के प्रोत्साहन के रूप में दी गई छूट की राजस्व की मात्रा में से कटौती की जाती है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर से धन वापिसी/प्रतिदाय और आयकर के प्रति प्राप्ति को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- ग) 31 मार्च, 2009 तक मान्यता प्रदान की गई विलंबित कर मदों के प्रति वसूली को वसूल किए जाने पर मूर्तरूप दिया जाता है।
- घ) प्रोत्साहन/वि-प्रोत्साहन को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियमन के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं किए गए हैं, प्रोत्साहन/वि-प्रोत्साहन को उक्त की स्वीकृति की संभावना के आकलन पर अनंतिम रूप से मान्यता प्रदान की जाती है।
- ङ) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न होने वाले समायोजन, यद्यपि भौतिक न हो, उन्हें संबंधित अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में प्रभावी किया जाता है।
- च) 31 मार्च, 2009 तक विलंबित आय के रूप में माने गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम (एएडी) को बिक्री में सीधी रेखा आधार पर परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च, के बाद शेष उपयोगी जीवनकाल पर शामिल किया गया है, इसमें परियोजना के उपयोगी जीवनकाल को 35 वर्ष माना गया है।

- छ) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्य के संबंध में राजस्व को पूर्णता पद्धति के प्रतिशत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण “रिपोर्टिंग तिथि तक वहन की गई लागत” के “संबंधित परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं तथा परामर्शी कार्य को पूरा करने के लिए अनुमानित लागत” के साथ अनुपात के रूप में निर्धारित की जाती है।
- ज) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।
- झ) उपभोक्ताओं से प्राप्य ब्याज/अधिभार तथा संविदाकारों को अग्रिम पर परिसमाप्त क्षतियां/ब्याज को तब मान्यता दी जाती है जब मापन तथा एकत्रीकरण के संबंध में कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद न हो।
- ञ) परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए सभी ऋण लिखत हेतु ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकदी भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के प्रति वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य को सटीक रूप से छूट देता है। प्रभावी ब्याज दर की गणना किए जाने के समय, समूह वित्तीय लिखत की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान, विस्तार, आमंत्रण तथा ऐसे अन्य विकल्प) पर विचार करते हुए प्रत्याशित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है पर प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को नहीं लेता। ब्याज आय को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है।

16.0 कर्मचारी लाभ

i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ बाध्यताओं का मापन एक छूट रहित आधार पर किया जाता है और इनका व्यय या किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में तब शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन को अनुमति देकर क्योंकि संबंधित सेवा मुहैया करवाई जाती है।

अल्पावधि निष्पादन से संबंधित नकदी बोनस के अंतर्गत अदा किए जाने हेतु प्रत्याशित राशि के दायित्व को तब माना जाता है यदि समूह की कर्मचारी द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने की वर्तमान में कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सके।

ii) निर्धारित अंशदान योजनाएं

कोई निर्धारित अंशदान योजना एक ऐसी रोजगार पश्च लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कोई निकाय पृथक न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करता है और उसकी आगे राशियों के भुगतान हेतु कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं होती। निर्धारित अंशदान योजनाओं को अंशदानों हेतु देयताओं को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान ऐसे समावेशन को अनुमति देकर हो तो। किसी निर्धारित अंशदान योजना को अंशदान जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अंत के पश्चात 12 माह से अधिक के लिए देय हैं, उन्हें छूट देकर उनके वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है।

पेंशन लाभ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना को अंशदान मुहैया करवाने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में लेखांकित किया जाता है।

iii) निर्धारित लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजना किसी निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त कोई रोजगार पश्च लाभ योजना है। समूह की उपदान योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों की अधिवर्षिता पर स्मृति चिन्ह निर्धारित लाभ योजनाओं की प्रकृति के हैं।

उपदान, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना और भविष्य निधि योजना के संबंध में तुलन-पत्र में मान्यता प्रदान की गई देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य घटा योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य है।

निर्धारित लाभ बाध्यता की गणना वार्षिक रूप से बीमांकक द्वारा प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

निर्धारित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संबंधित बाध्यता के संबंध में निकट आ रही अवधियों के लिए लगभग समान अवधि वाले सरकारी बॉण्ड के बाजार मूल्यों के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बाहिर प्रवाहों को छूट देकर किया जाता है।

निवल ब्याज लागत की गणना निर्धारित लाभ बाध्यता के निवल शेष और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लगाकर की जाती है। इस लागत को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है अथवा किसी अन्य मानक के ऐसे समावेशन को अनुमति देने पर किसी परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन तथा बीमांकित मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ तथा हानियों को उनके घटित होने वाली अवधि में सीधे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में तथा तुलन-पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

iv) अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी लाभ

समूह अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत लाभमें अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी लाभ शामिल होते हैं।

दीर्घावधिक कर्मचारी लाभों के संबंध में समूह की निवल बाध्यता भविष्य के लाभों की वह राशि है जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान तथा पूर्व की अवधि में अपनी सेवा के एवज में अर्जित किया है। लाभ को इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और किसी संबंधित परिसंपत्ति के उचित मूल्य की कटौती की जाती है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विद्यमान बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है जिनकी परिपक्वता तिथि समूह की बाध्यता की अवधि के निकट होती हैं। गणना प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है। योजना और बीमाकित लाभों या हानियों में अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक उनके उत्पन्न होने की अवधि में ऐसे समावेश को अनुमेय करते हों।

iv) सेवांत लाभ

अनुग्रह राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं में नोटिस वेतन के रूप में सीमांत लाभों पर किए गए व्यय को ऐसे व्यय को किए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

17.0 ऋण लागतें

अर्हक मूल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर सीधे आरोप्य होने वाली ऋण लागतें जो आवश्यक रूप से अपने वांछित उपयोग या बिक्री हेतु एक महत्वपूर्ण समयावधि में तैयार होती हैं, उन्हें परिसंपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों का व्यय उनके उत्पन्न होने की अवधि में किया जाता है। ऋण लागत में ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल होती हैं जिन्हें कोई निकाय निधियों के ऋण के संबंध में व्यय करता है। ऋण लागत में ऋण लागतों के समायोजन के तौर पर मानी गई सीमा तक विनिमय अंतर शामिल होते हैं।

ऋण लागतों का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब अर्हक मूल परिसंपत्तियों को उनके वांछित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक होने वाले सभी क्रियाकलाप व्यापक रूप से पूरे हो जाते हैं।

18.0 मूल्यहास तथा परिशोधन

क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) से वर्ष के दौरान वर्धन/कटौतियों पर मूल्यहास यथानुपात आधार पर उस तिथि से/तक के लिए प्रभारित किया जाता है जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध थी।

ख) समूह की प्रचालन यूनिटों की संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण पर मूल्यहास सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरों तथा पद्धति का पालन करते हुए सीधी रेखा पद्धति पर लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों हेतु।

ग) i) समूह की प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (सिवाय पुराने तथा प्रयुक्त के) पर मूल्यहास लागत के 90 प्रतिशत की सीमा से सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिसूचित दरों को अपनाते हुए प्रभारित किया जाता है सिवाय नीचे नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों हेतु।

ii) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त, पीपीई के पुरानी तथा प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यहास परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर परिसंपत्ति के तकनीकी आकलन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

घ) i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दिए गए जीवन तथा अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है :

निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी

कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण

प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर मोबाइल फोन पर मूल्यहास को 1 रुपए के अवशिष्ट मूल्य के साथ तीन वर्षों की अवधि में सीधी रेखा आधार पर प्रदान किया जाता है।

ङ) अस्थायी संस्थापन को एक रुपया डब्ल्यूडीवी के रूप में रखते हुए खरीद/पूँजीकरण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है।

च) 5,000/- रुपये या उससे कम परन्तु 750/- रुपये से अधिक की होने वाली मूल परिसंपत्तियों को 1/- रुपये डब्ल्यूडीवी के साथ उपयोग हेतु उपलब्ध कराए गए वर्ष के दौरान पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है।

छ) निम्न मूल्य वाली मदें जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) और जिनका मूल्य 750/- रुपये तक होता है, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया जाता और उपयोग के वर्ष में राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

ज) प्रचालन यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि को पट्टे की अवधि अथवा 35 वर्ष, जो भी कम हो, में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के माध्यम से अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों को अपनाते हुए परिशोधित किया जाता है।

- झ) प्रचालन यूनिटों के अतिरिक्त अन्य यूनिटों के मामले में पट्टाधारी भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- ञ) पट्टाधारी भूमि पर सृजित मूल परिसंपत्तियों का मूल्यहास उपयोग हेतु ऐसी परिसंपत्ति के उपलब्ध रहने की तिथि से संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध पट्टा अवधि की मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक अथवा ऐसी परिसंपत्तियों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित लागू मूल्यहास दरों तथा पद्धति, जो भी अधिक हो, पर किया जाता है।
- ट) भूमि - उपयोग के अधिकार का परिशोधन टैरिफ निर्धारण हेतु अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि पर किया जाता है।
- ठ) 'अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में मान्यता प्रदान की गई सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि या 3 वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, पर इसके अधिग्रहण के वर्ष से प्रारंभ करके किया जाता है।
- ड) जहां विनियम बदलाव, मूल्य समायोजन, माध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या समान कारकों से वर्ष के दौरान दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी के कारण मूल्यहास वाली परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी परिसंपत्तियों के अपरिशोधित शेष का मूल्यहास संदर्शी तौर पर ऐसी परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दर तथा पद्धतियों पर किया जाएगा।
- ढ) जहां किसी परिसंपत्ति के जीवनकाल/दक्षता में नवीकरण या आधुनिकीकरण के कारण वृद्धि होती है, उस पर किए गए व्यय को इसकी अपरिशोधित मूल्यहासित राशि के साथ संदर्शी रूप से संशोधित/शेष उपयोगी जीवनकाल पर प्रभारित किया जाता है।
- ण) संयंत्र तथा मशीनरी के साथ या बाद में खरीद किए गए कलपुर्जे जिन्हें पूंजीकृत किया जाता है तथा ऐसी मद की वहन राशि में जोड़ा जाता है, उनका मूल्यहास संबंधित संयंत्र तथा मशीनरी के शेष उपयोगी जीवनकाल में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों पर किया जाता है।

19.0 माल-सूची के अतिरिक्त गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

- क. समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसका आकलन करता है कि क्या इसका कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, अथवा जब किसी परिसंपत्ति हेतु वार्षिक क्षति परीक्षण अपेक्षित होता है, समूह परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य घटा निपटान की लागतें तथा उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होगी। वसूली योग्य राशि का निर्धारण एक पृथक् परिसंपत्ति हेतु किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से ऐसे नकदी प्रवाह न उत्पन्न हों जो मुख्यतः समूह की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप से स्वतंत्र हैं। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उससे उसकी वसूली योग्य राशि तक अवलेखित किया जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।
- ख. उपयोग में मूल्य के आकलन हेतु अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाहों को छूट देकर एक कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य तक लाया जाता है जो राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और परिसंपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है। निपटान की लागत घटा उचित मूल्य के निर्धारण में हाल के बाजार संव्यवहारों पर ध्यान दिया जाता है। यदि ऐसे किसी संव्यवहार की पहचान न की जा सके, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार किए जाने वाली कंपनियों के उद्धृत शेयर मूल्य अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य सूचकांकों से पुष्ट किया जाता है।
- ग. परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच पर व्यय के मामले में यदि ऐसी किसी परियोजना को सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अंतर्गत परित्याग करने का निर्णय लिया जाता है तो उस पर किए गए व्यय को निर्णय लिए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।
- घ. सर्वेक्षण तथा जांच के अंतर्गत होने वाली कोई परियोजना समुचित प्राधिकारी के आदेश/अदालती आदेश की निषेधाज्ञा के चलते स्थगित रहे पर ऐसी परियोजनाओं पर आदेश/अदालत की निषेधाज्ञा की तिथि से किए गए किसी भी व्यय को ऐसे आदेश की तिथि से ऐसे आदेश/निषेधाज्ञा द्वारा परियोजना को स्थगित रखे जाने की अवधि तक लेखाबहियों में मुहैया करवाया जाएगा। तथापि, इस प्रकार किए गए प्रावधान को उक्त आदेश/निषेधाज्ञा के वापिस लिए जाने तक प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।
- ड. पूर्व की अवधियों में मान्यता दी गई क्षति हानियों का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऐसे किसी संकेत हेतु किया जाएगा कि हानि कम हो गई है अथवा अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो क्षति हानि को वापिस किया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक वापिस किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहन राशि ऐसी वहन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे मूल्यहास या परिशोधन के निवल पर किसी क्षति हानि को मान्यता न दिए जाने को दर्ज किया जाता।

20.0 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान तथा विलंबित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है सिवाय उस सीमा के जहां तक यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में कर को भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

- i) वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि को लागू होने वाले कर नियमों के आधार पर वर्ष हेतु कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर तथा पिछले वर्षों में देय कर को करों के प्रति अन्य कोई समायोजन है। कर योग्य लाभ, एवं हानि के विवरण में यथासूचित लाभ से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें आय या व्यय की वे मदें शामिल नहीं होती अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और आगे इसमें वे मदें भी शामिल नहीं होती जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है (स्थायी अंतर)।
- ii) लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश के भुगतान के दायित्व को माना जाता है।

ख) विलंबित कर

- i) विलंबित कर को समूह के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि के मध्य अस्थायी अंतर के रूप में मान्यता दी जाती है और कर योग्य लाभ की गणना में तदनुसूची कर आधार का प्रयोग किया जाता है और तुलन-पत्र पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है। विलंबित कर देयताओं को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों, के रूप में मान्यता दी जाती है और विलंबित कर परिसंपत्तियों को सामान्यतः सभी कटौती-योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट हेतु इस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है कि यह संभव है कि भविष्य के कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य और अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों के प्रति उपलब्ध होंगे और अप्रयुक्त कर ऋणों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को तब मान्यता नहीं दी जाती है यदि किसी संव्यवहार में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता (किसी व्यापार संयोजन के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हों जो संव्यवहार के समय न तो कर योग्य लाभ एवं हानि और न ही लेखांकन लाभ या हानि को प्रभावित करते हो।
- ii) विलंबित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके प्रति अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।
- iii) विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को ऐसी कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा हो जिसमें देयता का निपटान या परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी, यह तुलन-पत्र तिथि द्वारा अधिनियमित या व्यापक रूप से बनाई गई कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होगा। विलंबित कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का मापन ऐसे कर परिणामों को दर्शाता है जो समूह की प्रत्याशा वाले तरीके से रिपोर्टिंग तिथि को इसकी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान करेंगे।
- iv) विलंबित कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है सिवाय उस सीमा के जहां यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- v) विलंबित आयकर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का निपटान वहां किया जाता है जहां वर्तमान कर परिसंपत्तियों का वर्तमान कर देयताओं से निपटान का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब विलंबित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं समान कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो किसी एक करयोग्य निकाय अथवा विभिन्न करयोग्य निकायों पर लगाए गए आयकर से संबंधित हो तथा जहां निवल आधार पर शेषों के निपटान की मंशा हो।
- vi) समायोजन लेख से विलंबित कर वसूली को वर्तमान अवधि हेतु विलंबित कर की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाएगा जो आगे की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा होता हो तथा टैरिफ के एक घटक इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) की गणना को प्रभावित करता हो।
- vii) अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की वहन राशि तथा कर आधार के मध्य अस्थायी अंतरों को वहां पर मान्यता नहीं प्रदान की जाती है जहां समूह अस्थायी अंतरों के प्रत्यावर्तन के समय को नियंत्रित करने में समर्थ हो और यह संभव हो कि अंतरों को निकट भविष्य में वापिस प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा।

21.0 तृतीय पक्षों से मुआवजा

मदों की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से मुआवजे के भुगतान हेतु संबंधित दावे और परिसंपत्तियों/माल-सूची की बाद की कोई खरीद या निर्माण पृथक आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें पृथक रूप से लेखांकित किया जाता है।

बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षों से संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मदों और क्षतिग्रस्त, गुम या छोड़ी गई अन्य मदों हेतु मुआवजे को मुआवजा प्राप्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

22.0 खंड रिपोर्टिंग

- क) भारतीय लेखांकन मानक 108-प्रचालन खंड के अनुसार खंड सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए गए प्रचालन खंडों की पहचान समूह के प्रबंधन द्वारा आंतरिक रिपोर्टों के उपयोग के आधार पर खंडों को संसाधन के आवंटन तथा उनके निष्पादन हेतु चिन्हित करने के लिए की जाती है। निदेशक मंडल सामुहिक रूप से भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थ के भीतर समूह का “मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता” अथवा “सीआडीएम” है।

ख) विद्युत उत्पादन समूह का प्रधान व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन यथा संविदाएं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य भारतीय लेखांकन मानक-108 “प्रचालन खंडों” के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं होते हैं।

ग) समूह का एक एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

23.0 पट्टे

क) समूह पट्टाधारक के ऋण में :

- संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (मुख्यतः एकमुश्त प्रारंभिक भुगतान के माध्यम से अधिगृहीत की गई भूमि) के पट्टे जहां समूह पट्टाधारक है, तथा जिसमें स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा पारितोषिक को व्यापक रूप से कवर किया गया है, उन्हें वित्त पट्टों के रूप में जाना जाता है। ऐसे वित्त पट्टे सामान्यतः पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य पर पट्टे के प्रारंभ में पूंजीकृत किए जाते हैं जो संव्यवहार मूल्य अर्थात् एकमुश्त भुगतान के समान होता है।
- पट्टे जिसमें जोखिम तथा पारितोषिक के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टाधारक के रूप में समूह को अंतरित नहीं किया जाता वह प्रचालन पट्टा है। प्रचालन पट्टों के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि में लाभ एवं हानि विवरण को प्रभावित किया जाता है।

ख) समूह पट्टादाता के ऋण में

किसी एकल लाभग्राही के साथ निहित पट्टे की प्रकृति वाले विद्युत आपूर्ति समझौते (पीपीए) जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल के एक प्रमुख हिस्से हेतु होती है और न्यूनतम पट्टा भुगतान राशियां संयंत्र के समूचे उचित मूल्य को व्यापक ढंग से कवर करती हैं, उन्हें वित्त पट्टा माना जाता है। अन्य निहित पट्टों को प्रचालन पट्टे माना जाता है।

- वित्त पट्टे की प्रकृति वाले निहित पट्टों हेतु संयंत्र में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों से निहित पट्टा भुगतानों को अलग करके की जाती है जिसमें 31 मार्च, 2000 तक सीईआरसी टैरिफ विनियमों 2004-09 के अनुसार मान्यता प्रदान किए गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम (एएडी) सहित शेष संविदा राशियां शामिल हैं और इन्हें विलंबित आय माना गया है। प्रत्येक पट्टा प्राप्ति को प्राप्य तथा वित्तीय पट्टे के मध्य आवंटित किया जाता है ताकि बकाया प्राप्य पट्टे पर एक स्थिर दर को प्राप्त किया जा सके।
- प्रचालन पट्टों या निहित प्रचालन पट्टों के मामले में प्रचालन पट्टे से पट्टा आय को राजस्व में पट्टा अवधि पर पट्टे वाली परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। संबंधित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है तथा उनके आर्थिक जीवनकाल पर इनका मूल्यहास किया जाता है।

24.0 पूर्व ऋण की भौतिक त्रुटियां

पूर्व ऋण की भौतिक त्रुटियों को पश्चगामी प्रभाव से त्रुटि होने वाले पूर्व ऋण के प्रस्तुत किए गए विवरणों में तुलनात्मक राशि को पुनः बताकर ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत नवीनतम ऋण से पहले हुई हो तो नवीनतम ऋण हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं तथा इक्विटी के प्रारंभिक शेषों को तब पुनः बताया जाता है जब तक कि यह अव्यवहार्य न हो और ऐसे मामले में तुलनात्मक सूचना को व्यवहार्य नवीनतम तिथि से संदर्शी रूप से नई लेखांकन नीति को लागू करते हुए समायोजित किया जाता है।

25.0 प्रति शेयर अर्जन

- प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को समूह के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।
- प्रति इक्विटी शेयर कम आंके गए अर्जन की गणना प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन निकालने के लिए लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही सभी कम किए गए संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को समूह के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।
- प्रति शेयर आधारभूत और कम किए गए अर्जन को नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन के अतिरिक्त अर्जित राशि का उपयोग करके भी प्रस्तुत किया जाता है।

26.0 नकदी प्रवाह का विवरण

क) नकदी और नकदी-तुल्य

नकदी प्रवाहों के विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन हेतु नकदी प्रवाहों, नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ आमंत्रण पर धारित जमा, अन्य अल्पावधि अत्यधिक नकदी निवेश जिनकी मूल परिपक्वता 3 माह या उससे कम की हैं जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनशील हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के कम महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि, तुलन-पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु बैंक ओवरड्राफ्ट को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत ऋण में दर्शाया गया है।

ख) नकदी प्रवाह के विवरण को भारतीय लेखांकन मानक 7 “नकदी प्रवाहों के विवरण” में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

27.0 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

समूह तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों तथा देयताओं को वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है।

क) कोई परिसंपत्ति तब वर्तमान है जब यह :

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने या बिक्री अथवा उपभोग किए जाने की मंशा प्रत्याशित है
- मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित है
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा है, अथवा
- नकदी या नकदी तुल्य जब तक कि विनिमय किए जाने से प्रतिबंधित न हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह पश्चात किसी दायित्व के निपटान के लिए इन्हें लिया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख) किसी देयता को तब वर्तमान माना जाता है जब वह :

- सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान हेतु प्रत्याशित है
- इसे मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित किया गया है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर निपटाए जाने हेतु देय है, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु देयता के निपटान को विलंबित करने का एक बिना शर्त अधिकार है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग) विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को गैर वर्तमान परिसंपत्तियों तथा देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

28.0 विविध

क) समान मदों की प्रत्येक भौतिक श्रेणी को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति या कार्यवाही मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गैर-भौतिक न हों।

ख) मार्गस्थ वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों किन्तु प्रमाणित नहीं के लिए देयताओं का प्रावधान समूह द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति लम्बित होने पर नहीं किया जाता है।

(IV) हाल की लेखांकन ंशोधन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 28 मार्च, 2018 को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2018 ("नियम") अधिसूचित किए थे। ये नियम रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से अथवा 1 अप्रैल, 2018 के पश्चात से प्रभावी होंगे और इन्हें पहले नहीं अपनाया जा सकता है।

मानक जारी किन्तु ंशोधन प्रभावी नहीं

(क) भारतीय लेखांकन मानक 21 का परिशिष्ट-ख, विदेशी मुद्रा लेन-देन और अग्रिम प्रतिफल

यह परिशिष्ट इसे स्पष्ट करता है कि किसी संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय के प्रारंभिक मापन के प्रयोग हेतु विनिमय दर के लिए लेनदेन की तिथि का निर्धारण तब किस प्रकार किया जाएगा जब कोई निकाय विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई संविदाओं हेतु अग्रिम में प्रतिफल का भुगतान करता है या उसे प्राप्त करता है।

इस परिशिष्ट को प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि हेतु पश्चगामी प्रभाव से भारतीय लेखांकन मानक-8 लागू कर या संदर्शी रूप से परिशिष्ट के कार्य क्षेत्र में उन मदों के कार्यक्षेत्र पर लगाया जा सकता है जिन्हें परिशिष्ट के पहली बार लागू किए जाने पर रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ होने की तिथि को या उसके पश्चात प्रारंभिक रूप से मान्यता प्रदान की गई हो या जिसे तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से लागू किया गया हो।

समूह ने इस परिशिष्ट को अपने उन विदेशी मुद्रा कारोबार पर लागू करने के प्रभावों का आकलन करने के लिए किया है जिनके लिए प्रतिफल अग्रिम रूप से प्राप्त हो गए थे।

समूह ने वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया है और प्रभाव भौतिक नहीं हैं।

समूह की मंशा परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र में उन मदों पर संशोधनों को संदर्शी रूप से अपनाने की है जिन्हें परिशिष्ट के प्रथम बार लागू किए जाने (अर्थात् 1 अप्रैल, 2018 को) पर रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में या उसके पश्चात प्रारंभिक रूप से मान्यता प्रदान की गई थी।

ख) भारतीय लेखांकन मानक-115-ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

भारतीय लेखांकन मानक-115, ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व, राजस्व मान्यता से संबंधित है और वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को किसी निकाय के ग्राहकों के साथ संविदाओं से उत्पन्न होने वाले राजस्व तथा नकदी प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सूचित करने हेतु है। राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब कोई ग्राहक किसी वादा की गई वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और इस प्रकार उसके पास उसके उपयोग को निर्देशित करने तथा एक ऐसी मात्रा में वस्तु या सेवा के लाभों को प्राप्त करने की क्षमता होती है जो उस प्रतिफल को दर्शाते हैं जिसमें कोई निकाय उन वस्तुओं और सेवाओं हेतु विनिमय के रूप में प्राप्त करता हो। यह मानक भारतीय लेखांकन मानक-18 राजस्व और भारतीय लेखांकन मानक 11 निर्माण संविदाएं तथा संबंधित परिशिष्टों को प्रतिस्थापित करता है।

नया मानक 1 अप्रैल, 2018 से या उसके पश्चात प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों हेतु बाध्यकारी है और इसे पहले लागू किए जाने की अनुमति नहीं है। मानक अपनाए जाने हेतु एक पूर्ण पश्चगामी या संशोधित पश्चगामी एप्रोच को अनुमेष करता है।

समूह संचित कैच-अप परिवर्तन पद्धति का उपयोग करके 1 अप्रैल, 2018 से मानक को अपनाएगी और तदनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले या समाप्त हो चुके वर्ष हेतु तदनुसूची तुलनाओं का पश्चगामी रूप से समायोजन नहीं किया जाएगा। समूह इंड एएस 115 के विस्तृत प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया में है।

ग) भारतीय लेखांकन मानक 40 निवेश संपत्ति - निवेश संपत्ति का अंतरण में संशोधन

यह संशोधन स्पष्ट करता है कि निवेश संपत्ति को या उससे अंतरण केवल तब ही किए जा सकते हैं जब साक्ष्य द्वारा समर्थित उपयोग में कोई परिवर्तन देखा जाए। उपयोग में कोई परिवर्तन तब होता है जब कोई संपत्ति निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती हो या पूरा करने से हट जाती हो। केवल मंशा में परिवर्तन ही अंतरण को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। संशोधन में दो परिवर्तन विकल्प मुहैया करवाए गए हैं। निकाय या तो संशोधन को पश्चगामी रूप से दूरदृष्टि के उपयोग के बिना या संदर्शी रूप से प्रारंभिक तौर पर लागू की जाने वाली तिथि को या उसके पश्चात होने वाले परिवर्तनों पर लागू करें।

समूह ने 1 अप्रैल, 2018 को विद्यमान संपत्ति के वर्गीकरण पर संशोधन के प्रभावों का आकलन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि कोई पुनःवर्गीकरण अपेक्षित नहीं है।

समूह ने संशोधन को प्रारंभिक उपयोग (अर्थात् 1 अप्रैल, 2018) की तिथि के पश्चात होने वाले उपयोग में परिवर्तनों पर संदर्शी रूप से लागू करने का निर्णय लिया है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक				मूल्यहास		निवल ब्लाक	
	01.04.2017 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को	31.03.2018 को	31.03.2017 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	308.04	11.72	0.32	(0.04)	319.40	-	-	308.04
भूमि-लीजहोल्ड	327.18	0.25	-	-	327.43	23.38	35.29	303.80
सड़कें और पुल	213.65	4.90	0.24	(2.47)	215.84	17.44	27.85	196.21
भवन	1,989.40	29.53	0.18	1.23	2,019.98	173.25	264.70	1,816.15
रेलवे साइडिंग्स	16.58	-	-	-	16.58	4.92	7.41	11.66
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	12,906.30	18.12	1.23	2.47	12,925.66	1,667.24	2,503.36	11,239.06
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	6,862.86	359.50	7.89	(0.73)	7,213.74	837.09	1,279.22	6,025.77
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	49.18	0.32	0.01	-	49.49	6.18	9.36	43.00
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	65.21	3.74	0.02	-	68.93	7.83	12.89	57.38
संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	32.22	0.62	0.02	-	32.82	5.67	8.31	26.55
निर्माण उपकरण	48.27	2.57	0.23	0.19	50.80	10.45	16.16	37.82
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	42.49	4.61	0.01	-	47.09	4.55	6.94	37.94
विद्युतीय संस्थापनाएं	2.23	2.12	0.01	-	4.34	0.29	0.59	1.94
वाहन	21.17	1.58	0.42	(0.07)	22.26	3.56	6.30	17.61
विमान / नौकाएं	0.79	0.10	-	-	0.89	0.16	0.29	0.63
फर्नीचर और फिक्सचर	30.87	2.63	0.19	(0.03)	33.28	4.81	7.51	26.06
कम्प्यूटर	27.51	6.46	0.55	0.51	33.93	11.55	18.14	15.96
संचार उपकरण	10.16	1.15	0.35	(0.16)	10.80	1.92	2.99	8.24
कार्यालय उपकरण	32.03	2.84	0.45	-	34.42	5.15	8.03	26.88
अनुसंधान और विकास	0.73	-	-	-	0.73	0.17	0.25	0.56
अन्य परिसंपत्तियां	43.95	8.92	0.24	0.04	52.67	6.78	11.44	37.17
गौण मूल्य की अवल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपये	2.34	0.91	0.04	0.02	3.23	2.33	3.22	0.01
कुल	23,033.16	467.59	12.40	0.96	23,484.31	2,794.72	4,230.25	20,238.44
गत वर्ष 31.03.2017	22,084.19	948.06	11.61	12.52	23,033.16	1,383.99	2,794.72	20,700.20

टिप्पणी : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संघित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध- 1 में मुहैया करवाए गए अनुसार है। अन्य विवरणात्मक टिप्पणियाँ हेतु इन्हें टिप्पणी 2.1 के अनुबंध- 1 में बताया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध- I संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रुपये में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक			मूल्यहास			निवल ब्लाक		
	01.04.2017 को	संबद्धन	कमी	समायोजन	31.03.2018 को	वर्ष के लिए	31.03.2018 को	31.03.2018 को	31.03.2017 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	308.04	11.72	0.32	(0.04)	319.40	-	-	319.40	308.04
भूमि-लीजहोल्ड	370.52	0.25	-	-	370.77	66.72	11.91	292.14	303.80
सड़कें और पुल	310.95	4.90	0.31	(2.47)	313.07	114.74	10.76	187.99	196.21
भवन	2732.83	29.53	2.63	1.24	2760.97	916.68	90.87	1,755.28	1,816.15
रेलवे साइट्स	36.13	-	-	-	36.13	24.47	2.49	9.17	11.66
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	18857.18	18.12	1.28	2.47	18876.49	7,618.12	835.81	10,422.30	11,239.06
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	9,848.85	359.50	13.54	(0.74)	10,194.07	3,823.08	439.64	5,934.52	6,025.77
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	100.88	0.32	0.01	-	101.19	57.88	3.17	40.13	43.00
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	92.62	3.74	0.02	-	96.34	35.24	5.06	56.04	57.38
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	49.21	0.62	0.03	-	49.80	22.66	2.64	24.51	26.55
निर्माण उपकरण	111.14	2.57	0.53	0.19	113.37	73.32	5.70	34.64	37.82
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	52.46	4.61	0.02	-	57.05	14.52	2.39	40.15	37.94
विद्युतीय संस्थापनाएं	3.55	2.12	0.03	-	5.64	1.61	0.30	3.75	1.94
वाहन	34.89	1.58	1.62	(0.07)	34.78	17.28	2.88	15.96	17.61
विमान / नौकाएं	1.05	0.10	-	-	1.15	0.42	0.13	0.60	0.63
फर्नीचर और फिक्सचर	56.55	2.63	0.38	(0.03)	58.77	30.49	2.74	25.77	26.06
कम्प्यूटर	66.01	6.46	5.02	0.52	67.97	50.05	6.37	15.79	15.96
संचार उपकरण	16.91	1.15	0.75	(0.18)	17.13	8.67	1.29	7.81	8.24
कार्यालय उपकरण	52.76	2.84	0.88	-	54.72	25.88	3.02	26.39	26.88
अनुसंधान और विकास	1.35	-	-	-	1.35	0.79	0.08	0.48	0.56
अन्य परिसंपत्तियां	68.44	8.92	0.46	0.04	76.94	31.27	4.69	41.23	37.17
गौण मूल्य की अवल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपये।	18.20	0.91	0.36	0.02	18.77	18.19	0.90	0.01	0.01
कुल	33,190.52	462.59	28.19	0.95	33,625.87	12,952.08	1,432.84	19,254.06	20,238.44
गत वर्ष	32,257.47	948.06	27.53	12.52	33,190.52	11,557.27	1,418.55	20,238.44	20,700.20

विवरणात्मक टिप्पणी :-

- क) 1485.19 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1485.19 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.51 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि को राजस्व रिकार्डों में जम्मा एवं कश्मीर सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में दर्ज किया गया है जो सलाल पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का एक पावर स्टेशन) के कब्जे में है। तथापि, 4.76 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 4.76 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.01 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।
- ख) अन्य यूनिटों के संबंध में, 125.03 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 153.55 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9.95 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि संबंधी स्वामित्व विलेख/स्वामित्व और 870.87 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 627.25 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 306.08 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 310.04 करोड़ रुपये) मूल्य की लीजहोल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।
- भूमि - लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबानसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में से, 1.06 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) आईटीबीपी को सौंपी गई है।
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 6302.08 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6299.38 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभावित तथा पूंजीकृत मूल्यहास शामिल है।
- सेवा-II, चमेरा-III, तीस्ता लो डैम-III, उड़ी, पार्वती-III और तीस्ता लो डैम-IV पावर स्टेशनों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।
- संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 9 देखें।
- परिसंपत्तियों के समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन निम्नानुसार है :-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु (करोड़ रुपये में)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु (करोड़ रुपये में)
सड़के और पुल	-	(0.16)
भवन	-	(1.50)
जल वैज्ञानिक कार्य	-	(11.12)
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	-	(2.79)
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	-	(0.02)
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	-	(0.01)
कुल	-	(15.60)

- थंगाल गांव में 3835 वर्ग फुट माप वाली भूमि का एक टुकड़ा थंगाल गांव के प्राधिकारियों द्वारा एनएचपीसी लिमिटेड को दान में दिया गया था। उक्त भूमि को उस पर निर्मित अस्थायी शेड के साथ अधिनिगमन के समय लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की अनुबंधी कंपनी) को अंतरित किया गया था। भूमि समूह के कब्जे में है परंतु इसे कोई मूल्य प्रदान नहीं किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रुपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक		मूल्यहास		निवल ब्लाक	
	01.04.2016 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन 31.03.2017 को	01.04.2016 को	31.03.2017 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	288.54	21.31	-	308.04	-	308.04
भूमि-लीजहोल्ड	318.25	8.93	-	327.18	11.58	303.80
सड़कें और पुल	203.82	9.98	-	213.65	7.26	196.21
भवन	1,946.10	43.02	1.02	1,989.40	85.29	1,816.15
रेलवे साइडिंग्स	15.95	0.63	-	16.58	2.44	11.66
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	12,815.93	102.22	0.72	12,906.30	833.84	11,239.06
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	6,167.95	682.24	7.23	6,862.86	410.99	6,025.77
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	41.59	4.85	0.02	49.18	3.16	43.00
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	40.85	22.37	0.01	65.21	3.59	57.38
संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	31.53	1.06	0.01	32.22	2.70	26.55
निर्माण उपकरण	41.23	7.38	0.34	48.27	5.25	37.82
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	36.72	5.79	0.01	42.49	2.07	37.94
विद्युतीय संस्थापनाएं	2.14	0.10	0.01	2.23	0.12	1.94
वाहन	14.71	6.87	0.31	21.17	1.35	17.61
विमान / नौकाएं	0.66	0.13	-	0.79	0.06	0.63
फर्नीचर और फिक्सचर	25.91	5.22	0.24	30.87	2.07	26.06
कम्प्यूटर	21.31	6.66	0.44	27.51	5.10	15.96
संचार उपकरण	9.19	1.43	0.44	10.16	0.87	8.24
कार्यालय उपकरण	25.83	6.38	0.35	32.03	2.50	26.88
अनुसंधान और विकास	0.77	-	0.04	0.73	0.09	0.56
अन्य परिसंपत्तियां	34.49	9.83	0.39	43.95	2.95	37.17
गौण मूल्य की अचल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपये	0.72	1.66	0.03	2.34	0.71	0.01
कुल	22,084.19	948.06	11.61	23,033.16	1,383.99	20,238.44
गत वर्ष 31.03.2017	20,478.29	1,623.51	33.35	22,084.19	-	20,700.20

टिप्पणी : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 में मुहैया करवाए गए अनुसार है। अन्य विवरणात्मक टिप्पणियां हेतु इन्हें टिप्पणी 2.1 के अनुबंध-1 में बताया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध-1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रुपए में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक			मूल्यहास			निवल ब्लाक		
	01.04.2016 को	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	31.03.2017 को	01.04.2016 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	288.54	21.31	-	(1.81)	308.04	-	-	308.04	288.54
भूमि-लीजहोल्ड	361.59	8.93	-	-	370.52	54.92	11.80	66.72	303.80
सड़कें और पुल	301.12	9.98	-	(0.15)	310.95	104.56	10.38	114.74	196.21
भवन	2,689.77	43.02	1.26	1.30	2,732.83	828.96	90.69	916.68	1,860.81
रेलवे साइडिंग्स	35.50	0.63	-	-	36.13	21.99	2.48	24.47	13.51
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	18,766.97	102.22	0.88	(11.13)	18,857.18	6,784.88	836.09	7,618.12	11,982.09
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	9,156.27	682.24	9.56	19.90	9,848.85	3,399.31	427.11	3,823.08	6,025.77
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	93.41	4.85	0.14	2.76	100.88	54.98	3.08	57.88	43.00
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	68.29	22.37	0.04	2.00	92.62	31.03	4.24	35.24	57.38
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	48.58	1.06	0.07	(0.36)	49.21	19.75	2.94	22.66	26.55
निर्माण उपकरण	107.16	7.38	3.40	-	111.14	71.18	5.24	73.32	37.82
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	46.69	5.79	0.01	(0.01)	52.46	12.04	2.54	14.52	37.94
विद्युतीय संस्थापनाएं	3.46	0.10	0.01	-	3.55	1.44	0.18	1.61	1.94
वाहन	29.51	6.87	1.39	(0.10)	34.89	16.15	2.40	17.28	17.61
विमान / नौकाएं	0.94	0.13	0.02	-	1.05	0.34	0.11	0.42	0.63
फर्नीचर और फिक्सचर	51.96	5.22	0.61	(0.02)	56.55	28.12	2.79	30.49	26.06
कम्प्यूटर	66.15	6.66	6.78	(0.02)	66.01	49.94	6.56	50.05	15.96
संचार उपकरण	16.35	1.43	0.85	(0.02)	16.91	8.03	1.20	8.67	8.24
कार्यालय उपकरण	47.12	6.38	0.91	0.17	52.76	23.79	2.95	25.88	23.33
अनुसंधान और विकास	1.41	-	0.06	-	1.35	0.73	0.08	0.79	0.68
अन्य परिसंपत्तियां	59.41	9.83	0.82	0.02	68.44	27.87	4.03	31.27	37.17
गौण मूल्य की अवल परिसंपत्तियां >750 और <5000 रुपये।	17.27	1.66	0.72	(0.01)	18.20	17.26	1.66	18.19	0.01
कुल	32,257.47	948.06	27.53	12.52	33,190.52	11,557.27	1,418.55	12,952.08	20,238.44
गत वर्ष 31.03.2017	30,669.50	1,623.51	51.28	15.74	32,257.47	10,191.21	1,391.72	11,557.27	20,700.20

विवरणात्मक टिप्पणी :-

- क) 1485.19 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1485.19 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.51 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि को राजस्व रिकार्डों में जम्मा एवं कश्मीर सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में दर्ज किया गया है जो सलाल पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का एक पावर स्टेशन) के कब्जे में है। तथापि, 4.76 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 4.76 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.01 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।
- ख) अन्य यूनिटों के संबंध में, 125.03 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 153.55 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9.95 करोड़ रुपये) मूल्य की फ्री-होल्ड भूमि संबंधी स्वामित्व विलेख/स्वामित्व और 870.87 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 627.25 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 306.08 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 310.04 करोड़ रुपये) मूल्य की लीजहोल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।
- भूमि - लीजहोल्ड भूमि के अतर्गत सुबानसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र क्रिया पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में से, 1.06 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) आईटीबीपी को सौंपी गई है।
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 6299.38 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6293.18 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अतर्गत दर्शाया गया है।
- सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित तथा पूंजीकृत मूल्यहास शामिल है।
- सेवा-II, चमेरा-III, तीस्ता लो डैम-III, उड़ी और पार्वती-III पावर स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।
- संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहना/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 11 देखें।
- परिसंपत्तियों के समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन निम्नानुसार है :-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	31.03.2018 के संक्षिप्त (करोड़ रुपये में)	31.03.2017 के संक्षिप्त (करोड़ रुपये में)
सड़के और पुल	(0.16)	0.15
भवन	(1.50)	1.77
जल वैज्ञानिक कार्य	(11.12)	16.61
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	(2.79)	3.77
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	(0.02)	0.02
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	(0.01)	0.01
कुल	(15.60)	22.33

- थंगाल गांव में 3835 वर्ग फुट माप वाली भूमि का एक टुकड़ा थंगाल गांव के प्राधिकारियों द्वारा एनएचपीसी लिमिटेड को दान में दिया गया था। उक्त भूमि को उस पर निर्मित अस्थायी शेड के साथ अधिनिगमन के समय लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की अनुबंधी कंपनी) को अंतरित किया गया था। भूमि समूह के कब्जे में है परंतु इसे कोई मूल्य प्रदान नहीं किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.2 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01.04.2017 के □ □ □	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2018 के □ □ □
सड़कें और पुल	92.92	10.57	-	4.93	98.56
भवन	1,103.71	82.34	-	28.70	1,157.35
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	6,671.84	579.49	(0.01)	25.28	7,226.04
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,062.74	442.94	-	320.52	3,185.16
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	11.82	13.25	2.98	-	28.05
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	3.31	1.74	(2.98)	0.31	1.76
संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	0.74	1.03	(0.62)	0.65	0.50
निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	3.92	4.37	(0.82)	3.85	3.62
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य आस्तियां	2.15	48.09	(1.59)	39.27	9.38
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	-	-	-	-	-
सीडब्ल्यूआईपी - भारत सरकार की 5 किलोमीटर योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियां	295.43	8.89	0.59	-	304.91
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	15.94	-	-	-	15.94
निर्माण को आरोप्य व्यय *	6,793.95	725.25	-	2.02	7,517.18
घटाएं : प्रावधानों किए गए	582.08	26.27	-	-	608.35
उप जोड़ (क)	17,476.39	1,891.69	(2.45)	425.53	18,940.10
□ □ □ के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 32 देखें					
	01.04.2017 के □ □ □		समायोजन		31.03.2018 के □ □ □
निर्माण भंडार	112.48		35.78		148.26
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.28		(0.04)		1.24
उप जोड़ (ख)	111.20	-	35.82	-	147.02
समग्र जोड़	17,587.59	1,891.69	33.37	425.53	19,087.12
पिछले वर्ष	16,741.60	1,804.59	(63.75)	894.85	17,587.59

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- अवधि के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 371.10 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 377.54 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
- प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1290.74 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1181.14 करोड़ रुपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए गए व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1247.22 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1134.80 करोड़ रुपये) के शेष में से 564.83 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 538.56 करोड़ रुपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 682.39 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 599.15 करोड़ रुपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रणीत किया गया है।
- सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोअर और सियोम जलविद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासकर्ता को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंध निजी विकासकर्ता से वसूल की जाएगी।
- अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 5177.50 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 4923.90 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 11 देखें।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जलविद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रणीत किया जाता है।

टिप्पणी सं. 2.2 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01.04.2016 के अनुसार	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2017 के अनुसार
सड़कें और पुल	89.18	15.43	-	11.69	92.92
भवन	1,052.34	93.80	(0.46)	41.97	1,103.71
रेलवे साइडिंग	-	0.62	-	0.62	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	6,020.58	740.87	2.72	92.33	6,671.84
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,391.19	190.30	129.48	648.23	3,062.74
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	12.55	1.81	-	2.54	11.82
संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	2.13	1.66	-	0.48	3.31
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	0.74	0.39	(0.01)	0.38	0.74
निर्माण उपकरण	-	0.47	-	0.47	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	1.36	7.91	-	5.35	3.92
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य आस्तियां	2.50	49.21	(0.02)	49.54	2.15
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	-	-	-	-	-
सीडब्ल्यूआईपी - भारत सरकार की 5 किलोमीटर योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियां	280.75	16.08	(1.34)	0.06	295.43
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	20.48	0.61	(3.70)	1.45	15.94
निर्माण को आरोप्य व्यय *	6,236.21	726.77	(129.29)	39.74	6,793.95
घटाएं : प्रावधानों किए गए	537.92	41.34	2.82	-	582.08
उप जोड़ (क)	16,572.09	1,804.59	(5.44)	894.85	17,476.39

* अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 32 देखें

	01.04.2016 के अनुसार		समायोजन		31.03.2017 के अनुसार
निर्माण भंडार	170.76		(58.28)		112.48
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.25		0.03		1.28
उप जोड़ (ख)	169.51	-	(58.31)	-	111.20
समग्र जोड़	16,741.60	1,804.59	(63.75)	894.85	17,587.59
पिछले वर्ष	16,147.15	2,091.61	20.91	1,518.07	16,741.60

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- अवधि के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 377.54 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 461.70 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
- प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1181.14 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1069.48 करोड़ रुपये) का संचित व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी डेवलपर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए गए व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही मुहैया करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1134.80 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1025.96 करोड़ रुपये) के शेष में से 538.56 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 494.40 करोड़ रुपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी के रूप में मुहैया करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 599.15 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 531.56 करोड़ रुपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रणीत किया गया है।
- सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देशीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोअर और सियोम जलविद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासकर्ता को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित निजी विकासकर्ता से वसूल की जाएगी।
- अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 4923.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 4205.33 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34 का पैरा 11 देखें।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जलविद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रणीत किया जाता है।

टिप्पणी सं. 2.3 निवेश संपत्ति

परिसंपत्तियों की श्रेणी		सकल ब्याक			मूल्यहास			निवल ब्याक		
		01.04.2017 को	संदर्भ	कमी	समायोजन	31.03.2018 को	वर्ष के लिए	01.04.2017 को	31.03.2018 को	31.03.2017 को
भूमि - फ्रीहोल्ड		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
कुल		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
पिछले वर्ष 31.03.2017		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
i) निवेश संपत्ति हेतु लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि										
		सकल ब्याक			मूल्यहास			निवल ब्याक		
		01.04.2017 को	संदर्भ	कमी	समायोजन	31.03.2018 को	वर्ष के लिए	01.04.2017 को	31.03.2018 को	31.03.2017 को
भूमि - फ्रीहोल्ड		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
कुल		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
पिछले वर्ष 31.03.2017		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
ii) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य										
		सकल ब्याक			मूल्यहास			निवल ब्याक		
		01.04.2017 को	संदर्भ	कमी	समायोजन	31.03.2017 को	वर्ष के लिए	01.04.2016 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि - फ्रीहोल्ड		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
कुल		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
पिछले वर्ष 31.03.2017		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
iii) निवेश संपत्ति में फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी द्वारा सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण कंपनी संपत्ति के भविष्य के उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उवाहण के द्वारा यह प्रमाणित करता है कि वर्तमान में फ्री-होल्ड भूमि को पूरा बूट हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, ऐसी भूमि को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।										
iv) मूल्यांकन प्रक्रिया										
		सकल ब्याक			मूल्यहास			निवल ब्याक		
		01.04.2017 को	संदर्भ	कमी	समायोजन	31.03.2017 को	वर्ष के लिए	01.04.2016 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि - फ्रीहोल्ड		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
कुल		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
पिछले वर्ष 31.03.2017		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49

टिप्पणी सं. 2.3 निवेश संपत्ति

परिसंपत्तियों की श्रेणी		सकल ब्याक			मूल्यहास			निवल ब्याक		
		01.04.2016 को	संदर्भ	कमी	समायोजन	31.03.2017 को	वर्ष के लिए	01.04.2016 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि - फ्रीहोल्ड		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
कुल		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
पिछले वर्ष 31.03.2017		4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49

i) निवेश संपत्ति हेतु लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	(करोड़ रुपए में)
क्रिया आर	शून्य	शून्य	शून्य
क्रिया आर उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य	शून्य
क्रिया आर उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य	शून्य
			(करोड़ रुपए में)
		31.03.2016 को	
		53.58	49.66

(ii) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

(iii) निवेश संपत्ति में फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी द्वारा सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण कंपनी संपत्ति के मूल्य के उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में फ्री-निर्धारित मूल्य उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अंतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(iv) मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को संपत्ति स्थित होने वाले स्थान में विद्यमान राज्य सरकार द्वारा अधिस्थित सॉकिल रेट के आधार पर निकाला गया है।

टिप्पणी सं. 2.4 अमूर्त परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की श्रेणी	01.04.2017 को	संकलन	कमी	समयोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को	वर्ष के लिए	समयोजन	31.03.2018 को	31.03.2017 को	निवल ब्याक
भूमि - उपयोग का अधिकार	2,102.41	0.47	-	(3.50)	2,099.38	120.69	61.41	-	182.10	1,917.28	1,981.72
अमूर्त परिसंपत्तियां - कम्प्यूटर साफ्टवेयर	8.09	1.41	-	-	9.50	5.61	2.48	-	8.09	1.41	2.48
कुल	2,110.50	1.88	-	(3.50)	2,108.88	126.30	63.89	-	190.19	1,918.69	1,984.20
गत वर्ष	1,971.14	139.41	0.04	(0.01)	2,110.50	61.81	64.51	(0.02)	126.30	1,984.20	1,909.33

विवरणालक टिप्पणी :-

टिप्पणी : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण परिसंपत्तियों के संकलन ब्याक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संवित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 में मुद्देय करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.4 का अनुबंध - 1 अमूर्त परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की श्रेणी	01.04.2017 को	संकलन	कमी	समयोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को	वर्ष के लिए	समयोजन	31.03.2018 को	31.03.2017 को	निवल ब्याक
भूमि - उपयोग का अधिकार	2,455.82	0.47	-	(3.50)	2,452.79	474.10	61.41	-	555.51	1,917.28	1,981.72
अमूर्त परिसंपत्तियां - कम्प्यूटर साफ्टवेयर	46.29	1.41	0.02	-	47.68	43.81	2.48	(0.02)	46.27	1.41	2.48
कुल	2,502.11	1.88	0.02	(3.50)	2,500.47	517.91	63.89	(0.02)	581.78	1,918.69	1,984.20
गत वर्ष	2,382.83	139.41	0.12	(0.01)	2,502.11	453.50	64.51	(0.10)	517.91	1,984.20	1,909.33

(करोड़ रुपए में)

टिप्पणी सं. 2.4 अमूर्त परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्याक			मूल्यांकन			नितल ब्याक		
	01.04.2016 को	संवेदन	कमी	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2017 को
मूल - उपयोग का अधिकार	1,964.38	138.06	0.04	0.01	2,102.41	59.20	61.50	(0.01)	1,981.72
अमूर्त परिसंपत्तियां - कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	6.76	1.35	-	(0.02)	8.09	2.61	3.01	(0.01)	2.48
कुल	1,971.14	139.41	0.04	(0.01)	2,110.50	61.81	64.51	(0.02)	1,984.20
गत वर्ष	1,915.93	58.52	0.01	(3.30)	1,971.14	-	62.24	(0.43)	1,909.33

विवरणालक टिप्पणी :-

टिप्पणी : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संशोधित मूल्यांकन इस टिप्पणी के अनुसार है। में मुद्देय करवाए गए के अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.4 का अनुबंध-1 अमूर्त परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्याक			मूल्यांकन			नितल ब्याक		
	01.04.2016 को	संवेदन	कमी	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2017 को
मूल - उपयोग का अधिकार	2,317.87	138.06	0.12	0.01	2,455.82	412.69	61.50	(0.09)	1,981.72
अमूर्त परिसंपत्तियां - कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	44.96	1.35	-	(0.02)	46.29	40.81	3.01	(0.01)	2.48
कुल	2,362.83	139.41	0.12	(0.01)	2,502.11	453.50	64.51	(0.10)	1,984.20
गत वर्ष	2,307.89	58.52	0.28	(3.30)	2,362.83	391.96	62.24	(0.70)	1,909.33

टिप्पणी सं. 2.5.1 : इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित निवेश
संयुक्त उद्यमों में हित

नीचे सूचीबद्ध किए गए निकायों की शेयर पूंजी में पूर्णतः इक्विटी शेयर शामिल है जो सीधे समूह द्वारा धारित है। अधिनिगमन या पंजीकरण का देश ही उनके व्यापार का प्रधान स्थान है, और स्वामित्व हित का अनुपात उनके द्वारा धारित मताधिकार के अनुपात के समान है।

(करोड़ रुपये में)

निकाय का नाम और संबंध	स्वामित्व हित का प्रतिशत				वहन राशि	
	व्यापार का स्थान	लेखांकन पद्धति	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल), संयुक्त उद्यम	भारत	इक्विटी पद्धति	20.00%	20.00%	27.83	29.97
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	भारत	इक्विटी पद्धति	55.39%	49.78%	593.64	470.60
कुल इक्विटी लेखांकित निवेश					621.47	500.57

विवरणात्मक टिप्पणी :

- वर्ष के दौरान कंपनी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (सीवीपीपीएल) में 122.36 करोड़ रुपये का और निवेश किया है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की शेयरधारिता बढ़कर 55.39 प्रतिशत हो गई है। तथापि, सीवीपीपीएल संयुक्त उद्यम समझौते के अनुपालन में अन्य संयुक्त उद्यमों के साथ संयुक्त रूप से नियंत्रण प्राप्त रहने के चलते एक संयुक्त उद्यम बना हुआ है।

कंपनी ने शेयर आवेदन के प्रति 65.19 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया है (देखें टिप्पणी संख्या 3.4)।

टिप्पणी सं. 2.5.2 : इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/(हानि) का अंश

(करोड़ रुपये में)

निकाय का नाम	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड	(2.14)	-
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	2.06	2.74
कुल	(0.08)	2.74

टिप्पणी सं. 2.5.3 : इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का अंश

(करोड़ रुपये में)

निकाय का नाम	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड	0.01	-
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	-	-
कुल	0.01	-

विवरणात्मक टिप्पणी :
संयुक्त उद्यमों हेतु सारबद्ध वित्तीय सूचना

नीचे दी गई तालिका समूह के संयुक्त उद्यमों हेतु सारबद्ध वित्तीय जानकारी मुहैया करवाती है। प्रकट की गई सूचना संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि को प्रदर्शित करती है। इन्हें इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निकाय द्वारा किए जाने वाले समायोजनों को प्रदर्शित करने के लिए संशोधित किया गया है, जिसमें लेखांकन नीतियों में अंतर हेतु एकत्रीकरण तथा संशोधन के समय किए गए उचित मूल्य समायोजन शामिल हैं।

1. सारबद्ध तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए में)

विवरण	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
वर्तमान परिसंपत्तियां				
नकदी और नकदी तुल्य	6.05	0.57	174.25	141.81
अन्य परिसंपत्तियां	4.43	43.27	7.00	2.63
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	10.48	43.84	181.25	144.44
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	341.17	327.59	1,201.91	1,012.98
कुल परिसंपत्तियां (क)	351.65	371.43	1,383.16	1,157.42
वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं (देय व्यापार के अतिरिक्त)	24.00	-	123.37	200.00
अन्य देयताएं	55.57	48.16	115.52	10.62
कुल वर्तमान देयताएं	79.57	48.16	238.89	210.62
गैर-वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं (देय व्यापार के अतिरिक्त)	132.81	173.30	0.14	0.71
अन्य देयताएं	0.13	0.13	2.27	0.72
कुल गैर-वर्तमान देयताएं	132.94	173.43	2.41	1.43
कुल देयताएं (ख)	212.51	221.59	241.30	212.05
निवल परिसंपत्तियां (क-ख)	139.14	149.84	1,141.86	945.37
घटाएं : आवंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन राशि	-	-	65.19	-
आवंटन लंबित रहने वाली शेयर आवेदन राशि के समायोजन के पश्चात निवल परिसंपत्ति	139.14	149.84	1,076.67	945.37

2. वहन राशि का मिलान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	149.84	108.31	945.37	215.89
वर्ष हेतु लाभ	(10.72)	-	3.95	5.50
अन्य व्यापक आय	0.04	-	-	-
इक्विटी अंशदान	-	41.53	127.36	723.98
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	139.16	149.84	1,076.68	945.37
समूह का अंश (प्रतिशत में)	20.00%	20.00%	55.39%	49.78%
समूह का अंश	27.83	29.97	525.82	470.60
साख	-	-	69.20	-
वहन राशि	27.83	29.97	595.02	470.60
घटाएं : अंतर समूह कारोबार पर वसूल न किया गया लाभ	-	-	1.38	-
निवल वहन राशि	27.83	29.97	593.64	470.60

3. सारबद्ध लाभ एवं हानि विवरण

(करोड़ रुपए में)

	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
राजस्व	20.84	-	-	-
ब्याज आय	1.25	-	6.20	10.88
मूल्यहास और परिशोधन	6.28	-	-	-
ब्याज व्यय	14.80	-	-	-
अन्य व्यय	11.73	-	0.54	1.73
आयकर व्यय	-	-	1.71	3.65
सतत प्रचालनों से लाभ	(10.72)	-	3.95	5.50
वर्ष हेतु लाभ	(10.72)	-	3.95	5.50
अन्य व्यापक आय	0.04	-	-	-
कुल व्यापक आय	(10.68)	-	3.95	5.50

टिप्पणी सं. 3.1 : गैर वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
क. उद्धृत इक्विटी निवेश - अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर				
इंडियन ओवरसीज बैंक (पूर्णतः प्रदत्त) (10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	360800	0.62	360800	0.96
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त) (10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	12000000	104.52	12000000	111.48
कुल (क)		105.14		112.44
ख. उद्धृत ऋण निवेश - अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश				
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट्स इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024 * (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	150000	154.21	150000	159.20
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	12380	12.64	12380	13.01
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2027 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	57000	59.17	57000	61.25
8.26 प्रतिशत भारत सरकार 2027 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	17940	18.62	17940	19.20
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	35000	36.66	35000	37.18
8.32 प्रतिशत भारत सरकार 2032 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	34000	35.75	34000	36.88
उप जोड़ (क)		317.05		326.72

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कोरपोरेट्स बांड्स में निवेश				
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बाण्ड 15.11.2032 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	120	13.89	120	13.45
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बाण्ड 27.03.2027 (1000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	100000	11.31	100000	11.30
8.48 प्रतिशत एनएचएआई कर मुक्त 22.11.2028 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	473	55.90	473	55.50
उप-जोड़ (ख)		81.10		80.25
कुल (ख) (क + ख)		146.98		146.98
कुल (क + ख)		146.98		146.98
(क) उद्धृत निवेश				
(i) समग्र लागत		381.95		381.95
(ii) समग्र बाजार मूल्य		503.29		519.41
(ख) निवेश के मूल्य में क्षति की संचित राशि		-		-

* 150 करोड़ रूपए की सरकारी प्रतिभूतियों को 146.98 करोड़ रूपए के "बाण्ड मोचन आरक्षित" के प्रति प्रतिभूति के तौर पर रखा गया है।

टिप्पणी सं. 3.2 : गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - प्राप्य व्यापार

विवरण	(करोड़ रूपए में)	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क) लाभग्राहियों से प्राप्य - अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	306.57	275.82
कुल +	306.57	275.82

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

उक्त समझौते के अनुसार लागू ब्याज के साथ किश्तों में प्राप्य विलंबन हेतु सहमत देयों को दर्शाता है।

टिप्पणी सं. 3.3 : गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

विवरण	(करोड़ रूपए में)	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क) कर्मचारी ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित) (परिशोधित लागत पर)		
प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	133.15	144.33
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	2.26	12.54
उप जोड़	135.41	156.87
ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण		
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	225.00	225.00
उप जोड़	225.00	225.00
कुल	360.41	381.87

विवरणात्मक टिप्पणी :-

i) अन्य ऋण (कर्मचारी) ने अवधि के अंत में कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय ऋण शामिल है	0.10	0.14
ii) फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिनमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है	-	-
iii) ऋण गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो कंपनी हेतु एक स्थिर तथा परिवर्तनशील ब्याज आय उत्पन्न करता है। वहन राशि दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण प्रभावित हो सकती है।		

टिप्पणी सं. 3.4 : गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क. 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	35.15	413.77
ख. प्राप्य पट्टा किराया *	5,399.43	5,470.30
ग. निम्नलिखित पर प्रोदभूत ब्याज		
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	343.81	296.84
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक देय	1.37	5.71
घ. शेयर आवेदन राशि - सीवीपीपीएल (आवंटन लंबित होने के चलते) **	65.19	-
कुल	5,844.95	6,186.62

* प्रतिभूति के रूप में प्राप्य गिरवी/रेहन हेतु टिप्पणी संख्या 11 - लेख के अन्य विवरणात्मक टिप्पणी का पैरा 12 देखें।

** आवंटन की प्रत्याशित तिथि 30 जून, 2018 है।

टिप्पणी सं. 4 : गैर वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां (एनईटी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
स्त्रोत पर अग्रिम आयकर व कर कटौती	1,365.40	1,592.95
घटाएं: कर निर्धारण के लिए प्रावधान	1,150.87	1,477.46
कुल	214.53	115.49

टिप्पणी सं. 5 अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क. पूंजी अग्रिम		
प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	12.20	1.97
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
- बैंक गारंटी के बदले	280.73	358.19
अन्य	357.49	162.39
घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	2.17	4.21
अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	4.50	4.50
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	4.50	4.50
उप जोड़	648.25	518.34

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
ख. पूंजीगत जमा के अतिरिक्त अन्य अग्रिम		
i) जमा राशियां		
अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	35.60	30.25
घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के प्रति प्रावधान	15.29	15.55
अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.04	0.04
घटाएं : संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2	0.04	0.04
उप जोड़	20.31	14.70
ii) अन्य अग्रिम		
अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.49	0.14
उप जोड़	0.49	0.14
ग. अन्य		
i) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां/ व्यय		
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	432.68	415.04
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर विलंबित व्यय	133.02	144.42
	565.70	559.46
ii) दिए गए कर्मचारी ऋणों पर विलंबित लागत		
प्रतिभूत - अच्छे माने गए	59.17	48.88
अप्रतिभूत - अच्छे माने गए	6.06	2.06
उप जोड़	65.23	50.94
कुल	1,299.98	1,143.58
* 1 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	4.50	0.13
वर्ष के दौरान वर्धन	-	4.37
अंतिम शेष	4.50	4.50
* 2 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	0.04	0.50
वर्ष के दौरान वर्धन	-	0.04
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	0.50
अंतिम शेष	0.04	0.04

टिप्पणी सं. 6 : मालसूची

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या (10.0) के अनुसार मूल्यांकित		
भंडार तथा कलपुर्जे	102.39	99.85
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	2.81	1.88
खुले औजार	2.06	2.21
रद्दी मालसूची	1.49	2.01
स्थल पर सामग्री	4.99	4.83
घटाएं : अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *1	9.06	9.98
कुल	104.68	100.80
* 1 अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	9.98	22.48
वर्ष के दौरान वर्धन	0.40	0.52
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	1.11	11.27
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.21	1.75
अंतिम शेष	9.06	9.98
व्याख्यात्मक टिप्पणी :		
i) वर्ष के दौरान निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) को पश्च लेखित माल-सूची और लाभ या हानि में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।	0.40	0.52

टिप्पणी सं. 7 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - प्राप्य व्यापार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
अप्रतिभूत - अच्छे माने गए	1,346.04	1,854.01
अप्रतिभूत - संदिग्ध माने गए	37.71	54.40
घटाएं - संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान *1	37.71	54.40
कुल	1,346.04	1,854.01
* 1 संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	54.40	56.37
वर्ष के दौरान वर्धन	1.93	19.57
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	18.35	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.27	21.54
अंतिम शेष	37.71	54.40
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
i) व्यापार प्राप्य अप्रतिभूत - अच्छे माने गए में उक्त समझौते के अनुसार लागू ब्याज के साथ समान मासिक किश्तों में प्राप्य विलंबन हेतु सहमत देय शामिल है।	152.04	203.97
ii) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें क्रमशः कंपनी का कोई निदेशक भागीदार अथवा निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य
iii) उपरोक्त बिंदु (1) पर कंपनी के संयुक्त उद्यमों तथा अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	शून्य	शून्य
iv) वर्तमान प्राप्तियों की अल्पावधि प्रकृति के कारण उनकी वहन राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।		

टिप्पणी सं. 8 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - नकदी और नकदी तुल्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क. बैंकों के साथ शेष		
अनुसूचित बैंकों के साथ		
i) चालू खाते में	19.05	72.56
ii) जमा खाते में		
(3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले जमा)	1.46	0.88
ख. हस्तगत नकदी		
हस्तगत नकदी	0.03	0.13
कुल	20.54	73.57
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
1) हस्तगत नकदी - (इसमें हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं)	0.01	0.01
2) अन्यो की ओर से नकदी और बैंक शेष और जो कंपनी के लिए व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं तथा उसे उक्त राशि में शामिल किया गया है :-		
क) कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हेतु धारित।	0.22	7.74

टिप्पणी सं. 9 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - नकदी और नकदी तुल्य के अतिरिक्त अन्य शेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क. बैंकों के साथ शेष - जमा खाते में	3,193.58	3,297.67
ख. जमा खाता - अदा न किया गया लाभांश/ब्याज	104.94	101.22
कुल	3,298.52	3,398.89
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
1) ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हेतु धारित नकदी और बैंक शेष जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं उसे उक्त राशि में शामिल किया गया है।	250.49	242.48
2) नकदी और बैंक शेष में वह राशि शामिल है जो माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंकों में लियन पर रखी गई है और उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।	11.12	10.36

टिप्पणी सं. 10 : वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
संबंधित पक्षों को ऋण		
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	6.00	-
उप जोड़	6.00	-
अन्य ऋण		
कर्मचारी (प्रोदभूत ब्याज सहित)		
प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	20.09	2.91
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	25.36	28.52
अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	0.03	0.03
घटाए - संदिग्ध कर्मचारी ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान *1	0.03	0.03
उप जोड़	45.45	31.43
कुल	51.45	31.43
* 1 संदिग्ध कर्मचारी ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	0.03	0.03
अंतिम शेष	0.03	0.03
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अवधि के अंत में देय ऋण तथा अग्रिम	0.11	0.11
फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है	शून्य	शून्य

टिप्पणी सं. 11 वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान - अन्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क) प्राप्य दावे	619.93	674.57
घटाएं - संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान *1	210.41	209.26
उप जोड़	409.52	465.31
ख) बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय	116.21	117.41
ग) संयुक्त उद्यमियों से प्राप्य	104.75	193.23
घ) लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज	5.32	22.21
ङ) प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) - वर्तमान	178.63	267.10
च) वित्त पट्टे पर प्राप्य ब्याज	18.92	0.45
छ) बॉण्ड पर प्रोदभूत ब्याज	2.52	2.52
ज) बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य	796.16	1,169.94
झ) माध्यस्थम निर्णय के प्रति संविदाकारों को अग्रिम	536.06	-
कुल	2,168.09	2,238.17
1 संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	209.26	200.96
वर्ष के दौरान वर्धन	3.36	22.46
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.01	8.55
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	2.20	5.61
अंतिम शेष	210.41	209.26
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
1) बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य में निम्नलिखित शामिल है		
इक्विटी पर प्रतिफल को सकल रूप देना	37.23	25.15
जम्मू एवं कश्मीर जल उपकर	160.92	226.22
मार्च माह हेतु बिल न की गई बिक्री	389.50	396.97
टैरिफ आदेश के संशोधन के कारण बिक्री - चुटक पावर स्टेशन	-	64.73
टैरिफ आदेश के संशोधन के कारण बिक्री - चमेरा-III पावर स्टेशन	2.83	2.83
टैरिफ आदेश की प्रतीक्षारत बिक्री को मान्यता (अनुमानित) - निम्नो बाजगो पावर स्टेशन	(18.14)	(3.44)
कर समायोजन	138.70	109.79
विदेश मंत्रालय बिक्री	7.51	7.24
पार्वती-III (चौथी यूनिट) अनुमानित बिक्री	-	244.86
एफईआरवी	66.05	79.80
अन्य	11.56	15.79
कुल	796.16	1,169.94
2) अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम से प्राप्य में कीरुऔर कवार जलविद्युत परियोजनाओं पर किया गया व्यय शामिल है जिसे मैसर्स सीवीपीपीपीएल (एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को अंतरित किया गया है।		
3) उक्त (क) पर प्राप्य दावों में मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्य 26.43 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 103.66 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है जिसका ब्यौरा लेखे की अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों (टिप्पणी सं. 34 में क्रम सं.7) में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें प्राप्य टीडीएस के प्रति 0.08 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.08 करोड़ रुपए) और भू-वंचितों से दोहरे भुगतान के प्रति प्राप्य 0.12 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.12 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है जिसके लिए पहले से प्रावधान किया गया है।		

टिप्पणी सं. 12 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
वर्तमान कर (देखें टिप्पणी सं.-23)	0.40	78.30
कुल	0.40	78.30

टिप्पणी सं. 13 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क. पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		
क) जमा		
अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	123.88	138.92
घटाए : सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत मांग के प्रति प्रावधान	0.10	11.59
उप जोड़	123.78	127.33
ख) संविदाकार/आपूर्तिकार को अग्रिम		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	1.13	0.64
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
बैंक गारंटी के प्रति	15.43	112.51
अन्य	26.16	34.80
घटाए : उपयोग प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	0.45	0.43
- अप्रतिभूत (संदिग्ध माने गए)	45.52	45.52
घटाए : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान * ¹	45.52	45.52
उप जोड़	42.27	147.52
ग) अन्य अग्रिम - कर्मचारी		
अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.75	0.62
उप जोड़	0.75	0.62
घ) निम्न पर प्रोदभूत ब्याज :		
अन्य		
अच्छे समझे गए	9.78	65.31
संदिग्ध माने गए	104.11	84.32
घटाए : संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान * ²	104.11	84.32
उप जोड़	9.78	65.31
ख. अन्य		
क) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय		
घटाए : पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान * ³	37.06	37.06
उप जोड़	37.06	37.06
ख) पश्च लेखन स्वीकृति/जांच लंबित हेतु प्रतीक्षित हानियां		
घटाए : लंबित जांच/पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियों हेतु प्रावधान * ⁴	38.96	40.03
उप जोड़	38.96	40.03

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
ग) पूर्वप्रदत्त व्यय	83.87	56.44
घ) विलंबित कर्मचारी लागत		
प्रतिभूत - अच्छे समझे गए	6.26	23.48
अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	0.06	1.92
ङ) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव		
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर परिसंपत्तियां	66.36	78.72
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर विलंबित व्यय	7.93	4.46
च) अधिशेष/अप्रचलित परिसंपत्तियां	1.81	1.99
छ) इनपुट जीएसटी	5.96	-
ज) अन्य	10.61	45.67
कुल	359.44	553.46
1 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकार)		
प्रारंभिक शेष	45.52	45.52
अंतिम शेष	45.52	45.52
2 संदिग्ध प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	84.32	67.08
वर्ष के दौरान वर्धन	19.79	19.79
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	2.55
अंतिम शेष	104.11	84.32
*3 पश्चलेखन स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित परियोजना व्यय हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
अंतिम शेष	37.06	37.06
*4 जांच लंबित/पश्चलेखन स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	40.03	37.90
वर्ष के दौरान वर्धन	0.36	2.77
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.82	0.43
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.61	0.21
अंतिम शेष	38.96	40.03
व्याख्यात्मक टिप्पणी :		
1 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा वर्ष/अवधि के अंत में देय ऋण तथा अग्रिम	-	-
2 फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है, से देय अग्रिम	-	-
3 (ज) में अन्य में एनएचपीसी लिमिटेड के विलंबित कर को मूर्त रूप देना शामिल है (देखें टिप्पणी सं. 24.1)।	-	45.35
4 निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्य तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कम पर दर्शाया गया है।		

टिप्पणी सं. 14 : नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(i) सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष		
प्रारंभिक शेष	2,697.99	2,181.28
वर्ष के दौरान वर्धन	474.82	516.71
अंतिम शेष	3,172.81	2,697.99
(ii) तीसरी पीआरसी के अनुसार वेतन संशोधन		
प्रारंभिक शेष	214.93	-
वर्ष के दौरान वर्धन (लाभ एवं हानि के माध्यम से)	259.25	205.88
वर्ष के दौरान वर्धन (अन्य व्यापक आय के माध्यम से)	(23.68)	9.05
अंतिम शेष	450.50	214.93
(iii) मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर		
प्रारंभिक शेष	(2.50)	-
वर्ष के दौरान वर्धन	2.10	(2.50)
अंतिम शेष	(0.40)	(2.50)
अंतिम शेष (क) = (i)+(ii)+(iii)	3,622.91	2,910.42
(iv) नियामक विलंबित लेखा शेष पर विलंबित कर परिसंपत्तियां	(100.77)	(72.27)
घटाएं : विलंबित कर परिसंपत्तियों के प्रति विलंबित कर समायोजन	(100.77)	(72.27)
जोड़ (ख)	-	-
नियामक विलंबित लेखा शेष विलंबित कर का निवल (क-ख) *	3,622.91	2,910.42
विवरण हेतु टिप्पणी सं. 22 - लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियां का पैरा 23 देखें		

टिप्पणी संख्या 15.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
(क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	15,000,000,000	15,000.00	15,000,000,000	15,000.00
(ख) जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	10,259,320,519	10,259.32	10,259,320,519	10,259.32
(ग) इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन				
बकाया शेयरों की प्रारंभिक संख्या	10,259,320,519	10,259.32	11,070,668,496	11,070.67
जोड़े : वर्ष के दौरान जारी/ सब्सक्राइब्ड शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी	-	-	-	-
घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद के कारण शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी में कमी	-	-	811,347,977	811.35
बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	10,259,320,519	10,259.32	10,259,320,519	10,259.32

(घ) कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।

(ङ) कंपनी की धारक कंपनी अथवा उसकी अंतिम धारक कंपनी द्वारा धारित कंपनी में प्रत्येक श्रेणी के संबंधित शेयर जिसमें धारक कंपनी या अंतिम धारक कंपनी द्वारा अनुषंगी कंपनियों या एसोसिएट में धारित शेयर शामिल हैं - शून्य।

(च) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए शेयर :

	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	संख्या	प्रतिशत में	संख्या	प्रतिशत में
भारत के राष्ट्रपति	7,587,481,082	73.96%	7,643,406,901	74.50%
भारतीय जीवन बीमा निगम	734,379,599	7.16%	906,183,502	8.83%

(छ) शेयर/विनिवेश की बिक्री हेतु विकल्प तथा संविदाओं/प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत जारी किए जाने हेतु आरक्षित शेयर, शर्तों तथा राशियों सहित - शून्य

(ज) 31.3.2018 से तत्काल पूर्व 5 वित्तीय वर्षों में कंपनी ने नकदी में किसी भुगतान की प्राप्ति के बिना संविदा के अनुपालन में पूर्णतः प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/किसी इक्विटी शेयर को बोनस शेयर के माध्यम से पूर्णतः प्रदत्त के रूप में आवंटित नहीं किया है।

(झ) इक्विटी शेयरों में परिवर्तित की जाने वाली किसी प्रतिभूति की अवधि, ऐसी सुदूरवर्ती तिथि से प्रारंभ करते हुए घटते हुए क्रम में परिवर्तन की नवीनतम तिथि के साथ - शून्य

ज) अदा न किए गए अदत्त मांगों (निदेशकों को तथा अधिकारियों द्वारा अदा न किए गए अदत्त मांगों का संचित मूल्य दर्शाते हुए) - शून्य

ट) जब्त किए गए शेयर (मूलतः अदा की गई राशि) - शून्य

ठ) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने 10 रुपये प्रत्येक के 81,13,47,977 शेयरों की पुनः खरीद को शेयरधारकों से एक अनुपातिक आधार पर 32.25 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर निविदा प्रस्ताव के माध्यम से 2616.60 करोड़ रुपये की कुल राशि पर कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार पूरा किया है।

टिप्पणी सं. 15.2 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(i) पूंजी मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2,041.42	1,230.07
जोड़े : प्रतिभूति प्रीमियम खाते से अंतरित	-	811.35
तुलन-पत्र की तारीख पर	2,041.42	2,041.42
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम खाता		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	242.81	2,868.74
घटाएं : शेयरों की पुनः खरीद हेतु उपयोग और संबंधित व्यय	-	1,814.58
घटाएं : पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित	-	811.35
तुलन-पत्र की तारीख पर	242.81	242.81
(iii) बांड मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,609.27	1,324.20
जोड़े : अधिशेष/प्रतिधारित आय से अंतरित	668.45	394.49
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	148.17	109.42
तुलन-पत्र की तारीख पर	2,129.55	1,609.27
(iv) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	24.31	17.26
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	-	7.05
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	1.04	-
समायोजन	0.02	-
तुलन-पत्र की तारीख पर	23.29	24.31
(v) अनुसंधान एवं विकास निधि		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	60.87	45.52
जोड़े : अधिशेष/प्रतिधारित आय से अंतरित	-	15.35
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलेखित	43.90	-
तुलन-पत्र की तारीख पर	16.97	60.87
(vi) सामान्य आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10,224.43	10,224.43
तुलन-पत्र की तारीख पर	10,224.43	10,224.43
(vii) प्रतिधारित आय/अधिशेष		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	4,417.63	4,775.81
जोड़ें - वर्ष के दौरान लाभ	2,503.90	3,029.42
जोड़ें - ओसीआई से अंतरित	20.40	(42.15)
जोड़ें - बॉण्ड मोचन आरक्षित से पश्च लेखित राशि	148.18	109.42
जोड़ें - सीएसआर निधि से पश्च लेखित राशि	0.53	-
जोड़ें - अनुसंधान एवं विकास निधि से पश्च लेखित राशि	43.89	-
घटाएं : लाभांश और डीडीटी	1,506.46	3,037.98
घटाएं - बॉण्ड मोचन आरक्षित को अंतरण	668.45	394.49
जोड़ें - अनुसंधान और विकास निधि को अंतरण	-	15.35
घटाएं - कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि को अंतरण	-	7.05
तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	4,959.62	4,417.63
(viii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - इक्विटी लिखत		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	100.08	65.29
जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन	(7.30)	34.79
तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	92.78	100.08

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(ix) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - ऋण लिखत		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	34.68	20.72
जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन	(9.09)	15.78
घटाएं - उचित मूल्य में परिवर्तन पर विलंबित कर	(2.12)	1.82
तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	27.71	34.68
कुल	19,758.58	18,755.50

* मूल कंपनी के अंश की सीमा तक

आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन

- पूंजी मोचन आरक्षित** - कंपनी को वितरण योग्य लाभ से एक पूंजी मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित होता है, यदि शेयरों की पुन- खरीद को मुक्त आरक्षित से किया जाए, तो इस प्रकार खरीद किए गए शेयरों के नामितिक मूल्य को पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित किया जाना अपेक्षित होता है।
- प्रतिभूति प्रीमियम खाता** - प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित का उपयोग शेयरों को जारी किए जाने पर प्रीमियम को दर्ज करने के लिए किया जाता है। आरक्षित का उपयोग कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
- बॉण्ड मोचन आरक्षित** - कंपनी को लाभ में से एक बॉण्ड मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित होता है जो बॉण्डों की चुकौती के प्रयोजन हेतु उपलब्ध होता है।
- अनुसंधान और विकास निधि** - आर एण्ड डी बजट के वित्त-पोषण हेतु अनुसंधान एवं विकास निधि को रखा गया है।
- एफवीटीओसीआई-इक्विटी लिखत** - कंपनी ने इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश आरक्षित में ही संचित किए जाते हैं। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब इक्विटी प्रतिभूतियों को संगत विमान्य किया जाता है।
- एफवीटीओसीआई-ऋण लिखत** - कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीटीओसीआई ऋण निवेश आरक्षित में ही संचित किए जाते हैं। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को लाभ एवं हानि के माध्यम से तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब संगत ऋण प्रतिभूतियों को विमान्य किया जाता है।

टिप्पणी सं. 15.3 : गैर-नियंत्रक हित (एनसीआई)

(करोड़ रुपए में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
एनएचडीसी लिमिटेड	2,893.56	3,346.76
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लि.)	35.64	35.48
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	5.71	-
कुल	2,934.91	3,382.24

क) व्याख्यात्मक टिप्पणी :
अन्य निकायों में हित

31 मार्च, 2018 के अनुसार समूह की अनुषंगी कंपनियां नीचे दिए अनुसार है। जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो, उनकी शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर शामिल है जो सीधे समूह द्वारा धारित है, और स्वामित्व हितों का अनुपात समूह द्वारा धारित मत अधिकारों के समान है। अधिनिगमन या पंजीकरण का देश ही उनके व्यापार का प्रधान स्थान है।

निकाय का नाम	व्यापार का स्थान/ अधिनिगमन का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर-नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रधान क्रियाकलाप
		31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	
		%	%	%	%	
एनएचपीसी लिमिटेड	भारत	51.08	51.08	48.92	48.92	विद्युत उत्पादन
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल.)	भारत	74.00	74.00	26.00	26.00	विद्युत उत्पादन
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत	99.99	99.99	0.01	0.01	विद्युत उत्पादन

ख) गैर-नियंत्रक हित (एनसीआई)

नीचे प्रत्येक अनुषंगी कंपनी हेतु सारबद्ध वित्तीय सूचना दी गई है जिसके समूह में गैर-नियंत्रक हित है। प्रत्येक अनुषंगी कंपनी हेतु प्रकट की गई राशियां अंतर-कंपनी समाप्ति से पूर्व की है।

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचपीसी लिमिटेड		लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल.)		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
वर्तमान परिसंपत्तियां	2,359.75	2,749.37	13.00	26.14	11.57	11.37
वर्तमान देयताएं	408.45	364.80	7.72	5.69	1.66	12.65
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	1,951.30	2,384.57	5.28	20.45	9.91	-1.28
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	5,485.75	6,059.22	131.80	115.99	9.26	1.88
गैर-वर्तमान देयताएं	1,482.30	1,561.68	-	-	10.00	-
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	4,003.45	4,497.54	131.80	115.99	(0.74)	1.88
निवल परिसंपत्तियां	5,954.75	6,882.11	137.08	136.44	9.17	0.60
आवंटन लंबित रहने वाली शेयर आवेदन राशि	-	-	-	-	5.71	-
निर्दिष्ट आरक्षित *	40.27	41.29	-	-	-	-
गैर नियंत्रक हित का कुल	2,893.56	3,346.76	35.64	35.48	5.71	-

* निर्दिष्ट आरक्षित अनुसंधान और विकास निधि और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के संबंध में है।

ग) सारबद्ध लाभ एवं हानि विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचपीसी लिमिटेड		लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल.)		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
राजस्व	1,056.68	1,599.62	1.00	2.01	0.04	0.04
वर्ष हेतु लाभ/ (हानि)	553.18	931.28	0.64	1.11	(0.15)	(0.32)
अन्य व्यापक आय	0.47	(2.09)	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	553.65	929.19	0.64	1.11	(0.15)	(0.32)
एनसीआई को आवंटित लाभ	270.64	450.62	0.17	0.29	-	-
एनसीआई को अदा किया गया लाभ (डीडीटी सहित)	724.58	235.75	-	-	-	-

घ) सारबद्ध नकदी प्रवाह

विवरण	एनएचपीसी लिमिटेड		लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल.)		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	866.77	1,185.22	3.41	4.39	(1.16)	0.86
निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	613.67	(928.84)	(3.45)	(4.39)	(1.64)	(0.82)
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(1,480.69)	(468.85)	-	-	3.00	-
नकदी तथा नकदी तुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	(0.25)	(212.47)	(0.04)	-	0.20	0.04

टिप्पणी सं. 16.1 : वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
बाण्ड		
प्रतिभूत	11,238.39	8,493.28
सावधि ऋण		
● बैंकों से		
- प्रतिभूत	20.00	2,259.36
- अप्रतिभूत	-	107.18
● अन्य पक्षों से		
- प्रतिभूत	1,206.67	2,219.45
- अप्रतिभूत - सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	3,163.79	3,032.29
- अप्रतिभूत - अन्य से	1,099.35	1,134.08
कुल	16,728.20	17,245.64

चुकोती/पुनर्भुगतान की शर्तें आदि

- ऋण प्रसंविदाएं - टिप्पणी संख्या 33 की बिंदु संख्या 3 (पूँजी प्रबंधन) देखें।
- चुकोती तथा पुनर्भुगतान का विवरण - टिप्पणी 16.1 का अनुबंध देखें।

टिप्पणी सं. 16.1 का अनुबंध

(करोड़ रुपये में)

विमोचन और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनीय और गैर-संचयी) - प्रतिभूत		
i) कर मुक्त बॉण्ड - 3ए सीरीज * 4 और 8 (1000/-+ रुपये प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07
ii) कर मुक्त बॉण्ड - 3बी सीरीज * 4 और 8 (1000/-+ रुपये प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रतिवर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62
iii) बॉण्ड - यू सीरीज * 2 और 10 (1000000/-+ रुपये प्रत्येक के 8.24 प्रतिशत प्रति वर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 27.06.2031)	540.00	540.00
iv) बॉण्ड - यू1 सीरीज * 2 और 10 (1000000/-+ रुपये प्रत्येक के 8.17 प्रतिशत प्रति वर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 27.06.2031)	360.00	360.00
v) कर मुक्त बॉण्ड - 2ए सीरीज * 4 और 8 (1000/-+ रुपये प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष के 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12
vi) कर मुक्त बॉण्ड - 2बी सीरीज * 4 और 8 (1000/-+ रुपये प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष के 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61
vii) कर मुक्त बॉण्ड - 1ए सीरीज * 4 और 8 (1000/-+ रुपये प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष के 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81
viii) कर मुक्त बॉण्ड - 1बी सीरीज * 4 और 8 (1000/-+ रुपये प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष के 10 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (विमोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77
ix) बाण्ड-डब्ल्यू2 सीरीज* 14 (7.35 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रुपये प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2023 से 15.09.2027 तक 150.00 करोड़ रुपये प्रत्येक की 5 वार्षिक चुकौतियां)	750.00	-
x) बाण्ड-वी2 सीरीज* 13 (7.52 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रुपये प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (06.06.2023 से 06.06.2027 तक 295.00 करोड़ रुपये प्रत्येक की 5 वार्षिक चुकौतियां)	1,475.00	-
xi) बॉण्ड - टी- सीरीज * 1, 2 और 10 (12,00,000/-+ रुपये प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष के 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (14.07.2019 से 14.07.2030 के बीच 122.91 करोड़ रुपये के 12 वार्षिक विमोचन)	1,474.92	1,474.92

(करोड़ रुपए में)

विमोचन और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
xii) बॉण्ड - आर-3 सीरीज * 4 (10,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.02.2019 से 11.02.2028 के बीच 89.20 करोड़ रुपए के 10 वार्षिक विमोचन)	892.00	892.00
xiii) बॉण्ड - एस-2 सीरीज * 10 (12,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (26.11.2018 से 26.11.2029 के बीच 55 करोड़ रुपये के 12 वार्षिक विमोचन).	660.00	660.00
xiv) बाण्ड-डब्ल्यू1 सीरीज* 14 (6.91 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रुपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2018 से 15.09.2022 तक 300.00 करोड़ रुपए प्रत्येक की 5 वार्षिक विमोचन)	1,500.00	-
xv) बॉण्ड - वी सीरीज * 13 (5,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 6.84 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 5 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5 है) (24.01.2018 से 24.01.2022 के बीच 155.00 करोड़ रुपये के 5 वार्षिक विमोचन) (31.03.2018 को 155 करोड़ रुपए की चार वार्षिक किश्ते बकाया है)	620.00	775.00
xvi) बॉण्ड - व्यू सीरीज * 5 और 11 (12,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) 1266.00 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.3.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2018 के 105.50 करोड़ रुपए की 9 वार्षिक किश्ते बकाया है।	949.50	1,055.00
xvii) बॉण्ड - आर-2 सीरीज * 4 (12,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) 382.08 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2018 के 31.84 करोड़ रुपए की 9 वार्षिक किश्ते बकाया है।	286.56	318.40
xviii) बॉण्ड - पी सीरीज * 4, 6 और 8 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना चाहिए।) 2000 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 01.2.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2018 के 200 करोड़ रुपए की 7 वार्षिक किश्ते बकाया है।	1,400.00	1,600.00
xix) बॉण्ड -एस1 सीरीज * 10 (8.49 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1000000/- रुपये है और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है।) 365 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 26.11.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2018 के 36.50 करोड़ रुपए की 7 वार्षिक किश्ते बकाया है।	255.50	292.00

(करोड़ रूपए में)

विमोचन और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
xx) बॉण्ड -आर1 सीरीज * 4 (8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/- रुपये है और जो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। 82.20 करोड़ रूपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जाएगी जो 11.2.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2018 के 6.85 करोड़ रूपए की 8 वार्षिक किस्ते बकाया है।	54.80	61.65
xxi) बॉण्ड - ओ सीरीज * 2 (10,00,00,000/-+ रूपए प्रत्येक के 7.70 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (31.03.2018 को पूर्णतः विमोचित किया गया।)	-	57.00
कुल बॉण्ड	12,218.28	9,085.97
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	979.89	592.69
वर्तमान परिपक्वता के निवल (क)	11,238.39	8,493.28
(ख) सावधि ऋण - प्रतिभूत (बैंक)		
i) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (31.03.2018 को 7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऊपरी सीमा के साथ वर्तमान में 7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 3 समान वार्षिक किस्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य जिसमें 3 वर्ष का पुनर्निर्धारण खंड है)	30.00	40.00
ii) कारपोरेशन बैंक *9 (06.06.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	406.25
iii) केनरा बैंक *9 (06.06.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	162.56
iv) इंडियन ओवरसीज बैंक *9 (06.06.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	162.50
v) सिंडिकेट बैंक *9 (06.06.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	243.75
vi) यूनियन बैंक आफ इंडिया *9 (06.06.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	121.88
vii) स्टेट बैंक आफ इंडिया * 3 और 5 (15.09.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	916.67
viii) स्टेट बैंक आफ इंडिया * 8 (15.09.2017 को पूर्णतः चुकता किया गया)	-	460.00
कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रतिभूति)	30.00	2,513.61
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	10.00	254.25
कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रतिभूति) - वर्तमान परिपक्वता के निवल	20.00	2,259.36
(ग) सावधि ऋण - अप्रतिभूति (बैंक) - विदेशी मुद्रा		
i) डॉश बैंक और अन्य *12 (अस्थिर ब्याज दर छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर + 0.57 प्रतिशत मार्जिन पर 54.39 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान छमाही किस्तों में 18.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)	113.45	214.36
कुल सावधि ऋण - बैंक (अप्रतिभूत)	113.45	214.36
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	113.45	107.18
कुल सावधि ऋण - बैंक (अप्रतिभूत) - वर्तमान परिपक्वता का निवल	-	107.18
(घ) सावधि ऋण - अन्य पार्टियों से (प्रतिभूति)		
i) भारतीय जीवन बीमा निगम *4 तथा 6 (31.03.2018 के अनुसार 25.00 करोड़ रुपये पर 9.25 प्रतिशत और 600 करोड़ रुपये पर 8 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 104.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 6 छमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)।	625.00	833.33

(करोड़ रुपए में)

विमोचन और पुनर्भुगतान का विवरण (कुल देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नवत है)	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
ii) भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 11 (31.03.2018 को 9.118 प्रतिशत भारित औसत ब्याज दर 9.118 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 12 समान छमाही किस्तों में 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य।)	948.00	1,106.00
iii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7 (ऋण को 15.09.2017 को पूर्णतः चुका दिया गया है)	-	27.90
iv) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *7 (ऋण को 15.09.2017 को पूर्णतः चुका दिया गया है)	-	31.50
v) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *2&3 (ऋण को 15.09.2017 को पूर्णतः चुका दिया गया है)	-	619.23
vi) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1 (ऋण को 15.09.2017 को पूर्णतः चुका दिया गया है)	-	92.92
viii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1 (ऋण को 15.09.2017 को पूर्णतः चुका दिया गया है)	-	137.50
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)	1,573.00	2,848.38
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	366.33	628.93
कुल सावधि ऋण - अन्य पक्षों से (प्रतिभूत) - वर्तमान परिपक्वता का निवल (घ)	1,206.67	2,219.45
(इ) सावधि ऋण - अन्य पार्टियां से - सरकार (अप्रतिभूत)		
भारत सरकार से ऋण (उचित मूल्य पर)		
i) निम्नो - बाजगो पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 28.85 करोड़ की 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	414.99	394.76
ii) चुटक पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (2.5 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6वें वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 23.11 करोड़ रुपए की 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	478.14	452.13
iii) किशनगंगा पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)	2,293.77	2,185.40
कुल सावधि ऋण - सरकार (अप्रतिभूति)	3,186.90	3,032.29
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	23.11	-
कुल सावधि ऋण - अन्य पक्षों से (प्रतिभूति) - वर्तमान परिपक्वता का निवल (इ)	3,163.79	3,032.29
(च) सावधि ऋण - अन्य से - विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूति)		
i) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रांशे-1*12 (31.03.2018 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.01.2026 तक 7.54 करोड़ रुपए प्रत्येक की 16 समान छमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य)	120.69	128.26
ii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रांशे-2*12 (31.03.2018 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.12.2027 तक 24.75 करोड़ रुपए प्रत्येक की 20 समान छमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य)	494.90	514.28
iii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रांशे-3*12 (31.03.2018 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.03.2034 तक 18.28 करोड़ रुपए प्रत्येक की 32 समान छमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य)	584.89	587.08
कुल सावधि ऋण - अन्य पार्टियां (अप्रतिभूति)	1,200.48	1,229.62
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	101.13	95.54
कुल सावधि ऋण - अन्य पार्टियां (अप्रतिभूति) वर्तमान परिपक्वताओं का निवल (च)	1,099.35	1,134.08
सकल जोड़ (क+ख+ग+घ+इ+च)	16,728.20	17,245.64

* प्रतिभूति का विवरण

- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा पावर स्टेशन-I की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के उड़ी-I पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा पावर स्टेशन-II की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्वती जलविद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौली गंगा पावर स्टेशन की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन में निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
- कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के सलाल पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित सेवा-II पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी के चुटक पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के निम्नो-बाजगो पावर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के उड़ी पावर स्टेशन और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV पावर स्टेशन में कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्वती-III पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा संरक्षित।
- सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता-V पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा संरक्षित।
- उपरोक्त क्रमांक ग(i), च(i), च(ii) और च(iii) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्वती-II परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित कम्पनी के पार्वती-II जलविद्युत परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति साम्य बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभाग द्वारा प्रतिभूति सृजन प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - अन्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
जमा/प्रतिधारण राशि	39.87	25.84
कुल	39.87	25.84

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान - गैर वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
i) दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	472.43	388.03
वर्ष के दौरान वर्धन	0.23	88.19
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	451.16	3.79
अंतिम शेष	21.50	472.43
ख. अन्य		
i) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	15.16	20.43
वर्ष के दौरान वर्धन	0.24	3.55
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	13.65	10.16
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.48	-
छूट की समाप्ति	0.98	1.34
अंतिम शेष	1.25	15.16
ii) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	17.99	16.09
वर्ष के दौरान वर्धन	0.04	1.57
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.96	-
छूट की समाप्ति	0.33	0.33
अंतिम शेष	17.40	17.99
iii) प्रावधान - अन्य		
वर्ष के दौरान वर्धन	0.51	-
अंतिम शेष	0.51	-
कुल	40.66	505.58

* प्रावधानों के संबंध में जानकारी टिप्पणी 34 - लेखे की अन्य विवरणात्मक टिप्पणी के पैरा 22 में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 विलंबित कर देयताएं (निवल) - गैर वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
विलंबित कर देयता		
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	3,846.11	4,080.95
ख) एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	8.46	5.25
ग) अन्य मर्दे	227.16	647.21
घ) अवितरित आय	386.89	479.47
घटाएं - 2009 तक टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य	2,186.70	2,324.21
घटाएं - विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	326.11	796.40
निवल विलंबित कर देयता	1,955.81	2,092.27
घटाएं - समायोजन प्रावधानों के अनुपालन में समायोजित विलंबित कर परिसंपत्तियां		
क) संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	10.68	92.42
ख) कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	9.39	179.30
ग) अन्य मर्दे	224.87	155.26
निवल विलंबित कर परिसंपत्तियां	244.94	426.98
कुल	1,710.87	1,665.29

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित आय पर करों हेतु लेखांकन संबंधी भारतीय लेखांकन मानक 12 के अनुपालन में विलंबित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का सृजन विलंबित कर देयता/परिसंपत्ति के रूप में किया गया है।
- विलंबित कर देयता/परिसंपत्तियों में संचलन टिप्पणी संख्या 18 के अनुबंध में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 18 का अनुबंध
विलंबित कर देयता में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसी वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मर्दे	अवितरित अर्जन	2009 तक टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य	विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	कुल
01 अप्रैल, 2017 को	4,080.95	5.25	647.21	479.47	2,324.21	796.40	2,092.27
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया							
लाभ या हानि को	(234.84)	5.16	(420.05)	(92.58)	(137.51)	(470.46)	(134.34)
ओसीआई को	-	(1.95)	-	-	-	0.17	(2.12)
31 मार्च 2018 को	3,846.11	8.46	227.16	386.89	2,186.70	326.11	1,955.81

विलंबित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2017 को	92.42	179.30	155.26	426.98
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया				-
- लाभ या हानि को	(81.74)	(160.67)	61.33	(181.08)
- ओसीआई को	-	(9.24)	8.28	(0.96)
31 मार्च 2018 को	10.68	9.39	224.87	244.94

विलंबित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति तथा अर्भूत परिसंपत्तियां	एफवीटीओसी आई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	अवितरित अर्जन	2009 तक टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य	विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	कुल
01 अप्रैल, 2016 को	3702.28	27.84	512.46	434.02	2479.98	361.78	1,834.84
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया							
लाभ या हानि को	378.67	(23.69)	134.75	45.45	(155.77)	435.34	255.61
ओसीआई को	-	1.10	-	-	-	(0.72)	1.82
31 मार्च 2017 को	4,080.95	5.25	647.21	479.47	2,324.21	796.40	2,092.27

विलंबित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, माल-सूची तथा अन्य	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2016 को	73.59	33.00	214.62	321.21
(प्रभारित)/ क्रेडिट किया गया				-
लाभ या हानि को	18.83	131.60	(59.36)	91.07
ओसीआई को	-	14.70	-	14.70
31 मार्च 2017 को	92.42	179.30	155.26	426.98

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	1,093.02	1,158.22
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव लेख से विलंबित आय	54.72	60.89
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय	1,705.63	1,558.85
कुल	2,853.37	2,777.96

सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय		
वर्ष के प्रारंभ में	1,637.77	1,515.95
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	238.59	199.77
घटाएं : लाभ एवं हानि विवरण को निर्मुक्त	79.20	77.95
वर्ष के अंत में शेष *	1,797.16	1,637.77
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय (वर्तमान)	91.53	78.92
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय (गैर-वर्तमान)	1,705.63	1,558.85
* अनुदान में निम्नलिखित शामिल है :-		
1) सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित चुटक पावर स्टेशन, निम्नो बाजगो पावर स्टेशन और किशनगंगा जलविद्युत परियोजना से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन	586.13	378.98
2) तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना के स्थापन हेतु एसईसीआई के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	24.98	-
3) मध्य प्रदेश सरकार से इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर पावर स्टेशनों के लिए प्राप्त अनुदान	1176.05	1248.79
4) राज्य में सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	10.00	10.00

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण - वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
ऋण - अन्य ऋण - प्रतिभूत		
बैंकों से	279.99	302.50
कुल	279.99	302.50

ऋण का ब्यौरा

क्र.सं. बैंक का नाम प्रतिभूति की प्रकृति ब्याज दर	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
1 आईडीबीआई बैंक सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 6.81 प्रतिशत	108.00	-
2 आईडीबीआई बैंक सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 6.96 प्रतिशत	171.99	-
3 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 7.25 प्रतिशत	-	225.00
4 ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 7.01 प्रतिशत	-	47.50
5 यूको बैंक सावधि जमा रसीद (एफडीआर) 7.37 प्रतिशत	-	30.00
कुल	279.99	302.50

- (i) पुनर्भुगतान अवधि - ऋण राशि का पुनर्भुगतान किसी भी समय और आंशिक रूप से भी किया जा सकता है।
- (ii) पुनर्भुगतान में चूक (यदि कोई हो) - कोई नहीं

टिप्पणी सं. 20.2 देय व्यापार - वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	7.97	6.32
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	175.81	151.27
कुल	183.78	157.59

टिप्पणी सं. 20.3 अन्य वित्तीय देयताएं - वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता *		
- बॉण्ड	979.89	592.69
- सावधि ऋण - बैंक - प्रतिभूत	10.00	254.25
- सावधि ऋण - बैंक - अप्रतिभूत	113.45	107.18
- अन्य पक्ष - प्रतिभूत	366.33	628.93
- अप्रतिभूत - सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	23.11	-
- अन्य पक्ष - अप्रतिभूत	101.13	95.54
पूजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	438.70	292.45
पूजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता - एमएसएमई	1.58	2.15
ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय न होने वाला ब्याज	572.49	428.56
प्रतिधारण राशि	112.86	104.85
अदा न किया गया लाभांश	18.16	14.26
अदा न किया गया ब्याज	0.11	0.26
कर्मचारियों को देय अन्य	17.71	27.21
अन्य को देय अन्य	76.74	27.34
कुल	2,832.26	2,575.67

* मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि तथा प्रतिभूति के ब्यौरे टिप्पणी संख्या 16.1 के अनुबंध में प्रकट किए गए हैं।

** “अदा न किया गया लाभांश” और “अदा न किया गया ब्याज” में वे राशियां शामिल हैं जिनका इक्विटी शेयर/बॉण्ड के निवेशकों/धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से निवेशक शिक्षा और बचाव निधि को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशि को अंतरित कर दिया गया है।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	65.19	60.68
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लेखे से विलंबित आय	6.17	6.17
भुगतान योग्य सांविधिक देय	362.61	364.08
जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	244.29	244.12
जमा कार्यों पर व्यय की गई राशि	(242.62)	(238.87)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	3,716.66	4,547.45
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों के संबंध में व्यय की गई राशि	(3,502.22)	(4,283.37)
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों के संबंध में वसूली योग्य राशि के प्रति प्रावधान	-	2.28
अन्य देयताएं - ग्राहकों और अन्य से अग्रिम	13.25	10.16
सहायता अनुदान - उपयोग लंबित होने वाली	-	-
सरकार से सहायता अनुदान - विलंबित आय	91.53	78.92
कुल	754.86	791.62

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान - वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
i) दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधान		
(बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	254.22	56.86
वर्ष के दौरान वर्धन	151.69	266.83
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	263.02	69.47
अंतिम शेष	142.89	254.22
ii) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान * 1		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	11.45	8.77
वर्ष के दौरान वर्धन	2.58	3.78
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.11	1.10
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.33	-
अंतिम शेष	13.59	11.45
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	13.09	10.62
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	0.50	0.83
iii) उत्पादकता सहयोजित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	131.62	108.48
वर्ष के दौरान वर्धन	259.10	133.62
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	83.34	110.33
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	23.52	0.15
अंतिम शेष	283.86	131.62
iv) अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	5.95	42.40
वर्ष के दौरान वर्धन	0.79	5.95
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	3.11	42.38
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.02
अंतिम शेष	3.63	5.95
v) वेतन संशोधन हेतु प्रावधान तीसरी वेतन संशोधन समिति		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	108.15	-
वर्ष के दौरान वर्धन	287.06	108.15
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	26.53	-
अंतिम शेष	368.68	108.15

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
ख. अन्य		
i) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	149.91	263.99
वर्ष के दौरान वर्धन	92.65	138.98
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	253.06
अंतिम शेष	242.56	149.91
ii) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	274.07	171.55
वर्ष के दौरान वर्धन	25.34	125.06
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	99.50	22.74
छूट की समाप्ति	0.60	0.20
अंतिम शेष	200.51	274.07
iii) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	47.51	49.35
वर्ष के दौरान वर्धन	1.55	43.43
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	21.68	45.27
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	5.61	-
अंतिम शेष	21.77	47.51
iv) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	14.04	7.25
वर्ष के दौरान वर्धन	1.50	6.53
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.19	0.01
छूट की समाप्ति	0.24	0.27
अंतिम शेष	15.59	14.04
v) प्रावधान - सीएसआर, धारणीय विकास और अनुसंधान एवं विकास		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.07	-
वर्ष के दौरान वर्धन	-	0.07
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.07	-
अंतिम शेष	-	0.07
vi) माध्यस्थ निर्णय/ अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	385.91	295.28
वर्ष के दौरान वर्धन	20.19	102.24
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	8.72	11.09
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	4.82	0.52
अंतिम शेष	392.56	385.91
vii) प्रावधान - अन्य		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	360.10	466.31
वर्ष के दौरान वर्धन	42.00	50.61
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	33.54	135.11
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	37.26	21.71
अंतिम शेष	331.30	360.10
कुल	2,003.85	1,732.38

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- बोर्ड ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी/ खंड-2 के माध्यम से बोर्ड स्तर के कार्यपालकों से नीचे के संबंध में वेतनमान के बारे में सक्षम प्राधिकारी के इस अनुमोदन को सम्प्रेषित किया कि 1.1.97 से निर्धारित वेतनमान में कमियों का सुधार करने के पश्चात वेतनमान 1.1.2007 से निर्धारित किए जाएं और 1.1.97 से निर्धारित विपथनकारी वेतनमानों को नियमित नहीं किया जाए के निदेशों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 25 फरवरी, 2016 के पत्र संख्या 11/17/2009-एनएचपीसी-भाग-III के माध्यम से यह पुष्टि की है कि 1.2.2014 से वैयक्तिक वेतन समायोजन की वसूली सक्षम प्राधिकारी के उक्त निदेश के अनुरूप है। तदनुसार, 31.01.2014 तक अदा किए गए 31.99 करोड़ रूपए के

व्यक्तिगत वेतन समायोजन के प्रति अग्रिम वेतन संशोधन हेतु प्रावधान के प्रति समायोजित कर लिया गया है। तथापि, मामले में अंतिम निर्णय लंबित होने के चलते 13.09 करोड़ रूपए की राशि को अग्रिम में बनाए रखा गया है।

इस प्रकार “वेतन संशोधन हेतु प्रावधान” शीर्ष के अंतर्गत 1.2.2014 से 31.3.2018 तक व्यक्तिगत वेतन समायोजन के प्रति मुहैया करवाई गई संचित राशि 13.59 करोड़ रुपये है (वर्तमान वर्ष 2.58 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित) जिसमें तदनुसूची राशि को “अदा किए गए अग्रिम” के रूप में दर्शाया गया है।

2 प्रावधानों के संबंध में जानकारी तुलन-पत्र की टिप्पणी 34 के पैरा 22 में दी गई है।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

विवरण	(करोड़ रूपए में)	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
आयकर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,006.08	915.79
वर्ष के दौरान वर्धन	822.78	1,005.89
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(1,006.08)	(915.79)
अंतिम शेष	822.78	1,005.89
घटाएं : वर्तमान अग्रिम कर	816.07	1,084.19
निवल वर्तमान कर देयताएं (निवल)	6.71	(78.30)
घटाएं : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (टिप्पणी सं. 12 में ले जाई गई है)	0.40	78.30
कुल	7.11	-

टिप्पणी सं. 24.1 : सतत प्रचालनों से राजस्व

विवरण	(करोड़ रूपए में)	
	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
I प्रचालन राजस्व		
क. बिक्री		
विद्युत की बिक्री	6,520.90	7,214.00
मूल्यहास के प्रति अग्रिम - वर्ष के दौरान पश्च लेखित	60.68	60.68
घटाएं :		
विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन	66.37	51.81
टैरिफ समायोजन	86.26	134.17
विनियमित विद्युत संयोजन	-	27.71
विद्युत के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित)	0.27	0.56
उपभोक्ताओं को छूट	34.74	25.04
उप जोड़ (क)	6,393.94	7,035.39
ख वित्त- पट्टे से आय	782.43	806.55
ग प्रचालन पट्टे से आय	477.17	522.59
घ संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व		
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	61.62	51.94
उप जोड़ (घ)	61.62	51.94
उप जोड़ - 1 (क+ख+ग+घ)	7,715.16	8,416.47
II अन्य प्रचालन राजस्व		
लाभग्राही राज्यों से ब्याज (टैरिफ का संशोधन)	36.08	206.66
उप जोड़-2	36.08	206.66
कुल (1+2)	7,751.24	8,623.13

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013-सीईआरसी दिनांक 21.02.2014 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 49 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों से वसूल की जाती है और इसका लेखांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। तदनुसार, उक्त राशि को संगत वर्ष की विद्युत की बिक्री में शामिल किया गया है।	236.63	238.22
2) पार्वती- I ।। पावर स्टेशन की सभी 4 यूनिटों के टैरिफ प्रस्ताव के संबंध में वर्तमान वर्ष के दौरान सीईआरसी में सुनवाई के दौरान विचार-विमर्श तथा उसके बाद के घटनाक्रमों के आधार पर प्रबंधन वर्तमान जल उपलब्धता तथा निर्माणाधीन पार्वती- I ।। के चालू किए जाने के लंबित रहने को देखते हुए यह आशा करता है कि अनुमानित आधार पर मान्यता प्रदान की गई चौथी यूनिट का राजस्व वसूली योग्य नहीं हो सकता है। तदनुसार, 31.3.2017 तक मान्यता प्रदान किए गए बिल न किए गए राजस्व को अनुमानों में परिवर्तन के कारण वर्तमान वर्ष के दौरान बहियों में प्रत्यावर्तित किया गया है।	(244.86)	-
3) “सीईआरसी” द्वारा अनुमेय किए गए अनुसार “मानद उत्पादन” को बिक्री में शामिल किया गया है।	131.60	115.98
4) दिनांक 21.02.2004 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुसार, प्रचुर सावधानी के तौर पर वर्ष के दौरान बहियों में उक्त राशि का प्रावधान किया गया है।	86.26	134.18
5) टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न पूर्व के वर्ष की बिक्री की राशि जिसे वर्तमान अवधि की बिक्री में शामिल किया गया है।	42.47	197.90
6) कुछ लाभार्थियों द्वारा शुल्क अदा न किए जाने के कारण, उन्हें आवंटित विद्युत के अंश के संदर्भ में सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान विद्युत विनियमित की गई और तदनुसार बिक्री में विनियमित विद्युत के संदर्भ में राशि शामिल है, जो पावर एक्सचेंज के जरिए नीलामी के माध्यम से बेची गई। उक्त विनियम में यह प्रावधान भी है कि इस तरह विनियमित बिजली बेचे जाने और तत्संबंधी बिक्री पर हुए खर्च को समायोजित करने के बाद जो लाभ अर्जित हो उसे उन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जिनकी विद्युत विनियमित की गई हो।	-	61.19
7) अभी बिल न की गई बिक्री की राशि को बिक्री में शामिल किया गया है।	858.90	1,005.66
8) समूह ने विद्युत शुल्क तथा ऊर्जा विकास उपकर के प्रति भुगतान/प्रावधान किया है। विद्युत शुल्क तथा ऊर्जा प्रभाग उपकर लाभग्राहियों से वसूली योग्य है और तदनुसार लाभग्राहियों को इसका बिल भेजा गया है और नीचे दिए गए अनुसार इसे विद्युत की बिक्री में शामिल किया गया है :		
- विद्युत शुल्क	0.21	0.70
- ऊर्जा विकास उपकर	19.86	71.06

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
- एफवीटीओसीआई पर वहन किए गए निवेशों से ब्याज	31.45	31.44
- परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज		
- अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	46.97	43.09
- जमा खाता	298.67	536.65
- कर्मचारी ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	16.00	16.63
- संविदाकारों से अग्रिम पर ब्याज	38.97	41.10
- अन्य	-	0.54
ख) लाभांश आय		
- लाभांश - अन्य	3.60	3.00
ग) अन्य गैर-प्रचालन आय		
विलंब भुगतान अधिभार	390.36	526.75
व्यापार बाधा के कारण हानि की वसूली	59.41	111.80
निवेश की बिक्री पर लाभ	-	6.54
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	6.89	-
बीमा दावे से आय	0.36	7.20
पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान #1	91.44	70.44
संविदाकार को जारी सामग्री		
(i) संविदाकार को जारी सामग्री के कारण बिक्री	24.05	-
(ii) वसूलीयोग्य आधार पर संविदाकारों को जारी सामग्री की लागत	(36.48)	-
(iii) संविदाकार को जारी सामग्री के कारण समायोजन	12.43	-
सहायता अनुदान का परिशोधन	79.20	77.95
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन के कारण आय (जीबीआई)	4.20	-
विनिमय दर अंतर (निवल)	-	4.05
अन्य	60.34	46.79
उप जोड़	1,127.86	1,523.97
घटाएं - निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतर्गत आय	21.17	13.83
घटाएं - अग्रिम को अंतर्गत आय/ग्राहक/संविदादाता से जमा तथा जमा कार्यों के प्रति	5.33	7.38
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल	1,101.36	1,502.76
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
#1 पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/ प्रावधानों का ब्यौरा		
(क) भंडार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी (* 1 टिप्पणी सं. 6 के अंतर्गत)	0.21	1.75
(ख) खराब और संदिग्ध ऋण (* 1 टिप्पणी सं. 7 के अंतर्गत)	0.27	21.54
(ग) संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान (* 1 टिप्पणी सं. 11 के अंतर्गत)	2.20	5.61
(घ) संदिग्ध प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान (* 2 टिप्पणी सं. 13 के अंतर्गत)	-	2.55
(ङ) जांच लंबित/पश्चलेखन स्वीकृति प्रतीक्षित हानियों हेतु प्रावधान (* 4 टिप्पणी सं. 13 के अंतर्गत)	0.61	0.21

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(च) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 का क्रम सं.क (2))	0.33	-
(छ) पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या क(3))	23.52	0.15
(ज) अधिवर्षिता/पेंशन निधि हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या क(4))	-	0.02
(झ) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 17 की क्रम सं. ख(1) और टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या ख(2))	1.48	-
(ञ) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्ययों हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या ख(3))	5.61	-
(ट) तीसरे पीआरपी हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 22 की क्रम संख्या क(5))	26.53	-
(ठ) अन्य	30.68	38.61
कुल	91.44	70.44

- 2 लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 23 में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 25.84 करोड़ रुपये (गत वर्ष 26.99 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 25.82 करोड़ रुपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114-विनियामक विलंबित लेखे के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 25 : उत्पादन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
जल उपयोग प्रभार	691.80	748.40
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	29.38	26.75
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	721.18	775.15

टिप्पणी सं. 26 : कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	1,626.41	1,497.01
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	242.01	344.17
कर्मचारी कल्याण व्यय	91.34	91.34
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	-	0.09
उप जोड़	1,959.76	1,932.61
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित कर्मचारी लागत	250.26	253.20
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	1.44	1.34
लाभ एवं हानि विवरण को ले जाया गया कुल	1,708.06	1,678.07

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1	प्रचालन पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण तुलन-पत्र की टिप्पणी 34 के पैरा 18 (क) में दिए गए हैं।		
2	उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल हैं :	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
	i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	77.07	78.83
	ii) कर्मचारी निर्धारित योगदान अधिवर्षिता योजना	83.87	92.22
3	वर्ष हेतु कर्मचारी लाभ व्यय में 259.25 करोड़ रुपये (तदनुरूपी पिछले वर्ष 205.88 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जिन्हें लेखाबहियों में लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर कर्मचारी लाभों में प्रत्याशित वृद्धि के प्रति मुहैया करवाया गया है।		
4	लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 23 में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 85.01 करोड़ रुपये (गत वर्ष 92.74 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 84.81 करोड़ रुपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114 -“नियामक विलंबित लेखे” के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।		

टिप्पणी सं. 27 : वित्त लागत

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज		
बॉण्ड	947.97	749.33
सावधि ऋण	252.84	607.30
विदेशी ऋण	22.55	26.27
भारत सरकार ऋण	33.92	30.37
छूट का समापन - भारत सरकार ऋण	17.73	12.38
उप जोड़	1,275.01	1,425.65
ख. अन्य ऋण लागत		
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.54	0.37
प्रतिबद्धता शुल्क	0.04	-
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	19.93	22.96
अन्य वित्त प्रभार	10.12	5.90
छूट का समापन - प्रावधान और वित्तीय देयताएं	5.71	5.37
उप जोड़	36.34	34.60
ग. विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन पर लागू निवल लाभ/हानि		
विनिमय अंतर जिन्हें ब्याज लागत पर समायोजन माना गया है	71.65	2.28
घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर में अंतर के कारण ब्याज समायोजन	(71.65)	(2.28)
उप जोड़	-	-
कुल (क+ख+ग)	1,311.35	1,460.25
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय को अंतरित वित्त लागत	388.71	386.81
घटाएं : जमा कार्यों से प्राप्य	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	922.64	1,073.44

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 23 में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 331.39 करोड़ रुपये (गत वर्ष 365.32 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 331.39 करोड़ रुपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114-“नियामक विलंबित लेखे” के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. : 28 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय	1,496.73	1,483.06
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन	1.76	(1.71)
उप जोड़	1,498.49	1,481.35
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय	19.34	19.56
घटाएं : जमा कार्यों से प्राप्य	0.05	0.04
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	1,479.10	1,461.75

विवरणात्मक टिप्पणी :-

लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 23 में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 6.85 करोड़ रुपये (गत वर्ष 6.96 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 6.85 करोड़ रुपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114-“विनियामक विलंबित लेखे” के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

टिप्पणी सं. 29 : अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
क. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
- भवन	72.60	84.56
- मशीनरी	60.47	64.65
- अन्य	166.43	168.00
ख. प्रशासनिक व्यय		
किराया और भाड़ा	52.60	49.23
दरें और कर	28.17	74.64
बीमा	139.79	146.86
सुरक्षा व्यय	277.88	230.56
विद्युत प्रभार	60.58	58.16
यात्रा एवं वाहन	26.59	28.01
वाहनों पर खर्च	9.77	9.18
टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	18.20	19.63
विज्ञापन एवं प्रचार	15.59	13.87
मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.48	0.48
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.82	6.49
परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	19.43	16.21
लेखा परीक्षा खर्च	2.36	2.55
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	3.40	4.98
कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर किया गया व्यय	1.30	6.19
परिसंम्पत्तियों पर हानि (निवल)	0.04	1.83
बीमा दावे से हानियां (आधिक्य खंड तक)	1.72	1.90
बीमा दावे से हानियां (आधिक्य खंड से परे)	0.05	6.97
पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.42	0.32
चंदा	-	5.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
सीएसआर/संधारणीय विकास	59.65	89.73
सामुदायिक विकास व्यय	0.10	0.11
निदेशकों का बैठक शुल्क	0.22	0.19
माध्यस्थम/अदालती मामलों पर ब्याज	0.04	6.87
लाभग्राही राज्यों को ब्याज	1.79	52.22
स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी संबंधी व्यय	0.01	-
विनियमित बिजली पर व्यय	-	4.39
घटाएं : विनियमित बिजली पर वसूली योग्य व्यय	-	(4.39)
विनियम दर अंतर (निवल)	2.88	-
प्रशिक्षण व्यय	11.00	13.48
याचिका शुल्क/ पंजीकरण शुल्क/ अन्य शुल्क - सीईआरसी/ आरएलडीसी/ आरपीसी को	7.69	9.92
केन्द्रीय विद्यालय के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	29.40	28.41
अन्य विद्यालयों के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	3.46	3.12
अतिथि गृह/ट्रांजिट छात्रावास के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	19.28	14.86
डीजी सेट के प्रचालन व्यय - आवासीय के अतिरिक्त	5.91	5.99
अन्य सामान्य व्यय	27.08	36.63
उप जोड़	1,132.20	1,261.80
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित राशि	86.90	76.38
घटाएं : जमा कार्यों हेतु वसूली योग्य	1.41	1.14
घटाएं : उत्पादन और अन्य व्ययों का अंतरण - आईपीओ/पुनः खरीद	-	9.33
उप जोड़	1,043.89	1,174.95
ग. प्रावधान		
खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	1.93	19.57
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	-	4.38
खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	3.36	22.46
संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान	19.79	19.79
भण्डार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	0.40	0.52
प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	26.27	44.16
अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु मुहैया करवाया गया प्रावधान	0.36	2.77
लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान	22.84	18.88
अदालती/ माध्यस्थम निर्णय के प्रति ब्याज का प्रावधान	2.79	23.33
अन्य	0.01	-
उप जोड़	77.75	155.86
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित राशि	1.48	5.24
उप जोड़	76.27	150.62
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल (1+2)	1,120.16	1,325.57
स्पष्टीकरण टिप्पणी :-		
1 प्रचालन पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण तुलन-पत्र की टिप्पणी 34 के पैरा 18 (क) में दिए गए हैं।		
2 कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, संबंधित राशि का बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए प्रावधान उस वर्ष/अवधि के लिए किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है।	22.84	18.88

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
3 लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणित कुल में टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 23 में वर्णन किए अनुसार सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित 99.11 करोड़ रुपये (गत वर्ष 101.98 करोड़ रुपये) शामिल हैं। तथापि, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 77.59 करोड़ रुपये की एक समतुल्य राशि हेतु नियामक विलंबित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114-“नियामक विलंबित लेखे” के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।		

टिप्पणी सं. : 30 कर व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्तमान कर		
आय कर प्रावधान	823.02	1,006.60
पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन	(6.91)	(116.75)
कुल वर्तमान कर व्यय	816.11	889.85
विलंबित कर		
विलंबित कर परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	179.27	(91.07)
- कर दर में परिवर्तन से संबंधित	1.81	-
- पूर्व अवधि के विलंबित करके संबंध में समायोजन	-	0.01
विलंबित कर देयताओं में कमी/(वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	(649.34)	489.74
- कर दर में परिवर्तन से संबंधित	(0.38)	-
- पूर्व अवधि के विलंबित करके संबंध में समायोजन	-	-
- Relating to undistributed Earnings	(92.58)	45.45
कुल विलंबित कर व्यय (लाभ)	(561.22)	444.13
घटाएं : वर्ष 2009 तक टैरिफ अवधि हेतु प्राप्य	(137.50)	(155.78)
घटाएं : विलंबित कर देयताओं के प्रति विलंबित कर समायोजन	(470.46)	435.35
निवल विलंबित कर	46.74	164.56
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रेणीत कुल	862.85	1,054.41
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
i) कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान		
आय कर से पूर्व लेखांकन लाभ/हानि	3,637.55	4,534.74
लागू कर दर (प्रतिशत)	34.6080	34.6080
गणना किए गए कर व्यय	1,258.88	1,569.38
कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती योग्य न होने वाले (कर योग्य) राशियों का निवल प्रभाव		
सीएसआर/धारणीय व्यय/ सामुदायिक विकास व्यय	21.30	31.04
विलंबित कर का वसूलीयोग्य भाग	657.49	155.78
मुक्त एवं कर छूट प्राप्त आय	(0.65)	(1.99)
कर प्रोत्साहन	(639.67)	(841.92)
पूर्व की अवधि के वर्तमान कर हेतु समायोजन	(6.91)	(116.83)
मैट क्रेडिट उपलब्ध/(उपयोग)	(329.14)	210.04
विलंबित कर परिसंपत्तियों का प्रत्यावर्तन	(0.99)	-
अवितरित लाभ	(92.58)	45.45

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
अन्य मदे	-	3.46
कर दर में परिवर्तन	(4.88)	-
लाभ एवं हानि विवरण में सूचित आय कर व्यय	862.85	1,054.41
ii) इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त राशियां		
रिपोर्टिंग अवधि में उत्पन्न होने वाले समेकित वर्तमान तथा विलंबित कर जिन्हें निवल लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी गई है परंतु सीधे इक्विटी को डेबिट/(क्रेडिट) किया गया है :		
वर्तमान कर	शून्य	शून्य
विलंबित कर	शून्य	शून्य
कुल		
iii) कर हानियां तथा क्रेडिट		
क) अप्रयुक्त कर हानियां जिनके लिए किसी विलंबित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है	शून्य	शून्य
संभावित कर लाभ 30 प्रतिशत की दर से	शून्य	शून्य
ख) कंपनी को भविष्य में उपलब्ध मैट क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है तथा टिप्पणी सं.-30 के अनुबंध में दर्शाया गया है	2,549.63	2,220.49
iv) मान्यता न प्रदान किए गए अस्थायी अंतर		
अनुषंगी कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर जिनके लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता नहीं प्रदान की गई है		
अवितरित आय	शून्य	शून्य
उक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित मान्यता न दी गई विलंबित कर देयताएं	शून्य	शून्य

टिप्पणी सं. 30 का अनुबंध

कंपनी को भविष्य में उपलब्ध मैट क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, नीचे दिया गया है

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
	राशि	समाप्ति का वर्ष	राशि	समाप्ति का वर्ष
वर्ष 2017-18 हेतु	329.14	2032-33	-	-
वर्ष 2016-17 हेतु	234.31	2031-32	234.31	2031-32
वर्ष 2015-16 हेतु	280.94	2030-31	280.94	2030-31
वर्ष 2014-15 हेतु	219.15	2029-30	219.15	2029-30
वर्ष 2013-14 हेतु	686.67	2028-29	686.67	2028-29
वर्ष 2012-13 हेतु	361.51	2027-28	361.51	2027-28
वर्ष 2011-12 हेतु	24.45	2026-27	24.45	2026-27
वर्ष 2010-11 हेतु	76.81	2025-26	76.81	2025-26
वर्ष 2009-10 हेतु	64.13	2024-25	64.13	2024-25
वर्ष 2008-09 हेतु	166.09	2023-24	166.09	2023-24
वर्ष 2007-08 हेतु	46.32	2022-23	46.32	2022-23
वर्ष 2006-07 हेतु	60.11	2021-22	60.11	2021-22
कुल	2,549.63		2,220.49	

टिप्पणी सं. : 31 विनियामक विलंबित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
निम्नलिखित के कारण नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन		
(i) सुबानसिरी लोअर परियोजना		
क) कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	84.81	92.74
ख) अन्य व्यय	77.59	78.68
ग) मूल्यहास	6.85	6.96
घ) वित्त लागत	331.39	365.32
ङ) अन्य आय	(25.82)	(26.99)
उप जोड़ (1)	474.82	516.71
(ii) तीसरे पीआरसी के अनुसार वेतन संशोधन	259.25	205.88
(iii) मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	2.10	(2.50)
कुल (क) = (1)+(2)+(3)	736.17	720.09
विनियामक विलंबित लेखे पर कर का प्रभाव		
विनियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन पर विलंबित कर व्यय (लाभ)	(18.83)	(67.75)
घटाएं :- विलंबित कर परिसंपत्तियों के प्रति विलंबित कर समायोजन	(18.83)	(67.75)
कुल (ख)	-	-
लाभ एवं हानि विवरण को अग्रणीत कुल (क-ख)	736.17	720.09

टिप्पणी सं. : 32 वर्ष हेतु प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाला निर्माण को आरोप्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
क. कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी, भत्ते	144.44	129.70
उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान	12.76	28.50
स्टाफ कल्याण व्यय	8.37	8.29
उप जोड़	165.57	166.49
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
भवन	6.19	4.64
मशीनरी	0.02	0.01
अन्य	3.03	2.46
उप जोड़	9.24	7.11

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
ग प्रशासन तथा अन्य व्यय		
किराया	10.58	9.98
दरें और कर	1.28	0.69
बीमा	0.12	0.17
सुरक्षा व्यय	28.81	15.86
विद्युत प्रभार	3.78	3.34
यात्रा एवं वाहन	3.33	3.12
वाहनों पर व्यय	1.22	1.04
टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.45	2.54
विज्ञापन एवं प्रचार	0.44	0.39
मनोरंजन एवं आतिथ्य व्यय	0.01	-
मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.70	0.87
डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार		
- स्वदेशी	4.44	2.89
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ जल ग्रहण क्षेत्र/ पर्यावरण सुधार पर खर्च	2.21	3.63
कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर किया गया व्यय	1.09	5.92
पश्चलेखित परिसंपत्तियां/ दावे	0.12	0.07
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व्यय	0.16	2.69
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	0.01
अन्य सामान्य व्यय	9.71	8.40
उप जोड़	70.45	61.61
घ. वित्त लागत		
निम्नलिखित पर ब्याज :		
बॉण्ड	318.66	240.33
सावधि ऋण	52.44	137.21
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.16	0.18
अन्य वित्त प्रभार	6.31	0.79
ईएसी को व्यय का अंतरण - केन्द्र सरकार से ऋण पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	10.41	7.21
ईएसी को व्यय का अंतरण - सुरक्षा जमा/ प्रतिधारण राशि पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	0.70	0.59
उप जोड़	388.68	386.31
ङ. प्रावधान	1.48	5.23
उप जोड़	1.48	5.23

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
च. मूल्यहास और परिशोधन व्यय	17.74	17.66
उप जोड़	17.74	17.66
छ. कारपोरेट कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
अन्य आय	(2.32)	(2.59)
अन्य व्यय	7.21	7.66
कर्मचारी लाभ व्यय	84.69	86.71
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	1.60	1.90
वित्त लागत	0.03	0.49
उप जोड़	91.21	94.17
ज. घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां		
विद्युत उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व	0.27	0.56
ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	12.78	(1.70)
पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/ प्रावधान	4.36	3.62
संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/ आउटटर्न	0.12	0.95
विविध प्राप्तियां	1.59	8.38
उप जोड़	19.12	11.81
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	725.25	726.77

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय लिखत और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण

(1) उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
		एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) गैर-वर्तमान निवेश					-
क) इक्विटी निवेश में (उद्धृत)	3.1	105.14		112.44	
ख) ऋण लिखत में (सरकारी/पीएसयू) - उद्धृत	3.1	398.15		406.97	
		503.29	-	519.41	-
(ii) प्राप्य व्यापार	3.2		306.57		275.82
(iii) ऋण	3.3				
क) कर्मचारी			135.41		156.87
ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3 & 3.4		568.81		521.84
(iv) अन्य					
- प्राप्य पट्टे	3.4		5,399.43		5,470.30
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.4		36.52		419.48
		503.29	6,446.74	519.41	6,844.31
कुल गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां					
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) प्राप्य व्यापार	7		1,346.04		1,854.01
(ii) नकदी और नकदी तुल्य	8		20.54		73.57
(iii) बैंक शेष	9		3,298.52		3,398.89
(iv) ऋण	10				31.43
- कर्मचारी ऋण			45.45		
- संयुक्त उद्यम (एनएचपीटीएल) को ऋण			6.00		-
(v) अन्य (प्राप्य पट्टे को छोड़ कर)	11		1,970.54		1,970.62
(vi) अन्य (ब्याज सहित प्राप्य पट्टे)	11		197.55		267.55
			6,884.64	-	7,596.07
कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		-	13,331.38	519.41	14,440.38
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		503.29			
वित्तीय देयताएं					
(i) दीर्घावधि ऋण	16.1		16,728.20		17,245.64
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2		39.87		25.84
(iii) ऋण - अल्पावधि	20.1		279.99		302.50
(iv) एमएसएमई सहित देय व्यापार	20.2		183.78		157.59
(v) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं					
क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	20.3		1,593.91		1,678.59
ख) ऋण पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.3		572.49		428.56
ग) अन्य वर्तमान देयताएं	20.3		665.86		468.52
			20,064.10		20,307.24
कुल वित्तीय देयताएं					

ख) उचित मूल्य मापन

1) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय लिखतों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत मुहैया करवाने हेतु कंपनी ने अपनी वित्तीय लिखतों को भारतीय लेखांकन मानक-113 “उचित मूल्य मापन” के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है :

स्तर-1 : स्तर -1 क्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय लिखत शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी लिखत और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी लिखत जिनका मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज तथा धन बाजारों में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर-2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न की जाने वाली वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो देखे जा सकने वाले बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो लिखित स्तर-2 में शामिल किया जाता है।

स्तर-3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने वाले बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो लिखत को स्तर-3 में शामिल किया जाता है। इसमें सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम वाले ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं - आवृत्ति उचित मूल्य मापन

टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	स्तर 1		स्तर 1	
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश -				
- इक्विटी लिखत में (उद्धृत)	3.1	105.14		112.44
- ऋण लिखत में (सरकारी/पीएसयू) - उद्धृत	3.1	398.15		406.97
कुल		503.29		519.41

टिप्पणी :

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन-पत्र की परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर-आवृत्ति उचित व्यव मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं जिनके उचित मूल्य को प्रकट नहीं किया गया है :

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
		स्तर 1	स्तर 1	स्तर 1	स्तर 1
वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) प्राप्य व्यापार	3.2		306.57		275.82
(ii) ऋण	3.3				
क) कर्मचारी			161.55		159.49
ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)			568.81		521.84
(iii) अन्य	3.4				
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)		36.52		421.14	
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		36.52	1,036.93	421.14	957.15
वित्तीय देयताएं					
(i) दीर्घावधि ऋण, वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोदभूत ब्याज सहित	16.1 व 20.3		15,835.69	1,793.20	1,425.34
(ii) अन्य दीर्घावधि सावधि वित्तीय देयताएं	16.2			40.41	26.99
कुल वित्तीय देयताएं		-	15,835.69	1,833.61	1,452.33

(करोड़ रूपए में)

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) प्राप्य व्यापार	3.2	306.57	306.57	275.82	275.82
(ii) ऋण	3.3				
क) कर्मचारी		135.41	161.55	156.87	159.49
ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)		568.81	568.81	521.84	521.84
(iii) अन्य	3.4				
- 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)		36.52	36.52	419.48	421.14
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		1,047.31	1,073.45	1,374.01	1,378.29
वित्तीय देयताएं					
(i) दीर्घावधि ऋण, वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोदभूत ब्याज सहित	16.1 व 20.3	18,894.60	17,628.89	19,352.79	18,227.49
(ii) अन्य दीर्घावधि सावधि वित्तीय देयताएं	16.2	39.87	40.41	25.84	26.99
कुल वित्तीय देयताएं		18,934.47	17,669.30	19,378.63	18,254.48

टिप्पणी :-

1- वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी तुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, देय व्यापार और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहन राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है और ऐसा उनकी अल्पावधि प्रकृति के चलते है।

2- उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहन राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

(घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया

1 कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय लिखत के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल है -

- उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान लिखत हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।

- शेष वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।

2 स्तर - 3 पर वर्गीकृत वित्तीय लिखत के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर कंपनी के बकाया ऋणों की धारित औसत दर पर आधारित है। सिवाय अधीनस्थ ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋण के।

3 भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा परिवहन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दी जाती है। चूंकि दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई कारोबार लागत भौतिक नहीं होती है, अतः कंपनी ने ऐसी देयताओं की प्रारंभिक मान्यता हेतु प्रभावी ब्याज पद्धति को लागू नहीं किया है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रभाव	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी तुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्त्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्त्य	काल प्रभावित विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
नकदी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. स्थिर दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्त-पोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियमन के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम - प्रतिभूति मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भारतीय राष्ट्रीय रुपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी मुद्रा दर अंतर को सीईआरसी विनियमन के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

1. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय लिखत या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्त्य/पट्टेवाली परिसंपत्तियों) और वित्त-पोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

2. नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक बाध्यताओं को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगी।

3. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं - मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय लिखत में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करती है। कंपनी के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं - 1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यहास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनियम परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनियम दर अंतर और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) ऋण जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्त्य) और अपने वित्त-पोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय लिखत शामिल है, से ऋण जोखिम के संपर्क में आती है।

व्यापार प्राप्त्य तथा पट्टा प्राप्त्य

कंपनी व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण का विस्तार करती है। कंपनी ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। बकाया उपभोक्ता प्राप्त्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। कंपनी प्राप्त्य व्यापारों के संबंध में जोखिम संकेन्द्रण का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और यह एक अधिकांशतः स्वतंत्र बाजार में प्रचालन करती है।

कंपनी द्वारा प्राप्य पट्टे विद्युत खरीद समझौतों के संबंध में है जिन्हें टिप्पणी संख्या 34-लेख में संदर्भित किए अनुसार भारतीय लेखांकन मानक 17 “पट्टों” के परिशिष्ट ग के अनुसार निहित वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत क्रय समझौते किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए है और ब्याज आय तथा पट्टे वाली परिसंपत्तियों पर मूलधन की वसूली अर्थात पावर स्टेशनों की पीपीई का आकलन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लगाया जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

कर्मचारी ऋण : कंपनी ने कर्मचारियों को कंपनी की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन-पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण : कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु कंपनी तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण दिया है। ऋण का मापन परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण राज्य में चालू की जाने वाली पहली जलविद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निशुल्क विद्युत के अंश से वसूला जाना है। प्रबंधन को ऋण संबंधी चूक की कोई संभाव्यता नहीं दिखती।

वित्तीय लिखत और नकदी जमा

कंपनी बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रैक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे कंपनी ने ऋण भी लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करती है। कंपनी के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के साथ हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधाकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

(i) ऋण जोखिम का प्रभाव

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था :

	(करोड़ रूपए में)	
विवरण	31.03.2018	31.03.2017
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर-वर्तमान निवेश	503.29	519.41
ऋण-गैर-वर्तमान (ब्याज सहित)	704.22	678.71
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	36.52	419.48
नकदी और नकदी तुल्य	20.54	73.57
बैंक शेष	3298.52	3398.89
ऋण - वर्तमान	51.45	31.43
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे के अतिरिक्त)	1970.54	1970.62
कुल (क)	6585.08	7092.11
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
प्राप्य व्यापार	1652.61	2129.83
प्राप्य पट्टे (ब्याज सहित)	5596.98	5737.85
कुल (ख)	7249.59	7867.68
कुल (क+ख)	13834.67	14959.79

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधान

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का आकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

सीआईआरसी टैरिफ विनियमन, 2014-19 कंपनी को विलंब भुगतान अधिभार हेतु लाभग्राहियों से बिल जुटाने की अनुमति देते हैं जा कंपनी की भुगतान में विलंब के कारण उत्पन्न होने वाले राशि के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभग्राही मुख्यतः राज्य सरकारें/राज्य की वितरण कंपनियां हैं और प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य के मूल्य में किसी क्षति यो प्राप्य व्यापारों को मूर्त रूप देने में विलंब के कारण धन के समय मूल्य में क्षति हेतु कोई परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, कंपनी प्रचालन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए चालू आधार पर बकाया व्यापार प्राप्यों का आंकलन करती है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानियों का प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी प्राप्य व्यापार की गैर-वसूली के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु अनुमति में संचलन निम्नवत था :

(करोड़ रूपए में)				
विवरण	प्राप्य व्यापार	वसूली योग्य दावे	ऋण	कुल
01.04.2017 को शेष	54.40	209.26	0.03	263.69
हानि भत्ते में परिवर्तन	(16.69)	1.15	-	(15.54)
31.03.2018 को शेष	37.71	210.41	0.03	248.15

(ग) नकदी जोखिम

विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्त-पोषण की उपलब्धता है।

- i) कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के ईष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोदभवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइन इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी :

(करोड़ रूपए में)		
	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
परिवर्तनशील दरों पर	25.00	25.00
कुल	25.00	25.00

ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2018 को

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2018 को बकाया ऋण	□क □□□ वे भीतर	वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1, 20.1 & 20.3	19,166.00	1,873.91	3,206.76	2,615.09	11,470.24
अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 & 20.3	1,302.38	1,245.99	11.58	4.79	40.02
देय व्यापार	20.2	183.80	183.80	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		20,652.18	3,303.70	3,218.34	2,619.88	11,510.26

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2017 को बकाया ऋण	कालांतर भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1, 20.1 & 20.3	19,595.24	1,981.09	3,520.07	3,056.27	11,037.81
अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 & 20.3	937.84	900.89	12.26	0.50	24.19
देय व्यापार	20.2	157.59	157.59	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		20,690.67	3,039.57	3,532.33	3,056.77	11,062.00

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार-पश्च लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

(i) ब्याज दर जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का संपर्क मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी की दीर्घावधि ऋण बाध्यताओं से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को स्थिर दर पर बनाए रखने की है। कंपनी के स्थिर दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्त-पोषण करती है। कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
	भारित औसत ब्याज दर	(करोड़ रुपए में)	भारित औसत ब्याज दर	(करोड़ रुपए में)
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय रुपए)	-	-	9.13	2,473.60
परिवर्तनशील दर ऋण (विदेशी मुद्रा)	0.57	113.45	0.58	214.36
स्थिर दर ऋण (भारतीय रुपए)	6.82	17,008.18	7.02	15,006.64
स्थिर दर ऋण (विदेशी मुद्रा)	1.81	1,200.48	1.82	1,229.63
कुल		18,322.11		18,924.23

* कंपनी का 31.03.2018 को कोई परिवर्तनशील दर घरेलू ऋण नहीं है।

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ अथवा हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उच्चतर/निम्न ब्याज व्यय के प्रति संवेदनशील है। अन्य सभी परिवर्तनशील कारकों को स्थिर रखे जाने पर निम्नलिखित तालिका ऋणों तथा उधार के परिवर्तनशील दर हिस्से पर ऋण लागत के प्रभाव को दर्शाती है।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
विदेशी मुद्रा में ऋण - ब्याज दर - 55 आधार बिंदुओं की वृद्धि (गत वर्ष 2016-17, 55 आधार बिंदुओं से वृद्धि)	(0.09)	(0.17)
विदेशी मुद्रा में ऋण - ब्याज दर - 55 आधार बिंदुओं की कमी (गत वर्ष 2016-17 55 आधार बिंदुओं से कमी)	0.09	0.33

तथापि, ब्याज दरों में कमी तथा वृद्धि का लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि उक्त को टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूला जाता है। कंपनी का 31.03.2018 को कोई परिवर्तनशील दर घरेलू ऋण नहीं है।

(ii) मूल्य जोखिम :
(क) संपर्क

मूल्य जोखिम से कंपनी का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण लिखतों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण लिखतों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन-पत्र में गैर-वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) मूल्य जोखिम संवेदनशीलता

इक्विटी लिखतों में निवेश हेतु (आईओबी तथा पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर इक्विटी लिखतों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेश :	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	22.45	23.55	17.08	19.14
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	15.65	0.10	15.50	0.15

संवेदनशीलता को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में उद्धृत शेयर मूल्यों में छमाही उतार-चढ़ाव के पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर निकाला गया है।

ऋण लिखत में निवेश हेतु (सरकारी तथा पीएसयू बॉण्ड में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर ऋण लिखतों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017 को	
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेश :	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
सरकारी प्रतिभूति	(0.08)	(0.25)	3.49	11.81
पीएसयू कर मुक्त बाण्ड	1.20	0.98	5.77	4.91

(iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम संपर्क

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के संपर्क को भारतीय राष्ट्रीय रुपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है :

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वित्तीय देयताएं		
विदेशी मुद्रा ऋण	1,313.93	1,443.98
अन्य वित्तीय देयताएं	67.47	55.09
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल संपर्क (देयताएं)	1,381.40	1,499.07

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

(3) पूंजी प्रबंधन
(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते हैं। तदनुसार, कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करती है।

कंपनी ऋण : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है :

गिरिंग अनुपात का विवरण		
विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(क) कुल ऋण (करोड़ रुपए में)	18,322.11	18,924.23
(ख) कुल पूंजी (करोड़ रुपए में)	30,017.90	29,014.82
ऋण : इक्विटी अनुपात (क/ख)	0.61	0.65

टिप्पणी : कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन हेतु, पूंजी में निर्गत पूंजी और आरक्षित शामिल है। निवल ऋण में ब्याजधारी ऋण तथा उधार शामिल होते हैं।

(ख) ऋण प्रसंविदाएं :

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अंतर्गत कंपनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का अनुपालन अपेक्षित है :-

1. कंपनी क्रेडिट रेटिंग एएए को बनाए रखेगी और यदि रेटिंग नीचे आती है तो ब्याज की दर एएए रेटिंग से नीचे वाले प्रत्येक स्तर हेतु 25 आधार बिंदु से बढ़ जाएगी।
2. निवल मूल्य की तुलना में ऋण 2:1 से अधिक नहीं होगी।
3. ब्याज कवरेज अनुपात 2 गुणा से अधिक होगा और इसकी गणना ((निवल लाभ + निवल नकदी व्यय + देय ब्याज - गैर नकदी आय)/ देय ब्याज) के रूप में की जाएगी।
4. समरूप आधार पर 1:1.33 कवरेज के साथ परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार।

वर्ष के दौरान कंपनी ने उक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

(ग) लाभांश

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i) इक्विटी अंश		
0.10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त शेयर पर वर्ष 2016-17 हेतु अंतिम लाभांश को सितम्बर 2017 में अनुमोदित और अक्टूबर 2017 में अदा किया गया (31 मार्च, 2017 को - वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु 0.58 रुपए प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर)	102.60	642.11
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	*	89.08
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु 1.12 रुपए प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतरिम लाभांश (31 मार्च, 2017 - 1.70 रुपए)	1,149.05	1882.02
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	126.86	383.14
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता न दिया गया लाभांश		
उक्त लाभांशों के अतिरिक्त, वर्ष के अंत से निदेशकों ने 0.28 रुपए (31 मार्च, 2017 - 0.10 रुपए) प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।	287.26	102.59
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	59.05	20.89

* एनएचपीसी लिमिटेड से प्राप्त लाभांश पर लाभांश वितरण कर के साथ संयोजित।

टिप्पणी संख्या - 34 : अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां
1. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अनुषंगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम कंपनियां निम्नानुसार हैं :

कंपनी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात (प्रतिशत)	
		31.03.2018	31.03.2017
क. अनुषंगी कंपनियां			
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08%	51.08%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लि.)	भारत	74.00%	74.00%
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल) *	भारत	99.99%	99.99%
ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां			
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल) **	भारत	55.39%	49.78%
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड (एनएचपीटीएल) *	भारत	20.00%	20.00%

* वित्तीय विवरण गैर-लेखापरीक्षित हैं। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में आने वाले आंकड़े लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर बदल भी सकते हैं।

** वर्ष के दौरान कंपनी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (सीवीपीपीएल) में 122.36 करोड़ रुपये का और निवेश किया है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की शेयरधारिता बढ़कर 55.39 प्रतिशत हो गई है। तथापि, सीवीपीपीएल संयुक्त उद्यम समझौते के अनुपालन में अन्य संयुक्त उद्यमों के साथ संयुक्त रूप से नियंत्रण प्राप्त रहने के चलते एक संयुक्त उद्यम बना हुआ है।

2. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण :-
(क) समूह के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण स्वीकार नहीं किया गया है :
(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विपथन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभावों के चलते समूह के प्रति कुल **10126.89 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **9813.75 करोड़ रुपये**) के दावे दर्ज किए हैं इन दावों का समूह द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/समूह में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित समूह के विरुद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **3840.16 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **3038.37 करोड़ रुपये**) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **443.27 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **453.49 करोड़ रुपये**) के प्रावधान को मान्यता दी है और **9582.90 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **8049.58 करोड़ रुपये**) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात वह राशि जिसके लिए समूह को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमान आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु **351.86 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **345.72 करोड़ रुपये**) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **29.55 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **42.17 करोड़ रुपये**) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **322.31 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **303.55 करोड़ रुपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि **454.19 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **395.53 करोड़ रुपये**) है। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **30.77 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **21.95 करोड़ रुपये**) की राशि मुहैया करवाई है और शेष दावों अर्थात **424.42 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **373.58 करोड़ रुपये**)

को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **701.70 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **691.44 करोड़** रुपये) के हैं। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना के आधार पर **29.69 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **36.52 करोड़** रुपये) की राशि मुहैया करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **670.13 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **653.04 करोड़** रुपये) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बाह्य प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/बाध्यताओं के संबंध में निपटान में किसी बाह्य प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

31.03.2018 को उक्त का सार निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)							
क्रम सं.	विवरण	31.03.2018 को दावे	दावों/ अदा किए गए के प्रति अद्यतन प्रावधान	31.03.2018 को आकस्मिक देयता	31.03.2017 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वर्धन/ (कटौती)	01.04.2017 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	पूँजीगत कार्य	10126.89	443.27	9582.90	8049.58	1533.32	733.84
2.	भूमि मुआवजा	351.86	29.55	322.31	303.55	18.76	38.64
3.	विवादित कर मामले	455.19	30.77	424.42	373.58	50.84	23.47
4.	अन्य	701.70	29.69	670.13	653.04	17.09	44.45
	कुल	11635.64	533.28	10999.76	9379.75	1620.01	840.40

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में समूह को **235.73 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **221.02 करोड़** रुपये) की भरपायी होने की संभावना है।

ङ) (i) पूँजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **536.06 करोड़** रूप (पिछले वर्ष **शून्य**) की राशि का भुगतान उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति किया गया है, जो ऐसे मामलों हेतु है जहाँ माध्यस्थम अधिकरणों ने माध्यस्थम कार्यवाहियों में संविदाकार के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे पंचाट/आदेशों को समूह द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, के लिए दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के नीति आयोग के कार्यालय ज्ञापन सं.14070/14/2016-पीपीपीएयू के माध्यम से जारी निदेशों के अनुपालन में, समूह द्वारा इस संबंध में बनाई मानक प्रचालन प्रक्रियाविधियों में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों को संविदाकार द्वारा पूरा किए जाने के अधीन माध्यस्थम निर्णय के 75 प्रतिशत को देने (निर्णय के अनुसार देय ब्याज सहित) संबंधी आदेश को न्यायालय में चुनौती दी है। इस प्रकार अदा की जा रही राशि को वर्तमान वित्तीय परिसंपत्ति - अन्य के रूप में दर्शाया जा रहा है (टिप्पणी संख्या 11)।

(ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में **82.39 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **50.46 करोड़** रूप) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए हैं, जिनमें चालू आस्तियों में दिखाया गया है।

च) समूह का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/बाध्यताएं (जो मुकदमेबाजी के अधीन हैं), अन्त में जब समाप्त होंगी तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालन के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

(छ) 31.03.2018 को आकस्मिक देयता के एजेंसी-वार ब्योरो की श्रेणी निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)							
क्रम सं.	विवरण	31.03.2018 को दावे	दावों/ अदा किए गए के प्रति अद्यतन प्रावधान	31.03.2018 को आकस्मिक देयता	31.03.2017 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वर्धन/ (कटौती)	01.04.2017 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1	केन्द्र सरकार के विभाग	36.38	2.20	34.18	48.05	(13.87)	23.47
2	राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	523.52	57.52	466.00	396.59	69.41	0.16
3	सीपीएसई	104.65	0.16	102.73	131.25	(28.52)	28.64
4	अन्य	10971.09	473.40	10396.85	8803.86	1592.99	788.13
	कुल	11635.64	533.28	10999.76	9379.75	1620.01	840.40

3. आकस्मिक परिसंपत्तियां - समूह के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं :

क) समूह द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे :

समूह ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **603.86 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **413.12 करोड़** रुपये) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को सविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका माध्यस्थम अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें माध्यस्थम निर्णयों के प्रति उस पर तदनुसूची अद्यतन ब्याज सहित **446.53 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **317.90 करोड़** रुपये) शामिल है।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार **603.62 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **317.90 करोड़** रुपये) की कुल राशि वाले दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतरवाह की कोई संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। तथापि, राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

ख) विलंब भुगतान अधिभार :

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2014-19 लाभग्राहियों को बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 60 दिवस के अधिक के भुगतान में विलंब के मामले में उत्पादक समूह द्वारा विलंब भुगतान अधिभार को लगाए जाने का प्रावधान करता है। तथापि, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति का मत इस संबंध में लंबित होने के चलते जब अंतिम एकत्रीकरण हेतु कोई व्यापक अनिश्चितता न हो, तब ही प्रबंधन ने अधिभार को मान्यता प्रदान करने के अपने पूर्व व्यवहार को जारी रखा है। तदनुसार, **188.42 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **435.20 करोड़** रुपये) के विलंब भुगतान अधिभार को मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

ग) पावर स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान न की गई सीमा तक राजस्व :

सेवा- II, चमेरा- III, पार्वती- III, टीएलडीपी- III तथा टीएलडीपी-IV पावर स्टेशनों के संबंध में संशोधित लागत अनुमान का अनुमोदन लंबित होने के चलते 2009-14 के टूटिंग-अप आदेश और/अथवा 2014-19 हेतु टैरिफ आदेश लंबित हैं। प्रबंधन ने टैरिफ पर इन व्ययों के प्रभाव का आकलन किया है और **694.94 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **688.76 करोड़** रुपये) का अंतरवाह संभव माना है।

घ) व्यापार बाधा हानि :

पावर स्टेशनों के संबंध में व्यापार बाधा हानि के कारण बीमा दावे तब देय होते हैं जब अंतिम एकत्रीकरण में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो। प्रबंधन ने व्यापार बाधा हानियों के कारण कुल **195.04 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **345.95 करोड़** रुपये) की राशि को संभाव्य माना है। दावों का पावर स्टेशन-वार ब्योरा इस टिप्पणी के पैरा 24 में दिया गया है।

ङ) अन्य मामले

अन्य विविध मामलों के कारण दावों की राशि **60.34 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **4.00 करोड़** रुपये) है। प्रबंधन ने इन दावों तथा अनुमानों का आकलन किया है और यह अनुमान लगाया है कि **60.34 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **4.00 करोड़** रुपये) के आर्थिक लाभों का अंतरवाह संभाव्य है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों का सार नीचे दिया गया है :

		(करोड़ रुपए में)	
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	कंपनी द्वारा दर्ज किए गए प्रति दावे के संबंध में	603.62	317.90
2.	विलंब भुगतान अधिभार	188.42	435.20
3.	पावर स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान गई सीमा तक राजस्व	694.94	688.76
4.	व्यापार बाधा हानियां	195.04	345.95
5.	अन्य मामले	60.34	4.00
	कुल	1742.36	1791.81

4. प्रतिबद्धताएं

क. पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

		(करोड़ रुपए में)	
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	2725.10	3109.74
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	21.82	22.68
	कुल	2746.92	3132.42

ख. कंपनी की 31 मार्च, 2018 के अनुसार अनुषंगी कंपनियों में अतिरिक्त निवेश के प्रति **653.49 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **619.49 करोड़ रुपए**) की प्रतिबद्धताएं हैं।

ग. कंपनी की 31 मार्च, 2018 के अनुसार संयुक्त उद्यम निकायों में अतिरिक्त निवेश के प्रति **577.65 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **765.20 करोड़ रुपए**) की प्रतिबद्धताएं हैं।

5. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान/प्रावधान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि **7.25 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **10.66 करोड़ रुपए**) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल किया गया है।

6. भारतीय लेखांकन मानक 11 के अंतर्गत “निर्माण संविदाएं” के संबंध में अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

		(करोड़ रुपए में)	
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	रिपोर्टिंग तिथि तक चालू संविदाओं पर व्यय की गई लागत और मान्यता प्रदान किए गए लाभों (घटाए मान्यता दी गई हानि) की संचित राशि	295.00	364.88
2.	प्राप्त अग्रिमों की राशि	275.44	345.06
3.	प्रतिधारण की राशि	-	-
4.	परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	31.33	-
5.	देयता के रूप में संविदा कार्यों हेतु ग्राहकों को देय सकल राशि	-	-

7. मध्य प्रदेश सरकार ने एक संयुक्त उद्यम भागीदार होने के चलते सीसीईए अनुमोदन के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के माध्यम से विभिन्न लेखों में योगदान दिया है जिसका ब्यौरा निम्नवत है (तुलन-पत्र की टिप्पणी संख्या 19 देखें)

इंदिरा सागर परियोजना :-

(करोड़ रुपए में)			
(क) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2017 तक संचित	वित्तीय वर्ष 2017 - 18 के दौरान	31.03.2018 तक संचित
i. एनवीडीए द्वारा किया गया व्यय	1347.13	9.10	1356.23
ii. प्राप्त नकदी	669.71	-	669.71
iii. ओएसपी लेखों से अंतरित राशि	8.56	-	8.56
(क) का कुल	2025.40	9.10	2034.50
(ख) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	660.00	-	660.00
ii. सिंचाई घटक	405.97	(0.41)	405.56
iii. एसएसपी घटक	518.75	(0.52)	518.23
iv. अधिक आर एवं आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	411.77	0.91	412.68
v. विद्युत प्रभार और जलापूर्ति रखरखाव प्रभार	5.04	-	5.04
vi. सिंचाई के प्रति अग्रिम/ओएसपी पर इक्विटी	33.08	-	33.08
(ख) का कुल	2034.61	(0.02)	2034.59
(ग) एनवीडीए से प्राप्य राशि अर्थात (ख-क)	9.21	(9.12)	0.09

ओमकारेश्वर परियोजना :-

(करोड़ रुपए में)			
(घ) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2017 तक संचित	वित्तीय वर्ष 2017 - 18 के दौरान	31.03.2018 तक संचित
i. एनवीडीए द्वारा किया गया व्यय	109.26	16.85	126.11
ii. प्राप्त नकदी	594.66	51.75	646.41
iii. आईएसपी लेखों से अंतरित राशि	33.08	-	33.08
(घ) का कुल	737.00	68.60	805.60
(ङ) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	300.16	-	300.16
ii. सिंचाई घटक	239.31	0.02	239.33
iii. अधिक आर एवं आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	75.92	0.14	76.06
iv. आईएसपी लेखों को अंतरित राशि	8.56	-	8.56
v. अतिरिक्त विशेष आर एवं आर पैकेज	207.50	0.33	207.83
(ङ) का कुल	831.45	0.49	831.94
(च) एनवीडीए से प्राप्य राशि अर्थात (ङ-घ)	94.45	(68.11)	26.34
(छ) कुल प्राप्य राशि (ग+च)	103.66	(77.23)	26.43

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अनुदान आरक्षित का संचलन निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2017	वर्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2018
1.	सहायता अनुदान के रूप में आईएसपीएस में सिंचाई घटक के प्रति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	253.50	(0.41)	15.49	-	237.60
2.	आईएसपीएस हेतु एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के प्रति अनुपातिक आर्थिक सहायता	323.96	(0.52)	19.80	-	303.64
3.	आईएसपीएस के आर एवं आर के प्रति मध्य प्रदेश सरकार का योगदान	292.63	0.91	15.94	-	277.60
4.	ओएसपीएस हेतु एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के प्रति अनुपातिक आर्थिक सहायता	149.64	0.02	10.74	-	138.92
5.	ओएसपीएस के आर एण्ड आर के प्रति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योगदान	229.07	0.47	11.24	-	218.3
	कुल	1248.80	0.47	73.21	-	1176.06

8. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	मूल्यहास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	2.88	(4.05)
(ii)	मूल्यहास को छोड़कर लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि (ऋण लागत को रूप में) *	71.65	2.28
(iii)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी को रूप में)	-	-
(iv)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	-	(15.60)
(v)	विनियामक विलंबित लेखा शेष को प्रभारित राशि	2.10	(2.50)

* तथापि, समूह की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभग्राहियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2014-19 के अनुरूप वसूल किया जाना है। वर्ष हेतु विनिमय दर परिवर्तन को समूह द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार वर्ष हेतु विनिमय दर अंतर को विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभग्राहियों से वसूली योग्य) में अंतरित किया जाता है।

9. प्रचालन खंड :

क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालन पट्टों से आय सहित) समूह का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन अर्थात् संविदाएं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य "प्रचालन खंड" के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक-108 के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं।

ख) समूह का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

- ग) प्रमुख उपभोक्ताओं के संबंध में सूचना निम्नलिखित उपभोक्ताओं से **3967.50 रुपये** (पिछले वर्ष हेतु **4693.26 करोड़ रुपये**) का राजस्व नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निकाला जाता है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ताओं से राजस्व (करोड़ रुपये में)		कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में उपभोक्ताओं को राजस्व	
		31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
1	विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	1274.86	1230.90	16.45%	14.27%
2	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	1132.45	1349.29	14.61%	15.65%
3	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	784.91	1306.93	10.13%	15.16%
4	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	775.28	806.14	10.00%	9.35%
	कुल	3967.50	4693.26	51.19%	54.43%

- घ) बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व : समूह भारत में अधिवासित है। बाहरी ग्राहकों से इसके राजस्व की राशि को ग्राहकों की अवस्थिति के अनुसार निम्नवत विभाजित किया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बाहरी उपभोक्ता से राजस्व	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
1	भूटान	15.28	21.55
2	तजाकिस्तान	-	2.52
	कुल	15.28	24.07

टिप्पणी : उक्त में विदेशी मुद्रा में शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

10. भारतीय लेखांकन मानक-24 “संबंधित पक्ष प्रकटीकरण” के अंतर्गत प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं :

संबंधित पक्षों की सूची

(क) संयुक्त उद्यम

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रधान स्थान
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड	भारत
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टर प्राइवेट लिमिटेड	भारत

(ख) रोजगार-पश्च लाभ योजनाएं :

संबंधित पक्ष का नाम	प्रचालन का प्रधान स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना न्यास	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना न्यास	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी अवकाश नकदीकरण न्यास	भारत

(ग) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1	श्री बलराज जोशी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 22.09.2017 से । 27.10.2017 से निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार धारित किए हुए।
2	श्री कृष्ण मोहन सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 31.07.2017 को सेवानिवृत्त।
3	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं) 01.08.2017 से 22.09.2017 तक सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार धारित किया।
4	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)
5	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त) 17.04.2017 से सीएफओ के रूप में नामित।
6	श्रीमती कृष्णा त्यागी	सरकारी नामित निदेशक, 01.01.2018 को सेवानिवृत्त।
7	सुश्री अर्चना अग्रवाल	सरकारी नामित निदेशक
8	प्रो. कनिका टी. भाल	स्वतंत्र निदेशक
9	प्रो. अरूण कुमार	स्वतंत्र निदेशक
10	श्री सत्य प्रकाश मंगल	स्वतंत्र निदेशक
11	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक, 07.10.2017 से
12	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक, 07.10.2017 से
13	प्रो. नलिनी कांत झा	स्वतंत्र निदेशक, 07.10.2017 से
14	श्री विजय गुप्ता	कम्पनी सचिव।

(घ) नाम और सरकार के साथ संबंध की प्रकृति

क्रम सं.	सरकार का नाम	एनएचपीसी के साथ संबंध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण होने वाले शेयरधारक
2	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर की राज्य सरकार	एनएचपीसी की अनुषंगी कंपनियों में शेयरधारक (एनसीआई)
3	जम्मू एवं कश्मीर की राज्य सरकार	संयुक्त नियंत्रित निकाय में संयुक्त उद्यम में शामिल
4	ईईएसएल, एमटीएनएल, एसजेवीएनएल, एनटीपीसी लिमिटेड, पीजीसीआईएल, बीएचईएल, बीएसएनएल, आईआईटी, वीएसएनएल, पोस्को, सेल, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी, केवी, एचपीसीएल, आईओसीएल आदि	एनएचपीसी पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा नियंत्रित निकाय

समूह बहुसंख्यक शेयरों के धारण के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैराग्राफ 25 तथा 26 के अनुपालन में समान सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव होने वाले निकायों को संबंधित पक्ष माना जाएगा। समूह ने सरकार संबंधित निकायों हेतु उपलब्ध छूटों को लागू किया है और भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है।

समूह के राज्य सरकारों तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय के साथ व्यापार लेन-देन है। इन निकायों के साथ लेन-देन बाजार शर्तों पर परस्पर सहमत आधार पर (रियायती दर पर केन्द्र सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों के अलावा) खुली निविदाओं के प्रति एक पारदर्शी मूल्य खोज के माध्यम से किया जाता है, सिवाय तात्कालिकता, अनुरूपता या अन्य कारणों के चलते एकल निविदा आधार पर स्वामित्ववाली मदों के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) से कलपुर्ज/सेवाओं की खरीद के कुछ मामलों के। ऐसी एकल निविदा खरीद को भी समान/समरूप मदों के उपलब्ध मूल्य डाटा के प्रति बेंचमार्क किए गए मूल्यों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अतः ऐसे कारोबार के पार्टी-वार ब्यौरे को नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे कारोबार व्यापार के सामान्य चालन में आम वाणिज्यिक शर्तों पर किए जाते हैं तथा इन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

(ड) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) पारिश्रमिक :

विवरण	(करोड़ रुपए में)	
	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	2.17	3.73
रोजगार पश्च लाभ	0.34	0.37
अन्य दीर्घावधि लाभ	0.45	0.28

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ अन्य संव्यवहार	(करोड़ रुपए में)	
	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क तथा अन्य प्रतिपूर्ति	0.31	0.20
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.02	0.02

(च) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार - संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किए गए :

विवरण	(करोड़ रुपए में)	
	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	(ii)	(iii)
i) समूह (एनएचपीसी) पर नियंत्रण होने वाली सरकार के साथ संव्यवहार - केन्द्र सरकार (इसमें विभिन्न मंत्रालय, सीआईएसएफ आदि के साथ कारोबार शामिल है)		
समूह द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं (इसमें जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से संबंधित 367.97 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 383 करोड़ रुपए) शामिल है)	609.82	501.70
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	21.20	74.82
समूह द्वारा वस्तु/माल-सूची की बिक्री (जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से संबंधित 624.48 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1135.65 करोड़ रुपए) और उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित 87.85 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1229.23 करोड़ रुपए) शामिल है)	2743.36	2453.35
वस्तुओं/माल-सूची की खरीद	6.57	-
समूह को कर्मचारियों की सेवाएं	-	3.94
वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को अदा किया गया लाभांश	602.02	195.87
वर्ष के दौरान भारत सरकार को अदा किया गया लाभांश	926.23	1881.21
वित्त - समूह द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	350.00	367.00
भारत सरकार को गारंटी शुल्क का भुगतान	17.33	20.06
भारत सरकार द्वारा कंपनी के शेयरों की पुनः खरीद	-	1950.73
एमएनआरई से प्राप्त अनुदान (एसईसीआई के माध्यम से)	12.50	-
संपत्ति/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	0.69	-
ii) समूह (एनएचपीसी) पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ संव्यवहार		
संपत्ति/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	53.01	73.22
वस्तु/माल-सूची की बिक्री	40.09	32.74
समूह द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	236.75	72.21

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	0.41	26.31
समूह द्वारा वस्तु/माल-सूची की बिक्री	860.87	1306.93
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (एमपीपीएमसीएल से प्रतिभूतिकृत ऋण पर प्राप्त ब्याज)	33.94	45.16
वर्ष के दौरान अदा किया गया/देय ब्याज	6.38	4.80
अन्य - एनवीडीए	77.23	182.29
समूह द्वारा प्राप्त किया गया लाभांश	3.60	3.00
बीमा दावों के प्रति कंपनी द्वारा प्राप्त निपटान राशि	52.20	-
iii) संयुक्त उद्यमों (सीवीपीपीएल और एनएचपीटीएल) के साथ संव्यवहार		
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	16.44	7.40
समूह द्वारा इक्विटी अंशदान	187.55	386.50
समूह द्वारा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	5.45	5.41
समूह द्वारा मुहैया करवाए गए ऋण	6.00	-
iv) केएमपी के साथ संव्यवहार		
ऋण-कर्मचारी अग्रिम	0.03	-
v) एनएचपीसी की रोजगार पश्च लाभ योजनाओं के लिए बनाए गए ट्रस्टों के साथ संव्यवहार		
1. ईपीएफ ट्रस्ट		
ट्रस्ट को अंशदान	288.73	303.45
2. उपदान ट्रस्ट		
ट्रस्ट को अंशदान	116.79	(5.46)
ट्रस्ट से प्रतिदाय (भुगतान)	64.63	63.06
3. आरईएचएस ट्रस्ट		
ट्रस्ट को अंशदान	47.20	74.05
ट्रस्ट से प्रतिदाय (भुगतान)	18.97	19.58
4. सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट		
ट्रस्ट को अंशदान	8.07	8.43
5. ईडीसीएसएस ट्रस्ट		
ट्रस्ट को अंशदान	96.16	76.16
6. अवकाश नकदीकरण न्यास		
न्यास को अंशदान	369.27	-
न्यास से धनवापिसी (भुगतान)	20.77	-
उक्त ट्रस्टों के साथ कुल संव्यवहार		
ट्रस्ट को अंशदान	926.22	456.63
घटाएं : ट्रस्ट से प्रतिदाय	104.37	82.64
सकल जोड़	821.86	373.99

(छ) संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष :

(करोड़ रुपए में)		
विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
(i)	(ii)	(iii)
i) समूह (एनएचपीसी) पर नियंत्रण होने वाली सरकार के साथ शेष - केन्द्र सरकार		
समूह द्वारा देय	170.30	114.38
समूह द्वारा प्राप्य	917.29	1479.66
सरकार से ऋण (अधीनस्थ ऋण)	3750.80	3400.80
सरकार से प्राप्त गारंटी (विदेशी मुद्रा ऋण के प्रति)	1313.93	1443.98
ii) समूह (एनएचपीसी) पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ शेष		
समूह द्वारा देय	52.69	47.04
समूह द्वारा प्राप्य	548.04	776.29
समूह द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं में से शेष	3.48	25.53
iii) संयुक्त उद्यमों (सीवीपीपीएल और एनएचपीटीएल) के साथ शेष		
समूह द्वारा प्राप्य	104.76	193.97
बकाया ऋण	6.00	-
iv) केएमपी के साथ शेष		
समूह द्वारा प्राप्य	0.04	0.05
v) एनएचपीसी की रोजगार पश्च लाभ योजनाओं के लिए बनाए गए ट्रस्टों के साथ शेष		
समूह द्वारा प्राप्य		
1. उपदान ट्रस्ट	1.65	38.24
2. अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	20.77	-
समूह द्वारा देय		
1. उपदान ट्रस्ट	86.05	-
2. ईपीएफ ट्रस्ट	23.88	31.43
3. आरईएचएस ट्रस्ट	4.54	38.92
4. सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	0.77	0.67
5. ईडीसीएसएस ट्रस्ट	22.15	5.89

11. सुरक्षा का विवरण : ऋणों हेतु सुरक्षा के रूप में रेहन/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों की वहन राशि निम्नानुसार है :

			(करोड़ रुपए में)
क्रम सं.	विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
	प्रथम प्रभार		
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	10785.78	14484.71
2	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	6827.57	6127.83
3	वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य (प्राप्य पट्टे)	-	567.77
	कुल	17613.35	21180.31

12. भारतीय लेखांकन मानक -19 "कर्मचारी लाभों" के संबंध में प्रकटीकरण :

(क) निर्धारित अंशदान योजनाएं

- (1) **सामाजिक सुरक्षा योजना** : अनुकंपा नियुक्ति की तत्कालीन योजना के स्थान पर समूह की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। समूह भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करता है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है ताकि योजना के लागू होने की तिथि अर्थात् 01.06.2007 से एक निधि को बनाया जा सके, इसे 2 और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है अर्थात् 31.05.2017 तक, तथा इसे आगे और 3 वर्षों के लिए अर्थात् 31.05.2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **4.13 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **4.48 करोड़** रूपए) है।
- (2) **कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस)** : समूह में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। समूह मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देता है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **72.46 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **79.95 करोड़** रूपए) है।

(ख) निर्धारित लाभ योजनाएं - समूह की निम्नलिखित निर्धारित रोजगार-पश्च बाध्यताएं हैं :

(क) योजनाओं का विवरण

- (1) **भविष्य निधि** : समूह पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराता है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण को आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। समूह का यह दायित्व है वह इस निधि में अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।
- (2) **उपदान** : समूह की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन $(15/26 \times \text{अंतिम आहरित मूल वेतन} + \text{महंगाई भत्ता})$ पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.20 करोड़ रुपये है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह की बाध्यता बीमांकित मूल्य के आधार पर न्यास में अंशदान देना है।
- (3) **सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस)** : समूह की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन-साथी (पति/पत्नी) को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे समूह द्वारा निर्धारित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है। योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह की बाध्यता बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देने की है।
- (4) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता** : समूह के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।
- (5) **अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए स्मृतिचिन्ह** : समूह की नीति है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 5000/- रुपये मूल्य तक का स्मृतिचिन्ह भेंट करता है। उक्त हेतु देयता को बीमांकित मूल्यांकन पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटीकरण

(i) भविष्य निधि : वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन नीचे दिए गए हैं :

विवरण	(करोड़ रुपए में)		
	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2016-17			
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	2255.54	2278.83	(23.29)
वर्तमान सेवा लागत	81.15	0	81.15
विगत सेवा लागत	0	0	0
ब्याज व्यय/(आय)	180.45	182.31	(1.86)
कुल	261.60	182.31	79.29
पुनर्मापन			
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
योजित परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि सहित	0	0.62	(0.62)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.11	0	0.11
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	11.83	13.04	(1.21)
कुल	11.94	13.66	(1.72)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	0	81.15	(81.15)
- योजना प्रतिभागी	218.36	218.36	0
लाभ भुगतान	(354.86)	(354.86)	0
31.03.2017 को अंतिम शेष	2392.58	2419.45	(26.87)

विवरण	(करोड़ रुपए में)		
	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	2,392.58	2,419.45	(26.87)
समायोजन	-	(0.09)	0.09
वर्तमान सेवा लागत	76.07	-	76.07
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	179.45	179.45	-
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	255.52	179.36	76.16
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त assumptions	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	1.11	(1.11)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.03	-	0.03
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	30.67	22.63	8.04
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	30.70	23.74	6.96

विवरण	(करोड़ रूपए में)		
	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	76.07	(76.07)
- योजना प्रतिभागी	228.80	228.80	-
लाभ भुगतान	(404.93)	(404.93)	-
31.03.2018 को अंतिम शेष	2,502.67	2,522.49	(19.82)

वित्त-पोषित और गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

विवरण	(करोड़ रूपए में)	
	31.03.2018 को	31.03.2017 को
वित्त-पोषित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	2,502.67	2,392.58
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,522.49	2,419.45
वित्त-पोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	(19.82)	(26.87)
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	(19.82)	(26.87)

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार समूह का बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित **19.82 करोड़** रुपये के निवल अधिशेष के प्रति योजना से प्रतिदाय या भविष्य के निम्न अंशदान के रूप में लाभों पर कोई अधिकार नहीं होता है। तदनुसार, समूह ने अधिशेष को परिसंपत्ति के रूप में तथा अन्य व्यापक आय में बीमांकित लाभों को मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि ये भविष्य निधि न्यास से संबंधित हैं न कि समूह से।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है -

विवरण	मान्यताओं में परिवर्तन		निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव			
			मान्यताओं में वृद्धि		मान्यताओं में	कमी
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी 0.005%	0.005%	इससे वृद्धि 0.005%	0.005%

- (ii) **उपदान :** 31.03.2017 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

विवरण	(करोड़ रूपए में)		
	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2016-17			
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	600.22	648.15	-47.93
वर्तमान सेवा लागत	34.48	-	34.48
विगत सेवा लागत	141.85	-	141.85
ब्याज व्यय/(आय)	48.02	51.85	(3.83)
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	224.35	51.85	172.50
पुनर्मापन	-	-	-

(करोड़ रुपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2016-17			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	1.06	-1.06
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.01)	-	(0.01)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	13.46	-	13.46
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	0.61	-	0.61
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	14.06	1.06	13.00
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	16.01	(16.01)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(63.10)	(87.06)	23.96
31.03.2017 को अंतिम शेष	775.53	630.01	145.52

(करोड़ रुपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	775.53	630.01	145.52
समायोजन		0.13	(0.13)
वर्तमान सेवा लागत	25.15	-	25.15
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	58.16	47.26	10.90
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	83.31	47.26	36.05
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	3.05	(3.05)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(10.46)	-	(10.46)
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.94)	-	(0.94)
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(57.99)	-	(57.99)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(69.39)	3.05	(72.44)
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	6.05	(6.05)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(64.93)	(78.17)	13.24
31.03.2018 को अंतिम शेष	724.52	608.33	116.19

वित्त-पोषित और गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
वित्त-पोषित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	724.52	775.53
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	608.33	630.01
वित्त-पोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	116.19	145.52
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	116.19	145.52

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	मान्यताओं में परिवर्तन		निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव			
			मान्यताओं में वृद्धि		मान्यताओं में कमी	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	2.96%	इससे वृद्धि	3.12%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	0.86%	इससे कमी	1.00%

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) : 31.03.2017 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2016-17		
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	596.2	583.72	12.48
वर्तमान सेवा लागत	14.39	-	14.39
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	47.69	46.87	0.82
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	62.08	46.87	15.21
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	5.27	(5.27)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	42.25	-	42.25
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	23.12	-	23.12
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	65.37	5.27	60.10
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	51.67	(51.67)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(19.24)	(19.68)	0.44
31.03.2017 को अंतिम शेष	704.41	667.85	36.56

(करोड़ रुपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	704.41	667.85	36.56
वर्तमान सेवा लागत	15.56	-	15.56
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	52.83	50.09	2.74
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	68.39	50.09	18.30
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	10.67	(10.67)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	2.07	-	2.07
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	33.77	-	33.77
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	3.37	-	3.37
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	39.21	10.67	28.54
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	81.37	(81.37)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(18.39)	(18.36)	(0.03)
31.03.2018 को अंतिम शेष	793.62	791.62	2.00

वित्त-पोषित और गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वित्त-पोषित बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	793.62	704.41
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	791.62	667.85
वित्त-पोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	2.00	36.56
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	2.00	36.56

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव					
	मान्यताओं में परिवर्तन		मान्यताओं में वृद्धि		मान्यताओं में कमी	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	6.09%	इससे वृद्धि	6.17%
चिकित्सा लागत दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	6.17%	इससे कमी	6.08%

(iv) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता** : 31.03.2017 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(करोड़ रुपए में)
			निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2016-17			
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	5.38	-	5.38
वर्तमान सेवा लागत	0.25	-	0.25
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.43	-	0.43
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	0.68	-	0.68
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.18	-	0.18
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.32)	-	(0.32)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(0.14)	-	(0.14)
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.36)	-	(0.36)
31.03.2017 को अंतिम शेष	5.56	-	5.56

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(करोड़ रुपए में)
			निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	5.56	-	5.56
वर्तमान सेवा लागत	0.26	-	0.26
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.42	-	0.42
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	0.68	-	0.68
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.01	-	0.01
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.16	-	0.16
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.52)	-	(0.52)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(0.35)	-	(0.35)
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.14)	-	(0.14)
31.03.2018 को अंतिम शेष	5.75	-	5.75

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारत मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव							
	मान्यताओं में परिवर्तन			मान्यताओं में वृद्धि			मान्यताओं में कमी	
	31.03.2018	31.03.2017		31.03.2018	31.03.2017		31.03.2018	31.03.2017
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.96%	3.33%	इससे वृद्धि	4.15%	3.54%
लागत वृद्धि	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	3.97%	-	इससे कमी	3.71%	-

- (v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को स्मृति-चिन्ह : 31.03.2017 तथा 31.03.2018 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान निवल निर्धारित लाभ बाध्यता में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

विवरण	(करोड़ रुपए में)		
	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2016-17			
01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	2.58	-	2.58
वर्तमान सेवा लागत	0.10	-	0.10
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.20	-	0.20
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	0.30	-	0.30
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.07	-	0.07
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.21)	-	(0.21)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(0.14)	-	(0.14)
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.28)	-	(0.28)
31.03.2017 को अंतिम शेष	2.46	-	2.46

विवरण	(करोड़ रुपए में)		
	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	2.46	-	2.46
वर्तमान सेवा लागत	0.09	-	0.09
विगत सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	0.18	-	0.18
लाभ या हानि में मान्यता दी गई कुल राशि	0.27	-	0.27
पुनर्मापन	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.01	-	0.01
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.04	-	0.04

(करोड़ रूपए में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान	योजनागत	निवल राशि
	मूल्य	परिसंपत्तियों का	
	(i)	उचित मूल्य (ii)	iii=(i)-(ii)
2017-18			
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.34)	-	(0.34)
अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई कुल राशि	(0.29)	-	(0.29)
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.25)	-	(0.25)
31.03.2018 को अंतिम शेष	2.19	-	2.19

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव					
	मान्यताओं में परिवर्तन		मान्यताओं में वृद्धि		मान्यताओं में कमी	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	5.68%	इससे वृद्धि	6.07%
				5.94%		6.12%

(ग) निर्धारित लाभ योजनाएं : महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकित मान्यताएं :

विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
छूट दर	7.70%	7.50%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.00%

(घ) योजनागत परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार है :

भविष्य निधि

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	1,384.45	-	1,384.45	54.88
कारपोरेट बॉण्ड	998.56	-	998.56	39.59
	-	-	-	-
निवेश निधियां				
युचुअल फंड	50.56	-	50.56	2.00
एलआईसी	-	-	-	0.00
नकदी और नकदी तुल्य	-	19.66	19.66	0.78
प्रोदभूत ब्याज	-	69.26	69.26	2.75
कुल	2,433.57	88.92	2522.49	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2017			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	1,298.70	-	1,298.70	53.68
कारपोरेट बॉण्ड	1,011.75	-	1,011.75	41.82
	-	-	-	-
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	31.71	-	31.71	1.31
एलआईसी	-	-	-	-
	-	-	-	-
नकदी और नकदी तुल्य	-	7.79	7.79	0.32
प्रोदभूत ब्याज	-	69.50	69.50	2.87
कुल	2,342.16	77.29	2,419.45	100.00

उपदान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	608.20	608.20	99.98
नकदी और नकदी तुल्य	-	0.13	0.13	0.02
कुल	-	608.33	608.33	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2017			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	630.02	630.02	99.98
नकदी और नकदी तुल्य	-	0.11	0.11	0.02
कुल	-	630.13	630.13	100.00

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड				
कारपोरेट बॉण्ड	738.69	-	738.69	93.31
एलआईसी योजना	-	18.79	18.79	2.37
सावधि जमा	-	5.71	5.71	0.72
नकदी और नकदी तुल्य	-	9.44	9.44	1.19
प्रोदभूत ब्याज	-	18.99	18.99	2.40
कुल	738.69	52.93	791.62	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2017			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड				
कारपोरेट बॉण्ड	637.75	-	637.75	95.49
सावधि जमा	-	4.27	4.27	0.64
नकदी और नकदी तुल्य	-	10.06	10.06	1.51
प्रोदभूत ब्याज	-	15.77	15.77	2.36
कुल	637.75	30.10	667.85	100.00%

(ड) **जोखिम प्रभाव** : अपनी निर्धारित लाभ योजनाओं के माध्यम से समूह कई जोखिमों के प्रभाव में आती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

जोखिम प्रभाव का विवरण :

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होती हैं। अतः समूह नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों के संपर्क में आती है -

- क) वेतन वृद्धि - वास्तविक वेतन वृद्धि योजना के दायित्व में वृद्धि करेगी। वेतन वृद्धि दर मान्यता में वृद्धि भविष्य के मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।
- ख) निवेश जोखिम - यदि योजना को वित्त पोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल दायित्व को प्रभावित कर सकता है।
- ग) छूट दर - बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना के दायित्व में वृद्धि कर सकती है।
- घ) मृत्यु तथा निशक्तता - मूल्यांकन में माने गए से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- ङ) निकासी - वास्तविक निकासी मानी गई निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के दायित्व को प्रभावित कर सकता है।

(च) **निर्धारित लाभ देयता और नियोक्ता अंशदान**: वित्तपोषण स्तरों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है और वर्तमान अंशदान दर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत है। समूह यह मानती है कि पिछली मूल्यांकन तिथि को निर्धारित अंशदान दरें सहमत अवधि पर कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है और नियमित अंशदान, जो सेवा लागतों पर आधारित हैं, उनमें अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु निर्धारित लाभ योजनाओं से प्रत्याशित अंशदान **139.53 करोड़ रुपए** (31 मार्च, 2018 को **144.86 करोड़ रुपए**) है।

निर्धारित लाभ माध्यमों की औसत अवधि 10.38 वर्ष है (2017 - 9.62 वर्ष)।

छूट न दी गई निर्धारित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

भविष्य निधि (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि) का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	0-1 वर्ष के मध्य	1 - 5 वर्ष के मध्य	5 - 10 वर्ष के मध्य	10 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2018	322.67	301.31	474.44	1,404.25	2,502.67
31.03.2017	333.34	829.01	521.82	708.41	2,392.58

उपदान (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि), रोजगार पश्च चिकित्सा लाभ (एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और स्मृतिचिन्ह का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष के मध्य	2 - 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2018					
उपदान	96.72	132.57	91.08	404.15	724.52
रोजगार पश्च चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	31.93	34.99	113.05	613.65	793.62
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.57	0.55	1.62	3.01	5.75
अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.27	0.21	0.72	0.99	2.19
कुल	129.49	168.32	206.47	1,021.80	1,526.08
31.03.2017					
उपदान	109.77	69.17	181.75	414.84	775.53
रोजगार पश्च चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	27.34	29.17	98.95	548.95	704.41
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.61	0.57	1.51	2.87	5.56
अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.30	0.28	0.74	1.14	2.46
कुल	138.02	99.19	282.95	967.80	1487.96

(ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अवकाश लाभ) :** समूह अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करता है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन अवकाश से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्य के आधार पर किया जाता है।

अवकाश बाध्यता कर्मचारी अवकाश पात्रता के प्रति समूह की देयता को कवर करती है। 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु **58.96 करोड़ रुपए** की राशि के प्रावधान को वर्तमान के रूप प्रकट किया गया है चूंकि उक्त का भुगतान समूह द्वारा स्थापित ट्रस्ट को पिछले वर्ष के प्रति किया जाना है जहां **447.32 करोड़ रुपए** तथा **66.14 करोड़ रुपए** की राशि को क्रमशः गैर-वर्तमान तथा वर्तमान के रूप में प्रस्तुत किया गया था और यह 31.03.2017 तक गैर-वित्तपोषित थी। अगले 12 माह के भीतर निपटान किए जाने हेतु अनुमानित वर्तमान अवकाश बाध्यता **46.03 करोड़ रुपए** (गत वर्ष **66.14 करोड़ रुपए**) है।

वर्ष के दौरान समूह ने वित्तीय वर्ष 2016-17 तक इसकी बहियों में प्रदर्शित हो रहे अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान के प्रति निधियों को प्रशासित करने के लिए एक अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट बनाया है। तदनुसार, समूह ने वर्तमान वर्ष के दौरान ट्रस्ट को **369.27 करोड़ रुपए** पारेषित किए है जो उस तिथि को अवकाश नकदीकरण के संबंध में निवल देयता है।

13. समूह अधिनियम, 2013 की अनुसूची-3 के अनुसार अन्य प्रकटीकरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :		
i)	पूंजीगत वस्तुएं	5.50	26.43
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
i)	ब्याज	22.55	26.27
ii)	अन्य विविध मामले	60.89	76.05
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
i)	आयातित	-	-
ii)	देशीय	29.38	26.75
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
i)	ब्याज	-	-

* प्रोदभवन आधार।

14. प्रति शेयर अर्जन :-

क) प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
नियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रूपए) - आधारभूत और कम किया गया	1.72	2.09
नियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रूपए) - आधारभूत और कम किया गया	2.44	2.74
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रूपए)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान :

विवरण	31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु विनियामक आय से पूर्व निवल लाभ (करोड़ रूपए में)	1767.73	2310.64
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा नियामक आय के पश्चात निवल लाभ (करोड़ रूपए में)	2503.90	3029.42

ग) हर के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलान :

विवरण	31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
हर के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या	10259320519	11061777011

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- III के अनुसार प्रकटीकरण

(करोड़ रूपए में)

समूह में निकायों के नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मूल कंपनी								
एनएचपीसी लिमिटेड								
31.03.2018		80.79 26621.91	76.72	2128.53	92.45	5.88	76.75	2134.41
31.03.2017		78.29 25361.23	74.45	2590.97	137.52	7.66	74.55	2598.63
अनुषंगी कंपनी								
एनएचडीसी लिमिटेड								
31.03.2018		8.12 2674.29	13.52	375.13	3.77	0.24	13.50	375.37
31.03.2017		9.43 3055.88	12.50	435.21	(19.21)	(1.07)	12.45	434.14
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लिमिटेड)								
31.03.2018		0.29 96.77	0.02	0.47	-	-	0.02	0.47
31.03.2017		0.30 96.54	0.02	0.82	-	-	0.02	0.82
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)								
31.03.2018		0.01 3.46	(0.01)	(0.15)	-	-	(0.01)	(0.15)
31.03.2017		- 0.60	(0.01)	(0.32)	-	-	(0.01)	(0.32)

(करोड़ रूपए में)

समूह में निकायों के नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी अनुषंगी कंपनियों में गैर-नियंत्रक हित								
31.03.2018	8.91	2934.91	9.76	270.80	3.62	0.23	9.75	271.03
31.03.2017	10.44	3382.24	12.96	450.91	(18.31)	(1.02)	12.91	449.89
संयुक्त उद्यम (निवेश इक्विटी पद्धति के अनुसार)								
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)								
31.03.2018	0.08	27.83	(0.08)	(2.14)	0.16	0.01	(0.08)	(2.13)
31.03.2017	0.09	29.97	-	-	-	-	-	-
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड (सीवीपीपीएल)								
31.03.2018	1.80	593.64	0.07	2.06	-	-	0.07	2.06
31.03.2017	1.45	470.60	0.08	2.74	-	-	0.08	2.74
कुल								
31.03.2018	100.00	32952.81	100.00	2774.70	100.00	6.36	100.00	2781.06
31.03.2017	100.00	32397.06	100.00	3480.33	100.00	5.57	100.00	3485.90

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- III के अनुसार प्रकटीकरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
क. आकस्मिक देयताएं	1.54	1.66
ख. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	586.53	13.98

17. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटीकरण निम्नवत है :

- (क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम, विविध देनदार, संविदाकारों को अग्रिम, विविध लेनदार तथा संविदाकारों से जमा/धरोहर राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणाम समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- (ख) बाहरी पक्षों से व्यापार प्राप्य, देय व्यापार, जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु **0.05 करोड़** रुपये अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को मांगी जाती है। 31 दिसम्बर, 2017 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.3.2018 को बकाया निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.12.2017 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.12.2018 को बकाया राशि
प्राप्य व्यापार	2230.45	2175.71	1652.61
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/ सेवा प्रदाताओं/ अन्यो को अग्रिम जिसमें व्यापार/अन्य देय	1559.61	401.83	1431.00
सुरक्षा जमा/देय प्रतिधारण राशि	269.23	78.92	457.52
	104.30	28.03	142.56

- (ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

18. भारतीय लेखांकन मानक-17 “ के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण
क) प्रचालन पट्टे - समूह पट्टेधारी के रूप में

- क) समूह की प्रमुख पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु परिसरों के प्रचालन पट्टों के संबंध में हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जो निरस्त नहीं की जा सकती, आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतानों की **44.33 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **48.27 करोड़ रुपये**) की राशि को **टिप्पणी 26** में वेतन, मजदूरी, भत्ते के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- ख) समूह ने कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु परिसरों को प्रचालन पट्टों पर लिया है जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतानों की **7.55 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **6.78 करोड़ रुपये**) की राशि को **टिप्पणी 29** में किराया तथा किराया प्रभार के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- ग) समूह ने वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालन पट्टों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते। वाहनों को किराए पर लिए जाने के संबंध में पट्टा भुगतानों की **37.73 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **35.36 करोड़ रुपये**) की राशि को **टिप्पणी 29** में किराया तथा किराया प्रभार के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ख) वित्त पट्टा - समूह पट्टादाता के रूप में

समूह ने 2 पावर स्टेशनों नामतः निम्नो बाजगो पावर स्टेशन और चुटक पावर स्टेशन से उत्पादित समूची पावर की बिक्री हेतु एकल लाभार्थी पीडीडी जम्मू एवं कश्मीर और दो पावर स्टेशनों नामतः इन्दिरा सागर और ओंकारेश्वर पावर स्टेशनों से उत्पादित समूची पावर की बिक्री हेतु मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट समूह के साथ 35 वर्षों के लिए एक समझौता किया है जो इन पावर स्टेशनों के प्रत्याशित जीवनकाल के समान है। समझौतों के अंतर्गत उपभोक्ता केन्द्रीय पावर नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन को खरीदने के लिए बाध्य है। समूह ने इन पावर स्टेशनों को भारतीय लेखांकन मानक 17-पट्टे के परिशिष्ट-ग के अनुसार निहित वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान) में प्राप्य पट्टे शामिल हैं जो समूह द्वारा की गई निहित पट्टा व्यवस्थाओं पर प्राप्य भविष्य के पट्टा किराए के वर्तमान मूल्य को दर्शाते हैं।

पट्टे में सकल निवेश और वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है :

(i) पट्टों में सकल निवेश :

	(करोड़ रुपये में)	
विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
एक वर्ष के भीतर	941.84	1040.85
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	3433.90	3489.74
पांच वर्ष से अधिक	14798.92	15325.42
कुल	19174.66	19856.01

(ii) प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य :

	(करोड़ रुपये में)	
विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
एक वर्ष के भीतर	178.62	267.10
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	614.50	668.86
पांच वर्ष से अधिक	4784.93	4801.44
कुल	5578.05	5737.40

(iii) पट्टे में सकल निवेश और वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य के मध्य मिलान निम्नानुसार है :

	(करोड़ रुपये में)	
विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
पट्टे में सकल निवेश	19174.66	19856.01
समायोजन :		-
घटाए : अर्जित न की गई वित्त आय	12826.30	13350.60
घटाए : गैर-गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	770.31	768.01
न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	5578.05	5737.40

ग) प्रचालन पट्टा - समूह पट्टादाता के रूप में

समूह ने टीएलडीपी-III तथा टीएलडीपी-IV पावर स्टेशनों से विद्युत की बिक्री हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर से विद्युत की बिक्री हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु एक समझौता किया है। टीएलडीपी-III तथा टीएलडीपी-IV के संबंध में समझौते के अंतर्गत ग्राहक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन की खरीद के लिए बाध्य है। तदनुसार, समूह ने इन पावर स्टेशनों को भारतीय लेखांकन मानक 17-पट्टे के परिशिष्ट-ग के अनुसार प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया है।

गैर-निरस्तीकरण योग्य प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भविष्य का न्यूनतम किराया निम्नानुसार है :-

विवरण	(करोड़ रूपए में)	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
एक वर्ष के भीतर	188.15	568.86
एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	320.93	607.87
कुल	509.08	1176.73

19. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2018 के अनुसार “परिसंपत्तियों की क्षति” पर भारतीय लेखांकन मानक 36 के प्रावधानों के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

20. जलविद्युत नीति 2008 के अनुसार किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु संबंधित वितरण लाइसेंसी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट विद्युत की तदनुसूची ऊर्जा मुहैया करवाई जानी है। पीएएफ के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी अधिसूचना जारी की जानी है। चूंकि किसी पावर स्टेशन से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा को डिजाइन ऊर्जा में से ऐसी निःशुल्क विद्युत की कटौती करके निकाला जाना है, इसका समूह के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

21. वर्ष 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के चलते केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013/सीईआरसी के अनुसार बिक्री को सेवा-II, चमेरा-III, टीएलडीपी-III और पार्वती-III पावर स्टेशनों के संबंध में 2009-14 की अवधि हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है। वर्ष 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ के लिए सीईआरसी विनियमनों में संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी दर के साथ इक्विटी पर प्रतिफल को सकल बनाकर लाभग्राहियों से आयकर की वसूली का प्रावधान है अर्थात् उत्पादक आय पर वर्ष के दौरान अदा किया गया वास्तविक कर।

22. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (तुलन-पत्र की टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 का संदर्भ लें)

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह की वर्तमान बाध्यता (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतरवाह की आवश्यकता बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित हो और बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब समूह यह प्रत्याशा करता है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी पूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर-पूर्व-दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(ii) **कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान** कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (निर्धारित अंशदान और निर्धारित लाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 के 12 पर प्रकट किया गया है)।

क) कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान :

लेखे में वर्ष (गत वर्ष 2016-17) हेतु कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में समूह नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधान :

समूह के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को भारत सरकार द्वारा गठित तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के अनुसार 1.1.2017 से 31.3.2018 की अवधि हेतु लेखे में मान्यता दी गई है।

(iii) अन्य प्रावधान

क) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान :

टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान को अनुमानित आधार पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ के अनुमोदन/समायोजन के लंबित होने पर बिल किए गए टैरिफ के पुनः आकलन पर लाभग्राहियों को संभावित धन वापसी के प्रति किया गया है।

ख) आजीविका व्यय हेतु प्रावधान :

पार्वती-II तथा पार्वती-III में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) को आजीविका सहायता हेतु राज्य सरकार के परामर्श से और एनएचपीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार अंतिम रूप दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज के प्रति लेखों में औसत मुद्रास्फीति हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है। पैकेज के अनुसार, भुगतान की औपचारिकताएं लम्बित होने तक प्रत्येक पीएफ को निम्नलिखित अवधियों हेतु मासिक किस्त आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार, जो भी अधिक हो, के अनुसार अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य आजीविका सहायता मुहैया करवाई जाएगी :

- रोजगार हेतु पात्र पीएफ की अधिवर्षिता की तिथि तक।
- ऐसे पीएफ जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं बची है परन्तु जिन्हें रोजगार हेतु शामिल नहीं किया गया है, 2000 दिवस हेतु।
- शेष सभी पीएफ को 1000 दिवस हेतु।

ग) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान :

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे प्रावधानों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के लिए जाने पर समायोजित किया जाता है।

घ) बीमांकित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्ययों हेतु प्रावधान :

मेगा तथा सीपीएम पॉलिसी के अंतर्गत बीमित क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार हेतु प्रबंधन अनुमानों के आधार पर लेखों में प्रावधान को मान्यता दी गई है। प्रावधान का उपयोग परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के प्रति वास्तविक व्यय को वहन किए जाने के प्रति किया जाना है।

ङ) माध्यस्थम निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान :

इसमें माध्यस्थम निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावे के संबंध में संभावित बाह्य प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/बाहिर प्रवाह मामले को निर्णय के आधार पर होगा।

च) प्रावधान - अन्य - इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं :-

- संभावित बाहिरप्रवाह प्रवाह के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। प्रावधान का उपयोग/बाह्य प्रवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा।
- समूह द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।
- वर्ष 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूल गए अधिक टैरिफ पर लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान जहां वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर प्रक्षेपित पूंजीगत लागत के आधार पर सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु ली गई पूंजीगत लागत अथवा प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, व्यय की गई वास्तविक पूंजीगत लागत से अधिक होता है।
- अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर कर्मचारियों को मुहैया करवाए गए गृह निर्माण अग्रिम के ब्याज के प्रति छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।
- अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर विद्युत की बिक्री हेतु उपभोक्ताओं को छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।

23. भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार नियामक विलंबित लेखा शेष के सृजन संबंधी प्रकटीकरण :

समूह जल प्रधानतः विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में रत है। समूह द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यहास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा की लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा मुहैया करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु समूह को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी बाध्यता (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को मुहैया करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और नियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी नियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू नियामक ढांचे के अंतर्गत नियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

ऊपर बताए गए अनुसार, समूह के सभी प्रचालन क्रियाकलाप लागत की सेवा विनियमों के अधीन है क्योंकि ये परामर्शी नोट में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हैं अतः समूह पर लागू है।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई नियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व-निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तिया को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता।

1.4.2016 से ऐसी दर नियंत्रित मदों का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 114 “नियामक विलंबित लेखे” के अनुसार किया जाना है। भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को नियामक विलंबित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु “दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन” के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण पूर्ववर्ती जीएएपी को माना जाएगा।

क) सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष

सुबानसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बांध विरोधी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण बाधित हैं और मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लंबित है। तथापि, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी है। प्रबंधन स्थल पर कार्य को पुनः प्रारम्भ करने के सभी प्रयास कर रहा है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्श समिति (ईएसी) के मतानुरूप **2275.28 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष **1943.89 करोड़** रुपये तक) की ऋण लागत, **1151.97 करोड़** रुपये (पिछले वर्ष तक **982.72 करोड़** रुपये) के कर्मचारी लाभ व्यय, मूल्यहास और अन्य व्यय, **254.44 करोड़** रुपये की अन्य आय के निवल (पिछले वर्ष तक **228.62 करोड़** रुपये) की प्रशासन तथा अन्य लागत को 31.03.2018 तक लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया गया है।

तथापि, समूह ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया था जो “नियामक परिसंपत्ति” और तदनुसूची “नियामक आय” की मान्यता को अनुमति देता है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु फिर भी नियामक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है। इस लेखांकन नीति का समूह द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 तक पालन किया गया है।

चूंकि भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को नियामक विलंबित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है और यह पूर्ववर्ती जीएएपी को “दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन” के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण के रूप में मान्यता देता है, समूह ने वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अपनी पहले भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में नियामक विलंबित लेखा शेष हेतु लेखांकन नीति को जारी रखा है।

तदनुसार, समूह ने नियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है और निम्नानुसार तदनुसूची नियामक आय को मान्यता प्रदान की है :

निम्नलिखित के संबंध में सृजित विनियामक परिसंपत्तियां	31 मार्च, 2017 तक	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान	31 मार्च, 2018 तक
ऋण लागत	1943.89	331.39	2275.28
कर्मचारी लाभ व्यय	487.64	84.81	572.45
मूल्यहास	42.65	6.85	49.50
अन्य व्यय	452.43	77.59	530.02
अन्य आय	(228.62)	(25.82)	(254.44)
कुल	2697.99	474.82	3172.81

प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि परियोजना के संबंध में विनियामक विलंबित लेखा शेष भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार मान्यता हेतु अपेक्षित निश्चितता एवं विवेक के स्तर को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन के आकलन के अनुसार परियोजना की परिसंपत्तियों की वहन राशि में उसमें मान्यता प्राप्त नियामक विलंबित लेखा शेषों सहित कोई क्षति नहीं है।

परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के पश्चात सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में नियामक विलंबित लेखाओं में पड़ी शेष राशि को मूल्यहास के अनुपात में परियोजना के जीवनकाल अर्थात् 35 वर्षों पर सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों का पालन करते हुए परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा।

कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में सृजित नियामक विलंबित डेबिट शेष की भविष्य की वसूली को प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

क) मांग जोखिम : नियामक विलंबित लेखा शेष की वसूली टैरिफ के माध्यम से मूल्यहास द्वारा की जाएगी। तदनुसार, यह सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित है जो भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करती हैं जैसे दीर्घावधि पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने में कठिनाई, आदि।

ख) विनियामक जोखिम :

- 1) टैरिफ विनियमन, 2014-19 में परिणामी लागतों की अनुमति है जो लागत वृद्धि में परिणत होता है और संविदा मूल्यों, निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) और प्राकृतिक आपदा वाली स्थितियों में निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (आईईडीसी) को प्रभावित करता है जैसा कि एक का सामना वर्तमान में परियोजना द्वारा किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा वाली स्थितियों में लागत की स्वीकार्यता के संबंध में वर्तमान अवधि से परे टैरिफ विनियमनों में कोई परिवर्तन इन नियामक विलंबित अंतरों के सृजन तथा वसूली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- 2) टैरिफ विनियमों में आगे यह प्रावधान है कि यदि विलंब उत्पादक समूह को आरोप्य नहीं है बल्कि अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, आईईडीसी को उचित विवेकसम्मत जांच के पश्चात अनुमेय किया जा सकता है। विवेकसम्मत जांच के पश्चात व्यय को अनुमेय न करने से सृजित किए जा रहे नियामक विलंबित खाता शेष की वसूली प्रभावित हो सकती है।

ख) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनियम अंतर के संबंध में नियामक विलंबित लेखा :

भारतीय लेखांकन मानक 23 - “ऋण लागतें” के पैरा 6(ड) के अनुसार विदेशी मुद्रा ऋणों पर ऋण लागत ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में ली गई सीमा तक, इसके निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकरण किए जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखांकन मानक - 21 “विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव” का पैरा 28 यह प्रावधान करता है कि संबंधित अवधि अथवा पिछले वित्तीय विवरणों के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर परिवर्तित से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों के निपटान या परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनियम अंतरों को उस अवधि में लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न हुए हों।

भारतीय लेखांकन मानक 101 - “भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना” का पैरा डी13ए यह प्रावधान करता है कि पहली बार अपनाये वाले को पूर्ववर्ती जीएपी के अनुसार प्रथम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से तत्काल पूर्व समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनियम अंतरों हेतु अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, 1.4.2016 अथवा उसके पश्चात प्रारंभ होने वाली अवधि हेतु निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में उपचारित सीमा तक ऋणों के विनियम अंतर के अतिरिक्त मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले सभी विनियम अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभावित किया जाना होता है। समूह की बहियों में सभी विदेशी मुद्रा ऋण 01.04.2004 से लिए गए थे।

सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार, विनियम दर अंतर के कारण होने वाला कोई भी लाभ अथवा आनि किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) को टैरिफ की गणना हेतु पूंजीगत लागत के भाग के रूप में तथा ओ एंड एम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के रूप में वसूली योग्य होगी। इसके अतिरिक्त, सीईआरसी ने पूर्व के टैरिफ आदेशों में निर्माण अवधि के दौरान व्यय किए गए विनियम अंतरों को पूंजी लागत के भाग के रूप में अनुमेय किया है।

मान्यता के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 114- “विनियामक विलंबित लेखा” के प्रावधानों और वसूली, लाभ एवं हानि विवरण को प्रभावित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर और आगे की अवधियों में सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के संबंध में लाभग्राहियों से प्राप्त तथा देय होने वालों के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2014-19 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इन्हें 1.4.2016 से “विनियामक विलंबित लेखा शेष” के रूप में मान्यता दी जा रही है। इन शेषों को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है जिनमें ये परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के पश्चात से लाभग्राहियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होते हैं।

भविष्य की अवधियों में लाभग्राहियों से वसूली जाने वाली अथवा उन्हें अदा की जाने वाली बहियों में मान्यता प्रदान की गई नियामक परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (-) निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	नियामक विलंबित लेखा शेष
क	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	(2.50)
ख	वर्ष के दौरान वर्धन (परिसंपत्तियां (+)/देयता (-))	2.10
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित(-)/वापिस (+) की गई राशि	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई नियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	2.10
ङ	31.03.2018 को अंतिम शेष (क+घ)	(0.40)

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में सृजित किए जा रहे नियामक विलंबित लेखा शेष की भविष्य की वसूली को कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

- मांग जोखिम :** नियामक विलंबित डेबिट/क्रेडिट शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के माध्यम से किए जाएंगे। तदनुसार, यह भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करने वाले सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं जैसे कि दीर्घावधि पीपीए पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई आदि से प्रभावित होगा।
- विनियामक जोखिम :** टैरिफ विनियम, 2014-19 निर्माण की अवधि के दौरान पूंजीगत लागत के भाग के रूप में और ओ एण्ड एम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर टैरिफ के माध्यम से विनिमय जोखिम अंतर की वसूली को अनुमय करते हैं। टैरिफ में ऐसी लागतों को अनुमय करने के संबंध में वर्तमान अवधि से परे टैरिफ विनियमों में कोई परिवर्तन इन नियामक विलंबित लेखा शेष के सृजन तथा वसूली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- सीपीएसयू के वेतन संशोधन हेतु तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के कारण मान्यता दिए गए व्यय के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष :**

सीपीएसयू के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी, 2017 से देय है। भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार 1.1.2017 से मूल वेतन, मंहगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि करने के अतिरिक्त उपदान की अधिकतम सीमा को 1.1.2017 से विद्यमान 0.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 0.20 करोड़ रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, उपदान की सीमा को 28.3.2018 से उपदान संदाय अधिनियम में संशोधन करके 0.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 0.20 करोड़ रुपये किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 (31.03.2018 तक) हेतु वेतन के प्रस्तावित संशोधन के प्रभाव में 1.4.2017 से 31.3.2018 तक की अवधि के लिए वेतन तथा भत्तों में वृद्धि हेतु प्रावधान के प्रति लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किया गया व्यय और कारपोरेट कार्यालय तथा संबंधित यूनिटों को आवंटित क्षेत्रीय कार्यालयों के व्यय सहित प्रचालनशील पावर स्टेशनों के संबंध में उपदान की अधिकतम सीमा में वृद्धि के कारण बीमांकित मूल्यांकन के संबंध में लाभ एवं हानि/अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान किया गया व्यय शामिल है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014-19, सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के कारणों के कथन के साथ पढ़े जाने पर यह प्रावधान करते हैं कि प्रचालनात्मक विद्युत स्टेशनों के वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि का प्रभाव टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अवधि 2004-09 के दौरान सीईआरसी ने 31.12.2006 के अनुसार याचिकाकर्ता समूह के कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी (मूल वेतन और मंहगाई भत्ता) की 50 प्रतिशत तक वेतन संशोधन (1.1.2007 से) के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि की लाभार्थियों से वसूली को 12 समान मासिक किस्तों में अनुमय किया था।

भारतीय लेखांकन मानक-114-“नियामक विलंबित लेखा” के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मान्यता तथा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014-19 के संबंध में वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लाभ संबंधी वसूली, अतिरिक्त व्यय को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य व्यापक आय पर प्रभारित किए जाने की सीमा तक और टैरिफ विनियमों तथा सीईआरसी के पहले के अनुमोदन के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से आगे वसूले जाने के चलते “नियामक विलंबित लेखा शेष” के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इन शेषों को उस वर्ष में से समायोजित किया जाना है जिनमें ये सीईआरसी के अनुमोदन के अनुसार लाभार्थियों से वसूली योग्य बनेंगे।

बहियों में मान्यता प्रदान किए गए नियामक विलंबित लेखा शेष (परिसंपत्तियों) को भविष्य की अवधियों में लाभार्थियों से निम्नानुसार वसूला जाना है :
लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई मदों के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	नियामक विलंबित लेखा शेष
क	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	205.88
ख	वर्ष के दौरान वर्धन (+)	259.25
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई नियामक आय (ख+ग)	259.25
ङ	31.03.2018 को अंतिम शेष (क+घ)	465.13

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों के संबंध में विनियामक विलंबित लेखा शेष :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	नियामक विलंबित लेखा शेष
क	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	9.05
ख	वर्ष के दौरान वर्धन (+)	(23.68)
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई नियामक आय (ख+ग)	(23.68)
ङ	31.03.2018 को अंतिम शेष (क+घ)	(14.63)

कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय के संबंध में सृजित की जा रही विनियामक विलंबित लेखा शेषों की भविष्य में वसूली कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित हो सकती है। ये हैं :

- क) **मांग जोखिम** : नियामक विलंबित डेबिट/क्रेडिट शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के माध्यम से किए जाएंगे। तदनुसार, यह भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करने वाले सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं जैसे कि दीर्घावधि पीपीए पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई आदि से प्रभावित होगा।
- ख) **नियामक जोखिम** : टैरिफ विनियम, 2014-19 टैरिफ के माध्यम से वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त कर्मचारी लागत की वसूली को अनुमेय करते हैं। टैरिफ में ऐसी लागतों को अनुमेय करने के संबंध में वर्तमान अवधि से परे टैरिफ विनियमों में कोई परिवर्तन इन विनियामक विलंबित लेखा शेष के सृजन तथा वसूली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- 24 (i) उड़ी- I। पावर स्टेशन जहां दुर्घटनावश 20.11.2014 को आग लग गई थी, जो उत्पादन के बंद होने में परिणत हुआ था, उससे जून, जुलाई, तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर है। 31.3.2018 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभावित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
भौतिक क्षति के प्रति	65.83	47.10	5.12	13.61	14.04
व्यापार बाधा हानि #	276.27	130.00	-	146.27*	166.27
कुल	342.10	177.10	5.12	159.88	180.31

*टिप्पणी 34 के पैरा 2(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

#वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय **20.00 करोड़** रुपये है (अद्यतन तिथि को संचित **130.00 करोड़** रुपये है)।

- (ii) चूटक पावर स्टेशन जो पावर गृह में अचानक पानी के बढ़कर टरबाइन तल तथा आंशिक रूप से उत्पादन तल तक पहुंच जाने के कारण 28.6.2015 से बन्द था, इसे अगस्त तथा सितम्बर, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि को मेगा जोखिम नीति के अंतर्गत कवर किया गया है। 31.3.2018 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है :

(करोड़ रुपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
भौतिक क्षति के प्रति	7.73	2.20	2.00	3.53	5.93
व्यापार बाधा हानि #	16.22	1.80	-	14.42	18.07
कुल	23.95	4.00	2.00	17.95	24.00

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय **14.42 करोड़** रुपये है (अद्यतन तिथि को संचित **16.22 करोड़** रुपये है)।

- (iii) धौलीगंगा पावर स्टेशन जो बादल फटने तथा अत्यधिक बाढ़ के कारण 17.6.2013 से बन्द था, उसे मई/जून, 2014 माह के दौरान बहाल कर दिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम नीति के अंतर्गत कवर हैं। 31.3.2018 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है :

(करोड़ रुपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
भौतिक क्षति के प्रति	160.71	105.79	2.00	52.92	82.50
व्यापार बाधा हानि					
- उत्पादन हानि के कारण	263.77	215.00	-	48.77*	158.36
- कार्यकरण की वृद्धित लागत के कारण	4.28	-	1.93	2.35	3.25
कुल	428.76	320.79	3.93	104.04	244.11

*टिप्पणी 34 के पैरा 2(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय **25.00 करोड़** रुपये है (अद्यतन तिथि को संचित **215.00 करोड़** रुपये है)।

- (iv) सभी विद्युत संयंत्रों की परिसंपत्तियां और उत्पादन में हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर हैं। 31.3.2018 के अनुसार पावर स्टेशनों (ऊपर 24 (i), (ii) तथा (iii) में प्रकट किए गए उड़ी- I I, चूटक और धौलीगंगा के प्रमुख दावों के अतिरिक्त) के संबंध में बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

दावे का विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
भौतिक क्षति के प्रति	43.83	8.15	14.03	21.65	34.94
व्यापार बाधा हानि	-	-	-	-	-
कुल	43.83	8.15	14.03	21.65	34.94

25. निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को हुई अपनी बैठक में चर्चा की कि बरसर जलविद्युत परियोजना की अर्थक्षमता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने बरसर परियोजना को अर्थक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा जांच हेतु वित्तपोषण मुहैया करवाने के लिए पहल की थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार निधियों को मुहैया करवाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय से संपर्क किया गया था। दिनांक 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में उनके प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना पर अन्वेषण कार्य जारी है और **226.05 करोड़** रुपये के व्यय को किया जा चुका है और इसे प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य में अग्रेषित किया गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इस राशि का प्रावधान लेखाबहियों में किया गया है।
26. कोटलीभेल-1ए, कोटलीभेल-1बी और कोटलीभेल-2 परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित उन 24 जलविद्युत परियोजनाओं में से ऐसी तीन परियोजनाएं हैं जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इन परियोजनाओं को अगले आदेश तक पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न किए जाने के और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। परियोजना के भविष्य पर निर्णय लंबित होने तक 31.3.2018 तक कोटलीभेल-1ए, कोटलीभेल-1बी और कोटलीभेल-2 परियोजनाओं के संबंध में क्रमशः **230.76 करोड़** रुपये, **42.95 करोड़** रुपये और **51.42 करोड़** रुपये की राशि के लिए गए व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इन राशियों हेतु कुल **325.13 करोड़** रूपए की राशि हेतु लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।
27. क) तवांग चरण- I। जलविद्युत परियोजना हेतु वन स्वीकृति (चरण- I) प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 1 मार्च, 2018 के पत्र के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत मंत्रालय को परियोजना की अंतिम रूप दी गई हार्ड लागत तथा निवेश पूर्व क्रियाकलाप लागत को संप्रेषित किया है। तवांग चरण- II। जलविद्युत परियोजना के संबंध में वन स्वीकृति (चरण- II) प्रक्रियाधीन है। तदनुसार, इन परियोजनाओं पर व्यय की गई **203.15 करोड़** रुपये की राशि को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेषित किया जा रहा है।
ख) 5.2.2013 को आयोजित निदेशक मंडल की 356वीं बैठक में बोर्ड संकल्प संख्या 6(2)के अनुसार तवांग- I तथा II परियोजनाओं और बेसिन में अन्य परियोजनाओं हेतु बेसिन अध्ययन के प्रति राज्य वन विभाग को 31.3.2018 तक अदा की गई **2.49 करोड़** रूपए की राशि की यथानुपात आधार पर अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी है। तथापि, प्रबंधन के अनुसार ऐसी वसूली की संभावना बहुत कम है और ऐसे व्यय को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को डेबिट किया गया है।
28. धौलीगंगा इंटरमीडिएट, चुंगर चाल और खरमोली लुमटी टुली जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से रोका गया है। इस संबंध में निबंधन एवं शर्तें सहित उत्तराखंड सरकार को इन परियोजनाओं को सौंपने हेतु अंतिम निर्णय लंबित होने के चलते **32.35 करोड़** रुपये की राशि को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेषित किया गया है।
29. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने दिनांक 15.4.2015 के पत्र संख्या फा.सं.8-85/2011-एफसी के माध्यम से दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट) के निर्माण हेतु वन भूमि के अपवर्तन के लिए “सिद्धांततः” अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 19.5.2015 के पत्र के माध्यम से परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त के मद्देनजर परियोजना पर व्यय की गई **248.23 करोड़** रुपये की राशि को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेषित किया गया है।
30. समूह ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और अन्य किसी संगत प्रावधान के अर्थ के भीतर कोई जमा स्वीकार नहीं किया है सिवाय अतिदेय धरोहर जमा राशि तथा सुरक्षा जमा के। तथापि, प्रबंधन का यह मत है कि बहियों में दर्शाए गए आपूर्तिकारों/संविदाकारों की अतिदेय धरोहर जमा राशि तथा सुरक्षा जमा वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु संविदाओं के निष्पादन हेतु प्रतिधारण राशि की प्रकृतिवाले हैं और उन्हें समूह (जमा की स्वीकार करना) संशोधन नियम, 2016 के नियम, उप नियम(1), खंड(ग) में संशोधन के चलते मानद जमा नहीं माना जाना चाहिए। तदनुसार, प्रबंधन द्वारा ऐसे सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि के संबंध में दिनांक 29.6.2016 की एमसीए की अधिसूचना संख्या जीएसआर-639(ई) के लागू होने के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय से 25 जनवरी, 2018 के पत्र संख्या एनएच/सीएस/433 के माध्यम से स्पष्टीकरण/छूट का अनुरोध किया गया है।
31. वित्तीय वर्ष 2016-17 तक मोबाइल फोन/सेल्यूलर फोन पर मूल्यहास टैरिफ के निर्धारण हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दर तथा पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जा रहा था। वित्तीय वर्ष 2017-18 से मोबाइल फोन पर मूल्यहास प्रबंधन आकलन के आधार पर 1/- रुपये के अवशिष्ट मूल्य के साथ 3 वर्ष की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर मुहैया करवाया जा रहा है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु मोबाइल फोन/सेल्यूलर फोन पर मूल्यहास **0.10 करोड़** रुपये अधिक है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2018 को विद्यमान मोबाइल फोन/सेल्यूलर फोन हेतु मूल्यहास प्रभार अगले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान **0.04 करोड़** रुपये से अधिक होंगे।

32. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों (आरईसी) के मात्रात्मक ब्यौरे :

क्रम सं.	विवरण	मात्रा
1	जारी आरईसी की संख्या	51214
2	प्रमाणीकरण के अधीन होने वाले आरईसी की संख्या	17094
3	वर्ष के दौरान बिक्री किए गए आरईसी की संख्या	शून्य

अंतिम वसूली के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के मद्देनजर जारी किए गए/प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के अधीन होने वाले आरईसी को मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

33. समूह ने वर्ष के दौरान तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर परियोजना को चालू किया है जिसकी 25 मेगावाट को 1 फरवरी, 2018 को तथा शेष 25 मेगावाट को 23 मार्च, 2018 को चालू किया गया है।
34. पिछले वर्ष के प्रारंभिक शेष/तदनुसूची आंकड़ों को जहां-कहीं आवश्यक हो वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुसूच बनाने के लिए पुनः समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की सूची

सुरेश गुप्ता
कंपनी सचिव

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

बलराज जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

हमारी समसंख्यक तिथि की सूची अनुसार

कृते **सुरेश गुप्ता** **एनएचपीसी**
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045

कृते **एनएचपीसी**
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई

कृते **अरोड़ा वोहरा एनएचपीसी**
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 09487एन

सुरेश सेठ
भागीदार
सदस्यता सं. 010577

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 056359

(रजत मंगी)
भागीदार
सदस्यता सं. 089871

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 28 मई, 2018

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु
फार्म एओसी-1

(धारा 129 की उप धारा(3) के परंतुक के अनुपालन में जिसे कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है)

अनुषंगी कपनियाँ/एसोसिएट्स कंपनियाँ/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं समाहित करने वाला विवरण

भाग "क" - अनृषंगी कंपनियां

1	क्रम सं.	1	2	3
2	अनुषंगी कंपनी का नाम	एनएचडीसी लिमिटेड	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कार्पोरेशन लिमिटेड	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
3	संबंधित अनुषंगी कंपनी हेतु रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	धारक कंपनी के समान (01.04.2017 - 31.03.2018)	धारक कंपनी के समान (01.04.2017 - 31.03.2018)	धारक कंपनी के समान (01.04.2017 - 31.03.2018)
4	विदेशी अनुषंगी कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	शेयर पूंजी	1,962.58	117.69	4.00
6	आरक्षित तथा अधिशेष	3,992.17	19.39	-0.54
7	कुल परिसंपत्तियां	7,845.50	144.80	20.83
8	कुल देयताएं	1,890.75	7.72	17.37
9	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
10	टर्न-ओवर	784.91	शून्य	शून्य
11	कराधान से पूर्व लाभ *	741.10	0.88	0.04
12	कराधान हेतु प्रावधान **	187.92	0.24	0.18
13	कराधान पश्चात लाभ	553.18	0.64	-0.15
14	प्रस्तावित निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
15	शेयरधारिता का प्रतिशत	51.08%	74.00%	99.99%

* विनियामक विलंबित लेखा शेष पर आय सहित ।

** कराधान हेतु प्रावधान में कर व्यय और नियामक विलंबित लेखा शेष पर कर शामिल है।

1.	अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड और 2. बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
2.	अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया	कोई नहीं

भाग "ख" - संयुक्त उद्यम

एसोसिएट कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुपालन में विवरण

(करोड़ रुपए में)

संयुक्त उद्यम का नाम		चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तिथि	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर संख्या	582,360,000	30,400,000
	संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	582.36	30.40
	धारिता प्रतिशत का विस्तार	55.39%	20%
3	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
4	संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने के कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
5	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता को आरोग्य निवल मूल्य	632.47	29.97
6	वर्ष हेतु लाभ/हानि		
	i. समेकन में ली गई	2.06	(2.14)
	ii. समेकन में न ली गई	लागू नहीं	लागू नहीं
1.	संयुक्त उद्यम के नाम जिन्होंने अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	
2.	एग्रेसिवेट अथवा संयुक्त उद्यम के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन अथवा बिक्री की गई है	कोई नहीं।	

कृते एवं निदेशक मंडल की ☐से

जय गुप्ता
कंपनी सचिव

कृते ☐ स ☐ धावन ☐ ण्ड कंपनी एलएलपी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 000050एन/एन500045

सुरेश सेठ)
भागीदार
दस्यता सं. 010

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30 मई, 2017

महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 02889021

हमारी समसंख्यक तिथि की के अनुसार

कृते
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई
(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 056359

बलराज जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07449990

कृते अरोड़ा वोहरा प्रिण्ट कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 09487एन
(रजत मेंगी)
भागीदार
सदस्यता सं. 089871

अनुबंध - XII

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 28 मई, 2018 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षक को स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पड़ुच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट बनती हो।

कृते तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./-

(विक्रम डी. मुरुगराज)

प्रधान वाणिज्य लेखापरीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 20 जुलाई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 28 मई, 2018 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचडीसी लिमिटेड और लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है परंतु चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड और नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह पूरक लेखापरीक्षक को स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट बनती हो।

कृते तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./-

(विक्रम डी. मुरुगराज)

प्रधान वाणिज्य लेखापरीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 23 जुलाई, 2018



540 मेगावाट चमेरा- I पावर स्टेशन (हिमाचल प्रदेश) - बांध

Follow NHPC at :



<https://www.facebook.com/NHPCIndiaLimited>



<https://twitter.com/nhpcLtd>



<https://www.instagram.com/nhpclimited>



एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)



NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

सीआईएन : एल40101एचआर1975जीओआई032564

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर - 33, फरीदाबाद - 121003, हरियाणा (भारत) वेबसाइट : www.nhpcindia.com
NHPC Office Complex, Sector - 33, Faridabad - 121003, Haryana (India) Website : www.nhpcindia.com

Tel. No.: 0129-2588110 Fax No. 0129-2278018